पंचदश माला, खंड 30, अंक 14

बुधवार, 12 दिसम्बर, 2012
21 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

बारहवां सत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 87
Dated 30 Sept 2015

(खंड 30 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

राकेश कुमार जैन
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

राजीव शर्मा
सम्पादक

सुशान्त कुमार पाण्डेय
सहायक सम्पादक

© 2012 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 30, बारहवां सत्र, 2012/1934 (शक)]

अंक 14, बुधवार, 12 दिसम्बर, 2012/21 अग्रहायण, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए वालमार्ट द्वारा कथित लॉबिंग सं संबंधित मामले की जांच कराना	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 263	3-190
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 264 से 280	190-287
अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220	287-776
सभा पटल पर रखे गए पत्र	776-797
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति	
(एक) 15वां प्रतिवेदन	797
(दो) विवरण	798
सामजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
18वां, 19वां, 21वां और 22वां प्रतिवेदन	799
समितियों के लिए निर्वाचन	
(एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान और अनुसंधान परिषद	799
(दो) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण	800
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) कोयम्बटूर और मईलादुतुरई के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस को कुड्डुलोर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
श्री एस. अलागिरी	806

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(दो) शिवकाशी के सरकारी अस्पताल का एक सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल के रूप में आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री मानिक टैगोर	806
(तीन) ओडिशा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री हेमानंद बिसवाल	808
(चार) उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एड पाठ्यक्रम से खेल-कूद विषय को हटाए जाने की आवश्यकता	
राजकुमारी रत्ना सिंह	808
(पांच) देश में दुग्ध उत्पादों के अपमिश्रण में संलिप्त व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने तथा उन्हें सजा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री गणेश सिंह	809
(छह) मोतिहारी और गया में क्रमशः महात्मा गांधी और महात्मा बुद्ध के नाम पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता	
श्री राधा मोहन सिंह	810
(सात) मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुर में और उत्तर प्रदेश के इटावा में चंबल, क्यारी, सिंध और यमुना नदियों के कारण हो रहे भू-क्षरण पर नियंत्रण रखने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री अशोक अर्गल	810
(आठ) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री शैलेन्द्र कुमार	811
(नौ) देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	811
(दस) देश में अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री विश्व मोहन कुमार	812

विषय	कॉलम
(ग्यारह) तमिलनाडु में जोलारपेट-तिरुपत्तूर-कांडिली-बारुगुर-ओरप्पम-सालुगिरी-कृष्णागिरी होसुर नई रेल लाइन को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता	
श्री ई.जी. सुगावनम	812
(बारह) केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए तमिल भाषा को परीक्षा का माध्यम बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री सी. राजेन्द्रन	813
(तेरह) पड़ोसी राज्यों को दिए जा रहे कर अवकाश को देखते हुए राज्य में औद्योगिक विकास के लिए पंजाब राज्य को समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	813
(चौदह) महाराष्ट्र में "मराठा" समुदाय को आरक्षण की सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजू शेट्टी	814
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2012-13	
श्री अनंत कुमार	815-822
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	823-824
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	823-846
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	847-848
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	847-850

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

बुधवार, 12 दिसम्बर, 2012/21 अग्रहायण, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को पंडित रविशंकर के दु:खद निधन की सूचना देनी है।

पंडित रविशंकर 1986 से 1992 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। उन्हें 1999 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, भारत रत्न सहित अपने देश और विदेशों से कई पुरस्कार और सम्मान मिले। उन्हें विश्व भारती से देशिकोट्टम, यूनेस्को म्यूजिक काउंसिल अवार्ड, मैगसायसाय पुरस्कार और ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया।

पंडित रविशंकर का निधन 92 वर्ष की आयु में आज सैन डिएगो, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ।

हम ऐसे ओजस्वी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हैं और मैं अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए वालमार्ट द्वारा कथित लाबिंग से संबंधित मामले की जांच कराना

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्नकाल।

...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदया मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : जी, हां।

श्री कमल नाथ : महोदया कल मैंने वालमार्ट के संबंध में प्रेस की सूचनाओं पर माननीय सदस्यगणों की चिंता के संबंध में माननीय सदस्यगणों से बातचीत की थी। मैंने सभा को यह भी बताया था कि सरकार की जांच करवाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं आज सभा को बताना चाहूंगा कि सरकार वालमार्ट संबंधी मीडिया सूचनाओं की जांच करवाने के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति करेगी। हम इस जांच को समयबद्ध तरीके से करेंगे ताकि यथासंभव शीघ्रता से सभा को इसके नतीजों की जानकारी मिल सके।...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) क्या यह जांच उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे या उच्च न्यायालय के? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : उनहें अपनी बात पूरी करने दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से इनक्वायरी कराइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप कृपया पीठ को सम्बोधित करे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : मैंने आप सबके सुझाव सुन लिए हैं, आप मुझे सुझाव हाउस के बाहर भी दे दीजिएगा। हमें कोई संकोच नहीं है कि रिटायर्ड जज से इनक्वायरी कराएं, तो आप मुझे अपने सुझाव कृपया करके दे दीजिएगा।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : प्रश्न संख्या 261 श्री सतपाल महाराज।

[हिन्दी]

तकनीकी संस्थानों की स्थापना

*261. **श्री सतपाल महाराज : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु उत्तराखंड सहित विभिन्न राज्यों से राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) इन आवेदनों में से कितने तकनीकी संस्थानों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमति प्रदान की गई;

(ग) आज की तारीख के अनुसार कितने आवेदन लम्बित हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन आवेदनों को शैक्षणिक वर्ष 2013-14 से पूर्व स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2011-12 और 2012-13 में नए तकनीकी संस्थान स्थापित करने के लिए उत्तराखंड राज्य सहित विभिन्न राज्यों से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न अनुबंध में दी गई है।

(ख) तकनीकी संस्थानों की संख्या, जिनके लिए एआईसीटीई द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी, वर्ष 2011-12 में प्राप्त 956 आवेदन पत्रों में से 432 और वर्ष 2012-13 में प्राप्त 647 आवेदन पत्रों में से 283 है।

(ग) और (घ) वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्त 23 आवेदन पत्र न्यायालय में चल रहे मामलों या इन संस्थाओं से अतिरिक्त सूचना के अभाव में और प्रतिभूति जमा प्राप्त न होने के कारण लंबित पड़े हुए हैं। एआईसीटीई आवेदकों से वार्षिक आधार पर ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करती है और वार्षिक आधार पर उन पर कार्रवाई करती है।

अनुबंध

नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदनों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष	एआईसीटीई द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 2011-12	एआईसीटीई द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या 2012-13
1	2	3
मध्य प्रदेश	26	22
छत्तीसगढ़	8	6
गुजरात	39	34
ओडिशा	30	15
पश्चिम बंगाल	20	24
त्रिपुरा	1	0
मेघालय	0	1
असम	2	5
झारखंड	7	6
बिहार	18	15
उत्तर प्रदेश	128	101
उत्तराखंड	**12**	**17**
हरियाणा	52	22
जम्मू और कश्मीर	9	16
दिल्ली	9	3
पंजाब	50	18
राजस्थान	68	52
हिमाचल प्रदेश	16	12

1	2	3
आंध्र प्रदेश	85	37
पुदुचेरी	4	2
तमिलनाडु	137	96
कर्नाटक	35	22
केरल	49	22
महाराष्ट्र	150	96
गोवा	1	2
दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली	0	1
कुल	956	647

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज : अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तराखंड से आता हूं और उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। अन्य पर्वतीय राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए तकनीकी शिक्षा के साधन नहीं हैं। उनको टेक्नीकल शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैदानी इलाकों में आना पड़ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टेक्नीकल एजुकेशन के लिए भविष्य में उनके पास क्या योजना है? हमारे उत्तराखंड के अंदर जल विद्युत की बहुत-सी परियोजनाएं लग रही हैं, तो हाइड्रो टरबाइन्स को चलाने के लिए जो टेक्नीकल एजुकेशन है, अगर उसके संस्थान हमारे यहां पहाड़ों में लग जाएं, तो लोगों को बड़ा लाभ होगा। इस प्रकार से रेलवे के जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उसकी जो मशीनें होती हैं, उनकी वाइंडिंग की टेक्नीकल एजुकेशन, टनल बनाने की टेक्नीकल एजुकेशन, रॉड बनाने की टेक्नीकल एजुकेशन होनी चाहिए क्योंकि ये सब काम पर्वतों में हो रहे हैं। ये सब काम पर्वतों में हो रहे हैं, तो इनकी शिक्षा के अगर वहां संस्थान लग जाएंगे तो उससे हमारे पर्वतीय राज्य उत्तराखंड को बड़ा लाभ प्राप्त होगा।

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : महोदया, हमारी समग्र शिक्षा योजना में दूरस्थ क्षेत्रों जैसे पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों पर विशेष बल दे रहे हैं। आप जानते हैं कि अधिकांश शिक्षा योजनाओं को वित्त पोषण दूरस्थ क्षेत्रों में 90:10 की तर्ज पर होता है; जिसमें 90 प्रतिशत लागत केन्द्र सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत संबंधित राज्यों द्वारा वहन की जाती है। मैं जानता हूं कि पहाड़ी राज्यों में पहुंच आदि जैसी चुनौतियां हैं यहीं कारण है कि यह वृद्धि दी जा रही है।

जहां तक तनकीकी और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों का संबंध है; उन्हें संस्थानों की अर्हता के मामले में नियम समान हैं। एआईसीटीई तकनीकी संस्थानों की अर्हता के मामले में अच्छा काम कर रहा है जिसमें उन्होंने संस्थानों की अर्हता में बहुत पारदर्शी प्रक्रिया बनाई है। मेरा विचार है कि उत्तराखंड भी संस्थानों को अर्हता में अच्छा कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री सतपाल महाराज : अध्यक्ष महोदया, मैं पहले तो मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि 2012 में 283 एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया और स्वीकृति प्रदान की। पर यह बहुत कम है। हमारे देश के जो पर्वतीय राज्य हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड हैं, ये पूरे हिमालय के भूभाग को कवर करते हैं। यहां और भी टेक्नीकल एजुकेशन के संस्थान होने चाहिए, ताकि लोगों को वहां से पलायन न करना पड़े और घर बैठे ही उन्हें टेक्नीकल एजुकेशन मिल जाए। इस तरह वे भी भारत निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे। ये राज्य ऐसे हैं जहां पर टेक्नीकल एजुकेशन न होने के कारण लोगों को सेना में भर्ती होना पड़ता है और इन एरियाज में सेना में भर्तियां भी कम होती हैं। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष रुचि लेते हुए क्या वहां के लोगों के लिए टेक्नीकल एजुकेशन संस्थान मुहैया कराएंगे?

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : महोदया तकनीकी शिक्षा हमारी सकल शिक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू है निश्चित रूप से हम पहाड़ी राज्यों में और शैक्षणिक संस्थान और साथ ही व्यावसायिक शिक्षा संस्थान प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना चाहेंगे। इसीलिए नए आईआईटीज़ में से एक को उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। परन्तु हमें व्यवहारिक तौर पर यह भी समझना चाहिए कि इनका स्थान जितना दूरस्थ होगा शिक्षकों के लिए वहां जाकर रहना उतना ही कठिन होगा तथा अच्छे शिक्षकों को वहां बुलाना भी कठिन होगा। अत: मेरा विचार है कि जिन स्थानों पर हमने नए आईआईटी और आईआईएम आरंभ किए हैं या आरंभ करने की पहचान कर ली है उन तक पहुंच को सुधारने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड अपने सभी तकनीकी संस्थानों के मामले में काफी अच्छा कार्य करेगा।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल : मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। हमारा एरिया रेगिस्तानी है और वहां पर टेक्नीकल एजुकेशन संस्थान का काफी अभाव है। ऐसा सतपाल जी ने जानना चाहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में सेरेबल स्कीम के तहत तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलने की योजना में 90 और 10 प्रतिशत का रेश्यो रहना चाहिए। मेरा यह मानना है कि रेगिस्तानी इलाकों में भी तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव है, जिसके कारण वहां के लोग वोकेशनल एजुकेशन भी नहीं ले पाते हैं। दुर्गम स्थानों में रहने के कारण लोगों को दूर-दूर एजुकेशन के लिए जाना पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेगिस्तानी इलाकों में भी तकनीकी शिक्षा संस्थान खोलना सरकार की प्राथमिकता है?

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : महोदया, इस इन दूरस्थ स्थानों की समस्याओं को समझते हैं। परन्तु जैसा कि मैंने कहा, स्थान जितना दूरस्थ होगा शिक्षकों के लिए वहां पहुंचना उतना ही कठिन होगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हमारा कोई इरादा नहीं है। पुन: यह निजी उद्यमों पर छोड़ दिया गया है कि क्या वे वहां तकनीकी संस्थाएं स्थापित करना चाहेंगे। जहां तक प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा का संबंध है, केन्द्र और राज्य दोनों ही सरकारें इसे यथासंभव आरंभ कराने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं कि जहां तक आरटीई का संबंध है, हालांकि स्थान दूरस्थ हो तो भी विद्यालय तो स्थापित होने चाहिए। परन्तु जहां तक तकनीकी शिक्षा का संबंध है, यह शिक्षकों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और पहुंच को सुगम बनाने के लिए, राज्य सरकारें रुचि ले सकती है और कुछ निजी उद्यम भी इसमें रुचि ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : श्री पी. करुणाकरन–उपस्थित नहीं हैं।

श्री टी.आर. बालू : देश भर में विशेषकर तमिलनाडु में वर्ष दर वर्ष इंजीनियरिंग कॉलेज मशरूमों की तरह स्थापित किए जा रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या शिक्षक अनिवार्यत: पी.एच.डी. होना चाहिए; यदि हां, तो क्या सरकार ने देश भर में उपलबध विशेषत: विषय विशेष के पीएचडी लोगों की संख्या का पता लगाया है जिन्हें नियोजित किया जाने वाला है? यदि पीएचडी लोगों की संख्या में कमी है तो विद्यमान कॉलेजों की आवश्यकता पूरी करने का क्या तरीका है?

श्री एम.एम. पल्लम राजू : महोदया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् इन तकनीकी संस्थानों में शिक्षा प्रदान करने वाले प्रोफेसरों और व्याख्याताओं की योग्यता के संबंध में कुछ मानदंड निर्धारित करता हैं और शिक्षकों की संख्या और योग्यता संबंधी मानदंडों के पूरा होने पर ही नए कॉलेजों या विद्यमान कॉलेजों की क्षमता विस्तार के लिए अनुमति दी जाती है। मुझे विश्वास है कि यदि हम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का डाटाबेस खंगाले हमें उपलब्ध पीएचडी लोगों की संख्या का पता चल जाएगा। इसके अलावा मेरा विचार है कि मंत्रालय की ओर से उपलब्ध पीएचडीज का डाटाबेस तैयार करने का वृहत प्रयास होना चाहिए।

जहां तक तकनीकी शिक्षा में नए पीएचडी तैयार करने का संबंध है, भारत में लगभग 1000 पीएचडी प्रतिवर्ष डिग्री प्राप्त करते हैं। परन्तु मैं महसूस करता हूं कि यह काफी कम है और मुझे आशा है कि हम आगामी वर्षों में और तैयार कर सकेंगे।

श्री टी.आर. बालू : यदि पर्याप्त संख्या में पीएचडी लोग उपलब्ध न हो तो क्या तरीका है? शिक्षक उपलब्ध नहीं है परन्तु रोज नए कॉलेज खोलने की अनुमति आप दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप उसी प्रश्न को दोबारा पूछ रहे हैं।

श्री एम.एम. पल्लम राजू : निश्चित रूप से, उच्च शिक्षा और योग्यता प्राप्त पीएचडी मूलभूत अनुसंधान करने के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। निश्चित तौर पर यह ऐसा क्षेत्र है जिस पर हमें काम करते रहना है। यदि आप चीन को देखें, वहां तकनीकी शिक्षा में लगभग 8000 छात्र पीएचडी प्रतिवर्ष डिग्री प्राप्त करते हैं। अमेरिका में यह संख्या लगभग 9000 है और भारत में यह मात्र 1000 वर्ष पीएचडी तैयार होते हैं।

अत: हमें निश्चित रूप से इस पर ध्यान केन्द्रित करना है और इसीलिए हम उच्च शिक्षा में सक्षमकारी पर्यावरण तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे यहां भी और पीएचडी धारक प्रतिवर्ष तैयार हो सकें।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हर स्टेट में जो कॉलेज खोला जाता है उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या प्लानिंग है? महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र को लिखा था कि महाराष्ट्र में बहुत कॉलेज हो गये हैं और वहां विद्यार्थी भी नहीं मिल पा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि ये प्राइवेट कॉलेज 50-60 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक फीस लेते हैं। जो एससीएसटी या ओबीसीज हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनको स्कॉलरशिप देती है तथा एससीएसटी विद्यार्थी को पूरी फीस महाराष्ट्र सरकार भरती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार दूसरे स्टेट्स में एससीएसटी के लिए, गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाने की क्या सुविधा देने वाली है?

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : कॉलेजों की योग्यता की स्वीकृति कठोर मानदंडों के अनुरूप दी जाती है और मुझे लगता है कि यह वैयक्तिक प्रबंधन का दायित्व है कि यह सीटें कैसे दी जाती हैं। राज्य इन संस्थाओं को कुछ सहायक शर्तें लगा सकते हैं। मेरा विचार है कि यह संबंधित राज्यों का विषय है कि वे इसे कैसे करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : मैडम, मैंने एनसीईआरटी के बच्चों को पढ़ाने के बारे में पूछा था, उसका उत्तर क्या माननीय मंत्री जी देने वाले हैं।

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : यह राज्य की नीति है।

शहरी अवसंरचना

\+

***262. श्री जगदानंद सिंह :**
डा. रतन सिंह अजनाला :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, स्वच्छता, मल-जल निकास, कचरा प्रबंधन आदि अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थिति बिगड़ती जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस स्थिति में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा किस प्रकार की नीति की परिकल्पना की गई है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों ने इस प्रयोजनार्थ वित्तीय और तकनीकी सहायता का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार, परियोजना-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि स्वीकृति की गई/जारी की गई तथा इसके परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) इस संबंध में लंबित प्रस्तावों का उनके लंबित रहने के कारणों सहित राज्य और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है तथा इन लंबित अनुरोधों को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि से बुनियादी शहरी सेवाओं पर दबाव बढ़ रहा है। शहरी विकास राज्य का विषय है और राज्य सरकारों को शहरों पर दबाव को कम करने के लिए कार्रवाई करनी है। भारत सरकार स्कीमों के जरिए राज्यों को उनके प्रयासों में सहायता करती है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) आरंभ किया। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चलाए गए शहरी अवस्थापना और शासन घटक का उद्देश्य चयनित 65 शहरों में शहरी अवस्थापना और परिवहन में सुधार करना है। छोटे और मझौले कस्बों की आवश्यकताओं की पूर्ति छोटे और मझौले कस्बों हेतु शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) कार्यक्रम द्वारा की जाती है। इसके अलावा, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु एकमुश्त 10% स्कीम एशियाई विकास बैंक द्वारा सहायता प्राप्त पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम और सात मेगा शहरों के आस-पास सैटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास संबंधी प्रायोगिक स्कीम, के अंतर्गत शहरी अवस्थापना हेतु वित्तीय सहायता भी मुहैया की जा रही है।

(ग) इस मंत्रालय को उल्लिखित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों से वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों, स्वीकृत और जारी राशियों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I से VI में दिया गया है।

(ङ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) की अवधि वर्ष 2005 से 2012 तक थी जिसे चालू परियोजनाओं और सुधारों को पूरा करने के लिए दो वर्ष बढ़ा दिया गया है। अत: यूआईजी और यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत कोई नई परियोजना स्वीकृति हेतु पात्र नहीं है। सात मेगा शहरों के आस-पास सैटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास संबंधी प्रायोगिक स्कीम की अवधि ग्यारहवीं योजना के साथ समाप्त नहीं होनी थी और पूरे आबंटन के लिए वचनबद्धता की जा चुकी है इसलिए कोई नई परियोजना आरंभ नहीं की जा सकती। एनईआरयूडीपी के अंतर्गत एशियाई विकास बैंक सहायता की दो अनुमोदित ट्रांचों के लिए निर्धारित परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं। एकमुश्त 10% के अंतर्गत, पात्र परियोजनाएं राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता सूचियों तथा धनराशियों की उपलब्धता के अध्यधीन प्रत्येक वर्ष स्वीकृत की जाती है। इन्हें आगे के वर्षों में नहीं ले जा सकते। मेट्रो रेल से संबंधित तीन परियोजनाएं अंतिम रूप दिए जाने के विभिन्न चरणों में है।

अनुबंध-I

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में स्वीकृत परियोजनाओं तथा जेएनएनयूआरएम के शहरी अवस्थापना और शासन के अंतर्गत जारी धनराशि

(राशि लाख रुपए)

31.10.2012 की स्थिति के अनुसार आंकड़े

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजनाओं का नाम	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	उपयोग के लिए जारी एसीए
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	तिरुमाला बाइपास सड़क के पूर्वी ओर तिरुपति के लिए भूमिगत जल निकास स्कीम	1613.00	1290.00	323.00
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	जीएचएमसी का व्यापक जलापूर्ति वितरण नेटवर्क तथा केन्द्र नगर म्युनिसिपल सर्कल के प्राथमिकता जोन की पहचान करने के लिए सीवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	31426.00	9000.00	2500.00
3.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	तिरुपति नगर निगम के लिए बरसाती जल निकास प्रणाली	4556.00	3645.00	911.00
4.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	जलापूर्ति फेज-5 चंडीगढ़ को बढ़ाना	13421.00	10738.80	0.00
5.	दिल्ली	नई दिल्ली	सीविक सेन्टर, जेएलएन मार्ग, मिन्टों, नई दिल्ली के पास के क्षेत्रों के लिए यातायात प्रबंधन परियोजना	9716.00	3400.60	0.00
6.	दिल्ली	नई दिल्ली	रोड़ न. 56 आईएसबीटी आनन्द विहार, दिल्ली पर ग्रेड सेपरेटर पर निर्माण	9600.00	3360.00	840.00
7.	दिल्ली	नई दिल्ली	नौएडा मोड़ फ्लाईओवर अर्थात् सिलिप रोड ब्रिज, फुटपाथ, साइकिल ट्रैक, और अंडरपास पर तीन अतिरिक्त क्लोवर लीवस का निर्माण	8818.00	3087.00	771.58

1	2	3	4	5	6	7
8.	दिल्ली	नई दिल्ली	नन्द नगरी के समीप सड़क संख्या 68 पर रेलवे लेवल क्रासिंग पर आरयूवी और आरओवी	10286.00	3600.00	900.03
9.	दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बहुस्तरीय अपरम्परागत पार्किंग का विकास (एएल ब्लॉक, शालीमार बाग, शिव मार्किट पीतमपुरा, क्यूयू पीतमपुरा, सेन्ट्रल मार्किट अशोक विहार, मोहम्मदपुर गांव, मालवीय नगर मार्किट, पीवीआर बसंत लोक, पीवीआर साकेत, जी-8 राजौरी गार्डन, ब्लॉक-10 सुभाष नगर, सी-4 जनकपुरी, अजमलखांन पार्क, करोल बाग, कृष्णा मार्किट कालकाजी, हौजरानी, न्यूफ्रैण्ड कालोनी, जंगपुरा, भोगल)	46980.00	16443.00	4110.75
10.	दिल्ली	नई दिल्ली	ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-I और II सेन्ट्रल जोन की सड़कों का सुधार और सुदृढ़ीकरण	14861.50	5201.00	1300.34
11.	दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पार्किंग/सड़क एवं पार्किंग मुहैया कराने के लिए अफ्रीका एवेन्यू से रिंग रोड तक नारोजी नगर में नल्ला को ढ़कना	5120.00	1792.00	488.00
12.	दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में पार्किंग/सड़क एवं पार्किंग मुहैया कराने के लिए पुलिस स्टेशन डिफैन्स कालोनी के पीछे एनड्रयूज गंज से रिंग रोड तक शेख सराय, चिराग दिल्ली पंचशील एनक्लेव, ग्रेटर कैलाश-I से होकर गुजरने वाली प्रेस इनक्लेव सड़क से नल्ला को ढ़कना	23300.00	8155.00	2038.75
13.	दिल्ली	नई दिल्ली	दिल्ली नगर निगम के विभिन्न जोनों में आरएमसी पेवमेंट (फेज-I) मुहैया कराकर 60 फुट आरओडब्ल्यू और इससे ऊपर के सड़क का सुधार	16510.00	5779.00	1444.63
14.	दिल्ली	नई दिल्ली	शाहदरा (उत्तरी) जोन में एसएसबीएल (सहारनपुर-शामली ब्रांच लाइन) निकास का पुनर्पण	15226.00	5329.00	1332.28

1	2	3	4	5	6	7
15.	दिल्ली	नई दिल्ली	ट्रंक सीवर का पुनर्स्थापन	25337.00	8868.00	0.00
16.	दिल्ली	नई दिल्ली	अफ्रीका एवेन्यू और अरुण आसिफ अली रोड पर फ्लाईओवर	12661.00	4431.00	0.00
17.	दिल्ली	नई दिल्ली	विवेकानन्द मार्ग, नेल्सन मंडेला मार्ग, पूर्वी मार्ग पर फ्लाईओवर	12661.00	4431.00	0.00
18.	दिल्ली	नई दिल्ली	मार्जिनल बंद रोड, गीता कालोनी, दिल्ली पर राजाराम कोहली मार्ग इंटरसेक्शन पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	250.00	87.50	0.00
19.	दिल्ली	नई दिल्ली	ईस्ट दिल्ली में शास्त्री नगर के समीप दीसूसर्द कैनाल पर मार्जिनल बन्द रोड और मास्टर प्लान रोड के.टी. जंक्शन पर यातायात के निर्बाद संचालन के लिए ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	250.00	87.50	0.00
20.	दिल्ली	नई दिल्ली	अप्सरा बॉर्डर के समीप जीटी रोड और सड़क संख्या 56 के जंक्शन ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	14147.00	4951.00	0.00
21.	दिल्ली	नई दिल्ली	वजीराबाद दिल्ली के मौजूदा ब्रिज के यमुना नदी अनुप्रवाह पर ब्रिज और इसकी एप्रोच सड़कों का निर्माण	108740.00	38059.00	0.00
22.	दिल्ली	नई दिल्ली	बारापुला नाला पर एलाइमेंट	97000.00	33950.00	0.00
23.	दिल्ली	नई दिल्ली	राजघाट पावर स्टेशन पैकेज-II के पीछे से शालीमगढ़ फोर्ट तक शालीमगढ़ फोर्ट से वैलोड्रम रोड पैकेज-I तक रिंग रोड बाइपास	46900.00	16415.00	0.00
24.	दिल्ली	नई दिल्ली	एनएच-24 क्रोसिंग (नोएडा मोड) से चिल्ला रेगुलेटर तक उत्तर प्रदेश लिंग रोड का कॉरीडोर सुधार	25400.00	8890.00	0.00
25.	गुजरात	राजकोट	राजकोट शहर के लिए सीवरेज प्रणाली फेज-2 भाग-2	19195.12	9000.00	2250.00
26.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद में भद्रकिला का पुनर्द्धार	7439.00	2603.65	650.91
27.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा शहर में कान्स का पुनर्वास विकसित करने के लिए बुनियादी सेवाएं (क) बरसाती पानी निकासी क्षेत्र (ख) जलआपूर्ति क्षेत्र	16789.88	8394.94	2098.73

1	2	3	4	5	6	7
28.	गुजरात	वडोदरा	वडोदरा शहर के अजवा क्षेत्र में जलापूर्ति हेतु अनुपूरक डीपीआर	2059.26	605.50	151.37
29.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	शिमला, फेज-I के विभिन्न जोनों में छूटी हुई/ध्वस्त सीवरेज तथा मिसिंग लाइन में सीवरेज नेटवर्क का पुनरुद्धार	5474.00	3880.00	970.00
30.	कर्नाटक	मैसूर	बोमाना हली सिटी नगर पालिका परिषद में भूमिगत निकास सुविधा मुहैया कराना तथा सड़क सुधार	2270.00	1176.00	294.00
31.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर हेतु बेहतर परिवहन प्रणाली एवं नवीन पर्यावरण परियोजना	3945.00	3156.00	789.00
32.	केरल	कोचिन	ब्राडवे एवं इरनाकुलम मार्किट हेरीटेज एवं शहरी नवीकरण परियोजना	2210.00	1105.00	276.25
33.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	महाकाल एवं गोपाल विरासत क्षेत्र का सुरक्षित संरक्षण एवं विकास	4739.00	3791.20	947.80
34.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए बरसाती पानी निकास (ओमती नाला सहित) का डीपीआर	32649.00	16324.50	4081.12
35.	महाराष्ट्र	नासिक	भूमिगत सीवरेज परियोजना पैकेज-II	17182.92	8591.46	2147.87
36.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	ग्रेटर मुम्बई के नवी मुम्बई यूए में ठोस कचरा प्रबंधन	4986.86	1745.40	436.35
37.	मणिपुर	इम्फाल	इम्फाल शहर के लिए वर्षा जल निकासी कार्यक्रम	10250.13	9225.12	2306.28
38.	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा में एकीकृत सड़क और बहुस्तरीय पार्किंग परियोजना	5042.43	4538.19	1134.55
39.	ओडिशा	पुरी	पुरी कस्बे के लिए ठोस बरसाती पानी व्यवस्था	7182.00	4500.00	1125.00
40.	पंजाब	अमृतसर	वाल्ड सिटी क्षेत्र, अमृतसर के लिए मौजूदा जल आपूर्ति प्रणाली का पुनर्स्थापन	4578.00	2289.00	572.25
41.	सिक्किम	गंगटोक	वृहत गंगटोक के लिए कच्चे पानी की मुख्य लाइनों और जल शोधन संयंत्र का उन्नयन और आधुनिकीकरण	7261.66	6535.49	1663.87

1	2	3	4	5	6	7
42.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	शहरी नगर निगम (फेज-I) वर्षा जल निकासी व्यवस्था	22675.00	9000.00	2250.00
43.	त्रिपुरा	अगरतला	सीवरेज और ज़ोन (प्राथमिकता-1 क्षेत्र) के लिए सीवरेज और सीवेज शोधन स्कीम	10221.00	9000.00	2250.00
44.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा सीवरेज स्कीम पार्ट-I	19592.00	9000.00	2250.00
45.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	मेरठ शहर के सीवरेज जोन-5 और 7 में सीवरेज कार्य	18589.00	9000.00	2250.00
46.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी शहर के वरुणा क्षेत्र पार हेतु जलापूर्ति घटक (प्राथमिकता-2)	20916.00	9000.00	2250.00
47.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	मथुरा में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	6035.77	4500.00	1125.00
48.	उत्तराखंड	देहरादून	एल जोन के लिए देहरादून सीवरेज स्कीम (फेज-1)	6283.00	4628.00	1157.00
49.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	दुर्गापुर में रघुनाथपुर से धुपचुरिया और अकंदारा से फली झोर तक सड़क का निर्माण, चौड़ा करना और सुधार।	9492.26	4746.13	1186.53
50.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	रानीगंज नगरपालिका के लिए सीवरेज परियोजना	4008.82	2004.41	501.10
51.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	30 एमजीडी धापा जल शोधन संयंत्र के कमांड जोन में व्यापक वितरण नेटवर्क	21555.27	7544.34	1886.36
52.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	भटपाडा नगरपालिका क्षेत्र के लिए जलापूर्ति स्कीम	24970.42	8736.65	2184.91
53.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	डलहोजी स्केवयर का पुनर्रुद्धार	2062.00	721.70	180.43
54.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बीधन नगर कोलकाता में निकास और सीवरेज परियोजना	2358.45	825.46	206.37
55.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में बज बज नगर पालिका क्षेत्र में वर्षा जल निकास	3480.16	1218.05	304.51
56.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	दुर्गापुर के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम (फेज-3)	12681.40	6340.70	1585.18

1	2	3	4	5	6	7
57.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कुल्टी नगर पालिका, आसनसोल यूए के लिए 24x7 जलापूर्ति स्कीम	13370.60	6685.30	1671.33
58.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	चंदानाघर नगर निगम के लिए जलापूर्ति प्रणाली की मिटरिंग	1369.41	479.29	119.82
59.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बेली नगर पालिका कोलकाता के लिए सतही जल आपूर्ति स्कीम	13849.36	4847.28	0.00
60.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	विधाना नगर निगम क्षेत्र के लिए बरसाती जल नालियां	1915.53	670.44	197.61
	कुल			923458.71	387402.60	6231.56
	निर्माणाधीन परियोजनाएं, जो वर्ष 2009-10 के दौरान अप्रैल, 2009 से पूर्व अनुमोदित की गई थीं, पर जारी धनराशि:				330342.25	
	वर्ष 2009-10 के दौरान जारी कुल धनराशि:				392683.81	
			वित्त वर्ष 2010-11			
1.	दिल्ली	नई दिल्ली	यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए तीन मुख्य नालों नामत: नजफगढ़, सप्लीमेंट्री एवं शहादरा के साथ इंटरसेक्टर सीवर बिछाना	135771.00	47520.00	11880.00
2.	गुजरात	पोरबंदर	पोरबंदर में जलापूर्ति का संवर्धन	2631.04	2104.84	526.21
3.	झारखंड	जमशेदपुर	जमशेदपुर शहरी समूह के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन प्रयोजना	3336.24	1668.12	417.03
4.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर बीआरटीएस फेज-1 का रीवर साइड कोरिडोर 14.30 किमी.	18000.00	9000.00	0.00
5.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में कोयम्बटूर फेज-2 में अतिरिक्त 120 एमएलडी सीवरेज शोधन संयंत्र का निर्माण और उसे चालू करना	11610.00	4063.50	0.00

1	2	3	4	5	6	7
6.	उत्तराखंड	नैनीताल	नैनीताल में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	931.00	744.80	186.20
7.	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार में जोन सी-2 में सीवरेज प्रणाली	2698.00	2158.40	0.00
8.	उत्तराखंड	हरिद्वार	हरिद्वार में जोन सी-2 में सीवरेज प्रणाली	748.33	598.66	0.00
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कमरहाटी नगरपालिका कोलकाता के लिए बरसाती पानी निकासी स्कीम	6733.87	2359.85	591.24
10.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता मेट्रो पोलीटन क्षेत्र में उल्टादंगा से गौरिया तक बीआरटीएस – 15.50 किमी.	25291.00	8851.85	2212.96
11.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पनीहटी नगरपालिका कोलकाता के लिए 24×7 जलापूर्ति स्कीम	24602.30	8610.81	2152.70
12.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	एप्रोच रोड चंदाना घर के साथ-साथ ईस्टन रेलवे मुख्य लाइन पर फ्लाई ओवर का निर्माण	3257.00	1139.85	284.99
13.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	केएमए में बराकपुर कल्याणी-दमदम एक्सप्रेसवे सड़क परियोजना	31457.00	11009.95	2752.49
14.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	काजी नरुल इस्लाम एवेन्यू पर कैस्ट्रोपूट से जोर मंदिर तक भूमोपरि कोरिडोर	20658.85	7230.60	1807.65
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता शहरी क्षेत्र में अपी बगजोला नहर का सुधार	5131.12	1795.89	0.00
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता शहरी क्षेत्र में बड़ा नगर नगरपालिका क्षेत्र के लिए बरसाती जल निकास	3587.39	1255.59	0.00
	कुल			296444.14	110109.81	22811.47
	निर्माणाधीन परियोजनाएं, जो वर्ष 2010-11 के दौरान अप्रैल, 2010 से पूर्व अनुमोदित की गई थीं, पर जारी धनराशि:				158438.04	
	वर्ष 2010-11 के दौरान जारी कुल धनराशि:				181249.51	

1	2	3	4	5	6	7
			वित्त वर्ष 2011-12			
1.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	तिरुपति नगर निगम ठोस कचरा प्रबंधन	2329.00	1863.20	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	ग्रेट विशाखापट्टनम नगर निगम (जीवीएमसी) के सेंट्रल क्षेत्र के दक्षिण-पश्चिमी सेक्टरों के बचे हुए क्षेत्र में 24 घंटे जल आपूर्ति का कार्यान्वयन	8349.00	4174.50	0.00
3.	गुजरात	पोरबंदर	पोरबंदर मिशन शहर के लिए भूमिगत जल निकास (सीवरेज) परियोजना	11180.65	8944.52	0.00
4.	गोवा	पणजी	पणजी शहर के लिए विरासत का संरक्षण	362.25	289.80	72.45
5.	गोवा	पणजी	गोवा में पणजी शहर के नगर निगम अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पणजी शहर और आस-पास के क्षेत्र हेतु जल आपूर्ति	7121.83	5697.46	0.00
6.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	गांव भरियाल, तहसील जिला शिमला में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र के लिए सेनिट्री ढलाव स्थल	1050.62	840.50	0.00
7.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	ग्रेटर जम्मू शहर के डिविजन-क के बाकी बचे फेज-II के लिए व्यापक सीवरेज स्कीम	2032.03	1828.83	0.00
8.	कर्नाटक	मैसूर	चामराजेन्द्र जियोलॉजिकल गार्डन में सतही और वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल प्रबंधन	330.00	264.00	0.00
9.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	अंबरनाथ नगर पालिका परिषद् के लिए सीवरेज प्रणाली	10941.57	3829.55	0.00
10.	मिजोरम	आईजोल	शहरी सड़क फेज-1 में सुधार और चौड़ा करना	3873.40	3486.06	0.00
11.	मिजोरम	आइजोल	वैवाकौन से मिजोरम विश्वविद्यालय तक चौड़ा और सुधार करना	1907.64	1716.88	0.00
12.	मिजोरम	आइजोल	आइजोल सिटी रिंग रोड से निकले छोटे मार्ग रूप में सिहमुई से मिजोरम विश्वविद्यालय	5309.32	4778.38	0.00

1	2	3	4	5	6	7
13.	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा शहर फेज-I के लिए वर्षा जल निकास विकास स्कीम	4026.10	3623.49	905.87
14.	उत्तराखंड	नैनीताल	राजभवन का पुर्नरुद्धार और संरक्षण	1182.27	945.82	236.45
15.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता में उलबेरिया नगर पालिका के लिए जल आपूर्ति परियोजना (फेज-II)	12478.23	4367.38	1091.85
16.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कोलकाता महानगर के भीतर भटपारा नगरपालिका के वार्ड सं. 5, 6, 7, 8 में घोष पारा रोड, कल्याणी राजमार्ग को जोड़ने वाली ए.पी. बैनर्जी रोड पर रेल ओवर ब्रिज-9 (आरओबी)	1293.00	452.55	0.00
17.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	कल्याणी रेलवे स्टेशन के पास बल टर्मिनल	650.69	227.74	0.00
18.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	आदी गंगा कोलकाता के शुरू में ईएम बाइपास कनेक्टर पर कमलगाजी इंटरसैक्शन पर चार लेन का फ्लाई ओवर	10016.62	3505.81	0.00
19.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	दुर्गापुर में माया बाजार से होकर गम्मन ब्रिज से गांधी मोड़ (एनएच-2) तक रोड का सुधार, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	7781.79	3890.89	0.00
20.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यम ग्राम, न्यू बैरकपुर और बरसात के नगर निगम कस्बों हेतु ट्रांस-म्युनिसिपल जल आपूर्ति परियोजना	44547.77	15591.72	0.00
21.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	टीआईटी गढ़ और खरदन, के नगर निगम कस्बों हेतु ट्रांस-म्युनिसिपल जल आपूर्ति परियोजना	19484.00	6819.40	0.00
22.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	आसनसोल में जुबली ढाबा से एससीओबी गेट तक सड़क का सुधार और 4 लेन का चौड़ा करने और सुदृढ़ीकरण	4316.61	2158.30	0.00
23.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बज ट्रंक रोड पर जिनजीरा बाजार और बाटानगर के बीच भूमोपरि रोड का निर्माण	25573.00	8950.55	0.00

1	2	3	4	5	6	7
24.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नबादीगंटा औद्योगिक टाउनशिप क्षेत्र (एनडीआईटीए) के बाहरी क्षेत्र में कार्यालय बिल्डिंग/कैफिटेरिया सहित बस टर्मिनस का निर्माण	624.34	218.52	0.00
25.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सोदेपुर से एमबी रोड तक बैरकपुर कल्याणी दमदम एक्सप्रेस रोड परियोजना (फेज-II)	4433.49	1551.72	0.00
26.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	मध्यम ग्राम नगर पालिका, कोलकाता के लिए वर्षा जल निकास प्रणाली	7204.37	2521.53	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बरसातनगर पालिका, कोलकाता के लिए एकीकृत वर्षा जल निकास	8548.33	2991.92	0.00
	कुल			206947.92	95531.02	2306.62

निर्माणाधीन परियोजनाएं, जो वर्ष 2011-12 के दौरान अप्रैल, 2011 से पूर्व अनुमोदित की गईं थीं, पर जारी धनराशि:	407464.42
वर्ष 2011-12 के दौरान जारी कुल धनराशि:	409771.04

वित्तीय वर्ष 2012-13

मिशन ने 31 मार्च, 2012 को अपना सामान्य कार्यकाल पूरा कर लिया है। सरकार ने जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत केवल निर्माणाधीन परियोजनाओं और सुधारों को पूरा करने के लिए इसकी अवधि 2 वर्ष के लिए यानी 31 मार्च, 2014 तक बढ़ाई है। इसके तहत नई परियोजनाओं पर विचार करने और अनुमोदन प्रदान करने संबंधी कोई अधिदेश नहीं है। अतः वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान कोई नई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई हैं। तथापि, निर्माणाधीन परियोजनाओं जो मार्च, 2012 तक अनुमोदित थी के लिए जारी धनराशि 105546.41 लाख रु. है।

उन परियोजनाओं की सूची जो वित्त वर्ष 2009-10 में पूरी हो गई थी

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजनाओं का नाम	सेक्टर	अनुमोदित लागत (लाख रु.)	पूर्णता वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	एचएमडब्ल्यूएसएसबी की समग्र प्रणाली में सभी सभी जलाशयों और बड़ी पानी की लाइनों के लिए प्रवाह, स्तर और क्लोरीन की मात्रा की व्यवस्था करना और पर्यवेक्षण नियंत्रण तथा आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली (एससीएडीए)	जल आपूर्ति	990.00	2009-10
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा के कृष्णालंका क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली मुहैया कराना	सीवरेज	743.00	2009-10
3.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	थाटीपुडी जलकुंड से शहरी सेवा जलाशय और पम्पिंग यूनिटों में विद्यमान थाटीपुडी पाइप लाइन को बदलने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)	जल आपूर्ति	6,228.00	2009-10
4.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम के पुराने शहर क्षेत्र में सीवरेज प्रणाली मुहैया कराना	सीवरेज	3,708.00	2009-10
5.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	जलापूर्ति संवर्धन हेतु टीएसआर से येन्दादा और कोमाडी जंक्शन के लिए जलापूर्ति पाइप लाइन मुहैया करना	जल आपूर्ति	2,340.00	2009-10
5	आंध्र प्रदेश				14,009.00	
1.	दिल्ली	दिल्ली	अफ्रिका एवेन्यू और अरूणा आसफ अली रोड पर फ्लाईओवर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	12,661.00	2009-10

1	2	3	4	5	6	7
2.	दिल्ली	दिल्ली	विवेकानन्द मार्ग, नेल्सन मंडेला मार्ग, पूर्वी मार्ग पर फ्लाईओवर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	12,661.00	2009-10
2	दिल्ली				25,322.00	
1.	गुजरात	अहमदाबाद	पिराना में विद्यमान सीवेज शोधन संयंत्र का पुनरुद्धार	सीवरेज	6,922.00	2009-10
2.	गुजरात	अहमदाबाद	वासना में सीवेज शोधन संयंत्र का पुनरुद्धार	सीवरेज	1,135.00	2009-10
3.	गुजरात	अहमदाबाद	बस द्रुतगामी परिवहन प्रणाली-बीआरटी सड़क का 12 कि.मी. लम्बे मार्ग का निर्माण और शेष पट्टियों का विस्तृत अध्ययन तथा इंजीनियरिंग करना	द्रुत जन परिवहन	8,760.00	2009-10
4.	गुजरात	अहमदाबाद	एएमसी क्षेत्र के पश्चिमी जोन हेतु बरसाती पानी निकासी प्रणाली	जल निकासी/वर्षा जल निकास	5,914.00	2009-10
5.	गुजरात	अहमदाबाद	एएमसी क्षेत्र के दक्षिणी और केन्द्रीय जोनों के लिए अहमदाबाद में बरसाती पानी निकासी	जल निकासी/वर्षा जल निकास	12,088.00	2009-10
6.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद के एएमसी क्षेत्र के उत्तरी और पूर्वी जोनों के लिए बरसाती पानी निकासी	जल निकासी/वर्षा जल निकास	12,283.00	2009-10
7.	गुजरात	अहमदाबाद	मनीनगर और वटवा रेलवे स्टेशन के मध्य बीजी रेलवे लाइनों के ऊपर दक्षिणी सोसाइटी के निकट रिंग रोड ऊपरी रेलवे पूल सं. 132 फीट का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	2,144.00	2009-10
8.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद में शोला (एईसी) जंक्शन पर 6 लाइन वाले फ्लाईओवर का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	1,857.00	2009-10
9.	गुजरात	सूरत	सूरत शहरी विकास प्राधिकरण के वेसू शहरी वसाव के जलापूर्ति परियोजना	जल आपूर्ति	1,919.00	2009-10

1	2	3	4	5	6	7
10.	गुजरात	सूरत	पालनपुर क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क और एसटीपी	सीवरेज	2,128.00	2009-10
11.	गुजरात	सूरत	वेसू क्षेत्र के लिए सीवरेज निपटान नेटवर्क और एसटीपी	सीवरेज	3,437.00	2009-10
12.	गुजरात	सूरत	कपोधरा अग्निशमन केन्द्र पर फ्लाईओवर	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	932.00	2009-10
13.	गुजरात	सूरत	उधाना मंगडला रोड और बामरौली के बीच कंकराखाड़ी के आर-पार मूल	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	841.39	2009-10
14.	गुजरात	वडोदरा	जलापूर्ति स्रोत संवर्धन	जल आपूर्ति	4,105.00	2009-10
14	गुजरात				64,465.39	
1.	कर्नाटक	बंगलुरु	जयनगर, बंगलौर में यातायात और ट्रांजिट प्रबंधन केन्द्र का विकास (जयनगर में प्रस्तावित यात्री सुविधा केन्द्र)	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	889.58	2009-10
2.	कर्नाटक	बंगलुरु	बंगलुरु जल संचारण नेटवर्क के लिए अधिक प्रवाह मीटर प्रणाली	जल आपूर्ति	1,370.00	2009-10
3.	कर्नाटक	बंगलुरु	एमजी रोड क्षेत्र के आस-पास साइड वाक्स आदि कार्यों का संवर्धन	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	4,361.16	2009-10
4.	कर्नाटक	बंगलुरु	कोरा मंगला क्षेत्र के आस-पास साइड वाक्स आदि कार्यों का संवर्धन	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	5,044.90	2009-10
5.	कर्नाटक	बंगलुरु	यसवंतपुर जंक्शन में ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	2,157.91	2009-10

1	2	3	4	5	6	7
6.	कर्नाटक	बंगलुरु	रिंग रोड होन्नूर बांसवाड़ी रोड जंक्शन पर अंडर पास का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	2,543.79	2009-10
6	कुल कर्नाटक				16,367.34	
1.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे रेलवे स्टेशन क्षेत्र में यातायात सुधार स्कीम (एसएटीआईएस)	अन्य शहरी परिवहन	2,325.00	2009-10
2.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे की अतिरिक्त 110 एमएलडी जलापूर्ति स्कीम के लिए डीपीआर	जल आपूर्ति	7,118.00	2009-10
3.	महाराष्ट्र	नागपुर	जलापूर्ति हेतु ऊर्जा लेखा परीक्षा परियोजना	जल आपूर्ति	2,503.62	2009-10
4.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल क्षेत्रक (रिसाव का पता लगाना)	जल आपूर्ति	278.73	2009-10
5.	महाराष्ट्र	नांदेड़	उत्तरी किनारा जोन-3 में नदी तट विकास	हैरिटैज क्षेत्रों का विकास	4,313.08	2009-10
6.	महाराष्ट्र	नांदेड़	नांदेड़ पैकेज-III-बी संरचनाओं में संचलन नेटवर्क में सुधार	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	5,815.49	2009-10
7.	महाराष्ट्र	नासिक	नासिक के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	5,429.64	2009-10
8.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे शहर के लिए बीआरटी पॉलेट परियोजना (कटराज स्वारगेट हडाप्सर मार्ग 13.6 कि.मी.)	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	10,313.50	2009-10
8	कुल महाराष्ट्र				38,097.069	
1.	तमिलनाडु	चेन्नई	ताम्बरम नगरपालिका में जलापूर्ति सुधार	जल आपूर्ति	3,261.60	2009-10
2.	तमिलनाडु	चेन्नई	मिन्जूर में समुद्री जल निर्लवणीकरण संयंत्र	जल आपूर्ति	8,780.00	2009-10

1	2	3	4	5	6	7
3.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई में पेरम्बूर में फ्लाईओवर का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	3,287.50	2009-10
4.	तमिलनाडु	चेन्नई	अलंदूर रोड, चेन्नई में आधार नदी पर उच्च स्तरीय पूल का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	548.30	2009-10
5.	तमिलनाडु	चेन्नई	कच्चे जल शोधन संयंत्र हेतु पुंडी जलाशय के निकट 90 क्यूसेक नहर के उपर सम्प और पम्प हाउस का निर्माण	जल आपूर्ति	911.00	2009-10
6.	तमिलनाडु	मदुरै	मदुरै के लिए बेगई नदी पर चेक बांध का निर्माण	जल आपूर्ति	915.00	2009-10
	कुल तमिलनाडु				17,703.40	
1.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	आसनसोल शहरी क्षेत्र पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जमूरिया में 22.7 एमएलडी जलापूर्ति परियोजना	जल आपूर्ति	1,453.00	2009-10
1	पश्चिम बंगाल				1,453.00	
42					177417,19	

उन परियोजनाओं की सूची जो वित्त वर्ष 2010-11 में पूरी हो गई थी

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजनाओं का नाम	सेक्टर	अनुमोदित लागत (लाख रु.)	पूर्णता वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	मूसी के उत्तर में ग्रिड सुधार कार्य निर्माण अतिरिक्त भंडारण क्षमता सुविधाएं	जल आपूर्ति	2,981.00	2010-111
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा नगर निगम में हाउसिंग बोर्ड कालोनी गुंडाला, देवीनगर, केदररस्वरपट, आदि शामिल करते हुए असुविधायुक्त क्षेत्रों में सीवरेज सुविधाएं मुहैया कराना	सीवरेज	1,985.00	2010-11
3.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	सिंह नगर (यूएएसबीआर) (सेक्ट-8) में सीवरेज शोधन संयंत्र मुहैया कराना	सीवरेज	949.00	2010-11
4	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	असुविधायुक्त क्षेत्रों में जलापूर्ति सुविधाएं मुहैया कराना	जल आपूर्ति	3,548.00	2010-11
4	आंध्र प्रदेश				9,463.00	2010-11
1.	दिल्ली	दिल्ली	मरजिनल बंद रोड गीता कालोनी दिल्ली में राजाराम कोहली मार्ग चौक पर ग्रेड विभाजक का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	250.00	2010-11
2.	दिल्ली	दिल्ली	मरजिनल बंद रोड गीता कालोनी दिल्ली में राजाराम कोहली मार्ग चौक पर रोड विभाजक का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	250.00	2010-11
2	दिल्ली				500.00	
1.	गुजरात	अहमदाबाद	कालुपु स्टेशन और नरोदा के बीच अहमदाबाद हिम्मतनगर एमजी रेलवे लाइन पर ओंकार व्रऐंसिंग	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	1,861.00	2010-11

1	2	3	4	5	6	7
			के पास एलसी सं. 5क के बदले में 4 लेन के आरओबी का निर्माण			
2.	गुजरात	अहमदाबाद	नर्मदा मेन नहर से कोटापुर डब्ल्यूटीपी तक पाइप लाइन, कोटरपुर के पास साबरमती नदी में 330 एमएलडी इनेटक वैल, रसाका में जल शोधन संयंत्र	जल आपूर्ति	5,383.25	2010-11
3.	गुजरात	अहमदाबाद	वेस्ट एयूडीए क्षेत्र टर्मिनल सीवरेज पंपिंग स्टेशन, पंपिंग मेन और वसाना के समीप सीवेर शोधन संयंत्र	सीवरेज	10,692.01	2010-11
4.	गुजरात	अहमदाबाद	पूर्व एयूडीए क्षेत्र के लिए टर्मिनल सीवरेज पंपिंग मेन और वीनजोल के निकट सीवेज शोधन प्लांट	सीवरेज	3,681.26	2010-11
5.	गुजरात	सूरत	डबोली को जहांगीरपुरा से जोड़ने के लिए तापी नदी के ऊपर पुल	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	6,500.00	2010-11
6.	गुजरात	सूरत	बरसाती पानी का निकास, वेसू क्षेत्र	जल निकास/वर्षा जल निकास	4,995.00	2010-11
7.	गुजरात	राजकोट	राजकोट के लिए जल आपूर्ति परियोजना	जल आपूर्ति	8,562.00	2010-11
7	गुजरात				41,664.52	
1.	कर्नाटक	बंगलूर	केंगरी में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास (केंगेरी, बंगलुरु में प्रस्तावित बस टर्मिनल अनुरक्षण डिपो और यात्री सुविधा केन्द्र)	अन्य शहरी परिवहन	2,112.66	2010-11
2.	कर्नाटक	बंगलुरु	बैनर घट्टा में यातायात एवं परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास बैनर घट्टा में प्रस्तावित बस टर्मिनल अनुरक्षण डिपो एवं यात्री सुविधा केन्द्र)	अन्य शहरी परिवहन	392.60	2010-11

1	2	3	4	5	6	7
3.	कर्नाटक	बंगलुरु	आईबीएलयूआर जंक्शन पर ओआरआर के साथ फ्लाईओवर का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	1,874.28	2010-11
4.	कर्नाटक	बंगलुरु	शांति नगर वाल्यूम-I, वाल्यूम-II, वाल्यूम-IIIए 1234 वोल्यूम-III का बी-12 में टीटीएमसी के निर्माण हेतु प्रस्ताव	अन्य शहरी परिवहन	8,467.96	2010-11
5.	कर्नाटक	बंगलुरु	आगारा जंक्शन पर ओआरआर के साथ फ्लाईओवर का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	3,809.93	2010-11
6.	कर्नाटक	बंगलुरु	रिंग रोड पुत्तेनहल्ली जंक्शन पर अंडरपास का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	2,284.84	2010-11
7.	कर्नाटक	बंगलुरु	आईटीपीएल व्हाइटफील्ड वाल्यूम-I, II में टीटीएमसी के निर्माण हेतु प्रस्ताव विस्तृत रूपरेखा	अन्य शहरी परिवहन	2,655.63	2010-11
7	कर्नाटक				21,597.90	
1.	मध्य प्रदेश	भोपाल	गैस प्रभावी क्षेत्रों के लिए जलापूर्ति	जल आपूर्ति	1,418.31	2010-11
1	मध्य प्रदेश				1,418.31	
1.	महाराष्ट्र	नागपुर	नागपुर शहर में जल आपूर्ति वितरण नेटवर्क का विस्तार और उन्नयन	जल आपूर्ति	3,394.87	2010-11
1	महाराष्ट्र				3,394.87	
1.	तमिलनाडु	मदुरै	थिरुपकुन्दरम नगरपालिका और हरवेपट्टी टाऊन पंचायत हेतु संयुक्त जलापूर्ति स्कीम हेतु थिरुपकुन्दरम नगरपालिका डीपीआर	जल आपूर्ति	969.57	2010-11

1	2	3	4	5	6	7
2.	तमिलनाडु	मदुरै	अनैयुर नगरपालिका हेतु जलापूर्ति स्कीम पर अनैयुर नगरपालिका डीपीआर	जल आपूर्ति	788.00	2010-11
2	तमिलनाडु				1,757.57	
1.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	ईएमबाई-पास और काजी नजरुल इसलाम सरानी के बीच फ्लाईओवर का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	3,802.00	2010-11
2.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	सैक्टर-V, नाबा डिजीआंटा इंडस्ट्रियल टाऊनशिप अथोरिटी, सार्क लेक में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	जल आपूर्ति	2,606.62	2010-11
3.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	उलूबेरिया में 10 एमजीडी जल शोधन संयंत्र	जल आपूर्ति	4,558.00	2010-11
4.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	गांधी मैदान, अकारा में भूमिगत जलाशय-सह-बूस्टर पंपिंग स्टेशन	जल आपूर्ति	1,066.00	2010-11
5.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नगरपालिका कस्बों का नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	5,658.53	2010-11
6.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	खरदाह, पनहटी, नार्थ डम डम, डम डम और साउथ डम डम में ड्रेनेज कन्जैक्शन को हटाने के लिए ट्रांस म्यूनिसिपल स्कीम	जल निकास/वर्षा जल निकास	4,530.14	2010-11
7.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नाबा डिजिआंटा इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी, साल्ट लेक में सेक्टर-V (भाग-II सीवरेज प्रणाली) में जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का विकास और प्रबंधन	सीवरेज	3,407.15	2010-11
8.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	हुगली चिनसुरा नगरपालिका क्षेत्र में वर्षा जल निकास स्कीम	जल निकास/वर्षा जल निकास	3,881.96	2010-11
8	पश्चिम बंगाल	कोलकाता			29,510.40	
32					109,306.57	

उन परियोजनाओं की सूची जो वित्त वर्ष 2011-12 में पूरी हो गई थी

क्र. सं.	राज्य का नाम	शहर का नाम	परियोजनाओं का नाम	सेक्टर	अनुमोदित लागत (लाख रु.)	पूर्णता वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा नगर निगम में सीवरेज के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनरुद्धार	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	3,625.02	2011-12
1	आंध्र प्रदेश				3,625.02	
1.	गुजरात	अहमदाबाद	वातवा और मणिनगर स्टेशन के बीच अंबिका ट्यूब क्रोसिंग पर अहमदाबाद-मुम्बई ब्राड गेज रेलवे लाइन पर संख्या 306 के स्थान पर चार लेन आरओवी का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	1,500.00	2011-12
2.	गुजरात	वडोदरा	वड़ोदरा शहर में 24.0 मीटर सड़क पर डी-केविन नवायार्ड के समीप विश्वामित्र और मकरपुरा के बीच रेलवे किलोमीटर 399/41 पर अहमदाबाद-मुंबई ब्राडगेज लाइन पर में चार लेन आरओवी का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	1,396.00	2011-12
3.	गुजरात	वडोदरा	वड़ोदरा में दिनेश मिल के समीप वड़ोदरा और मकरपुरा स्टेशन के बीच रेलवे किलोमीटर 395/10 पर अहमदाबाद-मुंबई ब्राडगेज लाइन पर में दो लेन आरओवी का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	1,968.00	2011-12
3	गुजरात				4,864.00	
1.	कर्नाटक	बंगलुरु	डोमलूर, बंगलुरु में यातायात और परिवहन प्रबंधन केन्द्र का विकास	अन्य शहरी परिवहन	1555.00	2011-12

1	2	3	4	5	6	
2.	कर्नाटक	बंगलुरु	विजयनगर खंड-I, खंड-II पर टीटीएमसी का निर्माण	अन्य शहरी परिवहन	3812.42	2011-12
3.	कर्नाटक	बंगलुरु	विश्वंतपुर, बंगलुरु में टीटीएमसी का विकास	अन्य शहरी परिवहन	6131.93	2011-12
4.	कर्नाटक	बंगलुरु	बनसंकरी खंड-I, खंड-II, खंड-III 1 2 में टीटीएमसी के निर्माण का प्रस्ताव	अन्य शहरी परिवहन	2223.51	2011-12
5.	कर्नाटक	बंगलुरु	कोरमंगला खंड-I, खंड-II, खंड-III 1 2 3 में टीटीएमसी के निर्माण का प्रस्ताव	अन्य शहरी परिवहन	5058.06	2011-12
5	कर्नाटक				18,780.92	
1.	मध्य प्रदेश	इंदौर	यशवंत सागर जलापूर्ति प्रणाली विस्तार स्कीम	जलापूर्ति	2,375.00	2011-12
2.	मध्य प्रदेश	इंदौर	इंदौर में आठ महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	4,083.35	2011-12
3.	मध्य प्रदेश	इंदौर	व्हाइट चर्च में बाइपास रोड तक सम्पर्क सड़क का विकास	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	1,966.34	2011-12
3	मध्य प्रदेश				8,424.69	
1.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे के लिए एकीकृत नला विकास फेज-I	जल निकास/वर्षा जल निकास	9,239.00	2011-12
2.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे के लिए एकीकृत नला विकास फेज-II	जल निकास/वर्षा जल निकास	11,659.00	2011-12
3.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	थाणे नगर निगम के कल्वा और मुमबरा क्षेत्रों के लिए एकीकृत नला विकास फेज-III	जल निकास/वर्षा जल निकास	5,789.27	2011-12
4.	महाराष्ट्र	नागपुर	जल लेखा परीक्षक परियोजना	जलापूर्ति	2,500.00	2011-12
5.	महाराष्ट्र	नागपुर	कान्हा विस्तार स्कीम	जलापूर्ति	8,217.00	2011-12

1	2	3	4	5	6	7
6.	महाराष्ट्र	पुणे	संगमबाड़ी ब्रिज तक सम्पर्क सड़क	सड़क/फ्लाईओवर/आरओबी	782.00	2011-12
6	महाराष्ट्र				38,186.27	
1.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	अजमेर शहर के लिए जलापूर्ति ट्रांसमिशन	जलापूर्ति	18,873.00	2011-12
2.	राजस्थान	जयपुर	सी जोन बाइपास क्रोसिंग से पानीपेचं वाया सीकर रोड-39.45 किलोमीटर (सभी तीन परियोजनाओं के लिए) तक बीआरटीएस परियोजना प्रस्ताव (पैकेज-I वी)	द्रुत जन परिवहन प्रणाली	7,519.00	2011-12
2	राजस्थान				26,392.00	
1.	तमिलनाडु	चेन्नई	चेन्नई के लिए ठोस कचरा प्रबंधन	ठोस कचरा प्रबंधन	3,647.58	2011-12
2.	तमिलनाडु	चेन्नई	पोरुर टाउन पंचायत तक जलापूर्ति का सुधार	जलापूर्ति	1,235.79	2011-12
2	तमिलनाडु				4,883.37	
1	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा में उत्तरी जोन और पश्चिमी जोन में ब्रांच और लेट्रल सीवर लाइनों के लिए यमुना कार्य योजना चरण-II	सीवरेज	2,612.00	2011-12
1	उत्तर प्रदेश				2,162.00	
1.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बंसबेरिया नगरपालिका के लिए वर्षा जल निकास	जल निकास/वर्षा जल निकास	2,979.36	2011-12
2.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	नई हाटी, हाली शहर, कंचरा पाड़ा, ग्यासपुर के नगर निगम कस्बों तथा कल्याणी, कोलकाता के अनकवर्ड क्षेत्रों के लिए सतही जलापूर्ति स्कीम	जलापूर्ति	14,194.25	2011-12
2	पश्चिम बंगाल				17,173.61	
25					124,491.88	

अनुबंध-II

दिनांक 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत जलापूर्ति परियोजनाओं का वर्षवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009-10				2010-11			
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय किस्त और 1.5% डीपीआर लागत)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0.00	4.10				304.28
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00					
3.	असम	0	0.00	0.00					
4.	बिहार	0	0.00	0.00					
5.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00					24.47
6.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	7.20				
7.	दमन और दीव	0	0.00	0.00					
8.	गोवा								
9.	गुजरात	0	0.00	0.00					46.51
10.	हरियाणा	0	0.00	0.00					
11.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00					
12.	झारखंड	0	0.00	0.00					

(करोड़ रुपए)

2011-12				वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 से 30.11.12 तक				कुल संचयी			
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			161.43				5.83	0	0.00	0.00	475.64
								0	0.00	0.00	0.00
			4.75					0	0.00	0.00	4.75
								0	0.00	0.00	000
								0	0.00	0.00	24.47
								0	0.00	0.00	7.20
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
			49.21					0	0.00	0.00	95.72
								0	0.00	0.00	0.00
1	39.64	31.71	15.86	1	64.86	51.88	25.94	2	104.50	83.59	41.80
				1	32.18	25.74	12.87	1	32.18	25.74	12.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0.00		1	36.89	33.20	16.60
14.	केरल	0	0.00	0.00					
15.	कर्नाटक	0	0.00	0.00					132.83
16.	मध्य प्रदेश	0	0.00	000					38.72
17.	महाराष्ट्र	0	0.00	0.00	87.11				214.88
18.	मणिपुर	0	0.00	0.00					
19.	मेघालय	0	0.00	0.00					
20.	मिजोरम	0	0.00	0.00					
21.	नागालैंड	0	0.00	0.00					
22.	ओडिशा	0	0.00	0.00					
23.	पंजाब	0	0.00	0.00					
24.	पुदुचेरी	1	39.18	31.34	15.67				
25.	राजस्थान	0	0.00	0.00					
26.	सिक्किम	0	0.00	0.00					
27.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00					
28.	तमिलनाडु	0	0.00	0.00	13.99				19.32
29.	उत्तर प्रदेश	4	48.75	39.00	80.36				67.73
30.	उत्तराखंड	0	0.00	0.00					
31.	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0.00					10.99
	कुल	5	87.93	70.34	208.43	1	36.89	33.20	876.33

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							84.08	1	36.89	33.20	100.68
							75.39	0	0.00	0.00	75.39
							15.91	0	0.00	0.00	148.74
11	333.26	266.60	133.30	4	89.03	71.23	207.54	15	422.29	337.83	379.56
			250.49				73.42	0	0.00	0.00	625.90
							28.24	0	0.00	0.00	28.24
								0	0.00	0.00	0.00
							6.99	0	0.00	0.00	6.99
								0	0.00	0.00	0.00
				1	31.96	25.57	12.79	1	31.96	2557	12.79
							5.92	0	0.00	0.00	5.92
			15.67					1	39.18	31.34	31.34
								0	0.00	0.00	0.00
			7.11					0	0.00	0.00	7.11
								0	0.00	0.00	0.00
			6.51	8	161.92	129.54	64.73	8	161.92	129.54	104.55
			45.09	1	78.00	62.41	37.18	5	126.75	101.41	230.36
								0	0.00	000	0.00
8	183.67	146.94	73.46	1	44.01	35.21	96.76	9	227.68	182.15	181.21
20	556.57	445.25	762.88	17	501.96	401.58	753.59	43	1183.35	950.38	2601.23

दिनांक 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत वर्षा जल निकास का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009-10				2010-11			
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय किस्त और 1.5% डीपीआर लागत)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश		0.00	0 00			0.00	0.00	12.82
2.	अरुणाचल प्रदेश						0.00	0.00	
3.	असम						0.00	0.00	
4.	बिहार						0.00	0.00	
5.	छत्तीसगढ़						0.00	0.00	
6.	दादरा और नगर हवेली						0.00	0.00	
7.	दमन और दीव						0.00	0.00	
8.	गोवा								
9.	गुजरात						0.00	0.00	
10.	हरियाणा						0.00	000	
11.	हिमाचल प्रदेश						0.00	0.00	2.11
12.	झारखंड						0.00	0.00	

(करोड़ रुपए)

2011-12				वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 से 30.11.12 तक				संचयी वर्षा जल निकास			
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			14.35				21.70	0	0.00	0.00	48.87
			6.92					0	0.00	0.00	6.92
			19.34				15.69	0	000	0.00	35.03
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	000	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	000	0.00	2.11
								0	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	जम्मू और कश्मीर						0.00	0.00	
14.	केरल						0.00	0.00	
15.	कर्नाटक						0.00	0.00	23.44
16.	मध्य प्रदेश						0.00	0.00	
17.	महाराष्ट्र				22.12		0.00	0.00	
18.	मणिपुर						000	0.00	
19.	मेघालय						0.00	0.00	
20.	मिंजोरम						0.00	0.00	
21.	नागालैंड						0.00	0.00	
22.	ओडिशा						0.00	0.00	
23.	पंजाब						0.00	0.00	
24.	पुदुचेरी						0.00	0.00	
25.	राजस्थान						0.00	0.00	
26.	सिक्किम						0.00	0.00	
27.	त्रिपुरा						0.00	0.00	
28.	तमिलनाडु						0.00	0.00	
29.	उत्तर प्रदेश						0.00	0.00	8.71
30.	उत्तराखंड						0.00	0.00	
31.	पश्चिम बंगाल						0.00	0.00	6.14
	कुल	0	0.00	0.00	22.12	0	0.00	0.00	53.22

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				2	25.75	23.17	53.93	2	25.75	23.17	53.93
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	23.44
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	22.12
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	000	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
			5.48					0	000	0.00	5.48
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	8.71
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	6.14
0	0.00	0.00	46.09	2	25.75	23.17	91.32	2	25.75	23.17	212.75

दिनांक 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएसएसएमटी के तहत सीवरेज परियोजना के वर्ष-वार ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य	2009-10				2010-11			
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय किस्त और 1.5% डीपीआर लागत)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	0			0.66			0.00	113.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	0						0.00	
3.	असम	0						0.00	
4.	बिहार	0						0.00	
5.	छत्तीसगढ़	0						0.00	
6.	दादरा और नगर हवेली	0							
7.	दमन और दीव	0							
8.	गोवा	0							
9.	गुजरात	0							
10.	हरियाणा	0							
11.	हिमाचल प्रदेश	0							
12.	झारखंड	0							

(करोड़ रुपए)

2011-12				वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 से 30.11.12 तक				संचयी सीवरेज			
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								0	0.00	0.00	130.28
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
			42.89					0	0.00	0.00	42.89
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
			29.13	1	37.28	29.82	14.91	1	37.28	29.82	44.04
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	जम्मू और कश्मीर	0							
14.	केरल	0							
15.	कर्नाटक	0							5.33
16.	मध्य प्रदेश	0							
17.	महाराष्ट्र	0			12.95				12.79
18.	मणिपुर	0							
19.	मेघालय	0							
20.	मिजोरम	0							
21.	नागालैंड	0							
22.	ओडिशा	0							
23.	पंजाब	0							19.82
24.	पुदुचेरी	0							
25.	राजस्थान	0							
26.	सिक्किम	0							
27.	त्रिपुरा	0							
28.	तमिलनाडु	0			3.93				
23.	उत्तर प्रदेश	0			28.83				85.44
30.	उत्तराखंड	0							
31.	पश्चिम बंगाल	0							
	कुल	0	0.00	0.00	46.37	0	0.00	0.00	237.07

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
			13.73					0	0.00	0.00	19.06
							1.32	0	0.00	0.00	1.32
			104.06	1	2.33	65.88	32.94	1	82.33	65.88	162.74
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	000
								0	0.00	0.00	0.00
							11.12	0	0.00	0.00	30.94
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0,00	0.00	0.00
			10.85					0	0.00	0.00	10.85
								0	0.00	0.00	0.00
				1	65.56	52.46	26.23	1	65.56	52.46	30.16
								0	0.00	0.00	114.27
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	216.59	3	185.17	148.16	86.52	3	185.17	148.16	586.55

दिनांक 31.07.12 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009-10				2010-11			
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय किस्त और 1.5% डीपीआर लागत)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश		0.00	0.00			0.00	0.00	
2.	अरुणाचल प्रदेश		0.00	0.00			0.00	0.00	
3.	असम		0.00	0.00			0.00	0.00	
4.	बिहार		0.00	0.00			0.00	0.00	
5.	छत्तीसगढ़		0.00	0.00			0.00	0.00	
6.	दादरा और नगर हवेली		0.00	0.00			0.00	0.00	
7.	दमन और दीव		0.00	0.00			0.00	0.00	
8.	गोवा								
9.	गुजरात		0.00	0.00			0.00	0.00	
10.	हरियाणा		0.00	0.00			0.00	0.00	
11.	हिमाचल प्रदेश		0.00	0.00			0.00	0.00	
12.	झारखंड		0.00	0.00			0.00	0.00	

(करोड़ रुपए)

2011-12				वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 से 11.07.12 तक				संचयी एसडब्ल्यूएम			
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							1.44	0	0.00	0 00	1.44
			3.90					0	0.00	0.00	3.90
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	ववव	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
							14.12	0	0.00	0.00	14.12
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	जम्मू और कश्मीर		0.00	0.00		5	15.00	13.50	6.75
14.	केरल		0.00	0.00			0.00	0.00	
15.	कर्नाटक		0.00	0.00			0.00	0.00	
16.	मध्य प्रदेश		0.00	0.00			000	0.00	
17.	महाराष्ट्र		0.00	0.00			0.00	0.00	
18.	मणिपुर		0.00	0.00			0.00	0.00	
19.	मेघालय		0.00	0.00			0.00	0.00	
20.	मिजोरम		0.00	0.00			0.00	0.00	
21.	नागालैंड		0.00	0.00			0.00	0.00	
22.	ओडिशा		0.00	0.00			0.00	0.00	
23.	पंजाब		0.00	0.00			0.00	0.00	
24.	पुदुचेरी		0.00	0.00			0.00	0.00	
25.	राजस्थान		0.00	0.00			0.00	0.00	
26.	सिक्किम		0.00	0.00			0.00	0.00	
27.	त्रिपुरा		0.00	0.00			0.00	0.00	
28.	तमिलनाडु		0.00	0.00	1.43		0.00	0.00	
29.	उत्तर प्रदेश		0.00	0.00			0.00	0.00	7.47
30.	उत्तराखंड		0.00	0.00			0.00	0.00	
31.	पश्चिम बंगाल		0.00	0.00			0.00	0.00	
	कुल	0	0.00	0.00	1.43	5	15.00	13.50	14.22

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							1.91	5	15.00	13.50	8.66
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	000	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	1.43
			33.29				2.31	0	0.00	0.00	43.07
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	37.19	0	0	0.00	19.78	5	15.00	13.50	72.62

दिनांक 30.11.12 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत सड़क परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009-10				2010-11			
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय किस्त और 1.5% डीपीआर लागत)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह								
2.	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0.00					
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00					
4.	असम	0	0.00	0.00					
5.	बिहार	0	0.00	0.00					
6.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00					
7.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00					
8.	दमन और दीव	0	0.00	0.00					
9.	गोवा	0	0.00	0.00		1	8.43	6.74	3.38
10.	गुजरात	0	0.00	0.00					
11.	हरियाणा	0	0.00	0.00					
12.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00		1	1.85	1.48	0.51

(करोड़ रुपए)

2011-12				वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 से 30.11.12 तक				कुल संचयी			
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
				1	558	4.46	2.23	1	5.58	4.46	2.23
			26.48					0	0.00	0.00	28.48
			6.89					0	0.00	0.00	6.89
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
2	20.32	16.26	7.68				3.37	3	28.75	23.00	14.43
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	000
			5.14					1	1.85	1.48	5.65

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00					
14.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0.00		4	37.46	33.71	16.86
15.	केरल	0	0.00	0.00					
16.	कर्नाटक	0	0.00	0.00					15.03
17.	मध्य प्रदेश	0	0.00	0.00					
18.	महाराष्ट्र*	0	0.00	0.00	17.89				
19.	मणिपुर	0	0.00	0.00					
20.	मेघालय	0	0.00	0.00					
21.	मिजोरम	0	0.00	0.00					
22.	नागालैंड	1	4.24	3.81	1.91				
23.	ओडिशा	0	0.00	0.00					
24.	पंजाब	0	0.00	0.00					
25.	पुदुचेरी	0	0.00	0.00					
26.	राजस्थान	0	0.00	0.00					
27.	सिक्किम	0	0.00	0.00					
28.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00					
29.	तमिलनाडु	0	0.00	0.00					2.05
30.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0.00					
31.	उत्तराखंड	0	0.00	0.00					
32.	पश्चिम बंगाल								2.92
	कुल	1	4.24	3.81	19.80	6	47.74	41.94	40.75

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								0	0.00	0.00	0.00
							20.98	4	37.46	33.71	37.84
								0	0.00	0.00	0.00
			6.97				23.27	0	0.00	0.00	45.27
				6	64.45	51.56	27.46	6	64.45	51.56	27.46
				3	66.43	53.14	26.57	3	66.43	53.14	44.46
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
				1	19.03	17.13	10.46	2	23.27	20.94	12.37
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
			22.12				5.78	0	0.00	0.00	27.90
			0.75					0	0.00	0.00	2.80
			9.52					0	0.00	0.00	9.52
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	292
2	20.32	16.26	87.55	11	155.49	126.29	120.12	20	227.79	188.30	268.22

दिनांक 31.07.12 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत जल निकाय का संरक्षण परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009-10				2010-11			
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय किस्त और 1.5% डीपीआर लागत)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश								
2.	अरुणाचल प्रदेश								
3.	असम								
4.	बिहार								
5.	छत्तीसगढ़								
6.	दादरा और नगर हवेली								
7.	दमन और दीव								
8.	गोवा								
9.	गुजरात								
10.	हरियाणा								
11.	हिमाचल प्रदेश								
12.	झारखंड								

(करोड़ रुपए)

2011-12				वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 से 11.07.12 तक				कुल संचयी			
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	000	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	जम्मू और कश्मीर								
14.	केरल								
15.	कर्नाटक								
16.	मध्य प्रदेश								
17.	महाराष्ट्र								
18.	मणिपुर								
19.	मेघालय								
20.	मिजोरम								
21.	नागालैंड								
22.	ओडिशा					1	2.26	1.81	0.91
23.	पंजाब								
24.	पुदुचेरी								
25.	राजस्थान								
26.	सिक्किम								
27.	त्रिपुरा								
28.	तमिलनाडु								
29.	उत्तर प्रदेश								
30.	उत्तराखंड								
31.	पश्चिम बंगाल								
	कुल	0	0	0	0	1	2.26	1.81	0.91

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							0.24	0	0.00	0.00	0.24
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	000	0.00
								0	000	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								1	2.26	1.81	0.91
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	000	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.24	1	2.26	1.81	1.15

दिनांक 31.07.12 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत शहरी नवीकरण परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009-10				2010-11			
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय किस्त और 1.5% डीपीआर लागत)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश								
2.	अरुणाचल प्रदेश								
3.	असम								
4.	बिहार								
5.	छत्तीसगढ़								
6.	दादरा और नगर हवेली								
7.	दमन और दीव								
8.	गोवा								
9.	गुजरात								
10.	हरियाणा								
11.	हिमाचल प्रदेश								
12.	झारखंड								

(करोड़ रुपए)

2011-12				वर्तमान वित्त वर्ष 2012-13 से 11.07.12 तक				कुल संचयी			
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	000
								0	000	0.00	000
								0	0.00	000	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	जम्मू और कश्मीर								
14.	केरल								
15.	कर्नाटक								
16.	मध्य प्रदेश								
17.	महाराष्ट्र								
18.	मणिपुर								
19.	मेघालय								
20.	मिजोरम								
21.	नागालैंड								
22.	ओडिशा								
23.	पंजाब								
24.	पुदुचेरी								
25.	राजस्थान								
26.	सिक्किम								
27.	त्रिपुरा								
28.	तमिलनाडु								
29.	उत्तर प्रदेश								
30.	उत्तराखंड								
31.	पश्चिम बंगाल								
	कुल	0	0	0	0	0	0	0	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
							3.48	0	0.00	0.00	3.48
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	000	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	000	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	3.48	0	0.00	0.00	3.48

दिनांक 31.07.12 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत पार्किंग परियोजनाओं का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2009-10				2010-11			
		अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय किस्त और 1.5% डीपीआर लागत)	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश								
2.	अरुणाचल प्रदेश								
3.	असम								
4.	बिहार								
5.	छत्तीसगढ़								
6.	दादरा और नगर हवेली								
7.	दमन और दीव								
8.	गोवा								
9.	गुजरात								
10.	हरियाणा								
11.	हिमाचल प्रदेश								
12.	झारखंड								

(करोड़ रुपए)

2011-12				वर्तमान वर्ष 2012-13 से 26.05.12 तक				कुल संचयी			
अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए एसीए जारी	अनुमोदित लागत	वचनबद्ध एसीए	जारी एसीए (प्रथम + द्वितीय) किस्त
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	000	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	000	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	व.वव
								0	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	जम्मू और कश्मीर								
14.	केरल								
15.	कर्नाटक								
16.	मध्य प्रदेश								
17.	महाराष्ट्र								
18.	मणिपुर								
19.	मेघालय								
20.	मिजोरम								
21.	नागालैंड								
22.	ओडिशा								
23.	पंजाब								
24.	पुदुचेरी								
25.	राजस्थान								
26.	सिक्किम								
27.	त्रिपुरा								
28.	तमिलनाडु								
29.	उत्तर प्रदेश								
30.	उत्तराखंड								
31.	पश्चिम बंगाल								
	कुल	0	0	0	0	0	0	0	0

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	000	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	000	0.00	0.00
								0	000	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	000	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
								0	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

अनुबंध-III

यूआईजी, जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत शहरी परिवहन प्रणाली के लिए बसों की खरीद हेतु राज्य-वार एवं वर्ष-वार स्वीकृत एवं जारी एसीए (दिनांक 27.11.12 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए)

क्र. छव.	राज्य	स्वीकार्य केन्द्रीय अंश (एसीए)	वर्ष-वार जारी धनराशि				
			2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7	8
विशेष श्रेणी के राज्य							
1.	अरुणाचल प्रदेश	3.74	1.95	0	0	0.9913	—
2.	असम	47.29	7.11	0	13.49	—	11.57
3.	हिमाचल प्रदेश	6.08	3.04	0	2.43	—	—
4.	जम्मू और कश्मीर	23.76	0	5.94	0	13.04	—
5.	मणिपुर	6.08	3.04	0	0	—	—
6.	मेघालय	14.76	0	3.69	3.69	—	2.48
7.	मिजोरम	2.93	1.46	0	0	—	—
8.	नागालैंड	2.7	0	0.68	0	—	1.24
9.	सिक्किम	2.70	0	0.68	1.12	—	0.22
10.	त्रिपुरा	14.65	7.65	0	0	2.71	2.07
11.	उत्तराखंड	21.74	10.87	0	2.65	—	—
	कुल (क)	146.43	35.12	10.99	23.38	16.7413	
गैर-विशेष श्रेणी के राज्य							
1.	आंध्र प्रदेश	176.5	90.88	0	19 1	1.06	20.94
2.	बिहार	25.35	12.68	0	0	—	—
3.	छत्तीसगढ़	11.88	5.94	0	0	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	गोवा	6.16	3.08	0	1.96	—	—
5.	गुजरात	88.2	39.08	0	0	—	2.02
6.	हरियाणा	27.3	13.65	0	0	—	—
7.	झारखंड	23.9	11.95	0	0	—	—
8.	कर्नाटक	159.04	72.12	12.04	26.52	12.14	5.47
9.	केरल	78.22	39.11	0	0	—	23.21
10.	मध्य प्रदेश	101.12	50.56	0	0	3.98	0.74
11.	महाराष्ट्र	299.6	142.67	0	16.29	17.38	6.94
12.	ओडिशा	15.84	7.92	3.68	2.59	—	—
13.	पंजाब	49.15	24.63	0	0	—	—
14.	राजस्थान	77.57	38.68	0	0	17.08	8.67
15.	तमिलनाडु	192.35	96.18	0	13.09	13.08	8.36
16.	उत्तर प्रदेश	142.92	130.3	0	0	—	—
17.	पश्चिम बंगाल	145.4	68.5	0	0	—	—
	कुल (ख)	1620.50	847.93	15.72	79.55	64.72	—
	संघ शासित प्रदेश						
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	274.75	115.52	1.75	0	106.88	—
2.	पुदुचेरी	12.92	0	3.23	0	—	4.73
3.	चंडीगढ़	34.20	17.1	0	8.28	—	—
	कुल (ग)	321.87	132.62	4.98	8.28	106.88	—
	कुल (क+ख+ग)	2088.8	1015.67	31.69	111.21	188.3413	98.65

कुल जारी 1445.56.13 करोड़ रु.

अनुबंध-IV

क्र.सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	राशि
1	2	3	4
1.	नमसई, वर्षा जल निकास स्कीम, आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार	7901000
2.	नॉगपोह, मेघालय में कमर्शल काम्प. सह पार्किंग स्थल का निर्माण	एनबीसीसी	76677000
3.	आईजोल, मिजोरम में सिटी सेंटर का निर्माण	एनबीसीसी	30376000
4.	दपोरीजो, आंध्र प्रदेश में शमशान स्थल सह कब्रस्तिान का विकास	राज्य सरकार	7319000
5.	सेपा टाउनशिप, आंध्र प्रदेश में अवस्थापना विकास	राज्य सरकार	16700000
6.	इम्फाल मणिपुर में सिटी कनवेंशन सेंटर का निर्माण	एनबीसीसी	761000
7.	अलॉग शहर मास्टर प्लान क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के लिए वर्षा जल निकास स्कीम (फेज-1)	राज्य सरकार	22369000
8.	नमची सिक्किम में जिला पुस्तकालय शहर संग्राहलय का निर्माण	एनबीसीसी	20378000
9.	अगरतला, त्रिपुरा में राधानगर बस स्टेशन का निर्माण	एनबीसीसी	3759000
10.	थऊबल मणिपुर में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	एनबीसीसी	11702000
11.	अगरतला, त्रिपुरा में सिटी सेंटर का निर्माण	एनबीसीसी	7463000
12.	तेजू अरुणाचल प्रदेश में शॉपिंग काम्प. का निर्माण	राज्य सरकार	9125000
13.	यिंगाक्यिांग, अरुणाचल प्रदेश में अतिथिगृह का निर्माण	राज्य सरकार	7504000
14.	यिंगाक्यिांग, अरुणाचल प्रदेश में सांस्कृतिक भवन का निर्माण	राज्य सरकार	9734000
15.	यिकोंग, आंध्र प्रदेश में शमशान स्थल सह कब्रस्तिान का निर्माण	राज्य सरकार	2659000
16.	यिकोंग, आंध्र प्रदेश का अवस्थापना विकास	राज्य सरकार	12387000
17.	कोलोरिंग, आंध्र प्रदेश में सै. स्कूल का अवस्थापना विकास	राज्य सरकार	9133000
18.	नमसाई, आंध्र प्रदेश शॉपिंग काम्प. का निर्माण	राज्य सरकार	10839000
19.	पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में पार्किंग स्थल का विकास	राज्य सरकार	8831000
20.	मोकोकचुंग, नागालैंड में अवस्थापना विकास	राज्य सरकार	24750000

1	2	3	4
21.	मोकोकचुंग, नागालैंड में साफ-सफाई, कूड़ेदान का निर्माण	राज्य सरकार	3945000
22.	परेन जिला, नागालैंड में नगवाला शहर सरकुलर रोड का निर्माण	राज्य सरकार	11407000
23.	मोकोकचुंग शहर, नागालैंड के अलेमपांग वार्ड में रिटेनिंग वाल का निर्माण	राज्य सरकार	6807000
24.	सोनारी, असम में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण	राज्य सरकार	22320000
25.	गंगटोक, सिक्किम में रिजपार्क की बाउंड्री फैंसिंग एवं सौन्द्रीयकरण	राज्य सरकार	2400000
26.	थौबलनदी मणिपुरी के उत्तरी किनारे की रिटेनिंग वाल/तटबंद का निर्माण	एनबीसीसी	14521000
27.	फैक शहर नागालैंड के लिए सड़कों का निर्माण	राज्य सरकार	7815000
28.	गुवाहाटी की लेनों, उप-लेनों का उन्नयन, फेज-II, असम	एनबीसीसी	17900000
29.	जयरामपुर की जलापूर्ति में सुधार	राज्य सरकार	23500000
30.	तमलू, नागालैंड में शॉपिंग काम्प. सह कार पार्किंग का निर्माण	राज्य सरकार	27960000
31.	केन्द्रीय जोन अगरतला में सामान्य स्वच्छता और पर्यावरण में सुधार	एनबीसीसी	5263000
32.	गंगटोक, सिक्किम में स्पोर्टस काम्प. का निर्माण	एनबीसीसी	45961000
33.	तवांग टाउनशिप, अरुणाचल प्रदेश में रिटेनिंग वाल और सुरक्षा कार्य	राज्य सरकार	6476000
34.	धीरंग, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थापना विकास	राज्य सरकार	11040000
35.	जयरामपुर, अरुणाचल प्रदेश में सड़क नेटवर्क में सुधार	राज्य सरकार	15780000
36.	जीरो शहर में अतिथि गृह का निर्माण	राज्य सरकार	11190000
37.	निरजुली, आंध्र प्रदेश में कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल शादी हॉल, वृद्ध और उपेक्षित बच्चों का आवास और सामुदायिक शौचालय का निर्माण	राज्य सरकार	15015000
38.	नामची, सिक्किम में संपर्क फुटपाथ और लिंक रोड का निर्माण	राज्य सरकार	3090000
39.	नामची, सिक्किम में 50 एमएम मोटे बीटोमिनस मकाडम और 40 एमएम मोटे बीटोमिनस कंक्रीट मुहैया कराना	राज्य सरकार	2900000

1	2	3	4
40.	नामची, सिक्किम में पैदलपार पथ का निर्माण	राज्य सरकार	3570000
41.	धर्मनगर, त्रिपुरा में टाउन हॉल का निर्माण	एनबीसीसी	53466000
42.	बड़ा बाजार शिलांग में बड़े वाहनों के लिए पार्किंग स्थल	एनबीसीसी	6819000
43.	इम्फाल मणिपुर में सिटी कनवेंशन केन्द्र का निर्माण	राज्य सरकार	62762.000
44.	सबरूम शहरी दक्षिणी त्रिपुरा का एकीकृत विकास	एनबीसीसी	70889000
45.	नूनमटी गुवाहाटी असम में वर्षा जल निकास स्कीम	एनबीसीसी	13279000
46.	दक्षिणी सिक्किम के अन्य बाजारों में कारपैटिंग	राज्य सरकार	5028000
47.	तिनसुकिया मास्टर प्लान क्षेत्र वर्षा जल निकास स्कीम	राज्य सरकार	41700000
48.	बसर अरुणाचल प्रदेश में कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल शादी हॉल, वृद्ध और अपेक्षित बच्चों का आवास और सामुदायिक शौचालय का निर्माण	राज्य सरकार	3727000
49.	पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में शमशान स्थल और कब्रस्तिान का निर्माण	राज्य सरकार	8220000
50.	कल्पनियांखल के बचे हिस्से का विकास	एनबीसीसी	3449000
51.	दोईमुख में अतिथिगृह का निर्माण	राज्य सरकार	7800000
52.	सेपाशहर का अवस्थापना विकास	राज्य सरकार	16550000

वित्त वर्ष 2009-10 में स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित लागत (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	दौइमुख में आंतरिक टाउंशिन सड़क नेटवर्क में सुधार	अरुणाचल प्रदेश	502.30
2.	सगाली में इंडोर स्टेडियम का निर्माण और स्पोर्टस काम्प. में सुधार	अरुणाचल प्रदेश	426.23
3.	बोलैंग शहर के सड़क नेटवर्क का निर्माण एवं सुधार	अरुणाचल प्रदेश	763.96

1	2	3	4
4.	नगांव, असम में कमर्शल काम्प. का निर्माण	असम	2360.00
5.	सोनारी असम में खेल मैदान अवस्थापना विकास	असम	425.12
6.	थौबल मणिपुर के शहरी अवस्थापना का विकास	मणिपुर	1280.48
7.	सोहरा शहर, मेघालय में सड़कों में सुधार	मेघालय	100.52
8.	पाहमस्याम नौगपो शहर मेघालय के एमबीटी समेत सड़क का सुधार	मेघालय	94.74
9.	अखोंग्रे में पार्किंग स्थल का पुन:र्विकास	मेघालय	481.44
10.	लुंगलेई, मिजोरम में कनवेंशन सेंटर का निर्माण	मिजोरम	1877.40 लाख + सेवा कर
11.	सरचीप शहर मिजोरम के लिए सामाजिक अवस्थापना विकास स्कीम	मिजोरम	2322.43 लाख + सेवा कर
12.	अंतर्राज्जीय बस एवं ट्रक अड्डा, तैनसंग, नागालैंड	नागालैंड	1922.03
13.	दीमापुर, नागालैंड की फोरेस्ट कालोनी में शॉपिंग काम्प. एवं पार्किंग प्लाजा	नागालैंड	1855.66
14.	सौरेंग शहर सिक्किम में जलापूर्ति में बढ़ोत्तरी	सिक्किम	815.29
15.	रौंगला बाजार सिक्किम में जलापूर्ति में बढ़ोत्तरी	सिक्किम	449.52
16.	चकुंग शहर सिक्किम में जलापूर्ति में बढ़ोत्तरी	सिक्किम	1018.53
17.	उदयपुर त्रिपुरा में टाउन हॉल का निर्माण	त्रिपुरा	2267.64 लाख + सेवा कर

वर्ष 2010-11 में 10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम के अंतर्गत निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए जारी निधियां

क्र. सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	राशि (रुपए)
1	2	3	4
1	दापोरिजो, आंध्र प्रदेश में शमशान सह कब्रस्तान का निर्माण	राज्य	7319000

1	2	3	4
2.	धौरैंग, आंध्र प्रदेश में अवस्थापना विकास	राज्य	11040000
3.	जयरामपुर आंध्र प्रदेश में सड़क नेटवर्क का विकास	राज्य	15780000
4.	नीरजुली आंध्र प्रदेश में कामकाजी महिलाओं का हॉस्टल शादी हॉल, वृद्ध और उपेक्षित बच्चों का आवास और सामुदायिक शौचालय	राज्य	6016000
5.	पासीघाट, आंध्र प्रदेश में शमशान स्थल और कब्रस्तिान का निर्माण	राज्य	8220000
6.	सगाली अरुणाचल प्रदेश में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक भवन का निर्माण	राज्य	12720000
7.	जीरा अरुणाचल प्रदेश में अतिथि गृह का निर्माण	राज्य	11190000
8.	पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में सड़क नेटवर्क में सुधार	राज्य	30119000
9.	त्वांग टाउंशिप अरुणाचल प्रदेश में रिटैनिंग वॉल संरक्षण कार्य	राज्य	6477000
10.	बसर अरुणाचल प्रदेश में शॉपिंग काम्प. का निर्माण	राज्य	10606000
11.	सगालियां अरुणाचल प्रदेश में अवस्थापना विकास	राज्य	11200000
12.	लॉगडिंग अरुणाचल प्रदेश में जलापूर्ति स्कीम	राज्य	20164000
13.	जीरो अरुणाचल प्रदेश में शमशान सह कब्रिस्तान का निर्माण	राज्य	472000
14.	खोंसा अरुणाचल प्रदेश में अतिथि गृह का निर्माण	राज्य	3780000
			155103000
15.	देखियाजुली, असम में कमर्शियल कॉम्प. का निर्माण	राज्य	13574000
16.	लखीपुर, असम में कमर्शियल कॉम्प. का निर्माण	राज्य	13653000
17.	तिनसुखिया असम में ट्रक अड्डे का निर्माण	राज्य	6877000
18.	करीमगंज वर्षा जल निकासी स्कीम, फेज-1, असम का निर्माण	राज्य	35507000
			69611000
19.	कोकचिन खानू, मणिपुर में शहरी अवस्थापना का विकास	राज्य	12457000
20.	लमडिंग, मणिपुर में शहरी अवस्थापना का विकास	राज्य	6528000
21.	इम्फाल मणिपुर में एलईडी वाले ट्रैफिक सिंगनल को लगाना	राज्य	6207000

1	2	3	4
22.	म्यांग जलापूर्ति स्कीम मणिपुर का उन्नयन	राज्य	11803000
			36995000
23.	नौंगपौ, मेघालय में कमर्शियल कॉम्प. सह पार्किंग स्थल का विकास	एनबीसीसी	65200000
24.	मिरेंग टाउन सड़क मेघालय में सुधार	राज्य	733000
			65933000
25.	ग्रेटर सायहा जलापूर्ति स्कीम मिजोरम का नवीकरण एवं विस्तार	राज्य	18631000
26.	तलबू जलापूर्ति स्कीम मिजोरम का विस्तार एवं नवीकरण	राज्य	3969000
27.	सरचीप मिजोरम में सभागार एवं स्टेडियम काम्प. का निर्माण	एनबीसीसी	80000000
			102600000
28.	कोहिमा नागालैंड में पार्क का निर्माण	राज्य	848000
29.	दीमापुर नागालैंड के नागाशापिंग आरकेड में कमर्शियल कॉम्प. का निर्माण	राज्य	10080000
30.	दीमापुर नागालैंड के ट्रक अड्डे का निर्माण	राज्य	42450000
31.	चेनटाउन मोन जिला नागालैंड अतिथि/रेस्ट हाउस का निर्माण	राज्य	4363000
32.	चुमकेडीमा, नागालैंड में वर्ष 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	राज्य	48720000
			106461000
33.	मनगन उत्तरी सिक्किम में बहुउद्देशीय कार पार्किंग सह सुविधायुक्त स्थल का निर्माण	एनबीसीसी	99278000
34.	रवंगला सिक्किम में पार्किंग प्लाजा सह सुविधायुक्त स्थल का निर्माण	एनबीसीसी	63866000
35.	नामची, सिक्किम में 50 एमएम मोटे बोटोमिनस मकाडम और 40 एमएम मोटे बीटोमिनस कंक्रीट मुहैया करना	राज्य	2900000
36.	नामची, सिक्किम में पैदल पार पथ का निर्माण	राज्य	3570000
37.	दक्षिणी सिक्किम में अन्य बाजारों में कारपेटिंग	राज्य	5029000

1	2	3	4
38.	नामची, सिक्किम में फुटपाथ और लिंक का निर्माण	राज्य	3090000
39.	मनगन सिक्किम में बहुस्तरीय कार पार्किंग और सुविधायुक्त स्थल का निर्माण	एनबीसीसी	3000000
			180733000
40.	अमरपुर त्रिपुरा में टाउन हाल का निर्माण	एनबीसीसी	62600000
41.	सोनमुरा त्रिपुरा में टाउन हाल का निर्माण	एनबीसीसी	21864000
42.	अमरपुर त्रिपुरा में सुपर मार्किट और कार्यालय कॉम्प. का निर्माण	एनबीसीसी	45834000
43.	कमलपुर त्रिपुर में बस अड्डा और शापिंग केन्द्र सह शादी भवन का निर्माण	एनबीसीसी	72266000
			202564000

वित्तीय वर्ष 2010-11 में स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र. स.	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित लागत (लाख रुपए)
1	लौंगडिंग टाउनशिप, अरुणाचल प्रदेश में जलापूर्ति स्कीम	अरुणाचल प्रदेश	2240.45
2	खोंसा में अतिथि गृह का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	420.00
3	जीरो में शमशान सह कब्रस्तान का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	375.05
4.	करीमगंज में बस/ट्रक अड्डा का निर्माण	असम	231.68
5.	सिमालूगुडी में व्यवसायिक केन्द्र का निर्माण	असम	571.39
6.	म्यांग जलापूर्ति स्कीम	मणिपुर	2319.21
7.	मैरेंग शहर, रोड, मेघालय में सुधार	मेघालय	81.45
8.	ग्रेटर सायहा जलापूर्ति स्कीम का नवीकरण का एवं विस्तार	मिजोरम	2070.20
9.	तलबू जलापूर्ति स्कीम का विस्तार एवं नवीकरण	मिजोरम	441.00
10.	जोरेथांग (सिक्किम में सुविधायुक्त बस और ट्रक अड्डा का (फेज-I)	सिक्किम	3022.63
11.	सोनामोरा में टाउन हाल का निर्माण	त्रिपुरा	2186.40

वर्ष 2011-12 में 10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम के तहत चल रही परियोजनाओं हेतु जारी निधियां

क्र.सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	राशि
1	2	3	4
	अरुणाचल प्रदेश		
1.	जीरो, अरुणाचल प्रदेश में कब्रिस्तान का निर्माण	राज्य सरकार	2903000
2.	वसर अरुणाचल प्रदेश में काम-काजी महिला होस्टल, ओल्ड ऐज बेघर बाल गृह और सामुदायिक शौचालय का निर्माण	राज्य सरकार	3727000
3.	वसर अरुणाचल प्रदेश में शापिंग कॉम्पलैक्स का निर्माण	राज्य सरकार	10607000
4.	संघाली, अरुणाचल प्रदेश में बहुउद्देशीय हाल का निर्माण	राज्य सरकार	12720000
5.	संघाली, अरुणाचल प्रदेश में इंदौर स्टेडियम का निर्माण और खेल परिसर का सुधार	राज्य सरकार	12787000
6.	दोईमुक अरुणाचल प्रदेश में आंतरिक टाउनशिप रोड नेटवर्क का सुधार	राज्य सरकार	15069000
7.	वाऊलिंग टाउन अरुणाचल प्रदेश में सड़क नेटवर्क का निर्माण और सुधार	राज्य सरकार	22919000
8.	संघाली टाउन अरुणाचल प्रदेश के अवसंरचना विकास में सुधार	राज्य सरकार	11210000
9.	चांगलंग (फेस-I), अरुणाचल प्रदेश में अवसंरचना विकास	राज्य सरकार	6844000
10.	खोनसा, अरुणाचल प्रदेश में वर्षा जल नालों का निकास	राज्य सरकार	3800000
11.	आलो, वर्षा जल नाला (फेस-II) अरुणाचल प्रदेश	राज्य सरकार	8361000
12.	कोलोरैंगे अरुणाचल प्रदेश में पार्किंग स्थल और सुरक्षा कार्य	राज्य सरकार	2498000
13.	दिरंग अरुणाचल प्रदेश में हैरिटेज क्षेत्र का विकास	राज्य सरकार	9370000
	असम		
14.	धमाजी टाउन, असम के लिए निकासी प्रणाली का निर्माण करना	राज्य सरकार	36510000
15.	सिमलूगुरी असम में व्यापारिक केन्द्र का निर्माण करना	राज्य सरकार	5142000
16.	पोवामारा, करीमगंज, असम में बस/ट्रक टर्मिनल का निर्माण करना	राज्य सरकार	2085000
17.	दोकमोका असम में व्यापारिक केन्द्र का निर्माण करना	राज्य सरकार	13830000
18.	हीलाकंडी असम में वाणिज्यिक कॉम्पलैक्स का निर्माण करना	राज्य सरकार	13077000
19.	कोकराझाण असम में वाणिज्यिक कॉम्पलैक्स का निर्माण करना	राज्य सरकार	13887000

1	2	3	4
20.	असम में ड्रेन और कनवर्टों के निर्माण सहित सड़कों के उन्नयन दौरा बिजनी टाउन क्षेत्र का विकास करना	राज्य सरकार	14520000
21.	असम में सड़कों और वाईलेनों को निर्माण, गोहाटी (फेस-II) भाग-II	एनबीसीसी	56348000
	मणिपुर		
22.	मंयग जलापूर्ति स्कीम, मणिपुर का उन्नयन	राज्य सरकार	9070000
23.	धूवल नगरपालिका परिषद् मणिपुर के शहरी अवस्थापना का विकास	राज्य सरकार	38414000
24.	इम्फाल मणिपुर में सामुदायिक शौचालय कॉम्पलैक्स का निर्माण करना	राज्य सरकार	5661000
25.	इम्फाल मणिपुर में सिटी कन्वैन्सन सेंटर का निर्माण करना	राज्य सरकार	62762000
26.	ब्लैक-ए धूबल मणिपुर में सोपिंग कॉम्पलैक्स	राज्य सरकार	36979000
27.	ब्लैक-बी धूबल मणिपुर में सोपिंग कॉम्पलैक्स	राज्य सरकार	19890000
	मेघालय		
28.	तूरा मेघालय में रिकमैन होटल के सामने और बगल में पार्किंग लौट का निर्माण करना	एनबीसीसी	61424000
29.	तूरा मेघालय में शेष आरसीसी ब्रिज का निर्माण करना	राज्य सरकार	2241000
30.	तूरा मेघालय में अंतर्राजीय बस टर्मिनल का निर्माण करना	राज्य सरकार	16309000
	मिजोरम		
31.	सिरचिप मिजोरम में ओडिटोरियम और स्टेडियम कॉम्प्लैक्स का निर्माण करना	एनबीसीसी	38990000
32.	चम्पाई टाउन मिजोरम के लिए विकास स्कीम	एनबीसीसी	78750000
33.	सीहा टाउन मिजोरम के लिए विकास स्कीम	राज्य सरकार	3573000
34.	चमपाई मिजोरम का विकास करना	एनबीसीसी	78752000
35.	सिरचिप टाउन मिजोरम के लिए सामाजिक और संरचना विकास स्कीम	एनबीसीसी	77414000
36.	ग्रेटर ख्वाजाल जलापूर्ति में मिजोरम	राज्य सरकार	22473000
	नागालैंड		
37.	पेरेन डिस्टीक रोड को एनएच-39 नागालैंड से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण करना	राज्य सरकार	40244000
38.	फोरेस्ट कॉलोनी धीमकपुर नागालैंड में शॉपिंग कॉम्पलैक्स और पार्किंग प्लाजा का निर्माण करना	राज्य सरकार	55670000

1	2	3	4
39.	सेवक धीमापुर नागालैंड में कार पार्किंग सहित शॉपिंग माल कॉम्पलैक्स का निर्माण करना	राज्य सरकार	33650000
40.	नागालैंड गेट गोलाघाट रोड धीमापुर नागालैंड में एमएपी सेंटर का निर्माण करना	राज्य सरकार	3438000
41.	धीमापुर नागालैंड में ट्रक टर्मिनल का निर्माण करना	राज्य सरकार	42450000
42.	पीफुतसेरो नागालैंड में अवसंरचना विकास	राज्य सरकार	4873000
43.	वोखा टाउन नागालैंड का अवसंरचना विकास	राज्य सरकार	13677000
	सिक्किम		
44.	रवंगला सिक्किम में जलापूर्ति बढ़ाना	राज्य सरकार	13486000
45.	जोरढंग सिक्किम में पार्किंग प्लाजा सह संबंधित सुविधाओं का निर्माण करना	एनबीसीसी	21685000
46.	चाकुंग बाजार सिक्किम में जलापूर्ति बढ़ाना	राज्य सरकार	30556000
47.	मंगन सिक्किम में बहु-स्तरीय कार पार्किंग सह संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करना	एनबीसीसी	103405000
48.	रबंगला सिक्किम में पार्किंग प्लाजा सह सहायक सेवाओं का निर्माण करना	एनबीसीसी	63868000
49.	जोरेथंग सिक्किम में बस और ट्रक टर्मिनल और सहायक सुविधाओं का निर्माण करना	एनबीसीसी	2888000
50.	मंगन सिक्किम में रोडजोरा ट्रेनिंग कार्यों को बढ़ावा देने सहित उन्नयनीकरण और सौन्दर्यकरण	राज्य सरकार	10790000
51.	सिंगटम ईस्ट सिक्किम में सब्जीबाजार (आजीवका) सह सहायक सेवाओं सहित पार्किंग का निर्माण करना	राज्य सरकार	9950000
	त्रिपुरा		
52.	सबरूम टाउन त्रिपुरा का एकीकृत विकास	एनबीसीसी	75980000
53.	अमरपुर त्रिपुरा में टाउन हाल का निर्माण करना	एनबीसीसी	62600000
54.	कमलपुर त्रिपुरा में बस टर्मिनल और शापिंग केन्द्र सह मैरिज हाल का निर्माण करना	एनबीसीसी	72268000
55.	धर्मनगी त्रिपुरा में टाउन हाल का निर्माण करना	एनबीसीसी	53468000
56.	उदयपुर त्रिपुरा में टाउन हाल का निर्माण करना	एनबीसीसी	75588000
57.	कैलाशहर त्रिपुरा में टाउन हाल का निर्माण करना	राज्य सरकार	18550000

वित्तीय वर्ष 2011-12 में स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य	अनुमानित लागत (लाख रुपए)
1.	चैंगलंग (फेस-I), अरुणाचल प्रदेश में अवसंरचना विकास	अरुणाचल प्रदेश	760.41
2.	दिरंग में हैरिटेज क्षेत्र का विकास	अरुणाचल प्रदेश	1041.05
3.	होंसा अरुणाचल प्रदेश में वर्षा जल निकास का विकास करना	अरुणाचल प्रदेश	422.29
4.	कोलोरिंग में पार्किंग स्थल और सुरक्षा दीवार का निर्माण	अरुणाचल प्रदेश	277.57
5.	अलाओ वर्षा जल निकास स्कीम (फेस-II)	अरुणाचल प्रदेश	929.05
6.	असम में ड्रेनों और कलवर्टों के निर्माण सहित सड़कों के उन्नयनीकरण द्वारा बीजनी टाउन क्षेत्र का विकास	असम	1613.42
7.	तूरा में गन्डूक डरे को कनेक्ट करने के लिए शेष आरसीसी ब्रिज का निर्माण करना	मेघालय	249
8.	तूरा में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण करना	मेघालय	4532.44
9.	ग्रेटर अवजाबल जलापूर्ति स्कीम मिजोरम	मिजोरम	2497.00
10.	पिफूटसेरो में अवसंरचना विकास	नागालैंड	541.53
11.	वोखा टाउन का अवसंरचना विकास	नागालैंड	3094.94
12.	मंगन सिक्किम में रोडस जोरा ट्रेनिंग वर्क्स को मजबूत करने सहित उन्नयनीकरण और सौन्द्रर्यकरण	सिक्किम	1198.91
13.	सिंगटम में सब्जिबाजार सह सहायक सुविधाओं सहित पार्किंग का निर्माण करना	सिक्किम	3799.38
14.	कैलाशहर में टाउन हाल का निर्माण करना	त्रिपुरा	2429.79

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल 68 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

वर्ष 2012-13 में 10% एकमुश्त प्रावधान स्कीम के तहत चल रही परियोजनाओं हेतु जारी निधियां

(लाख रुपए)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	एजेंसी	राशि
1	2	3	4
1.	सिरचिप मिजोरम में ओडिटोरियम और स्टेडियम कॉम्पलैक्स का निर्माण करना	एनबीसीसी	1189.9
2.	तूंगसंग नागालैंड में अंतर्राष्ट्रीय बस और ट्रक टर्मिनल का निर्माण करना	राज्य सरकार	576.61
3.	डिबरूगंढ असम में वाणिज्यिक कॉम्पलैक्स का निर्माण करना	राज्य सरकार	138.07
4.	खोनसा अरुणाचल प्रदेश में गेस्ट हाउस का निर्माण करना	राज्य सरकार	113.4

1	2	3	4
5.	जीरो अरुणाचल प्रदेश में समशान भूमि सह कब्रिस्तान का निर्माण करना	राज्य सरकार	101.26
6.	बूखा टाउन नागालैंड का अवसंरचना विकास	राज्य सरकार	141.77
7.	कैलाशहर त्रिपुरा में टाउन हाल का निर्माण करना	एनबीसीसी	57.47
8.	सिंगटम सिक्किम में सब्जी बाजार का निर्माण करना	एनबीसीसी	270.35
9.	तूरा मेघालय में अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल का निर्माण करना	एनबीसीसी	251
10.	ग्रेटर सिहा जलापूर्ति स्कीम मिजोरम का नवीकरण और उसे बढ़ाना	राज्य सरकार	558.95
11.	सोनारी असम में खेल के मैदान का विकास करना	राज्य सरकार	122.53
12.	दोईमुक अरुणाचल प्रदेश में आंतरिंग टाउनशिप रोड में सुधार करना	राज्य सरकार	150.69
13.	छाबुआ असम में व्यापारिक केन्द्र का निर्माण करना	राज्य सरकार	137.92
14.	लोंकडिंग टाउनशिप अरुणाचल प्रदेश में जलापूर्ति स्कीम	राज्य सरकार	604.92
15.	कुलाशिप मिजोरम में शहर की सड़कों का निर्माण करना	एनबीसीसी	819.96
16.	सिरचिप मिजोरम में सामाजिक अवसंरचना विकास स्कीम	एनबीसीसी	774.15
17.	देखीजुली असम में वाणिज्यिक कॉम्पलैक्स का निर्माण करना	राज्य सरकार	135.74
18.	मंगन सिक्किम में बहुस्तरीय कार पार्किंग सह सहायक सेवाओं का विकास करना	एनबीसीसी	1064.06
19.	सोरंग सिक्किम में जलापूर्ति बनाना	राज्य सरकार	244.59
20.	संगाली अरुणाचल प्रदेश में इंदौर स्टेडियम का निर्माण करना और खेल परिसर का सुधार करना	राज्य सरकार	127.87
21.	सबरूम टाउन त्रिपुरा का एकीकृत विकास करना	एनबीसीसी	759.82
22.	कोकराझाड़ असम में वाणिज्यिक कॉम्प्लैक्स का निर्माण करना	एसयूडीए	138.87
23.	तलाबूंग जलापूर्ति स्कीम मिजोरम को बढ़ाना और नवीकरण करना	राज्य सरकार	119.07
24.	न्यू अवरोच रोड से तूंगसंग टाउन नागालैंड का निर्माण करना	राज्य सरकार	188.1
25.	मोरन असम में सड़क नेटवर्क में सुधार करना	एसयूडीए	71.66
26.	जोराथन सिक्किम में सहायक सुविधाओं सहित ट्रक टर्मिनल का निर्माण करना	राज्य सरकार	953.11
27.	टालू नागालैंड में सोपिंग काम्पलैक्स सह कार पार्किंग का निर्माण करना	राज्य सरकार	279.6
28.	सूनामूरा त्रिपुरा में टाउन हाल का निर्माण करना	एनबीसीसी	655.94
29.	चानटाउन मोन डिसटीक, नागालैंड में गेस्ट हाउस/रेस्ट हाउस का निर्माण करना	राज्य सरकार	43.64
	कुल		10791

अनुबंध-V

सात मेगा शहरों में सेटेलाइट कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के अंतर्गत जारी धनराशि की स्थिति

क्र. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमानित राशि	स्वीकृत राशि	निष्पादन एजेंसी
1.	पिलखुवा के लिए जलापूर्ति काक पुनर्गठन	2009-10	2167.55	1734.04	राज्य सरकार
2.	पिलखुवा सीवरेज स्कीम	2010-11	3687.51	2950.01	राज्य सरकार
3.	पिलखुवा कस्बा के लिए नगर ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम	2010-11	897.7	718.16	राज्य सरकार
4.	वसाई-वीरार उप-क्षेत्र एसटीपी-2 के लिए भमिगत सीवरेज स्कीम	2011-12	6622.63	5298.1	राज्य सरकार
5.	वसाई-वीरार के लिए एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन	2010-11	3172.64	2538.12	राज्य सरकार
6.	भूमिगत ड्रेनेज स्कीम, विकराबाद	2010-11	6474	5179	राज्य सरकार
7.	जलापूर्ति सुधार स्कीम, विकराबाद	2010-11	7009	5607	राज्य सरकार
8.	सोनीपत कस्बा के लिए नगर ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम	2010-11	2496	1996.8	राज्य सरकार
9.	वर्षा कुंआ द्वारा जलापूर्ति का संवर्धन, सोनीपत	2010-11	6958	5566.4	राज्य सरकार
10.	साणंद कस्बा की सीवरेज प्रणाली	2010-11	5848.68	4678.94	राज्य सरकार
11.	साणंद नगरपालिका के लिए ठोस कचरा प्रबंधन स्कीम	2010-11	213.62	170.9	राज्य सरकार
12.	साणंद कस्बा की जलापूर्ति प्रणाली	2010-11	3320.86	2656.69	राज्य सरकार
13.	श्रीपेरम्बदूर के लिए व्यापक जलापूर्ति स्कीम	2011-12	4071	3256.8	राज्य सरकार
14.	भूमिगत सीवरेज स्कीम श्रीपरेम्बदूर	2011-12	5622	4497.6	राज्य सरकार
15.	एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन योजना, श्रीपेरम्बदूर	2011-12	443.77	355 02	राज्य सरकार
16.	होसकोट कस्बा के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम	2011-12	4072.84	2767.12	राज्य सरकार
17.	पिलखुवा कस्बे के लिए जीआईएस आधारित मानचित्रण एवं मकान सर्वेक्षण	2011-12	29.3	29.3	राज्य सरकार
	कुल		63107.1	50000	

जारी किस्त (दिनांक एवं राशि) (लाख रु)								कुल अदायगी	कुल जारी धनाशि धनराशि	टिप्पणी
पहला		दूसरा		तीसरा		चौथा				
31.3.10	500	18.8.11	411.4	27.2.12	411.35			1322.70	411.34	चालू
24.11.10	737.5	23.2.12	737.5	28.3.12	372.84			1847.84	1102.17	चालू
29.8.11	179.54							179.54	538.62	चालू
14.2.12	1324.52							1324.52	3973.58	चालू
14.1.11	634.53							634.53	1903.59	चालू
22.12.10	1295							1295.00	3884.00	चालू
22.11.10	1402	9.10.12	1402					2804.00	2803.00	चालू
29.3.11	499.2							499.20	1497.60	चालू
29.3.11६	1391.6							1391.60	4174.80	चालू
29.3.11६	1169.73							1169 73	3509.21	चालू
29.3.11	41.72							41 72	129.18	चालू
29.3.11	664.17							664.17	1992.52	चालू
30.01.12	814.2							814.20	2442.60	चालू
30.01.12	1124.4							1124.40	3373 20	चालू
30.01.12	88.75							8875	266.27	चालू
30.03.12	649.1							649.10	2118.02	चालू
30.03.12	व 7.32							7.32	21.98	चालू
								15858.32	34141.68	

अनुबंध-VI

पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी)

राज्य एवं परियोजना-वार जारी धनराशि* (करोड़ रु.)

क्र. सं.	राज्य	शहर	ट्रेंच-I के लिए परियोजना	आबंटन	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अक्तूबर, 12 तक)
1.	नागालैंड	कोहिमा	जल आपूर्ति	6.02	शून्य	शून्य	0.76	शून्य
2.	नागालैंड	कोहिमा	ठोस कचरा प्रबंधन	16.85	शून्य	शून्य	1.85	3.58
3.	मिजोरम	आइजोल	जल आपूर्ति	11.24	शून्य	3.28	3.86	शून्य
4.	मेघालय	शिलांग	ठोस कचरा प्रबंधन	2.06	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	सिक्किम	गंगटोक	जल आपूर्ति	23.20	शून्य	शून्य	शून्य	2.47
6.	त्रिपुरा	अगरतला	जल आपूर्ति	6.44	शून्य	शून्य	0.82	शून्य
	संपूर्ण			65.81	शून्य	3.28	7.29	6.05

*राज्यों द्वारा प्रस्तुत व्यय के विवरण के आधार पर परियोजना कार्यों पर राज्यों द्वारा किए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में धनराशि जारी की जाती है।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह : महोदया, आजादी के इतने दिनों में गांव की उपेक्षा करके नगरों के लिए व्यापक योजनाएं बनाई गयीं, मगर नतीजे शून्य के करीब हैं। महोदया, करीब 8000 नगरों में, छोटे कस्बे से लेकर बड़े कस्बे तक 37 करोड़ के लगभग आबादी रहती है। इन नगरों में से केवल 24% नगरों में ही हमारी टाउन-प्लानिंग है और सारे नगर कूड़े-कचरे से भरते चले जा रहे हैं। सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है। जलापूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है। ड्रेनेज सिस्टम बिलकुल खत्म होता जा रहा है, अर्थात् नगर का जीवन अपने आप में नारकीय बनता चला जा रहा है। वर्ष 2005 से जवाहर लाल नेहरू योजना चल रही है, जो शहरी विकास योजना है। वर्ष 2012 तक इस योजना को समाप्त होना था, लेकिन इसे दो साल का और एक्सटेंशन हुआ है। मुझे जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार बड़ी रकम खर्च की गई है। यह माना जा रहा है कि नगर विकास स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन पूरे भारत के नगरों की स्थिति जटिल होती जा रही है और इस बारे में ध्यान देना पड़ेगा। हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जो योजना वर्ष 2012 तक चलाई गई है, उसके मूल्यांकन के लिए भारत सरकार ने समिति भी गठित की है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस मूल्यांकन समिति में भारत के नगरों के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो राशि व्यय की गई है, उसके नतीजे क्या आए हैं?

श्रीमती दीपा दासमुंशी : जेएनएनयूआरएम प्रोजेक्ट के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, जनसंख्या के हिसाब से यूआईडी स्कीम में 65 शहरों को लिया गया था। इसमें 66,000 करोड़ रुपये का प्रतिबद्ध केन्द्रीय हिस्सा था। सीएजी रिपोर्ट अभी-अभी आई है। राज्यों ने जिन

शहरों को चुना है. वहीं काम किया जा रहा है और 63 शहरों के बावजूद भी यूआईडी एसएसएमटी स्कीम्स में छोटे शहरों को भी लिया गया है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके लिए मैं कहना चाहती हूं कि यह सच है कि कई राज्य ऐसे हैं, जहां प्रोग्रेस बहुत कम है। स्पेशियली जब लैंड एक्वीजिशन का मामला आता है तो देखा जा रहा है कि बहुत राज्य पीछे गए हैं। पैसा दिया गया है, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से प्रोग्रेस कम है। विशेषकर सीवरेज लाइन, वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, जहां हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वहां लैंड एक्वीजिशन के कारण प्रोग्रेस स्लो है। शायद माननीय सदस्य बिहार से आते हैं और महोदया आप भी बिहार से आती हैं, मैं बिहार से संबंधित एक रिपोर्ट पढ़ना चाहती हूं क्योंकि बिहार के कई प्रश्न हमारे सामने हैं। कहा जाता है कि बिहार में शहरी विकास बहुत अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य हैं जहां अर्बनाइजेशन बहुत कम करीब 11 प्रतिशत है और वहां आठ प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया गया था। उन आठ प्रोजेक्ट्स में से एक को भी अभी तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। बहुत राज्य ऐसे हैं, जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी नहीं देते हैं। इस कारण सैकेंड इंसटालमेंट नहीं दी जा रही है। सैंटर की तरफ से सप्लीमेंटरी स्पोर्ट देने के लिए हमारी मिनिस्टरी तैयार है, लेकिन राज्य सरकार अगर यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देगी, तो दूसरी किश्त भी हम नहीं दे सकते हैं और केंद्रीय सरकार जो प्रोग्रेस रिफार्म की तरफ जा रही है उसके हिसाब से बिहार का रिफार्म्स बहुत कम हैं और परफोर्मेंस रिपोर्ट में लैगर्ड शो कर रहा है। जो रिमार्क्स आए हैं, इसमें दिया गया है कि आठ जगह में जो प्रोजेक्ट्स दिए गए थे, उनमें से दो शहरों पटना और बोधगया में...*(व्यवधान)* यह सीएजी रिपोर्ट है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी की बात सुन लीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

श्रीमती दीपा दासमुंशी : आप मेरा उत्तर सुनेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि बिहार सरकार ने क्या किया है।...*(व्यवधान)* बिहार में प्रोग्रेस सबसे कम है। मैं रिकार्ड के मुताबिक कह रही हूं कि बिहार में शहरी विकास की प्रोग्रेस सबसे कम है। मैडम, जिन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया गया था, उनमें से एक प्रोजेक्ट् भी खत्म नहीं कर पाए हैं। यह जीरो परसेंट है और प्रोग्रेस नहीं हुआ है इसलिए जो भी पैसा दिया गया, वह बिहार में एक्सेस हो गया। जो पैसा बिहार में एक्सेस हुआ उसके लिए राज्य सरकार से प्लान मांगा गया था। इस प्लान का पीरिएड भी खत्म हो गया जब सप्लीमेंट्री डीपीआर भेजा जाना था। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो डीपीआर भेजना जाना था, वह भी नहीं, भेजा गया और इसलिए वह प्लान ठंडे बस्ते में पहुंच गया तथा केन्द्रीय सरकार उस प्लान में एक भी पैसा नहीं लगा पा रही है। इसलिए बिहार की हालत ऐसी है। बाहर से तो बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर की हकीकत यह है कि बिहार में शहरी विकास का पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री जगदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदया, इस भयावह स्थिति की स्वीकृति माननीय महोदया ने की है और यह राष्ट्रीय प्रश्न है कि जब वर्ष 2031 तक भारत के सभी नगरों की 60 करोड़ आबादी हो जाएगी जिसकी आबादी आज 37 करोड़ है तो जो पूरे देश के पैमाने पर आंकड़े आ रहे हैं, वह चाहे पानी हो या जलापूर्ति हो या सड़कों पर बोझ हो या सीवरेज हो या ड्रेनेज सिस्टम की बात हो या गरीबों के लिए बस्ती बनाने की आवश्यकता हो, 25 से 50 फीसदी तक भी हम उस टार्गेट को पूरा नहीं कर पाएंगे जो वर्ष 2031 तक इस देश की आवश्यकता है। मेरा यह प्रश्न था कि विभिन्न राज्यों को गत तीन वर्षों में मंत्रालय ने क्या सहयोग किया है?

अध्यक्ष महोदया, वर्ष 2009-2010 में 3300 करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्तर पर व्यय हुए हैं और 2010-2011 में 2281 करोड़ रुपये खर्च किये गये। वर्ष 2011-2012 में 4097 करोड़ रुपये खर्च किये गये और 2012-2013 में जो 1055 करोड़ रुपये खर्च करने का कमिटमेंट है अर्थात 10636 करोड़ रुपये इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर खर्च हुए हैं या जो कमिटमेंट है, खर्च होंगे। कमिटमेंट तो बहुत का है लेकिन जब मैं बिहार पर आता हूं तो मैं यहां बताना चाहता हूं कि वाटर सप्लाई में जहां तीन वर्षों में 2601 करोड़ रुपया राष्ट्रीय स्तर पर खर्च हुआ है, वहीं एक भी पैसा बिहार में नहीं लगा।...*(व्यवधान)* ड्रेनेज सिस्टम पर पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर विभिन्न शहरों में 212 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, लेकिन बिहार में एक भी पैसा खर्च नहीं किया

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

गया है। सीवरेज प्रोजेक्ट में 586 करोड़ रुपये गत तीन वर्षों में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर खर्च किये गये हैं लेकिन वहीं बिहार में एक पैसा खर्च नहीं किया गया। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट पर 72 करोड़ रुपये विभिन्न शहरों में इस देश के पैमाने पर खर्च किये गये हैं लेकिन बिहार में न तो एक पैसे की स्वीकृति दी गई और न ही एक पैसा बिहार में खर्च किया गया।

रोड के सैक्टर में जो आज शहरों में परिवहन की समस्या बनती चली जा रही है, जाम लगते जा रहे हैं और ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल धवस्त होता जा रहा है, रोड सैक्टर में 268 करोड़ रुपये राष्ट्रीय पैमाने पर गत तीन वर्षों में खर्च किये गये हैं। लेकिन बिहार में एक नया पैसा खर्च नहीं किया गया है। उसी तरह से वाटर कंजर्वेशन एंड पार्किंग प्रोजेक्ट्स जो डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के विषय हैं लेकिन गत तीन वर्षों में इन पर एक भी पैसा बिहार में खर्च नहीं हुआ है। अकेले ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप प्रश्न पूछिए।

श्री जगदानंद सिंह : अध्यक्ष महोदया, 847 करोड़ रुपये देश के पैमाने पर खर्च किये गये हैं और केवल इसी में 12 करोड़ रुपया बिहार को मिला हुआ है। यानी मेरा प्रश्न यह है कि क्या बिहार राज्य से योजनाएं नहीं भेजी गई या बिहार राज्य को क्या किसी धनराशि की आवश्यकता नहीं है या बिहार राज्य की शहरी आबादी को कोई समस्या नहीं है या बिहार राज्य की समस्या हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है या केन्द्र की कोई दिलचस्पी नहीं है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपने कितने प्रश्न पूछ लिये हैं? एक प्रश्न के बहाने आपने इतने सारे प्रश्न पूछ लिये और उस पर भूमिका भी उतनी लंबी बांध दी है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती दीपा दासमुंशी : अध्यक्ष महोदया, जो मैंने पहले भी कहा, वह सच है कि बिहार में लीस्ट अर्बेनाइजेशन है। सिर्फ पटना और बोधगया इन दोनों शहरों के लिए स्टेट की तरफ से पैसा मांगा गया था। उसके अलावा जो छोटे-छोटे शहरों के लिए पैसा मांगा गया था, उसमें 7-8 शहरों के नाम आते हैं। बात यह है कि हम लोगों की तरफ से, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से, सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसे की रिलीज के लिए कमिटमेंट किया गया था, उसमें से 211.22 करोड़ रुपए 11 प्रोजेक्ट के लिए कमिटिड थे। इसके अलावा हमने यह भी कहा कि 43.58 करोड़ रुपए अभी भी बिहार के पास बचे हुए हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है। जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत पटना शहर के लिए बहुत सी बसें खरीदने की बात हुई थी मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है लेकिन एक भी बस अभी तक नहीं खरीदी गई है। स्टेट की तरफ से खरीदनी होती है। हमारे पास स्टेट की तरफ से जो प्रोजेक्ट दिया गया था, हम वही प्रोजेक्ट कर सकते हैं। 11 प्रोजेक्ट भेजे गए थे, हमने 11 प्रोजेक्ट हाथ में लिए।

महोदया, मैंने कहा अभी तक दो प्रोजेक्ट का यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं आया है, बाकी प्रोजेक्ट का पैसा रिलीज हुआ है। पहली किश्त रिलीज हुई है, डीपीआर अभी तक तैयार नहीं किया गया है। सीटी प्लान भी तैयार नहीं है। सीएजी की तरफ से भी प्रश्न उठा है क्योंकि जब तक डीपीआर तैयार नहीं होता है पैसा रिलीज नहीं हो सकता है। माननीय सांसद ने जो बात कही है, ठीक कही है, जब पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है तो छोटे शहरों को लिया जाए। इसमें तीन शहर थे, एक किशनगंज, दूसरा हाजीपुर और तीसरा बिहारशरीफ है। इनके लिए प्रोजेक्ट भेजे गए थे लेकिन इनकी कास्ट बहुत ज्यादा थी इसलिए मिनिस्ट्री से इसके लिए सैंक्शन नहीं मिली है। अभी भी पैसा पड़ा हुआ है लेकिन अगर ये पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं देंगे तो बिहार में दोबारा पैसा नहीं जा सकता है।

[अनुवाद]

डा. रतन सिंह अजनाला : महोदया, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, सरकार की विफलता है। मैं इसे विफलता इसलिए कहता हूं क्योंकि इसमें अभी तक दस प्रतिशत कार्य भी पूरा नहीं हुआ है तथा योजना के अंतर्गत 35 प्रतिशत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होने हेतु एक सामान्य नगर निगम के लिए मानदंड काफी जटिल हैं। अधिकांश नगर निगम 63 प्रतिशत संसाधन नहीं जुटा पाते हैं। जेएनएनयूआरएम के समक्ष इस स्थिति में जो समस्याएं हैं उसमें योजना का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए सरकार का क्या विचार है?

श्री कमल नाथ : महोदया, पहले हमें योजना के बारे में कतिपय बातों को समझना होगा। माननीय सदस्यों के लाभार्थ मैं सदस्यों द्वारा समय-समय पर जेएनएनयूआरएम की अवधारणा के बारे में बताना चाहूंगा।

जेएनएनयूआरएम के दो संघटक हैं, नामतः यूआईजी तथा यूआईडीएसएसएमटी। यूआईडीएसएसएमटी छोटे शहरों के लिए है। यह केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उनकी विभिन्न परियोजनाओं के

वित्तपोषण में सहायता पहुंचाने का एक प्रयास है। परियोजना प्रस्ताव राज्य से केंद्र के पास आना चाहिए। सरकार को डीपीआर तैयार करना पड़ता है तथा इसे केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है।

अब माननीय सदस्य कहते हैं कि यह पूरी तरह से विफल है। मैं इस एकतरफा वक्तव्य से सहमत नहीं हूं क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कुछ सप्ताह पहले मुझसे मिले थे और मैंने उनसे पूछा था कि पंजाब ने विगत कई वर्षों में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत क्यों नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सुधारों में उनके समक्ष कठिनाइयां हैं। लेकिन मैं खुश हूं जबकि उन्होंने यह सूचित किया है कि पंजाब सुधारों में काफी आगे है तथा अब उन्होंने प्रस्ताव दिए हैं। अब प्रस्ताव देने के बाद यह समझा जाना चाहिए कि जेएनएनयूआरएम-एक पूरा हो गया है और सरकार के अंदर जेएनएनयूआरएम-दो पर विचार-विमर्श चल रहा है और सरकार जेएनएनयूआरएम-दो के लिए प्रतिबद्ध है। हम निश्चित रूप से पंजाब सरकार द्वारा अपेक्षित सुधारों के बाद एक माह पहले दी गई परियोजनाओं की जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने बड़े शहरों के विकास के लिए जेएनएनयूआरएम और छोटे शहरों के विकास के लिए यूडीआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत योजनाएं चलाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 2010 में फिर 13 जून, 2011 को अपनी कमेटी से एप्रूवल कराकर 24 शहरों जिनमें सतनानगर की 24 करोड़ की योजना शामिल थीं, के लिए भेजी थी। पिछले सत्र में मैंने सवाल किया था तब माननीय मंत्री जी ने स्वयं इस हाउस में इस बात को कहा था कि मैं कह रहा हूं। मेरे द्वारा पूछे गए अनस्टार्ड क्वैश्चन संख्या 1970 में जवाब आया है, जिसमें कहा गया है कि वहां की एसएलएससी कमेटी ने एप्रूवल अवश्य दिया है, लेकिन हम इसे नहीं करेंगे। मेरे पास इस तरह का जवाब माननीय मंत्री जी की ओर से आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के साथ ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है और विशेष रूप से मेरे लोक सभा क्षेत्र सतना के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैडम, कोई भेदभाव नहीं है। जब तक राज्य की एसएलसीसी कमेटी ने इसकी रिकमैंडेशन भेजी, बहुत समय गुजर गया था। माननीय सदस्य ने मेरे से बात की थी, मैंने उनसे कहा था कि मैं इस पर आवश्यक विचार करूंगा। सतना को हम उपेक्षित नहीं रखना चाहते। अब जब जेएनएनयूआरएम-2 आयेगा तो इस पर विचार किया जायेगा और माननीय सदस्य से मिलकर इसमें सुधार किया जायेगा। इसकी योजना में सुधार की आवश्यकता है, डीपीआर में सुधार की आवश्यकता है, हम उसमें आवश्यक सुधार करेंगे।

लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कहा है कि मध्य प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मैं इसकी निन्दा करता हूं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा पैसा मध्य प्रदेश को गया है। आपने अपनी विधान सभा में, अपनी कैबिनेट में...*(व्यवधान)* यह गलत बात है, यह मत कहिये, इससे आपको नुकसान होगा। आपने अपनी कैबिनेट में और मध्य प्रदेश की विधान सभा में खुद इसे एप्रिशिएट किया था। इसलिए कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो गति होनी चाहिए, वह गति नहीं थी, इसीलिए इसमें देरी हुई।

श्री रेवती रमन सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी आपने कई प्रदेशों के बारे में बताया। मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहता हूं कि आपकी जो विभिन्न स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में आपने कितना पैसा दिया, उनमें कितना पैसा खर्च हुआ और कितना पैसा खर्च नहीं हुआ? अगले महीने इलाहाबाद में महाकुंभ लगने जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने सीवरेज के लिए पैसा दिया था, उसके बनने के बाद नालों का कितना एमलीडी गंदा पानी गंगा और यमुना में जायेगा, क्या आपके पास इसका कोई ब्यौरा है? यदि आपके पास ब्यौरा है तो देने की कृपा करें।

श्रीमती दीपा दासमुंशी : मैडम, माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा है, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि हाथ में जो नम्बर आफ प्रोजैक्ट्स लिये गये हैं, यूआईजी में 33 प्रोजैक्ट्स हैं, जिनमें आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ और वाराणसी आते हैं और यूआईडीएसएसएमटी में 46 प्रोजैक्ट्स को लिया गया है। जिन प्रोजैक्ट्स का काम खत्म हो चुका है, मैं उनके बारे में बताना चाहती हूं। 33 प्रोजैक्ट्स में सिर्फ चार प्रोजैक्ट्स अभी तक कम्पलीट हुए हैं और 46 प्रोजैक्ट्स में सिर्फ 25 प्रोजैक्ट्स यूआईडीएसएसएमटी में खत्म हो चुके हैं। क्योंकि अभी दो साल का समय है। इस जेएनएनयूआरएम मिशन को दो साल के लिए एक्सटैंड किया गया है। इसलिए जो पैसा अभी तक आया है, यूपी के बारे में एक अच्छी चीज है कि वहां रिफार्म्स अच्छे तरीके से हो रहे हैं और रिफार्म्स अच्छे होने के कारण अभी तक 33 प्रोजैक्ट्स यूआईजी के अंडर सैंक्शन 18 प्रोजैक्ट्स लिये गये हैं और वे सारी चार इंस्टालमैंट्स ले चुके हैं। इसका मतलब यूसी अच्छे तरीके से दिया है। लेकिन कुछ प्रोजैक्ट्स ऐसे हैं, जहां अभी

तक युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। लेकिन अभी भी हाथ में टाइम है,...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप ड्रेनेज के बारे में बताइये।

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप चेयर को एड्रैस कीजिए। श्री चंद्रकांत खैरे, आप बोलिये।

श्री कमल नाथ : इसके बारे में मैं इन्हें अलग जवाब दे दूंगा। लेकिन मैं यह बात जोड़ना चाहूंगा कि मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री से निवेदन किया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि वह जल्दी ही अगले एक-दो महीने में उत्तर प्रदेश की और योजनाएं देंगे और हम उन्हें आवश्यक प्राथमिकता देंगे।

श्री चंद्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जेएनएनयूआरएम का सैंकिंड फेज अभी बनने वाला है। क्योंकि जिन शहरों की दस लाख की आबादी रही है, लास्ट टाइम उन्हीं 63 शहरों को उन्होंने लिया था। मैंने गत वर्ष भी बड़ा प्रयास किया था कि हमारे शहर संभाजीनगर औरंगाबाद को भी आप जेएनएनयूआरएम में लें। लेकिन अभी महाराष्ट्र के जो शहर हैं, दस लाख से ऊपर की आबादी के दायरे में आ गए हैं, उनमें मेरा शहर भी सन् 2011 की सेंसस में आया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह अभी सन् 2014 तक हो गया है, लेकिन जो सेकंड जेएनएनयूआरएम लेंगे, उसमें मेरा शहर इसलिए लेना चाहिए कि इसको महाराष्ट्र का टूरिज्म कैपिटल कहा जाता है क्योंकि यहां पर अजंता एलोरा और बाकी टूरिस्ट जगहें हैं। अभी म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के माध्यम से पूरा प्रोजेक्ट सबमिट होने जा रहा है। आदरणीय मंत्री जी को हम लोग 18 तारीख को मिलने वाले हैं। सेनिटेशन, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट और रोड्स का मैनेजमेंट आदि उसमें डिवेल्पमेंट होना चाहिए। यूआईडीएसएसएमटी के माध्यम से वाटर सप्लाई को प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया है। इस तरह का सबसे पहला पीपीपी का प्रोजेक्ट हमारे यहां होने जा रहा है। उसी तरह से जेएनएनयूआरएम में अगर हमारा शहर काउंट हो गया तो हमारा शहर और भी बड़ा टूरिस्ट कैपिटल बन जाएगी और टूरिस्टों की संख्या बढ़ सकती है।

मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से ये सारी मदद हमें मिलेगी। कृपया इस बारे में आश्वासित कीजिए।

श्री कमल नाथ : महोदया, जब जेएनएनयूआरएम शुरू हुआ था, तब सन् 2011 का सेंसस नहीं था। अब सन् 2011 में अपनी जनसंख्या के आधार पर औरंगाबाद पात्र बना है। जेएनएनयूआरएम-2 में हम इस पर अवश्य विचार करेंगे।...*(व्यवधान)* अब इनकी योजना यूआईजी में पात्र हो गई है, हम अब इस पर विचार करेंगे। इसमें दो राय नहीं है कि औरंगाबाद का अपना महत्व है। साथ ही माननीय सदस्य ने कहा है कि उन्होंने यह प्रोजेक्ट पीपीपी में दिया है। मैं सभी माननीय सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि हम पीपीपी को प्राथमिकता देंगे। लेकिन बहुत ही कम पीपीपी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अन्य राज्यों से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि पीपीपी प्रोजैक्ट्स भी वे भेजें क्योंकि हमे पीपीपी प्रोजैक्ट्स में प्राइवेट सैक्टर इंवेस्टमेंट लगा सकते हैं।

मॉडल स्कूल

\+

***263. श्री पन्ना लाल पुनिया :**
श्री प्रदीप माझी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ब्लाक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत के भागीदारी पैटर्न को जारी रखने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकारी-निजी भागीदारी पद्धति के अंतर्गत मॉडल स्कूल स्थापित करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे स्कूल स्थापित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई और ऐसे स्कूलों की राज्य-वार संख्या और अवस्थिति क्या है, जो अब तक शुरू किये जा चुके हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान ऐसे स्कूल स्थापित करने हेतु राज्य-वार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है तथा इस प्रयोजन हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) सहकारी-निजी भागीदारी पद्धति (पीपीपी) के अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले मॉडल स्कूलों सहित प्रस्तावित मॉडल स्कूल कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) ब्लॉक स्तर पर 6000 मॉडल स्कूलों को स्थापित करने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना नवम्बर, 2008 में शुरू की गई थी। इनमें से 3500 स्कूल राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के माध्यम से शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाने हैं तथा शेष 2500 स्कूल सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति के तहत उन ब्लॉकों में जो शैक्षिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, स्थापित किए जाने हैं। इस योजना के राज्य क्षेत्र घटक के तहत केन्द्र और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के बीच अनुमोदित हिस्सेदारी पैटर्न सभी राज्यों के लिए 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रमशः 75:25 और 50:50 था। दोनों योजनावधियों में विशेष श्रेणी के राज्यों और सभी राज्यों में अपग्रेडिड आश्रम स्कूलों के लिए ऐसा हिस्सेदारी पैटर्न जारी रखने के लिए अनुमोदन दिया था। मॉडल स्कूल योजना के सार्वजनिक-निजी भागीदारी घटक का कार्यान्वियन 2012-13 से शुरू किया गया है। इस प्रयोजन हेतु निजी संस्थाओं की पूर्व अर्हता के निर्धारण के लिए मांगे गए अर्हता आवेदन के प्रत्युत्तर में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) योजना के प्रारंभ से लेकर 30.11.2012 तक, 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 2973 ब्लॉकों में मॉडल स्कूल स्थापित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 22 राज्यों के 2266 ब्लॉकों में मॉडल स्कूलों को अनुमोदित कर दिया गया है। 21 राज्यों में 1880 मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए 2110.80 करोड़ रुपए की राशि की वित्तीय संस्वीकृति दी जा चुकी है। प्राप्त प्रस्तावों, अनुमोदित प्रस्तावों, संस्वीकृत स्कूलों तथा जारी की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है। स्कूलों के लिए स्थान का निर्धारण राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाता है तथा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार में परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है। मॉडल स्कूल अधिमानतः ब्लॉक मुख्यालयों में स्थापित किए जाते हैं, जहां पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्वामित्व वाले अपेक्षित भूखण्ड की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अभी तक 8 राज्यों में 473 मॉडल स्कूलों ने कार्य करना शुरू कर दिया है जिनके लिए स्थानों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है।

(ङ) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में मॉडल स्कूलों का अनुमोदन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्भर करता है तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों को छोड़कर अन्य ब्लॉकों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत यह पात्र निजी संस्थाओं द्वारा दिखाई गई रुचि पर निर्भर करता है।

अनुबंध-I

मॉडल स्कूलों के संबंध में 2009-10 से 30.11.2012 तक का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	उन ब्लॉकों की संख्या जिनके लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए	अनुमोदित स्कूलों की संख्या	उन स्कूलों की संख्या जिनको वित्तीय संस्वीकृति प्रदान की गई	जारी की गई राशि				
					2009	2010	2011	2012	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	666	589	355	0.00	0.00	412.09	0.00	412.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	80	67	67	0.00	39.09	63.45	8.35	110.89
4.	बिहार	411	368	368	18.85	100.06	0.00	203.53	322.44
5.	छत्तीसगढ़	74	74	74	22.65	58.89	2.32	0.00	83.86
6.	गुजरात	85	84	83	0.00	69.29	0.00	26.72	96.01
7.	हरियाणा	36	36	36	0.00	12.55	0.00	0.00	12.55
8.	हिमाचल प्रदेश	5	5	5	6.78	0.00	0.00	0.00	6.78
9.	जम्मू और कश्मीर	24	19	19	25.82	0.00	0.00	0.00	25.82
10.	झारखंड	121	89	40	0.00	0.00	46.43	0.00	46.43
11.	कर्नाटक	74	74	74	83.80	0.00	0.00	0.00	83.80
12.	मध्य प्रदेश	201	201	201	37.37	0.00	195.01	0.00	232.38
13.	महाराष्ट्र	43	43	43	0.00	0.00	29.27	20.65	49.92
14.	मेघालय	9	9	9	0.00	0.00	15.03	0.00	15.03
15.	मिजोरम	1	1	1	1.36	0.00	0.00	1.729	3.089
16.	नागालैंड	11	11	11	7.47	0.00	6.00	6.66	7.47
17.	ओडिशा	162	111	111	0.00	0.00	128.85	0.00	128.85
18.	पंजाब	21	21	21	23.78	23.78	0.00	0.00	47.56
19.	राजस्थान	174	160	134	0.00	91.71	49.92	0.00	141.63
20.	तमिलनाडु	44	44	44	20.25	0.00	10.44	40.496	71.186
21.	त्रिपुरा	6	6	0	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
22.	उत्तर प्रदेश	622	193	148	0.00	56.13	157.67	0.00	171.80
23.	पश्चिम बंगाल	67	61	36	3.58	19.07	0.00	18.57	41.22
24.	उत्तराखंड	19	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	2973	2266	1880	251.71	470.57	1068.48	320.045	2110.805

अनुबंध-II

कार्य कर रहे मॉडल स्कूलों की राज्य-वार सूची

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्कूलों की संख्या	ब्लॉक
1	2	3	4
1.	पंजाब	21	1. संगत
			2. तलवंडी साबो
			3. मंडी फूल वेस्ट/मोड़
			4. खुहियां सरवर
			5. अबोहर
			6. फाजिलका
			7. जलालाबाद
			8. ममदोत
			9. फिरोजपुर
			10. मानसा
			11. बुढलाडा-I/भीक्खी
			12. बरेटा/बुढलाडा स्थित बुढलाडा-II
			13. झुनीर-I
			14. सरदुलगढ़ स्थित झुनीर-II
			15. लाम्बी
			16. मुक्तसर
			17. समाना-I/पतरन स्थित समाना-I
			18. लेहरा गागा
			19. अनदाना
			20. साउनम
			21. वालटोहा
2.	कर्नाटक	74	1. रामादुर्ग
			2. परसगड (साउदाती)
			3. बिलागी
			4. मुधोल
			5. बागलकोट
			6. बादामी
			7. हुंगुंड
			8. बीजापुर
			9. सिंधागी
			10. बी. बगेवाडी
			11. मुद्देबिहल
			12. झण्डी
			13. अलन्द
			14. अफज़ापुर
			15. गुलबर्गा
			16. चिंचोली
			17. चीतापुर
			18. बसावाकल्यान
			19. बीदर

1	2	3	4
			20. हुमनाबाद
			21. औरद
			22. लिंगासुर
			23. देवदुर्गा
			24. मानवी
			25. रायचूर
			26. सिंधानुर
			27. येलबर्गा
			28. कुसतागी
			29. गंगावथी
			30. कोपल
			31. रोना
			32. मुन्दारगी
			33. धारवाड़
			34. कलघाटगी
			35. एच. बोमानाहाली
			36. होसपेट
			37. सिरागुप्पा
			38. बेलारी
			39. सन्दुर
			40. कुडीलिगी
			41. मोलकालमुर
			42. चलाकेरे

1	2	3	4
			43. हरपनहाली
			44. पवागाडा
			45. गुडीबेंडे
			46. बागेपाली
			47. चिंतामणि
			48. श्रीनिवासपुर
			49. बंगारपेट
			50. मुलेबागिलु
			51. गारीबिदानुर
			52. चानापटना
			53. कनकपुर
			54. होलेनारासीपुर
			55. के.आर. नगर
			56. हुन्सुर
			57. मैसूर
			58. हेगादादवेनकोटे
			59. ननजनगुड
			60. टी. नरसीपुर
			61. गुंडलापेट
			62. चामराजनगर
			63. येलेन्दुर
			64. कोलेगल
			65. पानवापुर

1	2	3	4
			66. मालावली
			67. गोकक
			68. रायाबाग
			69. सीदम
			70. शाहपुर
			71. सुरपुर
			72. यादगीर
			73. जामाखंडी
			74. जेवारगी
3.	गुजरात	12	1. अमीरगढ़
			2. दंता
			3. खेडब्रह्मा
			4. दाहोद
			5. झालोद
			6. लिमखेडा
			7. संतरामपुर
			8. छोटा उदयपुर
			9. नसवाडी
			10. कावंत
			11. पवी जैतपुर
			12. देदियापाडा
4.	तमिलनाडु	18	1. नल्लौर
			2. पनरुति
			3. पेन्नाग्राम
			4. शूलगिरि
			5. केलामंगलम
			6. अम्मापट्टी
			7. नाम्बीयर
			8. मूलानूर
			9. कद्दवूर
			10. कोलीहिल्स
			11. एडापडी
			12. कडयमपट्टी
			13. कोंगनापुरम
			14. एस. पुद्दुर
			15. थियागादुर्गम
			16. रिषिवन्धियम
			17. कालाकुरिची
			18. थिरूकोइलूर
5.	छत्तीसगढ़	74	1. लोरमी
			2. भोपाल पट्टनम
			3. छिंदगढ़
			4. जिदम
			5. कुआकोंडा
			6. सुकमा
			7. उसूर

1	2	3	4
			8. बिमेत्रा
			9. धर्मजयगढ़
			10. बटाउली
			11. भैयाथन
			12. कुसमी
			13. लखनपुर
			14. लूंदरा
			15. मेनपट
			16. ओदगी
			17. प्रतापपुर
			18. राजपुर
			19. रामचन्द्रपुर
			20. सीतापुर
			21. बस्तर
			22. कोंडागांव
			23. जगदलपुर
			24. टोकापाल
			25. दरभा
			26. लोहानदीगुडा
			27. बस्तानर
			28. माखदी
			29. बाकावंद
			30. फारसगांव

1	2	3	4
			31. बराजपुर
			32. केशकल
			33. बेहरामगढ़
			34. बीजापुर
			35. बिलहा
			36. गोरेला
			37. कोटा
			38. मारवाही
			39. मस्तूरी
			40. मूंगेली
			41. पाथारिया
			42. पेंडरा
			43. तख्तपुर
			44. दांतेवाड़ा
			45. काटेकल्याण
			46. कोंटा
			47. पामगढ़
			48. बगीचा
			49. कंसाबल
			50. पथालगांव
			51. कवारदा
			52. प्रनादारिया
			53. बोदला

1	2	3	4
			54. कौरबा
			55. करताला
			56. करतघोरा
			57. पाली
			58. पोंडयूपरोरा
			59. खाडगांवन
			60. मनेन्द्रागढ़
			61. भरतपुर
			62. नारायणपुर
			63. ओरझा (बस्तर जिले में एमडीएम सूची में)
			64. लालुंगा
			65. देवभोग
			66. मेनपुर
			67. बिलाईगढ़
			68. कसदोल
			69. बलोदाबाजार
			70. बातापरा
			71. अम्बिकापुर
			72. सूरजपुर
			73. उदय पुर
			74. वदरफनगर
6.	मध्य प्रदेश	201	1. मंगोली
			2. ईसागढ़
			3. बरासिया
			4. खाकनर
			5. बुरहानपुर
			6. गोरीहार
			7. बिजावर
			8. बक्सवाहा
			9. तमिया
			10. अमरवदा
			11. परसिया
			12. जमाई
			13. भितरवार
			14. घाटीगांव
			15. खिरकिया
			16. सोहागपुर
			17. बबई
			18. बैंकहेदी
			19. शाहपुर
			20. हरसूद
			21. पमधाना
			22. बलादी (किलोद)
			23. पन्ना
			24. पवई

1	2	3	4
			25. बान्दा
			26. बांदा
			27. खुराई
			28. मलथोन
			29. शाहगढ़
			30. बसोदा
			31. नतारन
			32. सिरोंग
			33. लतारी
			34. अलीराजपुर
			35. भाबरा
			36. जोबट
			37. कठीवाड़ा
			38. सोनदवा
			39. उदयगढ़
			40. अनूपपुर
			41. जैथाहरी
			42. कोटमा
			43. पुष्पराजगढ़
			44. अशोकनगर
			45. चन्देरी
			46. बैहर
			47. बिरसा

1	2	3	4
			48. बरवानी
			49. निवाली
			50. पानसेमल
			51. पाती
			52. राजपुर
			53. सेन्धवा
			54. भीमपुर
			55. घोराडोंगरी
			56. शाहपुर
			57. गोहड
			58. फंदा
			59. बड़ामलेहरा
			60. छत्तरपुर
			61. लौंडी
			62. नवगांव
			63. राजनगर
			64. हरराय
			65. बातियागढ़
			66. दमोह
			67. हाट्टा
			68. जबेरा
			69. पतेरा
			70. पथारिया

1	2	3	4
			71. तेंदुखेडा
			72. बागली
			73. देवास
			74. कन्नौद
			75. खटेगांव
			76. सोनाकच्छ
			77. टॉकखुर्द
			78. बदनावर
			79. बाग
			80. दही
			81. धार
			82. धर्मपुरी
			83. गंधवानी
			84. कुकशी
			85. मनावर
			86. नलचा
			87. निसारपुर
			88. सरदारपुर
			89. तिरला
			90. उमरबंद
			91. अमरपुर
			92. बजाग
			93. दीनदौरी

1	2	3	4
			94. करनजिया
			95. मेहदवाणी
			96. समानापुर
			97. शाहपुरा
			98. आरोन
			99. बमोरी
			100. चचोदा
			101. गुना
			102. रघुगढ़
			103. दाबरा
			104. मोरार
			105. देपालपुर
			106. इंदौर
			107. मौऊ
			108. सनवेर
			109. कुंदम
			110. झबुआ
			111. मेघनगर
			112. पेटलावार
			113. राम
			114. रानापुर
			115. थानडला
			116. बहोरीबन्द

1	2	3	4
			117. बरवारा
			118. धीमरखेड़ा
			119. कटनी
			120. रिथी
			121. विजयराघवगढ़
			122. खलवा
			123. भगवानपुरा
			124. झीरनिया
			125. बिच्छिया
			126. बिजाडंडी
			127. घुघोरी
			128. मवाई
			129. मोहगांव
			130. नारायणगंज
			131. निवास
			132. भानपुरा
			133. गरोथ
			134. जौरा
			135. कैलारस
			136. मुरैना
			137. पहाड़गढ़
			138. सबलगढ़
			139. जवाद

1	2	3	4
			140. मनासा
			141. नीमच
			142. अजयगढ़
			143. बायोरा
			144. खिलचीपुर
			145. नरसिंहगढ़
			146. राजगढ़
			147. सारंगपुर
			148. जीरापुर
			149. बाजना
			150. सेलाना
			151. गंजयू
			152. हनुमाना
			153. जावा
			154. मौगंज
			155. नईगढ़ी
			156. तयोंथार
			157. मेहर
			158. मझगांव
			159. रामनगर
			160. उछेरा
			161. आस्ता
			162. इछावर

1	2	3	4
			163. श्योहोर
			164. लखनदोन
			165. बियोहरि
			166. बुधार
			167. गोपारू (पाली नं.1)
			168. जयसिंहनगर
			169. सोहगपुर
			170. अगर
			171. बाडोड
			172. कराहल
			173. श्योपुर
			174. विजयपुर
			175. बदरवास
			176. करेरा
			177. खनियाधाना
			178. कोलारस
			179. पिछोड़े
			180. पोहारी
			181. शिवपुरी
			182. कुसमी
			183. मझौली
			184. रामपुर नैकिन
			185. सिद्धि

1	2	3	4
			186. सिहावल
			187. चितरंगी
			188. देवसर
			189. वैधान
			190. बालदेवगढ़
			191. जतारा
			192. निवादी
			193. पलेरा
			194. पृथ्वीपुर
			195. टीकमगढ़
			196. घाटिया
			197. खचरोड़
			198. महीदपुर
			199. उज्जैन
			200. गोहपारू
			201. करकेली
7.	झारखंड	40	1. मानिका
			2. कुन्दा
			3. लौलंग
			4. बरखाटा
			5. चौपारन
			6. तिसरी
			7. गावन

1	2	3	4
			8. बगोडर
			9. गनदेय
			10. बिरनी
			11. देवारी
			12. धनवर
			13. गिरिडीह (सदर)
			14. बेंगाबाद
			15. डुमरी (बालथारिया)
			16. पिरटानर
			17. बोरियो
			18. बरहेट
			19. मांडरो
			20. तलझारी
			21. लिट्टीपाड़ा
			22. पाकुर
			23. जरमुंडी
			24. रानेश्वर
			25. शिकारीपाड़ा
			26. मसालिया
			27. सारियाहाट
			28. रामगढ़
			29. टुंडी
			30. बेड़ो

1	2	3	4
			31. इरकी (तमाड-II)
			32. कर्रा
			33. खूंटी
			34. किस्को
			35. भंडरा
			36. जलदेगा
			37. मनोहरपुर
			38. इचागढ़
			39. निमडीह
			40. डुमारई
8.	महाराष्ट्र	33	1. मांठा
			2. बदनापुर
			3. घनसावंगी
			4. जालना
			5. अम्बाद
			6. भोकरधान
			7. पारतूर
			8. गेवाराय
			9. बादावनी
			10. मुदखेड
			11. उमरी
			12. धरमावाद
			13. बिलोली

1	2	3	4
		14.	परभानी
		15.	गंगाखेड
		16.	जिन्तूर
		17.	पूरना
		18.	पथ्री
		19.	सेलूर
		20.	मानवत
		21.	हिंगोली
		22.	तलसारी
		23.	गगनवावाड़ा
		24.	पेठ
		25.	सुरगना
		26.	धनोड़ा
		27.	अट्टापल्ली
		28.	भामरगढ़
		29.	अहारी
		30.	सिरोंचा
		31.	शहादा
		32.	तालोड़ा
		33.	धाड़गांव

[हिन्दी]

श्री पन्ना लाल पुनिया : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सबसे पहले माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस उत्तर में विस्तृत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। ये योजना विशेष रूप से शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े जनपद हैं और जो पिछड़े ब्लाक हैं, उनमें माडल स्कूल खोलने से संबंधित है। नवंबर, 2008 में प्रारंभ की गई इस योजना में 6000 मॉडल स्कूल खोलने का लक्ष्य रखा गया था। उसमें साढ़े तीन हजार मॉडल स्कूल केवल जो शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े ब्लाक हैं, उनमें खोले जाने थे। बाकी ढाई हजार माडल स्कूल, उन ब्लाकों में खोले जाने थे, जो कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं। वे स्कूल पीपीपी मॉडल से खोले जाएंगे। प्रथम चरण में यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा की दृष्टि से जो साढ़े तीन हजार पिछड़े ब्लाक हैं, उन्हीं में माडल स्कूल खोले जाएं। यह योजना सन् 2008 में प्रारंभ होने के बाद जो आंकड़ें आपने प्रस्तुत किए हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। साढ़े तीन हजार के लक्ष्य के विपरीत केवल 2973 प्रस्ताव प्राप्त हुए और इस तरह से लक्ष्य के विपरीत 527 ब्लाकों के प्रस्ताव अभी नहीं आए हैं। 2973 में से जो अप्रूव हुए हैं, उसमें से केवल 2266 ब्लाकों के प्रस्ताव अप्रूव हुए हैं। भारत सरकार से जो फाइनेंशियल सेंक्शन जारी हुई है, उसमें भी 400 कम, 1880 स्कूलों की ही सेंक्शन जारी हुई है। इस तरह से 2110 करोड़ रुपये जारी हुए हैं।

एक अन्य प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि एक माडल स्कूल पर लगभग तीन करोड़ रुपया लगता है। अगर 1,880 ही फाइनैंशियल सैंक्शन मान लिया जाये तो भी मैं समझता हूं कि लगभग पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा होना चाहिए था, यह धनराशि कम हुई है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि लक्ष्य, स्वीकृति और फाइनैंशियल सैंक्शन जारी करने में मिसमैच है। वास्तव में जो फंक्शनल स्कूल हुए हैं, उसकी संख्या बहुत कम है। जो 2,973 प्रस्ताव प्राप्त हुए, वास्तव में उनमें से अभी तक केवल 477 स्कूल फंक्शनल हैं। यू.पी. सबसे बड़ा प्रदेश है, उसमें 622 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनमें से एप्रूवल केवल 193 हैं।

अध्यक्ष महोदया : अब आप प्रश्न पूछिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : केवल 148 स्कूल्स का पैसा रिलीज हुआ, 171 करोड़ रुपया, लेकिन कोई भी स्कूल अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। माननीय मंत्री जी यह कह सकते हैं कि राज्य सरकार इसे करेगी, लेकिन मैं समझता हूं यह पल्ला झाड़ने वाली बात होगी।

अध्यक्ष महोदया : आप प्रश्न पूछिए।

श्री पन्ना लाल पुनिया : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता

हूं कि इस महत्वपूर्ण योजना की लक्ष्य के विपरीत प्रगति बहुत कम है, क्या इसके लिए कोई विशेष मोनिटरिंग की व्यवस्था करके प्रगति को आगे बढ़ायेंगे, ताकि इसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके?

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने काफी महत्वपूर्ण योजना के बारे में कहा है जो कि वर्ष 2007 में प्रधानमंत्री के भाषण से अस्तित्व में आयी है जिसमें उन्होंने केन्द्रीय विद्यालय पैटर्न पर इन स्कूलों के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की है जिसमें 6000 आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक कवर होंगे। इनमें से 3500 का वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाएगा तथा 2500 का वित्त पोषण सरकार द्वारा किया जाएगा तथा 2500 का वित्त पोषण पीपीपी मॉडल के आधार पर किया जाएगा। अनेक विद्यालयों को स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, 8 राज्यों में केवल 477 स्कूल खोले गए हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि राज्य अपने हिस्से की निधियां उपलब्ध नहीं करा रहे हैं और दूसरा कारण उन निधियों का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने के बारे में विलंब है, जो यहां से भेजे गए हैं और कभी-कभी इन मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए विहित मानदंडों को पूरा भी नहीं किया जाता है। यही कारण है कि ये स्कूल अभी तक नहीं खुले हैं।

अतः मैं राज्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कार्यों में समन्वय करें क्योंकि यह सेकेण्डरी शिक्षा की क्षमता में वृद्धि करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है तथा इससे सेकेण्डरी शिक्षा में गुणवत्ता पहलू का समावेश किया है। मैं आशा करता हूं कि राज्य उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने तथा स्कूल खोलने के लिए अपने हिस्से की निधियां उपलब्ध कराने में शीघ्रता करेंगे।

[हिन्दी]

श्री घनश्याम अनुरागी : मंत्री जी, इसमें राज्यों का हिस्सा कितना है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अनुरागी जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहान : महोदया, मैंने कल कोयला वाला मामला उठाया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइये। अभी आपको मौका दे देंगे। उन्हें प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप जीरो आवर में बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : दारा सिंह जी, आप जीरो आवर में बोलिएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अभी दूसरा विषय चल रहा है, अभी इसे कैसे लें?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप इसे जीरो आवर में उठाइएगा। अब बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.44 बजे

इस समय श्री दारा सिंह चौहान, डॉ. बलीराम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप अभी बैठिये, इसे जीरो आवर में ले लेंगे। उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)...*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप अपना प्रश्न जल्दी खत्म कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री पन्ना लाल पुनिया : महोदया, मैं अपने लोक सभा क्षेत्र बाराबंकी के बारे में पूछना चाहता हूं। वहां की जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के हिसाब से 32 लाख 50 हजार है और वहां की साक्षरता केवल 63.7 प्रतिशत है।...*(व्यवधान)* प्रदेश स्तर से भी वह साक्षरता 6 परसेंट कम है।...*(व्यवधान)* अगर राष्ट्रीय मानक के हिसाब से देखा जाए तो वह साक्षरता 9 प्रतिशत से कम है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के मानकों के अनुसार सारे के सारे 15 ब्लाक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हैं, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहां एक भी विद्यालय स्वीकृत नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ऐसे जनपद जिसमें सारे के सारे ब्लाक पिछड़े हों, पूरा जनपद शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हो, क्या आप वहां के लिए अलग से व्यवस्था करेंगे? केवल राज्य सरकार पर छोड़ देना कि राज्य सरकार के अधीन आता है और वहां से प्रस्ताव आएगा तो विचार किया जाएगा... *(व्यवधान)* मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार की तरफ से अलग से टीम भेजकर इसकी व्यवस्था कराने का प्रावधान करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.एम. पल्लम राजू : अध्यक्ष महोदया, बाराबंकी में कुल 16 आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक हैं। इन सभी की आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राज्य सरकार से आए गए प्रस्ताव में 16 ब्लॉकों में बाराबंकी के 4 ब्लॉक प्रस्ताव के भाग हैं।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

हवाई सुरक्षा

***264. श्री एस.एस. रामासुब्बू :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश के विभिन्न विमानपत्तनों पर विमान की संभावित दुर्घटनाओं अथवा दुर्घटनाओं की आसन्न स्थिति के अनेक मामलों में कथित रूप से बचाव कर लिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विमानपत्तन, विमान कंपनी और घटना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और यदि नहीं, तो घटना-वार इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में हवाई सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में कुल 65 एयरप्रॉक्स, की घटनाओं की सूचना प्राप्त हुई। इन एयरप्रॉक्स का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। एयरप्रॉक्स से संबंधित अन्वेषणों के सामान्य निष्कर्षों/परिणाम का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

(i) एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट और एचएफआरटी (हाई फ्रीक्वेंसी रिसीवर/ट्रांसमीटर), प्रचालक (रीड बैक एरर, हीयर बैक एरर, एक्सपेक्टेंसी एरर) द्वारा मानवीय चूक।

(ii) समन्वय संबंधी विफलताएं, जैसे, प्राक्कलनों/उड़ान के स्तर के परिवर्तनों का देर से प्राप्त होना/प्राप्त न होना।

(iii) विमान के एक जैसे कॉल साइन।

(iv) उपकरण/एनएवी एड्स (दिक्चालन सहायता उपस्करों — रेडार) की विफलता।

(v) कुछ मामलों में पाया गया है कि रीड/हीयर बैक की त्रुटि की वजह से पायलट एटीसी द्वारा आवंटित किए गए स्तर से ऊंचाई/नीचे की ओर गलत स्तर पर चला गया।

(vi) ओजेटी (कार्य पर प्रशिक्षण) के दौरान, प्रशिक्षण में कुछ एयरप्रॉक्स तब घटित हुए जब यातायात का संचालन अनुदेशक के पर्यवेक्षण में किसी प्रशिक्षु नियंत्रक द्वारा किया जा रहा था। अनुदेशक को टेकओवर करने में विलंब हुआ अथवा उसने सयम रहते टकराव की स्थिति में सुधार नहीं किया।

(vii) भारी यातायात परिणामस्वरूप दबाव और थकान।

(viii) कुछ एयरप्रॉक्स रेडार के विफल होने की स्थिति में घटित हुए जब रेडार नियंत्रण के स्थान पर प्रक्रियागत नियंत्रण किया गया।

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए:—

(i) नियमित रूप से एटीसीओ (एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर) तथा पायलट दक्षता जांचें की जा रही हैं।

(ii) एटीसीओ की सहायता के लिए प्रणाली में टकराव संबंधी चेतावनी को शामिल करने के लिए एटीसी सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

(iii) यातायात को समीपवर्ती एफआईआर को सौंपने संबंधी समन्वय प्रक्रियाएं तैयार कर ली गई हैं और कोई भी चूक होने की स्थिति में, सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए, संबंधित यूनिटों को बताया जा रहा है।

(iv) जहां भी अपेक्षित होता है, पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रण को सुधारात्मक प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण संबंधी क्रियाविधियों में संशोधन किया गया है।

(v) दुर्घटना/घटना के जोखिम का शमन करने के उद्देश्य से हवाईअड्डों पर संरक्षा प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वियन किया गया है।

(vi) एयरलाइनों को एक जैसे/भ्रामक कॉल साइनों के इस्तेमाल से बचने के निदेश दिए गए हैं।

(vii) हवाई यातायात प्रबंधन में बेहतर निगरानी और विनियामक कार्यों के लिए डीजीसीए में हवाई क्षेत्र और हवाई यातायात प्रबंधन का एक अलग निदेशालय बनाया गया है।

(viii) एयरप्रॉक्स/एटीसी संबंधी घटनाओं के मामलों पर चर्चा करके इनका विश्लेषण किया जाता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

(ix) डीजीसीए द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सीएनएस निदेशालय को एचएफ आरटी नियंत्रक के लिए एटीएम (हवाई यातायात प्रबंधन) या सीएनएस (संचार, दिक्चालन और निगरानी) परिपत्र के रूप में दिशा-निर्देश जारी करने की सलाह दी गई है।

(x) पायलटों के लिए एफडीटीएल (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) में संशोधन किया गया है और इसे सीएआर (नागर विमानन अपेक्षा) सेक्शन-7, सीजीज-जे, पार्ट-III के रूप में जारी किया गया है जो 15 फरवरी, 2012 से लागू है।

विवरण

2010 के दौरान डीजीसीए की रिपोर्ट की गई एयरप्रॉक्स

क्र. सं.	क्षेत्र/एफआईआर	कॉल साइन/उड़ान संख्या/विमान	प्रचालक
1	2	3	4
1.	दिल्ली एफआईआर	यूएई और आईजीओ 257	अमीरात और इंडिगो

1	2	3	4
2.	कोलकाता एफआईआर	आईजीओ 205 और एएफएल 554	इंडिगो और एअरोफ्लोट
3.	दिल्ली एफआईआर	आईएसी 410 और जेएलएल 391	इंडियन एयरलाइंस और जेटलाइट
4.	चेन्नई एफआईआर	यूएई 569 और बीएडब्ल्यू 119	अमीरात और ब्रिटिश एयरवेज
5.	मुंबई एफआईआर	वीयूएनडब्ल्यूबी एंड केएफआर 2802	भारतीय वायु सेना और किंगफिशर एयरलाइंस
6.	मुंबई एफआईआर	केएफआर 3151 और यूएई 302	किंगफिशर एयरलाइंस और अमीरात
7.	मुंबई एफआईआर	जेएआई 2228 और जेएआई 2509	जेट एयरवेज और जेट एयरवेज
8.	दिल्ली एफआईआर	केएफआर 3345 और आईएसी 941	किंगफिशर एयरलाइंस और इंडियन एयरलाइंस
9.	मुंबई एफआईआर	सीएफजी 326 और क्यूटीआर 030	कोंडोर और क्वांटास
10.	दिल्ली एफआईआर	पॉलिकन और फैंटम	भारतीय वायु सेना और भारतीय वायु सेना
11.	चेन्नई एफआईआर	आईएसी 672 और जेएआई 2758	इंडियन एयरलाइंस और जेट एयरवेज
12.	मुंबई एफआईआर	एमएयू 744 और एन 876एच	एयर मॉरीशस और गैर-अनुसूचित ऑपरेटर
13.	मुंबई एफआईआर	आईएसी 174 आसैर जेएआई 2119	इंडियन एयरलाइंसऔर जेट एयरवेज
14.	कोलकाता एफआईआर	एमएएस 6147 और ईआईवाई 081	मलेशियन एयरलाइन और एल अल
15.	चेन्नई एफआईआर	क्यूटीआर 623 और टीडब्ल्यूजी 2653	कतर एयरवेज और गैर-अनुसूचित ऑपरेटर
16.	चेन्नई एफआईआर	केएफआर 2496 और जेएआई 2773	किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज
17.	चेन्नई एफआईआर	जीओडब्ल्यू 205 और आईजीओ 259	गो एयर और इंडिगो
18.	मुंबई एफआईआर	आईजीओ 214 और वीटी-ईआरएम	इंडिगो और गैर-अनुसूचित ऑपरेटर
19.	चेन्नई एफआईआर	528 सेज और जय 515	स्पाइसजेट और जेट एयरवेज
20.	दिल्ली एफआईआर	ईडीडब्ल्यू 50 और एमएयू 74	ईडलवीस एयर और मॉरीशस एयर
21.	दिल्ली एफआईआर	एआईसी 680 और एसईजे 316	एयर इंडिया और स्पाइसजेट
22.	मुंबई एफआईआर	जेएआई 211 और जेएलएल 131	जेट एयरवेज और जेटलाइट
		2011 के दौरान डीजीसीए की रिपोर्ट की गई एयरप्रॉक्स	
1.	दिल्ली एफआईआर	केएफआर 336 और जेएआई 723	किंगफिशर एयरलाइंस और जेट एयरवेज
2.	मुंबई एफआईआर	आईजीओ 319 और एसईजे 803	इंडिगो और स्पाइसजेट
3.	चेन्नई एफआईआर	वीटी-वीएसए और जेएआई 465	गैर-अनुसूचित ऑपरेटर और जेट एयरवेज

1	2	3	4
4.	कोलकाता एफआईआर	आईएसी 213 और सीईएस 758	एयर इंडिया और चीन पूर्वी एयरलाइन
5.	मुंबई एफआईआर	ईएलवाई 071 और यूएई 758	एलएल एयरलाइंस और अमीरात
6.	कोलकाता एफआईआर	आईजीओ 256 और जेएआई 018	इंडिगो और जेट एयरवेज
7.	कोलकाता एफआईआर	पीआईए 276 और क्यूएफए 1	पाकिस्तान एयरलाइंस और क्वांटास
8.	दिल्ली एफआईआर	एआईसी और 840 से आईजीओ 192*	एयर इंडिया और इंडिगो
9.	कोलकाता एफआईआर	केएफआर 4577 और यूएई 572	किंगफिशर एयरलाइंस और अमीरात
10.	दिल्ली एफआईआर	एयूएस 26 और आईआरएम 5045	ऑस्ट्रियन एयर और महान एयर
11.	दिल्ली एफआईआर	यूएई 510 और जीओडब्ल्यू 172	अमीरात और गो एयर
12.	कोलकाता एफआईआर	केएफआर 3168 और बीबीसी 072	किंगफिशर एयरलाइंस और बांग्लादेश एयरलाइंस
13.	दिल्ली एफआईआर	जीओडब्ल्यू 154 और बीएडब्ल्यू 3457	गो एयर और ब्रिटिश एयरवेज
14.	मुंबई एफआईआर	एसईजे 884 और आईजीओ 215	स्पाइसजेट और इंडिगो
15.	कोलकाता एफआईआर	बीएडब्ल्यू 10 और एसएएस 972	ब्रिटिश एयरवेज और स्कैंडिनेवियन
16.	चेन्नई एफआईआर	एसएलके 477 और यूएई 405	सिल्क एयर और अमीरात
17.	चेन्नई एफआईआर	एसईजे 501 और एआईसी 803	स्पाइसजेट और एयर इंडिया
18.	चेन्नई एफआईआर	एआईसी 682 और यूएई 530	एयर इंडिया और अमीरात
19.	चेन्नई एफआईआर	यूएई 522 और यूएई 421	अमीरात और अमीरात एयरलाइन
20.	चेन्नई एफआईआर	एलएलआर 9601 और आईजीओ 523	एलायंस एयर और इंडिगो
21.	चेन्नई एफआईआर	एएक्सबी 348 और यूएई 421	एयर इंडिया एक्सप्रेस और अमीरात एयरलाइंस
22.	कोलाकाता एफआईआर	आईजीओ 011 और केएफआर 511	इंडिगो और किंगफिशर एयरलाइन
23.	चेन्नई एफआईआर	एएक्सबी 613 और जेएआई 2788	एयर इंडिया एक्सप्रेस और जेट एयरवेज
24.	चेन्नई एफआईआर	वीयू-एवीसी और जीईसी 8415	भारतीय वायु सेना और विदेशी एयरलाइन
25.	दिल्ली एफआईआर	आईजीओ 277 और एआईसी 111	इंडिगो और एयर इंडिया
26.	मुंबई एफआईआर	क्यूटीआर 284, एबीबी 0440 और एबीबी 0472	कतर एयरवेज और एयर अरेबिया फ्लाईट्स
27.	चेन्नई एफआईआर	यूएई 533 और जेएआई 529	अमीरात एयरलाइन और जेट एयरवेज, एयर इंडिया
28.	कोलकाता एफआईआर	जेएआई 2403 और आईजीओ 205	जेट एयरवेज और इंडिगो
29.	कोलकाता एफआईआर	एलएलआर 9811 और एआईसी 696	एयर इंडिया और एलायंस एयर

2012 के दौरान डीजीसीए की रिपोर्ट की गई एयरप्रॉक्स

क्र. सं.	क्षेत्र/एफआईआर	कॉल साइन/उड़ान संख्या/विमान	प्रचालक
1	2	3	4
1.	कोचीन के समीप चेन्नई एफआईआर	वीयूएवीएस और एआईसी 520	भारतीय वायु सेना और एयर इंडिया
2.	दिल्ली एप्रोच	जेएआई 710 और जीओडब्ल्यू 372	गो एयर और जेट एयरवेज
3.	दिल्ली एफआईआर	वीटीएवाईवी और आईएएफ फाईटर इन्ट्रूडर वायु सेना का फाईटर 312 था जिसमें लेवल ब्रस्ट हुआ और यह एटीसी द्वारा क्लियर किए गए 3000 फुट के स्तर से ऊपर चला गया।	गैर-अनुसूचित प्रचालक और भारतीय वायु सेना का लड़ाकू विमान
4.	त्रिवेंद्रम एप्राचा चेन्नई एफआईआर	एनएए 04 आशांकन की उड़ान और यूएई 520 एनएए 04 डीओ 228 और यूएई 520 के बीच हुई घटना।	एएआई विमान और अमीरात
5.	दिल्ली एफआईआर	सीएमएफ 115 काबुल-दिल्ली, जीओडब्ल्यू 154, ए320 दिल्ली से श्रीनगर	कैम एयर और गो एयर
6.	चेन्नई, एफआईआर, बंगलुरु का 22 एनएम पश्चिम	जेएलएल 234 और आईजीओ 154, जेटलाइट 234, बी737 चेन्नै से बंगलुरु, ए-320, शमशाबाद से बंगलुरु	इंडिगो और जेट लाइट
7.	नागपुर के लगभग 125 एनएम उत्तर पश्चिम में मुंबई एफआईआर	इंडिगो 245, रायपुर से इंदौर और इंडिगो 126 बंगलुरु से दिल्ली	इंडिगो और इंडिगो
8.	मुंबई ओसीसी में एनआईटीआईएस के समीप	रॉयल जोर्डेनियन उड़ान सं. 194 एयरबस-330, अम्माम से कोलंबो और श्रीलंकन उड़ान 228, एयरबस-340 ईस्ट बाउंट आरजेए 194 को एएलके 228 के स्तर थ्रू डीसेंट दिया गया।	रॉयल जोर्डेनियन और श्रीलंकन एयरलाइन
9.	दिल्ली टीएमए में एलएल के 25 एनएम पश्चिम में, दिल्ली एफआईआर	गो एयर उड़ान 344, एयरबस-320, पटना से दिल्ली और स्पाइस जेट उड़ान 946, बोईंग-738, काठमांडू से दिल्ली	गो एयर और स्पाइस जेट
10.	इंदौर एप्रोच/टॉवर मुंबई एफआईआर	एसईजे 1053, डीएच8बी, वीओएचवाई/वीएआईडी ईटीए 1337 और एसईजे 2225, क्यू 400, वीआईडीपी/वीएआईडी	स्पाइस जेट और स्पाइस जेट

1	2	3	4
11.	कोलकाता एसीसी कोलकाता एफआईआर	वीयूपीजीबी, आईएल 76, वीईडीएक्स-जी450-वीओवीआर को रेसीप्रॉकल ट्रैफिक आईजीओ 319-वीएबीबी-जी450-वीईसीसी के लेवल के थ्रू एफएल 320 को क्लियर किया गया।	भारतीय वायु सेना और इंडिगो
12.	कोलकाता एसीसी कोलकाता	एफएल390 पर एआईसी772, ए319, वीओबीएल-ए465-वीईसीसी और आईजीओ011, ए320, वीआंडीपी-एल759-डब्ल्यूएसएसएस	इयर इंडिया और इंडिगो
13.	एएसएआरआई के निकट दिल्ली एसीसी दिल्ली एफआईआर	पीआईए892, ए310, ओपीएलए466, एसएएमएआर-एएसएआरआई-डीपीएन-वीटीवीडी और एसईजे2222, डीएच8डी, वीआईएआर-एएसए	पाकिस्तान एयरलाइन और सपाइस जेट
14.	चेन्नई, एफआईआर, कोचीन एपीपी	एएक्सबी474, बी738, वीओसीएल-डब्ल्यू15-वीओसीआई और जीएफ271, ए321, वीओसीआई-डब्ल्यू92-ओबीबीआई वाया आर295सीआईएवीओआर	एयर इंडिया एक्सप्रेस गल्फ एयर

विमानपत्तन विकास शुल्क

*265. श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को चेन्नई और कोलकाता विमानपत्तनों पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से विमानपत्तन विकास शुल्क वसूल करने की अपनी योजना समाप्त करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य सभी विमानपत्तनों पर भी विमानपत्तन विकास शुल्क समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख) चेन्नै तथा कोलकाता हवाईअड्डे पर विकास शुल्क (डीएफ) लगाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) इस समय केवल इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली तथा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई में विकास शुल्क (डीएफ) लगाया गया है। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा) ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अनुसार परियोजना वित्तपोषण के अंतर को पूरा करने हेतु वित्त व्यवस्था के माध्यम से अंतिम विकल्प के रूप में इन हवाईअड्डों पर विकास शुल्क (डीएफ) लगाए जाने का अनुमोदन किया है।

[हिन्दी]

निर्धनता संबंधी अनुमान

*266. श्री हरीश चौधरी :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न समितियों/अध्ययन/विशेषज्ञ दलों द्वारा निर्धनता के क्या अनुमान लगाए गए हैं तथा उनके द्वारा देश में निर्धनता के आकलन और निर्धनों की पहचान करने हेतु क्या कार्यविधि प्रयोग में लाई गई है;

(ख) उक्त समितियों/अध्ययन/विशेषज्ञ दलों द्वारा दिए गए

सुझावों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में निर्धनता के सुस्पष्ट आकलन के अभाव में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ निर्धन व्यक्तियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (घ) पारम्परिक रूप से, योजना आयोग द्वारा प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के मानदंड पर ही गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। योजना आयोग द्वारा गरीबी का अनुमान लगाने के तरीके की समय-समय पर समीक्षा की गई है।

योजना आयोग ने 1977 में, न्यूनतम आवश्यकता तथा प्रभावी उपभोग मांग संबंधी कार्यबल (अलघ समिति) का गठन किया था, जिसने 1973-74 के मूल्य पर, राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में 49.09 रुपए प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों में 56.64 रुपए प्रतिमाह के प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया। ये गरीबी रेखाएं सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू प्रति व्यक्ति दैनिक कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 किलो कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 किलो कैलोरी के मानदंड पर आधारित वस्तुओं और सेवाओं के अनुरूप हैं। तदुपरांत, 1989 में गठित "गरीबों के समानुपात तथा उनकी संख्या के आकलन" संबंधी विशेषज्ञ समूह (लाकड़ावाला समिति) ने अलघ समिति द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा को ही बनाए रखा और अंतर-राज्य मूल्य अंतरों को दर्शाने के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखाओं को राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखाओं में अलग-अलग कर दिया।

लकड़ावाला पद्धति का अनुसरण कर, 2004-05 में अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा की गणना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 356.30 रुपए प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 538.60 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में की गई। ये गरीबी रेखाएं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के परिवार उपभोग व्यय सर्वेक्षण के समान संदर्भ अवधि उपभोग वितरण से प्राप्त की गई थीं जिसमें परिवारों से उनके 30 की संदर्भ अवधि में सभी मदों पर किए गए उपभोग व्यय के आंकड़े लिए जाते हैं। परिणामी गरीबी अनुपात अखिल भारतीय स्तर पर 27.5 प्रतिशत है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत 28.3 और शहरी क्षेत्रों का प्रतिशत 25.7 है।

योजना आयोग ने दिसम्बर, 2005 में प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 2009 में प्रस्तुत की। इसने लाकड़ावाला पद्धति से प्राप्त 2004-05 के शहरी गरीबी अनुपात के अनुरूप गरीबी रेखा बास्केट (पीएलबी) को मंजूर किया और इसे सभी राज्यों में ग्रामीण तथा शहरी लोगों-दोनों पर लागू किया। गरीबी रेखा पीएलबी तथा मिश्रित संदर्भ अवधि (एमआरपी) उपभोग वितरण से प्राप्त की गई थी, जिसमें पांच अनियमित गैर-खाद्य मदों (कपड़े, फुटवियर, शिक्षा, सांस्थानिक चिकित्सा सेवा तथा ड्यूरेबल वस्तुएं) की खरीद पर हुए उपभोक्ता व्यय आंकड़े जुटाने के लिए 365 दिनों की संदर्भ अवधि तथा शेष मदों के लिए 30 दिनों की रीकाल अवधि का उपयोग किया गया है। योजना आयोग ने वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा की परिगणना राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 2009-10 के दौरान, तेंदुलकर समिति का अनुसरण कर अपने 66वें दौरे में संग्रहित परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत् सर्वेक्षण के आधार पर की है। 2004-05 के लिए परिणामी राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 446.68 रुपए प्रतिमाह तथा शहरी क्षेत्रों के 578.80 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के रूप में है। 2004-05 के लिए प्रति व्यक्ति ग्रामीण गरीबी अनुपात 41.8 प्रतिशत, शहरी गरीबी अनुपात 25.7 प्रतिशत और अखिल भारतीय स्तर पर (ग्रामीण तथा शहरी संयुक्त रूप से) गरीबी अनुपात 37.2 प्रतिशत था। योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति द्वारा अनुशंसित इन गरीबी रेखाओं तथा गरीबी अनुपातों को स्वीकार कर लिया है।

योजना आयोग ने तेंदुलकर समिति का अनुसरण कर, वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा की परिगणना राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा 2009-10 के दौरान अपने 66वें दौर में संग्रहित परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत् सर्वेक्षण के आधार पर की है। इन्हें 19 मार्च, 2012 को प्रेस नोट के माध्यम से जारी किया गया। इसके अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा का अनुमान 2009-10 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रु. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रु. के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के रूप में किया गया है जो पांच सदस्यों की पारिवारिक इकाई के लिए, 2009-10 के मूल्यों पर,

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3,365 रु. तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 4,300 रु. के मासिक उपभोग व्यय के बराबर है।

योजना आयोग ने गरीबी मापने की प्रक्रिया की समीक्षा के लिए जून, 2012 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया।

योजना आयोग गरीबी का अनुमान लगाता है, किंतु बीपीएल परिवारों की पहचान का काम संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जनगणना कराने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता देती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बीपीएल) ग्रामीण परिवारों की पहचान का काम सामान्यतः पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में किया जाता है। 13 समाज-आर्थिक मानदंडों पर आधारित ग्रामीण परिवारों की अंक-आधारित रैंकिंग पर, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पिछली जनगणना 2002 में हुई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जून, 2011 में, समाज-आर्थिक तथा जातिगत जनगणना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घर-घर जाकर जनगणना शुरू की है ताकि बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए परिवार आधारित आंकड़े जुटाकर गरीबी कम करने संबंधी कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लक्षित किया जा सके।

[अनुवाद]

साइबर अपराध

***267. डॉ. विनय कुमार पाण्डेय :**
श्री के.पी. धनपालन :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में साइबर अपराधों और वेबसाइट की हैकिंग के पता चले मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या साइबर सुरक्षा संबंधी संयुक्त कार्य दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार के पास साइबर सुरक्षा संबंधी एक स्वायत्त संस्था स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में हैकिंग और साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2009, 2010 तथा 2011 में क्रमशः सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा साइबर अपराध से संबंधित आईपीसी धाराओं के अंतर्गत क्रमशः कुल 696, 1322 और 2213 मामले पंजीकृत किए गए। राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है। वर्ष 2009-11 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तथा साइबर अपराध से संबंधित आईपीसी धाराओं के अंतर्गत रिपोर्ट किए गए मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार तथा शीर्ष-वार (हैकिंग सहित) क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दी गई है। अद्यतन उपलब्ध सूचना वर्ष 2011 से संबंधित है। साइबर स्पेस आभासी और असीम है। वेबसाइट को देश और विश्वभर में किसी सर्वर पर किसी भी स्थान पर होस्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से, वेबसाइट का विश्व में कहीं से भी अभिगम किया जा सकता है। राज्य-वार आधार पर वेबसाइटों की हैकिंग को श्रेणीबद्ध करना कठिन है। ऐसी कोई सूची तैयार नहीं की गई अथवा उपलब्ध ही है। खोजी गई और भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2009, 2010, 2011 तथा 2012 (अक्तूबर तक) क्रमशः कुल 9180, 16126, 14232 तथा 14392 वेबसाइटें हैक की गईं।

(ख) 'साइबर सुरक्षा पर निजी क्षेत्र के साथ विनियोजन' विषय पर संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) की रिपोर्ट 15 अक्तूबर, 2012 को जारी की गई।

(ग) जेडब्ल्यूजी की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ मार्गदर्शी सिद्धांत और उद्देश्य, साइबर सुरक्षा और चार प्रायोगिक परियोजनाओं पर सार्वजनिक-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के लिए 'योजना' शामिल है। संस्तुत 'योजना' में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए संस्थागत ढांचे की स्थापना करना, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा मानदंडों और

आश्वासन तंत्र का विकास और सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं का संवर्धन सम्मिलित है।

(घ) साइबर सुरक्षा पर किसी स्वायत्त संस्थान की स्थापना का कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) देश में हैकिंग और साइबर अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय इस प्रकार हैं:—

(i) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के रूप में कानूनी ढांचा। यह अधिनियम साइबर अपराध, साइबर हमलों तथा सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के सुरक्षा उल्लंघनों से जुड़े मुद्दों का समाधान करने के लिए कानूनी ढांचा का प्रदान करता है।

(ii) भारतीय कम्प्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) के जरिए साइबर सुरक्षा घटनाओं के लिए शीघ्र चेतावनी एवं कार्रवाई की स्थापना तथा सूचना के आदान-प्रदान और साइबर हमलों को कम करने के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना। सर्ट-इन हैकिंग से कम्प्यूटर प्रणालियों की सुरक्षा करने के लिए नियमित रूप से सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश और परामर्श प्रकाशित करता है तथा इन्हें व्यापक रूप से परिचालित किया जाता है। सर्ट-इन प्रयोक्ता की जागरुकता में वृद्धि करने के लिए नियमित आधार पर सुरक्षा कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

(iii) साइबर सुरक्षा की दृष्टि से भी सरकारी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों का उन्हें होस्ट करने से पहले परीक्षण किया जाएगा। वेबसाइटों और अनुप्रयोगों का परीक्षण होस्टिंग के बाद भी नियमित आधार पर किया जाएगा। विद्यमान सरकारी वेबसाइटों का सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में आवधिक रूप से परीक्षण किया जाता है तथा पाए गए दोषों को दूर किया जाता है।

(iv) महत्वपूर्ण सूचना मूलसंरचना का प्रचालन करने वाले संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंड आईएसओ 27001 पर आधारित सूचना सुरक्षा प्रबंध पद्धतियों का कार्यान्वयन करने की नियमित रूप से सलाह दी जाती हैं। मंत्रालयों और विभागों को अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों का नियमित रूप से परीक्षण करने की सलाह दी गई है ताकि उनकी प्रणालियों की सुदृढ़ता का सुनिश्चय किया जा सके।

(v) सरकार ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और उनके संगठनों तथा महत्वपूर्ण क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन के लिए साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का सामना करने के लिए कम्प्यूटर सुरक्षा नीतियों एवं दिशा-निर्देश तथा आपदा प्रबंध योजना परिचालित की है।

(vi) सरकार द्वारा साइबर हमलों का सामना करने के लिए संगठनों की तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए साइबर सुरक्षा बनावटी अभ्यासों का आयोजन किया जा रहा है। नवम्बर, 2009 से ऐसे छह अभ्यासों का आयोजन किया गया है। अगला साइबर सुरक्षा बनावटी अभ्यास दिसम्बर, 2012 में किया जाएगा।

(vii) सरकार साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्य करके देशीय प्रौद्योगिकी का विकास कर रही है।

(viii) सरकार साइबर फॉरेंसिक, नेटवर्क और प्रणाली सुरक्षा प्रशासन पर डोमेन विशिष्ट प्रशिक्षण देकर साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में कुशलता और योग्यता के विकास की सुविधा प्रदान कर रही है। कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका के लिए अंकीय साक्ष्य के संग्रह और विश्लेषण में प्रशिक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है।

(ix) सरकार साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जागरुकता पैदा करने के लिए उद्योग के साथ मिलकर कार्य कर रही है। पुस्तिकाएं और पैम्फलेट तैयार किए गए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) युक्तियों के इस्तेमाल के लिए साइबर सुरक्षा के संबंध में क्या करें और क्या न करें पर सूचना उपलब्ध कराई गई है।

विवरण-I

वर्ष 2009-11 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साइबर अपराध की आईपीसी धारा के अंतर्गत पंजीकृत मामले एवं गिरफ्तार व्यक्तियों के ब्यौरे

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	सू.प्रौ. अभियान (मामले)			सू.प्रौ. अभियान (गिरफ्तार व्यक्ति)			आईपीसी धारा (मामले)			आईपीसी धारा (गिरफ्तार व्यक्ति)		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	30	105	349	8	81	242	8	66	23	4	126	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	13	1	2	7	0	0	1	0	0	0
3.	असम	2	18	31	0	4	6	2	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	2	25	0	2	6	0	0	13	0	0	2
5.	छत्तीसगढ़	4	4	2	7	7	2	46	46	76	44	44	102
6.	गोवा	8	15	16	3	2	4	4	1	2	1	0	2
7.	गुजरात	20	35	52	11	45	36	16	20	15	25	18	19
8.	हरियाणा	0	1	42	0	0	15	0	0	3	0	0	8
9.	हिमाचल प्रदेश	6	17	12	5	20	5	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	5	14	0	2	3	0	1	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	8	0	0	9	0	0	25	0	0	43
12.	कर्नाटक	97	153	151	21	95	34	0	23	9	0	22	5
13.	केरल	64	148	227	47	105	135	7	8	18	0	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	16	30	90	24	49	97	1	5	13	2	10	6
15.	महाराष्ट्र	53	142	306	78	143	226	108	104	87	89	64	85
16.	मणिपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	2	7	7	1	24	1	11	5	5	12	3	1
21.	पंजाब	28	41	59	17	34	38	28	27	20	48	42	21
22.	राजस्थान	27	52	122	20	35	110	1	3	24	2	3	22
23.	सिक्किम	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0
24.	तमिलाडु	18	52	37	11	44	43	19	25	8	5	17	11
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	14	32	101	24	64	123	3	9	13	7	24	36
27.	उत्तराखंड	7	10	6	4	11	3	0	1	0	0	3	0
28.	पश्चिम बंगाल	13	49	43	2	3	11	10	11	14	21	14	16
	कुल (राज्य)	411	922	1725	284	772	1161	264	356	370	260	394	409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	संघ राज्य क्षेत्र												
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	4	3	10	2	2	5	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1
32.	दमन और दीव	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	5	41	50	2	25	15	12	0	49	3	0	36
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	9	44	66	4	27	23	12	0	52	3	0	37
	कुल (पूरा भारत)	420	966	1791	288	799	1184	276	356	422	263	394	446

स्रोत: क्राइम इन इंडिया।

विवरण-II

वर्ष 2009-11 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साइबर अपराध की आईपीसी धारा के अंतर्गत पंजीकृत मामले एवं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	कम्प्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़						हानि/कम्प्यूटर संसाधन/उपयोगिता को नुकसान						हैकिंग					
		पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	2	6	7	0	1	2	21	49	267	5	51	173	0	39	20	0	16	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	1	3	10	0	0	0	0	0	0	1	2	2
3.	असम	0	0	0	0	0	0	2	13	25	0	4	6	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	2	0	0	16	0	0	2
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
6.	गोवा	1	0	0	0	0	0	2	3	3	0	1	0	1	2	6	3	0	2
7.	गुजरात	5	9	25	3	27	18	9	7	15	2	3	13	1	8	2	0	3	0
8.	हरियाणा	0	0	3	0	0	2	0	1	28	0	0	5	0	0	5	0	0	3
9.	हिमाचल प्रदेश	1	3	0	0	4	0	2	0	8	4	10	4	0	9	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	1	1	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	11	0	0	2
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	8	0	0	13	0	0	65	87	0	30	17	91	26	23	18	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	1	0	6	0	0	2	15	24	55	9	10	47	3	14	22	1	1	3
14.	मध्य प्रदेश	2	3	2	0	5	2	0	5	29	0	2	36	6	1	16	11	0	14
15.	महाराष्ट्र	1	6	7	0	4	9	25	31	68	17	26	46	0	13	11	0	12	14
16.	मणिपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	1	2	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	6	7	1	4	8	4	10	11	6	10	9	5	2	1	2	0	0
22.	राजस्थान	0	3	12	0	3	6	14	32	69	6	21	36	0	17	0	0	6	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
24.	तमिलनाडु	3	4	3	0	1	0	4	13	17	3	18	19	8	26	8	5	16	15
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	6	17	0	12	15	2	9	43	6	19	45	2	3	8	2	4	1
27.	उत्तराखंड	1	3	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	3	2	0	0	0	0	7	38	33	1	0	8	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	21	60	93	6	79	65	110	311	774	61	208	469	118	162	154	44	61	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	संघ राज्य क्षेत्र																		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	1	8	0	0	4	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	4	1	0	0	1	5	34	39	2	25	11	0	2	3	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	4	1	0	0	1	5	35	52	2	25	18	0	2	3	0	0	0
	कुल (पूरा भारत)	21	64	94	6	79	66	115	346	826	63	233	487	118	164	154	44	61	65

स्रोत: क्राइम इन इंडिया।

वर्ष 2009-11 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अनधिकृत उपयोग अधिनियम और साइबर अपराध की आईपीसी धारा के अंतर्गत पंजीकृत मामले एवं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	संरक्षित कम्प्यूटर प्रणाली का अनधिकृत उपयोग/उपयोग करने का प्रयास						झूठे डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का प्रकाशन						धोखाधड़ी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र					
		पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	3	3	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
15.	महाराष्ट्र	1	0	2	14	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
21.	पंजाब	3	1	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
22.	राजस्थान	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1	0	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	7	3	5	16	6	15	1	2	3	0	2	1	4	3	12	6	4	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	संघ राज्य क्षेत्र																		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (पूरा भारत)	7	3	5	16	6	15	1	2	3	0	2	1	4	3	12	6	4	8

स्रोत: क्राइम इन इंडिया।

वर्ष 2009-11 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साइबर अपराध की आईपीसी धारा के अंतर्गत पंजीकृत मामले एवं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र. छ्व.	राज्य/संघ राज्य	गोपनीयता/गोपनीयता के बीच						अनुपालन प्रमाणन प्राधिकरण के आदेश						सरकार द्वारा रोक जानकारी में सहायता एजेंसी					
		पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	1	4	5	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	1	3	0	0	2	1	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	3	1	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	3	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	3	1	5	4	1	18	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	10	15	26	5	27	27	3	2	6	6	5	4	0	0	3	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	संघ राज्य क्षेत्र																		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (पूरा भारत)	10	15	26	5	27	27	3	2	6	6	5	4	0	0	3	0	0	0

स्रोत: क्राइम इन इंडिया।

वर्ष 2009-11 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साइबर अपराध की आईपीसी धारा के अंतर्गत पंजीकृत मामले एवं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	अधिक्रमण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र लाइसेंस						इलेक्ट्रॉनिक रूप में		
		पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	0	1	0	0	0	0	7	9	52
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	3
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	5	4
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	1	1	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	4	10	6
7.	गुजरात	0	0	2	0	0	0	3	9	6
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	2	4	4
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	5	2	0	2	0	6	45	37
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	44	103	136
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	8	21	40
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	25	61	62
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	3

प्रकाशन पारेषण			अन्य लोग						कुल					
गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति		
2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	13	61	0	0	0	0	0	0	30	105	349	8	81	242
0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	3	13	1	2	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	31	0	4	6
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	25	0	2	6
2	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	7	8	2
0	1	2	0	0	0	0	0	0	8	15	16	3	2	4
4	12	5	1	0	0	0	0	0	20	35	52	11	45	36
0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	42	0	0	15
0	5	1	0	0	0	0	0	0	6	17	12	5	21	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	0	2	3
0	0	0	0	0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	9
3	46	17	0	0	0	0	0	0	97	153	151	21	95	34
37	92	80	0	0	0	0	0	0	64	148	227	47	104	135
11	42	43	0	0	0	0	0	0	16	30	90	24	49	97
46	84	79	0	30	149	0	17	59	53	142	306	78	143	226
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	3
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	1	4	3
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	11	19	36
22.	राजस्थान	0	0	1	0	0	0	11	0	40
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	3	9	9
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	1	3	0	1	2	0	4	10	25
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	3	6	1
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	2	9	10
	कुल (राज्य)	1	9	5	1	4	0	135	325	487
	संघ राज्य क्षेत्र									
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	4	2	2
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	1	0	0	0	0	1	6
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	1	1	0	0	4	3	9
	कुल (पूरा भारत)	1	9	6	1	4	0	139	328	496

स्रोत: क्राइम इन इंडिया।

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	7	7	1	24	1
8	15	19	0	0	0	0	0	0	28	41	59	17	33	38
9	5	68	0	0	0	0	0	0	27	52	122	20	35	110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
3	9	9	0	0	0	0	0	0	18	52	37	11	44	43
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	26	37	0	0	0	0	0	0	14	32	101	24	64	123
3	3	1	0	0	0	0	0	0	7	10	6	4	11	3
1	3	3	0	0	0	0	0	0	13	49	43	2	3	11
139	359	439	1	30	157	0	17	68	411	922	1725	284	772	1161
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	1	0	0	0	0	0	0	4	3	10	2	2	5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	3	0	0	0	0	0	0	5	41	50	2	25	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
2	2	4	0	0	0	0	0	0	9	44	66	4	27	23
141	361	443	1	30	157	0	17	68	420	966	1791	288	799	1184

विवरण-III

वर्ष 2009-11 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साइबर अपराध की आईपीसी धारा के अंतर्गत पंजीकृत मामले एवं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	लोक सेवकों द्वारा/के विरुद्ध अपराध						गलत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य						इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करना					
		पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	0	2	5	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	सिक्किम	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	0	2	7	0	3	3	0	3	1	0	4	1	3	1	9	0	0	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	संघ राज्य क्षेत्र																		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (पूरा भारत)	0	2	7	0	3	3	0	3	1	0	4	1	3	1	9	0	0	10

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

वर्ष 2009-11 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साइबर अपराध की आईपीसी धारा के अंतर्गत पंजीकृत मामले एवं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	धोखाधड़ी						विश्वासघात का दाण्डिक उल्लंघन/धोखाधड़ी						संपत्ति/चिह्न					
		पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	5	37	1	3	78	1	3	25	22	1	36	24	0	0	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	13	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	32	32	60	37	37	90	11	11	11	5	5	5	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	0	0	2	0	0	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	13	11	2	20	11	3	2	8	4	2	5	7	1	1	1	3	2	1
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	20	0	0	30	0	0	5	0	0	13	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	0	17	3	0	16	1	0	5	4	0	6	2	0	0	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	6	2	8	0	0	3	1	3	10	0	2	2	0	0	0	0	0	0
14.	मध्य प्रदेश	1	3	4	2	6	3	0	0	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0
15.	महाराष्ट्र	67	42	67	63	37	62	30	60	15	26	24	20	0	0	0	0	0	0
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	9	5	5	8	3	1	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	1	7	19	4	17	21	19	15	1	30	13	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	0	3	19	0	3	8	1	0	2	2	0	8	0	0	2	0	0	6
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	8	14	3	1	14	7	11	11	5	4	3	4	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	3	9	10	7	24	17	0	0	3	0	0	19	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	10	10	14	21	14	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (राज्य)	146	188	245	158	257	266	90	146	97	79	100	108	1	1	4	3	2	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	संघ राज्य क्षेत्र																		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	12	0	13	3	0	11	0	0	21	0	0	21	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	12	0	14	3	0	11	0	0	21	0	0	21	0	0	2	0	0	1
	कुल (पूरा भारत)	158	188	259	161	257	277	90	146	118	79	100	129	1	1	6	3	2	1

स्रोत: क्राइम इन इंडिया।

वर्ष 2009-11 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साइबर अपराध की आईपीसी धारा के अंतर्गत पंजीकृत मामले एवं गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य	टैम्परिंग						मुद्रा/स्टाम्प						जोड़					
		पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति			पंजीकृत मामले			गिरफ्तार व्यक्ति		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	8	66	23	4	126	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
3.	असम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	2
5.	छत्तीसगढ़	3	3	5	0	0	7	0	0	0	2	2	0	46	46	76	44	44	102
6.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	1	0	2
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	20	15	25	18	19
8.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	0	8
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	43
12.	कर्नाटक	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	9	0	22	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13.	केरल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	18	0	4	5
14.	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	5	13	2	10	6
15.	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	108	104	87	89	64	85
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	0	0	11	5	5	12	3	1
21.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	8	5	0	14	12	0	28	27	20	48	42	21
22.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	24	2	3	22
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	25	8	5	17	11
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	13	7	24	36
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	11	14	21	14	16
	कुल (राज्य)	3	8	5	0	12	7	21	7	2	20	16	7	264	356	379	260	394	409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	संघ राज्य क्षेत्र																		
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
33.	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	4	12	0	49	3	0	36
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	4	12	0	52	3	0	37
	कुल (पूरा भारत)	3	8	5	0	12	7	21	7	17	20	16	11	276	356	422	263	394	446

स्रोत: क्राइम इन इंडिया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन

***268. डॉ. एम. तम्बिदुरई :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का क्या पैटर्न है;

(ख) क्या सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु कितने स्कूलों, कितने अध्यापकों और कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ङ) क्या सरकार को इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि के किसी दुरुपयोग की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 और इसके उद्देश्यों के कार्यान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना है। एसएसए के अंतर्गत केन्द्र और राज्यों के बीच निधियन की पद्धति 65:35 के अनुपात में है, इसमें उत्तर पूर्वी राज्य शामिल नहीं हैं जहां यह अनुपात 90:10 है।

(ख) और (ग) भारत सरकार जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) के तहत नामांकन के वार्षिक आंकड़े एकत्र करती है जिसके अनुसार वर्ष 2010-11 के लिए सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में, जो निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, 13 करोड़ बच्चे नामांकित किए गए।

(घ) वर्ष 2010 में आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए 2,31,233 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया था जिसमें स्कूलों और अध्यापकों की आवश्यकता शामिल है।

(ङ) समय-समय पर वित्तीय दुरुपयोग और अनियमितताओं के कुछ मामले अवश्य प्रकाश में आते हैं जिन पर एसएसए के तहत तत्काल कार्रवाई की जाती है। एसएसए ने वित्तीय मॉनीटरिंग की एक विस्तृत प्रणाली निर्धारित की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के एसएसए कार्यक्रमों की स्वतंत्र वार्षिक लेखापरीक्षा, पेशेवरों द्वारा समवर्ती लेखापरीक्षा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा शामिल है।

अभियोजन हेतु स्वीकृति दिया जाना

***269. श्री एस. अलागिरी :**
डॉ. संजय सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत संगत दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण लोक सेवकों के अभियोजन हेतु स्वीकृति देने में विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) अभियोजन हेतु स्वीकृति दिए जाने में विलंब को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) कुछ मामलों में अभियोजन हेतु स्वीकृति देने में विलम्ब, अधिकांशतः मामले के रिकॉर्ड एवं साक्ष्य की विस्तृत संवीक्षा एवं भारी-भरकम विश्लेषण के कारण, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), राज्य सरकारों एवं अन्य एजेंसियों से परामर्श एवं कभी-कभी संगत दस्तावेजी साक्ष्य की अनुपलब्धता के कारण होता है।

उच्चतम न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत संघ के मामले में अपने दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 के निर्णय द्वारा निदेश दिया कि "अभियोजन हेतु स्वीकृत प्रदान किए जाने हेतु तीन माह की समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। हालांकि, जहां महान्यायवादी (ए.जी.) या ए.जी. के कार्यालय में किसी विधि अधिकारी से परामर्श की आवश्यकता हो तो एक माह के अतिरिक्त समय की अनुमति दी जा सकती है"।

अभियोजन हेतु स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब को रोकने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही दिनांक 6 नवम्बर, 2006

के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 399/33/2006-ए.वी.डी.-III द्वारा और 20 दिसम्बर, 2006 के अन्य अनुवर्ती कार्यालय ज्ञापन द्वारा सी.बी.आई. द्वारा लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाने के अनुरोधों को निपटाने के लिए प्रत्येक चरण पर निश्चित समय-सीमा की व्यवस्था देने वाले दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

मंत्रीसमूह ने भी भ्रष्टाचार से निपटने से संबंधित, अपनी प्रथम रिपोर्ट में, लोक सेवकों के अभियोजन हेतु स्वीकृति दिए जाने के अनुरोधों के त्वरित निपटान के लिए कुछ सिफारिशें की थीं, जिसमें सम्मिलित हैं – ऐसे मामलों में 3 माह में निर्णय लेना; ऐसे मामलों की मंत्रालय/विभाग के सचिव स्तर पर निगरानी एवं रिपोर्ट मंत्रीमंडल सचिव को प्रस्तुत करना; मंजूरी प्रदान न करने वाले मामलों में अगले उच्चतर प्राधिकारी को 7 दिनों में सूचनार्थ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना (जहां सक्षम प्राधिकारी मंत्री हो, ऐसी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को प्रस्तुत की जाए)। मंत्रीसमूह की उक्त सिफारिश को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है एवं सरकार द्वारा 3 मई, 2012 को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

सरकार द्वारा एक बार फिर पालन की जा रही प्रक्रिया जैसे सीबीआई/सीवीसी को स्पष्टीकरण/पुनर्विचार इत्यादि के लिए बार-बार पत्राचार करने से बचने आदि से संबंधित कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण देते हुए, 20 जुलाई, 2012 को अन्य अनुदेश जारी किए गए। सभी मंत्रालयों/विभागों को पुन: दिनांक 03.05.2012 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा यथासंशोधित दिनांक 06.11.2006 एवं 20.12.2006 के कार्यालय ज्ञापनों में समाहित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन का सुझाव दिया गया था।

[हिन्दी]

पोलीमैटेलिक नोड्यूल्स प्रोग्राम

***270. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा : क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा कोई पोलीमैटेलिक नोड्यूल्स प्रोग्राम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश के लिए इसके रणनीतिक और आर्थिक महत्व सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार हिन्द महासागर से विभिन्न धातुओं के पोलीमैटेलिक नोड्यूल्स की खोज और उनका निष्कर्षण करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पहचान किए गए स्थलों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या चीन इस क्षेत्र में काफी आगे है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में हमारे प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, हां। भारत बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है:

(ख) भारत का बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम भारत को आंवटित किए गए मध्य हिन्द महासागर बेसिन (सीआईओबी) से पिण्डिकाओं के दोहन के लिए अन्वेषण और प्रौद्योगिकियों के विकास की ओर अभिमुख है। इसके 4 घटक अर्थात् सर्वेक्षण और अन्वेषण, पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन, प्रौद्योगिकी विकास (खनन) और प्रौद्योगिकी विकास (धातु-कर्म) है। सीआईओबी के 75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में, अनुमानित बहुधात्विक पिण्डिका संसाधनों की संभावना 380 मिलियन टन है, जिसमें 4.7 मिलियन टन निकल, 4.29 मिलियन टन कापर और 0.55 मिलियन टन कोबाल्ट और 92.59 मिलियन टन मैंगनीज अंतर्निष्ट है। सामरिक रूप से कोबाल्ट और निकल महत्वपूर्ण धातुएं हैं।

(ग) जी हां।

(घ) यद्यपि, इस स्तर पर गहरे समुद्र तल में फैली हुई बहुधात्विक पिण्डिकाओं से धातुओं को निकालना आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं पाया गया है, विस्तृत सर्वेक्षणों और विश्लेषणों के आधार पर प्रथम पीढ़ी खनन स्थल के लिए सीआईओबी में लगभग 7860 वर्ग किमी क्षेत्र की पहचान की गई है। गहरा-समुद्र पर्यावरण पर खनन के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए गहरा-समुद्र बहुधात्विक पिण्डिकाओं के खनन के लिए पर्यावरणीय अध्ययन भी कराए गए। एक सुदूर स्वचालित पनडुब्बीनुमा यंत्र (रोसब 6000), जिसकी क्षमता 6000 मी. गहरे जल में कार्य करने की है, को भी विकसित किया गया और 5000 मी. से परे पर्यावरणीय परिस्थितियों का आंकलन करने के लिए इसका 5289 मी. की गहराई पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मध्य हिन्द महासागर बेसिन (सीआईओबी) में खनन क्षेत्र की विस्तृत भूतकनीकी विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए एक सुदूर स्वचालित स्व-स्थाने मृदा परीक्षक उपकरण भी विकसित किया गया और उसका 5462 मी. जल गहराई में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एक खनन प्रणाली विकसित की जा रही है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर

में निरन्तर आधार पर कापर, निकल और कोबाल्ट निकालने के लिए प्रतिदिन 500 कि.ग्राम पिण्डिकाओं को प्रसंस्कृत करने के क्षमता वाले एक प्रदर्शक प्रायोगिक संयंत्र को सफलतापूर्वक चालू किया गया। एचजेडएल संयंत्र से निकले अवशिष्ट से लौह-सिलिकॉन-मैंगनीज अयस्क के उत्पादन के लिए प्रतिदिन 500 कि.ग्राम प्रसंस्करण की क्षमता वाले अन्य प्रायोजिक संयंत्र को राष्ट्रीय धातु-कर्म प्रयोगशाला, जमशेदपुर में चालू किया गया।

(ङ) भारत ने हिन्द महासागर में बहुधात्विक पिण्डिकाओं के लिए विकासात्मक गतिविधियां जारी रखने के लिए वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण के साथ 15 वर्ष का करार किया है। भारत अनुसंधान और विकास प्रयासों के साथ-साथ बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम जारी रख रहा है। चीन का चीन महासागर खनिज संसाधान अनुसंधान और विकास संघ (सीओएमआरए) प्रशांत महासागर में बहुधात्विक पिण्डिकाओं के अन्वेषण से जुड़ी गतिविधियों में लगा हुआ है। इसकी गतिविधियों की जानकारी ज्ञात नहीं है।

[अनुवाद]

बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन

***271. श्री एन. चेलुवरया स्वामी:**
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में राज्य और आपरेटर-वार कितने बेस ट्रांसमीटिंग स्टेशन कार्यरत हैं;

(ख) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से विशेषकर नक्सल प्रभावित और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क क्षमता के संवर्धन हेतु बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशनों की संस्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो ओडिशा सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या 2-जी विवाद के चलते भारत संचार निगम लिमिटेड के लिए आवश्यक उपस्कर की खरीद प्रभावित हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, देश में प्रचालनरत बेस ट्रांसमीटिंग स्टेशनों की संख्या 736654 है। लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र-वार तथा प्रचालक-वार ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। गृह मंत्रालय को विभिन्न राज्य सरकारों से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं की उपलब्धता हेतु मोबाइल टावरों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन स्थानों पर बेस ट्रांसमीटिंग स्टेशनों के टावरों की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, उनका राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:—

क्र. सं.	राज्य का नाम	बीटीएस टावर स्थापित किए जाने हेतु प्रस्तावित स्थानों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	227
2.	बिहार	184
3.	छत्तीसगढ़	497
4.	झारखंड	782
5.	मध्य प्रदेश	22
6.	महाराष्ट्र	60
7.	ओडिशा	253
8.	उत्तर प्रदेश	78
9.	पश्चिम बंगाल	96
	कुल	2199

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जनता तथा सुरक्षा कार्मिकों के लिए मोबाइल सेवाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु नामांकन आधार पर बीएसएनएल को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि राजसहायता प्रदान किए जाने के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ दूरसंचार आयोग को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

(ग) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

31.10.2012 की स्थिति के अनुसार लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र-वार बेस ट्रांसमीटिंग की संख्या

क्र. सं.	लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र का नाम	बीटीएस की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	60368
2.	असम	14015
3.	बिहार	44613
4.	चेन्नै	21187
5.	दिल्ली	21992
6.	गुजरात	46105
7.	हरियाणा	17650
8.	हिमाचल प्रदेश	6933
9.	जम्मू और कश्मीर	10392
10.	कर्नाटक	53627
11.	केरल	34266
12.	कोलकाता	18546
13.	महाराष्ट्र	63604
14.	मध्य प्रदेश	44933
15.	मुंबई	29027
16.	पूर्वोत्तर	7722
17.	ओडिशा	19819
18.	पंजाब	26531
19.	राजस्थान	34692
20.	तमिलनाडु (चेन्नै को छोड़कर)	46467
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	45556
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	39256
23.	पश्चिम बंगाल	29353
	कुल	736654

विवरण-II

31.10.2012 की स्थिति के अनुसार प्रचालक-वार बीटीएस की संख्या

क्र. सं.	दूरसंचार सेवाप्रदाता का नाम (सामान्यीकृत)	बीटीएस की संख्या
1	2	3
1.	भारत संचार निगम लिमिटेड	99911
2.	रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड	95588
3.	यूनिटेक वायरलेस लिमिटेड	23900
4.	वीडियोकॉन टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड	8086
5.	वोडाफोन लिमिटेड	118603
6.	एयरसेल लिमिटेड/डिशनेट वायरलेस लिमिटेड	56162
7.	भारती एयरटेल लिमिटेड/बीएचएल	147504
8.	एटिस्लाट डीबी/एलियांज	1633
9.	आईडिया सेल्युलर लिमिटेड/एबीटीएल	93406

1	2	3
10.	लूप मोबाइल लिमिटेड	2174
11.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2831
12.	क्वाड्रेंट टेलीकॉम लिमिटेड/एचएफसीएल	1755
13.	स्पाइस टेलीकॉम लिमिटेड	5452
14.	सिस्टिमा श्याम टी लिमिटेड (एमटीएस)	11521
15.	एस टेल लिमिटेड	1045
16.	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड/टीटीएमएल	67083
	कुल	736654

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की समीक्षा

*272. **श्रीमती रमा देवी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण उभरती चुनौतियों और लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कर पाया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की समीक्षा की है/किए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजधानी में लोगों की आवास और उससे संबंधित आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी हां।

(ख) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की समीक्षा, उसे सौंपे गए उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति संबंधी उसकी क्षमता पर विशेष जोर देते हुए कर रही है जोकि एक सतत प्रक्रिया है। समीक्षा बैठकें नियमित अंतराल पर शहरी विकास मंत्री, शहरी विकास सचिव और इस मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर की जाती हैं। इसके अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण की मासिक प्रगति रिपोर्टें भी उक्त प्राधिकरण से मंगाई जाती हैं और मंत्रालय में इनकी समीक्षा की जाती है। सरकार दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 (एमपीडी-2021) की भी समीक्षा कर रही है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि दिल्ली के नियोजित विकास और आवास संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उसने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) सभी तरह की आबादी के लिए आवास हेतु रोहिणी, द्वारका और नरेला जैसी सबसिटी (आत्म निर्भर) परियोजनाओं की योजना और विकास।

(ii) नए आवासीय क्षेत्रों के विकास के लिए आवासीय कार्य नीतियों के अनुसार आवास कार्यक्रम।

(iii) स्लम क्षेत्रों का पुनर्विकास/स्वस्थाने उन्नयन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आवास।

(iv) शहरी विस्तार क्षेत्रों के लिए जोनल विकास योजनाओं को अधिसूचित कर दिया गया है जिससे आवास और उससे जुड़ी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी भूमि उपलब्ध होगी।

(v) दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 (एमपीडी-2021) में यथाप्रस्तावित अनुसार, ट्रांजिट ओरिएंटेड विकास (टीओडी) के जरिए प्रमुख परिवहन कारीडोरों के साथ विकास का उल्लेख है। इससे आवास, कार्य केन्द्रों और सहायक सुविधाओं के लिहाज से गहन विकास होगा।

(vi) विकास को पर्यावरण की दृष्टि से सतत बनाए रखने के लिए बायोडायवर्सिटी पार्क, क्षेत्रीय पार्क, जिला पार्क, खेलकूद परिसर जैसे बड़े मनोरंजन क्षेत्रों का विकास किया गया है।

(vii) विभिन्न श्रेणियों के लिए आवास हेतु आवासीय क्षेत्रों का विकास, निर्माण और बिक्री।

(viii) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि राजधानी शहर के सुनियोजित विकास की राह में उभर रही चुनौतियों को देखते हुए, निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों-भूमि नीति, जन सहभागिता और नियोजित कार्यान्वयन, पुनर्विकास, आश्रय, गरीबों के लिए आवास, पर्यावरण, अनधिकृत कालोनियां, मिश्रित उपयोग, व्यापार और वाणिज्य, औपचारिक क्षेत्र, उद्योग, धरोहर का संरक्षण, परिवहन, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा संबंधी बुनियादी सुविधाओं, आपदा प्रबंधन, खेल कूद सुविधाओं का प्रावधान तथा बुनियादी सुविधा विकास पर जोर-की पहचान की गई है।

[अनुवाद]

डाकघरों का आधुनिकीकरण

*273. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर :**
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 'प्रोजेक्ट ऐरो' नामक योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस योजना के अंतर्गत परिमंडल/राज्य-वार कितने डाकघरों को शामिल किया जा रहा है;

(ग) क्या श्री अजय शाह की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने देश में डाकघरों का आधुनिकीकरण करने तथा इनके कार्यकरण को सुचारू बनाने के संबंध में कोई उल्लेख किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है तथा इसके लिए अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी खर्च की गई है; और

(ङ) देश में सभी डाकघरों के आधुनिकीकरण और कम्प्यूटरीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) जी, हां। सरकार ने अप्रैल, 2008 में 'प्रोजेक्ट ऐरो' नामक एक स्कीम की शुरूआत की है।

(ख) विभाग की 'प्रोजेक्ट ऐरो' नामक योजनागत स्कीम का उद्देश्य इस स्कीम के 'रूप व परिवेश' घटक के अंतर्गत डाकघरों के वातावरण और बुनियादी सुविधाओं में सुधार तथा इसके 'कोर प्रचालन' घटक के अंतर्गत सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके देश में चयनित विभागीय डाकघरों का आधुनिकीकरण करना है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं हैं: ग्राहकों के लिए डाक वितरण, धन प्रेषण, बचत बैंक प्रचालन तथा कार्यालय सेवा स्तर में सुधार के साथ-साथ बुनियादी संरचना का मानकीकरण और प्रोन्नयन, ब्रांडिंग, प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण कार्यकलाप। 31 मार्च, 2012 की स्थिति के अनुसार, ''रूप व परिवेश'' कार्यकलापों के अंतर्गत 1736 डाकघरों को कवर किया गया है और 2012-13 के दौरान 780 और डाकघरों में भी यह कार्य किया जा रहा है। कोर प्रचालनों के अंतर्गत 31 मार्च, 2012 तक 15583 डाकघरों को कवर किया गया था और 2012-13 के दौरान 3100 और डाकघर इसमें जोड़ दिए गए हैं। प्रोजेक्ट ऐरो की दोनों स्ट्रीमों के अंतर्गत कवर किए गए डाकघरों का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) श्री अजय शाह की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह सिफारिश की गई कि भारतीय डाक नेटवर्क को तेजी से विस्तृत होने वाली आईटी क्षमता का प्रयोग प्रत्येक भारतीय नागरिक को तीन मूलभूत एकीकृत उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए करना चाहिए नामत: बैंकिंग प्लेटफार्म पर बचत खाता, भुगतान का व्यापक नेटवर्क तथा लघु ऋण संवितरित करने की प्रणाली। इस संबंध में विभाग द्वारा न कोई निधि आबंटित की गई, न ही व्यय की गई।

(ङ) 31.3.2012 की स्थिति के अनुसार 24969 डाकघरों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। 12वीं योजना में प्रोजेक्ट ऐरो के अंतर्गत 2500 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त 1736 डाकघरों को पहले ही आधुनिकीकृत किया जा चुका है। किसी एक वित्तीय वर्ष अथवा योजना अवधि के दौरान कवर किए जा सकने वाले डाकघरों की संख्या निधियों की उपलब्धता द्वारा सीमित होती है। अत:, यह संभव नहीं है कि देशभर में सभी डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण के कार्य को पूरा करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की जा सके।

विवरण

प्रोजेक्ट ऐरो डाकघरों की सर्किल-वार सूची

सर्किल का नाम	रूप व परिवेश के अंतर्गत कवर किए गए डाकघर			कोर प्रचालनों की मॉनीटरिंग		
	मार्च, 2012 तक कवर किए गए डाकघरों की संख्या	2012-13 के दौरान कवर किए जाने वाले डाकघरों की संख्या	योग	मार्च, 2012 तक मॉनीटर किए गए डाकघरों की संख्या	2012-13 के दौरान शामिल किए जाने के लिए चिह्नित डाकघरों की संख्या	योग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	149	48	197	1100	270	1370
असम	36	14	50	582	0	582
बिहार	70	48	118	405	35	440
छत्तीसगढ़	23	15	38	243	45	288
दिल्ली	60	25	85	304	35	339
गुजरात	74	48	122	1099	90	1189
हरियाणा	36	22	58	376	50	426
हिमाचल प्रदेश	28	15	43	389	20	409
जम्मू और कश्मीर	18	14	32	125	35	160
झारखंड	45	10	55	203	10	213
कर्नाटक	86	49	135	1138	300	1438
केरल	70	49	119	1286	130	1416
मध्य प्रदेश	126	48	174	636	300	936
महाराष्ट्र	141	49	190	1401	300	1701
उत्तर पूर्व	31	60	91	179	2	181
ओडिशा	87	20	107	556	120	676
पंजाब	43	35	78	540	170	710
राजस्थान	156	50	206	612	350	962

1	2	3	4	5	6	7
तमिलनाडु	202	49	251	1962	300	2262
उत्तर प्रदेश	141	49	190	1323	358	1681
उत्तराखंड	39	14	53	203	50	253
पश्चिम बंगाल	75	49	124	921	130	1051
योग	1736	780	2516	15583	3100	18683

[हिन्दी]

बुद्ध का भिक्षापात्र

***274. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काबुल में अफगानिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गये पत्थर के कटोरे को महात्मा बुद्ध का भिक्षापात्र माना जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सहित इतिहासकारों/विद्वानों/संगठनों द्वारा इस संबंध में क्या साक्ष्य/दस्तावेज मुहैया कराए गए हैं; और

(ग) अफगानिस्तान से उक्त भिक्षापात्र को हासिल करने तथा वापिस लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) एक बड़े आकार का शिला निर्मित पात्र, जो लगभग 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर व्यास, जिसके शीर्ष भाग की मोटाई लगभग 18 सें.मी. है और जिसका वजन 200-300 कि.ग्रा. है तथा जिसके ऊपरी फेरे के समानांतर अरबी तथा फारसी भाषाओं में सुलेख लिपि में कुरान की आयतें लिखी हैं, इस समय काबुल स्थित अफगानिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर रखा हुआ है। मूलत: यह कंधार में स्थापित किया गया था, जहां से इसे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. नजीबुल्लाह के शासनकाल में काबुल ले जाया गया था। दावा किया जाता है कि यह भिक्षापात्र भगवान बुद्ध का है।

(ख) सरकार ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास से इस पात्र की फोटो प्राप्त की है। निदेशक, (पुरालेख शास्त्र-अरबी, फारसी) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) नागपुर ने इस फोटो की जांच की है। इस फोटोग्राफ की प्रारंभिक जांच में निदेशक, (पुरालेख शास्त्र-अरबी, फारसी) ने उल्लेख किया है कि इस पात्र की बाहरी सतह पर गुदाई यह दर्शाती है कि यह पात्र कंधार नगर की किसी मस्जिद (संभावित रूप से जामा मस्जिद) से संबंधित है। उन्होंने सुझाव दिया है कि इसके मूल के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए इस पात्र की भौतिक दृष्टि से तथा भू-वैज्ञानिक दृष्टि से जांच की जानी चाहिए।

(ग) सरकार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के परामर्श से इस पात्र का उद्गम स्थापित करने के लिए अपेक्षित और उपायों, यदि कोई हों, की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

वैश्विक अनुसंधान कार्य

***275. चौधरी लाल सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि थॉमसन रियूटर्स रिपोर्ट के अनुसार 2010 में भारत का वैश्विक अनुसंधान कार्य मात्र 3.5% था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वैश्विक अनुसंधान कार्य में भारत का हिस्सा बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) यूनेस्को विज्ञान रिपोर्ट 2010 के अनुसार विज्ञान उद्धरण इंडेक्स (एससीआई) जरनलों में वैज्ञानिक प्रकाशन के संबंध में विश्व में भारत का 9वां स्थान है।

(ख) और (ग) जी, हां। थॉमसन रियूटर्स रिपोर्ट 2012 के अनुसार वैश्विक अनुसंधान कार्य में भारत की हिस्सेदारी लगभग 3.5 प्रतिशत है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:–

– भारत के अनुसंधान प्रकाशनों की संख्या ने विगत दशक के दौरान निरंतर वृद्धि दर्शाई है।

– अनुसंधान प्रकाशनों की कुल संख्या वर्ष 2001-05 के दौरान 106,456 से बढ़कर वर्ष 2006-10 में 177,208 हो गई है।

यह पांच वर्षों के अवधि के दौरान लगभग 66% की वृद्धि अथवा लगभग 13% प्रतिशत औसत वृद्धि दर के बराबर है।

- प्रकाशनों में भारत की सबसे बड़ी वैश्विक हिस्सेदारी रसायन (6.5%) के क्षेत्र में थी, इसके पश्चात् सामग्री विज्ञान (6.4%), कृषि विज्ञान (6.2%), फार्मोकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी (6.1%) का स्थान आता है जबकि भौतिकी के क्षेत्र में यह हिस्सा 4.6% और इंजीनियरी में यह 4.2% था।

- अनुसंधान प्रकाशनों के उद्धरण प्रभाव ने वर्ष 2006-10 के दौरान 0.68 का स्तर अर्जित कर लिया। इंजीनियरी, भौतिकी, सामग्री विज्ञान और कम्प्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशनों ने उच्च उद्धरण संख्या प्राप्त की वहीं मनोरोग संबंधी/मनोविज्ञान के क्षेत्र में उच्चतम उद्धरण (0.99—विश्व औसत के निकट) हासिल किया।

(घ) सरकार ने देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रोन्नयन और विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन कदमों में वैज्ञानिक विभागों के लिए योजना आबंटन में क्रमिक वृद्धि, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, अकादमिक एवं राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते और अग्रणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए उत्कृष्टता के केन्द्रों और सुविधाओं का सृजन, नई एवं आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरूआत, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) हेतु अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक-निजी आर एण्ड डी भागीदारियों को बढ़ावा देना, आर एण्ड डी इकाइयों को मान्यता तथा उद्योगों के लिए उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार आदि शामिल हैं।

साइबर साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री

***276. श्री दारा सिंह चौहान :**
श्री अर्जुन राम मेघवाल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स को ऐसी कतिपय सामग्री की अपनी वेबसाइट से हटाने के लिए कहा है जिन्हें आपत्तिजनक माना गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन नेटवर्किंग साइट्स को ऐसे कितने अनुरोध किए गए तथा इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही और सरकार द्वारा हाल ही में बंद किए गए वेब पेजों का ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल ही में देश में कुछ व्यक्तियों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66क के अंतर्गत हिरासत में लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) सरकार ने 17 अगस्त, 2012 को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग साइटों सहित सभी माध्यस्थों को सलाह जारी की है जिसमें उनकी वेब साइटों पर होस्ट की गई भड़काऊ और घृणित सूचना सामग्री प्राथमिकता के आधार पर अनुपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान न्यायालय के निदेशानुसार सक्षम प्राधिकारी ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66क के अंतर्गत माध्यस्थों को 690 वेब पृष्ठों/यूआरएल को अवरुद्ध करने के निदेश जारी किए जिनमें ऐसी समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तथा घृणास्पद सूचना सामग्री विद्यमान है। इनमें से 663 वेब पृष्ठ/यूआरएल चालू वर्ष के दौरान अवरुद्ध किए गए। सभी माध्यस्थों ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें जारी किए गए निदेशों का अनुपालन किया तथा देश में वेब पृष्ठों/यूआरएल के अभिगम को अवरुद्ध किया।

(ग) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार वर्ष 2009, 2010 तथा 2011 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत साइबर अपराध के क्रमशः 420,966 तथा 1791 मामले दर्ज किए गए। ऐसे मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चालू वर्ष की जानकारी अभी उपलध नहीं है।

जैसा कि हाल ही में पिछले कुछ समय में मीडिया में जानकारी दी गई है, देश में कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध चार मामले हैं; जिनमें से तीन मामलों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराएं तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66क लागू हो गई है तथा एक मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66क लागू की गई है।

(घ) और (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में ऐसी स्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त प्रावधान है तथा ये भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित किए गए अनुसार नागरिकों के बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अनुरूप हैं। इसके अलावा सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के समुचित कार्यान्वयन के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए सामाजिक मीडिया सहित पणधारकों के साथ कई दौर का विचार-विमर्श किया है। अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या को रोकने और अनपेक्षित परिणामों को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की गई है।

विवरण

वर्ष 2009-11 के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और साइबर अपराध की आईपीसी धारा के अंतर्गत पंजीकृत मामले एवं गिरफ्ताए किए गए व्यक्ति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सू.प्रौ. अधिनियम (मामले)			सू.प्रौ. अधिनियम (गिरफ्तार व्यक्ति)			आईपीसी धारा (मामले)			आईपीसी धारा (गिरफ्तार व्यक्ति)		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	30	105	349	8	81	242	8	66	23	4	126	25
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	13	1	2	7	0	0	1	0	0	0
3.	असम	2	18	31	0	4	6	2	0	0	0	0	0
4.	बिहार	0	2	25	0	2	6	0	0	13	0	0	2
5.	छत्तीसगढ़	4	4	2	7	7	2	46	46	76	44	44	102
6.	गोवा	8	15	16	3	2	4	4	1	2	1	0	2
7.	गुजरात	20	35	52	11	45	36	16	20	15	25	18	19
8.	हरियाणा	0	1	42	0	0	15	0	0	3	0	0	8
9.	हिमाचल प्रदेश	6	17	12	5	20	5	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	5	14	0	2	3	0	1	0	0	0	0
11.	झारखंड	0	0	8	0	0	9	0	0	25	0	0	43
12.	कर्नाटक	97	153	151	21	95	34	0	23	9	0	22	5
13.	केरल	64	148	227	47	105	135	7	8	18	0	4	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मध्य प्रदेश	16	30	90	24	49	97	1	5	13	2	10	6
15.	महाराष्ट्र	53	142	306	78	143	226	108	104	87	89	64	85
16.	मणिपुर	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	1	3	0	0	1	0	1	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	2	7	7	1	24	1	11	5	5	12	3	1
21.	पंजाब	28	41	59	17	34	38	28	27	20	48	42	21
22.	राजस्थान	27	52	122	20	35	110	1	3	24	2	3	22
23.	सिक्किम	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0
24.	तमिलनाडु	18	52	37	11	44	43	19	25	8	5	17	11
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	14	32	101	24	64	123	3	9	13	7	24	36
27.	उत्तराखंड	7	10	6	4	11	3	0	1	0	0	3	0
28.	पश्चिम बंगाल	13	49	43	2	3	11	10	11	14	21	14	16
	कुल (राज्य)	411	922	1725	284	772	1161	264	356	370	260	394	409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	संघ राज्य क्षेत्र												
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	4	3	10	2	2	5	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1
32.	दमन और दीव	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	5	41	50	2	25	15	12	0	49	3	0	36
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	9	44	66	4	27	23	12	0	52	3	0	37
	कुल (पूरा भारत)	420	966	1791	288	799	1184	276	356	422	263	394	446

स्रोत: क्राइम इन इंडिया।

दूरभाष बातचीत का इंटरसेप्शन

***277. श्री महेश जोशी :**
श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत दूरभाष बातचीत को इंटरसेप्ट करने हेतु प्रणाली स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ लाइसेंस प्राप्त करने हेतु शर्तों और अपेक्षाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भारतीय तार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त है और वह स्वयं अथवा सेवा प्रदाताओं के माध्यम से दूरभाष बातचीत को इंटरसेप्ट करने के लिए प्राधिकृत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इंटरसेप्ट की गई दूरभाष बातचीत का रिकॉर्ड सेवा प्रदाताओं औ जांचकर्त्ता एजेंसियों द्वारा रखा जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो इंटरसेप्ट की गई बातचीत का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इन रिकॉर्डों को नष्ट करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : (क) और (ख) लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुसार प्रत्येक सेवा प्रदाता के विधिसम्मत अंतरावरोधन तथा मॉनिटरन के लिए अपने नेटवर्क में उपकरणों का प्रावधान करने की अपेक्षा की जाती है। जबकि संदेशों का विधिसम्मत अंतरावरोधन तथा मॉनिटरन भारतीय तार अधिनियमन, 1885 की धारा 5(2) के उपबंधों द्वारा शासित होता है तथा भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 419(क) द्वारा निर्देशित होता है।

(ग) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो दूरभाष बातचीत के अंतरावरोधन के लिए प्राधिकृत निधि प्रवर्तन एजेंसी है तथा यह भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) तथा भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 419(क) के उपबंधों के अनुसार दूरभाष बातचीत का अंतरावरोधन कर सकता है।

(घ) और (ङ) विधि प्रवर्तन एजेंसी द्वारा दूरभाष बातचीत तथा उसकी सामग्री से संबंधित रिकॉर्डों को भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 419(क) के उपनियम 8 के अनुसार अनुरक्षित तथा नियम 419(क) के उपनियम 18 के उपबंधों के अनुसार नष्ट किया जाना अपेक्षित है।

दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से दूरभाष बातचीत की सामग्री का रिकॉर्ड रखने की अपेक्षा नहीं की जाती क्योंकि इस सामग्री को सीधे उसके विधिसम्मत अंतरावरोधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसी को भेज दिया जाता है। संदेश के अंतरावरोधन से संबंधित निर्देशों के रिकॉर्ड से केवल दूरसंचार सेवा प्रदाता ही अवगत होते हैं जिसे दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 419(क) के उपनियम 19 के अनुसार नष्ट कर दिया जाएगा।

संदेशों का गैर-कानूनी रूप से अंतरावरोधन भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 26 के अंतर्गत एक दंडनीय अपराध है जिसके लिए तीन वर्ष तक विस्तारणीय अवधि के लिए कारावास या आर्थिक जुर्माना या दोनों दंड दिए जा सकते हैं।

सरकार ने दूरसंचार विभाग के अंतर्गत केंद्रीकृत मॉनिटरन प्रणाली परियोजना को लागू करने का निर्णय लिया है जिसके द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) से बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के सुरक्षित लिंकों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा लक्ष्य नम्बर को सीधे इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान की जाती है।

विधिसम्मत अंतरावरोधन की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से धारा 5(2) और नियम 419(क) के उपबंधों के विस्तार के रूप में गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सुरक्षा तथा विधि प्रवर्तन एजेंसियों को दूरभाष बातचीत के अंतरावरोधन के संबंध में एक संशोधित मानक प्रचालन क्रियाविधि (एसओपी) जारी की गई है। इस संशोधित मानक प्रचालन क्रियाविधि (एसओपी) से राज्यों को दिनांक 31.05.2011 को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों के साथ केन्द्रीय गृह सचिव की बैठक में अवगत कराया गया था तथा उन्हें राज्यों के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ इसी प्रकार की मानक प्रचालन क्रियाविधि (एसओपी) लागू करने पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से एक समान शिक्षा दिया जाना

***278. श्री जयवंत गंगाराम आवले :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा क्षेत्र में केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का आशय शिक्षा का एक समान स्तर सुनिश्चित करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) देश में गुणवत्तापरक शिक्षा के विस्तार के माध्यम से शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने एक समान और गुणवत्तापरक शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं शुरू की हैं। स्कूल शिक्षा के अंतर्गत योजनाओं में शामिल है:-

(i) **सर्व शिक्षा अभियान :** प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभ बनाने के लिए एक कार्यक्रम है। इसके समग्र लक्ष्यों में शिक्षा तक सबकी पहुंच और अधिकार, प्रारंभिक शिक्षा में लिंग-भेद और सामाजिक श्रेणी के अंतर को पाटने और बच्चों के शिक्षण स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना शामिल है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बच्चों का लक्षित समूह, 6-14 वर्ष आयु समूह है।

(ii) **राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान :** एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 2009-10 से कार्यान्वियनाधीन है जिसका उद्देश्य कक्षा 10 तक सभी विद्यार्थियों को अच्छी गुणवत्तापरक माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना और इसे सुलभ और वहनीय बनाना है। योजना में निवास-स्थान के 5 किलोमीटर के भीतर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराने और उनकी अवसंरचना और शिक्षक प्रावधानों को सुदृढ़ बनाकर राजकीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की परिकल्पना की गई है।

(iii) **अध्यापक शिक्षा संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना :** निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, अध्यापकों की गुणवत्ता में सुधार लाने और व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्कूल अध्यापक बनने के लिए तैयार करने हेतु राज्यों की सांस्थानिक क्षमता में विस्तार करने के लिए प्रमुख चुनौतियां प्रस्तुत करता है। तदनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुपालन में वर्ष 1987 के दौरान शुरू की गई अध्यापक शिक्षा का पुनर्गठन और पुनःसंरचना संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को संशोधित किया गया है ताकि प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूल सुविधाओं के व्यापक स्थानिक क्षेत्र और संख्या में विस्तार के कारण अध्यापक शिक्षा प्रणाली में आने वाली असाधारण चुनौतियों से निपटना, अध्यापकों की मांग से सदृश्य वृद्धि और शिक्षा अधिकार के तहत अध्यापक तैयार करने तथा अध्यापक प्रशिक्षण के संबंध में सरकार की सांविधिक बाध्यताओं को पूरा किया जा सके।

(iv) **मध्याह्न भोजन योजना :** नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति में वृद्धि करने और साथ ही साथ बच्चों के पोषणीय स्तरों में सुधार लाने के दृष्टिगत प्राथमिक शिक्षा पोषणीय सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में दिनांक 15 अगस्त, 1995 से देश के 2,408 खंडों में एक शुष्क राशन योजना के रूप में शुरू किया गया था। वर्षों से इस योजना को और प्रभावी बनाने के लिए अनके बार संशोधित किया गया है।

(v) उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रम/योजनाओं में शामिल है:-

(i) **374 माडल डिग्री कॉलेज स्थापित करना :** केन्द्र सरकार ने अभिचिन्हित शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 जिलों में से प्रत्येक जिले में, जहां पर उच्चतर शिक्षा का समग्र नामांकन अनुपात राष्ट्रीय समग्र नामांकन अनुपात से कम है, माडल डिग्री कालेज स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु एक योजना अनुमोदित की है।

(ii) **तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण-II :** तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण-I के दौरान प्राप्त उपलब्धियों के आधार पर विश्व बैंक की सहायता से कुल 2,430 करोड़ रु. की लागत से तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम चरण-II को एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iii) कौशल विकास के लिए समन्वित कार्रवाई के तहत पोलिटेक्निकों संबंधी उप-मिशन। पोलीटेक्निकों संबंधी उप-मिशनों में निम्नलिखित घटक हैं:—

(क) नए पोलिटेक्निकों की स्थापना करना।

(ख) मौजूदा पोलिटेक्निकों को सुदृढ़ बनाना।

(ग) पोलिटेक्निकों में महिला छात्रावासों का निर्माण।

(घ) पोलिटेक्निकों के जरिए समुदायिक विकास योजना।

इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक समान और गुणवत्तापरक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाए किए है।

परमाणु विद्युत संयंत्र

***279. डॉ. मुरली मनोहर जोशी :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान सहित कुछ देशों ने परमाणु विद्युत परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या परमाणु विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन के अन्य साधनों से महंगा है और यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक लागत क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को हतोत्साहित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) ऐसे अधिकांश देश, जो इस समय नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का प्रचालन कर रहे हैं, अपने-अपने नाभिकीय विद्युत कार्यक्रमों को जारी रखे हुए हैं। केवल जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ताइवान ने नाभिकीय विद्युत का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद करने की घोषणा की है। तथापि, उन्होंने, उन मौजूदा नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों का प्रचालन जारी रखा हुआ है जो अभी अपने जीवन-काल के अंत तक नहीं पहुंचे हैं। मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार, जापान ने, नाभिकीय विद्युत का उत्पादन चरणबद्ध रूप से बंद करने के लिए किसी सुस्पष्ट योजना की घोषणा नहीं की है।

(ग) जी, नहीं। नाभिकीय विद्युत की शुल्क-दर, इसी क्षेत्र में अवस्थित इसके समकालीन ताप विद्युत संयंत्रों की शुल्क-दर के तुलनीय है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। भारत के ऊर्जा संसाधन सीमित हैं और इसकी ऊर्जा संबंधी मांगे बड़ी और तेजी से बढ़ने वाली हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विद्युत उत्पादन के सभी स्रोतों का इष्टतम उपयोग करने की आवश्यकता है। भारत की ऊर्जा स्रोतों संबंधी रूपरेखा को देखते हुए, नाभिकीय विद्युत, दीर्घावधि सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्वच्छ विकल्प है।

[अनुवाद]

यूरेनियम की कमी

***280. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :**
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थापित परमाणु विद्युत संयंत्र ईंधन/यूरेनियम की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में परमाणु विद्युत के उत्पादन हेतु वैकल्पिक ईंधन अथवा प्रौद्योगिकी की खोज करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) देश में 4680 मेगावाट स्थापित क्षमता वाले 19 प्रचालनरत नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों में से, 2840 मेगावाट क्षमता के दस नाभिकीय

विद्युत रिएक्टरों में अर्थात् कैगा उत्पादन केन्द्र यूनिट 1 से 4 (4×220 मेगावाट), नरोरा परमाणु बिजलीघर यूनिट 1 तथा 2 (2×220 मेगावाट) और तारापुर परमाणु बिजलीघर यूनिट 3 तथा 4 (2×540 मेगावाट) में स्वदेशी यूरेनियम को, जोकि अपेक्षिम मात्रा में उपलब्ध नहीं है, ईंधन के रूप में काम में लाया जाता है। तद्नुसार, इन्हें ईंधन की आपूर्ति से संगतता स्वरूप अपेक्षाकृत कम विद्युत स्तरों पर प्रचालित किया जा रहा है। 1840 मेगावाट क्षमता वाले शेष नौ रिएक्टर, पृथक्करण योजना के अनुसरण में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के सुरक्षोपायों के अधीन हैं। इन नौ रिएक्टरों में आयातित यूरेनियम, जोकि अपेक्षित मात्रा में उपलब्ध है, को काम में लाया जाता है, और ये रिएक्टर निर्धारित क्षमता पर प्रचालन कर रहे हैं। सरकार ने, अन्वेषण संबंधी प्रयासों को बढ़ाकर, नई खानें और संसाधन सुविधाएं खोलकर स्वदेशी यूरेनियम की आपूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास किया है।

(ग) से (ङ) प्लूटोनियम आधारित ईंधन को काम में लाने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) के दूसरे चरण को प्रारम्भ किया गया है, और 500 मेगावाट क्षमता वाला एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) निर्माण की प्रगत अवस्था में है। इसके अतिरिक्त, इसी किस्म के और अधिक यूनिटों के संबंध में भी योजना तैयार की गई है। भारतीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के, थोरियम के उपयोग पर आधारित तीसरे चरण को, 3 से 4 दशकों के बाद, जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को काम में लाकर पर्याप्त नाभिकीय स्थापित क्षमता हासिल कर ली जाएगी, प्रारंभ किया जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) द्वारा अभिकल्पित 300 मेगावाट क्षमता का प्रगति भारी पानी रिएक्टर, विशेष तौर पर, थोरियम का बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक का काम करेगा। रिएक्टर की सभी नाभिकीय प्रणालियों के डिजायन का काम पूरा कर लिया गया है। प्रगत भारी पानी रिएक्टर का निर्माण-कार्य 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक प्रारंभ किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

बारात घरों और सामुदायिक केन्द्रों की कमी

2991. श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बारात घरों और सामुदायिक केन्द्रों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) से (ग) निदेशक कार्यालय (स्थानीय निकायों) ने सूचित किया है कि वर्तमान में, उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 244 सामुदायिक हाल/बारात घर हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी-2021) में शादियों/सार्वजनिक समारोहों के लिए तीन स्तरों पर विशेष श्रेणी यथा (i) शहरी बहुउद्देश्यीय मैदान (ii) जिला बहुउद्देश्यीय मैदान और (iii) सामुदायिक बहुउद्देश्यीय मैदान की व्यवस्था की गई है।

दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में विनिर्दिशों/नियमनों, डिविजनल स्पोर्टस सेंटर/गोल्फ कोर्स और मिश्रित नियमनों के अंतर्गत अधिसूचित वाणिज्यिक स्ट्रीटों सहित औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों के अध्यधीन महानगर सिटी सेंटर, जिला केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, औद्योगिक परिसरों में बैंकिट हालों की भी व्यवस्था की गई है।

पदोन्नति में आरक्षण

2992. श्री शेर सिंह घुबाया : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी भारत सरकार के अंतर्गत केवल श्रेणी-IV, श्रेणी-III, श्रेणी-II में पदोन्नति में आरक्षण और श्रेणी-I, में एक पदोन्नति के लिए हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए भारत सरकार में श्रेणी-I में सचिव स्तर तक के सभी पदों में पदोन्नति में आरक्षण पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को, गैर-चयन प्रणाली द्वारा पदोन्नति के मामले में, सभी समूहों अर्थात् क, ख, ग (पूर्ववर्ती समूह 'घ' पदों सहित) में क्रमश: 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है। चयन प्रणाली द्वारा पदोन्नति के मामले में समूह ख, ग तथा समूह क के निम्नतम स्तर तक इन्हीं के समान आरक्षण उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जहां तक केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में सचिव, अपर सचिव तथा संयुक्त सचिव के वरिष्ठ पदों का संबंध है, विदेश मंत्रालय के पदों को छोड़कर ये पद, केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाते हैं। प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर आरक्षण लागू नहीं होता है। राज्य संवर्गों सहित विभिन्न संवर्गों से उधार आधार पर लिए गए अधिकारी, जिन्हें ऐसे पदों को धारण करने के लिए पैनलबद्ध किया जाता है तथा जो प्रतिनियुक्ति हेतु अपना विकल्प देते हैं, को केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत नियुक्त किया जाता है। इसी प्रकार निदेशक के पद (केंद्रीय सचिवालय सेवा में पद शामिल नहीं) भी केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत भरे जाते हैं।

यदि पैनलबद्ध करने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, विशेष राज्य संवर्गों, पूर्वोत्तर आदि श्रेणियों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो इन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए पैनलबद्ध करने में उपयुक्त रियायत दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधित्व की उपयुक्तता का आशय होगा चार बैचों में संचयी प्रभाव से प्रतिनिधित्व अर्थात् वर्तमान बैच और इससे ठीक पहले के तीन बैचों का पैनल में शामिल किए जाने के अखिल भारतीय प्रतिशत से दो तिहाई से कम होना। इस आधार पर चयनित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या, अनुशंसित सूची में शामिल की गई संख्या से लगभग 15 प्रतिशत अधिक नहीं होगी, एवं इन चयनों में उपयुक्त रियायत सहित शर्तों के साथ अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। यह रियायत एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारी द्वारा सामान्य श्रेणी के अधिकारियों की तुलना में प्राप्त किए गए औसत भारित स्कोर के अनुसार दी जाती है, यदि वह सतर्कता दृष्टि से निर्दोष है।

ऐसे अनुदेश हैं कि 18,300 रुपए (पूर्व संशोधित) प्रतिमाह या इससे कम वेतन वाले समूह क (श्रेणी-I) के भीतर चयन द्वारा पदोन्नति के मामले में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के ऐसे अधिकारी, जो बनायी जाने वाली प्रवर सूची की रिक्तियों की संख्या के भीतर पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में आने के लिए काफी वरिष्ठ हैं, को सूची में शामिल किया जाएगा बशर्तें कि वे पदोन्नति के लिए अनुपयुक्त न पाए जाएं।

[अनुवाद]

स्टाफ की संख्या

2993. श्री रामसिंह राठवा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालयों/विभागों में स्टाफ की कुल स्वीकृत संख्या समूह-वार अर्थात् समूह-'क' से 'घ' तक कितनी है;

(ख) सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार कुल स्वीकृत संख्या में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए निर्धारित पदों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार स्टाफ की संख्या न होने के कारण, यदि कोई हों, क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) केन्द्र सरकार में दिनांक 01.03.2011 की स्थिति के अनुसार मंत्रालयों/विभागों में पदों की समूह-वार अनुमानित स्वीकृत संख्या निम्नलिखित सारणी में है:–

	समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'ग'	कुल
स्वीकृत पदों की संख्या	98977	228755	3335797	3663529

पूर्व के समूह 'घ' के पदों को छठे वेतन आयोग के कार्यान्वयन के बाद समूह 'ग' के रूप में श्रेणीकृत किया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए चिन्हित नौकरियों की कुल संख्या के आंकड़े केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

इस तरह के अनुदेश विद्यमान हैं कि आरक्षण, सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार ही प्रदान किया जाए। केन्द्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का प्रतिशत, जहां कहीं भी लागू होता है, इस प्रकार है:–

(i) सभी समूहों अर्थात् क, ख और ग (पूर्व के समूह 'घ' पदों सहित) में खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय

आधार पर सीधी भर्ती के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः 15% और 7.5% की दर से आरक्षण उपलब्ध है।

(ii) सभी समूहों अर्थात् क, ख और ग (पूर्व के समूह 'घ' पदों सहित) में खुली प्रतियोगिता से इतर माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती के मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः 16.6% और 7.5% की दर से आरक्षण उपलब्ध है।

(iii) समूह 'ग' (पूर्व के समूह 'घ' पदों सहित) के पदों पर सीधी भर्ती, जिन पर साधारणतः किसी स्थान अथवा क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थी ही आते हैं, के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत साधारणतः संबंधित राज्यों/संघ राज्यों में (अनुबंध के अनुसार) उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

(iv) चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति के मामले में समूह 'क' के निम्नतम स्तर तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्रमशः 15% और 7.5% की दर से आरक्षण उपलब्ध है। सभी समूहों अर्थात् क, ख, ग (पूर्व के समूह 'घ' पदों सहित) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को गैर-चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति में आरक्षण समान दरों पर उपलब्ध है।

विवरण

दिनांक 5.7.2005 के कार्यालय ज्ञा.सं. 36017/1/2004-स्थापना (आरक्षण) का अनुबंध

क्र. सं.	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	आरक्षण का प्रतिशत		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	16	7	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	45	0
3.	असम	7	12	27
4.	बिहार	16	1	27
5.	छत्तीसगढ़	12	32	6
6.	गोवा	2	12	18
7.	गुजरात	7	15	27
8.	हरियाणा	19	0	27
9.	हिमाचल प्रदेश	25	4	20
10.	जम्मू और कश्मीर	8	11	27
11.	झारखंड	12	26	12
12.	कर्नाटक	16	7	27
13.	केरल	10	1	27
14.	मध्य प्रदेश	15	20	15
15.	महाराष्ट्र	10	9	27
16.	मणिपुर	3	34	13
17.	मेघालय	1	44	5
18.	मिजोरम	0	45	5
19.	नागालैंड	0	45	0
20.	ओडिशा	16	22	12
21.	पंजाब	29	0	21
22.	राजस्थान	17	13	20
23.	सिक्किम	5	21	24
24.	तमिलनाडु	19	1	27

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	17	31	2
26.	उत्तराखंड	18	3	13
27.	उत्तर प्रदेश	21	1	27
28.	पश्चिम बंगाल	23	5	22
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	8	27
30.	चंडीगढ़	18	0	27
31.	दादरा और नगर हवेली	2	43	5
32.	दमन और दीव	3	9	27
33.	दिल्ली	15	7.5	27
34.	लक्षद्वीप	0	45	0
35.	पुदुचेरी	16	0	27

*कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4.7.2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36017/1/2007-स्था. (आरक्षण) के अंतर्गत संशोधन।

[हिन्दी]

राष्ट्र-विरोधी दुष्प्रचार

2994. श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ सोशल नेटवर्किंग ग्रुप और वेबसाइट भारत-विरोधी भावनाओं को भड़काने का काम कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक चिन्हित ऐसी वेबसाइटों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन वेबसाइटों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) हाल ही में सोशल नेटवर्किंग साइटों पर भड़काने वाले फोटोग्राफ और वीडियो क्लिप परिचालित करके और एसएमएस तथा एमएमएस के जरिए सांप्रदायिक भावनाओं को उकसाने के एक संयुक्त प्रयास को सरकार ने नोट किया है। अंतर्राष्ट्रीय सोशल नेटवर्किंग साइटों से शुरूआती प्रतिक्रिया से संकेत मिला है कि काफी सीमा तक ऐसी सामग्री देश के बाहर से निर्गम हो रही है। आपत्तिजनक और उत्तेजक सामग्री के लगभग 500 वेब पृष्ठ गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब और ब्लागस्पाट जैसी वेब साइटों पर होस्ट की गई पाई गई थी।

(ग) इस बारे में सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की है:—

- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सोशल नेटवर्किंग साइटों सहित सभी माध्यस्थों को अगस्त, 2012 को परामर्श जारी किया गया था जिसमें उन्हें अपनी वेबसाइटों पर आपत्तिजनक और घृणात्मक सामग्री को अशक्त करने के लिए प्राथमिक आधार पर आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है।
- अधिक एसएमएस तथा एमएमएस को 15 दिन के लिए ब्लाक करने तथा साथ ही 25 किलो बाइट्स से अधिक अटैचमैंट वाले एमएमएस को ब्लाक करने का आदेश जारी किया गया।
- कानून प्रवर्तन एजेंसियों के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69क के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तथा घृणात्मक सामग्री वाले 500 से अधिक वेब पृष्ठों/यूआरएल को ब्लॉक करने के लिए निदेश जारी किए हैं।
- "सरकार ने उत्तेजक सामग्री के 245 वेबपृष्ठ ब्लाक किए जिसमें भड़काऊ और हानिकारक सामग्री को होस्ट करने के संबंध में निरंतर निगरानी की जा रही है" शीर्षक से एक प्रेस नोट जारी किया।
- सरकार इस प्रकार की सामग्री के प्रभावी और सक्षम रूप से अशक्त करने के लिए सामाजिक नेटवर्किंग साइटों

सहित माध्यस्थों के साथ नियमित रूप से बातचीत कर रही है।

- इस मामले पर जागरूकता अभियान।

[अनुवाद]

मिशन-प्रमुखों का सम्मेलन

2995. **श्री ई.जी. सुगावनम :**
श्री आर. ध्रुवनारायण :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अभी हाल ही में मिशन-प्रमुखों का एक सम्मेलन आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेश नीतियों पर भी चर्चा हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 14-16 सितंबर, 2012 को नई दिल्ली में मिशन के अध्यक्षों का एक सम्मेलन हुआ था।

(ग) और (घ) इस सम्मेलन का उद्देश्य विदेशों से भारत के रिश्तों की उभरती हुई प्राथमिकताओं, अवसरों तथा चुनौतियों का एक व्यापक जायजा लेना था। तद्नुसार, प्रतिभागियों ने भारत के विस्तृत होते वैश्विक आर्थिक रिश्तों के विभिन्न पहलुओं सहित सम्पूर्ण प्रासंगिक द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विदेश नीति पर विचार-विमर्श किया।

प्रतिभावन वैज्ञानिकों को बढ़ावा

2996. **श्री कौशलेन्द्र कुमार :**
श्री रवनीत सिंह :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना वैज्ञानिक अनुसंधानों का बढ़ावा देने और प्रतिभावान वैज्ञानिकों तथा युवाओं को भौतिकी, रसायन-शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान में हुए आविष्कारों और उनके सिद्धांतों के बारे में अवगत कराके प्रोत्साहित करने की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी, हां। वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रतिभावना वैज्ञानिकों और युवाओं को बढ़ावा देना सरकार के एजेंडा में हमेशा सर्वोपरि रहा है। अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में नवोन्मेष जैसी स्कीमें शिक्षा और अनुसंधान को जोड़ने के लिए तैयार की गई हैं तथा विज्ञान के प्रति जागरुक नागरिकों को बढ़ावा देती हैं। इसके एक घटक, नामतः इंस्पायर इंटर्नशिप को मुख्यतः खोज एवं सिद्धांतों पर जागरुकता पैदा करने और विज्ञान अधिगम में रोचकता लाने हेतु माहौल तैयार करने के लिए तैयार किया गया है। 705 से अधिक विज्ञान शिविरों का आयोजन किया गया और लगभग 1,55,000 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया और कुल 40 नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने विज्ञान शिविरों के विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्त्ताओं के साथ भेंटवार्ता की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित की जाने वाली बाल विज्ञान कांग्रेस वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ाव देने तथा प्रेक्षण, आंकड़ों के संग्रहण, विश्लेषण और निर्णयों पर पहुंचने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों को सीखने तथा भौतिकी, रसायन और चिकित्सा विज्ञान सहित विज्ञान और इंजीनियरी के विभिन्न क्षेत्रों में निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए स्कूली विद्यार्थियों को अद्भूत अवसर प्रदान करती है। लिंडाऊ जर्मनी में नोबेल पुरस्कार विजेताओं और विद्यार्थियों की बैठक विज्ञान और इंजीनियरी के क्षेत्र में अत्याधुनिक विकास से भारतीय विद्यार्थियों को परिचित कराने के लिए डीएसटी का एक अन्य कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा प्रतिभावान वैज्ञानिकों और युवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की बहुत सी स्कीमें/कार्यक्रम हैं। इनमें किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहित योजना (केवीपीवाई), राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड कार्यक्रम युवा वैज्ञानिक अध्येतावृत्ति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्ति (एसपीएमएफ), विज्ञान में नेतृत्व हेतु युवाओं पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् कार्यक्रम (सीपीवाईएलएस), कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्ति (जेआरएफ/ एसआरएफ), अनुसंधान एसोसिएटशिप आदि शामिल हैं। स्कूली विद्यार्थियों हेतु सीएसआईआर नवोन्मेष पुरस्कार बच्चों के बीच बौद्धिक संपदा के लिए जागरुकता, रुचि और अभिप्रेरणा का सृजन करने के लिए एक विशेष आविष्कार पुरस्कार है।

अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो

2997. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) द्वारा अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो रेल शुरू करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक कंपनी का गठन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परियोजना संबंधी कार्य को कब तक आरंभ और पूरा किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएमआरसी) ने सूचित किया है कि उन्होंने वर्ष 2005 में अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच मेट्रो रेल शुरू करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की है।

(ख) गुजरात सरकार ने परियोजना कार्यान्वयन के लिए गांधी नगर और अहमदाबाद हेतु मेट्रो लिंक एक्सप्रेस (एमईजीए) कंपनी लिमिटेड नामक एक विशेष उद्देश्यीय वाहन (एसपीबी) तैयार किया है।

(ग) गुजरात सरकार ने एमईजीए कंपनी लिमिटेड को अहमदाबाद एवं गांधीनगर के बीच प्रस्तावित एलाइनमेंट की डीपीआर संशोधित करने और इसे दिसंबर, 2012 तक भारत सरकार को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

[हिन्दी]

शहरी अवसंरचना और शासन संबंधी निधियों में वृद्धि

2998. श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) घटक हेतु निधियों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा यूआईजी परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किए जाने के बावजूद निधियों (अतिरिक्त केंद्रीय सहायता) की अगली किशत जारी नहीं की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा अगली किशत कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) जी नहीं। मिशन ने अपना सामान्य कार्यकाल 31 मार्च, 2012 को पूरा कर लिया है। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत सुधारों और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ही 2 वर्ष अर्थात् मार्च, 2014 तक अवधि बढ़ाई है। वर्तमान में, नई परियोजनाओं पर विचार करने और अनुमोदित करने का कोई अधिदेश नहीं है।

(ग) और (घ) जेएनएनयूआरएम के उप-मिशन शहरी अवस्थापना और शासन के अंतर्गत अवस्थापना और शासन के तहत निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। अनुदानों (केन्द्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों) के 70% तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यूसी) की प्राप्ति और करार ज्ञापन में यथा-परिकल्पित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी/पैरास्टेटल स्तर पर अनिवार्य और वैकल्पिक सुधारों के कार्यान्वयन के लिए सहमत उपलब्धियां प्राप्त होने की शर्त पर धनराशि जारी की जाती है। जेएनएनयूआरएम के तहत धनराशि की आगे की किस्त जारी करने के लिए मंत्रालय की केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा उक्त मानदंडों को पूरा करने वाले उपयोगिता प्रमाणपत्र पर विचार किया जाता है।

[अनुवाद]

फिलिस्तीन को सहायता

2999. श्री सी. शिवासामी : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिलिस्तीन को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सत्य है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन का समर्थन करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार ने 11 सितंबर, 2012 को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति श्री महमूद अब्बास के राजकीय दौरे के दौरान फिलिस्तीन को 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता की घोषणा की थी।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हमेशा ही फिलिस्तीनी आंदोलन का समर्थन किया है। भारत ने वर्ष 2011 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीनी आवेदन का पुरजोर समर्थन किया। माननीय प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर, 2011 को संयुक्त राष्ट्र महा सभा (युएनजीए) में अपने भाषण में कहा था कि भारत फिलिस्तीन का संयुक्त राष्ट्र में समान हैसियत वाले सदस्य के रूप में स्वागत करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। दिनांक 11 सितंबर, 2012 को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति श्री महमूद अब्बास के भारत के राजकीय दौरे के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण तथा समान सदस्यता के लिए फिलिस्तीन के दावे का समर्थन करना जारी रखेगा। हाल ही में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महा सभा में फिलिस्तनी की हैसियत 'नॉन-मेंबर ऑब्जर्वर इंटिटी' से 'नॉन-मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट' के रूप में बढ़ाने हेतु संकल्प का सहप्रायोजन तथा समर्थन किया, जिसे 29 नवंबर, 2012 को पारित किया गया था।

कॉल करने वाले का सत्यापन

3000. श्रीमती दर्शना जरदोश : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झूठी कॉल करने की गतिविधियों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय के परामर्श से मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) पीसीओ और इंटरनेट कैफे में कॉल करने वालों की पहचान के सत्यापन के लिए कौन-सा विनियामक तंत्र मौजूद है;

(ग) क्या राज्य सरकारें कॉल करने वालों का अनिवार्य रूप से रजिस्टर में लेखा-जोखा रखने और कॉल करने वालों को उनका वैध पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से दिखाने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटरों को अधिसूचना जारी करने के लिए प्राधिकृत हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चूककर्त्ता टेलीफॉम ऑपरेटरों और पीसीओ मालिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) झूठी कॉलों की पहचान को सुगम बनाने के लिए सार्वजनिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजियों द्वारा रजिस्ट्रर में रिकॉर्ड रखने और कॉलर द्वारा वैध पहचान-पत्र दिखाने के बारे में निर्णय करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा गृह मंत्रालय और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ परामर्श किया गया है। भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संगत प्रावधानों के तहत भी झूठी कॉल करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79 के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (साइबर कैफे हेतु दिशा-निर्देश) नियमावली, 2011 को दिनांक 11.04.2011 को अधिसूचित किया है। उक्त नियमावली के नियम 4 में साइबर कैफे का इस्तेमाल करने वालों की पहचान करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, नियम 5 के तहत, साइबर कैफे द्वारा प्रयोक्ताओं का एक रजिस्टर बनाने को अनिवार्य कर दिया गया है।

(ग) और (घ) पीसीओ फ्रेंचाइजी और लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवाप्रदाताओं के मध्य किए गए समझौते के तहत पीसीओ का संचालन पीसीओ फ्रेंचाइजियों द्वारा किया जाता है और चूंकि दूरसंचार केन्द्र सरकार का विषय है इसलिए नीति निर्धारण का अधिकार केन्द्र सरकार का होता है। तथापि, संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'सार्वजनिक आदेश' राज्य सरकार के विषय हैं और इसलिए ऐसी झूठी कॉलों को रोकने, उनकी पहचान करने और उनकी जांच करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों की होती है। इसलिए स्थानीय पुलिस प्राधिकारी/राज्य सरकारें कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्थानीय नियमों/विशेष नियमों के आधार पर समुचित अधिसूचनाएं जारी कर सकती हैं।

(ङ) सार्वजनिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) फ्रेंचाइजियों द्वारा प्रयोक्ताओं का पहचान-पत्र मांगने और रजिस्टर रखने को अनिवार्य करने के बारे में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं लेकिन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल पीसीओ धारकों के सत्यापन को अनिवार्य किया गया है। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा मोबाइल पीसीओ धारक का सत्यापन नहीं करने के मामले का पता चलने पर जुर्माना लगाया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन

3001. श्री नलिन कुमार कटील :
श्री पोन्नम प्रभाकर :
श्री बी.वाई. राघवेन्द्र

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उत्पादित ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का घरेलू उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर विकसित करने के लिए सहायता देने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार देश में स्थापित ऐसे कलस्टरों का राज्य-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में अब तक राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) देश में उत्पादित कुछ जाने-माने ब्रांड वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग वर्ष 2011-12 में 82 बिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रम में थी और 2020 तक इसके 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की आशा है। हालांकि देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान का घरेलू उत्पादन 2011-12 में केवल 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रम में था।

(घ) सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए विश्व स्तर की अवसंरचना उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 22.10.2012 की अधिसूचना सं. 8(50)/2011-आईपीएचडब्ल्यू के जरिए इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कलस्टर (ईएमसी) योजना अधिसूचित की है।

(ङ) इस योजना के अंतर्गत अब तक कोई कलस्टर स्थापित नहीं किया गया है।

(च) योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण कलस्टर में सामान्य अवसंरचना तथा सम्बद्ध सुविधाओं की स्थापना के लिए गठित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

विवरण

I. देश में उत्पादित ब्रांडेड उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद*

राष्ट्रीय ब्रांड	एमएनसी ब्रांड	क्षेत्रीय ब्रांड
विडियोकोन	एलजी	टी-सीरिज़
ऑनिडा	सैमसंग	बेलटेक
आईगो	नोकिया	वेस्टॉन
सोनोडाइन	हेयर	सालोरा
अहूजा रेडियो	पैनासोनिक	क्राउन
	शार्प	डेनिक्स
	फिलिप्स	
	केनवुड	
	सैनसुई	

**स्रोत:* उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक और अनुप्रयोग विनिर्माण एसोसिएशन।

II. देश में उत्पादित ब्रांडेड कम्प्यूटर हार्डवेयर उत्पाद**

राष्ट्रीय ब्रांड	एमएनसी ब्रांड
1	2
एचसीएल	एस्सर
व्रिपो	डेल
जेनिथ	एचपी

1	2
सीसीएस	लीनोवो
डाटामिनी	सैमसंग
एचएलबीएस	एलजी
केबीएस	
पेनटेल	
आरपी इंफोसिस्टम	
साईं इन्फोसिस्टम	

**स्रोत: सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विनिर्माताओं का एसोसिएशन (एमएआई)।

उपभोक्ताओं की शिकायतें

3002. श्री सी.आर. पाटिल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय भंडारण की शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा अधिक दाम लेने के बारे में केन्द्रीय भंडार के प्रबंध निदेशक को प्राप्त शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई और प्रत्येक मामले में कितना अधिक दाम लिया गया;

(ग) प्रत्येक मामले में कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) प्रत्येक मामले में शिकायतकर्त्ता को प्रदान की गई राहत का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (घ) पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय भंडार की शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा अधिक दाम लेने के बारे में केन्द्रीय भंडार को तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की विधिवत जांच-पड़ताल की गई थी और संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार कार्रवाई की गई थी।

विवरण

पिछले दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दिल्ली में केन्द्रीय भंडार की शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा अधिक दाम लेने के बारे में प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय भंडार द्वारा प्राप्त की गई ग्राहकों की वर्ष-वार शिकायतें

वर्ष : 2010-2011

क्र. सं.	शिकायत का ब्यौरा	शिकायतकर्त्ता के अनुसार अधिक वसूल की गई राशि का ब्यौरा	दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई	शिकायतकर्त्ता को दी गई राहत
	1	2	3	4
1.	24.10.2010 श्री इंद्रजीत गुगलानी, निवासी जेएनयू-II स्टोर के सामने जेएनयू से प्राप्त शिकायत	स्कॉच ब्राइट स्क्रब पर रु. 2/- अधिक दाम लेना।	दिनांक 11.10.2011 को स्टोर प्रभारी, जेएनयू स्टोर और श्री केशव सिंह, हेल्पर को चेतावनी पत्र जारी किया गया।	स्टोर प्रभावी द्वारा ग्राहकों को रु. 2/- अधिक दाम लगाए जाने की राशि वापस की गई है।

1		2	3	4
2.	09.01.2011 श्री वी.पी. शर्मा, निवासी आईएनए कालोनी स्टोर के सामने लक्ष्मी बाई नगर	राजधानी केसरी चना पर 7/- से 10/- रु. का अधिक दाम लेना	केन्द्रीय भंडार स्टोर पर जांच-पड़ताल के बाद किसी प्रकार का अधिक दाम न लेने का पता चला।	शिकायतकर्त्ता को तद्नुसार सूचित कर दिया गया था।

वर्ष : 2011-2012

क्र. सं.	शिकायत का ब्यौरा	शिकायतकर्त्ता के अनुसार अधिक वसूल की गई राशि का ब्यौरा	दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई	शिकायतकर्त्ता को दी गई राहत
1.	10.10.2011 श्री वी.पी. शर्मा, लक्ष्मी बाई नगर, नई दिल्ली से प्राप्त शिकायत	देशी घी के लिए 2/- रु. अधिक का दाम लेना।	केन्द्रीय भंडार स्टोर पर जांच-पड़ताल के बाद किसी प्रकार का अधिक दाम न लेने का पता चला।	शिकायतकर्त्ता को तद्नुसार सूचित कर दिया गया था।

वर्ष : 2012-2013

रिकार्डों के अनुसार, वर्तमान में 2012-2013 (अप्रैल, 12 से नवम्बर, 2012) में ग्राहकों से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा

3003. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए पांच सूत्रीय एजेंडा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त एजेंडे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त एजेंडा शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देगा; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, जहां स्वतः मार्ग से पहले ही 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत है, विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं। भारत में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश और प्रचालन का कार्यढांचा निर्धारित करने के लिए संसद में विधान प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यापकों की कमी

3004. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के संस्कृत विश्वविद्यालयों में अध्यापकों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो संस्कृत विश्वविद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात अन्य विश्वविद्यालयों में इस संबंध में निर्धारित मानक अनुपात की तुलना में कितना कम है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

[अनुवाद]

प्रत्येक 'डाइट' संस्थान में नवाचार केन्द्र

3005. श्री पी.टी. थॉमस : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नवाचार परिषद् ने देश के प्रत्येक जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में एक नवाचार केन्द्र के सृजन का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) मई, 2011 में राष्ट्रीय नवाचार परिषद् ने प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में एक नवाचार केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया था ताकि शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार किया जा सके और यह उन्हें सृजनशीलता तथा नवाचारी चिंतन के सुविधा-प्रदाता बनने में सक्षम बनाता है।

(ख) XIIवीं योजना के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा गठित अध्यापक शिक्षा संबंधी कार्य समूह ने अक्तूबर, 2011 की अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफाशि की थी कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं की नवाचारी पद्धतियां विकसित करने और स्कूल शिक्षकों को शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करने में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की बड़ी भूमिका है और इस प्रयोजनार्थ अनेक कार्यनीतियों का सुझाव दिया है। XIIवीं योजना के लिए अध्यापक शिक्षा के केन्द्र प्रायोजित योजना, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, में डाइट की परिकल्पना विभिन्न कार्यकलापों, जिनमें प्रयोग और नवाचारी प्रयासों के माध्यम से स्थानीय ऐतिहासिक स्मारकों, वनस्पति, त्यौहार एवं सांस्कृतिक घटनाओं, शिल्प आदि पर आधारित सामग्री का विकास शामिल है, को करने के लिए जिला स्तर पर शिक्षण-अधिगम हेतु एक शैक्षिक संसाधन केन्द्र के रूप में की गई है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग में रिक्तियां

3006. श्री एस. सेम्मलई : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार, केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) में संस्वीकृत पदों और इनकी रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस संबंध में क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का सीवीसी के बढ़ते हुए कार्यभार के निर्वहन के लिए अतिरिक्त स्टाफ की मंजूरी देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) आज की तारीख में केन्द्रीय सतर्कता आयोग में 296 संस्वीकृत पद हैं। इनमें से 52 पद (12 समूह 'क', 18 समूह 'ख' और 22 समूह 'ग' के पद) रिक्त हैं।

(ख) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पद या तो केन्द्रीय स्टाफिंग योजना अथवा पदों के लिए निर्धारित भर्ती नियमों के अंतर्गत भरे जाते हैं। केन्द्रीय स्टॉफिंग योजना के अंतर्गत अधिकारियों की अनुपलब्धता/कार्यभार न संभालना, प्रतिनियुक्ति पर भरे जाने वाले पदों हेतु उम्मीदवारों की कमी और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामित किए गए उम्मीदवारों का कार्यभार न संभालना आदि पदों के रिक्त रहने के कारण हैं।

(ग) और (घ) वर्तमान में केन्द्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त स्टाफ की संस्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

दस्तावेजों का कोटि-परिवर्तन

3007. डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय देशों से संबंधित कतिपय दस्तावेजों का कोटि-परिवर्तन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विधि के अंतर्गत यथावश्यक ऐसे और अधिक दस्तावेजों की कोटि परिवर्तित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय के विस्तृत दिशा-निर्देशों – 'मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटलि सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन-III/11014/6/97-आईएस (डी-III)' के अनुरूप ही विदेश मंत्रालय दस्तावेजों का कोटि-परिवर्तन करता रहा है।

(ग) और (घ) उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार, दस्तावेजों का कोटि-परिवर्तन करना एक सतत् तथा लगातार चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

गुजरात के लिए विकास योजनाएं

3008. **श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने गुजरात के लिए नई विकास योजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) योजना आयोग द्वारा 2012-13 के दौरान गुजरात के लिए कोई नई विकास स्कीमें अनुमोदित नहीं की गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

लुटियन क्षेत्र में असुरक्षित बंगले

3009. **श्री पोन्नम प्रभाकर :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि लुटियन क्षेत्र स्थित लगभग 600 बंगलों को ढहाने/उनकी पुन:सज्जा करने/उनकी जगह नवनिर्माण किए जाने की आवश्यकता है चूंकि इनका ढांचा असुरक्षित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) लुटियन जोन में बंगलों की खतरनाक/संरचनात्मक रूप से असुरक्षित/संरचनात्मक रूप से सुरक्षित स्थिति की पहचान करने हेतु वर्ष 2001-2002 में एक सर्वेक्षण कराया गया था। सर्वेक्षण में यह पाया गया था कि 29 बंगले अति जर्जर हालत में थे, 487 बंगले संरचनात्मक रूप से असुरक्षित और 76 बंगले संरचनात्मक रूप से सुरक्षित थे, सरकार ने इन बंगलों को ढहाने/मरम्मत करने/प्रतिस्थापित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

एयरलाइनों को संकट की स्थिति में उबारने के लिए पैकेज

3010. **श्री रायय्या सिरिसिल्ला :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वित्तीय सहायता संकट से उबारने संबंधी प्रदान करने की कुछ निजी एयरलाइनों की मांगों को स्वीकार नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एयर इंडिया सहित इसकी तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) मंत्रालय में निजी एयरलाइनों के लिए संकट से उबारने संबंधी कोई भी पैकेज विचाराधीन नहीं है।

(ग) सरकार ने अप्रैल, 2012 में एयर इंडिया की कायाकल्प योजना/वित्तीय पुनर्संरचना योजना का अनुमोदन किया है। भारत सरकार ने अनुमोदित योजना के अनुरूप अब तक 5200 करोड़ रुपए की इक्विटी का निवेश किया है।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे विमानपत्तन

3011. श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री चंद्रकांत खैरे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में अकोला विमानपत्तन सहित विभिन्न विमानपत्तनों को हुए घाटे का विमानपत्तनवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन विमानपत्तनों को अर्थक्षम और लाभप्रद बनाने के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों का विमानपत्तनवार ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के विभिन्न हवाईअड्डों पर हुए घाटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। चालू वर्ष (2012-13) से संबंधित विवरण वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद ही उपलब्ध होगा। इन हवाईअड्डों पर हुए ऐसे घाटे का प्रमुख कारण इन हवाईअड्डों पर पर्याप्त हवाई यातायात न होना है।

(ख) हवाईअड्डों की व्यवहार्यता/लाभप्रदता यातायात पर निर्भर करती है। घरेलू सेक्टर में उड़ान प्रचालनों को अविनियमित किया जा चुका है और एयरलाइनों द्वारा उड़ानों का प्रचालन यातायात मांग, वाणिज्यक व्यवहार्यता और मार्ग को संवितरण दिशानिर्देशों के आधार पर किया जा रहा है।

इन हवाईअड्डों को व्यवहार्य और लाभकारी बनाने के लिए किए जा रहे उपायों में शामिल हैं:- विशेषकर उन हवाईअड्डों पर जहां एएआई ने नए टर्मिनल भवन विकसित किए हैं, वहां कम यायायात की वजह से हुए घाटे को पूरा करने के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वायबिलिटी गैप फंडिंग) के रूप में प्रयोक्त विकास शुल्क (यूडीएफ) की वसूली, टर्मिनल भवनों के भीतर गैर-यातायात वाणिज्यिक राजस्वों को बढ़ाना, क्षमता से कम प्रयुक्त हवाईअड्डों पर उड़ानें प्रचालित करने के लिए एयरलाइनों को प्रोत्साहन प्रदान करना आदि।

विवरण

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान घाटे में रहे हवाईअड्डों का ब्यौर

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य का नाम	हवाईअड्डे का नाम	वर्ष								
			2009-10			2010-11			2011-12 (अनंतिम)		
			कुल राजस्व	कुल व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि	कुल राजस्व	कुल व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि	कुल राजस्व	कुल व्यय	कर पूर्व लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पोर्ट ब्लेयर	999.40	1168.82	-169.42	1101.87	1575.15	-473.28	1306.71	1677.54	-370.83
2.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा	00.00	92.37	-92.37	2.34	370.95	-368.61	2.75	455.78	-453.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.		हैदराबाद (बेगमपेट)	2661.50	3025.50	-364.00	1762.40	4386.80	-2624.40	2068.18	4970.06	-2901.88
4.		राजमुंदरी	285.95	532.51	-246.56	176.95	558.84	-381.89	207.65	686.65	-478.99
5.		तिरुपति	530.76	1491.46	-960.70	581.80	1401.67	-819.87	682.74	1722.23	-1039.49
6.		विजयवाड़ा	194.45	1255.04	-1060.59	199.33	1303.77	-1104.44	233.91	1601.94	-1368.03
7.		विशाखापट्टनम	1387.38	2969.37	-1581.99	1936.41	3268.33	-1331.92	2272.38	4015.80	-1743.43
8.	अरुणाचल प्रदेश	पासी	2.24	228.69	-226.45	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
9.		तेजु	00.00	28.86	-28.86	00.00	25.60	-25.60	00.00	28.71	-28.71
10.	असम	डिब्रूगढ़ (मोहनबाडी)	593.21	1562.32	-969.11	612.25	2330.20	-1717.95	858.07	2613.31	-1755.25
11.		गुवाहाटी	3427.23	4385.94	-958.70	4823.32	6816.65	-1993.33	6759.88	7644.87	-884.99
12.		जोरहाट	244.62	716.96	-472.34	115.85	425.11	-309.26	162.36	476.76	-314.40
13.		लीलाबारी (उत्तरी लखीमपुर)	13.88	704.21	-90.34	13.90	889.63	-875.73	19.48	997.72	-978.24
14.		सिलचर (कुम्भीग्राम)	242.01	998.18	-756.17	270.23	859.06	-588.83	378.73	963.43	-584.71
15.		तेजपुर	6.06	412.34	-406.28	10.38	450.50	-440.12	14.55	505.24	-490.69
16.	बिहार	स्टाइल	294.05	1956.68	-1662.63	221.69	2306.22	-2084.53	262.90	2456.12	-2193.22
17.		पटना	1683.65	3109.92	-1426.27	2212.04	4488.28	-2276.24	2623.26	4780.02	-2156.76
18.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	1052.15	1416.55	-364.40	1428.80	2543.24	-1114.44	1654.26	2838.25	-1183.99
19.		रायपुर (मन्ना शिविर)	1408.16	1911.70	-503.54	1651.59	2276.99	-625.40	1958.62	2545.00	-586.38
20.	दिल्ली	दिल्ली (सफदरजंग)	47.74	3138.43	-3090.69	601.17	3647.62	-3046.45	696.03	4070.74	-3374.71
21.	गुजरात	भावनगर	140.62	1043.94	-903.32	151.61	940.32	-788.71	168.61	1120.67	-952.07
22.		भुज	301.17	638.16	-336.99	220.43	634.25	-413.82	245.14	755.89	-510.75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.		जामनगर	196.01	393.64	−187.63	207.27	340.31	−133.04	230.50	405.59	−175.08
24.		कांडला	53.05	231.25	−278.20	72.61	333.59	−260.98	80.75	397.57	−316.82
25.		केशोद (जूनागढ़)	7.47	198.91	−191.44	2.95	186.93	−183.98	3.28	222.79	−219.50
26.		पोरबंदर	60.06	750.42	−690.36	64.16	760.53	−696.37	71.35	906.40	−835.05
27.		पत्र	134.34	1848.00	−1713.67	325.86	1966.45	−1640.59	362.39	2163.62	−1801.23
28.		राजकोट	430.02	1232.01	−801.99	562.62	1251.59	−688.97	625.69	1491.65	−865.96
29.		वडोदरा (बड़ौदा)	1587.40	2972.48	−1385.09	1659.23	2646.62	−987.39	1845.23	3019.24	−1174.01
30.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा (गग्गल)	28.54	522.77	−494.23	45.24	634.62	−589.38	52.38	708.23	−655.85
31.		कुल्लू (भुनटार)	100.49	1131.41	−1030.92	61.97	1300.29	−1238.32	71.75	1451.12	−1379.37
32.		शिमला	23.99	550.26	−526.27	18.77	589.77	−571.00	21.73	658.19	−636.46
33.	जम्मू और कश्मीर	जम्मू	1281.21	1544.91	−263.70	1741.95	1746.40	−4.45	2016.83	2049.98	−33.15
34.		लेह	414.60	535.00	−120.39	415.72	914.18	−498.46	481.32	1020.22	−538.90
35.		श्रीनगर	1873.33	2757.38	−884.05	2132.53	5593.49	−3460.96	2469.04	6072.33	−3603.29
36.		रांची	739.85	3054.94	−2315.09	1039.59	3374.88	−2335.29	1232.85	3594.24	−2361.39
37.	कर्नाटक	बैंगलोर (एचएएल)	255.98	1822.73	−1566.75	141.33	1672.14	−1530.81	165.85	1836.56	−1670.71
38.		बेलगाम	20.71	745.62	−724.91	28.35	933.44	−905.09	33.27	1146.92	−1113.65
39.		हुबली	145.10	454.73	−309.63	150.41	472.78	−322.37	176.51	580.90	−404.40
40.		मंगलौर	2841.65	4868.69	−2027.04	3274.41	5793.91	−2519.50	3842.52	6818.98	−2976.46
41.		मैसूर	00.00	33.24	−33.24	33.67	1214.98	−1181.31	39.51	1492.85	−1453.34
42.	केरल	त्रिवेंद्रम	10657.06	8174.94	2482.13	11255.18	12853.92	−1598.74	13207.95	15293.61	−2085.66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43.	लक्षद्वीप	अगाती	61.16	420.73	-359.56	116.64	646.76	-530.12	136.88	794.67	-657.80
44.	मध्य प्रदेश	भोपाल	869.16	3324.37	-2455.21	1047.81	5246.41	-4198.60	1165.27	5752.68	-4587.41
45.		ग्वालियर	18.44	508.44	-490.00	21.13	463.26	-442.08	23.55	552.11	-528.56
46.		इन्दौर	2261.50	3334.59	-1073.09	2454.11	3658.91	-1204.80	2729.22	4160.69	-1431.48
47.		जबलपुर	165.45	585.64	-420.19	94.15	565.71	-471.56	104.70	674.21	-569.51
48.		खजुराहो	279.96	1689.15	-1409.19	302.05	1758.01	-1455.96	335.91	1935.20	-1599.29
49.	महाराष्ट्र	अकोला	00.00	28.59	-28.59	00.00	102.91	-102.91	00.00	122.65	-122.65
50.		औरंगाबाद	672.33	3143.65	-2471.32	769.14	3774.19	-3005.05	855.36	4198.08	-3342.72
51.		गोंदिया	21.32	109.45	-88.13	157.01	930.01	-773.00	174.61	1108.39	-933.78
52.	मणिपुर	इम्फाल	1720.00	4382.67	-2662.67	1125.00	2186.47	-1061.47	1576.69	2452.12	-875.43
53.	मेघालय	शिलांग (बारापानी)	27.05	508.42	-481.37	25.58	703.59	-678.01	35.85	789.08	-753.23
54.	नागालैंड	दीमापुर	221.72	1426.91	-1205.19	145.45	1363.02	-1217.57	203.85	1528.63	-1324.78
55.	ओडिशा	भुवनेश्वर	2184.93	3467.11	-1282.18	2831.87	4166.68	-1334.81	3358.31	4437.51	-1079.20
56.		झारसुगुदा	0.78	178.97	-178.19	2.16	700.64	-698.48	2.56	746.18	-743.62
57.	पुदुचेरी	पुदुचेरी	847.09	487.17	359.92	230.51	517.35	-286.84	270.50	635.66	-365.16
58.	पंजाब	अमृतसर	3553.43	8131.45	-4578.02	5700.01	8403.53	-2703.52	6599.47	9378.34	-2778.87
59.		लुधियाना	3.52	892.08	-888.56	24.84	487.83	-462.99	28.76	544.42	-515.66
60.		पठानकोट	3.16	336.74	-333.59	00.00	352.35	-352.35	00.00	393.22	-393.22
61.	राजस्थान	जयपुर	5625.02	8632.41	-3007.39	6854.38	8789.92	-1935.54	793600	9809.55	-1873.55
62.		जैसलमेर	12.24	107.89	-107.65	00.04	235.94	-235.90	00.05	263.31	-263.26
63.		जोधपुर	379.12	1097.93	-718.81	424.24	1149.10	-724.86	491.19	1282.39	-791.21
64.		शहर	2.94	158.14	-155.20	1.55	170.24	-168.69	1.79	189.98	-188.19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.		उदयपुर	834.46	3661.37	-2826.91	1239.87	3876.95	-2637.08	1435.52	4326.67	-2891.15
66.	तमिलनाडु	कोयंबत्तूर	3413.83	3783.60	-369.77	3446.06	5024.60	-1578.54	4043.95	6173.73	-2129.78
67.		मदुरै	857.12	2262.31	-1405.19	923.19	3544.30	-2621.11	1083.36	4004.88	-2921.51
68.		सलेम	25.17	117.72	-92.55	294.09	300.32	-6.23	345.11	369.00	-23.89
69.		त्रिची	2610.10	4059.30	-1449.20	3654.85	4505.48	-850.63	4288.97	5535.88	-1246.91
70.		तूतीकोरिन	63.62	220.42	-156.80	71.51	246.40	-174.89	83.92	302.76	-218.84
71.		वेल्लौर	00.00	13.47	-13.47	12.12	18.20	-18.08	12.14	22.36	-22.22
72.	त्रिपुरा	अगरतला	1182.75	2487.47	-1304.73	1552.90	3371.74	-1818.84	2176.39	3781.41	-1605.02
73.		कैलाशहर	35.78	81.95	-46.17	00.00	1.73	-1.73	00.00	1.94	-1.94
74.		खोवाई	00.00	8.63	-8.63	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
75.	उत्तर प्रदेश	आगरा	92.54	1154.96	-1062.42	61.87	1183.87	-1122.00	71.63	1321.20	-1249.57
76.		इलाहाबाद	30.83	538.87	-508.04	30.12	603.42	-573.30	34.87	673.42	-638.55
77.		गोरखपुर	21.37	233.26	-211.89	34.13	201.11	-166.98	39.52	224.44	-184.92
78.		कानपुर	34.53	591.45	-556.92	256.81	694.22	-437.41	297.33	774.75	-477.42
79.		लखनऊ	4381.44	6205.86	-1824.42	4947.11	6291.45	-1344.34	5727.76	7021.26	-1293.50
80.		वाराणसी	1526.80	3444.76	-1917.96	1984.17	5411.45	-3427.28	2297.27	6039.18	-3741.91
81.	उत्तराखंड	देहरादून	151.93	1982.93	-1831.00	311.34	2671.16	-2359.82	360.47	2981.02	-2620.55
82.		पंतनगर	51.15	644.07	-592.92	37.36	747.25	-709.89	43.26	833.93	-790.68
83.	पश्चिम बंगाल	बागडोगरा	1115.95	2410.05	-1294.10	1260.98	1273.78	-12.80	1495.40	1506.58	-11.18
84.		बालुरघाट	0.71	9.65	-8.94	12.02	175.87	-175.85	12.02	187.30	-187.27
85.		बहला	28.13	99.09	-70.96	179.25	247.07	-67.82	212.57	263.13	-50.56
86.		कूच-बिहार	2.97	158.41	-155.44	12.07	594.60	-594.53	12.08	633.25	-633.16
87.		मालदा	12.41	52.78	-52.37	4.87	48.57	-43.70	5.78	51.73	-45.95

[अनुवाद]

प्रशासनिक सेवाओं में पार्श्विक प्रवेश

3012. श्री नवीन जिन्दल : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक और नौकरशाही संबंधी सेवाओं में आवेदन वाले लोगों के लिए आयु संबंधी सीमा विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन सेवाओं में प्रवेश के लिए पार्श्विक भर्ती हेतु कोई दिशा-निर्देश हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पार्श्विक भर्ती के माध्यम से कुल कितनी नियुक्तियां की गईं हैं एवं सरकार द्वारा अपनी सेवाओं के लिए अनुभवी प्रतिभा को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास पार्श्विक रिक्रूटी की नियुक्ति की अनुमति देने की कोई योजना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में सीधी भर्ती से की जाने वाले नियुक्ति के संबंध में ऊपरी आयु सीमा, संबंधित भर्ती/सेवा नियमों में, निर्धारित है। जहां तक सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का सरोकार है, किसी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने का पात्र होने के लिए परीक्षा के वर्ष की 1 अगस्त को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी होती है और उसकी आयु 30 वर्ष नहीं होनी चाहिए। नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम पांच वर्ष; अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 3 वर्ष; जम्मू और कश्मीर के स्थाई निवासियों के लिए अधिकतम पांच वर्ष; किसी दूसरे देश के साथ हुए युद्ध अथवा किसी दंगा ग्रस्त क्षेत्र में किए गए आप्रेशन के कारण निशक्त हुए और इसके परिणामस्वरूप सेवा से सेवानिवृत्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष; भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम पांच वर्ष; इमरजेंसी कमीशंड अधिकारियों/शॉर्ट सर्विस कमीशंड अधिकारियों के मामले में अधिकतम पांच वर्ष की छूट है। इसके अलावा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए उपरी आयु सीमा में अधिकतम 10 वर्ष की छूट है तथा यह छूट नियमों के अनुसार पहले संदर्भित छूट में जोड़ी जाती है।

(ग) केंद्रीय सेवाओं में पार्श्विक भर्ती के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जहां तक अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती का सरोकार है, संबंधित विनियमों में "पार्श्विक भर्ती" जैसी किसी भी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। तथापि, राज्य सिविल सेवा अधिकारियों/गैर-राज्य सिविल सेवा अधिकारियों को, तीन अखिल भारतीय सेवाओं पर लागू नियुक्ति विनियमों और चयन विनियमों के अनुसार अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति/चयन के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारतीय पुलिस सेवा (सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) नियमावली, 2011 अधिसूचित कर दी गई है जिसमें पांच वर्ष सेवा वाले राज्यों के पुलिस उप-अधीक्षकों, केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के सहायक कमांडेंटों और सशस्त्र बलों के कैप्टन अथवा मेजर अथवा समतुल्य रैंक के अधिकारियों की, भारतीय पुलिस सेवा में सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है।

(घ) अखिल भारतीय सेवा के किसी संवर्ग के पदोन्नति कोटा का निर्धारण प्रो-रैटा आधार पर किया जाता है जो किसी संवर्ग के कुल वरिष्ठ ड्यूटी पदों, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व और प्रशिक्षण रिजर्व के एक-तिहाई के बराबर होता है। केंद्रीय सरकार प्रत्येक संवर्ग की पदोन्नति कोटा रिक्तियों की संख्या को प्रत्येक वर्ष निर्धारित करती है जो कि प्राधिकृत पदोन्नति कोट और तैनात अधिकारियों की संख्या के अंतर के बराबर होती है। अखिल भारतीय सेवाओं में इस प्रकार से नियुक्त अधिकारियों को उप-कलेक्टर/पुलिस उप-अधीक्षक के पद अथवा इससे ऊपर के स्तर के पदों पर राज्य सेवाओं अथवा राज्य वन सेवा में 8 वर्ष या इससे अधिक अवधि का अनुभव होता है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

अवसंरचना विकास हेतु धनराशि

3013. श्री एन. पीताम्बर कुरुप : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अवसंरचना विकास की परियोजनाओं तथा प्रत्येक परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य के अवसंरचना विकास से संबंधित अनुमोदनार्थ कितनी परियोजनाएं लंबित हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) वार्षिक योजना 2012-13 के लिए केरल का परिव्यय 14010.00 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था जिसमें राज्य की प्राथमिकता-प्राप्त परियोजनाओं/अवसंरचना विकास के लिए 96.00 करोड़ रु. (अनुदान घटक) की एक-बारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) शामिल है। चूंकि केरल विशेष श्रेणी राज्य नहीं है, इसलिए एक-बारगी एसीए के लिए अनुदान घटक, परियोजनाओं की कुल लागत के 30 प्रतिशत के बराबर है। इससे एसीए परियोजनाओं की कुल लागत 320.00 करोड़ रु. बैठती है। योजना आयोग, मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता आवंटित करता है। केरल में अवसंरचना विकास की परियोजनाओं तथा वार्षिक योजना 2012-13 के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु आवंटित धनराशि (30 प्रतिशत अनुदान भाग) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) योजना आयोग के अनुमोदनार्थ कोई भी परियोजना प्रस्ताव लंबित नहीं है। क्योंकि राज्य में अवसंरचना विकास के लिए केरल सरकार से प्राप्त सभी परियोजनाओं के लिए सम्पूर्ण एसीए राशि (96.00 करोड़ रु. का अनुदान) जारी करने हेतु वित्त मंत्रालय की सिफारिश कर दी गई है।

विवरण

केरल में अवसंरचना विकास की परियोजनाओं तथा वार्षिक योजना 2012-13 के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु आवंटित धनराशि (30 प्रतिशत अनुदान भाग)

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	स्कीम/परियोजना का नाम	एसीए (30 प्रतिशत अनुदान)
1	2	3
1.	अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन (मत्स्यन समृद्धि)	1.20
2.	कृषक सेवा केन्द्र (एफएससी)	3.00
3.	बाजार विकास का सुदृढ़ीकरण – थोक बाजार का सुदृढ़ीकरण	1.82
4.	अवसंरचना विकास – बहुमंजिला औद्योगिकी सम्पदा का निर्माण	4.50
5.	केरल में अनुपूरक गैस अवसंरचना (केएसआईडीसी) – कौशल विकास केन्द्र की स्थापना	1.20
6.	प्रमुख गंतव्य स्थानों पर पर्यटन मास्टर प्लान का विकास और कार्यान्वयन	0.60
7.	वेसाइड विजिटर सेंटर स्कीम	0.90
8.	चुनिंदा तालुक मुख्यालय अस्पतालों में मातृ-इकाइयों की स्थापना	6.00
9.	केरल आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं (108 एम्बुलेंस)	12.00
10.	चिकित्सा विश्वविद्यालय	3.00

1	2	3
11.	इदुक्की, कासरगोड, पाथनमथिट्टा और मालापुरम जिलों में नया मेडिकल कॉलेज	2.05
12.	सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आपातकालीन और क्रिटिकल केयर विभागों की शुरूआत और समर्थक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण	7.50
13.	अलाप्पुझा और त्रिसूर में नए डेंटल कॉलेज	1.50
14.	बेघरों के लिए घर	7.30
15.	आवास कार्यक्रम	2.29
16.	अशक्तता निवारण, पहचान, शीघ्र अन्त:क्षेप, शिक्षा, रोजगार और पुनर्वास के क्षेत्र में राज्य की पहल	2.57
17.	पहाड़ी क्षेत्र विकास — पर्यावरण-अनुकूल लघु पेयजल परियोजना और लघु धाराओं पर रोकबांधों का निर्माण	7.50
18.	केरल में अनुपूरक गैस अवसंरचना (केएसआईडीसी)	2.46
19.	आईपीवी 4 से 1 पीवी 6 तक प्रवास (केएसआईडीएम)	0.86
20.	स्कूल भवन का निर्माण	4.50
21.	महाविद्यालयों और छात्रावासों के लिए भवनों का निर्माण	5.40
22.	हेरीटेज कॉलेज सहित 10 कॉलजों में उत्कृष्टता केन्द्र	2.70
23.	कौशल विकास कार्यक्रम	3.00
24.	महाविद्यालय गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (सीक्यूआईपी)	1.05
25.	विश्वविद्यालयों के लिए राज्य पुरस्कार निधि (एसएएफयू)	3.23
26.	वारकला में प्रदर्शन कलाओं हेतु केन्द्र	3.00
27.	शिक्षा जारी रखने संबंधी केन्द्र : केरल सिविल सेवा अकादमी के लिए शैक्षिक-सह-छात्रावास कॉम्प्लेक्स का निर्माण	1.75
28.	व्यापक स्वास्थ्य बीमा स्कीम	3.12
	जोड़	96.00

सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन

3014. श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने वाले छात्रों को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इस दिशा में राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं तथा वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित एवं खर्च की गई है;

(ग) इस संबंध में शामिल किए गए ऐसे पाठों का राज्य-वार तथा कक्षा-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सभी राज्यों, विशेषकर आंध्र प्रदेश के परामर्श से ऐसे प्रस्ताव पर कब तक विचार किया जाएगा तथा इसे लागू किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में सामाजिक, आर्थिक और अन्य स्तरों पर हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए स्कूल पाठ्यचर्या के ढांचे की समय-समय पर समीक्षा करने के अधिदेश की व्यवस्था की गई है। वर्ष 2005 में एनसीईआरटी ने पूरे देश में विचार-विनिमय और विचार-विमर्श की व्यापार प्रक्रिया के जरिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा-2005 प्रकाशित किया है। इस ढांचे में अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक प्रक्रिया और सामाजिक परिवर्तन की दिशा में कार्य करने एवं योगदान देने की योग्यता को प्रोत्साहन देना शामिल है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा-2005 के अनुरूप, एनसीईआरटी द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकें बच्चों को न केवल सामाजिक और अन्य प्रक्रियाओं को समझने अपितु उन पर आलोचनात्मक दृष्टि से सवाल उठाने का अवसर देते हैं; उदाहरणार्थ माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं अर्थशास्त्र का समावेश है, जो समसामयिक भारत पर केन्द्रित हैं और शिक्षार्थी को उन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की गहरी समझ प्राप्त करने का अवसर देता है जो राष्ट्र के सामने आ रही हैं।

अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने या तो एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों को अपने अनुरूप बना लिया है/अंगीकार कर लिया है या अपने स्वयं के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार कर ली हैं।

केन्द्र-प्रायोजित योजना अर्थात् राष्ट्रीय सेवा योजना कॉलेजों में छात्रों के चरित्र एवं व्यक्तित्व के निर्माण पर केंद्रित है। स्वयंसेवक जागरुकता कार्यक्रम, जागरुकता शिविर चलाते हैं और दहेज-विरोध, कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या, अंगीकृत ग्रामों में दीर्घकालिक परिसम्पत्तियों के सृजन जैसे सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर रैलियां निकालते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकलाप/कार्यक्रम, अर्थात् 'नियमित कार्यक्रम' और 'विशेष शिविर कार्यक्रम' अपने अंगीकृत गांवों/मलिन बस्तियों में आपदा प्रबंधन, पर्यावरण सरोकारों, साक्षरता, स्वास्थ्य एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण के क्षेत्र में सामान्य प्रबोधन कार्य संचालित करते हैं। राज्य को बजट का आवंटन उस राज्य के लिए समनुदेशित एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या के आधार पर किया जाता है। विगत तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एनएसएस के तहत जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। एनएसएस के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को वर्ष 2009-10 में 6.92 करोड़ रु., वर्ष 2010-11 में 6.77 करोड़ रु. और वर्ष 2012-13 में अभी तक 4.03 करोड़ रु. की निधियां जारी की गई हैं।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक एनएसएस कार्यकलापों हेतु संस्वीकृत धन

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6.92	6.77	6.88	7.22
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.20	0.18	0.27	0.27
3.	असम	0.81	0	0.96	0.96
4.	बिहार	1.03	1.19	0.90	0.00
5.	छत्तीसगढ़	1.64	1.89	1.62	2.01
6.	गोवा	0.53	0.6	0.48	0.43
7.	गुजरात	2.91	4.46	2.67	3.57
8.	हरियाणा	1.90	2.19	1.69	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	2.15	1.49	1.54	1.50
10.	जम्मू और कश्मीर	0.99	0	0.89	0.44

1	2	3	4	5	6
11.	झारखंड	0	0	0.80	0.00
12.	कर्नाटक	4.77	3.32	4.46	5.55
13.	केरल	2.84	3.67	2.82	2.98
14.	मध्य प्रदेश	2.38	2.74	2.25	2.54
15.	महाराष्ट्र	5.61	8.04	5.20	5.51
16.	मणिपुर	0	0	0.43	0.43
17.	मेघालय	0.49	0.59	0.50	0.50
18.	मिजोरम	0.69	0.82	0.82	0.62
19.	नागालैंड	0.21	0.25	0.19	0.19
20.	ओडिशा	1.79	1.67	1.68	2.19
21.	पंजाब	2.03	3.12	2.41	0.00
22.	राजस्थान	3.18	3.65	3.02	3.89
23.	सिक्किम	0.38	0.33	0.33	0.33
24.	तमिलनाडु	5.69	9.27	6.06	8.20
25	त्रिपुरा	0.69	0.82	0.62	0.67
26.	उत्तर प्रदेश	5.53	5.53	4.16	3.56
27.	उत्तराखंड	1.68	1.20	1.64	1.59
28.	पश्चिम बंगाल	1.69	2.02	1.52	2.03
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.03	0.05	0.05	0.00
30.	चंडीगढ़	0.31	0.47	0.47	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.04	0.04	0.04
32.	दमन और दीव	0.03	0.05	0.05	0.03
33.	लक्षद्वीप	0.03	0.05	0.05	0.00
34.	पुदुचेरी	0.12	0.39	0.33	0.13
35.	दिल्ली	0	0	0.00	0.00
	कुल	59.27	66.86	57.80	57.38

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के भ्रष्ट कर्मचारी

3015. श्री अब्दुल रहमान : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अनेक कर्मचारियों को निलंबित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी मामला-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी अनियमितताएं दोबारा न हों, क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) में 18,502 कार्मिकों में से 47 कार्मिकों को निलंबित किया गया/माना गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में, भाविप्रा कर्मचारी (आचरण, अनुशासन तथ अपील) विनियम, 2003 के अनुसार लघु तथा दीर्घ शास्ति खंडों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है और तद्नुसार शास्ति लगाई जा रही है। सीवीसी/सीबीआई, पुलिस प्राधिकारियों की सिफारिशों के अनुसार तथा न्यायालय के निर्णयों/आदेशों आदि के अनुसार कार्रवाई भी की जा रही है। निविदा शर्तों में उपयुक्त प्रावधानों को शामिल करके भावी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से चूककर्त्ता ठेकेदारों/पक्षों को रोकने के लिए निवारक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी (आचरण, अनुशासन तथा अपील) विनियम, 2003 में भी इस आशय का संशोधन किया जा रहा है कि सेवानिवृत्ति के एक वर्ष की अवधि के भीतर वाणिज्यिक रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व मंजूरी प्राप्त करेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकारी आचरण, अनुशासन और अपील विनियम के मसौदा संशोधनों के संबंध में श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के समक्ष सहमति के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

...(व्यवधान)

विवरण

निलंबन के मामलों का संक्षिप्त ब्यौरा (05.12.2012 को)

वर्ष 2009

क्र. सं.	नाम/पदनाम (श्री/सर्वश्री)	निलंबन की तिथि	मामला	आरोप	मामले की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	स्वरूप कुमार घोष, वरिष्ठ अधीक्षक (ई-सी)	03.05.09	सीबीआई	सिविल कार्य के निष्पादन के लिए गैर-कानूनी रूप से परितोषण	अदालत से स्टे आर्डर प्राप्त किया गया, विभागीय कार्रवाई नहीं की जानी है। 15.12.2009 को निलंबन रद्द किया गया।
2.	सी. नागेन्द्रन, वरिष्ठ परिचर (सीवर) — एसजी, त्रिवेन्द्रम	10.09.09	विभागीय	परिसर में शराब पीना या दंगा करना या अभद्र व्यवहार करना	18.11.09 को निलंबन रद्द किया गया। चेतावनी पत्र जारी किया गया।
3.	के. अनिल कुमार, सहायक (प्रचालन)	18.09.09	विभागीय	प्राधिकरण की संपत्ति को क्षति पहुंचाना	24.12.09 से निलंबन रद्द किया गया। निंदा शास्ति जारी की गई।
4.	अयूब होडेकर, वरिष्ठ परिचर (हवाईअड्डा), गोवा	22.09.09	पुलिस	आपराधिक मामला	निलंबन रद्द किया गया। 18.10.2012 को कार्यभार ग्रहण किया। यह मामला रत्नागिरी न्यायालय में लंबित है।
वर्ष 2010					
5.	श्रीमती अंग्रेजो देवी, परिचर (कार्यालय), उ.क्षे., दिल्ली	05.03.10	पुलिस	दहेज का मामला	धारा 498क के अंतर्गत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। 06.05.2010 को निलंबन रद्द किया गया।
6.	एकनाथ आर. पई, सहायक महाप्रबंधक (सुरक्षा), मुम्बई	19.03.10	पुलिस	15.03.2010 को अपनी पत्नी की हत्या का अपराध किया	अदालत ने आरोप सिद्ध किया। 07.05.2011 को भाविप्रा की सेवा में बर्खास्त किया गया।

1	2	3	4	5	6
7.	आर. सुरेश, वरिष्ठ सहायक (एफएस)	26.08.10	पुलिस	कार्यालय में बाहर अपाराधिक मामले के संबंध में 48 घंटे से अधिक के लिए न्यायित हिरासत में रखा गया	न्यायालय ने अधिकारी को दोषमुक्त करार दिया। 06.05.2011 को निलंबन रद्द किया गया।
8.	मनोज जैन, सहायक महाप्रबंधक (एटीसी), जयपुर	22.11.10	सीआईडी, जयपुर पुलिस	श्री मनोज कुमार जैन को डीजीसीए से सीपीएल प्राप्त करने में पायलट प्रशिक्षुओं को सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में 25.11.2010 के आदेश के तहत 22.11.2010 से निलंबित किया गया था। 14.10.2011 को जमानत प्रदान की गई	इस मामले में 06 प्रॉसिक्यूशन अनुमोदित किए गए। डीआईजी, एसीबी, राजस्थान, जयपुर ने 21.12.2011 के अपने पत्र के तहत सूचित किया है और **'आरोपी अधिकारी की पुनर्बहाली उपयुक्त नहीं है।'** यह मामला निगमित समीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति ने निलंबन को जारी रखने की सिफारिश की। डीए के निर्णय/स्वीकृति को प्राप्त किया जा रहा है।
9.	सुरज, कनिष्ठ परिचर (एचके), वाराणसी	08.12.10	पुलिस	दहेज का मामला	सीपीसी की धारा 125 के तहत 08.12.2010 को पुलिस ने हिरासत में लिया। 31.01.2011 को निलंबन रद्द किया गया।
10.	पीटर पॉल टोपो, अधीक्षक (ओ), पटना	18.12.10	पुलिस	जालसाजी का आरोप	पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। 18.04.2011 को निलंबर रद्द किया गया।
वर्ष 2011					
	ए. दिनेशन, अधीक्षक, (एमटी), कालीकट	01.04.11	विभागीय	ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में	निलंबर रद्द किया गया लघु शास्ति लगाई गई.
11.	बबलू कर्मकार, परिचर (एचके)	11.03.11	सीबीआई, एसीबी, कोलकाता	11.03.2011 को 5000/- रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए।	08.04.12 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। न्यायिक प्रक्रिया जारी है। तथापि, श्री कर्मकार को उनके विरुद्ध चलाई जा रही एक अन्य दीर्घ शास्ति की अनुशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत निलंबित किया गया है।

1	2	3	4	5	6
12.	मुनिन्द्र शर्मा, सहायक प्रबंधक (वित्त), गुवाहाटी	12.06.11	पुलिस	अपनी पत्नी पर अत्याचार करना।	05.06.12 के आदेश के तहत निलंबन रद्द किया गया। न्यायालय में मामला लंबित है।
13.	मानविन्द्र शर्मा, कनिष्ठ परिचर (ओ), अमतृसर	19.06.11	पुलिस	जालसाजी तथा धोखाधड़ी	19.06.11 को जालंधर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्राधिकारियों द्वारा एनओसी प्रतीक्षित है।
14.	ए. चिन्नोदु, वरिष्ठ अधिक्षक (पलम्बर) (सेवानिवृत्त)	08.08.11	पुलिस	बेरोजगार युवा के विरुद्ध आईपीसी की धारा 406, 417, 420, 506 आर/डब्ल्यू 34 के अंतर्गत अपराध किया।	08.08.11 से 17.08.11 तक न्यायिक रिमांड पर रहा। 17.08.11 को जमानत दी गई। 28.06.12 के आदेश के तहत निलंबन रद्द किया गया।
15.	श्यामल पॉल, परिचर (सुरक्षा), एसजी, कोलकाता	10.08.11	पुलिस	07.08.11 को रात्रि पारी में ड्यूटी करते समय आयातित पैकेजों को खोलकर उसमें से मोबाइल फोन तथा उसकी एसेसरीज चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए।	दीर्घ शास्ति के खंड के अंतर्गत चार्जशीट जारी की गई। आईओ/पीओ को निदेश दिया गया कि जांच में तेजी लाए।
16.	जी.एस. महापात्र, संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त), गुवाहाटी	16.09.11	सीबीआई	उसे शिकायतकर्त्ता से गैर-कानूनी रूप से पारितोषक की मांग करते/स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया और गुवाहाटी में 16.09.11 को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया और इसके बाद 01.10.11 तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। आरईडी, एनईआर ने 30.01.12 के पत्र के तहत यह सूचित किया है कि उसे निचली अदालत द्वारा जमानत जारी की गई है।	अभियोजन अनुमोदन आदेश, 18.02.12 को 19.03.11 को डीआईजीपी, सीबीआई, गुवाहाटी को जारी किया गया। एपेक्स समीक्षा समिति ने इसे रद्द करने की सिफारिश की। इस पर संबंधित डीए द्वारा विचार किया जा रहा है।
17.	सी. श्रीकांत बाबू, वरिष्ठ सहायक (यातायात) - एसजी	14.10.11	आपराधिक	सहकर्मियों के साथ दुव्यवर्हार किया और उन्हें निलंबित किया गया।	माइनर चार्जशीट जारी की गई। निलंबन रद्द किया गया।
18.	प्रणव पॉल, वरिष्ठ अधीक्षक (एफएस)	22.06.11	आपराधिक	आपराधिक मामलों में 22.06.11 से 27.08.11 तक पुलिस हिरासत में।	27.08.11 को जमानत पर रिहा। 02.08.12 को निलंबन रद्द किया गया। न्यायिक मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है।

1	2	3	4	5	6
वर्ष 2012					
19.	महादेव देय, वरिष्ठ परिचर, (एचके), कोलकाता	23.01.12	पुलिस	20.01.12 को सुबह की पारी में ड्यूटी के दौरान कार्गो परिसर के हैवी डिलीवरी क्षेत्र में इस्पात की प्लेटों को चारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।	माननीय न्यायालय में आपराधिक मामला न्यायाधीन है। जमानत प्रदान की गई। मेजर पेनाल्टी चार्ज शीट जारी की गई।
20.	ए.वी. जनार्दन, उ.म.प्र. (एटीसी)	03.02.12	विभागीय	तिरुपति हवाईअड्डे पर 09.01.12 को लाइव एयर ट्रैफिक व्यवस्था के लिए गैर-एटीसी कार्मिक को तैनात करने, प्रशिक्षित श्रमशक्ति का कुप्रबंध, विमान यातायात नियंत्रण की व्यवस्था के लिए अग्निशमन स्टाफ को अप्राधिकृत आदेश जारी करने के लिए 03.02.12 से निलंबन में रखा गया।	डीए ने उसके विरुद्ध मेजर पेनल्टी खंड के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई आरंभ करने का निर्णय लिया। आरोप पत्र जारी किया गया। निलंबन वापस लिया गया।
21.	टी. संदीप, कनिष्ठ कार्यकपाल (एटीसी)	03.02.12	विभागीय	अनुदेशों का अनुपालन न करने, ड्यूटी की अवहेलना करने जिसके परिणामस्वरूप विमान तथा उसमें बैठे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है और समग्र लापरवाही के लिए 03.12.12 को निलंबित किया गया।	-वही-
22.	सुकुमार सिल, वरिष्ठ परिचर (एचके)	14.02.12	पुलिस	सीपीसी की धारा 376/506 के अंतर्गत आपराधिक मामला	यह मामला न्यायालय में न्यायाधीन है। श्री सुकुमार को 48 घंटे से अधिक समय के लिए न्यायिक हिरासत में रखा गया था।
23.	टी.एन. गोपालकृष्णन, वरिष्ठ अधीक्षक (ऑटो-इलेक्ट्रिक), त्रिवेन्द्रम	21.02.12	विभागीय	बिना आवेदन दिए छुट्टी लेना या किसी उपयुक्त आधार या संतोषजनक स्पष्टीकरण के बिना अनुमोदित छुट्टी से आगे 4 दिनों से अधिक के लिए और छुट्टी लेना।	21.02.12 को बर्खास्त किया गया। अपील प्राधिकरण ने दंड को एक ओर रखा और उसकी सेवाएं बहाल की गईं और 21.02.12 से उसे निलंबित कर दिया गया। 30.05.12 से निलंबन को रद्द किया गया और उनकी सेवाएं बहाल की गईं।

1	2	3	4	5	6
24.	मोहन लाल, मैकेनिक, जी-II, अमृतसर	22.02.12	पुलिस	गैर-कानूनी रूप से धन का संव्यवहार। 22.02.12 को हिरासत में लिया गया। मामला संख्या 239/12.03.2009	07.09.12 को निलंबन रद्द किया गया।
25.	कनक सरकार, वरिष्ठ प्रबंधक (एसटीसी), कोलकाता	27.02.12	पुलिस	डिब्रूगढ़ हवाईअड्डे पर रोकड़ का दुर्विनियोजन	न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किया गया। डीए ने संभवत: भाविप्रा की सेवाओं से इन्हें बर्खास्त करने का निर्णय लिया। तद्नुसार 21.06.12 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निर्णय के लिए यह उत्तर डीए को प्रस्तुत किया गया।
26.	ज्योतिष बरूआ, सहायक (ओ), गुवाहाटी	27.02.12	पुलिस	रोकड़ का दुरुपयोग।	माननीय न्यायालय ने आदेशों के अनुसार उसे 27.02.12 को हिरासत में लिया गया और 07.03.12 को जमानत पर रिहा किया गया। यह मामला गुवाहाटी उच्च न्यायालय में लंबित है।
27.	टी. अधिनारायण, परिचर (एचके), चेन्नै	02.04.12	विभागीय	चोरी के मामले में तथा विभागीय कैंटीन की महिला कर्मचारी के साथ दुर्व्यहार आदि के मामले में कथित संलिप्तता।	मेजर पेनल्टी आरोप पत्र जारी किया गया। निलंबन समीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर निलंबन रद्द किया गया है।
28.	समर नाथ, वरिष्ठ सहायक (एफएस), वाराणसी	03.05.12	पुलिस	सरकारी अनिवार्य पण्यों का गैर-कानूनी भंडारण।	सरकारी आवश्यक सामग्री अधिनियम के अंतर्गत पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। 12.11.12 को निलंबन रद्द किया गया।
29.	ब्रिजेश, परिचन (एचके), श्रीनगर	10.05.12	पुलिस	10.05.12 को पुलिस द्वारा हिरास्त में लिया गया। 14.05.12 को रिहा किया गया।	12.10.12 को निलंबन रद्द किया गया।
30.	सुरेश चन्द्र मीणा, सहायक (एफएस), इंदौर	19.06.12	पुलिस	आईपीसी की धारा 498ए, 294, 504, 114 तथा दहेज निवारण अधिनियम की धारा 3, 4, 7 के अंतर्गत आपराधिक आरोप	मामला लंबित है।

1	2	3	4	5	6
31.	एन. संतोष कुमार, सहायक (एफएस), त्रिवेन्द्रम	10.07.12	विभागीय	भाविप्रा के अन्य अधिकारी को संदिग्ध रूप से चोट पहुंचाई जब वे त्रिचि हवाईअड्डे पर तैनात थे।	28.06.12 से त्रिचि से त्रिवेन्द्र स्थानांतरण किया गया। 26.09.12 को निलंबन रद्द किया गया। जांच प्रक्रिया प्रगति पर है।
32.	एल. सेलवन, अधीक्षक (एफएस), चेन्नै	14.07.12	पुलिस	कथित आपराधिक आरोप के संबंध में 48 घंटे से अधिक के न्यायिक हिरासत में रहे।	न्यायालय ने कार्मिक को बरी कर दिया है। 29.09.2012 से निलंबन रद्द कर दिया गया।
33.	देवाशीष सरकार, कनिष्ठ परिचर (एयरपोर्ट), कोलकाता	08.08.12	पुलिस	26 इंच एलसीडी टीवी की चोरी।	श्री सरकार के आवास से टीवी बरामद कर लिया गया। मामला न्यायालय के न्यायाधीन है। आरोप-पत्र जारी किया जा रहा है।
34.	मोहिन्दर सिंह, सहायक (एफएस), जयपुर	24.08.12	विभागीय	वरिष्ठों तथा सहयोगियों के साथ दुर्व्यवहार।	26.11.12 को निलंबन रद्द कर दिया गया है।
35.	प्रकाश एन. कंचगर, सहायक महाप्रबंधक (ई-सी), बंगलूरु	03.09.12	सीबीआई, एसीबी, कोचीन	धारा 120बी, 420, 467, 468 और 471 के तहत सीबीआई, एसीबी, कोचीन द्वारा मामला पंजीकृत किया गया और दिनांक 03.09.12 को गिरफ्तार कर लिया गया।	03.09.12 को गिरफ्तार।
36.	श्रीधर, एल., प्रबंधक (ई-सी), तिरुपति	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
37.	एल.एल. कृष्णन, ईडी (वाणिज्यि), सीएचक्यू	05.10.12	सीबीआई/ सीवीसी	एआई के विभिन्न हवाईअड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस देने संबंधी निविदा अवार्ड करने में अनियमितता।	30.11.12 को नागर विमानन मंत्रालय से इस मामले पर सलाह मांगी गई है कि क्या निलंबित अधिकारी के निलंबन को रद्द किया जाए अथवा अन्यथा।
38.	एम. रवि वार्मा, महाप्रबंधक (वित्त), निगमित	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5	6
39.	आर.एल. शरण, संयुक्त महाप्रबंधक (वित्त), जयपुर	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
40.	पी.के. चंद्र, संयुक्त प्रबंधक (प्रचालनिक), निगमित	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
41.	अरुण मेहन, संयुक्त महाप्रबंधक, एनआर, दिल्ली	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
42.	सुश्री वर्षा आनंद, उप-महाप्रबंधक (वाणिज्य), सीएचक्यू	19.09.12	विभागीय	24 हवाईअड्डों पर सीयूटीई/सीयूपीपीएस/सीयूएसएस की व्यवस्था के लिए लाइसेंस प्रदान करने में अनियमितता	दिनांक 05.12.12 के आदेश द्वारा निलंबन रद्द।
43.	भास्कर पनग्राही, वरिष्ठ अधीक्षक (एफएस), भुवनेश्वर	26.09.12	-वही-	वरिष्ठ अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग तथा मारपीट करना।	मेजर चार्जशीट जारी एिक जाने की प्रक्रिया चल रही है।
44.	रूप चंद, वरिष्ठ आटेंडेंट (एचके), चंडीगढ़	08.10.12	पुलिस	धोखाधड़ी और जालसाजी	आईपीसी की धारा 448, 420 के तहत दिनांक 08.10.12 को पुलिस द्वारा गिरफ्तार।
45.	जोगिन्द्र, वरिष्ठ अधीक्षक (एचके), आईएए, दिल्ली	14.11.12	विभागीय	मारपीट	14.11.12 को निलंबित।
46.	राज पाल, सहायक (कार्यालय), दिल्ली	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
47.	सुश्री संतरा, अटेंडेंट (एचके), आईएए, दिल्ली	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

[हिन्दी]

ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्किट

3016. श्री हंसराज गं. अहीर : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक व्यापार संगठन एसोचैम की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल आउटसोर्सिंग मार्किट में भारतीय कंपनियों के हिस्से में व्यापक गिरावट आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में अवसंरचनात्मक सुविधाओं तथा आईटी पेशेवरों की कमी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) जॉब्स के अन्य देशों में अंतरित होने का एक कारण है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ग्लोबल आईटी तथा बीपीओ मार्किट में भारत के हिस्से को बरकरार रखने तथा इसमें वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय साफ्टवेयर और सेवा कंपनी संघ (नैसकॉम) के अनुसार भारत वैश्विक आईटी-बीपीओ सोर्सिंग में अग्रणी स्थान पर बना रहेगा। वर्ष 2010 में 55 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2011 में वैश्विक आईटी बीपीओ सोर्सिंग में भारत की हिस्सेदारी 58% थी (आईटी ऑफशोरिंग-74% बीपीओ ऑफशोरिंग-36%)। वाइस आधारित बीपीओ स्पेस में यद्यपि भारत वैकल्पिक स्थानों विशेष रूप से फिलीपींस से चुनौतियों का सामना कर रहा है, फिर भी इसने 2010 में 34% की तुलना में 2011 में अपने हिस्से में 36% की वृद्धि की है।

(ग) से (ङ) नैसकाम के अनुसार मौजूदा मांग की पूर्ति के लिए भारत के पास इस समय पर्याप्त प्रतिभा है। सरकार ने एक सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) संकल्प प्रकाशित किया है जिसे मई 2008 में भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत भारत में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र विश्व स्तरीय अवसंरचना वाले आईटी/बीपीओ तथा सनराइज उद्योगों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक एकीकृत टाउनशिप की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार देश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अनेक प्रोत्साहन देती है: (i) साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना के अंतर्गत विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अनुसार अनुमोदित इकाइयों को सीमा-शुल्क का भुगतान किए बीना साफ्टवेयर निर्यात गतिविधियां चलाने के लिए उनके द्वारा अपेक्षित माल को आयात करने की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा अनुमोदित एसटीपी इकाइयां स्वदेशी उपलब्ध पूंजीमाल, घटकों तथा अन्य विशिष्ट माल (विदेश व्यापार नीति के अनुसार) की खरीद पर सीएसटी प्रतिपूर्ति, उत्पाद-शुल्क में छूट प्राप्त कर सकते हैं। (ii) इसके अतिरिक्त साफ्टवेयर को आधारभूत सीमा शुल्क से भी छूट प्राप्त है। (iii) देश में 235 आईटी-आईटीईएस विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) अधिसूचित किए गए हैं जो आईटी-आईटीईएस निर्यात में योगदान कर रहे हैं। आयकर अधिनियम की धारा 10कक में एसईजटेड में स्थित इकाई को मदों अथवा वस्तुओं अथवा सेवाओं के निर्यात से होने वाले लाभ पर 100% आयकर से छूट पहले 5 सतत् मूल्यांकन वर्षों के लिए उपलब्ध है, अगले 5 मूल्यांकन वर्षों के लिए 50% और इसके बाद अगले 5 वर्षों के लिए प्लॉ बैक निर्यात लाभ का 50%। (iv) वाणिज्यक विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विपणन विकास सहायता (एमडीए) तथा बाजार अभिगम प्रयास (एमएआई) योजना के जरिए विदेश में निर्यात संवर्धन गतिविधियों के लिए निर्यातकों की सहायता करता है।

[अनुवाद]

विमान किरायों के लिए एक वेबसाइट

3017. श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उपभोक्ताओं को घरेलू उड़ानों के लिए बाजार में उपलब्ध बेहतर किराए को देखने हेतु उस विमान कंपनी की वेबसाइट देखनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो सभी सूचना एक ही वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां। एयरलाइनें अपने किराये अपनी संबंधित वेबसाइट प्रदर्शित

करती हैं। ग्राहक एयरलाइनों की वेबसाइट पर उपलब्ध श्रेष्ठ किराये देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न एयरलाइनों के किराये ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

(ख) इस समय, मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कम्प्यूटर आरक्षण प्रणाली (सीआरएस)/वैश्विक संवितरण प्रणाली (जीडीएस) पर नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) खंड 3, सीरीज एम, भाग-III जारी किया है, जिसमें निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सिस्टम वेन्डरों, ग्राहकों तथा भागीदार वाहकों द्वारा किया जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि सभी सिस्टम में कम से कम एक एकीकृत डिस्प्ले की व्यवस्था हो। जिसमें अनुसूची, किरायों, नियमों तथा सभी भागीदार वाहकों की सीट उपलब्धता शामिल होगी।

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

3018. **श्री अशोक तंवर : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों में देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वैयक्तिक अनिवासी भारतीयों द्वारा वर्ष-वार कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में अनिवासी भारतीयों के निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) जी, नहीं, अब तक उपलब्ध आंकड़ों से गिरने की प्रवृति नहीं देखी गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने भावी अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीय के विदेशी कॉर्पोरेट निकायों, जो भारत में निवेश करने के इच्छुक हैं, को सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2007 में प्रवासी भारतीय सुविधा केंद्र (ओआईएफसी) नामक एक संगठन की स्थापना की है। ओआईएफसी ने विभिन्न देशों में अनेक निवेश और इन्टरएक्टिव बैठकों/रोड शोज का आयोजन किया है और भारत में प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) के दौरान "मार्केट प्लेस" का भी आयोजन किया था। ओआईएफसी और इसके ज्ञान साझेदारों द्वारा भावी विदेशी निवेशकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और प्रवासी भारतीयों का आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने व सुगम बनाने के लिए, मंत्रालय ने एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल की शुरुआत भी की है।

वार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस और क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस भी प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश को सुगम बनाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।

[हिन्दी]

छोटे विमानपत्तन से परिचालन बंद करना

3019. **श्री राजू शेट्टी : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऐसे छोटे विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है जो परिचालनाधीन नहीं हैं तथा इसके विमानपत्तन-वार क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी विमानपत्तनों पर परिचालन बहाल करने का है;

(ग) यदि हां, तो कोल्हापुर विमानपत्तन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे विमानपत्तनों पर परिचालन के कब तक बहाल होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के गैर-प्रचालनिक हवाइअड्डों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) इन गैर प्रचालनिक हवाईअड्डों की व्यवहार्यता का अध्ययन किया गया। इनमें से, संलग्न विवरण-II में सूचीबद्ध 13 हवाईअड्डों पर प्रचालन की संभाव्यता पाई गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) का कोल्हापुर हवाईअड्डा महाराष्ट्र सरकार को 15 वर्ष के लिए लीज पर दिया गया था। लीज की अवधि 31.01.2012 को समाप्त हो गई तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण महाराष्ट्र सरकार से कोल्हापुर हवाईअड्डे को वापस लेने की प्रक्रिया में है।

(घ) घरेलू सेक्टर में उड़ान प्रचालन अविनियमित कर दिए गए हैं तथा मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन की शर्त पर एयरलाइनों द्वारा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर उड़ाने प्रचालित की जा रही हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों की विमान परिवहन सेवा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विमान परिवहन सेवा का बेहतर विनियमन करने की दृष्टि से सरकार ने ये दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते समय यातायात की मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध कराएं।

विवरण-I

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के गैर परिचालनिक हवाईअड्डे की स्थिति

(दिसंबर, 2012 तक)

क्र. सं.	राज्य	हवाईअड्डे	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	1. देपारिजो	गैर-प्रचालनिक राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण के अधीन विकसित किया जाना है।
		2. पासीघाट	गैर-प्रचालनिक आइए एफ विकसित करेगा, एएआई सिविल एंक्लेव का अनुरक्षण करेगा।
		3. तेजू	गैर-प्रचालनिक एएआई द्वारा विकसित किया जा रहा है।
2.	आंध्र प्रदेश	4. कडप्पा	गैर-प्रचालनिक एटीआर टाइप विमान प्रचालन के लिए विकसित
		5. दोनकोंडा	गैर-प्रचालनिक
		6. नादिरगुल	गैर-प्रचालनिक
		7. वारंगल	गैर-प्रचालनिक राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण के अधीन विकसित किया जाना है।
3.	असम	8. रूपसी	गैर-प्रचालनिक भारतीय वायु सेना को हस्तांतरित किया जाना है। एएआई सिविल एंक्लेव अनुरक्षण करेगा।
		9. शेला	प्रचालनिक के लिए अनुपयुक्त है।
4.	बिहार	10. जोगबानी	गैर-प्रचालनिक
		11. रक्सौल	गैर-प्रचालनिक

1	2	3		4
		12.	मुजफ्फरपुर	गैर-प्रचालनिक
5.	छत्तीसगढ़	13.	बिलासपुर	गैर-प्रचालनिक सेना को सौंपा जाना है। एएआई सिविल एंक्लेव का अनुरक्षण करेगा।
6.	गुजरात	14.	दीसा (पालनपुर)	गैर-प्रचालनिक
7.	झारखंड	15.	चाकुलिया	गैर-प्रचालनिक विकास के जांच की जा रही है।
		16.	देवघर	गैर-प्रचालनिक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया जाना है। फरवरी, 2012 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
8.	मध्य प्रदेश	17.	खंडवा	गैर-प्रचालनिक राज्य सरकार को पट्टे पर दिया जाना है।
		18.	पन्ना	गैर-प्रचालनिक राज्य सरकार को हस्तांतरित पर दिया जाना है।
		19.	सतना	गैर-प्रचालनिक राज्य सरकार को पट्टे पर दिया जाना है।
9.	मिजोरम	20.	आइजोल (टूरियल)	बंद है।
10.	ओडिशा	21.	झारसुगुडा	गैर-प्रचालनिक राज्य सरकार द्वारा भूमि का हस्तांतरण करने पर विकसित किया जाना है।
11.	राजस्थान	22.	किशनगढ़	हवाई पट्टी राज्य सरकार से अधिकार में ले ली गई है। राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण करने पर एएआई द्वारा विकसित किया जाना है।
12.	तमिलनाडु	23.	वेल्लोर	गैर-प्रचालनिक राज्य सरकार द्वारा भूमि का हस्तांतरण करने पर विकसित किया जाना है।
13.	त्रिपुरा	24.	कैलाशर	गैर-प्रचालनिक
14.	उत्तर प्रदेश	25.	कमालपुर	गैर-प्रचालनिक राज्य सरकार द्वारा भूमि के हस्तांतरण करने पर विकसित किया जाना है।
		26.	खोवाई	प्रचालनिक के लिए अनुपयुक्त
		27.	ललितपुर	गैर-प्रचालनिक
15.	पश्चिम बंगाल	28.	आसनसोल	नीचे कोयले की खान के होने के कारण प्रचालन के लिए अनुपयुक्त है।

1	2	3		4
16.		29.	बालुरघाट	प्रचालन के लिए अनुपयुक्त है।
		30.	कूच बिहार	विकसित है लेकिन कोई प्रचालन शुरू नहीं हुआ है।
		31.	मालद्वीप	राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरण करने पर विकसित किया जाना है।

नोट: व्यवहार्यता अध्ययन दो और एएआई हवाई अड्डों यानी हसन और हडप्सर सहित 33 हवाई अड्डों के लिए किया गया था। अकोला और मैसूर में एटीआर प्रचालन पहले से ही शुरू कर दिए गए हैं। शोलापुर प्रचालनिक है और राज्य सरकार को पट्टे पर दिया गया है। झांसी सेना के नियंत्रण में है। इसलिए शामिल नहीं किया गया है। देवघर, झारखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही जलगांव, किशनगढ़, दपारिजो, नादिरगुल और कूचबिहार शामिल किए गए हैं।

विवरण-II

13 हवाई अड्डों की स्थिति संचालन के लिए सिफारिश की है

क्र. सं.	हवाई अड्डे	स्थिति
1	2	3
1.	मैसूर (कर्नाटक)	एटीआर 72 टाइप के विमान प्रचालन के लिए मई 2010 में चालू कर दिया गया।
2.	अकोला (महाराष्ट्र)	एटीआर 42 टाइप के विमान प्रचालन के लिए चालू कर दिया गया।
3.	तेजू (अरुणाचल प्रदेश)	एटीआर टाइप के विमान प्रचालन के लिए हवाई अड्डे को चालू करने का कार्य प्रगति पर है।
4.	कुडप्पा (आंध्र प्रदेश)	एटीआर टाइप के विमान प्रचालन के लिए हवाई अड्डे को चालू करने का कार्य प्रगति पर है।
5.	पासी (अरुणाचल प्रदेश)	हवाईअड्डा भारतीय वायु सेना को हस्तांतरित किया जा रहा है। एएआई द्वारा सिविल एंक्लेव विकसित किया जाना है।
6.	रूपसी (असम)	हवाईअड्डा भारतीय वायु सेना को हस्तांतरित किया जा रहा है। एएआई द्वारा सिविल एंक्लेव विकसित किया जाना है।
7.	शोलापुर (महाराष्ट्र)	प्रचालन राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन है। पट्टे की अवधि 30/01/2012 को समाप्त हो गई है।

1	2	3
8.	कमालपुर (त्रिपुरा)	राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त भूमि हस्तांतरित करने पर एटीआर-72 के लिए विकसित किया जाना है।
9.	चकुलिया (झारखंड)	विकसित की जानी है, जांच चल रही है।
10.	झारसगुडा (ओडिशा)	मुख्य योजना के अनुसार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वारंगल, मालदा, झारसगुडा तथा वेल्लोर के संबंध में राज्य सरकार से पहले ही अनुमानित अतिरिक्त भूमि के लिए अनुरोध किया है ताकि इन हवाईअड्डों का चरणबद्ध रूप में विकास किया जा सके। वेल्लोर हवाईअड्डा के सिवाय राज्य सरकार की सहमति प्रतीक्षित है जहां राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जा रही है।
11.	मालदा (पश्चिम बंगाल)	
12.	वेल्लोर (तमिलनाडु)	
13.	वारंगल (आंध्र प्रदेश)	

[अनुवाद]

भारतीय विमानन क्षेत्र

3020. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन गंतव्य के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता विदेशी विमान कंपनियों को आकर्षित कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या हांग-कांग फ्लैग कैरियर कैथे पैसिफिक ने भारत के लिए सप्ताह में ग्यारह उड़ानें बढ़ाने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां। अनुसूचित विदेशी वाहकों की प्रति सप्ताह उड़ान सेवाओं की संख्या वर्ष 2011 में 1549 थी जो वर्ष 2012 में बढ़कर 1652 हो गई है।

(ख) और (ग) कैथे पैसिफिक ने 3 सितम्बर, 2012 से चेन्नई के लिए/से तीन अतिरिक्त सेवाएं तथा 1 दिसंबर, 2012 से हैदराबाद के लिए/से चार अतिरिक्त सेवाएं आरंभ की हैं।

[हिन्दी]

कस्टमर केयर में की गई कॉल संबंधी प्रभार

3021. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार कंपनियां अपने कस्टमर केयर सेवा केन्द्रों में की गई कॉलों पर प्रभार ले रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के क्या दिशा-निर्देश हैं;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले दूरसंचार ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से नागरिक संपर्क केन्द्रों की स्थापना करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर राज्य-वार क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, दूरसंचार कंपनियां मौजूदा विनियमों के तहत उपभोक्ताओं की ओर से शिकायत दर्ज कराने और सेवा संबंधी अनुरोध करने के लिए अपने ग्राहक सुविधा सेवा केंद्रों को की जाने वाली कॉल पर कोई प्रभार नहीं ले रही हैं। तथापि, कुछ सेवा प्रदाता वैकल्पिक ग्राहक सुविधा संख्या तथा सामान्य सूचना संख्या पर की गई कॉलों के लिए प्रभार ले रहे हैं, जो विनियमों के तहत लगाए जा रहे हैं।

ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत समाधान विनियम, 2012 के तहत सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान हेतु प्रक्रिया-तंत्र निर्धारित किया है, जिसमें दो-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र अर्थात् कंपनी के भीतर अपीलीय प्राधिकारी तथा शिकायत केंद्र की व्यवस्था की गई है। इन विनियमों के तहत शिकायत दर्ज कराने तथा सेवा संबंधी अनुरोध करने के लिए सेवा प्रदाताओं के शिकायत केंद्र संख्या की संबंधित ग्राहक सुविधा संख्या पर उपभोक्ताओं द्वारा कॉल करने पर प्रशुल्क नहीं लगाने की व्यवस्था की गई है। सेवा प्रदाता को वैकल्पिक ग्राहक सुविधा संख्या की सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी जिस पर अन्य नेटवर्कों से भी कॉल की जा सकती है। सेवा प्रदाताओं को इस वैकल्पिक ग्राहक सुविधा संख्या पर की गई कॉलों के लिए प्रभार लेने की छूट है। इन विनियमों के तहत उपभोक्ताओं को सूचना प्रदान करने हेतु सेवा प्रदाताओं द्वारा सामान्य सूचना संख्या स्थापित करने का भी प्रावधान किया गया है। इन विनियमों के तहत सामान्य सूचना संख्या पर निःशुल्क कॉल संबंधी कोई अधिदेश नहीं है।

(ग) उपभोक्ताओं द्वारा सेवा संबंधी जानकारी लेने/प्रश्न पूछने के लिए अपने ग्राहक सुविधा सेवा केंद्रों को की गई कालों हेतु दूरसंचार कंपनियों द्वारा प्रभार लगाए जाने के संबंध में ट्राई को विगत में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों तथा मीडिया की रिपोर्टों को संज्ञान में लेते हुए ट्राई ने दिनांक 06.04.2010 को सभी अभिगम सेवा प्रदाताओं को पत्र जारी किया था जिसमें सेवा प्रदाताओं को उपभोक्ताओं द्वारा शिकायतें दर्ज कराने, सेवा संबंधी जानकारी लेने अथवा प्रश्न पूछने हेतु ग्राहक सुविधा/हेल्पलाइन/शिकायत दर्ज कराने वाले नम्बर पर की गई कॉलों हेतु प्रभार तब तक नहीं लेने के लिए कहा गया था जब तक कि ट्राई द्वारा इस मामले की विस्तृत रूप से जांच न की जाए तथा इस मामले में उपयुक्त निर्देश जारी न किए जाएं। इसके उपरांत, मई, 2010 में उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराने तथा सेवा संबंधी अनुरोध करने हेतु की गई कॉलों पर प्रभार नहीं लगाने और सूचना प्रदान करने हेतु पृथक सामान्य सूचना संख्या की व्यवस्था करने के दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। कुछ सेवा प्रदाताओं की मीटर तथा बिल प्रणाली की जांच के दौरान, कॉल सेंटर/शिकायत केंद्र को की गई कॉलों पर प्रभार लगाने के कुछ मामले जांचकर्ताओं द्वारा पाए गए तथा जांच अवलोकनों के उपरांत की गई अनुवर्ती कार्रवाई के तहत सेवा प्रदाताओं ने संबंधित उपभोक्ताओं से लिए गए ऐसे प्रभार उन्हें वापस कर दिए।

(घ) और (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार को नागरिक संपर्क केंद्र की स्थापना करने हेतु छह राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इन छह राज्यों में प्रायोगिक आधार पर नागरिक संपर्क केंद्रों को स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

3022. श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
श्री नरहरि महतो :
श्री मनोहर तिरकी :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए राज्य-वार कौन-सी योजनाएं/परियोजनाएं शुरू की गई हैं;

(ख) इन योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों को भी इन योजनाओं के कार्यान्वियन में लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उन्हें प्रदत्त वित्तीय अनुदान का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

फारसी और अरबी भाषाओं का संरक्षण

3023. श्री नरहरि महतो : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय "दैरातुल मारिफ" योजना के अंतर्गत फारसी और अरबी भाषाओं के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को ऐसी सहायता कब तक प्रदान की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय फारसी तथा अरबी भाषाओं के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को सीधे सहायता नहीं देता है। हालांकि, राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद्, जो कि इस मंत्रालय का स्वायत्त संगठन है, अरबी तथा फारसी भाषाओं के संवर्धन के लिए पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों/ संस्थाओं/सोसायटियों के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है:-

(i) अरबी तथा फारसी भाषाओं में सेमिनार/व्याख्यान शृंखलाएं आयोजित करने/पुस्तकों की थोक में खरीद/पाण्डुलिपियों के प्रकाशन/ अल्पकालिक अध्ययनों तथा अकादमिक परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता।

(ii) अध्ययन केन्द्रों के माध्यम से कार्यात्मक अरबी में दो वर्षीय डिप्लोमा

(iii) अरबी में एकवर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

'दैरातुल मारिफ' नामक कोई योजना नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय भाषाओं में शिक्षा

3024. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शैक्षिक पाठ्यक्रम की शिक्षा केवल अंग्रेजी में ही दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सभी पाठ्यक्रमों को भारतीय भाषाओं में पढ़ने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय शैक्षिक पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा का माध्यम चुनने के लिए मामले में स्वायत्त हैं। विश्वविद्यालयों द्वारा शैक्षिक मामलों को अपने संबंधित अधिनियम, संविधियों और अध्यादेशों के अनुसार नियत किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेजों को संबंधन विश्वविद्यालयों के निर्देशों का पालन करना होता है। कई विश्वविद्यालय और कॉलेज विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

(ङ) और (च) शिक्षा पर राष्ट्रीय सिफारिशों का पालन करते हुए, सरकार विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग को सुकर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इस संबंध में, सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्विजिज, मैसूर में राष्ट्रीय अनुवाद मिशन ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा प्रयोग की जा रही पाठ्यपुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अंग्रेजी से क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में अनुवाद कार्य शुरू कर दिया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों का नामांकन

3025. श्रीमती श्रुति चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाविद्यालयों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नामांकन में वृद्धि हुई है, विशेषकर महिलाओं का नामांकन वर्ष 2010-11 में 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 16.5 प्रतिशत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन "उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के आंकड़े" के अनुसार वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 (अनंतिम) के दौरान देश में 18-23 वर्ष के आयु-समूह में उनकी जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में उच्चतर शिक्षा में नामांकित महिला (सभी वर्ग), अनुसूचित जाति के छात्र और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) नीचे दिया गया है:-

वर्ष/वर्ग	2008-09	2009-10 (अनंतिम)
महिला	11.4	12.7
अनुसूचित जाति	10.5	11.1
अनुसूचित जनजाति	9.2	10.3

31 जुलाई, 2012 तक एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर उच्चतम शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण की अनंतिम रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2010-11 में छात्राओं का सकल नामांकन अनुपात 16.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। उच्चतर शिक्षा में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के वर्ष 2009-10 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि वर्ष 2010-11 में उच्चतर शिक्षा संबंधी अखिल भारतीय सर्वेक्षण में अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के नामांकन संबंधी आंकड़े एकत्रित करने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2010-11 (अनंतिम) के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों का सकल नामांकन अनुपात उपलब्ध नहीं है।

(ख) वर्ष 2008-09 और 2009-10 (अनंतिम) के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और छात्राओं के नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए नामांकन के राज्य-वार ब्यौरा अभी तक उपलब्ध नहीं है।

विवरण

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और महिला नामांकन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	महिला		अनुसूचित जाति के छात्र		अनुसूचित जनजाति के छात्र	
		2008-09	2009-10 (अनंतिम)	2008-09	2009-10 (अनंतिम)	2008-09	2009-10 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	546432	585490	167979	211137	57895	99082
2.	अरुणाचल प्रदेश	9150	10012	10	10	17358	19721
3.	असम	104894	109906	40682	41202	31871	33914
4.	बिहार	282185	406289	65742	87569	16114	13789
5.	छत्तीसगढ़	154561	216372	38156	59471	85652	129034
6.	गोवा	15858	26752	400	480	1367	1836
7.	गुजरात	370957	419049	93456	90979	72589	73265
8.	हरियाणा	231682	241199	51912	62819	0	3
9.	हिमाचल प्रदेश	73833	93409	20649	26623	8110	10402
10.	जम्मू और कश्मीर	109425	128142	14912	16141	11190	13130

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	झारखंड	125352	115045	25762	24444	48823	48236
12.	कर्नाटक	620172	546502	165494	197252	53218	63122
13.	केरल	231557	236068	47750	50906	5037	6132
14.	मध्य प्रदेश	396188	512300	140416	121042	97116	76325
15.	महाराष्ट्र	1002582	1020644	383874	353179	81354	66437
16.	मणिपुर	18465	21001	1388	2028	14378	19005
17.	मेघालय	30115	28578	808	469	49787	53588
18.	मिजोरम	15232	16257	29	0	32048	33431
19.	नागालैंड	15929	19987	490	503	33899	40211
20.	ओडिशा	101794	138742	32819	30661	31384	28405
21.	पंजाब	164865	163365	40554	46662	79	269
22.	राजस्थान	287119	278813	91501	96092	73981	77515
23.	सिक्किम	7273	8284	548	534	4429	5903
24.	तमिलनाडु	585700	614068	152426	175906	6780	7469
25.	त्रिपुरा	21144	21457	7973	8525	11503	11075
26.	उत्तर प्रदेश	886671	1024923	397842	431797	5814	9186
27.	उत्तराखंड	86645	261572	15957	48723	6434	27704
28.	पश्चिम बंगाल	468780	513366	181472	199030	48960	89369
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7473	7139	0	0	1235	1456
30.	चंडीगढ़	32057	22720	4438	2510	10095	434
31.	दादरा और नगर हवेली	809	826	64	107	247	273
32.	दमन और दीव	436	458	100	99	126	151

1	2	3	4	5	6	7	8
33.	दिल्ली	244697	464843	58185	47637	18639	20616
34.	लक्षद्वीप	242	297	0	0	374	410
35.	पुदुचेरी	22241	22265	5048	5048	0	0
	भारत	7272515	8296140	2248836	2439585	937886	1080898

नोट: राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों के आंकड़े संबंधित राज्यों में शामिल किए गए हैं।

इग्नू के नामांकन के आंकड़े उन राज्यों को वितरित किए गए है जहां इसके केन्द्र अवस्थित हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मिशन

3026. श्री के. सुगुमार : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का इस वर्ष 10 मिशनों का लक्ष्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) इसे वर्ष 2012 तक पूरा करने की योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा अगले एक वर्ष में आयोजित किए जाने वाले मिशनों में 3 ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट, 1 भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट, 2 संचार उपग्रह, 1 भू-पर्यवेक्षण (समुद्री) उपग्रह, 1 मौसमविज्ञानी उपग्रह, 1 नौवहन उपग्रह और मंगल कक्षित्र शामिल हैं।

(ग) और (घ) इसरो सितम्बर, 2013 तक आठ (8) मिशनों को पूरा करने की योजना बना रहा है जिसमें – (i) 2 ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (सी20, सी22), (ii) 1 भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (डी5); (iii) 2 संचार उपग्रह (जीसैट-7, जीसैट-14); (iv) 1 भू-पर्यवेक्षण (समुद्री) उपग्रह (एसएआरएएल); (v) 1 मौसमविज्ञानी उपग्रह (इन्सैट-3डी); (vi) 1 नौवहन उपग्रह (आईआरएनएसएस-1ए) शामिल हैं। पीएसएलवी-सी25 और मंगल कक्षित्र जैसे दो (2) मिशनों को अक्तूबर, 2013 के लिए निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

पुराने विमान

3027. श्री पी.सी. मोहन :
श्री ए.के.एस. विजयन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पर्याप्त संख्या में विमान उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश में कुल कितने सरकारी विमान उड़ रहे हैं;

(ग) क्या अभी भी पुराने/प्राचीन विमानों की सेवाएं ली जा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो जिन मार्गों पर वे चल रहे हैं उनका ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अपने पुराने और प्राचीन विमानों को नए विमानों से बदलने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) देश में यात्री/कार्गो विमानों की संख्या निम्नलिखित है:—

सार्वजनिक सेक्टर के विमान	—	198 (140 विमान, 58 हेलीकॉप्टर)
निजी सेक्टर के विमान	—	510 (271 विमान, 239 हेलीकॉप्टर)
कुल	—	708 (411 विमान, 297 हेलीकॉप्टर)

(ग) से (च) विमानों की कोई विशेष समय सीमा नहीं होती है, या विनिर्माताओं द्वारा ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है। तथापि, विमान की उड़न योग्यता बनाए रखने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) तथा निर्माताओं द्वारा अनुमोदित अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार उनका अनुरक्षण करना होता है। एयरलाइनों द्वारा प्रचालित सभी विमान उड़नयोग्य हैं।

नागर विमानन अपेक्षा सेक्शन-2 सीरीज 'च' पार्ट में विमानों की उड़नयोग्यता की समय सीमा सुनिश्चित करने तथा सभी विमानों की ढांचागत एकीकरण की प्रक्रिया विहित की गई है जिनकी समय सीमा 20 वर्ष से अधिक हो गई है।

डीजीसीए वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अध्यापकों के रिक्त पद

3028. श्री विष्णु पद राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में वर्ष 2022 से आज की तिथि तक विभिन्न विषयों के कितने पद रिक्त हैं;

(ख) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान रिक्त पदों के भरे जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) वर्ष 2002 से 2005 तक विभिन्न विषयों में रिक्त पड़े स्नातकोत्तर शिक्षकों के पदों की संख्या शून्य है। तथापि, वर्ष 2006 से, रिक्त पदों की स्थिति निम्नानुसार है:—

(ख) और (ग) जी, हां। अंडमान और निकोबार प्रशासन ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने पदोन्नति कोटे तहत 22 रिक्त पदों और सीधी भर्ती कोटे के तहत 12 रिक्त पदों को भरने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने हेतु कार्यवाही शुरू कर दी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

साक्षरता मिशन में गैर-सरकारी संगठन

3029. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार साक्षरता दर कितनी रही;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों और अन्यों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितना व्यय हुआ है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने संतोषजनक कार्यनिष्पादन नहीं करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध राज्य-वार क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) प्रौढ़ शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण (एनएलएमए) दो स्कीमें कायान्वित कर रहा है अर्थात् साक्षर भारत मिशन, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का नया रूप है तथा प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास योजना के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करना। साक्षर भारत मिशन का उद्देश्य प्रौढ़ (15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग) व्यक्तियों को कार्यात्मक साक्षरता, बुनियादी शिक्षा, कौशल विकास और सतत् शिक्षा

के अवसर प्रदान करना है। प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता देने की योजना का मुख्य उद्देश्य वयस्कों में कार्यात्मक साक्षरता, कौशल विकास एवं सतत् शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सरकार के प्रयास में स्वैच्छिक क्षेत्र की व्यापक तथा गहन भागीदारी प्राप्त करना है। साक्षरता के संबंध में वार्षिक की बजाय दशवार्षिक आधार पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य-वार साक्षरता दर संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) प्रौढ़ शिक्षा और कौशल विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान करने की योजना में तीन घटक शामिल हैं, अर्थात् राज्य संसाधन केन्द्र, जन शिक्षण संस्थान और स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जन शिक्षण संस्थानों (जेएसएस) और राज्य संसाधन केन्द्रों (एसआरसी) को योजना के अंतर्गत जारी की गई निधियां दर्शाने वाला विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-II और III में दिया गया है। स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता के घटक के अंतर्गत इस अवधि में कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई है।

(घ) राज्य संसाधन केन्द्रों को विभिन्न राज्यों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए अकादमिक और तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। प्रत्येक राज्य में चुने गए क्षेत्रों में जिन्हें "आईलैंड्स ऑफ सक्सेस" कहा जाता है, साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को सहायता प्रदान करने का अतिरिक्त कार्य भी इन्हें सौंपा गया है। आइलैंड्स ऑफ सक्सेस के लिए उनकी वार्षिक कार्रवाई योजनाओं में शामिल विभिन्न कार्यकलापों के अनुसार, जिन्हें एनएलएमए द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ समितियां बनाने, सब्सिडियरी बैंक खाता खोलने, सर्वेक्षण करने, सर्वेक्षण डाटा को साक्षर-भारत पोर्टल पर अपलोड करने, क्षमता निर्माण करने आदि जैसे प्रारंभिक कार्यकलापों को पूरा करने में सहायता और सुविधा प्रदान करना शामिल है। राज्य संसाधन केन्द्रों (एसआरसी) ने अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए हैं। जन शिक्षण संस्थान अपनी स्थापना के क्षेत्र में ऐसे कौशलों का पता लगाकर, जिनकी बाजार में मांग हो, निरक्षरों, नव-साक्षरों के साथ-साथ पढ़ाई छोड़ने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार जन शिक्षण संस्थान के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ङ) जन शिक्षण संस्थाओं और राज्य संसाधन केन्द्रों की अपनी-अपनी अनुमोदित वार्षिक कार्रवाई योजनाओं की तुलना में उनके निष्पादन की मॉनीटरिंग एनएलएमए द्वारा प्रगति रिपोर्टों, एसआरसी की मासिक और तिमाही बैठकों, जेएसएस के अर्धवार्षिक समीक्षा बैठकों, मूल्यांकन, निष्पादन लेखापरीक्षा, कार्यशालाओं, कार्रवाई योजना बैठकों और अधिकारियों के वैयक्तिक दौरों के जरिए की जाती है। जो एसआरसी और जेएसएस अधिदेशित जिम्मेदारियों को संतोषजनक ढंग से निष्पादित नहीं करते हैं, एनएलएमए द्वारा उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके द्वारा लगातार उल्लंघन किए जाने के मामले में अनुदान बंद करना और निरस्त करना शामिल है।

विवरण-I

2011 की जनगणना के अनुसार देश में राज्य-वार साक्षरता दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर (%)
1	2	3
	भारत	**74.04**
1.	आंध्र प्रदेश	67.66
2.	अरुणाचल प्रदेश	66.95
3.	असम	73.18
4.	बिहार	63.82
5.	छत्तीसगढ़	71.04
6.	गोवा	87.40
7.	गुजरात	79.31
8.	हरियाणा	76.64
9.	हिमाचल प्रदेश	83.78
10.	जम्मू और कश्मीर	68.74
11.	झारखंड	67.63
12.	कर्नाटक	75.60

1	2	3
13.	केरल	93.91
14.	मध्य प्रदेश	70.63
15.	महाराष्ट्र	82.91
16.	मणिपुर	79.85
17.	मेघालय	75.48
18.	मिजोरम	91.58
19.	नागालैंड	80.11
20.	ओडिशा	73.45
21.	पंजाब	76.68
22.	राजस्थान	67.06
23.	सिक्किम	82.20
24.	तमिलनाडु	80.33
25.	त्रिपुरा	87.75
26.	उत्तर प्रदेश	69.72
27.	उत्तराखंड	79.63
28.	पश्चिम बंगाल	77.0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	86.43
30.	चंडीगढ़	86.43
31.	दादरा और नगर हवेली	77.65
32.	दमन और दीव	87.07
33.	दिल्ली	86.34
34.	लक्षद्वीप	92.28
35.	पुदुचेरी	86.55

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार जन शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता

क्र. सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3,29,41,649	4,10,64,041	4,41,52,418	2,03,51,473
2.	अरुणाचल प्रदेश	29,48,395	30,00,000	29,93,000	14,95,330
3.	असम	98,28,416	1,49,85,523	1,45,70,484	72,67,113
4.	बिहार	2,80,74,065	3,36,29,308	3,76,26,109	1,93,90,759
5.	चंडीगढ़	27,35,688	34,93,516	34,91,133	17,50,000

1	2	3	4	5	6
6.	छत्तीसगढ़	1,07,86,157	2,07,68,542	2,02,08,283	98,68,738
7.	दादरा और नगर हवेली	13,39,455	29,54,833	27,62,566	14,60,440
8.	दिल्ली	1,10,72,600	89,44,624	89,51,517	44,55,433
9.	गोवा	25,78,893	29,58,621	26,50,469	12,17,316
10.	गुजरात	2,36,90,253	2,99,18,640	2,89,94,053	1,38,61,124
11.	हरियाणा	1,45,65,270	1,49,97,613	1,49,74,649	74,68,631
12.	हिमाचल प्रदेश	13,15,802	29,99,997	29,90,130	14,96,000
13.	जम्मू और कश्मीर	43,12,361	63,01,571	57,72,661	32,19,062
14.	झारखंड	1,31,22,952	1,51,28,708	1,49,71,527	74,33,858
15.	कर्नाटक	2,21,91,033	2,77,75,300	2,60,61,135	1,37,17,344
16.	केरल	2,56,20,911	2,78,16,964	2,54,55,328	1,31,00,798
17.	मध्य प्रदेश	7,97,11,211	9,81,30,528	9,45,28,114	4,73,05,093
18.	महाराष्ट्र	4,81,74,155	6,38,46,325	5,79,08,122	3,06,29,817
19.	मणिपुर	66,61,045	90,00,000	89,38,901	44,48,105
20.	मेघालय	—	—	—	—
21.	मिजोरम	25,65,328	29,96,336	—	—
22.	नागालैंड	28,94,505	14,97,991	29,98,922	13,89,424
23.	ओडिशा	4,48,34,352	5,17,10,857	5,15,65,420	2,58,74,701
24.	पंजाब	51,92,436	59,58,584	59,77,797	29,73,000
25.	राजस्थान	1,95,84,452	2,25,06,514	2,24,18,774	1,07,90,595
26.	सिक्किम	—	—	—	—
27.	तमिलनाडु	2,33,11,243	3,14,18,000	2,80,58,733	1,26,55,194

1	2	3	4	5	6
28.	त्रिपुरा	22,03,450	27,23,424	27,28,394	12,74,224
29.	उत्तर प्रदेश	13,24,76,268	15,54,48,728	14,95,95,516	7,32,25,540
30.	उत्तराखंड	1,43,51,863	1,76,77,549	1,66,25,739	82,42,844
31.	पश्चिम बंगाल	2,15,54,732	2,95,00,000	2,43,66,710	1,22,41,710

विवरण-III

पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य-वार एसआरसी को प्रदत्त वित्तीय सहायता

(रुपए)

क्र. सं.	एसआरसी का नाम	श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	क	1,00,00,000	49,61,000	99,68,429	49,67,851
2.	विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	ख	—	62,00,000	67,34,000	14,06,520
3.	ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	ख	—	55,00,000	59,99,638	32,66,178
4.	गुवाहाटी, असम	क	69,75,945	98,35,064	95,97,555	49,31,504
5.	हैलाकांडी, असम	ख	—	—	30,00,000	—
6.	पटना, बिहार	क	93,76,732	58,74,982	1,70,66,722	80,96,307
7.	दीपायतन, बिहार	क	99,90,509	67,68,385	97,26,003	50.00.000
8.	चंडीगढ़	ख	—	—	—	—
9.	रायपुर, छत्तीसगढ़	क	66,24,124	63,19,338	68,84,689	35,00,000
10.	नई दिल्ली, दिल्ली	ख	63,87,000	47,56,000	56,79,131	24,49,766
11.	अहमदाबाद, गुजरात	ख	66,93,164	57,78,229	35,00,000	35,00,000
12.	भरुच, गुजरात	ख	—	—	25,00,000	5,00,000

1	2	3	4	5	6	7
13.	रोहतक, हरियाणा	क	68,67,000	89,22,000	77,01,211	27,08,492
14.	शिमला, हिमाचल प्रदेश	क	66,20,000	68,60,000	71,65,488	36,25,000
15.	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	क	20,79,821	70,00,000	62,29,888	34,54,467
16.	रांची, झारखंड	क	93,23,904	57,12,841	83,70,429	27,84,811
17.	पलामू, झारखंड	ख	—	—	30,00,000	—
18.	मैसूर, कर्नाटक	क	1,00,00,000	50,00,000	97,73,002	44,84,492
19.	तिरुवनंतपुरम, केरल	क	1,00,00,000	22,57,379	72,68,656	47,36,093
20.	भोपाल, मध्य प्रदेश	क	69,91,540	85,59,510	72,67,447	38,03,730
21.	इंदौर, मध्य प्रदेश	क	97,53,916	83,64,954	87,44,890	38,10,432
22.	औरंगाबाद महाराष्ट्र	ख	69,97,820	55,07.169	69,99,566	34,99,800
23.	पुणे, महाराष्ट्र	क	50,00,000	82,11,252	96,07,504	48,15,520
24.	शिलांग, मेघालय	क	69,59,083	51,36,639	67,52,027	34,68,010
25.	भुवनेश्वर, ओडिशा	ख	35,00,000	70,00,000	58,36,835	—
26.	रायगडा, ओडिशा	ख	—	—	25,00,000	—
27.	जयपुर, राजस्थान	क	91,16,563	67,69,224	82,18,456	10,00,000
28.	जोधपुर, राजस्थान	ख	—	50,00,000	70,00,000	26,09,429
29.	चेन्नई, तमिलनाडु	क	1,00,00,000	41,91,177	41,91,177	—
30.	अगरतला, त्रिपुरा	ख	49,16,776	22,57,684	24,43,519	12,17,675
31.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	क	80,95,054	50,00,000	1,00,00,000	22,70,166
32.	देहरादून, उत्तराखंड	क	95,30,480	38,39,000	86,25,562	25,46,673
33.	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	क	99,97,387	79,62,114	99,57,190	47,49,522

विवरण-IV

जन शिक्षण संस्थानों द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लाभार्थियों की राज्य और लिंग-वार कवरेज

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यावसायिक शिक्षा के लाभार्थी 2009-10			व्यावसायिक शिक्षा के लाभार्थी 2010-11			व्यावसायिक शिक्षा के लाभार्थी 2011-12			व्यावसायिक शिक्षा के लाभार्थी 2012-13		
		पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	4,866	39,776	44,642	5,282	30,983	36,265	1,865	36,240	38,105	420	12,148	12,568
2.	अरुणाचल प्रदेश	302	2,395	2,697	500	2,350	2,850	464	2,250	2,714	1	759	760
3.	असम	2,883	8,850	11,733	4,014	8,865	12,879	3,057	8,793	11,850	552	3,547	4,099
4.	बिहार	6,035	25,404	31,439	5,028	24,021	29,049	5,703	23,791	29,494	783	7,720	8,503
5.	छत्तीसगढ़	4,289	8,056	12,345	3,859	11,143	15,002	3,388	9,231	12,619	866	6,849	7,715
6.	दिल्ली	1,384	7,880	9,264	1,001	7,923	8.924	533	8,616	9,149	255	2,753	3,008
7.	गोवा	193	2,839	3.032	103	2,117	2,220	89	2,334	2,423	19	527	546
8.	गुजरात	2,869	29,355	32,224	2,483	25,139	27,622	2,597	23,777	26,374	315	10,755	11,070
9.	हरियाणा	2,458	12,402	14,860	1,906	12,048	13,954	2,051	10,206	12,257	502	4,528	5,030
10.	हिमाचल प्रदेश	530	390	920	588	1,098	1,686	0	0	0	318	506	824
11.	जम्मू और कश्मीर	992	2,989	3,981	712	3,844	4,556	1,117	3,315	4,432	619	1,986	2,605
12.	झारखंड	3,216	11.469	14,685	2,838	10,327	13,165	997	7,128	8,125	33	3,060	3,093
13.	कर्नाटक	2,467	21,388	23,855	1,605	19,130	20,735	1,254	17,972	19,226	213	5,595	5,808

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	केरल	2,745	24,068	26,813	1,958	22,137	24,095	1,438	20,679	22,117	780	9,258	10,038
15.	मध्य प्रदेश	19,822	70,270	90,092	13,003	68,976	81,979	12,694	67,810	80,504	2,166	32,107	34,273
16.	महाराष्ट्र	11.734	42,113	53,847	9,184	41,666	50,850	8,028	38,938	46,966	2,153	15,924	18,077
17.	मणिपुर	3,367	5,871	9,238	2,832	4,570	7,402	2,986	4,991	7,977	327	779	1,106
18.	मिजोरम	606	1,623	2,229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैंड	1.077	1,603	2,680	1,129	1,698	2,827	1,472	1,504	2,976	19	29	48
20.	ओडिशा	11,499	40,504	52,003	7,296	36,133	43,429	8,009	29,974	37,983	2,157	12,851	15,008
21.	पंजाब	1,512	4,206	5,718	1,281	4,023	5,304	641	5,161	5,802	227	1,930	2,157
22.	राजस्थान	960	16,206	17,166	3,600	15,101	18,701	844	17,750	18,594	29	6,029	6,058
23.	तमिलनाडु	4,778	21,353	26,631	4,710	20,120	24,830	3,849	22,215	26,064	487	7,729	8,216
24.	त्रिपुरा	961	1.545	2,506	615	1,003	1,618	456	921	1,377	42	485	527
25.	उत्तर प्रदेश	32,225	115,290	147,515	28,098	105,787	133,885	19,545	113,172	132,717	2,164	39,896	42,060
26.	उत्तराखंड	2,642	14,590	17,232	2,497	12,964	15,461	2,088	13,322	15,410	592	5,521	6,113
27.	पश्चिम बंगाल	8.541	16,813	25,354	5,830	15,868	21,698	4,528	12,738	17,266	1,231	5,339	6,570
28.	चंडीगढ़	245	2.196	2,441	529	2,217	2,746	268	2,260	2,528	58	778	836
29.	दादरा और नगर हवेली	465	675	1,140	457	1,703	2,160	170	877	1,047		487	487
	कुल	135,663	552,619	688,282	112,938	512,954	625,892	90,131	505,965	596,096	17,328	199,875	217,203
		19.71	80.29		18.04	81.96		15.12	84.88		7.98	92.02	

सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रारुप संशोधन

3030. **श्री आदि शंकर : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम में विवादित प्रारुप संशोधन को वापस लेने का निर्णय लिया है जिसमें केवल सामाजिक तथा विकास संबंधी मुद्दों की फाइल टिप्पण को प्रकट किया जा सकता था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केवल राष्ट्रीय सुरक्षा, निजता और संरक्षण तथा वाणिज्यिक हितों से संबंधित फाइलों की टिप्पण के सिवाय सभी टिप्पणों को सार्वजनिक किया जा सकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी हां, सरकार द्वारा दिनांक 20.07.2006 को अनुमोदित संशोधनों को दिनांक 01.11.2012 को वापस लिया जा चुका है।

(ग) और (घ) जी, हां, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन धारा 8 के अंतर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त जानकारी वाले फाइल टिप्पण को छोड़कर सभी फाइल टिप्पणों को सार्वजनिक किया जा सकता है।

केंद्रीय सरकार के अधिकारियों का स्थानांतरण

3031. **श्री नारनभाई कछाड़िया : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केंद्र सरकार के ऐसे अधिकारियों जो सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं के रोटेशन योजना के अंतर्गत एक विभाग से दूसरी विभाग में स्थानांतरण करने की उपयोगिता के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

मेटा विश्वविद्यालय

3032. **श्री महेश्वर हजारी :**
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में मेटा विश्वविद्यालयों पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने अभी तक इस बारे में क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या उपाधियां प्रदान करते समय इन सभी विश्वविद्यालयों की संयुक्त आम सहमति होगी अथवा छात्रों को अलग-अलग उपाधियां दी जाएंगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कोलकाता और हैदराबाद सहित सभी राज्य विश्वविद्यालयों को ऐसा मॉडल शुरू करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में इन विश्वविद्यालयों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) मेटा विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। मेटा विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध

अधुनातन प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा अधिगम संसाधनों को साझा करना है ताकि विभिन्न संस्थाओं में उपलब्ध अधिगम संसाधनों से विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विश्वविद्यालयों के लिए शीर्ष के विनियामक निकाय के रूप में मेटा विश्वविद्यालय के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्णय लिया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भाग लेने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को अधिक समग्र अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए अपने अधिगम संसाधनों को साझा करते है। इसलिए, ऐसे कार्यक्रम, जैसाकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय को स्पष्टीकरण दिया गया है, संयुक्त डिग्री कार्यक्रम हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। केन्द्र सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय; जादवपुर विश्वविद्यालय, कलकत्ता; भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता; हैदराबाद विश्वविद्यालय; भारतीय बिजनेस स्कूल, हैदराबाद; अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद को पत्र लिखे हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय, अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद एवं भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता ने मेटा विश्वविद्यालयों में अपनी रूचि जाहिर की है।

(छ) उच्चतर शिक्षा संस्थाएं पूर्ण रूप से स्वायत्त संस्थाएं हैं, अत: मेटा विश्वविद्यालयों में प्रदान किए जाने पाले पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को अभिनिर्धारित करने तथा सहयोग करने का निर्णय उन पर छोड़ दिया जाता है। ऐसा एक मेटा विश्वविद्यालय दिल्ली में पहले ही प्रारंभ किया जा चुका है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जीआईएस की स्थापना

3033. श्रीमती अन्नू टन्डन : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राष्ट्रीय जीआईएस संगठन के अंतर्गत राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ निजी क्षेत्र से जीआईएस आवेदनों को अनुमति देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने शहरी विकास जैसे मंत्रालयों को जीआईएस साल्यूशंस प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार भूमि रजिस्ट्रेशन हेतु जीआईएस मानचित्रण को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मिशन मोड में तीन वर्षों की अवधि से अधिक में 2900 करोड़ रु. के प्रस्तावित आबंटन के साथ एक राष्ट्रीय भौगोलिक सूचना प्रणाली (एनजीआईएस) स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। विभिन्न भागीदारी करने वाले विभागों/एजेंसियों की भूमिकाओं तथा अंतर-एजेंसी संपर्कों पर सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। राष्ट्रीय जीआईएस संगठन की स्थापना सहित इसकी कार्यान्वियन प्रक्रिया का विवरण तैयार किया जा रहा है। निधियों के आबंटन के अनुमोदन हेतु व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन प्रक्रियाधीन है।

(ख) फिलहाल, निजी क्षेत्र से जीआईएस आवेदनों को शामिल करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। वर्तमान ई-शासन प्रणाली के जी-शासन (भूस्थानिक शासन) प्रणाली में रुपांतरण हेतु सरकारी क्षेत्र में निर्णय लेने में सहायता के लिए एनजीआईएस का उपयोग किया जाएगा।

(ग) एनजीआईएस के प्रस्ताव में जीआईएस सॉल्यूशंस के प्रावधानों के लिए शहरी विकास मंत्रालय की मुख्य स्टेकधारक के रूप में पहचान की गई है। विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) लागू नहीं।

[हिन्दी]

उद्योगों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के बीच संबंध

3034. श्री महाबली सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के 43वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के सलाहकार ने देश में प्रौद्योगिकी

के आयात की प्रथा को बदलने और भारतीय उद्योगों तथा आईआईटीज के बीच संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस बारे में क्या उपाय कर रही है;

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी हां, महोदया। भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार एवं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसस के उपाध्यक्ष ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2012 को आईआईटी, दिल्ली में दीक्षांत समारोह के दौरान अपने भाषण में यह कहा कि भारत कुल मिला कर एक प्रौद्योगिकी आयात करने वाला देश है जिसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। आईआईटीज के भारतीय उद्योगों के साथ घनिष्ठ पारस्परिकता से इस प्रथा को बदले जाने की आवश्यकता है। बदले में उद्योगों को भी आईआईटीज में मध्यम से लम्बी अवधि के अनुसंधानों में भागीदारी करने और धनराशि उपलब्ध कराने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

(ग) सरकार आईआईटीज के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35(2कक) के अंतर्गत अनुमोदित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों और आईआईटीज में प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए 200% की दर से भारित कर कटौती उपलब्ध कराती है।

[अनुवाद]

दिल्ली मैट्रो के लिए किराया निर्धारण समिति

3035. श्री मानिक टैगोर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली मैट्रो का किराया संशोधित करने के लिए एक किराया निर्धारण समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक पेश किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया का ग्राउंड हैंडलिंग कारोबार

3036. श्री पी. कुमार : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने अपने लाभप्रद एयर काफ्ट ग्राउंड हैंडलिंग कारोबार और इससे अर्जित राजस्व का एक भाग एक संयुक्त उद्यम कंपनी को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एयर इंडिया द्वारा घोषित ग्राउंड हैंडलिंग नीति तिरुवनन्तपुरम विमानपत्तन सहित अनेक विमानपत्तनों पर लागू नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार/एयर इंडिया ने इस बारे में क्या कदम उठाए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी की गई नई ग्राउंड हैंडलिंग पॉलिसी का अनुपालन करने तथा नई ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लिए, एयर इंडिया ने बंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, मंगलौर तथा तिरुवनन्तपुरम में एयर इंडिया तथा उसकी सहायक एयरलाइनों की उड़ानों को ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं उपलब्ध करने के लिए 50:50 शेयर धारिता के आधार पर मैसर्स सिंगापुर एयरपोर्ट टर्मिनल सर्विसेज (सैट्स) के साथ एक संयुक्त उद्यम करार किया है। यह संयुक्त उद्यम अपनी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञता तो एआई-सैट्स के साथ अधिक राजस्व लाभ अर्जित कर सकेगा और एयर इंडिया का सैट्स के साथ लाभांश का आधार 50:50 होगा।

(ग) और (घ) एयर इंडिया ने कोई ग्राउंड हैंडलिंग नीति घोषित नहीं की है। सरकार ने ग्राउंड हैंडलिंग नीति जारी की है, जो त्रिवेंद्रम हवाईअड्डा समेत भारत के सभी हवाईअड्डों पर लागू है। तथापि, यह नीति भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीन है।

अनुसंधान को बढ़ावा

3037. श्री निलेश नारायण राणे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में छात्रों के बीच अनुसंधान के प्रति रुचि पैरा करने हेतु विद्यालयों और महाविद्यालयों में पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा-2005 सूचना पर आधारित रचनात्मक शिक्षण पर फोकस करता है। यह दस्तावेज अध्यापकों को ऐसी स्थिति का सृजन करने में समर्थ बनाता है। जहां बच्चे पूछताछ, खोज, अन्वेषण, अनुसंधान और अपने ज्ञान का सृजन कर सकते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) शिक्षा-शास्त्रीय पद्धतियों की पैरवी करता है जो बच्चों को गैर-पारम्परिक तरीके से ऐसी स्थिति के प्रत्युत्तर की अनुमति देता है जिसमें उनकी अनुभवजन्य भावना को प्रोत्साहन मिले। स्कूलों से यह भी आशा है कि वे छात्रों में पूछताछ और अन्वेषण के भाव को प्रोत्साहित करने के लिए छात्र-समूहों को स्कूल समय के दौरान बहु-विषयक परियोजनाएं सौंपे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं में शोध को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित स्कीमों को कार्यान्वित कर रहा है:— (i) उत्कृष्टता की संभावना वाले विश्वविद्यालय (यूपीई) (ii) किसी विशेष क्षेत्र में उत्कृष्टता की संभावना का केन्द्र (सीपीईपीए) (iii) उत्कृष्टता की संभावना वाले कॉलेज (सीपीई) (iv) प्रमुख शोध परियोजना/लघु शोध परियोजना (एमआरपी) (v) विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) (vi) आधारभूत वैज्ञानिक शोध (बीएसआर) और (vii) शोध अध्येतावृत्तियां।

विद्यालयों में सीसीई

3038. श्री आर. थामराईसेलवन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) स्कूलों में सतत् व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) को बढ़ावा देने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीबीएसई ने सीसीई को लोकप्रिय बनाने के लिए किसी अवार्ड का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने संबद्ध स्कूलों में सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन (सीसीई) के संवर्धन हेतु निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

- मुख्य प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन
- प्रधानाचार्यों तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण
- स्कूलों में सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन को कारगर ढंग से लागू करने के लिए मॉनीटरिंग तथा मेंटरिंग कार्यक्रमों का आयोजन
- सतत् तथा व्यापक मूल्यांकन पर माता-पिता तथा स्कूल प्रबंधन के संदेहों के समाधान के लिए माता-पिता विचार-विमर्श कार्यक्रम का आयोजन

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लोकप्रिय बनाने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड – मेंटर पुरस्कार 2012 में दिए गए थे।

खाड़ी में कामगार

3039. श्री सी. राजेन्द्रन : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख के अनुसार खाड़ी देशों सहित विदेशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कितने भारतीय श्रमिक इन देशों में गए;

(ग) क्या इन देशों में जाने वाले श्रमिकों की संख्या में हाल ही में कोई कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) ईसीआर श्रेणी के कामगारों, जिन्हें वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (अक्तूबर तक) के दौरान 17 अधिसूचित देशों के लिए उत्प्रवास स्वीकृति दी गई थी, और इन देशों में भारतीयों/कामगारों की अनुमानित संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण पर दिए गए हैं।

(ग) उपलब्ध आंकड़ों से अभी तक कोई गिरने की प्रवृति नहीं देखी गई हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2009-2012 (अक्तूबर तक) के दौरान भारत से उत्प्रवास स्वीकृति और उन देशों में कुल अनुमानित भारतीय कामगारों के देश-वार आंकड़े

क्र. सं.	देश	2009	2010	2011	2012 (अक्तूबर तक)	भारतीय मिशनों के अनुमान के अनुसार भारतीयों/ कामकारों की संख्या
1.	अफगानिस्तान	395	256	487	119	3,620
2.	बहरीन	17541	15101	14323	17400	4,00,000
3.	इंडोनेशिया	9	3	22	10	उपलब्ध नहीं
4.	ईराक	—	390	1177	659	16,000
5.	जार्डन	847	2562	1413	1537	9,000
6.	कुवैत	42091	37667	45149	44851	6,41,062
7.	लेबनान	250	765	534	247	10,000
8.	लीबिया	3991	5221	477	1	1,800
9.	मलेशिया	11345	20577	17947	17596	5,500
10.	ओमान	74963	105807	73819	71058	5,81,832
11.	कतर	46292	45752	41710	51973	5,00,000
12	सउदी अरब	281110	275172	289297	296374	20,40,000
13.	सूझान	708	957	1175	469	3,956
14.	सीरिया	0	2	118	0	50
15.	थाईलैंड	5	5	27	7	उपलब्ध नहीं
16.	यूएई	130302	130910	138861	114937	18,00,000
17.	यमन	421	208	29	0	उपलब्ध नही
	कुल	6,10,270	6,41,355	6,26,565	6,17,238	60,128,20

3जी लाइसेंसिंग मानकों का उल्लंघन

3040. श्री ए. साई प्रताप : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुछ दूरसंचार कंपनियां 3जी लाइसेंसिंग मानकों का प्राय: उल्लंघन करती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आपरेटर-वार किस प्रकार का उल्लंघन किया गया है; और

(ग) सरकार ने चूककर्त्ता आपरेटरों के विरुद्ध आपरेटर-वार क्या कार्रवाई की है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ग) कुछ सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) द्वारा विशिष्ट रूप से उन्हें प्राधिकृत किए बिना 3जी सेवाएं प्रदान करने के प्रावधानों का उल्लंघन करने की बात सरकार के नोटिस में आई है। इन सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) के लाइसेंस न तो 3जी स्पेक्ट्रम का प्रयोग करने के लिए संशोधित किए गए हैं और न ही उन्हें 3जी स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया है। जांच करने पर यह बात सामने आई है कि ऐसे लाइसेंसधारक उन सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) के साथ अंतरा-सेवा क्षेत्र रोमिंग करार नामक एक वाणिज्यिक करार करके अपने उपभोक्ताओं को 3जी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिनके लाइसेंस 3जी स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए संशोधित किए गए हैं और उन्हें इस सेवा क्षेत्र (क्षेत्रों) में 3जी स्पेक्ट्रम भी आबंटित किया गया है।

ऐसी लाइसेंसधारक कम्पनियों, जो 3जी स्पेक्ट्रम के प्रयोग के लिए अपने-अपने लाइसेंसों में बिना किसी विशिष्ट प्राधिकार/संशोधन और उन विशिष्ट सेवा क्षेत्रों में 3जी नेटवर्क के रॉल आउट के लिए 3जी स्पेक्ट्रम के आबंटन के बिना उपर्युक्त तथाकथित अंतरा सेवा रोमिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत 3जी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, को तत्काल प्रभाव से 3जी सेवाएं प्रदान करना बंद कर देने के अनुदेश दिनांक 23.12.2011 को जारी किए गए। ऐसी लाइसेंसधारक (लाइसेंसधारकों) कंपनियों से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

इन कम्पनियों ने, दिनांक 23.12.2011 के उपर्युक्त उल्लिखित पत्र द्वारा जारी अनुदेशों का माननीय दूरसंचार विवाद समाधान तथा अपील अधिकरण (टीडीएसएटी) के समक्ष विरोध किया। टीडीएसएटी ने दिनांक 24.12.2011 को अपने अंतरिम आदेश में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया कि दूरसंचार विभाग इन कम्पनियों के विरुद्ध 23.12.2011 के विवादित आदेश को लागू करने के लिए कोई कठोर कार्रवाई न करे। माननीय टीडीएसएटी द्वारा इस मामले में दिया गया निर्णय 1:1 के अनुपात में खंडित हो गया है। इस निर्णय के अनुसार अध्यक्ष, टीडीएसएटी ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह निष्कर्ष दिया कि दिनांक 23.12.2011 के विवादित आदेश को रद्द किया जाता है और दूरसंचार विभाग को यह छूट दी जाती है कि वे इन कम्पनियों को सुनवाई का उपयुक्त अवसर देते हुए उचित आदेश जारी करे। तथापि, सदस्य, टीडीएसएटी ने अपने निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह निकर्ष दिया कि जिन कम्पनियों को कतिपय सर्किलों में लाइसेंसप्रदाता द्वारा आबंटित 3जी स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं हुआ है, वे अपने ग्राहकों को उन सर्किलों में 3जी स्पेक्ट्रम धारक सेवा प्रदाताओं के साथ अंतरा सर्किल व्यवस्था करके 3जी सेवाएं प्रदान नहीं कर सकतीं।

चूंकि इन कम्पनियों ने माननीय टीडीएसएटी के विखंडित निर्णय के उद्घोषित होने के बावजूद दूरसचार विभाग के दिनांक 23.12.2011 के अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया है इसलिए मैसर्स भारत एयरटेल लि. को 60 दिनों के भीतर यह कारण बताने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किय गया है कि लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध वित्तीय शास्ति क्यों न लगाई जाए और 7 लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों (एलएसए) के लाइसेंस उन स्थानों के लिए क्यों न रद्द किए जाएं जहां कम्पनी किसी विशिष्ट प्राधिकार के बिना 3जी सेवाएं प्रदान कर रही है। इसी प्रकार इसी नोटिस में कम्पनी को नोटिस जारी होने के 3 दिन के भीतर इन 7 लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में 3जी सेवाओं की उपलब्धता कराने को रोक देने के लिए भी कहा गया है।

कम्पनी ने दिनांक 28.09.2012 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस का माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध किया। याचिका का निपटान करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह आदेश दिया कि कम्पनी दिनांक 28.09.2012 के विवादित कारण बताओं नोटिस का उत्तर दें। उत्तर प्राप्त होने के बाद, संबंधित प्राधिकारी अपने समक्ष उठाए गए समस्त मुद्दों के बारे में अपना निर्णय कंपनी को उसके प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखने का मौका देते हुए देंगे। निर्णय होने तक दूरसंचार विभाग कम्पनी के विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा।

इसी प्रकार इन लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने वाली शेष सीएमटीएस/यूएएस लाइसेंसधारक कंपनियों के संदर्भ में इसी प्रकार के

कारण बताओं नोटिस जारी किए जाने पर विचार इस मामले से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेश के मद्देनज़र किया जा रहा है।

विवरण

उन अभिगम सेवा लाइसेंसधारकों की कम्पनी-वार सूची जो 3जी स्पेक्ट्रम के आवंटन के बिना तथाकथित अंतरा सेवा क्षेत्र रोमिंग व्यवस्था द्वारा 3जी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं

क्र. सं.	लाइसेंसधारक कम्पनी का नाम	सेवा क्षेत्र
1	2	3
1.	वोडाफोन एस्सार साउथ लि.	आंध्र प्रदेश
2.	आइडिया सेल्यूलर लि.	असम
3.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	असम
4.	आदित्य बिड़ला टेलीकॉमल लि.	बिहार
5.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	बिहार
6.	आइडिया सेल्यूलर लि.	दिल्ली
7.	एयरसेल लि.	गुजरात
8.	भारती एयरटेल लि.	गुजरात
9.	भारती एयरटेल लि.	हरियाणा
10.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	हिमाचल प्रदेश
11.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	जम्मू और कश्मीर
12.	स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि.*	कर्नाटक
13.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	कर्नाटक
14.	भारती एयरटेल लि.	केरल
15.	वोडाफोन एस्सार सेल्यूलर	केरल
16.	भारती एयरटेल लि.	कोलकाता
17.	आइडिया सेल्यूलर लि.	कोलकाता
18.	भारती एयरटेल लि.	मध्य प्रदेश
19.	डिशनेट वायरलेस लि.	मध्य प्रदेश
20.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	मध्य प्रदेश
21.	एयरसेल लि.	महाराष्ट्र
22.	भारती एयरटेल लि.	महाराष्ट्र
23.	आइडिया सेल्यूलर लि.	मुंबई
24.	आइडिया सेल्यूलर लि.	पूर्वोत्तर
25.	वोडाफोन एस्सार स्पेसटेल लि.	पूर्वोत्तर
26.	एयरसेल लि.	राजस्थान
27.	आइडिया सेल्यूलर लि.	राजस्थान
28.	वोडाफोन एस्सार डिजीलिंक लि.	राजस्थान
29.	आइडिया सेल्यूलर लि.	तमिलनाडु (चैन्ने सहित)
30.	भारती एयरटेल लि.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)
31.	डिशनेट वायरलेस लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
32.	वोडाफोन एस्सार साउथ लि.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)
33.	आइडिया सेल्यूलर लि.	पश्चिम बंगाल

टिप्पणी: *मैसर्स स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि. संबंधित उच्चत न्यायालय के आदेश के अनुसार मैसर्स आइडिया सेलुलर लि. के साथ समामेलित हो गई है। तथापि, मैसर्स स्पाइस कम्यूनिकेशन्स लि. के नाम से प्रदान किया गया लाइसेंस (लाइसेंसों) को अभी मैसर्स आइडिया सेलुलर लि. के नाम में अंतरित किया जाना है।

[हिन्दी]

मदरसों में आधुनिक शिक्षा

3041. श्री कीर्ति आजाद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न शिक्षा बोर्डों के साथ पंजीकृत मदरसों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उनको जारी किए गए अनुदानों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और उक्त अनुदान किस योजनार्थ दिए गए थे और अभी तक कितने मदरसे शिक्षा की आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित हैं; और

(ग) इन मदरसों के कामकाज की निगरानी करने वाली संस्था का नाम क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) देश के विभिन्न शिक्षा बोर्डों में पंजीकृत मदरसों की राज्यवार संख्या संबंधी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ख) मदरसों में गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना मदरसों और मक्तबों को अपनी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषय शामिल करने के लिए अनुदान का विकल्प चुनने हेतु प्रोत्साहित करती है ताकि, छात्र वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर इन विषयों में अकादमिक प्रवीणता प्राप्त कर सकें। यह अध्ययन के उच्चतर स्तरों पर प्रगति करने में उन्हें सक्षम बनाएगी और उनके लिए अच्छे रोजगार अवसर भी प्रदान करेगी। यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के तहत् जारी किए गए अनुदानों और लाभांवित मदरसों की संख्या की राज्यवार सूची संलग्न विवरण पर दी गई है।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इन मदरसों के कार्यकरण की निगरानी की जाती है।

विवरण

जारी किए गए अनुदानों और मदरसों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (5.11.12 तक)	
		मदरसों की संख्या	जारी राशि	मदरसों की संख्या	जारी राशि	मदरसों की संख्या	जारी राशि	मदरसों की संख्या	जारी राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	40	260	-	-	-	-
2.	असम	-	-	486	1039	-	459.53	-	-
3.	बिहार	-	-	-	-	-	-	80	55.54
4.	चंडीगढ़	1	0.36	-	-	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	-	-	439	811.67	255	229.7	234	592.78
6.	हरियाणा	-	-	6	37.50	-	-	-	-
7.	जम्मू और कश्मीर	-	-	372	347.87	-	538.6	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	झारखंड	164	497.18	-	-	-	-	-	-
9.	कर्नाटक	-	-	160	490.17	48	210.58	-	-
10.	केरल	-	-	724	1490.09	-	-	-	-
11.	मध्य प्रदेश	329	561.35	764	1343.24	1028	1085.53	1667	1794.48
12.	महाराष्ट्र	-	-	11	36.59	34	147.52	11	30.94
13.	राजस्थान	-	-	220	547.46	21	71.95	220	392.66
14.	त्रिपुरा	129	374.18	-	-	-	-	-	-
15.	उत्तर प्रदेश	1356	3190.47	1758	3554.55	4539	11175.37	5020	9865.82
16.	उत्तराखंड	-	-	65	188.86	9	34.62	130	432.34
	कुल	1979	4623.54	5045	10147.00	5934	13953.40	7362	13164.60

[अनुवाद]

इग्नू की दूरस्थ शिक्षा परिषद की शिफ्टिंग

3042. **श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की दूरस्थ शिक्षा परिषद को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों पर इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) मुक्त और दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (ओडीएल) प्रदान करने के लिए सभी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी), विश्वविद्यालय अर्थात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की एक सांविधिक निकाय है। अन्य विश्वविद्यालयों को विनियमित करने वाला विश्वविद्यालय, हितों में टकराव पैदा करता है। इसको तथा अन्य संबंधित विषयों को ध्यान में रखते हुए, दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से प्रदान की गई शिक्षा के स्तरों को विनियमित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए प्रो. एन.आर. माधव मेनन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ दूरस्थ शिक्षा परिषद को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) जोकि पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय पद्धति का एक सांविधिक विनियामक है, के नियंत्रणाधीन रखने की सिफारिश की। इस समय इग्नू के अंतर्गत दूरस्थ शिक्षा परिषद द्वारा निष्पादित किए जा रहे कार्य इसके द्वारा ही पूरे किए जाएंगे लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियंत्रणाधीन पूरे किए जाएंगे। इसलिए, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत अध्ययन कर रहे छात्रों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

भर्ती पर प्रतिबंध

3043. श्री ओ.एस. मणियन : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी विभागों/मंत्रालयों और इनके अधीनस्थ कार्यालयों में रिक्त पड़े विभिन्न पदों पर विगत कुछ वर्षों से भर्ती बंद कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्टाफ के अभाव में कार्य किस प्रकार से निपटाया जा रहा है; और

(घ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या नीति बनाई है जिससे रिक्त पद शीघ्रातिशीघ्र भरे जा सकें?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क)से (घ) केन्द्र सरकार में भर्ती करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। संबंधित मंत्रालय/विभाग पदों की कार्यात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा अनुदेशों/नियमों के ढांचे के अंतर्गत रिक्तियों को भर सकते हैं।

[हिन्दी]

जीर्ण-शीर्ण स्थिति में विद्यालय

3044. श्री देवजी एम. पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ऐसे सरकारी स्कूलों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है जो जीर्ण-शीर्ण भवनों में चलाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन स्कूलों की मरम्मत के लिए गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितनी राशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) 2011-12 (अनंतिम) के तहत राज्यों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, जीर्ण-शीर्ण दशा वाले सरकारी स्कूलों की संख्या के संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा प्रबंध सूचना प्रणाली (एसईएमआईएस) अन्य बातों के साथ-साथ माध्यमिक स्कूलों की मौजूदा अवसंरचना के बारे में सूचना प्रदान करती है।

(ग) और (घ) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवनों के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान 20.04 करोड़ रु. और वर्ष 2012-13 के दौरान 11.58 करोड़ रु. संस्वीकृत किए गए हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) में स्कूल भवनों के शिक्षण कक्षों की बड़ी मरम्मतों का प्रावधान है। पिछले तीन वर्ष के दौरान, आरएमएसए के अंतर्गत सरकारी माध्यमिक स्कूलों में 9228 शिक्षण-कक्षों के लिए बड़ी मरम्मतों की मंजूरी दी गई है। विभिन्न कार्यकलापों, जिनमें नए माध्यमिक स्कूल, मौजूदा माध्यमिक स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, बड़ी मरम्मतें और अन्य गुणवत्ता कार्यक्रम शामिल हैं, के लिए वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान आरएमएसए के लिए क्रमशः 550 करोड़ रु. 1500 करोड़ रु., 2512.45 करोड़ रु. और 3124 करोड़ रु. की निधियां आवंटित की गई हैं।

विवरण

जीर्ण-शीर्ण भवनों वाले सरकारी स्कूलों की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्कूल	जीर्ण-शीर्ण भवन वाले स्कूल
1	2	3
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	330	14
आंध्र प्रदेश	78673	205
अरुणाचल प्रदेश	3951	1
असम	42917	21
बिहार	69366	314

1	2	3
छत्तीसगढ़	47208	1192
दिल्ली	2782	6
गुजरात	33496	6
हरियाणा	15021	11
हिमाचल प्रदेश	15001	17
जम्मू और कश्मीर	22538	4
झारखंड	40343	263
कर्नाटक	50885	27
केरल	5333	10
मध्य प्रदेश	112079	259
महाराष्ट्र	69771	201
मणिपुर	2479	7
मेघालय	7803	60
मिजोरम	2479	57
नागालैंड	2670	1
ओडिशा	58023	601
पंजाब	20368	5
राजस्थान	77829	111
तमिलनाडु	36575	3
त्रिपुरा	4275	4
उत्तर प्रदेश	154757	185
उत्तराखंड	17500	714
कुल	994452	3758

अपंजीकृत आईटी कंपनियां

3045. श्री रतन सिंह :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में कार्य कर रही पंजीकृत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आईटी क्षेत्र में कार्यरत पचास प्रतिशत से अधिक कंपनियां पंजीकृत नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन कंपनियों के पंजीकृत न होने से राजस्व की कितनी हानि हो रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), भारत सरकार के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों की राज्यवार संख्या सहित एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है। ऐसा कोई भी मामला उनके ध्यान में नहीं आया है जहां कंपनियां पंजीकरण के बिना सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य कर रही हों।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

विवरण-I

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों की राज्यवार संख्या (72 से प्रारंभ औद्योगिक कार्यकलाप कूट)

राज्य	संख्या
1	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2
आंध्र प्रदेश	12907
अरुणाचल प्रदेश	12
असम	404

1	2
बिहार	484
चंडीगढ़	851
छत्तीसगढ़	218
दमन और दीव	4
दिल्ली	16163
दादरा और नगर हवेली	5
गोवा	171
गुजरात	3378
हिमाचल प्रदेश	125
हरियाणा	1210
झारखंड	278
जम्मू और कश्मीर	188
कर्नाटक	10522
केरल	3028
महाराष्ट्र	15224
मेघालय	45
मणिपुर	12
मध्य प्रदेश	1217
मिजोरम	6
नागालैंड	27
ओडिशा	935
पंजाब	740
पुदुचेरी	165
राजस्थान	1801
तमिलनाडु	10023
त्रिपुरा	13
उत्तर प्रदेश	2183
उत्तराखंड	203
पश्चिम बंगाल	3955

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों के लिए उच्च/तकनीकी संस्थान

3046. श्री सोमेन मित्रा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु पश्चिम बंगाल में कोई उच्च अथवा तकनीकी संस्थान को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) उन जिलों, जहां उच्चतर शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, में 374 मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना करने की स्कीम के अंतर्गत मॉडल डिग्री कालेजों की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल में वर्द्धमान, वीरभूम, दक्षिण दिनाजपुर, हावड़ा, कूच बिहार, माल्दा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तरी 24 परगना, दक्षिणी 24 परगना और उत्तर दिनाजपुर में अल्पसंख्यक बहुल 11 जिलों की पहचान की गई है। अल्पसंख्यक बहुल केवल कूच बिहार जिला है जिसके लिए अब तक राज्य से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

पॉलिटेक्निकों के संबंध में सब-मिशन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक बहुल जिलों अर्थात् दक्षिणी दिनाजपुर, उत्तरी दिनाजपुर, माल्दा, वीरभूम, नादिया, उत्तरी 24 परगना और दक्षिणी 24 परगना में 11 नए पॉलिटेक्निकों की स्वीकृति दी गई है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का एक परिसर मुर्शिदाबाद (पश्चिम बंगाल) में भी स्थापित किया गया है जो अकादमिक वर्ष 2010-11 से प्रचालन में है।

[हिन्दी]

आईसीटी अकादमियां

3047. श्री चंदूलाल साहू : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) ऐसी कितनी अकादमियां स्थापित करने का प्रस्ताव है और इस प्रयोजनार्थ राज्य और स्थान-वार कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अकादमियां स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों की छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) जी, हां। सूचना प्रौद्यौगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स (आईसीटीई) में अनुसंधान और विकास की मात्रा और गुणवत्ता बेहतर करने के लिए एक राष्ट्रीय स्रोत के निर्माण में सहायता और देश में सूचना प्रौद्योगिकी और संबद्ध संस्थानों में इसके अनुप्रयोग के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए) की स्थापना की गई है।

(ग) मीडिया लैब एशिया, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की धारा 25 के तहत एक अलाभकारी संगठन के एक प्रभाग के रूप में केवल एक सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी की स्थापना की गई है। 5 वर्ष की अवधि के लिए आईटीआरए का अनुमोदित परिव्यय 148.83 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु और केरल की राज्य सरकारों से उनके संगत राज्यों में आईसीटी अकादमियों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए। दोनों प्रस्तावों को कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित किया गया। तमिलनाडु में आईसीटी अकादमी की स्थापना कर दी गई है और वहां 5027 संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया है। केरल में आईसीटी अकादमी की स्थापना का कार्य जारी है।

आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी आदि अथवा अन्य समतुल्य अकादमिक संस्थानों के सहयोग से राज्य सरकारों/संघराज्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और आईसीटी अकादमियों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की एक योजना तैयार की जा रही है। इन अकादमियों में आधुनिकतम (स्टेट-ऑफ-दी आर्ट) सुविधाओं का विकास कर इंजीनियरिंग, कला, वाणिज्य और विज्ञान महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक आदि के संकाय सदस्यों को विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

[अनुवाद]

विद्यालयों में अवसंरचनात्मक सुविधाएं

3048. श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य प्रत्येक वर्ष भारी आबंटन के बावजूद अपनी विद्यालयी अवसंरचना और शिक्षा की गुणता में सुधार करने में पिछड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ग्यारहवीं तथा बारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में ऐसा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डीआईएसई) 2011-12 (अनंतिम) के अनुसार, कुछ राज्यों में स्कूल अवसंरचना का अभाव परिलक्षित होता है क्योंकि 94.3 प्रतिशत सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में पेयजल सुविधा है, 87.9 प्रतिशत स्कूलों में शौचालय हैं और 61.7 प्रतिशत स्कूलों में रैम्प उपलब्ध हैं। 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर पर छात्र शिक्षक अनुपात 1:31 के

राष्ट्रीय औसत से अधिक है और 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र इस मामले में उच्च प्राथमिक स्तर पर 1:29 के राष्ट्रीय औसत से ऊपर हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान की मंशा नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से स्कूल अवसंरचना में अभिवृद्धि करने की है जिसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अब तक 3.04 लाख स्कूल भवन, 17.92 लाख अतिरिक्त शिक्षण-कक्ष, 8.53 लाख शौचालय, 2.29 लाख पेयजल सुविधाएं और 5.01 लाख रैंप संस्वीकृत किए गए हैं।

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना 2005 के आधार पर संशोधित पाठ्यपुस्तकों, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण, सभी शिक्षकों के वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण, ब्लॉक एवं क्लस्टर स्तर पर शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं सहायक संरचनाओं की स्थापना तथा व्यापक एवं सतत मूल्यांकन की शुरूआत के माध्यम से स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के प्रयास शुरू किए गए हैं। छात्र-शिक्षक अनुपात में सुधार हेतु 19 लाख से अधिक शिक्षक पद संस्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने न्यूनतम अर्हताएं अधिसूचित की हैं तथा शिक्षकों के गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को भी अनिवार्य बनाया है।

विवरण

डीआईएसई 2011-12 (अनंतिम) के अनुसार पेयजल, रैम्प एवं शौचालय जैसी सुविधाओं वाले स्कूलों की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्नलिखित सुविधाओं वाले स्कूलों की प्रतिशतता			प्राथमिक स्तर पर पीटीआर	उच्च प्राथमिक स्तर पर पीटीआर
	पेयजल	रैम्प	शौचालय सुविधा		
1	2	3	4	5	6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	96.1	23.3	86.36	11	10
आंध्र प्रदेश	85.4	20.8	76.94	22	17
अरुणाचल प्रदेश	75.8	4.6	51.04	19	18
असम	88.1	66.6	85.00	30	17
बिहार	93.3	58.4	73.64	59	63
चंडीगढ़	100.0	42.3	100.00	29	29
छत्तीसगढ़	93.4	43.4	68.43	24	24
दादरा और नगर हवेली	98.5	22.9	74.91	40	43
दमन और दीव	100.0	62.5	98.86	33	33

1	2	3	4	5	6
दिल्ली	100.0	79.6	100.00	33	31
गोवा	99.4	52.8	92.12	23	23
गुजरात	100.0	92.7	99.85	31	31
हरियाणा	99.4	69.6	97.32	29	22
हिमाचल प्रदेश	98.6	58.2	97.31	16	16
जम्मू और कश्मीर	79.6	13.2	45.24	14	14
झारखंड	90.0	39.6	79.17	41	42
कर्नाटक	99.4	73.7	99.52	26	23
केरल	98.3	73.7	95.18	21	22
लक्षद्वीप	100.0	60.9	89.13	13	11
मध्य प्रदेश	97.8	60.9	96.59	33	34
महाराष्ट्र	92.2	86.1	95.23	29	32
मणिपुर	94.5	7.1	100.00	19	22
मेघालय	59.2	25.1	61.89	20	15
मिज़ोरम	90.3	53.9	87.54	17	13
नागालैंड	73.0	10.8	90.46	20	20
ओडिशा	94.7	51.6	81.76	29	24
पुदुचेरी	100.0	69.9	99.77	18	16
पंजाब	100.0	85.4	99.71	22	17
राजस्थान	93.7	67.6	96.56	27	26
सिक्किम	95.9	3.7	98.66	11	12
तमिलनाडु	100.0	78.5	92.88	27	33

1	2	3	4	5	6
त्रिपुरा	74.9	58.2	81.87	19	20
उत्तर प्रदेश	97.9	83.4	92.14	46	44
उत्तराखंड	95.4	54.6	96.77	25	22
पश्चिम बंगाल	97.6	52.8	90.70	27	28
कुल	94.3	61.7	87.94	31	29

प्रीमियम दर सेवाएं

3049. श्री पी. विश्वनाथन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रीमियम दर सेवाओं के संबंध में अपना दूरसंचार प्रशुल्क आदेश संशोधित कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ट्राई ने टॉपअप वाउचरों के लिए प्रक्रिया शुल्क के संशोधन की अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी सीमा क्या होगी और इसमें कितने प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टीटीओ), 51वें संशोधन के तहत प्रतियोगिताओं, प्रतिस्पर्द्धाओं तथा वोटिंग में भाग लेने हेतु की गई कॉलों तथा भेजे गए एमएमएस के लिए प्रशुल्क की अधिकतम दर निर्धारित की गई है। प्रशुल्क की अधिकतम दर को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों तथा परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त फीडबैक के मद्देनजर, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने ऐसी सेवाओं के लिए प्रशुल्क का निर्धारण करना प्रचालकों के विवेक पर छोड़ देने का निर्णय लिया। दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 53वें संशोधन में ट्राई के इस निर्णय को समाहित कर लिया गया है।

(ग) और (घ) दिनांक 01.10.2012 को अधिसूचित दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 53वें संशोधन में कम मूल्य के "टॉप-अप" वाउचरों से रिचार्ज कराने वाले प्री-पेड उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से प्रोसेसिंग शुल्क का संशोधित ढांचा निर्धारित किया गया है। इस संशोधित ढांचे के अनुसार, "टॉप-अप" वाउचरों पर लगाया गया प्रोसेसिंग शुल्क इनके अधिकतम खुदरा मूल्य के 10 प्रतिशत या तीन रुपए, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।

चन्द्रयान-II

3050. श्री एम.बी. राजेश : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रयान-II मिशन में किसी विलंब की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) स्वदेशी क्रायोजेनिक टेक्नोलाजी के विकास में विलंब का चन्द्रयान-II पर प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त रूप से चंद्रमा की खोज के क्षेत्र में सहयोग पर नवंबर 12, 2007 को हस्ताक्षरित अंतर एजेंसी करार के अनुसरण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और रुसी फेडरल

अंतरिक्ष एजेंसी (रॉसकॉस्मोस) ने संयुक्त रूप में चन्द्रयान-II मिशन प्रारंभ किए हैं। फरवरी 2010 में प्रारंभिक करार में संशोधन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके तहत (i) इसरो जी.एस.एल.वी द्वारा चंद्र कक्षित्र, चंद्र परिभ्रमक और प्रमोचन के लिए उत्तरदायी है, और (ii) रॉसकॉस्मोस चंद्र अवतरण माडयूल के लिए उत्तरदायी है।

मई 2012 में रॉसकॉस्मोस ने संयुक्त चंद्र खोज में एक प्रमुख कार्यक्रम संबंधी परिवर्तन दर्शाया है। इस समय आगे की दिशा तय करने हेतु इसरो और रॉसकॉस्मोस के बीच बातचीत चल रही है।

(ग) आगामी जी एस.एल.वी - डी 5 उड़ान के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) जी, नहीं। स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण की वर्तमान स्थिति के अनुसार चन्द्रयान-II मिशन पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उपग्रहों के ट्रांसपोंडर

3051. **श्री पी.आर. नटराजन** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की स्थिति के अनुसार भारतीय उपग्रहों के साथ उपलब्ध ट्रांसपोन्डरों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिक ट्रांसपोन्डरों की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने संचार उपग्रह अपने सेवाकाल के अन्तिम चरण में हैं और उनके कार्यकाल को बढ़ाए जाने के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रांसपोन्डर उपलब्ध करवाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या भारतीय उपग्रहों को स्थापित करने के लिए अंतरिक्ष में पर्याप्त स्लाट उपलब्ध हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) आज की स्थिति के अनुसार भारतीय संचार उपग्रहों पर 196 ट्रांसपोन्डर (सी-बैंड : 79, विस्तृत सी-बैंड : 40, केयू-बैंड : 74 और एस-बैंड : 3) उपलब्ध हैं।

(ख) जी, हां। अंकीय उपग्रह समाचार संग्रहण (डी.एस.एन.जी), टी.वी. प्रसारण, डायरेक्ट टू होम (डी.टी.एच), अति लघु द्वारक टर्मिनल (वीसैट) संचार इत्यादि जैसी सेवाओं के लिए विविध आवृत्ति बैंडों में लगभग 150 अतिरिक्त ट्रांसपोन्डरों के लिए ठोस अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस समय विविध सेवाएं प्रदान करने वाले नौ (9) इन्सैट/जीसैट संचार उपग्रह प्रचालित हैं। निम्नलिखित तीन उपग्रह 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनी कालावधि पूरी करेंगे।

क्र. सं.	उपग्रह (ट्रांसपोंडरों की संख्या)	प्रमोचन की तिथि	संभावित कालावधि की समाप्ति
1.	इन्सैट-3ए (22 ट्रांसपोंडर)	10.04.2003	दिसंबर 2015
2.	इन्सैट-3सी (33 ट्रांसपोंडर)	24.01.2002	दिसंबर 2016
3.	इन्सैट-3ई (25 ट्रांसपोंडर)	28.09.2003	नवंबर 2015

कक्षा में पहले से विद्यमान उपग्रहों की कालावधि बढ़ाना संभव नहीं है। तथापि, इन उपग्रहों के लिए सेवा में निरंतरता प्रदान करने हेतु अतिरिक्त उपग्रहों की योजना बनाई गई है।

(घ) और (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान प्रमोचन हेतु निर्धारित 13 भारतीय संचार उपग्रहों के लिए पर्याप्त स्लॉट उपलब्ध हैं। तथापि, 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक प्रमोचन हेतु

प्रस्तावित के ए बैंड में एक उच्च थ्रुपुट संचार उपग्रह के लिए समुचित कक्षीय स्लॉट प्राप्त करने हेतु संबंधित अंतरराष्ट्रीय एजेंसी के साथ तालमेल के लिए कार्रवाई की जा रही है। तदनंतर भविष्य की मांग को पूरा करने हेतु अतिरिक्त स्लॉटों के लिए तालमेल कायम करने की इसरो की योजना है।

[हिन्दी]

आदर्श संस्कृत महाविद्यालय को मान्यता

3052. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य-वार आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाओं के नाम क्या हैं;

(ख) इन संस्थाओं को मान्यता देने हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी संस्थाओं को वर्ष-वार/संस्था-वार कितनी सहायता प्रदान की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त 25 संस्थाएं हैं। ऐसी संस्थाओं के राज्य-वार नाम संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इन संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के मानदंड संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं। इन्हें वेबसाइट www.sanskrit.nic.in. पर भी देखा जा सकता है; तथा

(ग) ऐसे संस्थानों को पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

संस्थाओं के राज्यवार नाम

(लाख रु.)

क्र.सं.	संस्थाओं का नाम	वर्ष हेतु जारी अनुदान			
		2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
1	2	3	4	5	6
	आंध्र प्रदेश				
1.	संस्कृत अकादमी (शोध संस्थान), उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	34.56	58.01	50.10	24.00
	बिहार				
2.	राज कुमारी गणेश शर्मा संस्कृत विद्यापीठ, कोलहांटा पाटोरी, दरभंगा, (बिहार)	45.06	76.11	82.45	57.00
3.	जे.एन.बी. आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, डाकघर-लागमा, दरभंगा (बिहार)	35.59	66.49	64.60	40.00
4.	डा. रामजी मेहता, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, मालीघाट मुजफ्फरपुर (बिहार)	42.26	91.46	89.00	82.00

1	2	3	4	5	6
5.	स्वामी पराकुशाचार्य आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हुलसागंज, गया (बिहार) 804407	53.06	131.80	95.00	61.00
6.	प्रधानाचार्य, श्री राम सुंदर संस्कृत विश्व विद्या प्रतिष्ठान, लक्ष्मीनाथ नगर, रामौली-बेलौना, वाया-बहेडा, जिला दरभंगा, बिहार-847201	17.39	32.08	36.81	44.00
	हरियाणा				
7.	हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ, भागोला, पलवल, जिला फरीदाबाद, हरियाणा	46.10	82.97	70.00	50.00
8.	दीवान कृष्ण किशोर, एस.डी. आदर्श संस्कृत कालेज, अंबाला कैंट-133001 (हरियाणा)	38.39	75.51	57.91	46.50
	हिमाचल प्रदेश				
9.	हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जंगला (रोहरू), जिला शिमला-171207 (हिमाचल प्रदेश)	56.66	124.03	93.51	61.00
10.	एस.डी. आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, दोहगी (बंगाना), जिला ऊना-174307 (हिमाचल प्रदेश)	55.09	106.53	106.04	68.00
	झारखंड				
11.	लक्ष्मी देवी श्राफ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हरिशरणम कुटीर, कालीरखा, जिला बी, देवघर-814112, झारखंड	33.57	64.07	44.11	32.50
	कर्नाटक				
12.	पूर्णप्रज्ञा संशोधन मंदिरम, पूर्णप्रज्ञा विद्यापीठ, कटरीगुप्पा मेन रोड, बंगलौर-560028 कर्नाटक	27.06	57.73	69.25	45.00
	केरल				
13.	कार्यकारी प्रधानाचार्य, कालीघाट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, डाकघर-बालूसेरी जिला कालीकट-673612, केरल	62.06	109.71	66.20	39.00
14.	चिन्मय इंटरनेशनल फाउंडेशन (शोध संस्थान) आदि शंकर निलयम वेलियानाड-डाकघर, एर्नाकुलम-जिला, केरल-682319	27.12	54.81	45.29	40.50

1	2	3	4	5	6
	महाराष्ट्र				
15.	वैदिका संशोधन मंडल तिलक विद्यापीठ गुलटेकडी, पुणे-400037 महाराष्ट्र	23.26	61.34	40.15	36.00
16.	मुम्बा देवी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय मार्फत भारतीय विद्या भवन, के.एम. मुंशी मार्ग-400007 मुंबई	35.91	73.70	51.38	40.00
	मणिपुर				
17.	राधा माधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, नांबोल, मणिपुर-795134	–	–	–	23.14
	तमिलनाडु				
18.	मद्रास संस्कृत कालेज तथा एस.एस.वी. पाठशाला, 84, रायपीठ उच्च न्यायालय माइलापौर-600004, चेन्नई	54.10	133.2	92.12	61.00
19.	अहोबिला मुथ आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, सान्निधि स्ट्रीट, मदुरांथाकम, चेन्नई-603306	14.79	35.34	21.03	25.00
	उत्तराखंड				
20.	भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय डाकघर-गुरूकुल कांगड़ी, जिला-हरिद्वार, उत्तराखंड	34.78	81.71	63.80	44.00
	उत्तर प्रदेश				
21.	रानी पदमावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, इंद्रपुर (शिवपुर) वाराणसी उत्तर प्रदेश-221003	63.86	167.69	133.15	69.50
22.	श्री एकर्षानंद आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश-205001	26.52	61.18	43.42	40.00
23.	श्री रंगालक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय वृंदावन, मथुरा-281121	20.26	53.64	57.80	44.00
	पश्चिम बंगाल				
24.	कलियाचक बिक्रन किशोर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, ग्राम-कालियाचक, डाकघर-हरिया जिला-पूर्बी मेदिनीपुर-721430	45.55	97.01	96.92	57.00

1	2	3	4	5	6
25.	श्री सीताराम वैदिक आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, 7/2 पी.डब्ल्यू.डी. रोड, कोलकाता-700035	54.69	129.87	100.60	69.00
	कुल	947.69	2025.99	1670.64	1199.14

विवरण-II

आदर्श संस्कृत महाविद्यालय (ए.एस.एम.) तथा आदर्श शोध संस्थान (ए.एस.एस.) की मान्यता हेतु मानदंड

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई स्वैच्छिक संगठन अथवा न्यास अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई न्यास जिन्हें इसके पश्चात 'द पेरेंट बाडी' कहा गया है, जो कि किसी संस्कृत महाविद्यालय अथवा शोध संस्थान को संचालित कर रहा हो, मान्यता हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान उन्हें ए.एस.एम./ए.एस.एस. के रूप में मान्यता देगा यदि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

(i) महाविद्यालय परम्परागत आधार पर शास्त्री तथा आचार्य अथवा समकक्ष पाठ्यक्रमों स्तर पर पढ़ा रहा हो तथा छात्रों के कम से तीन बैचों ने मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/परीक्षा निकाय से आचार्य अथवा समकक्ष परम्परागत डिग्री उत्तीर्ण की हो। शोध संस्थान विभिन्न परम्परागत संस्कृत विषयों में सक्रिय रूप से अनुसंधान कर रहा हो तथा उसने कम से कम 15 पी.एच.डी./डी. लिट् प्रस्तुत की हो।

(ii) महाविद्यालय/शोध संस्थान उपर्युक्त (i) में उल्लिखित स्तर हेतु कम से कम सात वर्षों से अस्तित्व में हो। हालांकि, पहले की योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय/शोध संस्थान इस संशोधित योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होना जारी रखेंगे।

(iii) महाविद्यालय/शोध संस्थान संचालित करने वाला मूल निकाय उस समुचित भूमि के अधिकार वाला स्वामी होना चाहिए जिस पर महाविद्यालय/शोध संस्थान चल रहा है। महाविद्यालय/शोध संस्थान संचालित करने वाले मूल निकाय के पास 99 वर्षों का पट्टा भी स्वीकार्य होगा।

(iv) महाविद्यालय/शोध संस्थान अपने शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कमर्चारियों को वेतन का भुगतान उनके बैंक खातों में कर रहे हों।

(v) भविष्य में इस योजना के तहत मान्यता तथा वित्तीय सहायता हेतु आवेदन करने वाले पंजीकृत मूल निकायों को महाविद्यालय/शोध संस्थान के नाम सावधी जमा खाते में 10.00 लाख रु. की राशि जमा करानी होगी। पुरानी योजना के तहत पहले से ही सहायता प्राप्त कर रही संस्थाएं, जिन्होंने महाविद्यालय/शोध संस्थान के पक्ष में 1 लाख/2 लाख रु. जमा किए हैं, प्राप्त राशि का पुनः-निवेश तब तक करेगी जब तक कि 10 लाख रु. सावधी के रूप में जमा नहीं किया जाता। योजना के तहत मान्यता प्रदान किए जाने पर सावधी जमा आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/आदर्श शोध संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक, जैसा भी मामला हो तथा रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, दोनों पदेन के नाम संयुक्त रूप से होगा।

(vi) महाविद्यालय/शोध संस्थान भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा अधिनियमन से स्थापित विश्वविद्यालय से संबद्ध होना चाहिए।

(vii) महाविद्यालय में छात्र क्षमता कम से कम 80 होनी चाहिए, शोध संस्थान में कम से कम 12 सक्रिय अनुसंधानकर्ता होने चाहिए।

(viii) मूल निकाय के सचिव द्वारा आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए:-

(क) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र।

(ख) मूल निकाय का यह संकल्प कि आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/आदर्श शोध संस्थान के रूप में मान्यता प्रदान किए जाने पर वह इस योजना के सभी मानदंडों का अनुपालन करेगा।

(ग) महाविद्यालय/शोध संस्थान के सभी कर्मचारियों द्वारा निर्धारित फार्मेट में वचनबद्धता।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनियमितताएं

3053. **श्री भीष्म शंकर** उर्फ **कुशल तिवारी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश के विभिन्न भागों में अवस्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) से वित्तीय एवं अन्य अनियमितताओं की घटनाओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार एवं संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अनियमितताओं में कितने अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाए गए हैं;

(घ) दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में ऐसी अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ङ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अंतर्गत स्थापित स्वायत्त संगठन हैं। उक्त अधिनियम की धारा 23 के अनुसार, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के वार्षिक लेखे तथा अन्य संगत रिकार्ड भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा किए जाने के अध्यधीन हैं। लेखापरीक्षा द्वारा यदि कोई अनियमितताएं बताई जाती हैं तो उन पर एक सुनिर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संविधियों में प्रावधान है कि संस्थानों के चूककर्ता कर्मचारी, अकादमिक और गैर-अकादमिक दोनों, निदेशक और शासी बोर्ड द्वारा, संविधियों द्वारा यथानिर्धारित अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा।

[अनुवाद]

वर्षा का आंकलन

3054. **श्री रवनीत सिंह** : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में जल मौसम वैज्ञानिकों को किसी क्षेत्र में वर्षा की मात्रा का सही आंकलन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका ब्यौरा क्या है और पूरे देश में संस्थापित वर्षा मापकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्षा का सही आंकलन न होने के आधार पर अनेक योजनाएं तैयार की जाती हैं और इसलिए ऐसी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन तथा समस्याओं के समाधान पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी, नहीं। पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन-भारत मौसम विज्ञान विभाग (ईएसएसओ-आईएमडी) अन्य पर्णधारियों (राज्य सरकारों, केन्द्रीय जल आयोग-सीडब्ल्यूसी आदि) के सहयोग से पूरे देश में परिचालित किए गए लगभग 3748 वर्षा मापियों से डेटा प्राप्त करता हैं। इन डेटा सेटों के आधार पर, देश के लिए मानसून ऋतु वर्षा का दैनिक आंकलन किया जाता है और जिला-वार/राज्य-वार/मौसम वैज्ञानिक-उप प्रभाग-वार/क्षेत्र-वार और पूरे देश के लिए वर्षा सांख्यिकी तैयार किए जाते हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 2011 और 2012 की मानसून ऋतुओं के लिए दैनिक वर्षा मॉनीटरिंग प्रणाली (डीआरएमएस) नेटवर्क डेटा अभिग्रहण सांख्यिकी का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। हालांकि, 2012 के दौरान 90% डीआरएमएस नेटवर्क कार्यरत था, परंतु उत्तर-पूर्व राज्यों, महाराष्ट्र और गोवा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ आकस्मिक रख-रखाव समस्याओं के कारण वर्षा मापी कार्य नहीं कर रहे थे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वास्तविक समय पर डीआरएमएस स्टेशनों के डेटा अभिग्रहण पर सूचना

क्र. सं.	राज्य	2011		2012	
		स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों की संख्या (डेटा प्राप्त किए गए)	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों की संख्या (डेटा प्राप्त किए गए)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित प्रदेश)	7	7	8	8
2.	आंध्र प्रदेश	217	200	250	241
3.	अरुणाचल प्रदेश	32	15	47	21
4.	असम और मेघालय	82	56	118	84
5.	बिहार	137	108	137	119
6.	छत्तीसगढ़	55	44	55	52
7.	गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	208	199	333	302
8.	हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली	157	148	166	161
9.	हिमाचल प्रदेश	111	80	111	90
10.	जम्मू और कश्मीर	30	25	46	43

1	2	3	4	5	6
11.	झारखंड	71	60	71	70
12.	कर्नाटक	339	291	339	335
13.	केरल	70	60	70	60
14.	लक्षद्वीप (संघ शासित प्रदेश)	4	4	4	4
15.	मध्य प्रदेश	171	164	171	164
16.	महाराष्ट्र और गोवा	348	328	361	292
17.	नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा	60	20	63	38
18.	ओडिशा	149	130	242	240
19.	पंजाब	90	72	90	85
20.	राजस्थान	362	316	371	356
21.	तमिलनाडु और पुदुचेरी	283	277	207	284
22.	उत्तर प्रदेश	234	16६	236	213
23.	उत्तराखंड	37	31	37	37
24.	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	135	72	135	72
	कुल	3389	2869	3748	3371
प्राप्त किए गए डेटा का प्रतिशत		85%		90%	

यूनाइटेड किंगडम में भारतीयों की गिरफ्तारी

3055. **श्री हमदुल्लाह सईद** : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूनाइटेड किंगडम में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों की सीमा एजेंसी अधिकारियों द्वारा हाल ही में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो भारत में उनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) क्या ये भारतीय, भारतीय समुदाय कल्याण निधि से सहायता प्राप्त कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क)

से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

देय राशि का भुगतान न किया जाना

3056. **श्री शरद यादव** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित/गैर-अनुसूचित/निजी प्रचालक विमानन कंपनियों में विमान एवं हेलीकॉप्टर प्रचालन कर्मचारियों को बकाया राशियों का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी एयरलाइन-वार ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) मंत्रालय को इस बात की जानारी मिली है कि किंगफिशर एयरलाइन तथा एअर इंडिया के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान देरी से किया गया है। मंत्रालय को गैर अनुसूचित प्राइवेट ऑपरेटरों इस प्रकार के मामलों की कोई सूचना नहीं है।

(ख) कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना एयरलाइनों का आंतरिक प्रशासनिक मामला है जिसमें मंत्रालय हस्तक्षेप नहीं करता। तथापि, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) वायुयान नियम, नागर विमानन अपेक्षा आदि के विभिन्न उपबंधों के अनुसार विमान प्रचालनों को सुरक्षा सुनिश्चित करता है जिनमें पायलटों का कौशल स्तर और उनके प्रशिक्षण संबंधी मानक, विमानन की सतत् उड़न योग्यता आदि सम्मिलित है।

किंगफिशर एयरलाइन के मामले में, उनकी संतोषजनक प्रचालनात्मक तैयारी में असमर्थता तथा पुररूज्जीवन योजना के अभाव को देखते हुए डीजीसीए ने दिनांक 20.10.2012 के आदेश के तहत उनका अनुसूचित ऑपरेटर परमिट तब तक के लिए निलंबित कर दिया है जब तक कि एयरलाइन डीजीसीए की संतुष्टि के अनुसार सुरक्षित, त्रिश्वसनीय, सक्षम तथा निरंतर अनुसूचित विमान परिवहन सेवाएं सुनिश्चित कराने हेतु ठोस तथा विश्वसनीय पुनरूज्जीवन योजना प्रस्तुत नहीं करती।

एअर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित भुगतान किया है:—

(i) अक्तूबर, 2012 तक सभी श्रेणी (लाइसेंस प्राप्त एवं गैर लाइसेंस प्राप्त) के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान।

(ii) लाइसेंस प्राप्त श्रेणियों को मई, 2012 की पीएलआई का भुगतान जून, 2012 में तथा जून, द2012 की पीएलआई का भुगतान जुलाई, 2012 में कर दिया है।

(iii) गैर-लाइसेंस रप्राप्त श्रेणियों को मई, 2012 की पीएलआई का भुगतान जून, 2012 में कर दिया गया है।

पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया

3057. **श्री एम. राजा मोहन रेड्डी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी संख्या में प्रौद्योगिकीय रूप से कम कुशल आवेदकों, विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों तथा अर्ध-शिक्षित लोगों को नए पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (ग) सभी पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसकेज़) में, स्वयं-सेवा कुश्क (कियोस्क) उपलब्ध कराए गए हैं, जहां कम पढ़े-लिखे आवेदकों अथवा वैसे आवेदकों जो कम्प्यूटर चलाना नहीं जानते हैं, को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में सिटिजन सर्विस एक्ज़ीक्यूटिव्स (सीएसईज़) द्वारा सहायता दी जाती है। पासपोर्ट सेवा केन्द्रों पर लगे एलसीडी स्क्रीन संगत काउन्टरों पर आवेदकों का अनेक तरह से मार्गदर्शन करते हैं। पीएसके पर तैनात सीएसईज़ भी आवेदकों का मार्गदर्शन करने के लिए उपलब्ध हैं। आवेदक पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में अपनी सहायता के लिए ई-सेवा केन्द्र, इंटरनेट कैफे अथवा ट्रैवल एजेंटों से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र हैं। पासपोर्ट संबंधी पूछताछ, आवेदन की स्थिति पर नजर रखने और शिकायत निवारण सेवाएं 17 भाषाओं में प्रदान करने के लिए सातों दिन 24 घंटे कार्यरत कॉल सेंटर सुविधा स्थापित की गई है। अप्वाइन्टमेंट प्राप्त करने में नागरिकों द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों का समाधान करने की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिकों सहित कतिपय श्रेणियों के आवेदकों को वाक-इन सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसकी सूचना पासपोर्ट पोर्टल (www.passportindia.gov.in) पर उपलब्ध है। पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा समय-समय पर पासपोर्ट मेले का भी आयोजन किया

जाता है ताकि बिना किसी अप्वाइंटमेंट के पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किया जा सके।

पादप डीएनए बैंक

3058. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने फसल जीन पूल को विलुप्त होने से बचाने के लिए देश में किसी पादप डीएनए बैंकों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) अभी तक अपनी वनस्पतियों की उच्च विविधता दर्ज करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) से (घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो में जीनोमिक संसाधन संग्रह की स्थापना की है। पादपों, मछलियों पशुओं, सूक्ष्म-जीवों के जीनोमिक संसाधनों को उनके डीएनए सहित संरक्षित रखा गया है। अब तक, 3.8 लाख क्लोनों तथा जीनोमिक डीएनए की जारी की गई 2200 प्रजातियों के साथ एक जीवाण्विक कृत्रिम क्रोमोसोम (बीएसी) लाइब्रेरी को संरक्षित किया गया है।

[हिन्दी]

डीडीए के न्यायालय मामले

3059. **श्री सज्जन वर्मा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा अवर न्यायालयों में डीडीए से संबंधित लंबित मामलों की न्यायालय-वार संख्या कितनी है और इनमें से कितने मामले वर्ष 2001 से लंबित हैं;

(ख) क्या सरकार ने न्यायालयों में जाने वाले डीडीए से संबंधित मामलों के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इन मामलों पर डीडीए द्वारा कितना व्यय किया गया; और

(ङ) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) डीडीए ने सूचित किया है कि दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न न्यायालयों में उनसे संबंधित कुल 14,920 मामले लंबित हैं। न्यायालय-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1. उच्चतम न्यायालय - 792
2. उच्च न्यायालय - 6238
3. निचली अदालत - 7890

उपलब्ध कराये गए वर्ष 2001-02 (दिनांक 31.03.2002 की स्थिति के अनुसार) के लिए न्यायालय-वार विचारधीन मामले निम्नानुसार हैं:

1. उच्चतम न्यायालय - 180
2. उच्च न्यायालय - 6123
3. निचली अदालत - 6857

(ख) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपने अधिकारियों, पैनेल अधिवक्ताओं एवं स्थायी परामर्शदाताओं के माध्यम से न्यायालय मामलों के प्रभावी एवं शीघ्र निपटान के लिए सभी कदम उठाता है। पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान न्यायालय मामलों में डीडीए किया गया व्यय निम्नानुसार सूचित किया गया है:-

वर्ष	किया गया व्यय
2009-2012	1,84,54,534.00 रु.
2010-2011	1,67,09,872.00 रु.
2011-2012	2,08,76,399.00 रु.
01.04.2012 से 30.11.2012	2,12,52,795.00 रु.

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि की मांग

3060. **श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य हैंगर एवं कार्यशाला के निकट अतिरिक्त भूमि के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार से कोई अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) मध्य प्रदेश में पन्ना हवाई पट्टी को राज्य सरकार को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इस हवाई पट्टी का हस्तांतरण कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) एएआई ने राज्य सरकार को भोपाल हवाईअड्डे पर वी.आई.पी. परिसर, वी.आई.पी. विमान पार्किंग, विशिष्ट अतिथि स्वागत कक्ष आदि के निर्माण के लिए 5.87 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी है। राज्य सरकार ने सरकारी हेलिकाप्टरों/विमानों की पार्किंग के लिए लगभग 4.23 एकड़ अतिरिक्त भूमि के आवंटन का अनुरोध किया है। आवंटन के लिए राज्य सरकार का यह अनुरोध प्रक्रियाधीन है।

(ग) से (ङ) यह मामला एएआई/मंत्रालय में विचाराधीन है।

[अनुवाद]

एअर इंडिया में निगरानी समिति

3061. **श्रीमती प्रिया दत्त :** क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया में टर्न अराउंड प्लान/वित्तीय रेस्ट्रिक्टिंग प्लान के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए हाल ही में एक निगरानी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने अभी तक कार्यान्वयन पहलुओं से संबंधित कोई सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां।

(ख) सचिव, नागर विमानन निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं। सचिव, व्यय विभाग, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एअर इंडिया लिमिटेड, अध्यक्ष, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड तथा संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय इस समिति के अन्य सदस्य हैं। समिति को एअर इंडिया द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रमुख उपलब्धियों के संबंध में कार्रवाई की जाने वाली मदों का ब्यौरा तैयार करना होता है तथा मासिक आधार पर उनकी गहन रूप से समीक्षा भी करनी होती है।

(ग) और (घ) अब तक समिति ने एअर इंडिया के कार्य निष्पादन, विशेष रूप से टीएपी में विनिर्दिष्ट प्रमुख उपलब्धियों, की समीक्षा के लिए तीन बैठकें आयोजित की हैं और समिति की सिफारिशों के आधार पर एअर इंडिया को 4000 करोड़ रुपए की इक्विटी जारी की गई है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में एस.आर.सी

3062. **श्री ए.के.एस. विजयन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने देश भर में अनेक राज्य संसाधन केन्द्रों की स्थापना की है जिसका उद्देश्य 'साक्षर भारत' नामक वयस्क एवं सतत शिक्षा कार्यक्रम में राज्य सरकारों को अकादमिक एवं तकनीकी संसाधन सहायता प्रदान करना है;

(ख) यदि हां, तो इन एस.आर.सी का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में सरकार द्वारा राज्य-वार किस प्रकार की सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अनेक एस.आर.सी को वित्तीय सहायता रोक दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य संसाधन केन्द्रों के लिए प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा हेतु शैक्षिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। उनके कार्यक्षेत्र में शोध, शिक्षण अधिगम सामग्रियों का विकास, प्रशिक्षण, मानिटरिंग तथा मूल्यांकन, पर्यावरण निर्माण और उनसे संबद्ध/जुड़ा कोई अन्य कार्य शामिल है। वर्तमान में 33 राज्य संसाधन केन्द्र हैं जिनमें से 20 श्रेणी 'क' में हैं तथा 13 श्रेणी 'ख' में हैं। श्रेणी 'क' के राज्य संसाधन केन्द्रों को 100 लाख रुपए और श्रेणी 'ख' के राज्य संसाधन केन्द्रों को 70 लाख रुपए का वार्षिक आवर्ती अनुदान संस्वीकृत किया जाता है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान राज्य संसाधन केन्द्रों तथा सरकार द्वारा उन्हें दी गयी वित्तीय सहायता के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के लिए राज्य संसाधन केन्द्रों और उन्हें प्रदान की गयी राज्यवार वित्तीय सहायता

(रुपए में)

क्र. सं.	राज्य संसाधन केन्द्रों का नाम	श्रेणी	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6	7
1.	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	क	1,00,00,000	49,61,000	99,68,429	49,67,851
2.	विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	ख	—	62,00,000	67,34,000	14,06,520
3.	ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	ख	—	55,00,000	59,99,638	32,66,178
4.	गुवाहाटी, असम	क	69,75,945	98,35,064	95,97,555	49,31,504
5.	हैलाकांडी, असम	ख	—	—	30,00,000	—
6.	पटना, बिहार	क	93,76,732	58,74,982	1,70,66,722	80,96,307
7.	दीपायतन, बिहार	क	99,90,509	67,68,385	97,26,003	50.00.000
8.	चंडीगढ़	ख	—	—	—	—
9.	रायपुर, छत्तीसगढ़	क	66,24,124	63,19,338	68,84,689	35,00,000

1	2	3	4	5	6	7
10.	नई दिल्ली, दिल्ली	ख	63,87,000	47,56,000	56,79,131	24,49,766
11.	अहमदाबाद, गुजरात	ख	66,93,164	57,78,229	35,00,000	35,00,000
12.	भरुच, गुजरात	ख	—	—	25,00,000	5,00,000
13.	रोहतक, हरियाणा	क	68,67,000	89,22,000	77,01,211	27,08,492
14.	शिमला, हिमाचल प्रदेश	क	66,20,000	68,60,000	71,65,488	36,25,000
15.	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	क	20,79,821	70,00,000	62,29,888	34,54,467
16.	रांची, झारखंड	क	93,23,904	57,12,841	83,70,429	27,84,811
17.	पलामू, झारखंड	ख	—	—	30,00,000	—
18.	मैसूर, कर्नाटक	क	1,00,00,000	50,00,000	97,73,002	44,84,492
19.	तिरुवनंतपुरम, केरल	क	1,00,00,000	22,57,379	72,68,656	47,36,093
20.	भोपाल, मध्य प्रदेश	क	69,91,540	85,59,510	72,67,447	38,03,730
21.	इंदौर, मध्य प्रदेश	क	97,53,916	83,64,954	87,44,890	38,10,432
22.	औरंगाबाद, महाराष्ट्र	ख	69,97,820	55,07.169	69,99,566	34,99,800
23.	पुणे, महाराष्ट्र	क	50,00,000	82,11,252	96,07,504	48,15,520
24.	शिलांग, मेघालय	क	69,59,083	51,36,639	67,52,027	34,68,010
25.	भुवनेश्वर, ओडिशा	ख	35,00,000	70,00,000	58,36,835	—
26.	रायगढ़, ओडिशा	ख	—	—	25,00,000	—
27.	जयपुर, राजस्थान	क	91,16,563	67,69,224	82,18,456	10,00,000
28.	जोधपुर, राजस्थान	ख	—	50,00,000	70,00,000	26,09,429
29.	चेन्नई, तमिलनाडु	क	1,00,00,000	41,91,177	41,91,177	—
30.	अगरतला, त्रिपुरा	ख	49,16,776	22,57,684	24,43,519	12,17,675
31.	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	क	80,95,054	50,00,000	1,00,00,000	22,70,166

1	2	3	4	5	6	7
32.	देहरादून, उत्तराखंड	क	95,30,480	38,39,000	86,25,562	25,46,673
33.	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	क	99,97,387	79,62,114	99,57,190	47,49,522

[हिन्दी]

डीएनए/फिंगर प्रिंटिंग को वैध किया जाना

3063. डॉ. भोला सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग तथा डायग्नास्टिक्स को वैध नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सेंटर फार डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग तथा डायग्नास्टिक्स, हैदराबाद ने इसे वैध बनाने के लिए विनियमन तैयार करने हेतु सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) जी हां, तथापि जैवप्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संसदीय अधिनियम के लिए मानव डीएनए, प्रोफाईलिंग विधेयक का एक मसौदा तैयार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी हां, सेंटर फार डीएनए, फिंगर प्रिंटिंग तथा डायग्नास्टिक्स (सीडीएफडी), हैदराबाद द्वारा मानव डीएनए, प्रोफाईलिंग विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है जिसे नैवप्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को प्रचालित किया गया। प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर दस्तावेज को संशोधित किया गया। सूचना प्राप्त करने के लिए मसौदा विधेयक को सभी राज्यों के मुख्य सचिव को भी भेजा गया।

(ङ) मसौदा विधेयक के अंतिम पाठ को विधि तथा न्याय मंत्रालय के विधि प्रभाग द्वारा अनुमोदित किया गया। उसके बाद मसौदा विधेयक विधि तथा न्याय मंत्रालय के ड्राफ्टिंग अनुभाग द्वारा ड्राफ्ट किया गया। वित्तीय विविक्षाओं सहित मसौदा विधेयक सक्षम प्राधिकारी के विचारार्थ पड़ा है।

[अनुवाद]

न्यूट्रीनो प्रयोग

3064. श्री पी. लिंगम : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को केरल-तमिलनाडु सीमा पर इदुक्की तथा तेनी जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों के काफी अंदर न्यूट्रीनो प्रयोग करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इदुक्की जिले में मुल्लापेरियार बांध के समीप ऐसे प्रयोगों के प्रर्यावरणीय प्रभाव में ध्यान में रखा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय वैज्ञानिक तमिलनाडु के थेनी जिले में बोडी पश्चिमी पहाड़ियों में एक न्यूट्रीनो वेधशाला स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। यह एक पूर्णतः भारतीय प्रयास है जिसे विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है। इस आधारभूत विज्ञान परियोजना में, भारत के 25 अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रारंभ में राज्य सरकार की एजेंसियों से शुरू करते हुए विभिन्न स्तरों पर बातचीत करने के बाद, भारत सरकार से इस परियोजना के लिए सभी सांविधिक अनुमतियां प्राप्त कर ली गईं हैं। पर्यावरण तथा वन मंत्रालय से अनुमति प्राप्त कर ली गई है। इस परियोजना को कोई पर्यावरणीय प्रभाव, परियोजना स्थल से लगभग 50 किलोमीटर दूर केरल के इदुक्की जिले में अवस्थित मुल्लापेरियार बांध सहित किसी भी बांध पर नहीं पड़ेगा।

[हिन्दी]

नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामलों के उत्तर

3065. श्री रामकिशुन :
श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो :

क्या **संसदीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान नियम 377 के अंतर्गत कितने मामले उठाए गए तथा कितने मामलों में उत्तर दिए गए;

(ख) कितने मामलों में उत्तर नहीं दिए गए तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) वैसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है जिनमें मंत्री द्वारा उत्तर नहीं दिया गया था;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में जन प्रतिनिधियों से कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) 14वीं लोक सभा के दौरान नियम 377 के अधीन 3485 मामले उठाए गए तथा 3217 मामलों के संबंध में उत्तर संबंधित सदस्यों को भेज दिए गए। 14वीं लोक सभा के भंग होने पर शेष लंबित मामले व्यपगत हो गए थे। 15वीं लोक सभा के दौरान, दिनांक 30.11.2012 तक, नियम, 377 के अधीन 2993 मामले उठाए गए। इस मंत्रालय में प्राप्त सूचना के अनुसार, 874 लंबित मामलों को छोड़कर, 2119 मामलों के संबंध में उत्तर संबंधित सदस्यों को भेजे दिए गए। संसदीय कार्य मंत्रालय समय-समय पर लंबित स्थिति की पुनरीक्षा करता है तथा लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रबलतापूर्वक लिखता है।

(घ) और (ङ) हां महोदय, सदस्यों द्वारा उठाए गए मामलों के उत्तर नहीं प्राप्त होने के बारे में मंत्रालय में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन्हें संबंधित मंत्रालयों को उचित कार्रवाई करने हेतु भेजा जाता रहा है।

[अनुवाद]

बिहार में शहरीकरण

3066. श्री सुशील कुमार सिंह : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार देश का दूसरा सबसे कम शहरीकृत राज्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य का कितना प्रतिशत क्षेत्र शहरीकृत के रूप में वर्गीकृत किया गया है;

(ग) इसके सबसे कम शहरीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन-कौन से हैं; और

(घ) राज्य में शहरीकरण पैटर्न में सुधार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) जी हां। जनगणना 2011 के अंतिम परिणामों के अनुसार, भारत में बिहार 11.3% शहरी आबादी वाला दूसरा सबसे कम शहरीकृत राज्य है।

(ग) बिहार मुख्यत: एक कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। कृषि संबंधी अर्थव्यवस्थाएं, स्वरूप में ग्रामीण होती हैं।

(घ) शहरीकरण अन्य बातों के साथ-साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप शिक्षा, रोजगार का स्वरूप और विवाह द्वारा प्रभावित घटना है। शहरी विकास मंत्रालय शहरीकरण की पद्धति में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। यह शहरी क्षेत्रों में बेहतर अवस्थापना उपलब्ध करवाने में राज्यों के प्रयासों में केवल सहायता प्रदान करता है।

विशाखापत्तनम में रेडियोधर्मी पदार्थ

3067. श्री एल. राजगोपाल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम में समुद्री तलछटों में रेडियोधर्मी पदार्थ पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने मनुष्य जाति पर इन पदार्थों के प्रभाव का अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशाखापत्तनम में और इसके आस-पास उद्योगों की उपस्थिति, इस स्थिति के लिए कितनी उत्तरदायी है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, प्राकृतिक तौर पर विद्यमान रेडियोन्यूक्लाइडों जैसेकि यूरेनियम, और तथा विशाखापत्तनम में समुद्री तलछटों के नमूनों में पाए जाने वाले उनके क्षयज उत्पादों में विकिरणसक्रियता का स्तर, देश में अन्य स्थलों पर सामान्यत: पाई जाने वाले सांद्रताओं की रेंज के काफी भीतर है। विशाखापत्तनम में समुद्री तलछट के नमूनों में पाई गई विशिष्ट सांद्रताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

मापे गए रेडियोन्यूक्लाइड	देखी गई विकिरणसक्रियता की सांद्रता की रेंज (भाग प्रति मिलियन)	भारतीय औसत विकिरणसक्रियता की सांद्रता (भाग प्रति मिलियन)
238U (यूरेनियम-238)	1.5 - 3.8	1 - 5
226Ra (यूरेनियम-226)	2.9×10^{-7} - 15×10^{-7}	8×10^{-7} - 16×10^{-7}
232Th (यूरेनियम-232)	7.7 - 36.3	6 - 40

(ग) और (घ) जी, नहीं। विशाखापत्तनम के समुद्री तलछटों में इन रेडियोन्यूक्लाइडों की प्रचुरता राष्ट्रीय औसत के काफी भीतर है। अत:, उनसे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना जरूरी नहीं समझा गया है।

(ङ) विशाखापत्तनम में और उसके आस-पास अवस्थित उद्योग, विकिरणसक्रियता रहित सामग्रियों को काम में लाकर कार्य कर रहे हैं। विशाखापत्तनम की समुद्री तलछट में प्राकृतिक रूप से विद्यमान विकिरणसक्रियता का स्तर राष्ट्रीय औसत के काफी भीतर है। अत:, इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि विशाखापत्तनम में और उसके आस-पास के उद्योगों का कोई योगदान, प्राकृतिक रूप से विद्यमान होने वाली विकिरणसक्रिय सामग्रियों की ऐसी विद्यमानता में नहीं है।

[हिन्दी]

आर्थिक विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा के रूप में भ्रष्टाचार

3068. श्री अनंत कुमार हेगड़े :

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भ्रष्टाचार देश के आर्थिक विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) भ्रष्टाचार से लोकतंत्र और कानून की भूमिका कमजोर होती है, इसमे मानवाधिकारों का हनन होता है और बाजार तथा जीवन-स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भ्रष्टाचार के कारण, विकास के लिए लक्षित राशि अन्य प्रयोजनार्थ में खर्च हो जाती है जिसका खामियाजा गरीबों को गैर-आनुपातिक रूप से भुगतान पड़ता है और बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने की सरकार की क्षमता कम हो जाती है और असमानता तथा अन्याय को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, भ्रष्टाचार त्वरित विकास में बाधक

है। यह सामाजिक समावेशिता संबंधी हमारे प्रयासों पर तो विपरीत असर डालता ही है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि भी धूमिल करता है।

(ख) भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है। सरकार का प्रयास है कि भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों तथा अन्य तंत्रों को समय-समय पर मजबूत किया जाए ताकि भ्रष्टाचारियों को कारगर तरीके से तथा शीघ्रता से दंडित किया जा सके, चाहे उनका स्तर कुछ भी हो। भ्रष्टाचार-रोधी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए, केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय में संसद में कई विधान प्रस्तुत किए हैं। इनमें से कुछ हैं:-

(i) लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक, 2011;

(ii) ह्विस्ल-ब्लोअर्स संरक्षण विधेयक, 2011;

(iii) विदेशी सरकारी अधिकारियों तथा अंतर्राष्ट्रीय लोक संगठन के अधिकारियों का रिश्वतनिरोध (द प्रिवेंशन आफ ब्राइबरी ऑफ फॉरेन पब्लिक आफिशियल्स एंड आफिशियल्स आफ पब्लिक इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन) विधेयक, 2011; तथा

(iv) वस्तु और सेवा की समयबद्ध अदायगी तथा शिकायत निवरण (द राइट ऑफ सिटिजंस फॉर टाइमबाउंड डिलीवरी आफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रीड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेज) विधेयक, 2011; तथा

(v) सार्वजनिक खरीदारी विधेयक, 2012

विधानों के अलावा, प्रशासनिक तौर-तरीकों तथा प्रक्रियाओं में जरूरी बदलाव लाने का कार्य भी तेजी पर है। सरकार भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की अपनी नीति पर अमल के प्रति पूरी तरह सजग और वचनबद्ध है और इसने भ्रष्टाचार रोकने तथा सरकार के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए पिछले कुछ समय में कई कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं:-

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रवर्तन;

(ii) मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा निविदा तथा संविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए व्यापक अनुदेश जारी करना;

(iii) बड़ी सरकारी खरीदों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाने के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा संगठनों को अनुदेश जारी, राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है कि वे बड़ी खरीदों में सत्यनिष्ठा समझौता अपनाएं;

(iv) ई-गवर्नेंस तथा प्रक्रियाओं और प्रणालियों के निहितार्थों की शुरूआत;

(v) नागरिक घोषणा-पत्र जारी;

(vi) भ्रष्टाचाररोधी संयुक्तराष्ट्र कंवेंशन (यूएनसीएसी) का 2011 में अनुसमर्थन;

(vii) अखिल भारतीय सेवा के सभी सदस्यों तथा केंद्र सरकार के समूह-क अधिकारियों की अचल संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक डोमेन में डालना;

(viii) न्यायिक मानदंड तथा उत्तरदायित्व विधेयक, 2012 की संसद में पुरःस्थापना (लोकसभा द्वारा 29.3.2012 को पारित); तथा

(ix) विभिन्न राज्यों में सीबीआई मामलों के निपटान के लिए 71 अतिरिक्त विशेष अदालतों की स्थापना (66 अदालतों ने काम करना शुरू भी कर दिया है।

[अनुवाद]

सोलह लोकायुक्तों द्वारा सिफारिशें

3069. श्री उदय सिंह :
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोलह लोकायुक्तों ने रिश्वत संबंधी सभी शिकायतों को प्राप्त करने तथा राज्य स्तर पर जांच एजेंसियों पर इसका क्षेत्राधिकार प्रदान कर भ्रष्टाचार-रोधी निकाय को नोडल एजेंसी बनाकर इसकी प्रभावकारिता में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार को कई सुझाव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो लोकायुक्तों द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन सिफारिशों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार का आगे क्या विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) इस विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, दिल्ली लोकायुक्त ने माननीय विधि मंत्री को 02 नवंबर, 2012 से 04 नवंबर, 2012 तक नई दिल्ली में आयोजित 11वें अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन, 2012 द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति अग्रेषित की है।

(ख) उक्त संकल्प की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है जिसमें उठाए गए मुद्दों एवं की गई संस्तुतियों को सूचित किया गया है।

(ग) से (ङ) राज्य लोकायुक्त, संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित किए गए भिन्न-भिन्न कानूनों के तहत कार्य करते हैं। लोकायुक्तों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं की गई संस्तुतियों पर विचार करना संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है। केन्द्र सरकार की इस मामले में कोई भूमिका नहीं रहती है। तथापि, केन्द्रीय स्तर पर लोकापाल की संस्था तथा सभी राज्यों में लोकायुक्तों की एक समान संस्था स्थापित करने के लिए, सरकार ने दिनांक 22.12.2011 को लोक सभा में "लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 2011" पुर:स्थापित किया है। लोक सभा ने दिनांक 27.12.2011 को लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 2011 पारित कर दिया है तथा वर्तमान में यह राज्य सभा में लंबित है।

विवरण

दिनांक 2 से 4 नवंबर, 2012 तक न्यायाधीश मनमोहन सरीन, लोकायुक्त, दिल्ली के तत्वाधान में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 11वां अखिल भारतीय लोकायुक्त सम्मेलन, 2012

बोल-चाल की शैली में विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात् सम्मेलन में भागीदारी करने वाले लोकायुक्तों/ उप लोकायुक्तों द्वारा पारित किया गया संकल्प

11वें अखिल भारतीय लोकायुक्तों के सम्मेलन, 2012 में भागीदारी करने वाले सभी लोकायुक्तों/उप-लोकायुक्तों ने एतदद्वारा निम्नानुसार संकल्प किया है:—

1. 'लोक सेवक/लोक पदाधिकारियों' की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति भी शामिल होंगे जो सिविल सेवा अथवा अखिल भारतीय सेवा के सदस्य होते हैं और जो संघ के तहत सिविल पदों पर आसीन हैं अथवा जिन्हें राज्य के मामलों के संबंध में परिनियोजित किया जाता है। "लोक पदाधिकारी" में राज्य अथवा केन्द्र सरकार से अनुदान अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी गैर-सरकारी संगठन का प्रधान अधिकारी भी शामिल होगा।

2. लोकायुक्तों को किसी शिकायत, अन्य सूचना की प्राप्ति पर अथवा स्वप्रेरणा से संज्ञान लेने के अधिकार प्रदान किए जाएं।

3. लोकायुक्तों के उच्च न्यायालयों के पूर्व न्यायाधीश होने के कारण तथा उनके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालयों के समान ही उसी प्रकार से/सादृश्यता पर न्यायालय की अवमानना के लिए कार्रवाई शुरू करने तथा सजा देने का अधिकार प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

4. अन्वेषण के दौरान, लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त स्वयं तलाशी एवं जब्ती के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं तथा अपने आदेशों/निदेशों के तहत किसी शिकायत (शिकायतों) में अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी को वही अधिकार प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

5. लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त, उपयुक्त मामलों में, किसी भी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है अथवा मुकद्दमा चला सकता है।

6. सक्षम प्राधिकारी, जब संविधि के तहत विशेष रूप से अनुमति नहीं दी गई हो, लोकायुक्तों से संस्तुतियां प्राप्त करने के पश्चात् किसी अभ्यारोपित व्यक्ति की आगे की कोई जांच-पड़ताल नहीं करेगा अथवा सुनवाई नहीं कर सकेगा। सक्षम प्राधिकारी, संस्तुतियों को स्वीकार नहीं करने की स्थिति में, इसके कारणों को बताएगा।

7. लोकायुक्त की संस्था को भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन/कुपद्धतियों के विरुद्ध मामलों को दर्ज करने के लिए सभी शिकायतों

को प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया जाए। लोकायुक्त, जहां आवश्यक हो वहां, कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्राधिकारी को शिकायतें अग्रेषित करेगा।

8. नोडल एजेंसी के रूप में लोकायुक्त (लोकायुक्तों) को भ्रष्टाचार निरोधी निकायों/एजेंसियों पर उपयुक्त पर्यवेक्षी-अधिकारी-क्षेत्र भी प्रदान किया जाए।

9. लोकायुक्तों को पर्याप्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वायत्तता होगी तथा इस प्रयोजनार्थ, उन्हें निधियों का आवश्यक आबंटन किया जाएगा।

10. लोकायुक्त: लोकायुक्तों की संस्था, इसी कार्यप्रणाली, अधिकार, उत्तरदायित्व, अधिकार-क्षेत्र आदि के बारे में जागरुकता एवं जानकारी को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि सामान्य नागरिक को सूचित किया जा सके कि वह किन शिकायतों अथवा मुद्दों के समाधान के लिए लोकायुक्त अथवा उप लोकायुक्त के पास जा सकता है।

11. भ्रष्टाचार को दूर करने में लगी संस्थाओं की साख को सुदृढ़ करने एवं बढ़ाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया से वस्तुनिष्ठ, संतुलित एवं सच्ची रिपोर्टिंग एवं प्रकाशन की अपील करना। इसके अतिरिक्त, निष्क्रिय, बेईमान एवं भ्रष्ट व्यक्तियों को हतोत्साहित एवं रोकने के लिए मजबूत जनमत तैयार करने के लिए प्रयास करना।

12. उच्चतर न्यायपालिका से लोकायुक्त के कार्य-संचालन एवं लक्ष्यों की संवेदनशीलता की तथा उनके द्वारा की जारी रहीं जांच-पड़तालों, अन्वेषणों की तथा आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, उनकी वांछनीयता को निर्बाधित जारी रखने की सराहना करने की अपील करना, ऐसा विशेष रूप से इसलिए, चूंकि निष्कर्ष एवं परिणाम केवल संस्तुतियों के प्रयोजनार्थ हैं।

13. लोकायुक्त (लोकायुक्तों)/उप लोकायुक्तों को उन राज्यों द्वारा ''राज्य अतिथि'' के रूप में समझा जाए जहां इस नयाचार का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने के लिए प्रौद्योगिकी

3070. **डॉ. मन्दा जगन्नाथ** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौद्योगिकी दैनंदिन जीवन में भ्रष्टाचार को न्यूनतम करने के नए तरीके प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, जन सेवा डिलीवरी प्रणाली में पारदर्शिता और जबावदेही की वृद्धि करके भ्रष्टाचार कम कर सकता है। आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, नागरिकों और उन लोक सेवकों, जो जन सेवा प्रदान करे हैं, के मध्य सीधे सम्पर्क को कम कर सकता है और इस प्रकार जन सेवाओं की डिलीवरी में भ्रष्टाचार को कम कर सकता है। रेलवे और आयकर विभाग में कम्प्यूटरों का प्रयोग हितकारी प्रभाव के अच्छे उदाहरण हैं, आधुनिक प्रौद्योगिकी ने दोनों संगठनों में भ्रष्टाचार को कम कर दिया है।

आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म, समाज के सभी वर्गों को अधिक अवसर और निकटता प्रदान करके शासन की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक होते हैं।

इसलिए, सरकार आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर जोर देती रही है जिससे कि सभी सरकारी संगठनों में पारदर्शिता और जबावदेही लाई जा सके। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संगठनों को सलाह देते हुए उनको अपनी प्रापण गतिविधियों में ई-निविदा उपाय को अपनाने और अनुसरण करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भुगतान को सुप्रवाही बनाने और ठेकेदार के भुगतानों की देरी पर प्रभावी नियंत्रण रखने, प्रभावित भुगतानों तक सार्वजनिक पहुंच कम करने के लिए आयोग ने ई-भुगतान और अन्य उपाय अपनाने की सिफारिश की है।

नागरिक चार्टर

3071. **श्री के. जयप्रकाश हेगड़े** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई नागरिक चार्टर तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नागरिक चार्टर के उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अपने नागरिक चार्टर का समुचित कार्यान्वियन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार में कुल एक सौ इक्कीस नागरिक चार्टर हैं। इनमें से इकसठ मंत्रालयों/विभागों के नागरिक चार्टर सेवोत्तम अनुवर्ती हैं और साठ मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के साधारण नागरिक चार्टर हैं।

(ग) नागरिक चार्टर का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को निम्नलिखित के बारे में सूचना प्रदान करना है:—

(i) लोक प्राधिकरण/संगठन की गतिविधियों के बारे में,

(ii) लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बारे में,

(iii) लोक प्राधिकरण में शिकायत निवारण हेतु उपलब्ध प्रणाली के बारे में,

(iv) जनसाधारण को प्राप्त होने वाली सेवाओं और शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में।

(घ) (i) संघ सरकार द्वारा मंत्रालयों/विभागों/संगठनों और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों को नागरिक चार्टर बनाने; उसका व्यापक प्रचार करने एवं संगठनों में इससे संबद्ध उद्धरणों का प्रदर्शन करने के लिए वर्ष 1997 से समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं।

(ii) इसके अतिरिक्त, नागरिक चार्टर को अब सेवोत्तम नामक गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तीन मॉडयूलों में से एक रूप में शामिल किया गया है। सतत आधार पर सेवा प्रदायगी में सुधार लाने के लिए सेवोत्तम एक ढांचा है। सेवोत्तम के नागरिक चार्टर में सेवा प्रदायगी हेतु समय सीमा सहित सेवाएं और सेवा प्रदायगी के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के संपर्क से संबंधित ब्यौरे शामिल हैं।

(iii) विभाग ने सेवोत्तम ढांचे के प्रचार के लिए वर्ष 2010-11 और 2011-12 में सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा सभी राज्य सरकारों के छह सामाजिक क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए दो दिवसीय 8 कार्यशालाओं का आयोजन किया। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के 121 चार्टरों में से 61 चार्टरों को सेवोत्तम अनुवर्ती नागरिक चार्टर में परिवर्तित किया गया है। सेवोत्तम के अंतर्गत, सेवोत्तम अनुवर्ती नागरिक चार्टर को विभाग के वेबसाइट पर दर्शाना और मंत्रालयों/विभागों में उपलब्ध शिकायत निवारण तंत्र का इसके वेबसाइट पर लिंक प्रदान करना भी अनिवार्य है।

[हिन्दी]

यूरेनियम खान का पुनरूद्धार

3072. श्री मधुसूदन यादव : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले में बोडाल यूरेनियम खान, जिसका पूर्व में सर्वेक्षण किया गया था, की वर्तमान स्थिति क्या है

(ख) क्या सरकार ने उक्त खान में यूरेनियम के खनन के संबंध में कोई निर्णय लिया है अथवा कोई कार्य आरंभ किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बोडाल खानों को बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार भविष्य में उक्त खान का पुनरूद्धार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) परमाणु खनिज अन्वेषण तथा अनुसंधान निदेशालय (एएमडी),

जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग का एक संघटक यूनिट है, ने छत्तीसगढ़ में राजनंदगांव जिले में बोडल खानों की आर्थिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने की दृष्टि से, अपने सर्वेक्षण के एक भाग के रूप में केवल सीमित समन्वेषी खनन कार्य किया था। यह कार्य फरवरी, 1976 में शुरू किया गया था और इसे मई, 1989 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि 600 मीटर की गहराई तक कम प्राप्ति होने की वजह से इसे आर्थिक दृष्टि से अव्यवहार्य पाया गया था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दुर्लभ मृदा खनिजों का निर्यात

3073. श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री आनंदराव अडसुल :
श्री धर्मेन्द्र यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दुर्लभ मृदा खनिजों का निर्यात करने के लिए जापान के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समझौते के अंतर्गत जापान को दुर्लभ मृदा खनिजों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया/किए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग और जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) ने, भारत में विरल मृदा उद्योग में सहयोग देने के लिए एक ज्ञापन पर 16.11.2012 को हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) उपयुक्त (क) और (ख) के उत्तर के मद्देनजर यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल

3074. श्री के. सुधाकरण : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नया पी.पी.पी. मॉडल अनुबंध-पश्चात् रियायतों अथवा परिवर्तनों के दायरे को समाप्त करेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) विभिन्न क्षेत्रकों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के लिए मॉडल रियायत समझौता (एमसीए) संबंधित सचिव की अध्यक्षता में गठित अंतर-मंत्रालयी समितियों द्वारा तैयार किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इन मॉडलों को विगत की परियोजनाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर लगातार सुधार किया जाता है। सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (पी.पी.पी.ए.सी.) परियोजनाओं का अनुमोदन करते समय परियोजना विशिष्ट बोली दस्तावेज का भी अनुमोदन करती है।

(ग) और (घ) मॉडल रियायत समझौते (एमसीए) में अनुबंध पश्चात् रियायतों अथवा परिवर्तनों के संबंध में बचे रहने के संबंध में पर्याप्त प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

प्रवासी कामगारों को जीवन बीमा और पेंशन

3075. श्री पूर्णमासी राम : क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशों में कार्यरत भारतीय कामगारों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए विशेष जीवन बीमा और पेंशन योजना आरंभ की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ श्रम शक्ति अथवा सामाजिक सुरक्षा के संबंध में किसी द्विपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान किए गए कामगारों के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण-I पर दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) जी हां। ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2010-2012 के दौरान उत्प्रवास स्वीकृति/ईसीएनआर अनुमोदन प्रदान किए गए कामगारों के राज्यवार आंकड़े

क्र. सं.	राज्य	2010	2011	2012 (अक्तूबर तक)
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	80	93	57
2.	आंध्र प्रदेश	72220	71589	74855
3.	अरुणाचल प्रदेश	188	175	119
4.	असम	2133	2459	2821
5.	बिहार	60531	71438	70225
6.	चंडीगढ़	831	861	703
7.	छत्तीसगढ़	81	114	89
8.	दमन और दीव	11	13	22
9.	दिल्ली	2583	2425	2330
10.	दादरा और नगर हवेली/ यूटी	11	53	15
11.	गोवा	1380	1112	1134
12.	गुजरात	8245	8369	5789
13.	हरियाणा	958	1058	946
14.	हिमाचल प्रदेश	743	739	718
15.	जम्मू और कश्मीर	4080	4137	3840
16.	झारखंड	3922	4287	4338
17.	कर्नाटक	17295	15394	14989
18.	केरल	104101	86783	81573
19.	लक्षद्वीप	18	11	10
20.	मध्य प्रदेश	1564	1378	1545
21.	महाराष्ट्र	18123	16698	15954
22.	मणिपुर	22	11	6
23.	मेघालय	11	16	38
24.	मिजोरम	4	0	2
25.	नागालैंड	2	39	3
26.	ओडिशा	7344	7255	6052
27.	पुदुचेरी	223	211	209
28.	पोर्ट ब्लेयर	0	0	0
29.	पंजाब	30974	31866	30889
30.	राजस्थान	47803	42239	42100
31.	सिक्किम	8	8	12

1	2	3	4	5
32.	तमिलनाडु	84510	68732	65283
33.	त्रिपुरा	454	465	419
34.	उत्तर प्रदेश	140826	155301	157579
35.	उत्तराखंड	1177	1441	0
36.	पश्चिम बंगाल	28900	29795	30548
37.	उत्तरांचल	0	0	2026
38.	अन्य	0	0	0
	कुल	641356	626565	617238

विवरण-II

प्रवासी भारतीयों के लिए जीवन बीमा और पेंशन योजना

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई)

सरकार ने 1 मई, 2012 को पायलट आधार पर महात्मा गांधी प्रवासी योजना (एमजीपीएसवाई) की शुरूआत की है। एमजीपीएसवाई का उद्देश्य, उत्प्रवास जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीय कामगारों को, जो ईसीआर देशों में जा रहे हों, (क) उनकी वापसी और पुनर्स्थापना के लिए बचत करने, (ख) उनकी पेंशन के लिए बचत करने, के लिए प्रोत्साहित करना और सक्षम बनाना है। उन्हें कवरेज की अवधि के दौरान उनके द्वारा किसी अतिरिक्त भुगतान के बिना प्राकृतिक मृत्यु के विरूद्ध जीवन बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है।

सरकार पांच वर्षों की अवधि, या कामगारों के भारत वापस लौटने तक, जो भी पहले हो, के लिए दिए गए अनुसार अंशदान भी करती है:

- प्रत्येक अंशदाता, जो उनके राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)-लाइट एकाउंट में प्रतिवर्ष 1000 रुपए और 12000 रुपए के बीच बचत करते हैं, को 1000 रुपए;
- प्रवासी भारतीय महिला कामगारों, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस)-लाइट एकाउंट में प्रतिवर्ष 1000 रुपए और 12000 रुपए के बीच बचत करती हैं, को 1000 रुपए प्रतिवर्ष का एक अतिरिक्त अंशदान;
- प्रत्येक अंशदाता, जो वापसी और पुनर्स्थापना की ओर प्रतिवर्ष कम से कम 4000 रुपये की बचत करते हैं, के लिए प्रतिवर्ष 900 रु. का एक वार्षिक अंशदान;
- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की जनश्री बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक मृत्यु के विरूद्ध प्रतिवर्ष 30000 रुपए और दुर्घटना में मृत्यु के विरूद्ध 75,000 रुपए के जीवन बीमा कवर के लिए 100/- रुपए।

विवरण-III

द्विपक्षीय समझौतों का ब्यौरा

(I) सरकार ने निम्नलिखित देशों के साथ मानव शक्ति पर द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं:-

(i) संयुक्त अरब अमीरात

(ii) कतर

(iii) ओमान

(iv) मलेशिया

(v) बहरीन

(vi) कुवैत

(vii) जार्डन

(II) निम्नलिखित देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करार (एसएसए) पर हस्ताक्षर किए जा चुके है:-

(i) बेल्जियम

(ii) फ्रांस

(iii) जर्मनी (सामाजिक बीमा)

(iv) स्विटजरलैंड

(v) लक्जमबर्ग

(vi) नीदरलैंड

(vii) डेनमार्क

(viii) दक्षिण कोरिया

(ix) हंगरी

(x) चेक गणराज्य

(xi) नार्वे

(xii) जर्मनी (व्यापक एसएसए)

(xiii) फिनलैंड

(xiv) कनाडा

(xv) जापान

(xvi) स्वीडन

उपरोक्त में से, वे क्रम संख्या (i) से (viii) में दिए गए देशों के संबंध में प्रचालन में भी है।

[अनुवाद]

बी.पी.एल. दर्जा

3076. **श्री प्रहलाद जोशी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गरीब लोगों का बी.पी.एल. दर्जा निर्धारित करने के लिए लागू किए जाने हेतु मानदंडों को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गठित विशेषज्ञों की समितियों के विशेष संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) योजना आयोग गरीबी रेखा को प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर परिभाषित करता है। योजना आयोग की गरीबी आकलन प्रक्रिया की समय-समय पर समीक्षा की गई है। प्रो. सुरेश डी. तेंदुलकर की अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति ने दिसंबर, 2009 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में, अखिल भारतीय स्तर पर 2004-05 के मूल्य पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 447 रुपए और शहरी क्षेत्रों के लिए 579 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय पर गरीबी रेखा की परिगणना की। परिवार उपभोग व्यय संबंधी वृहत् प्रतिदर्श सर्वेक्षण हर 5 वर्ष पर किये जाते हैं। 2004-05 के बाद, ये सर्वेक्षण 2009-10 में किए गए। योजना आयोग ने तेंदुलकर पद्धति का अनुसरण करते हुए, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के परिवार उपभोग व्यय संबंधी सर्वेक्षण के आंकड़ों का उपयोग कर वर्ष 2009-10 के लिए गरीबी रेखा को अद्यतन किया तथा 2009-10 के लिए गरीबी अनुमान 19 मार्च, 2012 को जारी किए। इसके अनुसार, 2009-10 में अखिल भारतीय स्तर पर गरीबी रेखा का अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 673 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 860 रुपए के प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग के रूप में किया गया है जो पांच सदस्यों की पारिवारिक इकाई के लिए, 2009-10 के मूल्यों पर, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3,365 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों के लिए 4,300 रुपए के मासिक उपभोग व्यय के बराबर है।

योजना आयोग ने "गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा" के लिए जून, 2012 में डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। गरीबी रेखा की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने तथा मौजूदा ज़मीनी हक़ीक़तों के अनुरूप, गरीबी रेखा की परिगणना में विभिन्न मानदंडों को समुचित महत्व देना सुनिश्चित करने हेतु, डॉ. रंगराजन की अध्यक्ष वाली विशेषज्ञ समिति को व्यापक विचारार्थ विषय दिए गए हैं।

नक्सल प्रभावित राज्यों में निवेश

3077. **श्री अजय कुमार** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने झारखंड सहित नक्सल प्रभावित राज्यों में विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या, कौशल और उद्यमशीलता विकास के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इन राज्यों में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कोई अभियान चलाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) झारखंड सहित चुनिंदा पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों में अवसंरचना विकास हेतु चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों के लिए एकीकृत कार्य योजना 25.11.2010 को शुरू की गई थी। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति यथावश्यक रूप से निधि में से व्यय कर सकती है। इस समिति में ज़िले के पुलिस अधीक्षक तथा ज़िला वन अधिकारी भी होते हैं। ज़िला-स्तरीय समिति के विकास स्कीमों के लिए अपने आकलन के अनुसार यथावश्यक रूप से राशि खर्च करने का लचीलापन प्रदान किया गया है। राज्य सरकारों तथा ज़िलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह भी दी गई थी कि एकीकृत कार्य योजना के अंतर्गत शुरू की जाने वाली स्कीमों के संबंध में स्थानीय संसद सदस्य तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों सहित अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया जाए। ज़िला-स्तरीय समिति सार्वजनिक अवसंरचना तथा सेवाओं के लिए ठोस योजना प्रस्ताव तैयार करती है, जैसे-विद्यालय भवन, आंगनवाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पेयजल आपूर्ति, ग्रामीण सड़क, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा विद्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बिजली आदि। इस प्रकार चयनित स्कीमों को कम समय में ही परिणाम दर्शाना होता है।

एकीकृत कार्य योजना को शुरूआत में 60 ज़िलों के लिए अनुमोदित किया गया था जिसे बाद में बढ़ाकर 82 ज़िलों के लिए किया गया। प्रत्येक ज़िले के लिए 2010-11 में 25.00 करोड़ रुपए तथा 2011-12 और 2012-13 में 30.00 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। अब तक 5260.00 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है जिसमें से 30.11.2012 की स्थिति के अनुसार लगभग 63 प्रतिशत अर्थात् 3341.04 करोड़ रुपए का व्यय होने की रिपोर्ट है। प्रारंभ किए गए कुल 93875 कार्यों में से 70.52 प्रतिशत अर्थात् 66196 कार्य पूरे कर लिए गए हैं। राज्यवार वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) के अतिरिक्त, विभिन्न फ्लैगशिप तथा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की जाती है कि ऐसे क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यानाकर्षण हो। देश में कार्यान्वित की जा रही कुछेक फ्लैगशिप/केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), जनजातीय उप-योजना (टीएसपी), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) आदि शामिल हैं। साथ ही, "कौशल विकास" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम झारखंड सहित वामपंथी उग्रवाद पीड़ित 9 राज्यों के 34 ज़िलों में कार्यान्वित की जा रही है। एकीकृत कार्य योजना वाले ज़िलों के लिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) जैसी कुछेक स्कीमों के मानकों में ढील दी गई है, जैसे- (i) एकीकृत कार्य योजना वाले ज़िलों की 250 तथा इससे अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों को कवरेज के लिए पात्र बनाया गया है, चाहे वे अनुसूची-V क्षेत्रों वाले हों अथवा नहीं, (ii) 75 मीटर तक के पुलों की लागत केन्द्र वहन करेगा जबकि अन्य क्षेत्रों के मामले में केन्द्र 50 मीटर तक के पुलों की ही लागत वहन करता है, और (iii) एलडब्ल्यूई/आईएपी ज़िलों के लिए न्यूनतम टेंडर पैकेज राशि घटाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है।

विवरण

आईएपी: राज्य-वार वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन	कुल जारी	व्यय	शुरू की गई परियोजनाएं	पूरी हो चुकी परियोजनाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	530.00	410.00	199.41 (48.64)	4949	2287 (46.21)

1	2	3	4	5	6	7
2	बिहार	775.00	525.00	278.30 (53.01)	14800	11999 (81.07)
3	छत्तीसगढ़	850.00	750.00	497.21 (66.29)	17769	12850 (72.32)
4	झारखंड	1370.00	1200.00	801.88 (66.82)	15276	10714 (70.14)
5	मध्य प्रदेश	740.00	640.00	389.48 (60.86)	7875	5015 (63.68)
6	महाराष्ट्र	170.00	150.00	103.03 (68.68)	4882	4278 (87.63)
7	ओडिशा	1455.00	1275.00	893.13 (70.05)	22774	14668 (64.41)
8	उत्तर प्रदेश	205.00	135.00	79.03 (58.54)	2427	1889 (77.83)
9	पश्चिम बंगाल	205.00	175.00	99.56 (56.89)	3123	2496 (79.92)
	कुल	6300.00	5260.00	3341.04 (63.52)	93875	66196 (70.52)

नोट: कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशत को दर्शाते हैं।

भारतीय कैदी

3078. **श्री ए. गणेशमूर्ति :**
श्री एंटो एंटोनी :
श्री संजय निरुपम :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव :
श्री रतन सिंह :

क्या **प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार विदेशी जेलों में बंद भारतीय नागरिकों की संख्या का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक के विरुद्ध लगाए गए आरोप का मामला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन भारतीय नागरिकों की सहायता और उन्हें विधिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) विदेशी जेलों में बंद भारतीय की सहायता के लिए आज की तिथि तक यदि कोई राशि व्यय की गई है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इसरो में छद्मवेशी

3079. **डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :**
श्री सी.आर. पाटिल :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने आप को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में वरिष्ठ वैज्ञानिक बताकर बंगलुरु स्थित इसरो के सख्त पहरे वाले मुख्यालय में प्रवेश करने का प्रयास करने वाली महिला को हाल ही में गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) श्रीमती बुएला एम सैम नामक एक सिविलियन महिला फर्जी इसरो के पहचान पत्र का उपयोग करके और अपने को एक वरिष्ठ वैज्ञानिक बताकर 21.09.2012 को इसरो मुख्यालय में प्रवेश कर गई। तथापि, उन्हें उसी दिन दोपहर में गिरफ्तार कर लिया गया और आसूचना ब्यूरो तथा बाद में आगे जांच-पड़ताल के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। इसरो मुख्यालय व्यापक सुरक्षा प्रणाली के माध्यम से भली प्रकार सुरक्षित है। अनधिकार प्रवेश की यह घटना प्रमाणीकरण और सुरक्षा जांच प्रक्रिया में चूक के कारण हुई। विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने हेतु तत्काल उपचारी उपाय किए हैं।

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गए/किए जा रहे उपायों में इसरो के कार्यालयों में प्रवेश के पूर्व आगंतुकों का सघन प्रमाणीकरण; आगंतुकों को किसी अनुचर के साथ कार्यालय के अंदर ले जाना और बाहर छोड़ना, पहचान पत्रों की समुचित जांच हेतु सुरक्षा कर्मियों को संवेदनशील बनाना, प्रति सत्यापन के लिए स्तरीकृत पहचानपत्र एवं केन्द्रीय आंकड़ा आधार सहित सी.सी.टी.वी प्रणालियों में सुधार और एकीकृत सामान्य अभिगम नियंत्रण प्रणाली का विकास शामिल है।

[हिन्दी]

जेवर विमानपत्तन

3080. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेवर में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मंत्रियों के समूह की सिफारिशों/टिप्पणियों के आलोक में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और उक्त परियोजना पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) उक्त विमानपत्तन के कब तक स्थापित होने की संभावना है और उक्त परियोजना के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (घ) भारत सरकार को वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जेवर (ग्रेटर नोएडा) में एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया और फिर मामले के कानूनी और अन्य संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए यह प्रस्ताव मंत्री-समूह को भेज दिया गया। मंत्री-समूह के निर्णय अनुसार एक स्वतंत्र यातायात अध्ययन कराया गया। तथापि, इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार उक्त प्रस्ताव पर आगे कोई कार्रवाई न करने का निर्णय ले चुकी है।

चीन द्वारा नत्थी वीजा

3081. श्रीमती ऊषा वर्मा :
श्री महेश्वर हजारी :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के नए ई-पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश और आक्साई चीन को चीन के भाग के रूप में दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या चीन ने जम्मू और कश्मीर के लोगों को नत्थी वीजा जारी करने की अपनी नीति बंद कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में चीन में क्या शासकीय प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है; और

(ङ) क्या चीन द्वारा किया गया उपर्युक्त कृत्य सीमा विवाद को हल करने के लिए 1993 और 1996 में दोनों देशों के बीच किए गए समझौतों का उल्लघंन है और यदि हां, तो इस मुद्दे के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) हाल ही में, चीन ने नए इलेक्ट्रानिक पासपोर्ट जारी करना प्रारंभ किया है जिस पर चीन जनवादी गणराज्य (पीआरसी) के मानचित्र का वाटरमार्क लगा हुआ है और जिसमें अरुणाचल प्रदेश तथा अक्साई चीन को चीन के हिस्से के रूप में दर्शाया गया है। चीन में हमारे दूतावास तथा महाकोंसुलावासों ने ऐसे पासपोर्टों पर लगी वीजा मुहरों पर भारत के मानचित्र का वृत्ताकार मुहर लगाना शुरू किया है जिसमें भारत की वास्तविक सीमाओं को दर्शाया गया है। सरकार ने विश्व भर में स्थित हमारे मिशनों तथा केन्द्रों को भी निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे पासपोर्टों पर वीजा जारी न करें और ऐसे आवेदकों को निर्देश दें कि वे चीन जनवादी गणराज्य (पीआरसी) में भारतीय वीजा के लिए आवेदन करें।

(ग) से (ङ) जम्मू-कश्मीर के भारतीय नागरिकों को नत्थी वीजा जारी करने की चीनी नीति के बारे में सरकार को जानकारी है। जम्मू-कश्मीर के बारे में भारत का यह दृष्टिकोण कि यह भारत का अभिन्न एवं अखंड हिस्सा है और किसी भी भारतीय नागरिकता वाले वीजा आवेदकों के विरूद्ध उसके निवास स्थान तथा नृजाति के आधार पर पक्षपात नहीं होना चाहिए और यह तथ्य चीन सरकार को सर्वोच्च स्तर सहित कई अवसरों पर स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है।

[अनुवाद]

एकल प्रवेश परीक्षा

3082. श्री सुरेश कलमाडी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु एकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से परामर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की क्या राय है; और

(ङ) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में गैर-योजनागत अनुदान जारी करने शैक्षणिक/गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु मानदंड, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की कार्यविधियों और ऐसे विश्वविद्यालयों में युवा शैक्षिकों को आकर्षित करने के लिए सोचे गए उपायों को अंतिम रूप दे दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालय, संसद के एक अधिनियम के जरिए स्थापित स्वायत्त निकाय हैं जो उनके अधिनियम और उनके तहत बनाई गई संविधियों और अध्यादेशों द्वारा अभिशासित होते हैं। विद्यार्थियों के दाखिले सहित सभी शिक्षा मामलों पर संबंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्णय किया जाता है। सात केन्द्रीय विश्वविद्यालय पहले ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। वर्ष 2010 में आयोजित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन में यह आम सहमति थी कि अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की वर्तमान कॉलेज/संस्था विशिष्ट प्रणाली से विद्यार्थियों के साथ-साथ उनके माता-पिता पर अत्यधिक बोझ पड़ता है। यदि कोई संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है तो इससे विद्यार्थी विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न स्थानों और विभिन्न तारीखों पर संचालित की जा रही अनेक प्रवेश परीक्षाओं में बैठने से बच सकेंगे और इसके साथ ही संबंधित व्यय में भी कमी होगी। यह संपूर्ण देश के सभी उम्मीदवारों को किसी भी केन्द्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला प्राप्त करने में समर्थ बनाएगी। प्रस्तावित

दाखिला प्रक्रिया में कक्षा 12 बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों ओर संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अंकों को समुचित वेटेज प्रदान करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को स्वतंत्रता देने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2012 में आयोजित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सम्मेलन और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एक एकल परीक्षा के जरिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सामान्य और विषय संबंधित अभिवृत्ति की जांच की जानी चाहिए तथा इसका आयोजन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होना चाहिए। अल्पसंख्यक केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और विशिष्ट केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पास विकल्प होगा कि वे संयुक्त प्रवेश परीक्षा में भाग ले सकते हैं और विशेष पाठ्यक्रमों जैसे कि ललित/अभिनय कलाओं को पृथक दर्जा प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति को अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से परामर्श कर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक दस्तावेज तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने स्वयं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए एक सामूहिक निर्णय लिया।

(घ) उपयुक्त (ग) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा अत्यधिक फीस वसूलना

3083. श्री वीरेन्द्र कुमार :

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में स्व-वित्त पोषित इंजीनियरिंग कालेजों सहित उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा भारी कैपीटेशन फीस/ट्यूशन फीस वसूले जाने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे दोषी संस्थानों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) ने इन संस्थानों से फीस ढांचे का ब्यौरा मांगा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रकार के कदाचारों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) उच्च शैक्षिक संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली बड़ी कैपिटेशन फीस/ट्यूशन फीस के लिए प्राप्त शिकायतों और ऐसी चूककर्ता संस्थाओं के विरूद्ध सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) से (च) जी, नहीं। विशिष्ट तकनीकी कार्यक्रम के लिए स्व-वित्तपोषित कालेजों द्वारा ली जाने वाली ट्यूशन फीस संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गठित एक राज्य स्तरीय फीस समिति द्वारा निर्धारित की जाती है।

एआईसीटीई ने दिनांक 06.07.2012 के विभिन्न समाचारपत्रों में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है जिसमें छात्रों, अभिभावकों और अन्य की शिकायतें दूर करने के उद्देश्य से सभी संबद्ध प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों द्वारा शिकायत निवारण समिति की स्थापना और एक लोकपाल की नियुक्ति (दिनांक 25.05.2012 के एआईसीटीई के विनियम सं.37-3/विधायी/2012 के अनुसार) के प्रावधान किए गए हैं।

विवरण

प्राप्त शिकायतों तथा की गई कार्रवाई के राज्यवार ब्यौरे

वर्षः 2010

राज्यः तमिलनाडु

वर्षः 2011

राज्यः आंध्र प्रदेश

क्र.सं.	संस्थान और राज्य का नाम	असंतुष्ट छात्र/अभिभावक का नाम	एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा की गई कार्रवाई
1	2	3	4
1.	एसआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री राजेश कुमार तिवारी (मध्य प्रदेश) तथा उमेश अमल (उत्तर प्रदेश)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
2.	षण्मुग कला विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं शोध अकादमी	श्री पुष्पवनम (तमिलनाडु)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
3.	वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान	श्री मृणाल कृष्णदास (पश्चिम बंगाल)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
4.	आईसीएफएआई उच्च शिक्षा फाउंडेशन, हैदराबाद	श्री मनिन्दर पाल सिंह (पंजाब)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
	राज्यः कर्नाटक		
1.	बीएलडीईई विश्वविद्यालय, बीजापुर	श्री रक्षिता अय्यर (बंगलौर)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
2.	श्री देवराज उर्स विश्वविद्यालय, कोलार	श्री रक्षिता अय्यर (बंगलौर)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
3.	जेएसएस विश्वविद्यालय, मैसूर	श्री रक्षिता अय्यर (बंगलौर)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
4.	केएलई उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान अकादमी, बेलगाम	श्री रक्षिता अय्यर (बंगलौर)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई

1	2	3	4
5.	मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी, मणिपाल	श्री रक्षिता अय्यर (बंगलौर)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
6.	निट्टी विश्वविद्यालय, मंगलौर	श्री रक्षिता अय्यर (बंगलौर)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
7.	श्री सिद्धार्थ उच्च शिक्षा अकादमी, तुमकुर	श्री रक्षिता अय्यर (बंगलौर)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
8.	येनेपोया विश्वविद्यालय, मंगलौर	श्री रक्षिता अय्यर (बंगलौर)	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
9.	केएलई विश्वविद्यालय	कर्नाटक सरकार	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
	राज्य: राजस्थान		
1.	मोदी शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सीकर	सुश्री अंकिता प्रसून, बिहार	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
	राज्य: सिक्किम		
1.	सिक्किम मणिपाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, गंगटोक	श्री राजीव सागर	यूजीसी,एसीटी, अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की गई
	राज्य: उत्तर प्रदेश		
1.	स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ	श्री अंकित मित्तल	यूजीसी,एसीटी, अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की गई
		वर्ष 2012	
	राज्य: कर्नाटक		
1.	जेएसएस विश्वविद्यालय, मैसूर (6 शिकायतें)	श्री उत्पल दुबे, (बिहार), सुश्री सुनीता दास, (पश्चिम बंगाल), श्री तेजप्रताप सिंह, (पंजाब), श्री महेश अवस्थी, (महाराष्ट्र), श्री निशांत सिंह, (महाराष्ट्र) और श्री सुनील शर्मा, (झारखंड)	यूजीसी,एसीटी, अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की गई

1	2	3	4
2.	पीईएस आईटी, बंगलौर	सुश्री पूर्णिमा दत्ता	एआईसीटीई द्वारा संस्थान को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है
	राज्यः तमिलनाडु		
1.	एसआरएम विश्वविद्यालय	बेनामी पत्र	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
2.	भारत विश्वविद्यालय	दीना दनाने	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
	राज्यः उत्तर प्रदेश		
1.	गलगोटिया विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	श्री अल्पेश कुमार	यूजीसी,एसीटी के अनुसार कार्रवाई की गई
	राज्यः गुजरात		
1.	जीआईडीसी रज्जू श्राफ रोफेल प्रबंध संस्थान, वापी	श्री विशांक एम शाह	एआईसीटीई द्वारा संस्थान को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है
	राज्यः पश्चिम बंगाल		
1.	हैरीटेज प्रौद्योगिकी संस्थान, कोलकाता	श्री भाष्कर सेन	एआईसीटीई द्वारा संस्थान को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है
	राज्यः केरल		
1.	एसएन जीआईएसटी, केरल	श्री/सुश्री लसीथा एन्ड्रूज	एआईसीटीई द्वारा संस्थान को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है

[अनुवाद]

आसियान शिखर सम्मेलन

3084. श्री नीरज शेखर : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन की शीर्ष स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो चर्चित विषयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वार्ता के दौरान कोई द्विपक्षीय समझौता हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) प्रधानमंत्री ने नोम पेन्ह में आयोजित 7वें पूर्व एशिया सम्मेलन के अवसर पर 19 नवम्बर, 2012 को चीन के प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ से मुलाकात की।

(ख) दोनों नेताओं ने भारत तथा चीन के बीच रणनीतिक एवं सहकारी सहभागिता, बारम्बार उच्चस्तरीय आदान-प्रदान का सकारात्मक प्रभाव, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग संवर्धित करने के तरीकों तथा लोगों के आपसी आदान-प्रदान के विस्तार की संभावनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री वेन जिआबाओ ने सूचित किया कि चीन के नए नेता भारत के साथ संबंधी को अत्यधिक महत्व देते हैं। विचार-विमर्श के आयोजन का समग्र परिदृश्य यह था कि भारत तथा चीन दोनों में एक साथ विकास की पर्याप्त गुंजाइश है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सुनामी पूर्व चेतावनी केन्द्र का उन्नयन

3085. श्री अवतार सिंह भडाना :
श्री जे.एम. आरुन रशीद :
श्रीमती अन्नू टन्डन :
श्री एस.एस. रामासुब्बू :

क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केन्द्र (आई.टी.ई.डब्ल्यू.सी) को विश्व के अन्य सुनामी चेतावनी केन्द्रों के नेटवर्क से जोड़कर वैश्विक सुनामी चेतावनी प्रणाली के रूप में उन्नयन करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्नयन की लागत का ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय केन्द्र के अंतर्गत कितने तटीय चेतावनी केन्द्रों का उन्नयन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्तशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (इंकॉइस-ईएसएसओ) में स्थापित भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केन्द्र (आईटीईडब्ल्यूसी) को वैश्विक महासागरों में आने वाली सुनामी की परामर्शी सेवा प्रदान करने के लिए निरन्तर उन्नत किया जा रहा है यद्यपि इसे विश्व में सर्वोत्तम प्रणालियों में से एक होने की मान्यता मिल चुकी है। इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए प्रमुख उन्नयन कार्यों में अन्य वैश्विक बेसिनों में प्रचालित चेतावनी केन्द्रों के साथ प्रचालन प्रक्रियाओं, बुलेटिन फॉर्मेटों तथा शब्दावलियों का मानकीकरण शामिल है। इसे प्राप्त करने के लिए, अन्तर सरकारी समुद्र-वैज्ञानिक आयोग (यूनेस्को के आईओसी) ने एक कार्य दल का गठन किया है जिसमें सभी समुद्री बेसिनों के सुनामी चेतावनी केन्द्रों के विशेषज्ञ शामिल है तथा इसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई है। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केन्द्र में सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकंपों के संसूचन के लिए 17 ब्रॉडबैड भूकंपीय स्टेशनों का एक वास्तविक समय भूकंप मॉनीटरिंग नेटवर्क, खुले समुद्र में 4 बॉटम प्रेशर रिकार्डरों (बीपीआर) युक्त वास्तविक-समय समुद्र-स्तर संसूचकों का एक नेटवर्क तथा सुनामी को मॉनीटर करने के लिए विभिन्न तटीय स्थानों पर 25 ज्वारमापी स्टेशन तथा सुभेद्य समुदायों को समय पर चेतावनी देने के लिए चौबीसी घंटे सातों दिन प्रचालनात्मक सुनामी चेतावनी केन्द्र शामिल है। यह 6.5 से अधिक की तीव्रता वाले भूकंपों के संसूचन के लिए अन्य सभी वैश्विक नेटवर्कों से भी भूकंप के डेटा प्राप्त करता है। 15 अक्टूबर, 2007 से इंकॉइस-ईएसएसओ में अत्याधुनिक पूर्व चेतावनी केन्द्र को प्रचालनात्मक बना दिया गया है जो सभी आवश्यक कम्प्यूटेशनल तथा संचार अवसंरचना युक्त है जो कि भूकंपीय तथा समुद्र-स्तर सेंसरों से वास्तविक समय के डेटा प्राप्त करने, डेटा का विश्लेषण करने, सुनामी मॉडलिंग तथा एक व्यापक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) द्वारा पथ-प्रदर्शित सुनामी चेतावनी के प्रसारण की क्षमता प्रदान करता है। आपात स्थितियों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए विभिन्न विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों को समय पर परामर्श-सेवा के प्रसारण के लिए सभी उपलब्ध संचार प्रौद्योगिकी विकल्पों को तैनात किया गया है। यह केन्द्र सम्पूर्ण हिन्द महासागर क्षेत्र के साथ-साथ वैश्विक समुद्रों में आए सुनामी उत्पन्न करने वाले भूकम्पों को उनके आने के 10 मिनट में संसूचन करने तथा विभिन्न संचार माध्यमों यथा ई-मेल, फैक्स एसएमएस, जीटीएस तथा वेबसाइट के जरिये 20 मिनट से संबंधित प्राधिकारियों को

परामर्शी-सेवा का प्रसारण करने में सक्षम है। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केन्द्र (आईटीईडब्ल्यूसी) ने अक्टूबर, 2007 में अपने निर्माण से अब तक 6.5 से अधिक की तीव्रता के 339 भूकंपों को मॉनीटर किया है जिनमें से 63 हिन्द महासागर क्षेत्र में हैं। आईटीईडब्ल्यूसी हिन्द महासागर क्षेत्र के लिए आस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साथ-साथ क्षेत्रीय सुनामी परामर्शी सेवा प्रदाता (आरटीएसपी) के रूप में भी कार्य करता है। चूंकि पृथ्वी पर सभी महासागर आपस में जुड़े हुए है, इसलिए वैश्विक महासागरों में बड़े भूकंपों से उत्पन्न सुनामी की तरंगे भारतीय तटों को प्रभावित कर सकती है। हमारे तटों की सुनामी से रक्षा करने के लिए वर्तमान प्रणाली को उन्नत बनाना अत्यावश्यक है। आईटीईडब्ल्यूसी का उन्नयन विश्व में अन्य जरूरतमंद देशों को सुनामी परामर्शी-सेवा प्रदान करने की इसकी क्षमता को भी बढ़ाएगा। भारतीय सुनामी पूर्व चेतावनी केन्द्र की स्थापना करते समय मूल अवसंरचना तथा आवश्यक कम्प्यूटेशनल सुविधाएं स्थापित की गई हैं तथा इसलिए कोई प्रमुख हार्डवेयर उन्नयन प्रस्तावित नहीं है। सम्पूर्ण सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणाली का संधारण 17.00 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के बजट विनिधान से किया जाता है। वैश्विक प्रचालनों के लिए अपेक्षित मॉडल अनुकार स्वयं इसके एक भाग के रूप में चलाए जाएंगे। वैश्विक प्रचालनों के लिए आईटीईडब्ल्यूसी के संवर्द्धन के लिए अपेक्षित अतिरिक्त डेटा अन्य देशों में प्रचालित किए जा रही केन्द्रों के साथ सहयोग करके प्राप्त किए जा सकते हैं।

(ग) वर्तमान में सम्पूर्ण हिन्द महासागर क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों को कवर करने वाले 1800 तटीय पूर्वानुमान बिन्दु है।

(घ) अन्य तटीय क्षेत्रों को कवर करने के लिए इसका उन्नयन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।

मोबाइल कनेक्टिविटी

3086. डॉ. अनूप कुमार साहा :
श्री नारायण सिंह अमलाबे :
श्रीमती कैसर जहां :
डॉ. संजय सिंह :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के दूर-दराज पर्वतीय और ग्रामीण भागों/क्षेत्रों में सेल्युलर नेटवर्क विशेषकर बी.एस.एन.एल की कनेक्टिविटी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश के शेष बचे क्षेत्रों/भागों में सेल्युलर नेटवर्क सेवा प्रदान करने के लिए कोई कार्य-योजना तैयार की है;

(घ) क्या देश के अनेक भागों में दूरसंचार कंपनियों की सेवाओं की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और घटिया सेवाओं के लिए ऑपरेटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) से (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) अपने तकनीकी-वाणिज्यिक हितों के आधार पर दूरस्थ, पहाड़ी एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित प्रचालन के अपने क्षेत्रों में मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। बीएसएनएल के कार्य क्षेत्र में पश्चिम बंगाल भी शामिल है। बीएसएनएल ने, दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, अपने कार्य क्षेत्र में 610885 गांवों में से 403886 गांवों को मोबाइल सेवाओं से कवर कर लिया है। इसका सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। बीएसएनएल तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के मद्देनजर शेष क्षेत्रों को प्रगामी तौर पर कवर कर लेगा।

साथ ही, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) देश के सभी कवर नहीं किए जा सके गांवों में मोबाइल संचार सेवाओं का प्रावधान करने के लिए भी प्रयास कर रहा है। इस स्कीम के तहत तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए सी-डॉट (सेंटर फॉर डवलपमेंट टेलीमेटिक्स) के साथ दिनांक 01.11.2012 को एक समझौता-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(घ) से (च) ट्राई सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत तिमाही निष्पादन निगरानी रिपोर्टों (पीएमआर) की मार्फत, अधिसूचित किए गए सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) मानकों के मद्देनज़र, सेल्युलर मोबाइल सेवाओं

की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। चूंकि इस लाइसेंस को सेवा के क्षेत्र के आधार पर जारी किया जाता है इसलिए लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र के आधार पर सेवा की गुणवत्ता के निष्पादन की निगरानी की जाती है। इसलिए, ट्राई के पास क्यूओएस के संबंध में कोई राज्य-वार जानकारी अलग से उपलब्ध नहीं है।

दिनांक 30 सितम्बर, 2012 को समाप्त तिमाही के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रस्तुत सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं की निष्पादन निगरानी रिपोर्टों के अनुसार यह देखा गया है कि बीएसएनएल सहित, सेवा प्रदाताओं ने अधिकांश मानदंडों हेतु क्यूओएस बैंचमार्कों को पूरा किया है।

गत तीन वर्षों और 30 जून, 2012 तक चालू वर्ष के दौरान, ट्राई में प्राप्त बीएसएनएल सहित विभिन्न सेवा क्षेत्रों में दूरसंचार प्रचालकों के विरुद्ध खराब और असंतोषजनक सेवा सहित, प्रचालक-वार सेवा से संबंधित शिकायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ट्राई में इन शिकायतों को केवल सेवा प्रदाता-वार आधार पर एकत्र किया जा रहा है और इन शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा ट्राई के पास उपलब्ध नहीं है।

जहां पर भी सेवा के बेंचमार्कों की गुणवत्ता को पूरा करने में कमी देखी जाती है, उस कमी को दूर करने के उस मामले को संबंधित सेवाप्रदाता के साथ, समयबद्ध रूप से, उठाया जाता है। ट्राई यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेवा प्रदाताओं द्वारा इन मानदंडों का अनुपालन किया जाए, प्रचालकों के निष्पादन की सूक्ष्मता से निगरानी कर रहा है।

विवरण-I

बीएसएनएल की मोबाईल सेवाओं द्वारा कवर किए गए गांवों को सर्किल-वार ब्यौरा

क्र. सं.	सर्किल	कुल गांव (वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार)	बीएसएनएल की मोबाईल सेवाओं द्वारा कवर किए गए गांवों की संख्या
1	2	3	4
1.	हरियाणा	6975	4141
2.	हिमाचल प्रदेश	17495	15967
3.	जम्मू और कश्मीर	6652	5176
4.	पंजाब	12313	11135
5.	राजस्थान	41353	25938
6.	उत्तराखंड	16826	11546
7.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	80574	69457
8.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	23781	8768
9.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	501	286
10.	असम	25124	17888
11.	बिहार	45098	23358
12.	कोलकाता	437	437
13.	झारखंड	29354	19287
14.	पूर्वोत्तर-I	7347	2186
15.	पूर्वोत्तर-II	7456	3667
16.	ओडिशा	47529	26986
17.	पश्चिम बंगाल	38405	24084
18.	छत्तीसगढ़	19744	12558
19.	गुजरात	18632	13557
20.	महाराष्ट्र	41381	20970
21.	मध्य प्रदेश	52117	29327
22.	आंध्र प्रदेश	26613	20116

1	2	3	4
23.	चेन्नै	1655	1626
24.	केरल	1372	1372
25.	कर्नाटक	27481	21691
26.	तमिलनाडु	14670	12362

विवरण-II

सेवा संबंधी शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा, जिसमें खराब एवं असंतोषजनक सेवाएं शामिल हैं

क्र. सं.	प्रचालकों का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (2012 तक)
1.	बीएसएनएल	546	411	466	164
2.	एमटीएनएल	214	139	165	46
3.	भारती	985	548	1165	539
4.	टाटा	370	175	438	342
5.	रिलायंस	610	346	647	322
6.	वोडाफोन	469	401	654	355
7.	आईडिया	212	149	326	169
8.	अन्य	145	232	272	203
	कुल	3551	2401	4133	2140

मध्याह्न भोजन योजना के लिए एल.पी.जी. का उपयोग करना

3087. **श्री हरिन पाठक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्याह्न भोजन योजना के अधिकांश केन्द्रों पर खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में मुख्य रूप से लकड़ी का प्रयोग किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का सभी केन्द्रों पर खाना पकाने के लिए एल.पी.जी. और अन्य ईंधन के प्रयोग में राज्य सरकारों को सहायता करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) देश भर में 68 प्रतिशत स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना गैस से इतर ईंधनों से पकाया जाता है।

(ग) और (घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भोजन पकाने की 75 प्रतिशत लागत पहले ही प्रदान कर रहा है। ईंधन की लागत भोजन पकाने की लागत का एक भाग है। मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के लिए सब्सिडी प्राप्त एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति रोकने के बावजूद पात्र बच्चों के पोषण पर प्रभाव डाले बगैर एक अबाधित तरीके से मध्याह्न भोजन की आपूर्ति करने का अनुरोध भी किया है। एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी बंद करने के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ की राज्यों/संघ राज्यों को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

परीक्षा प्रश्न पत्रों का लीक होना

3088. श्री एस.आर. जेयदुरई :
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जैसाकि मीडिया में बताया गया है कर्मचारी चयन आयोग आदि द्वारा आयोजित कराई जाने वाली परीक्षाओं में धोखाधड़ी, सही उम्मीदवारों की जगह दूसरों के द्वारा परीक्षा देना और परीक्षा प्रश्नपत्रों के लीक होने की घटनाओं में अचानक वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परीक्षा में अनुचित तरीकों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) महोदया, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा दिनांक 21.10.2012, 28.10.2012 एवं 04.11.2012 को छह पालियों में आयोजित की गई संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तरीय परीक्षा में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए निरीक्षकों, पुलिस एवं उड़न दस्तों द्वारा सही उम्मीदवारों की जगह दूसरे लोगों द्वारा परीक्षा देने के 06 मामले सूचित किए गए थे तथा 143 उम्मीदवारों के पास मोबाइल फोन तथा/अथवा सहायक साधन पाए गए थे। कर्मचारी चयन आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में वर्ष, 2009 से प्रश्नपत्रों के लीक होने का कोई मामला सूचित नहीं किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में, केवल वर्ष 2011 एवं 2012 में धोखाधड़ी के केवल 2-2 मामले सूचित किए गए थे, वर्ष 2011 एवं 2010 में 2-2 मामलों की तुलना में वर्ष 2012 में सही उम्मीदवारों की जगह दूसरे लोगों द्वारा परीक्षा देने का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा में धोखाधड़ी के साथ-साथ सही उम्मीदवारों की जगह दूसरे लोगों द्वारा परीक्षा देने संबंधी मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पिछले तीन वर्षों में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई परीक्षाओं के संबंध में सूचना को समेकित रूप में नहीं रखा जाता है।

(ग) कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) एवं संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) अपनी-अपनी परीक्षा-प्रणालियों की निरंतर समीक्षा करते रहते हैं तथा उपर्युक्त अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए उम्मीदवारों, निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों को अनुदेश जारी करते हुए आवश्यक परिवर्तन करते रहते हैं तथा निरीक्षण अधिकारियों एवं प्रेक्षकों को प्रतिनियुक्त कर परीक्षा की समस्त प्रक्रिया पर उसके निष्पक्ष आयोजन के लिए कड़ी निगरानी रखते हैं। आयोग अनाचारों में संलिप्त पाए गए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को भावी परीक्षाओं से रोकता भी है, इसके अतिरिक्त, जहां आवश्यक अनुभव किया जाता है वहां राज्य पुलिस में शिकायतें भी दर्ज करता है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान संघ लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में धोखाधड़ी/सही उम्मीदवार की जगह दूसरों द्वारा परीक्षा देने के आधार पर रोके गए उम्मीदवार

क्र. सं.	वर्ष	धोखाधड़ी के मामले	सही उम्मीदवार की जगह दूसरों द्वारा परीक्षा देने के मामले
1	2	3	4
1.	2009	शून्य	शून्य

1	2	3	4
2.	2010	7	2
3.	2011	2	2
4.	2012	2 (10.12.2012 तक की स्थिति के अनुसार)	शून्य

राष्ट्रीयता साक्षरता मिशन

3089. **श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी :**
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :
श्री बलीराम जाधव :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीयता साक्षरता मिशन के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी समीक्षा का निष्कर्ष क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं की वास्तविक साक्षरता दर क्या है;

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के प्रभावी कार्यान्वियन हेतु संगठनात्मक व्यवस्था का पुनरूद्धार करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या देश शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने से दूर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने निर्धारित समय अवधि के भीतर देश में शत-प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के लिए उपायों में संशोधन न करने के लिए कार्य समूह का गठन किया है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) उक्त लक्ष्य को कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) सितंबर, 2009 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नए रूपांतरण साक्षर भारत के आरंभ होने से 372 जिलों में मिशन को संस्वीकृति प्रदान की गई है और इसके कार्यकरण की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है। हाल ही में नवंबर, 2012 में की गई समीक्षा के अनुसार हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा तथा उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम का कार्यकरण औसत से कम पाया गया है।

(ग) 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष तथा महिलाओं के बीच साक्षरता दर को दर्शाने वाला राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) योजना आयोग ने सिफारिश की है कि सर्वोच्च स्तर पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण, राज्य स्तर पर राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण और जिला ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत स्तरों पर लोक शिक्षा समिति तथा संसाधन समर्थन निकायों सहित मौजूदा कार्यक्रम अवसंरचना को नया रूप देने, सुदृढ़ करने के साथ-साथ जीवन पर्यन्त अधिगम तथा साक्षरता के अनुरूप बनाया जाए। इसके अतिरिक्त, प्रौढ़ अधिगम तथा शिक्षा कार्यक्रमों के विकास, कार्यान्वियन और मूल्यांकन में सभी प्रशासनिक स्तरों पर सार्वजनिक प्राधिकरणों, सिविल सोसायटी, निजी क्षेत्र, समुदाय तथा प्रौढ़ प्रशिक्षु संगठनों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त की जाएगी।

(च) जनगणना 2011 के अनुसार देश 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने में 25.96 प्रतिशत पीछे है।

(छ) और (ज) जी, नहीं।

(झ) 100 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त किए जाने के संभावित समय को निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष तथा महिलाओं के बीच राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार साक्षरता दर

(प्रतिशत में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साक्षरता दर (पुरुष)			साक्षरता दर (महिला)		
		कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	75.56	70.24	85.99	59.74	52.05	75.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	73.69	68.79	89.45	59.57	53.78	79.04
3.	असम	78.81	76.51	91.84	67.27	64.09	85.71
4.	बिहार	73.39	71.90	84.42	53.33	50.82	72.36
5.	छत्तीसगढ़	81.45	78.20	91.63	60.59	55.40	77.65
6.	गोवा	92.81	91.71	93.47	81.84	76.84	84.96
7.	गुजरात	87.23	83.10	92.44	70.73	62.41	82.08
8.	हरियाणा	85.38	83.20	89.37	66.77	60.97	77.51
9.	हिमाचल प्रदेश	90.83	90.48	93.72	76.60	75.33	88.66
10.	जम्मू और कश्मीर	78.26	75.51	84.90	58.01	53.36	70.19
11.	झारखंड	78.45	74.57	89.78	56.21	49.75	76.17
12.	कर्नाटक	82.85	77.92	90.54	68.13	59.60	81.71
13.	केरल	96.02	95.29	96.83	91.98	90.74	93.33
14.	मध्य प्रदेश	80.53	76.64	90.24	60.02	53.20	77.39
15.	महाराष्ट्र	89.82	86.39	93.79	75.48	67.38	85.44
16.	मणिपुर	86.49	84.14	92.05	73.17	69.95	80.21

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	मेघालय	77.17	72.83	93.17	73.78	69.45	89.49
18.	मिजोरम	93.72	88.35	98.67	89.40	80.04	97.54
19.	नागालैंड	83.29	79.49	92.11	76.69	72.01	88.10
20.	ओडिशा	82.40	80.41	91.83	64.36	61.10	80.70
21.	पंजाब	81.48	77.92	87.28	71.34	66.47	79.62
22.	राजस्थान	80.51	77.49	89.16	52.66	46.25	71.53
23.	सिक्किम	87.29	85.42	92.94	76.43	73.42	85.19
24.	तमिलनाडु	86.81	82.08	91.82	73.86	65.52	82.67
25.	त्रिपुरा	92.18	90.86	95.80	83.15	80.06	91.38
26.	उत्तर प्रदेश	79.24	78.48	81.75	59.26	55.61	71.68
27.	उत्तराखंड	88.33	87.63	89.78	70.70	66.79	80.02
28.	पश्चिम बंगाल	82.67	79.51	89.15	71.16	66.08	81.70
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	90.11	88.53	92.96	81.84	79.58	85.79
30.	चंडीगढ़	90.54	86.68	90.65	81.38	74.17	81.55
31.	दादरा और नगर हवेली	86.46	78.18	94.81	65.93	51.36	84.86
32.	दमन और दीव	91.48	89.71	91.95	79.59	71.97	82.94
33.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	91.03	90.04	91.05	80.93	74.03	81.10
34.	पुदुचेरी	92.12	88.49	93.80	81.22	73.82	84.60
35.	लक्षद्वीप	96.11	95.06	96.40	88.25	88.66	88.13

विदेशी विकास परियोजनाएं

3090. **श्री धनंजय सिंह** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय का विकास भागीदारी प्रशासन (डी.पी.ए) स्कंध भारत-सहायता प्राप्त विदेशी विकास परियोजनाओं की निगरानी करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा विश्वभर में आरंभ की गई ऐसी परियोजनाओं/अनुदान सहायता योजना का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान ऐसी परियोजनाओं पर व्यय का वर्ष और देश-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन देशों को किस आधार पर चिन्हित किया गया और कितनी सहायता राशि निर्धारित की गई?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) विदेश में भारत की विकास सहायता परियोजनाओं की परिकल्पना, प्रारंभ, कार्यान्वयन तथा समापन के चरणों में प्रभावशाली संचालन एवं अनुवीक्षण करने के लिए जनवरी 2012 में विदेश मंत्रालय में विकास प्रशासन सहभागिता (डीपीए) स्थापित की गई थी।

(ख) और (ग) सहभागी देशों द्वारा अभिज्ञात परियोजनाओं तथा अन्य विकासशील देशों के साथ विकास अनुभवों को साझा करने के हमारे परिप्रेक्ष्य के आधार पर भारत की विकास भागीदारी मांग द्वारा निर्धारित की जाती है।

विमानपत्तनों पर स्कैनर

3091. **श्री गजानन ध. बाबर** :
श्री ताराचंद भगोरा :
श्री धर्मेन्द्र यादव :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य विमानपत्तनों पर स्थापित स्कैनर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विस्फोटकों का पता लगाने के लिए किए गए परीक्षण में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा सुरक्षा एजेंसियों की चिंताओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी नहीं। प्रमुख हवाई अड्डों पर लगाए गए स्कैनर विस्फोटकों की खोज में विफल नहीं हुए हैं। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा कुछ हवाई अड्डों पर कतिपय आसूचना एजेंसियों के साथ मिलकर कुछ परीक्षण किए गए थे। लेकिन परीक्षण प्रोटोकॉल न होने के वजह से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकल सका था।

(ख) और (ग) इस मामले में नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने यूरोपियन नागर विमानन कॉन्फ्रेंस (इसीएसी) से संपर्क किया है, जिन्होंने स्केनरों समेत विभिन्न नागर विमानन संबंधी सुरक्षा उपकरणों के लिए विनिर्देश निर्धारित किए हैं। बीसीएएस द्वारा सूचना के आदान प्रदान तथा परीक्षण परीक्षण प्रोटोकॉल के लिए इसीएस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने हैं। हमारे हवाई अड्डों पर स्केनरों का अंतिम परीक्षण बीसीएएस के पास प्रोटोकॉल परीक्षण की उपलब्धता के पश्चात ही किया जा सकता है।

[हिन्दी]

विद्यार्थियों की उपस्थिति

3092. **श्री शैलेन्द्र कुमार** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की उपस्थिति में भारी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वैश्विक अनुपात की तुलना में देश में उच्च शिक्षा में कम विद्यार्थियों की संख्या के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) छात्रों की उपस्थिति के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। हालांकि, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट "भारत में शिक्षा: 2007-08, भागीदारी और व्यय", के अनुसार, निवल उपस्थिति अनुपात, जो विशेष कक्षा-समूह में उपस्थित होने वाले आधिकारिक आयु-वर्ग में कुल व्यक्तियों की संख्या की प्रतिशतता के रूप में है, उच्चतर शिक्षा हेतु ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमश: 8% और 21% है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वार्षिक प्रकाशन "उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के आंकड़े" के अनुसार, 2009-10 (अनंतिम) के दौरान 18-23 वर्ष के आयु-वर्ग में जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में देश के उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में नामांकित छात्रों का सकल नामांकन अनुपात 15% है। यूनेस्को इंस्टीट्यूट फार स्टेटिस्टिक्स द्वारा प्रकाशित वैश्विक शिक्षा डाइजेस्ट के अनुसार उसी अवधि के दौरान विश्व औसत के लिए सकल नामांकन अनुपात 29% है।

भारतीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली बहुत-सी जटिल चुनौतियों का सामना करती है जिसमें उस तक पहुंच और समानता सबसे जटिल है। देश में ऐसे स्थान है, जहां, जनजातियों की आबादी वाले पर्वतीय और ऐसे क्षेत्र जहां पहुंचना कठिन है, संस्थागत घनत्व कम है। कुछ छात्र वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस प्रणाली से बाहर रहने का विकल्प चुनते है। इनमें से अनेक चुनौतियां भारत के लिए विशिष्ट हैं और इसलिए वैश्विक सकल नामांकन अनुपात से किसी प्रकार की तुलना करते समय इन जटिलताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का उन्नयन

3093. श्री हेमानंद बिसवाल :
श्री मधुसूदन यादव :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री राम सिंह कस्वां :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2020 तक विमानन अवसंरचना में निजी निवेश के साथ देश में 500 विमानपत्तनों के प्रचालन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्यों में विमानपत्तनों के अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में उन्नयन अथवा अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन की स्थापना के लिए निवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में देश के कुछ विमानपत्तनों को अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा प्रदान किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी राशि जारी की गई है;

(च) क्या इन विमानपत्तनों पर आवश्यक अवसंरचना अप्रवास सुविधाएं, श्रमशक्ति आदि उपलब्ध है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नागर विमानन मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। तथापि, हवाईअड्डों का विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसे विशिष्ट हवाईअड्डों आदि के माध्यम से प्रचालन के लिए एयरलाइनों की प्रतिबद्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यातायात की संभाव्यता/मांग को ध्यान में रखकर किया जाता है।

(ग) जी, हां। राज्य सरकारों से उनके राज्यों में स्थित हवाईअड्डों को अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में अपग्रेड किए जाने के लिए इस मंत्रालय को अनेक अनुरोध मिले हैं। ऐसे अनुरोधों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (छ) जी, हां। हाल ही में, पांच हवाईअड्डों नामत: लखनऊ, वाराणसी, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और मंगलौर को अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित किया गया है। इन्हें अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित किए जाने के लिए आवश्यक सुविधाएं/अवसंरचना उपलब्ध है। ये सुविधाएं हैं; नामत: मध्यम क्षमता लंबी दूरी वाले विमान या इसके समतुल्य विमान के लिए रनवे दूरी, ग्राउंड लाइटिंग सुविधाओं की उपलब्धता, रात्रि में विमानों के प्रचालन के लिए उपकरण अवतरण प्रणाली, अनुसूचित राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय एयरलाइन प्रचालकों की आवश्यकता/मांग, सीमा शुल्क की उपलब्धता, आप्रवासन, स्वास्थ्य, जीव तथा पौध संगरोध सेवाएं तथा राज्यों (राष्ट्र) के बीच हुए द्विपक्षीय करार, जिसके तहत उन्हें अन्तरराष्ट्रीय प्रचालनों के लिए प्वाइंट ऑफ काल के रूप में पेशकश की गई है।

विवरण

हवाईअड्डों को अन्तरराष्ट्रीय घोषित किए जाने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त अनुरोध।

पूर्वी क्षेत्र

1. गया
2. भुवनेश्वर
3. अगरतला
4. रांची
5. रायपुर
6. बागडोगरा

पूर्वोत्तर क्षेत्र

1. इम्फाल

दक्षिणी क्षेत्र

1. मदुरै
2. विशाखापट्नम

उत्तरी क्षेत्र

1. जम्मू
2. भोपाल
3. इन्दौर
4. औरंगाबाद
5. आगरा

पूर्व प्रधानमंत्रियों के जन्म दिवस और पुण्य तिथि के समारोह

3094. श्रीमती अश्वमेध देवी :
श्री यशवीर सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय पूर्व प्रधानमंत्रियों के जन्म दिवस और पुण्य तिथियों के समारोहों का आयोजन करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत और व्यय की गई निधियों का पूर्व-प्रधानमंत्री-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय द्वारा कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों के जन्मदिवस और पुण्य तिथियों के समारोहों का आयोजन नहीं किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) पूर्व प्रधानमंत्रियों के जन्म दिवस पुण्य तिथियों के समारोहों के लिए न तो प्रथक निधियों का आबंटन किया जाता है और न ही व्यय का रखरखाव होता है। इस उद्देश्य के लिए हुए कुल व्यय का ब्यौरा निम्नवत है:

क्र.सं.	वर्ष	राशि (रुपए)
1.	2009-40	45,43,667
2.	2010-11	32,19,379
3.	2011-12	43,34,570
4.	2012-13 (नवम्बर तक)	64,65,000

(ग) जी हां।

(घ) पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर की जन्म पुण्य तिथियां संबंधित ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाती हैं। समाधि स्थल की साज-सज्जा से संबंधित कार्य की व्यवस्था शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है।

राज्यों के विकास हेतु पैकेज

3095. श्री यशवंत लागुरी :

श्री लक्ष्मण टुडु :
श्री महाबली सिंह :
श्री सुदर्शन भगत :
श्री कीर्ति आजाद :
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्त वर्ष के दौरान कुछ राज्यों को विशेष विकास पैकेज प्रदान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त पैकेज किस आधार पर प्रदान और जारी किया जाता है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ग) वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत मौजूदा कार्यक्रमों/स्कीमों के माध्यम से जब कभी मांग होती हैं, राज्य विशिष्ट आवश्यकता-आधारित विशेष आवंटन किए जाते है। चालू वित्त वर्ष के दौरान ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ सहित राज्यों के लिए अनुमोदित विशेष अनुदान के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वार्षिक राज्य योजनाओं के अंतर्गत 2012-13 के लिए राज्यों को विशेष अनुदान

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य	कुल केन्द्रीय सहायता	जिसमें से		
			एकबारगी एसीए सहायता	विशेष योजना सहायता	बीआरजीएफ/ विशेष सहायता के अंतर्गत विशेष योजना
1	2	3	4	5	6
	विशेष श्रेणी राज्य				
1.	अरुणाचल प्रदेश	3311.24	-	800.00	-
2.	असम	7861.07	-	300.00	-
3.	हिमाचल प्रदेश	3858.72	-	500.00	-
4.	जम्मू और कश्मीर	10497.95	-	2684.00#	-
5.	मणिपुर	3433.57	-	750.00	-
6.	मेघालय	2698.45	-	529.00	-
7.	मिजोरम	2246.68	-	700.00	-

1	2	3	4	5	6
8.	नागालैंड	2689.00	–	518.00	–
9.	सिक्किम	1614.01	–	358.00	–
10.	त्रिपुरा	2919.06	–	450.00	–
11.	उत्तराखंड	5125.61	–	800.00	–
	कुल - एससीएस	46255.36	–	8389.00	–
	सामान्य श्रेणी राज्य				
1.	आंध्र प्रदेश	5892.38	90.00	–	–
2.	बिहार	7173.59	51.00	–	1500.00
3.	छत्तीसगढ़	2694.36	54.00	–	–
4.	गोवा	391.05	70.00	–	–
5.	गुजरात	4410.12	70.00	–	–
6.	हरियाणा	1029.29	42.00	–	–
7.	झारखंड	3973.73	51.00	–	–
8.	कर्नाटक	3413.00	60.00	–	–
9.	केरल	1665.75	96.00	–	–
10.	मध्य प्रदेश	6091.07	70.00	–	625.09
11.	महाराष्ट्र	7799.63	90.00	–	–
12.	ओडिशा	4805.34	50.00	–	250.00
13.	पंजाब	1944.56	144.00	–	–
14.	राजस्थान	3476.95	60.00	–	–
15.	तमिलनाडु	3473.48	160.00	–	–
16.	उत्तर प्रदेश	12254.50	269.56	–	2205.91*

1	2	3	4	5	6
17.	पश्चिम बंगाल	7298.33	141.00	-	2000.00
	कुल जीसीएस	77787.13	1568.56	-	6581.00
	कुल राज्य (28)	124042.49	1568.56	8389.00	6581.00

*कुंभ मेला से संबंधित परियोजनाओं के लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष सहायता पैकेज तथा बुंदेलखंड पैकेज के लिए 1405.91 करोड़ रुपए।

#प्रधानमंत्री की पुनर्संरचना योजना (पीएमआरपी) के अंतर्गत सहायता शामिल।

स्रोत: संबंधित राज्यों की वित्तपोषण स्कीम।

समूह 'ग' और 'घ' में एससी/ एसटी का प्रतिनिधित्व

3096. श्रीमती परमजीत कौर गुलशन : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में ग्रुप 'ग' और 'घ' में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के प्रतिनिधित्व में बेहद कमी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या जब केन्द्र सरकार की सेवाओं में समूह 'ग' और 'घ' में आउटसोर्सिंग अथवा संविदा आधार पर नियुक्ति करते हैं तो आरक्षण नीति लागू होती है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या केन्द्रीय सेवाओं के समूह 'क' और 'ख' में आउटसोर्सिंग/संविदा आधार पर नियुक्ति का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) पिछले वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में कमी नहीं आई है। दिनांक 01.01.2009 तक की स्थिति के अनुसार, समूह 'ग' में केन्द्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16.4% एवं 7.2% था जबकि 01.01.2011 तक की स्थिति के अनुसार, समूह 'ग' में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16.4% एवं 7.7% है। इसी प्रकार, 01.01.2009 तक की स्थिति के अनुसार, पूर्ववर्ती समूह 'घ' में, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 21.6% एवं 6.7% था, जिसमें 01.01.2011 तक की स्थिति के अनुसार, क्रमशः 23% एवं 6.80% तक की वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) ऐसे अनुदेश विद्यमान हैं कि 45 अथवा इससे अधिक दिनों के लिए सभी अस्थायी नियुक्तियों, जिसमें सीधी भर्ती के सभी घटक होते हैं, के लिए आरक्षण लागू है, भले ही वे "संविदा आधार" पर भरे जाएं।

(ङ) और (च) ऐसा कोई प्रस्ताव इस विभाग के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

3097. श्री अशोक कुमार रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए शिक्षक/गैर-शिक्षण कर्मचारियों/

राजपत्रित अधिकारियों (सहायक आयुक्त/प्राचार्य/उपप्राचार्य सहित) के विभिन्न आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक उक्त पदों को नहीं भरने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त अधिकारी तथा कर्मचारी को प्रोन्नति दी गई है या नई नियुक्तियां की गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न श्रेणियों में दी गई प्रोन्नतियों तथा की गई नई नियुक्तियों का वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने विभिन्न पदों की आरक्षित श्रेणियों में भर्ती तथा प्रोन्नति के संबंध में नियमों का अनुपालन किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सितम्बर, 2011 में इस संबंध में सार्वजनिक प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई/करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित शिक्षण तथा गैर-शिक्षण कर्मचारियों/राजपत्रित अधिकारियों के कुछ पद निम्नानुसार रिक्त हैं:-

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या		
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	2	3	4	5
1.	सहायक आयुक्त	2	1	4
2.	अनुभाग अधिकारी	—	1	—
3.	वित्त अधिकारी	—	1	2
4.	तकनीकी अधिकारी	—	—	1
5.	प्रधानाचार्य	12	6	22
6.	उप-प्रधानाचार्य	18	9	—
7.	शिक्षण-स्टाफ	988	494	1778
8.	गैर-शिक्षण स्टाफ	335	167	583
	कुल	1335	679	2390

(ग) इनमें से कुछ पदों को प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति आधार पर भरा जाता है और कोई सीधी भर्ती नहीं होती है। स्नातकोत्तर शिक्षकों (पीजीटी) और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) के मामले में, 50% पदों को प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा और 50% पदों को सीमित विभागीय परीक्षा द्वारा भरा जाता है। रिक्तियों को भरे जाने की सतत प्रक्रिया है।

(घ) और (ङ) वर्ष 2011-12 के लिए पीटीजी तथा शिक्षकों की विविध श्रेणी के पद (अर्थात संगीत शिक्षक, शारीरिक शिक्षा शिक्षक अदि) के लिए नियुक्ति का प्रस्ताव पहले ही जारी कर दिया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए टीजीटी तथा प्राथमिक शिक्षक के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को पहले ही पूरा कर लिया गया है; तथापि, चयनित अभ्यार्थियों के पैनल का प्रचालन न्यायाधीन है। विगत तीन वर्षों के दौरान की गई प्रोन्नतियों और नए नियुक्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) जी, हां। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया गया है कि इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षण नियमों की अनुपालना की जाती है।

(छ) से (झ) इस संबंध में एक अभ्यावेदन, सितंबर, 2011 में प्राप्त हुआ था और इसका उत्तर दे दिया गया है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठनों में भरे गए विभिन्न पद

वर्ष	पद	उपायुक्त	सहायक आयुक्त	प्रशासनिक अधिकारी	प्रधानाचार्य	उप-प्रधानाचार्य	पीजीटी	टीजीटी	पीआरटी	पुस्तकाल-याध्यक्ष	सहायक	प्रवर श्रेणी लिपिक	अवर श्रेणी लिपिक	जूनियर स्टेनो
2009-10	अनुसूचित जाति	-	-	-	06	08	51	162	128	07	01	12	09	01
	अनुसूचित जाति	-	01	-	02	05	20	66	61	03	01	04	03	-
	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	01	-	17	-	89	167	232	13	01	07	10	03
2010-11	अनुसूचित जाति	-	-	01	03	20	20	37	140	04	24	16	13	-
	अनुसूचित जाति	-	-	-	01	08	06	15	69	02	12	05	06	-
	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	-	05	-	44	65	252	08	01	10	25	-
2011-12	अनुसूचित जाति	-	-	-	18	04	85	64	05	19	03	09	-	-
	अनुसूचित जाति	-	-	-	09	02	36	32	02	10	02	02	-	-
	अन्य पिछड़ा वर्ग	-	-	-	33	-	155	114	09	35	-	-	-	-
	कुल	01	02	01	94	47	506	722	898	101	45	65	66	04

[अनुवाद]

साइबर कानून में संशोधन

3098. श्री निशिकांत दुबे :
श्री वरुण गांधी :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को विकसित देशों में अधिक सुस्थापित साइबर कानून के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा की गयी/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है;

(ग) क्या देश में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध बढ़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या साइबर अपराध प्रकोष्ठों में महिला पुलिस स्कन्ध बनाने की बहुत आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम क्या हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 को 27.10.2009 से सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है। संशोधन में भारतीय दंड संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंध शामिल हैं तथा यह अधिनियम विकसित देशों में स्थापित साइबर कानूनों के समान एक व्यापक कानून है।

(ग) और (घ) महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध के कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 2009, 2010 तथा 2012 के वर्षों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/ट्रांसमिशन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत पंजीकृत मामलों की संख्या क्रमशः 139,328 तथा 496 थी जो वृद्धि का रूख दर्शाता है।

(ङ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

निःशुल्क राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा

3099. श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री नारनभाई कछाड़िया :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में मोबाइल उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले रोमिंग प्रभारों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मोबाइल उपभोक्ताओं से लिये जाने वाले राष्ट्रीय रोमिंग प्रभारों को समाप्त करने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टेलीकॉम ऑपरेटरों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय रोमिंग प्रभारों से हुए घाटे की पूर्ति टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा एसटीडी कॉल में वृद्धि द्वारा किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटरों द्वारा कॉल प्रभार नहीं बढ़ाये जाएं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं के लिए दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 44वें संशोधन के तहत प्रशुल्क की अधिकतम दर निर्धारित की है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

आउटगोइंग लोकल कॉल : 1.40 रुपए प्रति मिनट

आउटगोइंग एसटीडी	:	2.40 रुपए प्रति मिनट
इनकमिंग कॉल	:	1.75 रुपए प्रति मिनट
रोमिंग के लिए मासिक अभिगम प्रभार	:	शून्य

सेवा प्रदाताओं द्वारा फिलहाल ऑफर की गई रोमिंग प्रशुल्क दर ट्राई द्वारा निर्धारित अधिकतम प्रशुल्क दरों से कम है। राष्ट्रीय रोमिंग सेवाओं हेतु लागू सामान्य दर निम्नलिखित हैं:

आउटगोइंग लोकल कॉल	:	1 रुपए प्रति मिनट
आउटगोइंग लंबी दूरी कॉल	:	1.50 रुपए प्रति मिनट
इनकमिंग कॉल	:	1 रुपए प्रति मिनट

जबकि अधिकांश प्रचालकों द्वारा ऑफर की गई उपर्युक्त दरें मानक रोमिंग प्रभार दर हैं, तथापि रोमिंग, ग्राहकों के लिए कुछ विशिष्ट प्रशुल्क प्लान भी हैं जिनके अंतर्गत लोकल/एसटीडी कॉलों के लिए प्रति मिनट रोमिंग कॉल प्रभारों की न्यूनतम दर 0.60 रुपए है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2012 (एनटीपी-12) में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(i) "एक राष्ट्र - पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी" लक्ष्य को प्राप्त करना तथा "एक राष्ट्र निशुल्क रोमिंग" की दिशा में कार्य करना।

(ii) पूरे देश में कहीं भी जाने-आने पर रोमिंग प्रभार को समाप्त करने के उद्देश्य से रोमिंग प्रभारों की समीक्षा करना।

अल्पावधि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक वर्ष तथा मध्यमावधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु तीन वर्षों की अवधि के भीतर विस्तृत नीतिगत ढांचा लागू किया जाएगा।

(ङ) और (च) फिलहाल, दूरसंचार सेवाओं के प्रशुल्क (एसटीडी कॉलों के प्रशुल्क सहित) का निर्धारण सेवा प्रदाताओं के विवेक पर छोड़ दिया गया है, जिनमें फिक्सड लाइन ग्रामीण उपभोक्ताओं के मामले में किराया, मुफ्त कॉल शुल्क तथा लोकल कॉल प्रभार, रोमिंग सेवाएं तथा पट्टेशुदा परिपथों के लिए प्रभार शामिल नहीं हैं। ट्राई द्वारा निर्धारित प्रशुल्क ढांचे के अंतर्गत प्रचालकों को यह छूट है कि वे बाजार परिस्थितियों तथा वाणिज्यिक दृष्टिकोण के मद्देनजर भिन्न-भिन्न प्रशुल्कों का ऑफर कर सकते हैं।

जिला स्तरीय कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी सलाहकार सेवा

3100. श्री अनंत कुमार : क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान, वर्ष-वार और राज्य-वार जिला स्तरीय कृषि-मौसम विज्ञान संबंधी सलाहकार सेवा के संबंध में कुल कितनी धनराशि स्वीकृति और व्यय की गई;

(ख) इस सेवा के उपयोगकर्त्ताओं की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या मौसम विज्ञान संबंधी जारी की गई सलाहों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतें किस प्रकार की हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) के दौरान जिला स्तरीय कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सेवा प्रदान करने हेतु "एकीकृत कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सेवा (एएएएस)" के कार्यान्वयन के लिए 43.54 करोड़ रुपए का अनुदान नियत किया गया था। जिसमें से 2009-10 के दौरान 4.46 करोड़ रुपए, 2010-11 के दौरान 8.23 करोड़ रुपए तथा 2011-12 के दौरान 6.28 करोड़ रुपए खर्च कि गए। वर्ष 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान किए गए खर्च का राज्य-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) इस परियोजना के तहत एसएमएस तथा आईवीआरएस (इंटीग्रेटेड वॉइस रेस्पांस सिस्टम) सहित बहु-चैनल प्रसारण रीतियों के साथ-साथ सार्वजनिक तथा निजी संगठनों नामत: इफको किसान संचार लिमिटेड (आईकेएसएल), रायटर्स मार्केट लाइट (आरएमएल),

वृत्ति सॉल्यूशंस, नोकिया टूल्स, हैंडिगो तथा कृषि विभाग, महाराष्ट्र सरकार के जरिये देश में किसानों को फसल तथा स्थान-वैशिष्टय वाली कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सूचनाएं सफलतापूर्वक उपलब्ध कराई जा रही है। उपर्युक्त सेवा प्रदाताओं द्वारा एमएमएस तथा आईवीआरएस के माध्यम से जारी की गई कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सेवाओं को 2009-10 में 11,40,623 किसानों, 2010-11 में 22,80,091 किसानों तथा 2011-12 में 33,20,793 किसानों द्वारा प्राप्त किया गया। इस सेवा को प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या का राज्य-वार तथा वर्ष-वार विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। व्यापक प्रसारण माध्यमों (रेडियो, टीवी तथा प्रिंट मीडिया), इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों को कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सूचनाएं भी प्रसारित की जा रही हैं। इसकी उपयोगिता के बारे में वर्ष 2010 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर), नई दिल्ली द्वारा किए गए स्वतंत्र सर्वेक्षण से यह पता चला है कि एकीकृत कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सेवा से 24% किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ग) देश के विभिन्न भागों में स्थित 130 एग्रोमेट फील्ड यूनिटों (एएमएफयू) से जारी की गई कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सूचनाओं के संबंध में किसान जागरूता कार्यक्रमों, राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकों, किसान मेला तथा किसान क्लब के दौरे तथा आईवीआरएस, एफएक्यू इत्यादि के माध्यम से परस्पर संवाद के द्वारा किसानों से ऑब्जेक्टिव फीडबैक के रूप में शिकायतें प्राप्त की गई हैं।

(घ) ऑब्जेक्टिव फीडबैक में निम्नलिखित शामिल है:

(i) मौसम पूर्वानुमान की परिशुद्धता के साथ-साथ 5 दिन से अधिक के विस्तारित अवधि पूर्वानुमान की मांग

(ii) उप-जिला पैमाने की विशिष्ट परामर्शी सूचना

(iii) बागवानी फसलों, पशुधन, मात्स्यिकी, मुर्गी पालन इत्यादि जैसे नये क्षेत्रों को कवर करने के लिए परामर्शी सूचना सेवाएं जारी करना ताकि बाहरी पहुंच का और भी अधिक विस्तार किया जा सके।

उपर्युक्त को ध्यान में रखकर, परामर्शी सूचना सेवाओं को प्रयोगिक आधार पर ग्राहक अनुकूल बनाकर जिला स्तर से ब्लॉक स्तर का बनाने के लिए XII पंचवर्षीय योजना के दौरान "ग्रामीण कृषि मौसम सेवा" को कार्यान्वित करने के प्रयास किए गए हैं।

विवरण-I

जिला स्तरीय कृषि-मौसम वैज्ञानिक परामर्शी सेवा के तहत राज्य-वार तथा वर्ष-वार व्यय की गई कुल राशि

(रुपयों)

क्र. सं.	राज्यों के नाम	2009-10 के दौरान व्यय की गई राशि	2010-11 के दौरान व्यय की गई राशि	2011-12 के दौरान व्यय की गई राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1901752	2577030	1238886
2.	असम	2133252	1409773	2001375
3.	बिहार	694674	416738	381870
4.	छत्तीसगढ़	1260696	1256294	2555730
5.	गुजरात	1226511	4704277	3256933
6.	हरियाणा	3181881	6377309	6194533
7.	हिमाचल प्रदेश	3128488	7524996	2633774
8.	झारखंड	709485	1565937	354932
9.	जम्मू और कश्मीर	2038742	1252644	2217684
10.	कर्नाटक	2750382	4400291	5271852
11.	केरल	5189794	1220105	2731640
12.	महाराष्ट्र	1699596	2516206	4080261
13.	मध्य प्रदेश	2118794	2254653	2886753
14.	नई दिल्ली	386939	405790	485024
15.	पूर्वोत्तर क्षेत्र	1592959	3286802	2769256
16.	ओडिशा	924960	4625364	537242

1	2	3	4	5
17.	पंजाब	1469853	1670513	3051849
18.	राजस्थान	2592567	3371524	3276663
19.	तमिलनाडु	2550972	5984981	3949771
20.	उत्तर प्रदेश	1202185	4172281	2643609
21.	उत्तराखंड	634898	713838	300812
22.	पश्चिम बंगाल	1670998	515585	1341731
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	331211	225572	534271
24.	वार्षिक समीक्षा बैठक	498000	498000	497000
25.	अनुसंधान और विकास परियोजनाएं	2088200	3150000	5411808
26.	आई एम डी पुणे तथा दिल्ली में किया गया व्यय	677500	16243000	2236000
	कुल	44655289	82339503	62841259

विवरण-II

एस.एम.एस तथा आई.वी.आर.एस. सेवा प्राप्त कर रहे किसानों की राज्य-वार संख्या वर्ष 2009-10

राज्य	आर.एम.एल	हैंडिगो	इफको	वृत्ति	महराष्ट्र राज्य सरकार	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	0	0	57961			57961
बिहार + झारखंड	0	0	6219			6219
मध्य प्रदेश + छत्तीसगढ़	0	0	39910			39910
गुजरात	16144	400	6145			22689
पंजाब	43334	750	27439			71523
हरियाणा	20556	700	101699			122955
महाराष्ट्र	119116	500	45902	2300	26000	193818
पश्चिम बंगाल	104	700	5981			6785
हिमाचल प्रदेश	0	0	17994			17994

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	0	0	49327			49327
ओडिशा	0	0	8276			8276
राजस्थान	0	0	77162			77162
तमिलनाडु	0	0	68422			68422
उत्तर प्रदेश + उत्तराखंड	0	0	353205			353205
केरल	0	0	44377			44377
कुल योग	199254	3050	910019	2300	26000	1140623

वर्ष 2010-11

राज्य	आर.एम.एल	हैंडिगो	इफको	वृत्ति	नोकिया	महराष्ट्र राज्य सरकार	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	0		61298		45000		106298
बिहार + झारखंड	0		200329		0		200329
मध्य प्रदेश + छत्तीसगढ़	0		84466		35000		119466
गुज़रात	34451		46336		50000		130787
पंजाब	54260		24392		35000		113652
हरियाणा	23154	240000	32458		0		295612
महाराष्ट्र	142780		35345	3930	80000	200000	462055
पश्चिम बंगाल	1625		27599				29224
हिमाचल प्रदेश	0		8178		0		8178
कर्नाटक	0		60815		40000		100815
ओडिशा	0		73729		0		73729
राजस्थान	0		94963		35000		129963

1	2	3	4	5	6	7	8
तमिलनाडु	0		34005		50000		84005
उत्तर प्रदेश + उत्तराखंड	0		279768		105000		384768
केरल	0		16210		25000		41210
कुल योग	256270	240000	1079891	3930	500000	200000	2280091

वर्ष 2011-12

राज्य	आर.एम.एल	इफको	नोकिया	राज्य विभाग	हैंडिगो	कुल
आंध्र प्रदेश	38156	95376	88768	-	-	222300
बिहार + झारखंड	17033	252957	76766	-	-	346756
मध्य प्रदेश + छत्तीसगढ़	22400	39050	40272	-	-	101722
गुजरात	35014	47563	69233	-		372810
पंजाब	27836	16030	36054	-		79920
हरियाणा	22582	35284	67683	-	221000	125549
महाराष्ट्र	97335	48354	113690	325409		584788
पश्चिम बंगाल	2639	38235	51192	-		92066
हिमाचल प्रदेश	223	7269	8752	-	-	16244
कर्नाटक	5072	132877	64246	-	-	202195
ओडिशा	1132	178001	29491	-	-	208624
राजस्थान	47763	86076	50846	-	-	184685
तमिलनाडु	6553	101174	95781	-	-	203508
उत्तर प्रदेश + उत्तराखंड	64251	328855	131642	-	-	524748
केरल	-	5256	49622	-	-	54878
कुल योग	387989	1412357	974038	325409	221000	3320793

[हिन्दी]

मध्याह्न भोजन योजना में अध्यापकों का शामिल होना

3101. श्री प्रेमदास :
श्री विश्व मोहन कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के स्थान पर पूरा दिन विद्यालय के छात्रों के लिए भोजन को तैयार करने और उन्हें खिलाने में ही व्यतीत कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या मध्याह्न भोजन योजना से छात्रों का शैक्षणिक स्तर में सुधार होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर दुष्प्रभाव न पड़े, स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन (एमडीएम) पकाने और परोसने के लिए 25.48 लाख रसोइया-सह-सहायकों को नियोजित किया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि (i) नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि (ii) पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी, और (iii) विशेष रूप से समाज के अल्प-सेवित वर्गों के बच्चों की कक्षा-कक्ष में लगने वाली भूख और अल्प पोषण को दूर करके, मध्याह्न भोजन योजना ने प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। वर्ष 2001-11 तक की अवधि के दौरान भारत की प्रभावी साक्षरता दर 9.21 प्रतिशत बढ़कर 74.04 प्रतिशत हो गई है। स्कूल न जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता कम हुई है जो 2005 में 6.9 प्रतिशत से घटकर 2009 में 4.2 प्रतिशत रह गई है और पुरूष-महिला साक्षरता के बीच अंतर 2001 में 21.59 प्रतिशत से घटकर 2011 में 16.68 प्रतिशत रह गया है।

[अनुवाद]

बीएसएनएल और एमटीएनएल कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

3102. श्री पी.सी. गद्दीगौदर : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार व्यय घटाने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों की भारी कमी होने पर सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों इकाइयां अपने कार्यों का प्रबंधन कैसे करेंगी;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की प्रत्येक इकाई में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या कितनी है और इन अतिरिक्त नियुक्तियों का औचित्य क्या है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र की इन इकाइयों के कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की वर्तमान स्थिति इकाई-वार क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) दूरसंचार विभाग को बीएसएनएल और एमटीएनएल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम (वीआरएस) के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों उपक्रमों (पीएसयू) ने जनशक्ति संबंधी व्ययों में कमी लाने के उद्देश्य से अपने-अपने प्रस्ताव तैयार किए हैं। बीएसएनएल और एमटीएनएल के वीआरएस प्रस्ताव में कर्मचारियों की संख्या में क्रमश: 1,00,000 और 21,000 की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के ये दोनों उपक्रम सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग करके और मौजूदा व्यावसायिक परिस्थितियों के साथ ताल-मेल बिठाते हुए अपनी व्यापारिक प्रक्रियाओं को इस प्रकार सुव्यवस्थित करेंगे कि जिसके चलते ये दोनों उपक्रम अपने कम किए हुए स्टाफ से अपने कार्यों का प्रबंधन करने में सक्षम हों।

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान, बीएसएनएल ने 48 उप महाप्रबंधकों (डीजीएम), 628 कनिष्ठ लेखा अधिकारियों (जेएओ), 4171 कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारियों (जेटीओ) और 7213 दूरसंचार तकनीकी सहायकों (टीटीए) की भर्ती की है। ये नियुक्तियां बीएसएनएल की आवश्यकता से अधिक नहीं हैं।

एमटीएनएल ने विगत पांच वर्षों के दौरान 235 कार्यकारियों की नियुक्ति की है। एमटीएनएल ने केवल उन प्रमुख क्षेत्रों में भर्ती की है जहां पदों के प्रति पेशेवर अर्हता प्राप्त कार्मिकों को तैनात किया जाना है।

(घ) वर्तमान में, बीएसएनएल और एमटीएनएल में कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम प्रचालन में नहीं है।

[हिन्दी]

विदेश से धन आना

3103. डॉ. बलीराम : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रवासी भारतीयों द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भेजे गये धन का देश-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाले धन से संबंधित विदेशी मुद्रा नीति को आसान बनाने का विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्राप्त हुई धन राशि निम्नानुसार है:-

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

वर्ष	सकल	शुद्ध
2009-10	53,636	51,791
2010-11	55,618	53,125
2011-12	66,129	63,469
अप्रैल-जून 2012	17,455	16,808

(ख) और (ग) सरकार ने प्रवासी भारतीयों द्वारा प्रेषणों को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

- बैंकों को, रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से कितनी भी टाई-अप व्यवस्था करने और रूपी ड्राइंग अरेन्जमेंट (आरडीए) के अधीन कितनी भी ड्राई ब्रांचेज रखने की अनुमति है, बशर्ते कि उसके पास साउंड जोखिम प्रबंध प्रणाली हो और वोस्ट्रो एकाउंट में अप्रकट ओवरड्राफ्ट्स से बचने के लिए निधियों की स्थिति की नियमित मानीटरिंग होती हो।

- प्रेषणों की लागत को न्यूनतम करने के लिए, अनिवासी भारतीयों को उनके लिए उपलब्ध विकल्पों पर, सुग्राही बनाने के लिए बैंकों को "जागरूकता कार्यक्रमों" का आयोजन करने की सलाह दी गई है। यह लागत निर्धारण को और अधिक पारदर्शी बनाएंगे।

- बैंकों को प्रेषणों की वर्तमान लागत को न्यूनतम करने के लिए उनके मौजूदा स्केल आफ चार्जेज, विदेशी और घरेलू दोनों पक्षों पर, समीक्षा करने की सलाह भी दी गई है। अनिवासी भारतीय प्रेषणों की लागत को न्यूनतम करने के लिए, बैंकों को, इंफ्रास्टक्चर को बेहतर बनाने और भारत में बैंकों के बीच इंटरसिटी सेटलमेंट के लिए इलेक्ट्रानिक पेमेंट तंत्र के स्कोप को विस्तावित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

- बड़े बैंकों को कुशलता और बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए केन्द्रीकृत प्रेषण प्राप्तकर्ता केंद्रों को स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा, वे प्रेषणों की पहचान स्वतंत्र बिजनेस सेगमेंट के रूप में कर सकते हैं और कम लागत पर बड़ी राशि हैंडल करने के लिए उद्यतन प्रौद्योगिकी का सहारा ले सकते हैं, और मौजूदा और नए केंद्रों में और कारोस्पोन्डेंट बैंकों के साथ टाइ-अप्स का पता लगा सकते हैं।

- रूपी ड्राइंग अरेन्जमेंट (आरडीए) के अंतर्गत एक्सचेंज हाउसों को भारत में संपर्क कार्यालय (एलओज) खोलने की अनुमति दी गई है। ये एलओज, लागत-प्रभावी तरीके से लाभार्थियों के पक्ष में डिमांड ड्राफ्टस जारी कर सकते हैं।

- नान-डिमांड डिपाजिट अकाउंट (डीडीए) के अंतर्गत समानान्तर अपेक्षा के लिए अवधि को 30 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है, जिसे या तो किसी कैश डिपोजिट या एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित बैंक से एक बैंक गारंटी के रूप में रखा जा सकता है।

- स्पीड रेमीटेंस अरेंजमेंट के अंतर्गत समानान्तर की अपेक्षा को 3 दिन से घटाकर 1 दिन रेमीटेंस कर दिया गया है।

- एक्सचेंज हाउसेस के लिए समानान्तर अपेक्षा, जिन्होंने संचालन के 3 वर्ष पूरे नहीं किए हैं, को 1 महीने से घटाकर 7 दिन का रेमीटेंस कर दिया गया है।

[अनुवाद]

शहरों में लोगों का आना

3104. **श्री हमदुल्लाह सईद : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लोगों को शहरों और नगरों की तरफ पलायन करने के क्या कारण है; और

(घ) इस समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए है/किए जा रहे है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली के स्लमों में जनसंख्या वृद्धि का पता लगाने के लिए कोई सर्वे नहीं किया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार आर्थिक गतिविधियों और रोजगार अवसरों की उपलब्धता शहरों और कस्बों की ओर लोगों के पलायन का मुख्य कारण हैं।

(घ) दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में शहर के नियोजित विकास के लिए नीति की व्यवस्था है तथा इसमें निम्नलिखित त्रिआयामी कार्यनीति शामिल है:—

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कस्बों में जनसंख्या को बसने के लिए प्रोत्साहित करना;

(ii) पुनर्विकास के माध्यम से मौजूदा शहरी सीमाओं में क्षेत्र की जनसंख्या समाहित होने की क्षमता में वृद्धि करना; और

(iii) वर्तमान शहरी सीमाओं का आवश्यक सीमा तक विस्तार करना।

विद्यालयों में भेदभाव

3105. **श्री एंटो एंटोनी :**
श्री एम.के. राघवन :
श्री नवीन जिंदल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा का अधिकार के तहत विद्यालयों में भर्ती हुए दलित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र केन्द्र सरकार का राज्यों को सुधारात्मक उपाय करने और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना करने के लिए सख्त दिशानिर्देश देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों से मिली सूचना के आधार पर ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्यों ने कमजोर वर्गों, दलित और लाभ से वंचित वर्गों के छात्रों की सुरक्षा के लिए ऐसे तंत्र की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये अथवा उठाये जा रहे कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत निजी स्कूलों में दाखिल अपवंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के साथ भेदभाव की छिट-पुट मीडिया रिपोर्टें मिली हैं। जांच एवं सुधारामक कार्रवाई के लिए इस प्रकार के मामले केन्द्र सरकार द्वारा तत्काल संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भेज दिए जाते हैं।

(ग) आरटीई अधिनियम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) द्वारा बाल अधिकारों की मानीटरिंग करने और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों/शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरणों (आरईपीए) की स्थापना की है तथा विकेन्द्रित शिकायत निवारण प्रणालियां स्थापित की हैं।

(घ) भारत सरकार ने स्कूलों में अपवंचित समूहों और कमजोर वर्गों के बच्चों के साथ भेदभाव न करने के बारे में आरटीई अधिनियम की धारा 8 और 9 के खंड (ग) को लागू करने के लिए सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 26 अक्तूबर, 2012 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो मंत्रालय की वेबसाइट mhrd.vov.in पर उपलब्ध हैं जिससे राज्य सरकारें और स्थानीय प्राधिकरण सभी स्कूलों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठा सकें।

दलितों और जनजातियों हेतु कम आबंटन

3106. **श्री असादुद्दीन ओवेसी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट और शासन उत्तरदायित्व केन्द्र (सीबीजीए) ने टिप्पणी की है कि मंत्रालयों द्वारा कम आबंटन किए जाने के कारण दलितों और जनजातियों निधियों के अपने प्राप्य हिस्से से वंचित होती रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने दलितों और जनजातियों हेतु विभिन्न मंत्रालयों द्वारा किए जाने वाले वार्षिक व्यय की सिफारिश करने के लिए एक कृतिक बल का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय समिति की सिफारिशों का अनुपालन कर रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ङ) बजट और शासन उत्तरदायितव केन्द्र (सीबीजीए) ने कहा है कि केन्द्रीय बजट 2012-13 में अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) और जनजातीय उप योजना (टीएसपी) हेतु उद्दिष्ट योजनागत आवंटन, कुल योजनागत बजट का क्रमश: 9.49 प्रतिशत और 5.55 प्रतिशत है। योजना आयोग द्वारा डॉ. नरेन्द्र जाधव, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित किए गए कार्यदल ने अपनी सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के तहत योजना निधि के आनुपातिक आवंटन के लिए 28 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) के तहत निधियां उद्दिष्ट करने के लिए 25 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की पहचान की है। कार्यदल द्वारा यथा-चिह्नित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा एससीएसपी और टीएसपी के लिए किया गया आवंटन, केन्द्रीय बजट 2011-12 और 2012-13 में व्यय बजट खंड । के क्रमश: विवरण 21 और 21 'क' में दिया गया है।

उड़ानों का रद्द किया जाना

3107. **श्री भर्तृहरि महताब** :
श्री संजय धोत्रे :
श्री पी.सी. गद्दीगौदर :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकार तथा निजी एयरलाइनों द्वारा उड़ानों को अनिर्धारित रद्द किए जाने के मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं, जिनसे यात्रियों को परेशानी होती है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान एयरलाइन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन अनिर्धारित रद्दीकरणों के चलते राजकोष को कितनी राजस्व की हानि हुई है; और

(घ) सरकार/डीजीसीए द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। सामान्यत: अनुसूचित एयरलाइनें अपनी उड़ानें यथा अनुमोदित प्रचालित करती हैं। तथापि, कभी-कभी उड़ानें ऐसे तकनीकी, प्रचालनिक, वाणिज्यिक, मौसम संबंधी और विविध कारणों की वजह से विलंबित/रद्द कर दी जाती हैं, जो एयरलाइनों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। रद्द की गई उड़ानों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ऐसी सूचना मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बोर्डिंग से मना करने, उड़ानों को रद्द करने और उड़ानों में विलंब की वजह से एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में नागर विमानन अपेक्षाएं (सीएआर), सेक्शन-3, सीरीज-एम, पार्ट-IV जारी की हैं, जो डीजीसीए की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों द्वारा इनका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है।

विवरण

पिछले एक वर्ष के दौरान रद्द हुई उड़ानें

	नवंबर-11	दिसंबर-11	जनवरी-12	फरवरी-12	मार्च-12	अप्रैल-12	मई-12	जून-12	जुलाई-12	अगस्त-12	सितंबर-12	अक्टूबर-12
एअर इंडिया	271	361	442	359	320	462	316	182	282	144	207	302
जेट एयरवेज	61	190	163	85	114	75	97	75	156	372	205	34
जेट लाइट	31	85	69	13	77	18	236	42	54	85	45	7
किंग फिशर	208	139	123	221	262	107	115	115	212	175	133	-
स्पाइस जेट	32	50	105	94	106	29	68	113	173	113	235	360
गो एअर	7	48	70	17	13	4	14	34	47	24	24	11
इंडिगो	4	61	61	14	15	5	8	6	15	35	64	19
एअर मंत्र	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	44	74

हज हेतु निजी पर्यटन प्रचालक

3108. **श्री समीर भुजबल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान सरकारी कोटे तथा निजी टूर ऑपरेटरों के कोटे से राज्य-वार कितने हज यात्रियों ने हज किया है;

(ख) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में निजी टूर आपरेटरों को अनुमति नहीं दी है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यही तर्क अन्य राज्यों हेतु ऐसे कोटे की अनुमति देने में/नहीं देने में लागू किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में निजी टूर आपरेटरों को कोटे के आवंटन में सरकार का क्या रूख है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) हज-2012 के दौरान भारत की हज समिति के जरिए 1,25,064 हजयात्रियों ने और प्राइवेट और ऑपरेटरों (पीटीओ) के जरिए 47,980 हज यात्रियों ने हज यात्रा पूरी की। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 23 जुलाई, 2012 के अंतरिम आदेशानुसार, सरकार का विवेकाधिकार हज कोटा 500 सीटों तक निर्धारित किया गया था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। वर्ष 2012 हज पीटीओ नीति पीटीओ सहित सभी स्टेक होल्डरों के समग्र अनुभवों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी थी। हज सीटें वर्ष 2012 नीति के अनुसार पात्र प्राइवेट टूर ऑपरेटरों को आबंटित की गयी थीं। इस नीति को और इस नीति के अनुसार पीटीओ हेतु सीटों का आबंटन माननीय उच्चतम न्यायालय ने अनुमोदित किया था।

(घ) माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्देशों के अनुसार हज-2013 हेतु पीटीओ नीति का प्रारूप शीघ्र ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है।

विवरण-I

हज-2012 के दौरान भारतीय हज समिति के जरिए यात्रा पर गए हजयात्रियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य	यात्रा पर गए हजयात्रियों की संख्या (सरकारी कोटे सहित)
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार निकोबार	61
2.	आंध्र प्रदेश	7515
3.	असम	3288
4.	बिहार	6190
5.	चंडीगढ़	54
6.	छत्तीसगढ़	437
7.	दादरा और नगर हवेली	17
8.	दमन और दीव	33
9.	दिल्ली	1823
10.	गोवा	137
11.	गुजरात	5005
12.	हरियाणा	1426
13.	हिमाचल प्रदेश	179
14.	जम्मू और कश्मीर	8749
15.	झारखंड	3262
16.	कर्नाटक	6955

1	2	3
17.	केरल	8446
18.	लक्षद्वीप	313
19.	मध्य प्रदेश	4117
20.	महाराष्ट्र	11159
21.	मणिपुर	372
22.	ओडिशा	793
23.	पुदुचेरी	145
24.	पंजाब	409
25.	राजस्थान	5154
26.	तमिलनाडु	3694
27.	त्रिपुरा	63
28.	उत्तर प्रदेश	32525
29.	उत्तराखंड	1085
30.	पश्चिम बंगाल	11658
	कुल	125064

विवरण-II

प्राइवेट टूर ऑपरेटर (पीटीओ) के जरिए हज-2012 के दौरान यात्रा पर गए हजयात्रियों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	हजयात्रियों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20
2.	आंध्र प्रदेश	2192
3.	असम	92
4.	बिहार	153
5.	छत्तीसगढ़	71
6.	चंडीगढ़	24
7.	दमन और दीव	1
8.	दिल्ली	637
9.	गोवा	39
10.	गुजरात	7864
11.	हिमाचल प्रदेश	3
12.	हरियाणा	69
13.	जम्मू और कश्मीर	1013
14.	झारखंड	46
15.	कर्नाटक	2478
16.	केरल	15154
17.	लक्षद्वीप	41
18.	महाराष्ट्र	9925
19.	मेघालय	4
20.	मणिपुर	13
21.	मध्य प्रदेश	1066
22.	ओडिशा	38
23.	पंजाब	6
24.	पुदुचेरी	24

1	2	3
25.	राजस्थान	1372
26.	तमिलनाडु	3808
27.	उत्तराखंड	29
28.	उत्तर प्रदेश	1553
29.	पश्चिम बंगाल	245
	कुल	47980

47980 में 17 शिशु शामिल हैं, अत: कुल पीटीओ वयस्क=47963

टिप्पणी: 47963 में फैज-ए-हुसैनी ट्रस्ट, मुंबई शामिल है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

3109. श्री मनोहर तिरकी :
श्री नृपेन्द्र नाथ राय :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) तथा उनमें अध्ययनरत छात्रों की संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी है;

(ख) देश में केजीबीवी खोलने के मानदंड क्या हैं;

(ग) इस योजना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और बीपीएल लड़कियों का नामांकन अनुपात राज्य-वार क्या है;

(घ) क्या इन विद्यालयों में अल्पसंख्यक छात्राओं का अनुपात काफी कम है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(छ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान केजीबीवी खोलने हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए/स्वीकृत किये गये और निकट भविष्य में ऐसे कितने विद्यालय खोले जाने की संभावना है; और

(ज) उपर्युक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपर्युक्त योजना के लिए आवंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ज) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (ेजीबीवी) की स्वीकृति शैक्षिक रूप से पिछड़े ऐसे ब्लॉकों (ईबीबी) में दी जाती है जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से नीचे है बशर्ते कि ऐसे आवासीय विद्यालय शैक्षिक रूप से पिछड़े केवल उन्हीं ब्लॉकों में बनाए जाएं जिनमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अथवा जनजातीय कार्य मंत्रालय की किसी अन्य योजना के अंतर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए कोई आवासीय विद्यालय नहीं है। देश में चल रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और उनमें पढ़ने वाली बालिकाओं की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है। योजना के अंतर्गत नामांकित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और बीपीएल बालिकाओं की प्रतिशतता का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I के कॉलम 5-9 में दिया गया है। दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार केजीबीवी में नामांकित बालिकाओं में से 9.18 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों की बालिकाओं के कम नामांकन के मुख्य कारण सामाजिक-आर्थिक कारण और उन्हें आवासीय स्कूलों में भेजने में समुदाय की अनिच्छा हैं। बालिकाओं में प्रारंभिक शिक्षा के संवर्द्धन के लिए अन्य बातों के साथ-साथ बालिकाओं की स्कूलों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए आस-पड़ोस में स्कूल खोलना, महिला-शिक्षकों सहित अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, नि:शुल्क वर्दियां, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय, पोषण के स्तर में सुधार हेतु मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के साथ संकेन्द्रण में स्कूलों में/स्कूलों के निकट बाल्यकाल पूर्व देखभाल एवं शिक्षा केन्द्र, शिक्षकों को बालक-बालिकाओं के प्रति संवेदनशील बनाना, बालक-बालिका संवेदी शिक्षण अधिगम सामग्री तथा बालिका शिक्षा के संवर्द्धन के लिए गहन सामुदायिक लामबंदी के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं।

वर्ष 2009-10 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले जाने के लिए कोई नए प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे। वर्ष 2010-11 और 2011-12 में क्रमश: 999 और 31 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और भारत सरकार द्वारा इन सभी को मंजूरी दे दी गई थी। वर्तमान वर्ष में प्राप्त हुए 34 प्रस्तावों में से केवल 9 प्रस्ताव मंजूर किए गए थे क्योंकि विभिन्न राज्यों में अपूर्ण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का बकाया (बैकलॉग) था। पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के लिए आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

विवरण-I

देश में कार्यरत के.जी.बी.वी की संख्या और उनमें पढ़ने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, मुसलमान छात्रों की प्रतिशतता

क्र. सं.	राज्य	क्रियाशील केजीबीवी की संख्या	कुल नामांकित बालिकाएं	कुल नामांकन में अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.वि., मुस्लिम और बीपीएल बालिकाओं का नामांकन (% में)				
				अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.वि.	मुस्लिम	बीपीएल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	743	112951	25.22	26.34	22.42	4.47	16.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	5550	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	50	2650	5.70	32.42	19.58	40.68	0.00
4.	बिहार	502	44701	45.15	6.22	27.50	14.24	6.89
5.	छत्तीसगढ़	93	9277	17.70	58.86	22.04	0.27	1.13
6.	दादरा और नगर हवेली	1	39	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	88	6688	7.43	38.26	49.19	1.90	0.00
8.	हरियाणा	9	1629	17.43	0.00	20.56	48.80	11.48
9.	हिमाचल प्रदेश	10	425	36.71	22.82	1.41	1.88	37.18
10.	जम्मू और कश्मीर	95	4911	7.37	10.75	1.53	72.61	7.74
11.	झारखंड	203	19332	14.91	44.23	25.28	6.08	8.21
12.	कर्नाटक	71	7436	32.07	14.56	30.74	6.91	15.59
13.	मध्य प्रदेश	207	28083	16.11	56.21	23.33	0.34	3.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	महाराष्ट्र	43	4258	20.41	40.77	14.87	2.75	18.04
15.	मणिपुर	5	464	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
16.	मेघालय	10	474	0.00	99.16	0.21	0.63	0.00
17.	मिजोरम	1	100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
18.	नागालैंड	11	1100	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
19.	ओडिशा	182	18093	24.43	52.71	21.28	0.57	0.96
20.	पंजाब	22	1165	68.67	0.00	15.54	1.55	2.83
21.	राजस्थान	200	17487	28.67	30.09	30.71	6.77	3.76
22.	सिक्किम	1	202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	तमिलनाडु	61	4293	24.25	21.87	51.32	2.05	0.00
24.	त्रिपुरा	9	800	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	746	66915	44.20	1.13	35.65	8.15	10.49
26.	उत्तराखंड	28	1135	44.93	7.84	19.56	1.23	25.20
27.	पश्चिम बंगाल	89	6361	31.99	31.27	10.66	16.11	9.97
	सकल योग	3528	366519	28.88	26.30	25.84	7.31	9.81

विवरण-II

योजना हेतु आबंटित निधियां

क्र.सं.	राज्य	आवंटित निधियां (लाख रुपए)			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	12021.8	14964.2	83557.7	60690.14
2.	अरुणाचल प्रदेश	1021.95	1201.83	1522.11	3484.13

1	2	3	4	5	6
3.	असम	1063.60	848.71	1604.86	1396.48
4.	बिहार	12785.2	14811.5	24518.6	22012.94
5.	छत्तीसगढ़	2359.05	2785.21	2652.52	2553.75
6.	दादरा और नगर हवेली	71.47	37.56	35.22	34.21
7.	गुजरात	2755.39	2666.36	6036.30	4918.84
8.	हरियाणा	324.12	450.88	4187.29	4193.32
9.	हिमाचल प्रदेश	142.60	147.220	139.50	137.95
10.	जम्मू और कश्मीर	4001.35	4360.48	4927.33	5741.87
11.	झारखंड	6712.66	6464.48	5933.89	6056.69
12.	कर्नाटक	2332.00	1928.69	2418.82	4653.18
13.	मध्य प्रदेश	8162.93	6892.25	15083.1	10427.41
14.	महाराष्ट्र	2455.92	1497.05	2072.65	2397.19
15.	मणिपुर	25.47	83.24	162.55	1698.25
16.	मेघालय	77.48	80.55	278.60	694.77
17.	मिजोरम	25.47	28.02	27.27	27.25
18.	नागालैंड	96.94	172.18	1914.86	1965.74
19.	ओडिशा	4454.66	6256.26	7191.06	8061.11
20.	पंजाब	31.94	406.79	2089.89	1782.03
21.	राजस्थान	5985.69	5894.03	6284.55	5961.78
22.	सिक्किम	0.00	0.00	479.001	524.93
23.	तमिलनाडु	1189.71	1793.68	1969.25	1543.21
24.	त्रिपुरा	91.32	249.15	373.92	204.36

1	2	3	4	5	6
25.	उत्तर प्रदेश	23343.61	19929.88	43864.38	29164.29
26.	उत्तराखंड	585.91	435.91	716.57	543.87
27.	पश्चिम बंगाल	1559.80	2838.96	3624.56	3068.75
	कुल	93726.88	97225ए18	223666.5	183938.44

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का पुनर्गठन

3110. **श्री जोस के. मणि** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के प्रस्तावित युक्तिकरण से प्रमुख योजनाओं जैसे मनरेगा, आईसीडीएस, मध्याह्न भोजन योजना और सर्व शिक्षा अभियान को अधिक धन मिलेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र प्रायोजित मौजूदा योजनाओं की पुनर्गठन योजना तैयार करने के लिए गठित बी.के. चतुर्वेदी समिति ने अपना अंतिम प्रतिवेदन दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके अंतिम प्रतिवेदन कब तक देने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) बी.के. चतुर्वेदी समिति की सिफारिश के अनुसार, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव का उद्देश्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लचीलेपन, व्यापकता तथा दक्षता में वृद्धि करना है और इसमें विभिन्न स्कीमों के लिए निधियों का आवंटन शामिल नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के पुनर्गठन के मुद्दे को देखने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित बी.के. चतुर्वेदी समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर, 2011 को प्रस्तुत कर दी है। समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्य के साथ मौजूदा 147 केन्द्र केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को तर्कसंगत बनाकर 59 में तब्दील करना; केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के वास्तविक तथा वित्तीय मानदंडों में सभी राज्यों को लचीलापन प्रदान करना ताकि राज्य सरकारें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें; बजट आवंटन में सभी फ्लैगशिप योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत और अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए 20 प्रतिशत निर्धारित कर ''फ्लेक्सी निधि'' की शुरूआत करना जिसका उपयोग राज्य सरकारें केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की उप-योजनाओं अथवा घटक पर कर सकें जिसके लिए संबंधित मंत्रालयों को दिशानिर्देश अधिसूचित करना चाहिए; राज्यों को निधियों के अंतरण हेतु कार्यप्रणाली में सुधार करना ताकि राज्य बजटों के माध्यम से धीरे-धीरे अंतरण कर राज्यों का पूर्ण उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जा सके; संबंधित मंत्रालय तथा स्वतंत्र मूल्यांकन के माध्यम से केन्द्र-प्रायोजित योजनाओं का नियमित मॉनीटरण; तथा राज्यों के अनुभवों को जानने के लिए इंटरेक्टिव वेबसाइट तथा प्रामाणिक डेटाबेस का सृजन करना शामिल हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ध्रुव हेलिकाप्टर

3111. **श्री आर. थामराईसेलवन** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानिदेशक नागर विमानन (डीजीसीए) ने स्वदेशी ध्रुव हेलिकाप्टरों की उड़ानें बंद कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डीजीसीए ने निर्माताओं से डीजीसीए द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राज्य सिविल सेवाओं में प्रोन्नति

3112. **श्री प्रेमचन्द गुडडू :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राज्य प्रशासनिक सेवाधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रोन्नति देने हेतु आरक्षण का लाभ नहीं दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के राज्य प्रशासनिक सेवाधिकारियों की नियुक्ति करके उन्हें प्रोन्नति तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा में लाने के लिए बकाया रिक्तियों को मंजूरी देने की संभावना है;

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में नियुक्ति, आई.ए.एस. (पदोन्नति पर नियुक्ति) विनियमावली, 1955 द्वारा अभिशासित होती है। इन विनियमों में, भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति पर नियुक्ति के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

निदेशक मंडल की नियुक्ति

3113. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवरत्न और मिनिरत्न कंपनियों के निदेशक मंडलों में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की नियुक्ति के स्थान पर विशेषज्ञता प्राप्त/विशेषज्ञों की नियुक्ति के कोई प्रयास किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) जी, हां।

सरकारी निदेशकों के अतिरिक्त, केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम बोर्ड (नवरत्न मिनिरत्न कंपनियों सहित) में कार्यात्मक तथा गैर-सरकारी निदेशक शामिल होते हैं। कार्यात्मक निदेशकों का चयन लोक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) क माध्यम से किया जाता है। सरकारी अधिकारी भी (भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा सहित) तत्काल आमेलन आधार पर अर्थात सरकारी नौकरी त्यागने के पश्चात्, कार्यात्मक निदेशक के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीईएसबी, साक्षात्कार लिए गए अभ्यर्थियों की प्रबंधकीय क्षमता, नेतृत्व, व्यापक दृष्टिकोण, ट्रैक रिकार्ड पर विशेष जोर देते हुए उनके कार्यनिष्पादन को ध्यान में रखते हुए, कार्यात्मक निदेशकों की रिक्तियों के लिए पैनल की अनुशंसा करता है। इस प्रकार, केवल अपने संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञ/विशेषता प्राप्त व्यक्ति का ही चयन होने की संभावना रहती है। केवल विरल और आपवादिक मामलों में, जब पीईएसबी को उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं मिल पाते, तब पद को, प्रतिनियुक्ति आधार पर, सरकारी अधिकारियों से भरने की अनुमति दी जाती है।

गैर-सरकारी निदेशक, लोक उद्यम विभाग की सर्च समिति की सिफारिश के आधार पर नियुक्त किए जाते है। वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के अतिरिक्त, अपेक्षित योग्यता

एवं अनुभव रखने वाले सीपीएसई के पूर्व-मुख्य कार्यकारी, शेड्यूल 'ए' सीपीएसई के पूर्व कार्यात्मक निदेशक, शिक्षाविद, व्यावसायिक, उद्योग, व्यवसाय, कृषि अथवा प्रबंधन क्षेत्र के अच्छे ट्रेक रिकार्ड वाले व्यक्ति, भी सीपीएसई के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशक के रूप में विचार किए जाने हेतु पात्र हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, निजी कंपनियों के पूर्व/वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) एवं निदेशक भी, कुछ निश्चित शर्तों के अध्यधीन, सीपीएसई के बोर्ड के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने हेतु पात्र हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र को बहुत व्यापक रखा गया है तथा चयन केवल सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तक सीमित नहीं है।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) इस भाग का उत्तर भाग (क) और (ख) के उत्तर में शामिल है।

[अनुवाद]

निधियों का आबंटन

3114. श्री संजय निरुपम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए महाराष्ट्र को आबंटित राशि/निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2013-14 हेतु उक्त पाठ्यक्रमों हेतु प्रस्तावित/आबंटित निधि कितनी है;

(ग) उन राज्यों का महाविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(घ) इस संबंध में अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार, वर्ष 2012-13 के दौरान व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु महाराष्ट्र में कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के लिए 23.0 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की है और 20.70 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

(ख) वर्ष 2013-14 हेतु उक्त कार्यक्रम के लिए आबंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए कॉलेज-वार निधियों का ब्यौरा वेबसाइट www.ug.ac.in पर उपलब्ध है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि ऐसा ब्यौरा उपलब्ध नहीं है क्योंकि स्कीम का कार्यान्वयन केवल इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है।

हवाई अड्डों पर प्रस्थान स्लाटों की नीलामी

3115. श्री आनंदराव अडसुल :
डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय देश के सभी हवाई अड्डों पर प्रस्थान स्लाटों का आबंटन करता है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्थान स्लाट आबंटन में डीजीसीए क्या मानदंड अपनाता है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रस्थान स्लाटों की नीलामी पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा घरेलू एयरलाइनों की प्रचालन लागत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस संबंध में कोई नीति/दिशा-निदेश तैयार करने का या समिति गठित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त समिति की क्या सिफारिशें हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, नहीं। आयटा के विश्व स्लॉट दिशा-निदेशों (डब्ल्यू.एस.जी) की तर्ज पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के सार संबंधित हवाईअड्डा प्रचालकों यथा यदि

हवाईअड्डों का प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा किया जाता है तो एएआई तथा संयुक्त उद्यम कंपनी प्रचालकों द्वारा स्लॉट आवंटित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रायोगिक आधार पर व्यस्ततम घंटों के दौरान खाली पड़े स्लॉटों को नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

देश के प्रमुख हवाईअड्डों पर विमान यातायात में वृद्धि होने से कुछ हवाईअड्डों की क्षमता कम हो गयी है। इसलिए, हवाईअड्डा अवसंरचना के सर्वाधिक दक्षता से प्रयोग सुनिश्चित करने तथा अधिकतम संख्या में हवाईअड्डा प्रयोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए, यह आवश्यकता महसूस की गई कि एयरलाइनों तथा अन्य विमान प्रचालकों को पारदर्शी तथा समान कार्याविधि के माध्यम से सीमित या कम हवाईअड्डा क्षमता के आवंटन के लिए नीति बनाई जाए ताकि हवाईअड्डा तथा विमान परिवहन प्रचालनों की व्यवहार्यता को सुनिश्चित किया जा सके।

इस नीलामी प्रणाली का उद्देश्य यह है कि जहां पर्याप्त अवसंरचना की कमी के कारण क्षमता की कमी हो, उन हवाईअड्डों पर व्यस्ततम समय में रिक्त पड़े स्लॉटों का पारदर्शी तथा समान कार्याविधि के माध्यम से आवंटन एवं उपयोग करने के लिए हवाईअड्डा अवसंरचना का सर्वाधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इस प्रणाली से एयरलाइनों की प्रचालनिक लागत पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ङ) और (च) सरकार द्वारा स्लॉट आवंटन के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों को पहले ही बनाया/घोषित किया जा चुका है।

यू.के. में प्रवेश से पूर्व भारतीयों की जांच

3116. **श्री नित्यानन्द प्रधान : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीयों के लिए तपेदिक की जांच को यू.के. के लिए वीजा जारी होने हेतु यू.के. सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी शर्तें अन्य देशों द्वारा निर्धारित की गयी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) से (घ) यू.के. की सरकार ने मई, 2012 में घोषणा की कि कतिपय देशों के आवेदक, जो छह महीने से अधिक समय के लिए यू.के. का दौरा करना चाहते हैं, उन्हें अपना वीजा आवेदन करने से पहले एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि वे संक्रामक टीबी से मुक्त हैं। भारत 67 देशों की सूची में शामिल रहा है, जो टीबी की घटनाओं वाली मौजूदा 15 देशों की सूची में जोड़े गए हैं। यह नई प्रवेश पूर्व जांच अनिवार्यता कुछ अपवादों के साथ केवल उनके लिए लागू है, जो 6 महीने से अधिक समय के लिए यू.के. में प्रवेश हेतु वीजा के लिए आवेदन करेंगे।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमरीका ने भी टीबी जांच से संबंधित कतिपय शर्तें रखी हैं।

(ङ) इस मामले के संबंध में भारत की चिंता को 1 जून, 2012 को नई दिल्ली में संपन्न भारत-यू.के. विदेश कार्यालय परामर्शों के अंतिम दौर के दौरान यू.के. की सरकार के साथ उठाया गया है।

[हिन्दी]

पॉलीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला

3117. **श्री उदयनराजे भोंसले : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों में दाखिले में कमी आयी है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार की कोई योजना ऐसे संस्थानों में दाखिले की संख्या में कमी को रोकने की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। पॉलीटेक्निक और इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले में कमी पूरे देश में लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में है। दाखिलों की संख्या में यह कमी पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव और कुछ संस्थानों में संकाय की कमी के कारण आई है।

(ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई) ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे उनके संबद्ध राज्यों में तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए भावी योजना उपलब्ध कराएं। एआईसीटीई को अभी तक किसी भी राज्य सरकार से ऐसी कोई भी भावी योजना प्राप्त नहीं हुई है।

डीडीए पार्कों की बुकिंग

3118. **श्री महाबल मिश्रा : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेंट माफिया दिल्ली विकास प्राधिकरण के मैदानों की अग्रिम बुकिंग कराकर स्वयं के द्वारा उपभोक्ताओं को उच्च दरों पर बुकिंग कराने पर मजबूर करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बुकिंग को बिचौलिया मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/जा रहे हैं ताकि आम आदमी को सस्ती कीमत पर समारोह आयोजित करने का अवसर मिले?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभाग द्वारा उसके ग्राउंड बुक किए जाते हैं। तथापि, प्रेस और विभिन्न स्रोतों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि टैंट स्वामी विभिन्न व्यक्तियों के नाम डीडीए स्थल बुक कराते हैं जिससे लोगों को असुविधा होती है।

(ग) डीडीए ने यह भी सूचित किया है कि उसने लोगों के लिए दिनांक 7-11-2012 से अपने ग्राउंडों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू की है। डीडीए ग्राउंड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट www.dda.org.in है। इस प्रणाली का उद्देश्य समारोह स्थलों की बुकिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा आम जन को किफायती लागत पर समारोह आयोजित करने का अवसर उपलब्ध कराना भी है।

[अनुवाद]

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नि:शक्त बच्चे

3119. **प्रो. रंजन प्रसाद यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नि:शक्त बच्चों के लिए किए गए उपबंध कई स्कूलों में लागू नहीं किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन उपबंधों को लागू करने की राह में कौन सी बाधाएं हैं;

(ग) क्या ऐसे विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करने का कोई कार्यक्रम है जो ऐसे विशेष जरूरत वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने में विशेषज्ञ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों, जिसमें नि:शक्तता वाले बच्चे शामिल हैं, के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अधिनियम में पड़ोस के स्कूल में समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की गई है, रैंपों के निर्माण की अपेक्षा की गई है तथा यह अधिदेश दिया गया है कि स्कूलों को बाधामुक्त बनाया जाए। आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत गैर-सहायता प्रापत निजी स्कूलों में कक्षा-I में 25 प्रतिशत प्रवेश के लिए नि:शक्तता वाले बच्चों को पात्र भी बनाया गया है।

(ख) नि:शक्त बच्चों की पहचान करना, अध्यापकों को प्रशिक्षित करके शिक्षा प्रणाली को समावेशी और समेकित बनाना, सतत मूल्यांकन और अध्यापन पद्धतियों का अद्यतनीकरण इस प्रक्रिया में सामने आने वाली कुछ बड़ी चुनौतियां हैं।

(ग) से (ङ) सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत, जो आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन में सहायता के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना है, नि:शक्त बच्चों के लिए समेकित एवं समावेशी शिक्षा

के संबंध में सभी सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, नि:शक्तता वाले बच्चों के साथ काम करने के लिए तकनीकी दृष्टि से अर्हताप्राप्त 17,721 संसाधन अध्यापकों को नियुक्त किया गया है तथा समावेशी शिक्षा में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए 4435 संसाधन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों का खोला जाना

3120. श्रीमती कमला देवी पटले :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :
श्री जगदीश सिंह राणा :
श्री अशोक कुमार रावत :
श्री सज्जन वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यशील केन्द्रीय विद्यालयों (के.वी.) तथा उनमें पढ़ रहे विद्यार्थियों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल में के.वी. के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं परिणाम क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में खोले गये के.वी. की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ङ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित के.वी. का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(च) देश के पिछड़े एवं जरूरतमंद क्षेत्रों में के.वी. खोलने के लिए तैयार की जा रही/तैयार की जाने वाली कार्य योजना क्या है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) देश में 1086 केन्द्रीय विद्यालय (केवी) कार्य कर रहे हैं। केन्द्रीय विद्यालयों तथा उनमें उध्ययन कर रहे विद्यार्थियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन(केवीएस) स्कीम की व्यापक समीक्षा का कार्य दिनांक 6 फरवरी, 2009 के आदेश के माध्यम से भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), बंगलौर को सौंपा गया था। भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर ने दिनांक 15 फरवरी, 2011 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड (बीओजी) ने भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर की सिफारिशों पर विचार किया है तथा अपनी बैठक में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के प्रत्युत्तर का मूल्यांकन किया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में तथा वर्तमान वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थानवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) से (छ) केन्द्रीय विद्यालय, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से निर्धारित प्रपत्र में व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने तथा उनके द्वारा अपेक्षित संसाधनों के प्रति प्रतिबद्धता अनुज्ञा-पत्र देने के आधार पर खोले जाते हैं। तथापि, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन के अध्यधीन नए केन्द्रीय विद्यालय का खोला जाना निधियों की उपलब्धता तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निर्भर करता है।

विवरण-I

दिनांक 30.09.2012 तक राज्य-वार नामांकन की स्थिति

क्र. सं.	राज्य का नाम	कुल केवी की संख्या	बालक	बालिका	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1391	1275	2666

1	2	3	4	5	6
2.	आंध्र प्रदेश	53	27997	25437	53434
3.	अरुणाचल प्रदेश	14	4012	3757	7769
4.	असम	55	24784	19984	44768
5.	बिहार	45	23905	16128	40033
6.	चंडीगढ़ राज्य संघ क्षेत्र	5	4700	3484	8184
7.	छत्तीसगढ़	26	13529	11086	24615
8.	दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	2	763	533	1296
9.	दिल्ली	43	56700	39840	96540
10.	गोवा	5	2463	2006	4469
11.	गुजरात	44	21066	14465	35531
12.	हरियाणा	28	16809	12086	28895
13.	हिमाचल प्रदेश	23	7319	5443	12752
14.	जम्मू और कश्मीर	37	15185	11459	26644
15.	झारखण्ड	32	15226	11469	26595
16.	कर्नाटक	39	26561	22682	49243
17.	केरल	35	25304	24003	49307
18.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	1	115	96	211
19.	मध्य प्रदेश	92	52431	38446	90877
20.	महाराष्ट्र	56	39825	30691	70516
21.	मणिपुर	7	2592	2252	4844
22.	मेघालय	7	2781	2221	5002
23.	मिजोरम	4	751	683	1434

1	2	3	4	5	6
24.	नागालैंड	5	959	792	1761
25.	ओडिशा	53	22542	18218	40760
26.	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	4	1464	1454	2918
27.	पंजाब	48	25371	19573	44944
28.	राजस्थान	64	35224	24419	59643
29.	सिक्किम	2	580	437	1017
30.	तमिलनाडु	40	24463	21679	46142
31.	त्रिपुरा	9	2754	2324	5078
32.	उत्तर प्रदेश	105	81573	57233	138806
33.	उत्तराखंड	43	21960	16960	38920
34.	पश्चिम बंगाल	55	35122	27475	62597
	सकल योग	1086	638850	490574	1129424

विवरण-II

107 संस्वीकृत केन्द्रीय विद्यालयों (दिनांक 26.11.2012 की स्थिति के अनुसार) में से वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सिविल/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों के नामों को दर्शाने वाली सूची

वर्ष	क्र.सं.	राज्य	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	क्षेत्र
1	2	3	4	5
2009-10	1.	—	शून्य	—
2010-11	2.	आंध्र प्रदेश	नालगोंडा, जिलर-नालगोंडा	सिविल
	3.	असम	तामुलपुर, जिला-बक्सा	सिविल
	4.	असम	उदलगिरी, जिला-उदलगिरी	सिविल

1	2	3	4	5
	5.	बिहार	औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद	सिविल
	6.	बिहार	हरनौत, जिला-नालंदा	सिविल
	7.	छत्तीसगढ़	सीआईएसएफ, भिलाई, जिला-दुर्ग	सिविल
	8.	दिल्ली	खिचड़ीपुर, जिला-पूर्वी दिल्ली	सिविल
	9.	गुजरात	एएफएस दर्जीपुरा, जिला-बड़ौदा	रक्षा
	10.	हिमाचल प्रदेश	बंगाना, जिला-ऊना	सिविल
	11.	जम्मू और कश्मीर	बीएसएफ सुंदरबनी, जिला-राजौरी	सिविल
	12.	जम्मू और कश्मीर	बीएसएफ हम्हामा, जिला-बडगाम	सिविल
	13.	जम्मू और कश्मीर	अमीनू, जिला-कुलगाम	सिविल
	14.	झारखंड	साहिबगंज, जिला-साहिबगंज	सिविल
	15.	केरल	कांहागढ़, जिला-कासरगोड	सिविल
	16.	केरल	चेन्नीरकारा, जिला-पथनामथिट्टा	सिविल
	17.	केरल	केपीए, रामवरमपुरम, जिला-थिशुर	सिविल
	18.	केरल	एझीमाला, जिला-कन्नूर	रक्षा
	19.	केरल	सीआरपीएफ पेरिंगोम, जिला-कन्नूर	सिविल
	20.	कर्नाटक	कोप्पल, जिला-कोप्पल	सिविल
	21.	मध्य प्रदेश	सीआरपीएफ, बंगरसिया, जिला-भोपाल	सिविल
	22.	मध्य प्रदेश	उमरिया, जिला-उमरिया	सिविल
	23.	मध्य प्रदेश	रायसेन, जिला-रायसेन	सिविल
	24.	मध्य प्रदेश	बेतुल, जिला-बेतुल	सिविल
	25.	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर, जिला-बुरहानपुर	सिविल
	26.	मध्य प्रदेश	हर्दा, जिला-हर्दा	सिविल

1	2	3	4	5
	27.	महाराष्ट्र	सीआरपीएफ, तेलीगांव, जिला-पुणे	सिविल
	28.	महाराष्ट्र	नांदेड़, रेलवे कैंपस, जिला-नांदेड़	सिविल
	29.	महाराष्ट्र	बीएसएफ चाकूर, जिला-लातूर	सिविल
	30.	मिजोरम	चम्फाई, जिला-चम्फाई	सिविल
	31.	ओडिशा	कुतरा, जिला-सुंदरगढ़	सिविल
	32.	ओडिशा	सं.2, कटक, जिला-कटक	सिविल
	33.	ओडिशा	भांजानगर, जिला-गंजम	सिविल
	34.	ओडिशा	मुरगाबदी, जिला-मयूरभंज	सिविल
	35.	ओडिशा	सोनेपुर, जिला-सुबरनपुर	सिविल
	36.	ओडिशा	जिला-देवगढ़	सिविल
	37.	ओडिशा	जयपुर, जिला-जयपुर	सिविल
	38.	ओडिशा	दीगपहांडी, जिला-गंजम	सिविल
	39.	ओडिशा	आसका, जिला-गंजम	सिविल
	40.	ओडिशा	नौपाड़ा, जिला-नौपाड़ा	सिविल
	41.	ओडिशा	सीआईएसएफ, मुंदाली, जिला-कटक	सिविल
	42.	पंजाब	सीआरपीएफ, सरायखास, जिला-जालंधर	सिविल
	43.	पंजाब	बीएसएफ भिकीविंड, जिला-अमृतसर	सिविल
	44.	पंजाब	बीएसएफ फाजिलका, जिला-फिरोजपुर	सिविल
	45.	पंजाब	बीएसएफ, अमरकोट, जिला-अमृतसर	सिविल
	46.	पंजाब	बीएसएफ केएमएस वाला, जिला-फिरोजपुर	सिविल
	47.	पंजाब	मोहाली, जिला-एसएएस नगर मोहाली	सिविल
	48.	पुदुचेरी	कराईकल, जिला-कराईकल	सिविल

1	2	3	4	5
	49.	राजस्थान	बीएसएफ रामगढ़, जिला-जैसलमेर	सिविल
	50.	राजस्थान	बीएसएफ कैम्पस, रायसिंहनगर	सिविल
	51.	राजस्थान	खेतरी नगर, जिला-झुनझुनू	सिविल
	52.	राजस्थान	देवगढ़, जिला-राजसमंद	सिविल
	53.	राजस्थान	बीएसएफ खाजुवाला, जिला-बीकानेर	सिविल
	54.	तमिलनाडु	विरूधुनगर, जिला-विरूधुनगर	सिविल
	55.	तमिलनाडु	पेराम्बलूर, जिला-पेराम्बलूर	सिविल
	56.	त्रिपुरा	बीएसएफ तालियामुरा, खासियामंगल	सिविल
	57.	त्रिपुरा	जीसीसीआरपीएफ अगरतला	सिविल
	58.	उत्तर प्रदेश	सीआरपीएफ, इलाहाबाद, जिला-इलाहाबाद	सिविल
	59.	उत्तर प्रदेश	एटा, जिला-एटा	सिविल
	60.	उत्तर प्रदेश	चेरो, सलेमपुर, जिला-देवरिया	सिविल
	61.	उत्तर प्रदेश	महोबा, जिला-महोबा	सिविल
	62.	उत्तर प्रदेश	हाथरस, जिला-महामायानगर	सिविल
	63.	उत्तराखंड	बागेश्वर, जिला-बागेश्वर	सिविल
	64.	उत्तराखंड	गोपेश्वर, जिला-चमोली	सिविल
	65.	पश्चिम बंगाल	बीएसएफ कृष्णा नगर, जिला-नादिया	सिविल
	66.	पश्चिम बंगाल	बीएसएफ रानीनगर, जलपाईगुड़ी	सिविल
	67.	पश्चिम बंगाल	बीएसएफ गांधीनगर, जिला-कूचबेहर	सिविल
	68.	पश्चिम बंगाल	तारकेश्वर, जिला-हूगली	सिविल
	69.	पश्चिम बंगाल	बोलपुर, जिला-बीरभूम	सिविल
	70.	पश्चिम बंगाल	बीएसएफ अराधपुर, जिला-मालदा	सिविल

1	2	3	4	5
	71.	पश्चिम बंगाल	बीएसएफ बैकुंडपुर, जिला-जलपाईगुड़ी	सिविल
	72.	मध्य प्रदेश	मलनखंड, जिला-बालाघाट	सिविल
	73.	हरियाणा	भाकली, जिला-रेवाड़ी	सिविल
	74.	मध्य प्रदेश	सं.2 सतना, जिला-सतना	सिविल
	75.	मध्य प्रदेश	सं.2 छिंदवाड़ा, जिला-छिंदवाड़ा	सिविल
	76.	पंजाब	रियोना ऊचा, जिला-फतेहगढ़ साहिब	सिविल
	77.	पंजाब	उभावल, जिला-संगरूर	सिविल
	78.	कर्नाटक	देवांगिरी, जिला-देवांगिरी	सिविल
	79.	असम	रंगिया, एन.एफ. रेलवे, जिला-कामरूप	सिविल
	80.	बिहार	सीआरपीएफ झाफन, जिला-मुजफ्फरपुर	सिविल
	81.	ओडिशा	नयागढ़, जिला-नयागढ़	सिविल
	82.	ओडिशा	बरीमुल, जिला-केन्द्रपाड़ा	सिविल
	83.	गुजरात	फ्रीलैंड गंज रेलवे कालोनी, दाहोद, जिला-दाहोद	सिविल
	84.	कर्नाटक	शिमोगा, जिला-शिमोगा	सिविल
	85.	आंध्र प्रदेश	कोथूरू, जिला-नेल्लोर	सिविल
	86.	ओडिशा	खरियार, जिला-नौपाड़ा	सिविल
	87.	ओडिशा	सं.5 कलिंग नगर, भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा	सिविल
	88.	ओडिशा	सं.6 पोखरीपुट, भुवनेश्वर, जिला-खुर्दा	सिविल
	89.	ओडिशा	महुलदिया, रायरंगपुर, जिला-मयूरभंज	सिविल
2011-12	1.	बिहार	कास्ट व्हील प्लान बेला, जिला-सारन	सिविल
	2.	कर्नाटक	कृष्णराजापुरम, डिजल लोको शेड कालोनी, जिला-बंगलौर	सिविल
	3.	मध्य प्रदेश	टिकमगढ़, जिला-टिकमगढ़	सिविल

1	2	3	4	5
	4.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर, जिला-ललितपुर	सिविल
	5.	उत्तर प्रदेश	इटावा, जिला-इटावा	सिविल
	6.	राजस्थान	इंदरपुरा, जिला-झुनझुनू	सिविल
	7.	अरुणाचल प्रदेश	ट्यूरिंग, जिला-अपर सियांग	सिविल
	8.	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट, जिला-चित्रकूट	सिविल
	9.	राजस्थान	टोंक, जिला-टोंक	सिविल
	10.	आंध्र प्रदेश	करीम नगर, जिला-करीमनगर	सिविल
	11.	पंजाब	भुंगा, जिला-होशियारपुर	सिविल
	12.	केरल	पलायड थलसेरी, जिला-कन्नूर	सिविल
	13.	छत्तीसगढ़	बीसीपीपी, कोरबा, (कन्वर्टिड फ्राम प्रोजेक्ट टू सिविल)	सिविल
	14.	दिल्ली	शकूरबस्ती, जिला-पश्चिम पंजाबी बाग	सिविल
	15.	छत्तीसगढ़	राजनंद गांव, जिला-राजनंद गांव	सिविल
	16.	बिहार	महाराजगंज, जिला-सिवान	सिविल
2012-13	1.	हिमाचल प्रदेश	घुमरवीं, जिला-बिलासपुर	सिविल
	2.	जम्मू और कश्मीर	जौरियन, जिला-अखनूर	सिविल
	3.	मध्य प्रदेश	चोराई, जिला-छिंदवाड़ा	सिविल

[अनुवाद]

आई.ए./ए.आई. में स्टॉफ की संख्या

3121. **श्री पी. करुणाकरण :**
श्री विलास मुत्तमेवार :
श्री जगदीश शर्मा :
श्री ए.टी. नाना पाटील :
श्री रुद्रमाधव राय :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एअर इंडिया एवं एअर इंडिया परिवहन सेवा लि. (एआईएटीएसएल) तथा एअर इंडिया चार्टस लि. (एआईसीएल) सहित इसकी अनुषंगी कंपनियों में वर्तमान समय में कुल स्टॉफ संख्या वर्ग-वार कितनी है;

(ख) क्या एअर इंडिया एवं इसकी अनुषंगी कंपनियों में स्टॉफ की कोई कमी या अधिकता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ग-वार ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इन रिक्तियों

को भरने के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों की वर्ग-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या एअर इंडिया/इसकी अनुषंगी कंपनियां/एआईएटीएसएल/एआईसीएल सेवानिवृत्ति की उम्र के पश्चात भी कर्मचारियों के अनुबंध का नवीकरण करती है तथा क्या नियमित पदों पर अपने चयन के बाद भी कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा आधार पर की जाती है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) उपर्युक्त के संबंध में तथा ए.आई. को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया एक्सप्रैस (एआईइ) और एअर इंडिया एयर ट्रांस्पोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की श्रेणीवार कर्मचारी क्षमता क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में दी गई है।

(ख) और (ग) एअर इंडिया ने 2009 से 147 प्रशिक्षु पायलटों की भर्तियां की हैं। एअर इंडिया लिमिटेड में स्टाफ की कोई कमी नहीं है। एअर इंडिया एक्सप्रैस में, 24 कमांडरों और 36 फर्स्ट ऑफिसरों की कमी है। एअर इंडिया एक्सप्रैस में 2009 से अब तक 11 कर्मचारी भर्ती किए जा चुके हैं।

एआईएटीएसएल में श्रेणीवार कमी संलग्न विवरण-III में दी गई है। श्रेणी-वार/वर्ष-वार भर्ती से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) और (ङ) एअर इंडिया में, भर्ती का स्वरूप तात्कालिक/अत्यंत महत्वपूर्ण होने की स्थिति में ही कर्मचारियों को अधिवर्षिता के बाद संविदा आधार पर नियोजित किया जाता है जो कि कुल क्षमता का महज 0.2 प्रतिशत है।

एअर इंडिया एक्सप्रैस में कर्मचारियों की नियुक्ति नियमि आधार के साथ-साथ नियत अवधि संविदा आधार पर की जाती है। अधिवर्षिता होने पर, डीजीसीए के विनियमों के अनुसार पायलटों को 65 वर्ष की आयु तक संविदा आधार पर नियोजित किया जाता है। नियमित पदों के लिए चयनित कर्मचारियों को नियमित आधार पर नियुक्त किया जाता है।

एआईएटीएसएल में, अधिवर्षिता की आयु के पश्चात किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति नियत अवधि संविदा आधार पर नहीं की जाती है।

(च) सरकार समय-समय पर एअर इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों के प्रचालनिक और वित्तीय निष्पादन की समीक्षा करती है। कंपनी की कायाकल्प योजना और वित्तीय पुनर्संरचना योजना के कार्यान्वयन पर भी एक निगरानी समिति द्वारा नजर रखी जा रही है। प्रचालनिक और वित्तीय निष्पादन में सुधार के लिए किए गए कुछ उपायों में मानव संसाधन एकीकरण, वेतन संरचना का यौक्तिकरण, वेतन संबंधी बकायों का भुगतान, पायलटों और केबिन कर्मीदल के लिए एफडीटीएल का कार्यान्वयन आदि शामिल हैं।

विवरण-I

दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार एअर इंडिया लिमिटेड की श्रेणीवार कर्मचारी क्षमता

पायलट (एक्जीक्यूटिव श्रेणी सहित)	1496
इंजीनियर (एक्जीक्यूटिव श्रेणी सहित)	1404
एक्जीक्यूटिव और सामान्य श्रेणी के अधिकारी	4825
केबिन कर्मीदल (एक्जीक्यूटिव संवर्ग श्रेणी सहित)	2981
तकनीशियन/सर्विस इंजीनियर	3297
सामान्य श्रेणी के कर्मचारी	11878
कुल योग	25881

विवरण-II

एअर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड

30 नवंबर 2012 को कर्मचारियों की कुल संख्या

सार

कर्मचारियों की कुल संख्या	कुल
1	2

एआईसीएल

स्थायी	235

1	2
संविदागत	1011
अस्थायी	33
प्रतिनियुक्ति पर	1
संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारी	20
कुल योग	1300

स्थायी कर्मचारी

पदनाम	कुल
वरिष्ठ एएमई	39
एएमई-I	7
वरिष्ठ लेखा सहायक	1
उप मुख्य अभियंता	10
एयरक्राफ्ट मैकेनिक-I	82
एयरक्राफ्ट मैकेनिक	22
हैंडीमैन	1
प्रबंधक सुरक्षा (स्थानापन्न)	1
सुरक्षा सहायक	21
सुरक्षा पर्यवेक्षक (स्थानापन्न)	1
कैप्टन	45
कैप्टन (प्रशिक्षण)	4
सह-पायलट	1
कुल	235

अस्थायी कर्मचारी

पदनाम	कुल
अस्थायी प्रशासनिक सहायक	1
अस्थायी कस्टमर एजेंट	2
अस्थायी हवाई संरक्षा अधिकारी	6
अस्थायी सहायक - क्रू शैड्यूलिंग	3
अस्थायी सहायक प्रबंधक - क्रू शैड्यूलिंग	3
अस्थायी सहायक प्रबंधक	2
अस्थायी प्रबंधक - क्रू शैड्यूलिंग	1
अस्थायी अधिकारी - प्रचालन	3
अस्थायी अधिकारी - ऑपरेशंस क्रू शैड्यूलिंग	3
अस्थायी सहायक अधिकारी - एचआर	1
अस्थायी प्रचालन अधिकारी-आईटी	2
अस्थायी प्रचालन सहायक-आईटी	2
प्रशिक्षण प्रचालन-फ्लाइट डिस्पैच	1
अस्थायी स्टोर्स ऑफिसर	1
अस्थायी क्रू शैड्यूलिंग ऑफिसर	1
अस्थायी सुपरवाइजर - वित्त	1
कुल	33

संविदागत कर्मचारी

पदनाम	कुल
1	2
एयरलाइन अटेंडेंट इंचार्ज	33

1	2
सीनियर एयरलाइन अटेंडेंट	32
एयरलाइन अटेंडेंट	436
एयरलाइन अटेंडेंट (वाइड बॉडी)	455
समन्वय प्रबंधक	1
सह पायलट	20
प्रशिक्षु सह पायलट	10
प्रशिक्षु कैप्टन	1
ड्यूटी ऑफिसर	4
वाणिज्यिक अधिकारी	3
प्रशिक्षु उड़ान संरक्षा अधिकारी	3
प्रशिक्षु तकनीकी अधिकारी	12
कुल	1011

संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मचारी

पदनाम	कुल
1	2
सलाहकार - केबिन क्रू शैड्यूलिंग	1
क्वालिटी मैनेजर	1
क्वालिटी ऑडिट मैनेजर	1
मैनेजर - एडमिन	1
मैनेजर - केबिन क्रू शैड्यूलिंग	3
एक्जीक्यूटिव ऑफिसर - आईआर	1
ऑफिसर - ऑपरेशंस	1

1	2
ऑफिसर - एचआर	1
मैनेजर-प्रशिक्षण/केबिन क्रू शैड्यूलिंग	1
सहायक प्रबंधक-वित्त	1
तकनीकी अधिकारी - अनुरक्षण	1
तकनीकी अधिकारी	1
चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी	1
सिंथेटिक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर	2
फिक्स्ड बेस सिमुलेटर इंस्ट्रक्टर	1
प्रशिक्षण प्रबंधक	1
कार्यशाला प्रबंधक	1
कुल	20

प्रतिनियुक्ति पर

पदनाम	कुल
मुख्य सतर्कता अधिकारी	1
कुल	1

विवरण-III

एआईएटीएसएल मानवशक्ति

पदनाम	कुल वर्तमान क्षमता	कमी
1	2	3
सीनियर कस्टमर एजेंटर	7	0
कस्टमर एजेंट/जूनियर कस्टमर एजेंट	970	320

1	2	3
वरिष्ठ सुरक्षा एजेंट	228	0
सुरक्षा एजेंट	1156	405
रैंप सर्विस एजेंट	86	100
रैंप सर्विस एजेंट	272	223
हैंडीमैन	258	0
हैंडीमैन-II	2	73
यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर	14	91
असिस्टैंट कंट्रोलर	94	62
जूनियर एक्जीक्यूटिव टेक्नीशयिन	59	48
कुल	3146	1375
यूटिलिटी सर्विस एजेंट (***)	47	0
कुल योग	3193	1375

विवरण-IV

एआईएटीएसएल में भर्ती कर्मचारियों का ब्यौरा

पदनाम	2009-2010	2010-2011	2011-2012	01.04.2012 से 31.11.2012
	क	ख	ग	घ
सीरियर कस्टमर एजेंट	1	0	1	6
कस्टमर एजेंट/जूनियर कस्टमर एजेंट	25	345	535	265
सुरक्षा एजेंट	36	479	676	0
सीरियर रैंप सर्विस एजेंट/रैंप सर्विस एजेंट	9	177	119	85
हैंडीमैन	1	0	0	67
हैंडीमैन II	0	0	0	2
यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर	0	0	16	0
असिस्टैंट कंट्रोलर	0	11	100	2
जूनियर एक्जीक्यूटिव टेक्नीशियन	0	0	0	49
यूटिलिटी सर्विस एजेंट (***)	0	0	0	0
सेवानिवृत्त स्टाफ	0	5	0	0
कुल योग	72	1017	1447	476

कुलपतियों का सम्मेलन

3122. श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन बीते समय में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सम्मेलन के दौरान विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा उठायी गयी समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) दिनांक 22 जून 2012 को आयोजित किए गए कुलपतियों के सम्मेलन में सकल नामांकन अनुपात में सुधार करने, स्कूल के साथ-साथ उच्चतर शिक्षा संस्थान दोनों के शिक्षकों की सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा स्कूलों की स्थापना करने, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचा (एनवीईक्यूएफ) के समरूप उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों में कौशलों का समेकन करने, लेखों का दक्षतापूर्ण प्रबंधन करने के लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा विकसित लेखांकन मानकों का कार्यान्वयन करने, जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन एवं शिकायत निवारण तंत्र का विकास करने, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय की कमी और शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में बैकलाग रिक्तियों को भरने, उच्च अकादमिक मानकों को बनाए रखने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन करने, एक विश्वविद्यालय से दूसरे में जाने पर संकाय के लिए पेंशन पोर्टेबिलटी, जाली अकादमिक प्रमाणपत्रों को रोकने हेतु अकादमिक डिपाजिटरी जारी करने, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषा विभागों की स्थापना करने और निधियों के समयबद्ध उपयोग करने पर बल दिया गया था।

(ग) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने अन्य बातों के साथ यह उल्लेख किया कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता मानदंड का संशोधन करने, उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता तथा पेंशन की गैर-सुवाहयता के कारण वे रिक्त पदों को भरने में असमर्थ हैं। योजनेत्तर गैर वेतन अनुदान के लिए अपर्याप्त बजटीय प्रावधान और शिक्षण एवं गैर शिक्षण स्टाफ के बीच 1.1.1 के अनुपात का पालन करने से परिसर विशेष तौर पर प्रयोगशालाओं का रखरखाव कठिन हो गया है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भूमि की अनुपलब्धता था इसका अंतरण न होने से संबंधित समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया गया था।

(घ) पेंशन-सुवाहयता के मुददे को व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के साथ उठाया गया है। शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों की अधिवार्षिता आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त रिक्त पदों की उपलब्धता तथा उपयुक्तता की शर्त के अध्यधीन ये शिक्षक अनुबंध आधार पर 65 वर्ष से आगे 70 वर्ष की आयु तक पुनः नियोजन के लिए पात्र है। इस कमी को पूरा करने हेतु विश्वविद्यालयों को नजदीकी संकाय तथा अतिथि संकाय एवं अनुबंध आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की अनुमति दी गई है। शिक्षकों के संशोधित वेतनमान 01.01.2006 से कार्यान्वित किए गए हैं। अब केन्द्रीय विश्वविद्यालय में एक शिक्षक का आरम्भिक वेतन एक सिविल सेवक को प्राप्त आरम्भिक वेतन से अधिक है और पदोन्नति के अवसर भी अच्छे हैं। कनिष्ठ शोध फैलोशिप की दरें बढ़ा दी गई हैं, विश्वविद्यालयों में विज्ञान आधारित शिक्षा तथा शोध को सुदृढ़ किया गया हैं। जहां तक शिक्षकों के लिए निर्धारित न्युनतम अहर्ताओं और शिक्षण से गैर शिक्षण स्टाफ के अनुपात का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मुद्दे की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन

3123. डॉ. काकोली घोष दस्तीदार :
श्री के. सुगुमार :
श्री पी. कुमार :
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्री गोपीनाथ मुंडे :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया के स्टॉफ को उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन तथा अन्य भत्ते के भुगतान को रोकने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एअर इंडिया अपने कर्मचारियों को लाभ/उत्पादकता से जुड़े वेतन (पीआरपी) प्रारंभ करने पर विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके लिए निर्धारित मानदंड/शर्तें क्या हैं; और

(घ) एअर इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली कुल बकाया राशि कितनी है; और

(ङ) ए.आई. के कर्मचारियों को बकाया का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जुलाई, 2012 से सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए पीएलआई समाप्त की जा चुकी है। तथापि, लाइसेंसशुदा श्रेणी के कर्मचारियों अर्थात पायलटों, केबिन कर्मीदल और इंजीनियरों के मामले में, उद्योग के मानकों के अनुसार कतिपय भत्ते जैसे उड़ान भत्तों, लाइसेंस संबद्ध भत्तों का भुगतान किया जाना अपेक्षित होता है। मंत्रालय ने लाइसेंसशुदा श्रेणी के कर्मचारियों को इस प्रकार के भत्तों के भुगतान के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के विचारार्थ एक मंत्रिमंडल नोट का प्रारूप रखने से पहले इस प्रारूप नोट का अंतर मंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया है।

वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) के अनुसार, कंपनी द्वारा कर पूर्व लाभ (पीबीटी) हासिल कर लेने तक पीएलआई समाप्त की जानी अपेक्षित है।

(ग) धर्माधिकारी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार और एअर इंडिया के बीच हस्ताक्षरित लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर कर्मचारियों को डीपीई के मानकों के अनुसार पीआरपी का भुगतान किया जाए।

(घ) एअर इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों को अदा की जाने वाली कुल बकाया देयताएं 405.58 करोड़ रुपए हैं जिनमें अगस्त-नवम्बर, 2012 के लिए उड़ान भत्ते, नवम्बर, 2012 के लिए वेतन और जून, 2012 के लिए पीएलआई शामिल है।

(ङ) सरकार ने 12.04.2012 को एअर इंडिया की कायाकल्प योजना और वित्तीय पुनर्संरचना योजना अनुमोदित की है जिसमें, निम्नानुसार निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल होने पर, सरकार की ओर से वित्तीय समर्थन शामिल है:

(i) 6,750 करोड़ रुपए की अग्रिम इक्विटी का निवेश। अभी तक 5200 करोड़ रुपए की इक्विटी पहले ही जारी की जा चुकी है।

(ii) वित्त वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक 4552 करोड़ रुपए के नकदी घाटा समर्थन के लिए इक्विटी।

(iii) वित्त वर्ष 2021 तक 18,929 करोड़ रुपए के पहले से प्रत्याभूत विमान ऋण के लिए इक्विटी।

(iv) एअर इंडिया द्वारा वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, एलआईसी, ईपीएफओ आदि को जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित 7400 करोड़ रुपए के गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों (एनसीडी) पर मूल धनराशि के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान के लिए भारत सरकार की प्रतिभूति।

इन उन्नत वित्तीय उपायों और एअर इंडिया के कार्य निष्पादन में सुधार से आशा है कि वेतन का भुगतान नियमित हो जाएगा।

नयी सीरिज के मोबाइल नंबर

3124. श्रीमती मेनका गांधी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान समय में प्रयोग में लाई जा रही सभी मोबाइल नंबर सीरिज के वर्ष 2013 तक समस्त मोबाइल उपभोक्ताओं से समाप्त होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मोबाइल संख्या की नयी सीरिज को लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मुद्दे को निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सभी के लिए शिक्षा

3125. श्री एस. पक्कीरप्पा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 16 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को सार्वभौमिक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनुमानित कुल अतिरिक्त निवेश कितना है तथा व्यय के घटकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा निजी क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए जाने के लिए नियोजित निवेश अंश कितना है तथा तत्संबंधी समय-सीमा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपर्युक्त उद्देश्य के लिए सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है; और

(घ) सरकार का अंतर को किस तरह से भरने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता के परिणामस्वरूप सरकार ने केन्द्र तथा राज्य सरकारों, दोनों के लिए 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए समेकित सर्व शिक्षा (एसएसए) शिक्षा का अधिकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 2,31,233 करोड़ रुपए का परिव्यय अनुमोदित किया है। इसमें से 1,83,641 करोड़ रुपए (79 प्रतिशत) आवर्ती है और 47,592 करोड़ रुपए (21 प्रतिशत) अनावर्ती है। अनावर्ती है। 2,31,233 करोड़ रुपए का यह परिव्यय 13वें वित्त आयोग द्वारा अगले 5 वर्ष के दौरान राज्यों को अनुशंसित 24,068 करोड़ रुपए के सहायता अनुदान की सिफारिश द्वारा समर्थित है। 2,07,165 करोड़ रुपए की बाकी आवश्यकता सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 65:35 के अनुपात में केन्द्र तथा राज्यों के बीच बांटी जाएगी।

माध्यमिक तथा व्यावसायिक शिक्षा संबंधी कार्य समूहन ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य कार्यक्रमों के लिए 3,18,394 करोड़ रुपए की आवश्यकता का अनुमान लगाया है जिसमें से केन्द्र सरकार का हिस्सा 2,57,533 करोड़ रुपए आंका गया है।

(ग) और (घ) शिक्षा पर अधिकांश सार्वजनिक व्यय राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान शिक्षा पर केन्द्र तथा राज्यों दोनों का समेकित सार्वजनिक व्यय 12,44,797 करोड़ रुपए पर आंका गया है। शिक्षा पर किए गए सार्वजनिक व्यय का लगभग 43 प्रतिशत प्रारंभिक शिक्षा पर और 25 प्रतिशत माध्यमिक शिक्षा पर किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए बाह्य निधीयन एजेंसियों की सहायता मांगी जाती है जो कुछ हद तक निवेश में अंतर को भरने का कार्य करती है।

[हिन्दी]

अनुसंधान और विकास पर सरकारी व्यय

3126. श्री सुदर्शन भगत : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर व्ययित राशि विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है तथा इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र का योगदान भी मामूली है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले एक दशक के दौरान आर एंड डी पर व्ययित सरकारी खर्च का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में हासिल उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आर एंड डी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) और (ख) अद्यतन उपलब्ध सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) पर व्यय 0.88% है। अधिकांश देशों में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी पर सार्वजनिक व्यय 0.7-1.0% की श्रेणी के बीच है जोकि भारत में सार्वजनिक निवेश (0.65) के समान है। तथापि, भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आर एंड डी पर निजी क्षेत्र का निवेश 0.23% है जोकि बहुत से अन्य देशों के बराबर नहीं रहा है।

(ग) और (घ) विगत दशक के दौरान आर एंड डी पर व्ययित सरकारी खर्च के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली में अनुसंधान और विकास सहायता ने अनुसंधान में भारतीय क्षमताओं तथा वैश्विक उपस्थिति को बढ़ावा है और इसने प्रति वैज्ञानिक वित्त पोषण सहायता प्रणाली के स्तर को महत्वपूर्ण स्तर तक बढ़ाया है। थॉमसन रियूटर्स द्वारा वर्ष 2012 में संचालित बिबलियोमेट्रिक अध्ययन के अनुसार, वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी वर्ष 2000 में 2.2% से बढ़कर वर्ष 2010 में 3.5% हो गई है। सरकार की अनुसंधान और विकास सहायता से विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड की स्थापना तथा विज्ञान का अध्ययन करने और करिअर के रूप अनुसंधान को चुनने के लिए युवाओं को आकर्षित करने हेतु अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान खोज में नवोन्मेष (इंस्पायर), विश्वविद्यालय अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को प्रोन्नयन (पीयूआरएसई), महिला विश्वविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय अनुसंधान, नवोन्मेष एवं उत्कृष्टता का समेकन (सीयूआरआईई), जैसे नए कार्यक्रमों की शुरूआत और कार्यान्वयन, नेनो मिशन और जल प्रौद्योगिकी मिशन, टीकों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत, औद्योगिक अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर्स के लिए राष्ट्रीय नवोन्मेष निधि, विशेष स्कीमें तथा वित्तीय लाभों के जरिए नवोन्मेष पर विशेष बल आदि संभव हुआ है। सरकार ने देश में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विकास की गति को बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। वैज्ञानिक विभागों के लिए योजना आबंटन में वृद्धि विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए नए संस्थानों की स्थापना, अकादमिक और राष्ट्रीय संस्थानों में उभरते हुए और अग्रणी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केन्द्रों तथा सुविधाओं की स्थापना, नई एवं आकर्षक अध्येतावृत्तियों की शुरूआत, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) के लिए अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण, सार्वजनिक-निजी आर एंड डी भागीदारियों को प्रोत्साहन आदि इन कदमों में शामिल है। 11वीं योजना अवधि के दौरान इस संबंध में बहुत से नए कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। योजना आयोग ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास की आयोजना हेतु एक संचालन समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान और विकास में निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भागीदारी हेतु नीतिगत परिवेश में बदलाव के लिए एक कार्ययोजना और संकलपना पत्र की भी योजना बनाई जा रही है।

विवरण

सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय

वर्ष	सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय (करोड़ रु.)
2000-01	13275.46
2001-02	13745.46
2002-03	14589.86
2003-04	15615.07
2004-05	18078.28
2005-06	21332.44
2006-07	23813.55*
2007-08	26585.04*
2008-09	संकलन की प्रक्रिया में
2009-10	संकलन की प्रक्रिया में

*अनुमानित।

स्रोत: अनुसंधान और विकास आंकड़े 2009, डीएसटी (भारत सरकार)।

यूजीसी में भ्रष्टाचार

3127. **योगी आदित्य नाथ :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए स्थापित विनियामक निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में भ्रष्टाचार व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यूजीसी को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने भ्रष्टाचार के एक मामले के बारे में सूचित किया है। इसके द्वारा अभी हाल ही में डा. मंजू सिंह, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में संयुक्त सचिव के तौर पर कार्य कर रही थी, को निलम्बित किया गया है तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज रिपोर्ट के आधार पर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) इस मंत्रालय के सतर्कता स्कंध द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी शीर्ष स्तर के अधिकारी के विरूद्ध भ्रष्टाचार के कोई मामले रिपोर्ट नहीं हुए हैं या कार्रवाई हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक निकाय है तथा इसे अपने सभी कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की पूरी शक्तियां हैं।

[अनुवाद]

परमाणु कचरे को गैर-रेडियो धर्मी बनाने की प्रक्रिया

3128. श्री एम.आई. शानवास : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी प्रक्रिया का विकास किया गया है जिससे परमाणु कचरा 300 वर्ष में गैर-रेडियो धर्मी हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई पायलट परियोजना प्रारंभ की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय कंसोर्टियम के अंतर्गत अथवा अनन्य रूप से सरकार द्वारा चलायी जाती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) भारत, उच्च स्तर की विकिरणसक्रियता वाले अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए एक प्रक्रिया विकसित करने हेतु एक कार्यक्रम का अनुसरण कर रहा है, जिसके अंतर्गत पृथक्करण का कार्य किया जाता है और तब उच्च स्तर की विकिरणसक्रियता वाले 99% अपशिष्ट 300 वर्षों के भीतर प्राकृतिक क्षय द्वारा व्यावहारिक रूप से विकिरणसक्रियता रहित हो जाते हैं। शेष 1% दीर्घजीवी रेडियोन्यूक्लाइडों के त्वरक प्रेरित तत्वांतरण के लिए, अपेक्षाकृत छोटी अर्धायु वाले रेडियोन्यूक्लाइडों के रूपांतरण हेतु प्रबंधन नीति अनुसंधान तथा विकास चरण पर है।

(ग) इस प्रक्रिया का परीक्षण करने के लिए तारापुर, महाराष्ट्र में एक प्रायोगिक संयंत्र कमीशन किए जाने की योजना है।

(घ) यह परियोजना केवल परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार की गई है और यह किसी अंतर्राष्ट्रीय संकाय के अंतर्गत नहीं आती है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर लागू नहीं होता।

बकाया लैंड लाइन बिलों की वसूली

3129. श्री यशवीर सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश स्थित बीएसएनएल के पूर्वी दूरसंचार सर्किल सहित देश में कई दूरसंचार सर्किलों में करोड़ों रुपए के लैंडलाइन बिलों का भुगतान किया जाना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में संसद सदस्यों से भी शिकायतें मिली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है;

(ङ) विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों में बीएसएनएल के लैंडलाइन टेलीफोन बिल बकाया रखने वाले चूककर्ताओं का ब्यौरा क्या है

तथा पिछले तीन चालू वर्ष के दौरान उनसे वसूल किए गए बकाया का ब्यौर क्या है;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है तथा सरकारी कोष को भारी हानि के मद्देनज़र चूककर्ताओं के विरुद्ध कानूनी मामले दायर किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बकाया की वसूली एवं अब तक वसूली न किए जाने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) दिनांक 30.09.2012 को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के सभी दूरसंचार सर्किलों के लैंडलाइन बिलों की 2397.66 करोड़ रुपए की धनराशि भुगतान करने के लिए बकाया थी। इसमें से 335.26 करोड़ रुपए की धनराशि उत्तर प्रदेश (पूर्व) से संबंधित है।

दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार 2397.66 करोड़ रुपए के बकाया देयों का सर्किल-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस संबंध में सांसदों से निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं:—

(i) श्री यशवीर सिंह माननीय सांसद (लोक सभा) की शिकायत:— टेलीफोन सं. 05498-251001 श्री अमर नाथ राय पर 30098 की धनराशि एवं टेलीफोन सं. 05498-251233 श्री मनीश राय पर 19044 रुपए की धनराशि बकाया होने के संबंध में।

(ii) माननीय सांसद (राज्य सभा) श्री प्रभात झा की शिकायत:— टेलीफोन सं. 05498-251001 श्री अमरनाथ राय पर 30098 की धनराशि एवं टेलीफोन सं. 05498-251233 श्री मनीश राय पर 19044 रुपए की धनराशि बकाया होने के संबंध में।

ये दोनों टेलीफोन बलिया सेकंडरी स्विचिंग एरिया (एसएसए) के दूरसंचार अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते है। बलिया एसएसए द्वारा इन बकाएदारों को नोटिस भेजे गए हैं और उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बकाए के भुगतान के लिए संपर्क भी किया गया है। उपभोक्ताओं को बिलों के भुगतान करने का समय दिनांक 18.12.2012 तक दिया गया है।

(ङ) पिछले तीन वर्षों और 30.09.2012 को समाप्त अवधि के दौरान लैंडलाइन बिलों के संबंध में बकाया देयों एवं उनकी वसूली की स्थिति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

बकाए की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	बकाया धनराशि (करोड़)
1.	2009-10	3194.34
2.	2010-11	2842.51
3.	2011-12	2420.47
4.	2012-13 (सितंबर, 12 तक)	2397.66

वसूली की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	बकाया धनराशि (करोड़)
1.	2009-10	8964.57
2.	2010-11	6700.05
3.	2011-12	5975.56
4.	2012-13 (सितंबर, 12 तक)	2541.84

नोट: उपर्युक्त वर्षों के दौरान वसूली गई धनराशि पिछले वर्षों के बकाया बिलों के तहत और उसके बाद प्रत्येक वर्ष जारी किए गए बिलों के तहत भी है।

(च) प्रत्येक सर्किल में कार्यवाही करने वाले प्रकोष्ठ के माध्यम से बकाएदारों के मामलों पर कार्रवाई की जाती है और जो मामले

मुकदमें के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं उनमें दोषी उपभोक्ताओं से बकाए की वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया आरंभ की जाती है।

(छ) बीएसएनएल बकाया देयों की वसूली के लिए अनेक उपाय कर रहा है जिनकी जानकारी संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

सर्किलवर बकाया देय

(धनराशि करोड़ रुपए)

क्र. सं.	इकाई का नाम	दिनांक 30.09.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.10
2.	आंध्र प्रदेश	136.40
3.	असम	59.60
4.	बिहार	273.82
5.	झारखंड	98.98
6.	गुजरात	44.06
7.	हरियाणा	33.87
8.	हिमाचल प्रदेश	9.36
9.	जम्मू और कश्मीर	54.45
10.	कर्नाटक	81.01
11.	केरल	40.88
12.	मध्य प्रदेश	105.07
13.	छत्तीसगढ़	30.75
14.	महाराष्ट्र	203.97
15.	पूर्वोत्तर-I	56.52
16.	पूर्वोत्तर-II	243.80
17.	ओडिशा	54.12
18.	पंजाब	31.02
19.	राजस्थान	31.34
20.	तमिलनाडु	45.28
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	335.26
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	119.67
23.	उत्तराखंड	21.70
24.	पश्चिम बंगाल	95.91
25.	चेन्नै	159.04
26.	कुल	24.67
	कुल	2397.66

विवरण-II

बीएसएनएल अपने टेलीफोन ग्राहकों से बकाया देयों की वसूली के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहा है:-

1. उपभोक्ताओं को फोन काटने से पहले भुगतान कर देने के लिए इंटरएक्टिव वॉयस, रेस्पोंस सिस्टम (आईवीआरएस) एवं शॉर्ट मेसेज सर्विस (एसएमएस) द्वारा भुगतान अनुस्मारक जारी किए जाते हैं।

2. यूनिटों को समय पर टेलीफोन बिलों को जारी करने को सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ताओं द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं करने पर निर्धारित समय सारणी के अनुसार शीघ्र टेलीफोन काटने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं।

3. भुगतान नहीं किए जाने पर भी नहीं काटे गए कनेक्शनों को बिल जारी किए जाने की तारीख से तीन महीने के बाद स्थायी तौर पर बंद कर दिया जाता है और उपलब्ध प्रतिभूति जमा को समायोजित करके उस खाते के बकाए का निपटान कर दिया जाता है।

4. चूककर्ता उपभोक्ताओं को पुरानी बकाया देय राशि का भुगतान करने के लिए उन्हें छूट प्रदान करने के संबंध में ग्रेडयुक्त छूट स्कीम की शुरूआत की गई है।

5. चूककर्ताओं से बकाया की वसूली के लिए बीएसएनएल के कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन स्कीम शुरू की गई है।

6. देय राशि की वसूली के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध यथावश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।

7. राज्य सरकारों से उनके भूमि राजस्व अधिनियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ताकि बीएसएनएल की बकाया टेलीफोन देय राशि को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जा सके।

8. अधिकतम वसूली करने के प्रयोजनार्थ बकाया देय राशियों के परिसमापन के संबंध में सर्किल-वार तथा वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। इस संबंध में की गई प्रगति की कड़ी निगरानी की जाती है तथा यूनिटों को आवधिक रूप से पत्र भेजे जाते हैं।

9. यदि फोन काटे जाने के बावजूद कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो पंजीकृत नोटिस और आवश्यकता पड़ने पर कानूनी नोटिस भेजा जाता है।

10. स्थायी रूप से बंद कर दिए गए कनेक्शनों के मामले में टेलीफोन की बकाया देय राशि की वसूली के लिए लोक अदालत के माध्यम से चूक संबंधी मामलों को निपटाने की कार्य प्रणाली शुरू की गई है।

कॉलेजों को विश्वविद्यालयों में रूपांतरित करना

3130. **डॉ. थोकचोम मैन्या** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रेसिडेंसी कॉलेज (कोलकाता), कॉटन कालेज (गुवाहाटी) और डी.एम. कॉलेज (इंफाल) को विश्वविद्यालयों या मानित विश्वविद्यालयों में रूपांतरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस दिशा में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इन कॉलेजों को कब तक रूपांतरित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) इन कॉलेजों में से किसी को भी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि केन्द्र सरकार ने पहले ही देश (गोवा को छोड़कर) के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया है। इन कॉलेजों ने सम विश्वविद्यालय के दर्जे के लिए आवेदन नहीं किया है और इसलिए इनको सम विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज (कोलकाता) पश्चिम बंगाल विधानमंडल के एक अधिनियम द्वारा राज्य विश्वविद्यालय में पहले ही परिवर्तित कर दिया गया है। नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए राज्य विधानमंडलों को भारत के संविधान द्वारा अधिकार प्रदान किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विमानन कार्बन पद चिह्न रिपोर्ट

3131. **श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री किसनभाई वी. पटेल :
श्री प्रदीप माझी :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानन कार्बन पद चिह्न रिपोर्ट 2011 हाल में जारी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(घ) उनमें की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी सिफारिशों पर सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) जी, हां। 2011 के लिए विमानन कार्बन पदचिह्न रिपोर्ट 9 अक्टूबर, 2012 को जारी की गई है। रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित है:

(i) 2010 में 11.99 मिलियन टन से 2011 में 12.7 मिलियन टन के साथ कार्बन उत्सर्जन में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ii) नागर विमानन सेक्टर का कार्बन पदचिह्न देश के कुल कार्बन उत्सर्जन के 1 प्रतिशत से कम है।

(iii) पूर्वानुमान के अनुसार भारतीय अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा किया जा रहा कार्बन उत्सर्जन 2020 तथा 2050 में बढ़कर क्रमशः 14.5 मिलियन टन तथा 111.0 मिलियन टन हो जाएगा।

(iv) कई अनुसूचित एयरलाइनों की ईंधन दक्षता सीओ 2 प्रति आर.टी.के (अर्थात 0.95 किलोग्राम) के वैश्विक स्तर पर अथवा नीचे है परंतु कुछ उच्चतर स्तर पर भी है।

(ङ) इन सिफारिशों के आधार पर, सरकार विमानन सेक्टर में पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क विकसित करने की योजना बना रही है।

मानद विश्वविद्यालयों की मान्यता समाप्त करना

3132. श्री ए. सम्पत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा मान्यता समाप्त किए गए मानद विश्वविद्यालयों की कुल संख्या कितनी है क्योंकि वे किसी भी स्तर से उत्कर्ष हेतु अर्ह नहीं पाए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विश्वविद्यालयों को कोई भत्ते दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) सरकार द्वारा सम-विश्वविद्यालय संस्थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु गठित विशेषज्ञ समिति ने 44 संस्थाओं की अधिसूचना रद्द करने की सिफारिश की थी, जो सम-विश्वविद्यालय के दर्जे हेतु निर्धारित मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे थे। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को यथा स्थिति बनाए रखने के निदेश दिए हैं और इसलिए, किसी भी सम-विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द नहीं की गई है। वर्तमान में यह मामला न्यायाधीन है।

(ग) और (घ) XIवीं योजना (दिनांक 01.04.2007 से 31.03.2012) के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने दो सम-विश्वविद्यालयों (गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार, उत्तराखंड एवं तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे) को योजनागत एवं योजनेत्तर अनुदान प्रदान किए हैं, जिन्हें समीक्षा समिति द्वारा निम्नानुसार श्रेणी 'ग' में रखा गया है:

(लाख रुपए में)

सम-विश्वविद्यालय	XIवीं योजना अवधि के दौरान जारी की गई योजनागत अनुदान राशि	XIवीं योजना अवधि के दौरान जारी की गई योजनेत्तर अनुदान राशि
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	3762.78	8946.87
तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	321.76	शून्य
कुल	3994.53	2273.15

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 01.04.2007 से अब तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय को योजनेत्तर के अंतर्गत 2560.41 लाख रुपए जारी किए हैं। तथापि, इसके द्वारा उपर्युक्त सम-विश्वविद्यालयों को योजनागत अनुदान रोक दी गई है।

[हिन्दी]

सीबीआई जांच

3133. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन मुख्य मंत्रियों, पूर्व मुख्य मंत्रियों तथा राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों तथा औद्योगिक घरानों की संख्या कितनी है जिनके विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की जा रही है तथा उनमें से कितने व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं;

(ख) जांच में देरी के क्या कारण हैं तथा आरोप पत्र दाखिल करने के बावजूद मामलों में कार्यवाही को पूरा करने में देरी के क्या कारण है; और

(ग) ऐसे मामलों की संख्या क्या है तथा ये किन तिथियों से न्यायाधीन हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) सीबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 31.10.2012 तक की स्थिति के अनुसार, ये 10 मामले हैं, [नियमित मामले ('आरसीएस)-8 और प्रारंभिक जांच-पड़तालें (पीईएस)-2] 1 मुख्य मंत्री, 2 पूर्व मुख्य मंत्री, 12 राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों (पूर्व-संसद-सदस्य, पूर्व-विधायक और विभिन्न दलों के सदस्यों सहित) के विरूद्ध जांच-पड़ताल/पूछताछ लंबित। इन मामलों में, 1 से अधिक में 3 व्यक्ति (1 पूर्व-मंत्री और 2 विधायक) लिप्त हैं।

जहां तक औद्योगिक घरानों के विरूद्ध मामलों का संबंध है, सीबीआई में आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं।

(ख) जांच को शीघ्रतापूर्वक पूरा करने में हो रही देरी के अनेक कारण हैं:-

(i) सीबीआई द्वारा अन्वेषण हेतु लिए गए मामलों की जटिल प्रकृति जिनमें भारी-भरकम दस्तावेजों को संवीक्षा और गवाहों की बड़ी संख्या का परीक्षण अपेक्षित है।

(ii) कुछ मामलों में, जांच विदेशों में की जानी होती है जिसके लिए याचना-पत्रक दिया जाता है जो एक अधिक समय लगने वाली प्रक्रिया है।

तथापि, अन्वेषण के मामलों के निपटान में शीघ्रता हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) उपर्युक्त उल्लिखित मामले सीबीआई में अन्वेषण के तहत अब भी लंबित हैं। तथापि, दिनांक 31.10.2012 तक की स्थिति के अनुसार, 57 मामले सुनवाई के अधीन लंबित हैं जिनमें 8 पूर्व-मुख्य मंत्री और 71 राजनैतिक दलों के पदाधिकारी (पूर्व-संसद-सदस्य, पूर्व-विधायक, पूर्व-पार्षद और विभिन्न दलों के सदस्यों सहित) शामिल हैं। इन सुनवाई के अधीन मामलों में, 1 पूर्व-मुख्य मंत्री 2 मामलों में शामिल है, 8 पदाधिकारी (पूर्व-संसद-सदस्य, पूर्व-विधायक और विभिन्न दलों के सदस्यों सहित) 1 से अधिक मामलों में शामिल हैं।

विशेष वर्ग का दर्जा

3134. **कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद** :
श्री महाबली सिंह :
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों को अब तक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है;

(ख) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्यों खासकर झारखंड एवं बिहार द्वारा की गई मांग पर अंतिम निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) किन-किन राज्यों के अनुरोध लंबित हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) फिलहाल ग्यारह ऐसे राज्य हैं जिन्हें योजना के तहत केन्द्रीय सहायता के प्रयोजनार्थ विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान किया गया है। ये हैं- अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।

(ख) से (घ) किसी राज्य को योजना के तहत केन्द्रीय सहायता के लिए विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान करने का निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् (एनडीसी) द्वारा लिया जाता है। विशेष श्रेणी दर्जा प्रदान किए जाने का अनुरोध बिहार, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान राज्य सरकारों से प्राप्त हुआ है। फिलहाल इन अनुरोधों की योजना आयोग में जांच की जा रही है।

के.वी. को आवासीय विद्यालयों में रूपांतरित करना

3135. **श्री मकनसिंह सोलंकी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के केन्द्रीय विद्यालयों (के.वी.) को आवासीय विद्यालयों में बदलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) जी, नहीं। देश के केन्द्रीय विद्यालयों (के.वी.) को आवासीय विद्यालयों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय मुख्यत: शिक्षा का समान कार्यक्रम प्रदान कर रक्षा कार्मिकों सहित केन्द्र सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खोले जाते हैं। चूंकि केन्द्रीय विद्यालय ऐसे स्थानों में खोले जाते हैं, जहां ऐसे कर्मचारी तैनात होते हैं, इसलिए वहां आवासीय केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

ई-मनी अंतरण

3136. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्री जगदीश शर्मा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग का विचार मोबाइल फोन के माध्यम से मनीआर्डर भेजने के लिए भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) के साथ गठजोड़ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक इस उद्देश्य के लिए किन राज्यों का चयन किया गया है;

(ग) यह स्कीम किस तरीके से लागू किए जाने की संभावना है तथा इसके परिणामस्वरूप मनीआर्डर को कब तक सुपुर्द कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) पूरे देश में इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. कृपारानी किल्ली) : (क) और (ख) डाक विभाग ने मोबाइल धन अंतरण सेवा शुरू करने हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) के साथ अनुबंध किया है जो 15 नवम्बर, 2012 को चार डाक सर्किलों नामत: पंजाब, बिहार, दिल्ली तथा केरल में वाणिज्यिक रूप से शुरू की गई थी। यह सेवा उपरोक्त प्रत्येक सर्किल में 18 डाकघरों में क्रियान्वित की गई है।

(ग) इन सेवा का लाभ उठाने वाले इच्छुक व्यक्ति अपने मोबाइल फोन के साथ चिन्हित डाकघर में पहुंच कर 1,000 रु. से 10,000 रु. तक धन अंतरण का पारेषण कर सकते हैं। प्राप्तकर्ता अपने मोबाइल फोन पर तत्काल संदेश प्राप्त करता है और सेवा संचालित करने वाले चिन्हित डाकघर पर गुप्त कोड प्रदर्शित करने के बाद धन प्राप्त कर सकता है।

(घ) इस सेवा की समीक्षा की जाएगी तथा अन्य सर्किलों में चरणबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जाएगा।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर

3137. **श्री बलीराम जाधव :**
श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकास और संवृद्धि के संदर्भ में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर लगातार बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या शहरी और ग्रामीण आबादी को दी जाने वाली प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा अंतर है; और

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (ग) ग्रामीण-शहरी असमानता को मापने के लिए ग्रामीण व शहरी प्रति व्यक्ति आय में अंतर एक महत्वपूर्ण आर्थिक मापदंड है जिसका निहितार्थ अन्य सामाजिक आर्थिक असमानताओं पर है जो शिक्षा ग्रहण, स्वास्थ्य आदि से संबंधित विभिन्न मानव विकास सूचकों में परिलक्षित है। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 1999-2000 में 10,652 रु. से वर्ष 2004-05 में 16,414 रु. तक बढ़ी है तथा शहरी क्षेत्रों में उसी अवधि के दौरान यह 30,095 रु. से 44,172 रु. तक बढ़ी है। अखिल भारत प्रति व्यक्ति ग्रामीण एवं शहरी अनुपात आय में वर्ष 1999-00 में 35.4% से 2004-05 में 36.9% तक वृद्धि हुई है जो कि ग्रामीण-शहरी अंतर में मामूली अंतर दर्शाता है। साक्षरता दर, आईएमआर आदि जैसे सूचकों के संदर्भ में हाल के वर्षों में ग्रामीण-शहरी अंतराल में कमी आई है। साक्षरता दर में वर्ष 2001 में 21.18 की तुलना में वर्ष 2011 में ग्रामीण-शहरी अंतराल 16.07 तक नीचे आई है। इसी प्रकार, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में वर्ष 2001 में 72 प्रति हजार जीवित जन्म से वर्ष 2011 में 48 प्रति हजार तक गिरावट आई है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि में इसमें 42 से 29 तक गिरावट आई है।

(घ) ग्रामीण एवं शहरी असमानता में कमी करना सरकार की विकास नीति की प्राथमिकता रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में सृजन करना, ग्रामीण अवसंरचना विकसित करना, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता आदि उपलब्ध कराना सरकार की कार्यनीति रही है जिससे कि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर एवं जीवन गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया जा सके। इस प्रयोजन हेतु सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किया है। कुछ मुख्य कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल है: महात्मागांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएम), सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए), मध्याह्न भोजन स्कीम (एमडीएमएस) आदि।

[अनुवाद]

प्रत्येक कक्षा को लैपटॉप कम्प्यूटर

3138. **श्री जे.एम. आरुन रशीद : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विद्यालय की प्रत्येक कक्षा को एक लैपटॉप कम्प्यूटर देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वित्त वर्ष के दौरान इस परियोजना के कार्यान्वियन के लिए तमिलनाडु राज्य को कितना अनुदान संस्वीकृत किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ''स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी'' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना पहले ही कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत् सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अध्ययन और कम्प्यूटर साक्षरता हेतु सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल को अन्य उपकरणों के साथ 10 पर्सनल कम्प्यूटर और इस योजना के तहत् शामिल प्रत्येक स्मार्ट स्कूल को अन्य उपकरणों के साथ 40 पर्सनल कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा हेतु दाखिला

3139. **श्री दत्ता मेघे : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में छात्रों की उच्च शिक्षा हेतु दाखिलों के लिए कोई लक्ष्यावधि निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कितना निधि-निवेश किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) उप-अध्याय "नामांकन प्रक्षेपण और लक्ष्य" के अंतर्गत योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए उच्चतर शिक्षा पर बारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2011-12 में 20.2% से 12वीं योजना अवधि के दौरान बढ़कर 30.80% तक होने का अनुमान है। इसके अलावा इस दस्तावेज में वर्ष 2011-12 के वर्तमान 200 लाख के नामांकन लक्ष्य को 12वीं योजना अवधि की समाप्ति तक बढ़ाकर 300 लाख रखा गया है।

(ग) 12वीं योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 1,10,700 करोड़ रु. का आबंटन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

कदाचार रोकने के लिए सुधार

3140. श्री जगदीश सिंह राणा :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौकरशाहों द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में किए जाने वाले कदाचार को रोकने के उद्देश्य से व्यापक प्रशासनिक सुधार के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली से शासित होते हैं जिसमें कर्त्तव्यों और आचरण संबंधी मानदंडों का उल्लेख है। आचरण नियमावली का किसी प्रकार से उल्लंघन होने पर अनुशासन और अपील नियमावली के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है, जो इसकी गंभीरता पर निर्भर करती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि 15 वर्ष की अर्हक सेवा के पूरी होने तथा पुनः 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने पर अखिल भरतीय सेवा के अधिकारियों की दो स्तरीय गहन समीक्षा के लिए अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति हितलाभ) नियमावली, 1958 को संशोधित किया गया है ताकि अधिकारियों को उनकी सेवा में आगे बनाए रखने अथवा अन्य कार्रवाई करने के संबंध में मूल्यांकन किया जा सके। इसे दिनांक 31.01.2012 को अधिसूचित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

समृद्धि-सूचकांक में गिरावट

3141. श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'लिगेटम ग्लोबल प्रास्पेरिटी इंडेक्स' के अनुसार उसमें भारत का स्थान वर्ष 2009 के बाद से नीचे गिरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस गिरावट के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) से (घ) लंदन स्थित लिगेटम संस्थान की "द 2012 लिगेटम प्रास्पेरिटी इंडेक्स" नामक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2009 के बाद समृद्धि में गिरावट आई है। समृद्धि की दृष्टि से 142 देशों के क्रम में, 2012 में भारत 101वें स्थान पर है जबकि वर्ष 2009, 2010 और 2011 के लिए 110 देशों की सूची में भारत का क्रमांक क्रमशः 78, 88 और 91 था। समृद्धि सूचकांक, आर्थिक विकास और नागरिकों की जीवन गुणवत्ता, दोनों को ध्यान में रखते हुए, 8 उप-सूचकांकों में समूहित 89 चरों पर आधारित है। इस रिपोर्ट के अनुसार, आंशिक रूप से, शासन संबंधी उप-सूचकांक,

जिसमें सरकार के प्रति विश्वास, न्यायपालिका में विश्वास और सरकार की कारगरता जैसे मानदंड शामिल हैं, में गिरावट की वजह से वर्ष 2009 के बाद भारत के क्रमांक में गिरावट आई है। इन मानदंडों के लिए उपयोग किया गया डेटा अवास्तविक हो सकता है और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

अध्यापन-शुल्क में रियायत

3142. **श्री कपिल मुनि करवारिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश सहित देश के प्रत्येक राज्य में गरीब छात्रों को अध्यापन-शुल्क में शत-प्रतिशत रियायत देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 दिनांक 01.04.2010 से लागू है। आरटीई अधिनियम की धारा 3(1) में प्रावधान है कि "छह से चौदह वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बालक को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। कोई बालक किसी प्रकार की फीस या ऐसे प्रभार या व्यय का संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा, जो प्रारंभिक शिक्षा लेने और पूरी करने से उसे निवारित करे।"

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) शिक्षण शुल्क मुक्ति योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों के छात्रों के लिए सभी पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों में दाखिला सीटों का 5 प्रतिशत उद्दिष्ट करती है। ये अधिसंख्य सीटें एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित सभी संस्थानों में अनिवार्य हैं। यह योजना हर साल 4.5 लाख रुपए से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले लगभग 1 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाती है।

शिक्षा आयोग का गठन

3143. **श्री मंगनी लाल मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एक शिक्षा आयोग गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस आयोग का गठन कब तक किए जाने की संभावना है; और

(घ) शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए यह आयोग किस प्रकार सहायक होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त, 2011 को की गयी घोषणा के अनुसरण में सरकार ने शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधार करने हेतु सिफारिशें देने के लिए शिक्षा आयोग की स्थापना करने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित आयोग के गठन और विचारार्थ विषय को सभी पणधारियों के सहयोग से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विद्यालय न जाने वाले बच्चे

3144. **श्री पशुपति नाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के बावजूद बड़ी संख्या में बच्चे अब भी विद्यालय नहीं जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश में विद्यालय न जाने वाले बच्चों की राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(ग) इन बच्चों को विद्यालय में प्रवेश देने और देश में शत-प्रतिशत साक्षरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) वर्ष 2005 में आयोजित एक स्वतंत्र नमूना सर्वेक्षण से यह पता चला कि स्कूल न जाने वाले बच्चों की अनुमानित संख्या 1.34 करोड़ थी और यह आंकडा वर्ष 2009 में वैसा ही सर्वेक्षण दोहराए जाने पर घटकर लगभग 81.50 लाख हो गया।

(ख) गरीबी, बाल श्रम, घरेलू कार्य और विशेष रूप से लड़कियों के लिए छोटे भाई-बहनों की देखभाल करना, तथा नि:शक्तता, परिवारों का स्थानांतरण और सिविल संघर्ष वाले क्षेत्रों में अशांति बच्चों के

स्कूल न जाने के मूल कारण हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों के राज्य-वार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 बनाया जिसकी धारा-10 के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक माता-पिता अथवा अभिभावक का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चे का आस-पड़ोस के स्कूल में दाखिला करवाएं और धारा 6 के तहत यह प्रावधान है कि 6-14 वर्ष की आयुवर्ग के बच्चों को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य आस-पड़ोस में स्कूलों की व्यवस्था करवाएं। आरटीई अधिनियम के लक्ष्यों को पूरा करने वाले सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) कार्यक्रम ने अब तक देश भर में 3.84 लाख स्कूलों, 16.02 लाख अतिरिक्त कक्षा-कक्षों, 5.84 लाख शौचालयों और 2.21 लाख पेयजल सुविधाओं और 19.65 लाख अध्यापकों के पदों की मंजूरी दी है ताकि सर्वसुलभ प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

विवरण

वर्ष 2005 और 2009 में आयोजित स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चों की तुलना

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वतंत्र सर्वेक्षण 2005 (आईएमआरबी) के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चे	स्वतंत्र सर्वेक्षण 2009 (आईएमआरबी) के अनुसार स्कूल न जाने वाले बच्चे
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	165	0
2.	आंध्र प्रदेश	5,42,665	172354
3.	अरुणाचल प्रदेश	23,036	20601
4.	असम	5,36,220	234983
5.	बिहार	31,76,624	1345697
6.	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	3,086	1974
7.	छत्तीसगढ़	2,54,736	85366
8.	दादरा और नगर हवेली	0	444
9.	दमन और दीव	6,134	23
10.	दिल्ली	84424	124022
11.	गोवा	1,155	0
12.	गुजरात	3,80,444	162355
13.	हरियाणा	1,74,040	107205
14.	हिमाचल प्रदेश	4,942	2451
15.	जम्मू और कश्मीर	4,777	9691
16.	झारखंड	6,20,945	132195
17.	कर्नाटक	1,19,517	108237
18.	केरल	23,242	15776
19.	लक्षद्वीप	1,104	0
20.	मध्य प्रदेश	10,85,096	328692
21.	महाराष्ट्र	5,29,295	207345
22.	मणिपुर	67,515	12222
23.	मेघालय	22,132	12655
24.	मिजोरम	1,558	7485
25.	नागालैंड	32,406	8693
26.	ओडिशा	3,32,615	435560
27.	पुदुचेरी	583	993

1	2	3	4
28.	पंजाब	1,08,754	1267
29.	राजस्थान	7,95,089	1018326
30.	सिक्किम	3,803	647
31.	तमिलनाडु	1,93,418	52876
32.	त्रिपुरा	5,121	8434
33.	उत्तर प्रदेश	29,95,208	2769111
34.	उत्तराखंड	1,16,680	56225
35.	पश्चिम बंगाल	12,13,205	706713
	कुल	13459734	8150618

स्नातक छात्र पर होने वाला व्यय

3145. श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :
राजकुमारी रत्ना सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी छात्र की स्नातक-स्तर की शिक्षा पर सरकार द्वारा खर्च की जा रही औसत धनराशि कितनी है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इतनी बड़ी राशि खर्च करने के बावजूद, भारत में शिक्षा का स्तर अन्य देशों की तुलना में अब भी कमतर है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक क्षेत्रों में शिक्षा पर व्यय के क्षेत्रवार आंकड़े अनुरक्षित किए जाते हैं। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। स्नातक, स्नातकोत्तर और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर व्यय के पृथक आंकड़े उच्चतर शिक्षा पर व्यय के संकलित आंकड़ों में उपलब्ध नहीं हैं। 2010-11 के दौरान विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा पर कुल व्यय (केन्द्र और राज्यों को मिलाकर) 87667.75 करोड़ रु. (बजट अनुमान) था। 2010-11 के दौरान अवर-स्नातक स्तर पर नामांकन 1.98 करोड़ (अनंतिम) था।

(ख) और (ग) जी, नहीं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल मिलाकर शिक्षा-क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय पाकिस्तान और बंग्लादेश जैसे देशों से अधिक है जबकि, यह यू.एस.ए. और यू.के. जैसे देशों से कमतर है।

(घ) वैश्विक मानदंड पूरा करने के लिए XIIवीं योजना के दौरान उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक नीतिगत परिवर्तन होगा। हमारी उच्चतर शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानदंडों पर तुलनात्मक बनाने हेतु अनेक उपाय किए गए हैं जैसे, संकाय मामलों का निपटान, अनुसंधान और नवाचार को सुदृढ़ करना, अभिशासन और विनियामक सुधार, अनिवार्य प्रत्यायन, परीक्षा सुधार, विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली की शुरूआत, सेमेस्टर प्रणाली, राज्य संस्थाओं का कायाकल्प, संबद्धता प्रदान करने की प्रणाली में सुधार, शिक्षण, अध्ययन में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग और अधिक अंतर्राष्ट्रीयकरण।

[अनुवाद]

दूरसंवेदी उपग्रहों का कार्य-निष्पादन

3146. श्री बाल कुमार पटेल : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सात दूरसंवेदी उपग्रहों में से तीन उपग्रहों का कार्य-निष्पादन उनकी अधिकतम क्षमता से कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिचालन कर रहे इन सात उपग्रहों से प्राप्त राजस्व राशि आशा से कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन उपग्रहों का इष्टतम उपयोग करने और अधिकतम राजस्व वसूलने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट (2010-11 की रिपोर्ट सं. 21) में दिए गए प्रेक्षण के अनुसार 2002-08 की अवधि के दौरान सात में से तीन भारतीय दूर संवेदी उपग्रहों यथा - आई.आर.एस-पी3, आई.आर.एस-1 सी और आई.आर.एस-पी4 (ओशनसैट-1) की औसत क्षमता का उपयोग उनकी अधिकतम क्षमता का 32%, 45% और 50% था।

1995 में प्रमोचित परीक्षणात्मक उपग्रह आई.आर.एस - पी3 और 1996 में प्रमोचित आई.आर.एस - 1सी ने क्रमश: 1998 और 1999 में अपनी तीन वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली थी। इस प्रकार नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताई गई अवधि (2002-2008) के दौरान आई.आर.एस - पी3 तथा आई.आर.एस - 1सी विस्तारित कालावधि में थे।

1999 में प्रमोचित आई.आर.एस-पी4 (ओशनसैट-1) उपग्रह ने 2004 तक अपनी पांच वर्षों की निर्धारित कालावधि पूरी कर ली थी। उपग्रह में ऊर्जा की उपलब्धता में कमी होने के कारण सन् 2001 से इसकी क्षमता के उपयोग में कमी आई।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली की विस्तार योजनाओं के लिए भूमि

3147. **श्री वरुण गांधी : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन किसानों की संख्या कितनी है जिन्होंने विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली की विस्तार-योजनाओं को सुकर बनाने के लिए अपनी भूमि दी है;

(ख) क्या सरकार ने इन किसानों को कोई वैकल्पिक भूखंड आबंटित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खारापन समाप्त करने वाले संयंत्रों की स्थापना

3148. **श्री वैजयंत पांडा : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्री जल को पेय बनाने के लिहाज से उसका खारापन समाप्त करने वाले संयंत्रों की स्थापना करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बार्क) द्वारा चिंहित स्थलों का ब्यौरा क्या है और ऐसे स्थल-चयन के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या सरकार का ओडिशा राज्य सहित अन्य राज्यों में भी समुद्री जल का खारापन समाप्त करने वाले ऐसे संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है, इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है तथा इसके लिए वित्तपोषण की क्या पद्धति है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने कलापाक्कम, तमिलनाडु में एक नाभिकीय विलवणीकरण प्रदर्श संयंत्र (एनडीडीपी) स्थापित किया है जो प्रतिदिन 18 लाख लीटर की क्षमता वाले प्रतिलोम परासरण (आरओ) खंड, और प्रतिदिन 45 लाख लीटर की क्षमता वाले बहुस्तरीय फ्लैश (एमएसएफ) खंड वाली संकर प्रौद्योगिकी पर आधारित है। यह संयंत्र मद्रास परमाणु बिजलीघर (एमएपीएस) के समीप अवस्थित है और इसमें एमएसएफ खंड के लिए ऊर्जा इनपुट के रूप में निम्न दाब वाले वाष्प का उपयोग किया जाता है। संकर एमएसएफ-आरओ संयंत्र, हाई-एंड औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए आसुत जल, और पीने के लिए तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए

पेय जल का उत्पादन करता है। तमिलनाडु में कलपाक्कम स्थल का चयन, एक विद्युत संयंत्र (इस मामले में नाभिकीय विद्युत संयंत्र) के साथ अवस्थित करके समुद्री जल का विलवणीकरण करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र की प्रौद्योगिकीय क्षमता को प्रदर्श करने के लिए किया गया था।

(ख) और (ग) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द की, XIIवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान 115 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली उड़ीसा बालू सम्मिश्र (ऑस्कॉम), इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड (आईआरईएल), छत्तरपुर, गंजाम जिला, ओडिशा में प्रतिदिन 5 मिलियन लीटर की क्षमता वाले एक समुद्री जल विलवणीकरण संयंत्र को स्थापित करने की योजना है। कलपाक्कम स्थित मौजूदा संयंत्र और छत्तरपुर में ऑस्कॉम सम्मिश्र के लिए निर्मित किए जाने वाले प्रस्तावित संयंत्र का उद्देश्य, परमाणु ऊर्जा विभाग के संबद्ध यूनिटों की औद्योगिक और पेय जल संबंधी आवश्यकताओं को प्रमुख रूप से पूरा करना है। तथापि, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा विकसित की गई प्रौद्योगिकी को आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकारों सहित संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध कराया जा सकता है।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा के लिए निधि का आबंटन

3149. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च शिक्षा हेतु निधि के आबंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का उच्च शिक्षा के लिए निधि के आबंटन को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वंचित लोगों हेतु अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों को संस्वीकृत/निर्गमित निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेषकर समाज के वंचित वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) केवल उन विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को अनुदान जारी करता है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-12ख के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्रत्येक योजना अवधि की शुरूआत में, ऐसे विश्वविद्यालयों एवं कालेजों द्वारा गत योजना अवधि में की गई प्रगति की समीक्षा करता है तथा उनकी निधियों की आवश्यकता का भी मूल्यांकन करता है। इसके बाद इन संस्थाओं को संपूर्ण योजना अवधि के लिए विकास अनुदान का आवंटन किया जाता है। ऐसे आवंटित अनुदानों का जारी किया जाना तथापि, संस्थान द्वारा पूर्ववर्ती अनुदान की उपयोगिता की प्रगति के आधार पर वार्षिक तौर पर किया जाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-12ख के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र घोषित किए गए विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को अनुदान जारी करने के तौर-तरीकों का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पात्र संस्थाओं के लिए संसाधनों के आबंटन से संबंधित मानदंडों में परिवर्तन करने के लिए पूर्ण रूप से समक्ष हैं।

(घ) और (ङ) केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, जहां मुख्यत: अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, में 9 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। जनजातीय अध्ययन पर फोकस करते हुए संसद के एक अधिनियम द्वारा मध्य प्रदेश के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (आईजीएनटीयू) की स्थापना की गई है। वर्तमान में, इस विश्वविद्यालय ने अमरकंटक में मुख्य परिसर के अतिरिक्त मणिपुर में एक परिसर की शुरूआत की है। केन्द्र सरकार द्वारा मुख्य तौर पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है।

महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कालेजों में छात्रावास एवं अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत, आयोग ने वर्ष 1995-96 के दौरान महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु एक विशेष आरंभ की थी। 11वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को इस स्कीम के अंतर्गत 854.3 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग (गैर क्रीमी-लेयर) एवं अल्पसंख्यकों के लिए उपचारी

कोचिंग स्कीम के अंतर्गत 11वीं योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालयों को 99.28 करोड़ रु. तथा कालेजों को 337.42 करोड़ रु. का अनुदान प्रदान किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेष शिक्षा में अध्यापक तैयार करने (टीईपीएसई) तथा विशेष आवश्यकताओं वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा (एचईपीएसएन) स्कीम के अंतर्गत 11वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक रीडर तथा शिक्षण अधिगम सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते हुए दृष्टिहीन अध्यापकों द्वारा शिक्षण एवं शोध में सहायता के लिए एक स्कीम भी तैयार की है। इस स्कीम के अंतर्गत 11वीं योजना के दौरान विश्वविद्यालयों को 36.85 करोड़ रु. तथा कालेजों को 16.93 करोड़ रु. का अनुदान आवंटित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग लाभवंचित वर्गों विशेषत: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा के अध्ययन हेतु विशेष अध्येतावृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है।

विश्वविद्यालयों एवं कालेजों को जारी किए गए अनुदानों का वर्षवार ब्यौरा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

साइबर स्पेस-विषयक सम्मेलन

3150. **प्रो. सौगत राय :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सम्पन्न हुए बुडापेस्ट साइबर स्पेस सम्मेलन में भाग लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों के विषय में भारत का रूख क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समनुदेशित नामों एवं संख्याओं हेतु इंटरनेट कारपोरेशन (आई.सी.ए.एन.एन.) के संबंध में गठित चार परामर्शदात्री समितियों में विकासशील देशों के और प्रतिनिधित्व की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर विकसित देशों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी कार्यदल की स्थापना की है/करने का प्रस्ताव किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) 3 से 5 अक्तूबर 2012 तक आयोजित साइबर स्पेस पर बुडापेस्ट कॉन्फ्रेंस सम्मेलन में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल में भाग लिया।

(ख) सम्मेलन के दौरान उठाए गए प्रमुख/बड़े मुद्दों में निम्नलिखित शामिल हैं:

— क्षमता निर्माण, नीति संबंधी बाधाएं और ड्राइवर।

— साइबर अपराध और ऐसे अपराधों को रोकने के उपाय।

— साइबर स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन और सहयोग।

— साइबर स्पेस से संबंधित सभी मुद्दों पर ज्यादा सहयोग।

(ग) और (घ) इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एन्ड नम्बर्स (आईसीएएनएन) की वृहद रूप से चार परामर्शदात्री समितियां हैं, नामत:

(i) सरकारी सलाहकार समिति

(ii) सुरक्षा और स्थिरता सलाहकार समिति

(iii) रूट सर्वर सिस्टम सलाहकार समिति

(iv) एट लार्ज सलाहकार समिति

भारत सरकारी सलाहकार समिति का प्रतिनिधि है। आईसीएएनएन की सलाहकार समिति के संबंध में देशों के अधिक प्रतिनिधित्व के लिए भारत सरकार द्वारा कोई औपचारिक अनुरोध नहीं किया गया है।

(ङ) और (च) सरकार ने ट्यूनिस एजेंडा की तर्ज पर बढ़े हुए सहयोग के लिए कार्यदल के गठन की मांग की है।

बी.पी.एल. वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति

3151. **श्री ए.टी. नाना पाटील :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) के परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित छात्रों की संख्या राज्य-वार कितनी है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों ने इस योजना को चलाने के लिए और अधिक निधि देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से संबंधित छात्रों के लिए कोई योजना नहीं है। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्रालय दो छात्रवृत्ति स्कीमों अर्थात केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय साधन-व-योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम और कालेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम प्रत्येक वर्ष कक्षा IX से छात्रों को 500 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराती है जो कुछेक शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन कक्षा XII तक जारी रहती है। सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त तथा स्थानीय निकाय के स्कूलों में नियमित छात्रों के रूप से अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक है, इस स्कीम के अंतर्गत चयन परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। कालेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति स्कीम उन प्रतिभावन छात्रों के लिए है जिनके माता-पिता की आयु 4.50 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है। छात्रवृत्ति की दर स्नातक स्तरीय अध्ययनों हेतु पहले तीन वर्षों के लिए 10,000 रुपए प्रति वर्ष तथा स्नातकोत्तर स्तरीय अध्ययनों और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के चौथे और पांचवें वर्ष के लिए 20,000 रुपए प्रति वर्ष है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन छात्रवृत्ति स्कीमों से लाभान्वित हुए छात्रों की संख्या दर्शाने वाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) राज्यों को निधियां आवंटित नहीं की जातीं। छात्रवृत्ति की राशि सीधे ही चयनित छात्रों के बैंक खातों में जमा की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम तथा कालेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित छात्रों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम			कॉलेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम		
		2009-10 (नए + 2008-09 के नवीकृत)	2010-11 (नए + 2008-09 और 2009-10 के नवीकृत)	2011-12 (नए + 2008-09, और 2010-11 के नवीकृत)	2009-10 (नए + 2008-09 के नवीकृत)	2010-11 (नए + 2008-09, और 2009-10 के नवीकृत)	2011-12 (नए + 2008-09, और 2009-10 के नवीकृत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	56	37	38	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	13175	6828	33880	10504	16601	21948
3.	अरुणाचल प्रदेश	208	208	491	–	–	–
4.	असम	15	372	1426	404	571	1180
5.	बिहार	1842	1842	8132	53	256	406
6.	चंडीगढ़	137	219	176	—	–	–
7.	छत्तीसगढ़	277	277	693	201	712	3588
8.	दादरा और नगर हवेली	44	66	92	—	–	–
9.	दमन और दीव	32	47	59		–	–
10.	दिल्ली	586	798	871	—	–	–
11.	गोवा	135	247	124	163	256	352
12.	गुजरात	857	3428	9772	7280	10408	13050
13.	हरियाणा	1172	1330	794	3014	4533	5838
14.	हिमाचल प्रदेश	455	549	433	691	1109	1260
15.	जम्मू और कश्मीर	88	150	362	43	107	128
16.	झारखंड	1395	1960	–	19	1123	2208
17.	कर्नाटक	2979	5423	6181	7358	10190	13454
18.	केरल	6946	–	18318	3860	6184	10542
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	2700	4706	2343	5201	7722	10328
21.	महाराष्ट्र	16126	16117	–	1916	3081	4316
22.	मणिपुर	312	312	–	43	43	44
23.	मेघालय	243	397	133	44	44	140

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	मिजोरम	206	309	409	4	15	27
25.	नागालैंड	2	57	68	13	27	152
26.	ओडिशा	2139	2139	7856	239	836	1326
27.	पुदुचेरी	190	314	349	-	-	-
28.	पंजाब	2056	2836	2030	1510	2673	3500
29.	राजस्थान	1864	1980	1597	5145	9123	15470
30.	सिक्किम	115	168	226	-	-	-
31.	तमिलनाडु	7188	9246	2328	8469	11697	13432
32.	त्रिपुरा	174	265	130	218	218	703
33.	उत्तर प्रदेश	10726	12422	3303	1516	6839	6639
34.	उत्तराखंड	1512	2157	419	187	374	432
35.	पश्चिम बंगाल	2974	4171	-	5671	11342	18224
36.	सी.बी.एस.ई	-	-	-	11685	14972	17264
37.	आई.सी.एस.ई	-	-	-	648	648	712
	कुल	78926	81377	103033	76099	121704	166663

त्रिपुरा में 'साइंस सिटी'

3152. श्री खगेन दास : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में 'साइंस सिटी' स्थापित करने का प्रस्ताव कब तैयार किया गया था;

(ख) इस परियोजना की शुरूआती अनुमानित लागत कितनी थी और इसे किस तारीख तक पूरा होना था;

(ग) क्या इस परियोजना को पूरा करने में देरी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त 'साइंस सिटी' का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : (क) संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, त्रिपुरा में साइंस सिटी स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विद्यालयीन पाठ्यक्रम में खाद्य परिरक्षण विषय

3153. **श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भोजन को बासी होने से बचाने के लिहाज से उसके परिक्षण के विषय को बच्चों के विद्यालयीन पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की कोई सलाह ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई मसौदा तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) के अंतर्गत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ)-2005 के माध्यम से माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में भोजन को बर्बादी से बचाने संबंधी विषयवस्तु के बारे में एक पत्र उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त हुआ था। एनसीईआरटी द्वारा विकसित एनसीएफ-2005 में कक्षा III से V के पर्यावरणीय अध्ययनों के पाठ्यक्रमों में खाद्यान्न को छह सामान्य विषयों में से एक के रूप में शामिल किया है। 'भोजन की बर्बादी' संबंधी विषय-वस्तु को माध्यमिक स्तर तक के स्वास्थ्य और भौतिक शिक्षा पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया है और उसमें भोजन को बर्बादी से बचाने पर जोर दिया गया है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने संबद्ध स्कूलों को सलाह ज़ारी की है कि वे छात्रों को संवेदनशील बनाने के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्या के अंतर्गत अपने पाठ्यचर्या तथा पाठ्येतर कार्यकलापों में भोजन संबंधी विषयों को शामिल करें।

भ्रष्टाचार की शिकायतें

3154. **श्री तूफानी सरोज : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के उन अध्यक्षों एवं प्रबंध निदेशकों की एक सूची तैयार की है जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सरकारी उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त शिकायतों पर विचार करने के लिए कोई आधिकारिक दल गठित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ङ) भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए अध्यक्षों एवं प्रबंध निदेशकों के विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) और (ख) अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार ब्यौरा केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी के अनुसार इसने वर्ष 2009, 2010, 2011 और 2012 (31.10.2012 तक) के दौरान सत्यापन के लिए 30 शिकायतें दर्ज की हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों के विरूद्ध दर्ज की गई इन शिकायतों का, शिकायत संख्या, सीएमडी का नाम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम, आरोप का स्वरूप और शिकायत/की गई कार्रवाई की स्थिति दर्शाते हुए, ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के मुख्य कार्यपालकों और कार्यात्मक निदेशकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों और कार्यात्मक निदेशकों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर मत बनाने के लिए लोक उद्यम विभाग के दिनांक 11.03.2010 और 11.05.2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 15(1)/2010-डीपीई(जीएम) के अंतर्गत सचिव (समन्वय), मंत्रिमंडल सचिवालय की अध्यक्षता में एक अधिकारी दल गठित किया गया है।

कभी-कभी एक ही व्यक्ति के विरूद्ध एक से ज्यादा शिकायतें प्राप्त होती हैं। प्राप्त कुल 285 शिकायतों के संबंध में समिति ने आज की तारीख तक 17 बैठकें आयोजित की हैं और कुल 240 शिकायतों पर विचार किया है और 218 मामलों में समुचित कार्रवाई की सिफारिश की।

(ङ) उपर्युक्त दल की सिफारिश उपयुक्त समझे जाने पर कार्रवाई के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाती है।

विवरण

पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2009, 2010, 2011 और 2012 (31.10.2012 तक) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों के विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त तथा दर्ज शिकायतें

2009

क्र. सं.	शिकायत संख्या और तारीख/शिकायत दर्ज करने की तारीख	संदेहास्पद अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पद नाम, तैनाती का स्थान, विभाग, मंत्रालय (यदि अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है तो बैच और संवर्ग का नाम)	आरोप संक्षेप में	31.10.2012 की स्थिति के अनुसार की गई कार्रवाई (नियमित मामला/प्रारंभिक जांच, एससीएन, नियमित विभागीय कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई इत्यादि) और शिकायत की मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5
1.	सीओ 1242009ए 0002 दिनांक 9.3.2009	बी.के. सिन्हा पूर्व सीएमडी एसईसीएल, बिलासपुर	बोर्ड के अनुमोदन के बिना माइन्स लाइन्स लि. से ट्रान्स स्विच यूनिट की खरीद में अनियमितताएं	समाप्त
2.	सीओ/एसीयू-वी/2009/01 दिनांक 12.2.2009	श्री देबी दास दत्ता, सीएमडी, जल एवं विद्युत कांसिस्टेंसी सेवा (इंडिया) लि. (डब्ल्यूएपीसीओएस)	जन्म तिथि बदलकर डब्ल्यू एपीसीओएस के रिकार्डों में हेरा-फेरी करना जिससे कि सेवा बढ़ाई जा सके	समाप्त
3.	सीओ 0392009 ए 0002 दिनांक 23.10.2009	मि. अरविन्द पंडालिया एसटीसी के पूर्व सीएमडी	एसटीसी और ग्लोबल स्टील के मध्य हुई खरीद/बिक्री के संविदाओं में अनियमितताएं	समाप्त
			2010	
1.	सीओ 0152010 ए 0019 दिनांक 18.10.2010	श्री के रघुरमैया, तत्कालीन अध्यक्ष पीपीटी	आय के ज्ञात स्रोतो से अधिक परिसंपत्तियों की खरीद और निर्माण तथा स्वामित्व से संबंधित संविदाओं को देने में अनियमितताएं और अनुचित लाभ कर दिया जाना।	पीई-3/2011, दिनांक 3.3.2011 को दर्ज किया गया और ऐसी कार्रवाई की सिफारिश श्री के. रघुरमैया, तत्कालीन अध्यक्ष, पीपीटी पारादीप, ओडिशा के विरूद्ध की गई
2.	सीओ 00392010 ए 0001 (बी) दिनांक 6.8.2010	श्री एम.पी. दीक्षित, सीएमडी एसईसीएल, बिलासपुर एवं मैसर्स वुलकान इन्ड्रस्ट्रीज लि. एवं मैसर्स एस.के. सामनता	मैसर्स बुलकान इंडस्ट्रीज लि. आनन्द को खरीद आदेश देने में भ्रष्टाचार	सत्यापन के अंतर्गत

1	2	3	4	5
3.	सीओ 0392010 ए 0001 (बी) दिनांक 2.6.2010	श्री एम.पी. दीक्षित, एस.ई.सी. एल.के.सी.एम.डी. और अन्य	निजी ठेकेदारों और अन्य के साथ एसईसीएल के अधिकारियों द्वारा एसईसीएल को संविदाओं को देने में अनियमितताएं	समाप्त और पहले ही दर्ज मामले में, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
4.	सीओ 1242010 ए 0008 दिनांक 1.10.2010	1. श्री एम.पी. दीक्षित, एसईएल के पूर्व सीएमडी, 2. श्री तपन घोष, कमीशन/लाइसेन्सिग एजेन्ट एवं मैसर्स पीएबी इंजीनियरिंग वर्कस, बिलासपुर के मालिक	जनरेटर सहित डायमंड चैन सा की खरीद, (II) टाक्सीमीटर और मल्टी गैस डिटेक्टर की खरीद (III) ब्रेदिंग उपकरण हेतु अतिरिक्त पुर्जों की खरीद में अनियमितताएं	समाप्त। मामले की जांच पड़ताल करने और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी, कोयला मंत्रालय को एक टिप्पणी भेजी गई
5.	सीओ 25/10 रेग्न की तारीख 05.10.10	डॉ. सतीश चन्द्र, सीएमडी बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज (बीजीसी) कोलकाता	खदानों और क्रशर से सीजूड लाइमस्टोन और डोलोमाइट को उठाने और ले जाने का कार्य देने मेसर्स बिसरास्टोन लाइम कंपनी को अनुचित लाभ दिया जाना।	ऐसी कार्रवाई जो उचित समझे, केन्द्रीय सतर्कता अधिकारी को सूचनार्थ सिफारिश करते हुए इस्पात मंत्रालय को एससीएन भेज दिया गया।
6.	सीओ/2010/एसीयू III/1 दिनांक 6.8.2010	श्री एस.के. गोयल, पूर्व सीएमडी, यूको बैंक	श्री एस.के. गोयल ने विभिन्न पार्टियों और व्यक्तियों के माध्यम से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में करोड़ों रुपए की घूस देकर यूको बैंक में सीएमडी का पद हथिया लिया।	समाप्त
7.	सीओ एसी-1 2010 ए 0002 दिनांक 22.03.2010	श्री एस. बत्रा, सीएमडी एमएमटीसी, नई दिल्ली	टाटा स्टील लि. के साथ उचित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना निविदा को खोलने में एएम टीसी के सीएमडी का गलत कार्य किया जाना।	समाप्त
8.	सीओ 2162010 ए 0006 दिनांक 21.10.2010	सीएमडी, आयल इंडिया लि., नई दिल्ली एवं अन्य	आईपीएआई आदि के माध्यम से प्रबंध निदेशक की पत्नी को इनाम की स्वीकृति प्रदान करने में सरकारी पद का दुरूपयोग किया जाना।	आवश्यक कार्रवाई हेतु 13.9.2012 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के संयुक्त सचिव और केन्द्रय सतर्कता अधिकारी को अग्रेषित
9.	4/2010 दिनांक 2.6.2010	श्री जार्ज जोसेफ, पूर्व सीएमडी सिंडीकेट बैंक	बैंक 'स अंधेरी (वेस्ट) ब्रान्च मुंबई से मैसर्स जूम डेवलपर्स प्रा.लि. को केडिट सुविधाओं की स्वीकृति और संवितरण में कई अनियमितताएं। इस खाते में 39 करोड़ रुपए की बकाया राशि घोषित की गई।	समाप्त
10.	सीओ/218/2010 ए 0001 दिनांक 12.03.2010	आर.एस. शर्मा, अध्यक्ष ओएनजीसी	ओएनजीसी, विदेश द्वारा यू.के. की इंपीरियल इनर्जी के सामान और संपत्ति को प्राप्त करने में भ्रष्ट तरीके का अपनाया जाना।	समाप्त

पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2009, 2010, 2011 और 2012 (31.10.2012 तक) पीएसयू के सीएमडी के विरुद्ध सीबीआई को प्राप्त पंजीकृत शिकायतें

2011

क्र. सं.	शिकायत संख्या और शिकायत की तिथि/पंजीकृत शिकायत के पंजीकरण की तिथि	संदेहास्पद अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पद नाम, तैनाती का स्थान, विभाग, मंत्रालय (यदि अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है तो बैच और संवर्ग का नाम)	आरोप संक्षेप में	31.10.2012 की स्थिति के अनुसार की गई कार्रवाई (नियमित मामला/प्रारंभिक जांच, एससीएन, नियमित विभागीय कार्रवाई, इत्यादि) और शिकायत की मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5
1.	सीओ 0152011ए 0029 दिनांक 22.7.2011	श्री ए.के. श्रीवास्तव, सीएमडी नालको, खनन मंत्रालय	एलुमिनिया पाउडर मामले एवं जीईटी/एमटी भर्ती मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त	जूनियर आपरेटर टेलीकाम (जेओटी) की भर्ती में अनियमितता के संबंध में दोषारोपण के एक भाग को सत्यापन के लिए इस अनुरोध के साथ सीवीओ नालको को भेजा गया था कि कोई अनियमितता मिले, तो इसे वापस सीबीआई को भेजा जाए। अतिरिक्त रेलवे लाइन के निर्माण में अनियमितता से संबंधित दोषारोपण के दूसरे भाग को स्थापित नहीं किया जा सका इसलिए बंद किया गया।
2.	सीओ 2162011 ए 0012 दिनांक 20.09.2011	श्री बी.एल. बागड़ा, सीएमडी, स्वतंत्र प्रभार, नालको, नई दिल्ली	धुले हुए कोयले के निजी कंपनियों को आपूर्ति आदेश जारी करना।	बंद
3.	सीआर 0682011 ई 0006 शिकायत की तिथि 17.01.2011 पंजीकरण की तिथि 03.05.2011	1. श्री टी.एस. विजयन, तत्कालीन भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई के अध्यक्ष 2. श्री मैथ्यू, प्रबंध निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम, मुंबई वित्त मंत्रालय	भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रचार एवं विपणन विभाग को आबंटित बजट एवं निधि का दुरूपयोग एवं विशिष्ट एजेंसी का पक्षपात।	बंद

1	2	3	4	5
4.	सीओ 13/2011 दिनांक 21.9.2011	श्री एस.के. गोयल, यूको बैंक, कोलकता के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	लोक सेवक के रूप में ऋण की स्वीकृति के संबंध में भ्रष्ट पद्धितियों को अंगीकार करना।	बंद
5.	सीओ 0782011 ई 0004 दिनांक 03.03.2011	श्री आर.एन. प्रदीप, कोर्पोरेशन बैंक, मंगलोर, के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	ऋण जारी करने में अनियमितताएं	इस शिकायत के दोषारोपणों पर विस्तृत जांच-पड़ताल के अनुरोध के साथ 4.3.2011 के पत्रों द्वारा सीवीसी, सचिव, नई दिल्ली एवं मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी, भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई, को अग्रेषित किया गया।
6.	का.ज्ञा.सं. 1126/बीएनके/12/134093 दिनांक 30.06.2011 सीवीसी, नई दिल्ली	श्री रामनाथ प्रदीप, कोर्पोरेशन बैंक के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कॉर्पोरेट कार्यालय, मंगला देवी मंदिर रोड, पांडेश्वर, मंगलोर	विभिन्न उधार लेने वालों को ऋण की स्वीकृति करने में कदाचार एवं अनियमितताएं	सीवीसी, नई दिल्ली की सीधी जांच-पड़ताल के आधार पर सीबीआई ने 6 प्रारंभिक जांच दर्ज की थी और जांच-पड़ताल पूरी होने के बाद सभी 6 प्रारंभिक जांच को बंद कर दिया गया है।
7.	सीओ/218/2011/ए 0001 दिनांक 26.12.2011	ए.एस. डिडोलकर, सीएमडी, एचओसीएल, रसियानी	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एचओसीएल, रसियानी एवं एचएफएल, हैदराबाद की सहायक कंपनियों में भ्रष्टाचार	सत्यापन के अधीन
8.	सीओ 2172011 ए 0004 एसीयू-वी दिनांक 4.3.2011	श्री सोमनाथ घोष, सीएमडी, एनआरडीसी, नई दिल्ली	एनआरडीसी में व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार अर्थात् निधि का दुर्विनियोजन और नियुक्ति में पक्षपात	चूंकि निधि मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित थी, आवश्यक कार्रवाई के लिए मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल के मुख्य सचिव को भेजा गया।
9.	सीओ 2172011 ए 00010 दिनांक 6.4.2011	श्री ए.आर. अंशारी, सीएमडी, नेवेली, लिग्नाईट, कारपोरेशन लिमिटेड	सीएमडी श्री ए.आर. अंशारी द्वारा निधियों का दुर्विनियोजन	आवश्यक कार्रवाई के लिए सीवीओ विद्युत मंत्रालय को अग्रेषित
10.	सीओ 01/11 दिनांक 19.01.11	1. श्री पारथ सार्थी भट्टाचार्य, सीएमडी, कोल इंडिया लिमिटेड 2. श्री टी.के. लाहिड़ी, सीएमडी,	(i) श्री पारथ सार्थी भट्टाचार्य द्वारा मैसर्स, बंगाल इमटा कोल माइंस लिमिटेड एवं बीसीसीएल को कोयला ब्लाक स्थानांतरण करने के मामले में बीसीसीएल को गलत	एससीएन दिनांक 10.01.2012 को सीवीसी, नई दिल्ली के निदेशक को भेजा गया था। इस मामले को देखने के लिए एवं

1	2	3	4	5
		भारत कुकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)	ढंग से पहुंचाई गई हानि एवं उपहार के रूप में कार स्वीकार करना (ii) श्री टी.के. लाहिड़ी द्वारा आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपदा प्राप्त करना।	आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एससीएन की प्रति जे.एस. एवं सीवीओ कोल मंत्रालय भारत सरकार को भी भेजी गई थी।
11.	सीओ/2011/एसीयू. III/1 दिनांक 10.1.2011	श्री एस.के. गर्ग, सीएमडी, एनएचपीसी एवं अन्य	श्री एस.के. गर्ग, सीएमडी एवं एनएचपीसी के अन्य पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा प्रायोजित आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत निधि का पथांतरण करके 7 सौ करोड़ रुपए से अधिक की सार्वजनिक निधि का दुर्विनियोजन किया।	बंद

पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2009, 2010, 2011 और 2012 (31.10.2012 तक) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशकों के विरूद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्राप्त तथा दर्ज. शिकायतों का ब्यौरा

2012

क्र. सं.	शिकायत संख्या और तारीख/शिकायत दर्ज करने की तारीख	संदेहास्पद अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का पद नाम, तैनाती का स्थान, विभाग, मंत्रालय (यदि अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी है तो बैच और संवर्ग का नाम)	आरोप संक्षेप में	31.10.2012 की स्थिति के अनुसार की गई कार्रवाई (नियमित मामला/ प्रारंभिक जांच, एससीएन, नियमित विभागीय कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई इत्यादि) और शिकायत की मौजूदा स्थिति
1	2	3	4	5
1.	सीओ 05/12 19.03.2012	श्री वी.आर.एस. नटराजन, सीएमडी, बीईएमएल, बंगलौर	हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंटस के लाने ले जाने के लिए निविदा देने में अनियमितताएं	आवश्यक कार्रवाई के लिए रक्षा मंत्रालय को भिजवा दिया गया
2.	सीओ 46/12 26.09.2012	श्री आर.पी. टाक, सीएमडी, सिमेंट कार्पोरेशन आफ इंडिया लि.	निदेशक विपणन और वित्त के रूप में शक्तियों का वर्ष 2006-07 में दुरूपयोग किया और सीसीआई की नियम पुस्तिका के मानदंडों का उल्लंघन किया। सीएमडी के रूप में सिमेंट, कलिंकर इत्यादि की खरीद और बिक्री की संविदा देने में भ्रष्ट पद्धतियां अपनाईं	सत्यापन किया जा रहा है
3.	सीआर/026/2012/ए/ 0003 दिनांक 23.05.2012	श्री के. राम चन्द्रन पिल्ले, सीएमडी, राष्ट्रीय वस्त्र निगम	राष्ट्रीय वस्त्र निगम, दिल्ली में पदोन्नति के मामले संबंधी	सत्यापन किया जा रहा है

1	2	3	4	5
4.	सीओ 2162012 ए 0001 दिनांक 1.2.2012	श्री ए.के. श्रीवास्तव, पूर्व सीएमडी, नालको	कोल आपूर्ति की संविदा दिए जाने में निधियों का दुरविनियोजन और पक्षपात करना	आवश्यक कार्रवाई के लिए आयुक्त आयकर को एससीएन भिजवा दिया गया
5.	सीओ 2162012 ए 0004 दिनांक 14.2.2012	श्री शकील अहमद, सीएमडी, एचसीएल और अन्य	हिन्दुस्तान कॉपर लि. के मलाजखंड, जिला बालाघाट स्थित कापर प्रोजेक्ट पर भूमिगत खदान विकसित करने के लिए निविदा आबंटित करने में 500 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया	सत्यापन किया जा रहा ह
6.	सीओ 0152012 ए 0014 दिनांक 13.8.2012	श्री सतीश चन्द्र, सीएमडी, बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज	श्री सतीश चन्द्र ने खान माफिया के साथ मिलीभगत करके ओडिशा में पट्टा आधारित बीजीसी की सभी खानों को बंद कर दिया था ताकि माफिया के माध्यम से गैर कानूनी खनन शुरू किया जा सके	बंद कर दिया गया

[अनुवाद]

पिछड़े जिलों की सूची में शामिल किया जाना

3155. **श्री शिवराम गौडा : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में गुलबर्गा जिले से अलग करके गठित किए गए यद्‌गिरी जिले को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ) योजना के तह शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रायचूर जिले से अलग करके गठित किए गए कोप्पल जिले को उसके पिछड़ेपन के बावजूद, उक्त योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को कोप्पल जिले को बी.आर.जी.एफ योजना के तहत शामिल करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) वर्ष 2006-07 में सरकार द्वारा शुरू किए गए पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) में प्रारंभ में 250 जिलों को कवर किया गया था, जिसमें कर्नाटक के गुलबर्गा सहित 5 जिले शामिल थे। बीआरजीएफ के अंतर्गत कवर किए जाने वाले जिलों की पहचान हेतु निर्धारित मानदंडों के अनुसार बीआरजीएफ के अंतर्गत कवरेज हेतु पहचान किए जाने वाले जिले जनगणना 2001 के अनुसार थे। चालू वित्त वर्ष में जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच बीआरजीएफ जिलों से अलग कर बनाए गए सभी जिलों को बीआरजीएफ के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया गया है। गुलबर्गा जिले को विभाजित कर बनाए गए यद्‌गिरी जिले को बीआरजीएफ के अंतर्गत कवर कर लिया गया है।

(ग) और (घ) कर्नाटक के कोप्पल जिले को जनगणना 2001 के पहले रायचूर जिले के विभाजन से बनाया गया था अत: निर्धारित मानदंडों के अनुसार बीआरजीएफ के अंतर्गत कवरेज हेतु यह अर्हक नहीं था।

(ङ) और (च) कर्नाटक के कोप्पल जिले को बीआरजीएफ के अंतर्गत शामिल करने के संबंध में माननीय संसद सदस्य से नवंबर 2011 में अनुरोध प्राप्त हुआ था। माननीय सदस्य को 21-12-2011 को उत्तर प्रेषित कर दिया गया था।

[हिन्दी]

संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाना

3156. श्री राम सुन्दर दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संस्कृत शिक्षा के प्रति अभिरूचि लगातार घट रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या सुधारोपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों की वित्तीय और अन्य प्रकार से मदद की है; और

(घ) यदि हां, तो संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई सहायता का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) संस्कृत में नामांकित छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है और उसके अनुरूप संस्कृत शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा जारी अनुदानों में भी संगत वृद्धि हुई है। भारत सरकार राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति और महर्षि सांदिपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के माध्यम से संस्कृत भाषा का संवर्धन कर रही है। इसके अलावा विभिन्न संस्कृत विश्वविद्यालयों से संबद्ध 1057 संस्कृत कालेज/केन्द्र हैं जिनका वित्तपोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा किया जा रहा है। यूजीसी संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान हेतु निधियां उपलब्ध कराती है। यूजीसी विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) के तहत् चयनित विश्वविद्यालयों को संस्कृत में उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के विकास हेतु अनुदान भी उपलब्ध कराता है।

(ग) और (घ) भारत सरकार संस्कृत शिक्षा के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों को सीधे अनुदान उपलब्ध नहीं कराती है। हालांकि, यह इसकी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के माध्यम से विभिन्न राज्यों में स्थित स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों को सहायता उपलब्ध कराती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों को दी गई सहायता का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(लाख रुपये)

क्र. सं.	संस्थान/विश्वविद्यालय का नाम और (द्वारा वित्तपोषित)	2009-2010	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा)	8510.00	8748.00	10800.00
2.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)	1714.61	1798.00	2057.20
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति, आंध्र प्रदेश (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)	1779.07	1448.36	1869.32
4.	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)	शून्य	शून्य	196.36
5.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय, कलाडी, केरल (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)	शून्य	285.94	शून्य

1	2	3	4	5
6.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विद्यापीठ, पुरी, ओडिशा (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)	105.50	85.76	235.25
7.	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग)	90.00	138.85	शून्य
8.	महर्षि सांदिपनी राष्ट्रीय भेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, मध्य प्रदेश (मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा)	1200.00	1200.00	1200.00

[अनुवाद]

डिजिटल परिरक्षण

3157. **श्री एम.के. राघवन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजिटल परिरक्षण उत्कृष्टता केन्द्र कार्यक्रम के तहत केरल और विभिन्न राज्यों में संस्थानों की पहचान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा राज्य-वार ब्यौरा क्या है और क्षेत्रों की पहचान और चयन करते हुए राष्ट्रीय डिजिटल परिरक्षण नीति और कार्यतंत्र बनाने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को प्रदत्त जानकारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डिजिटल परिरक्षण का कार्य पुणे स्थित 'सी-डैक' संगठन के ह्यूमन-सैंटर्ड डिजाइन एंड कम्प्यूटिंग ग्रुप को सौंपा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आवश्यक उपस्करों, प्रौद्योगिकियों, मार्गदर्शी सिद्धांतों और अब तक सर्वोत्तम कार्याभ्यास सृजित करने के लिए डिजिटल परिरक्षण के क्षेत्र में हुए अनुसंधान और विकास कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(च) इसमें कितना व्यय अंतर्ग्रस्त है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इलेक्ट्रॉनिक माल का लंबे समय तक संग्रहण करने के लिए आवश्यक टूल, प्रणालियों और मानकों के संदर्भ में आवश्यक सामर्थ्य और क्षमताओं को विकसित करने के उद्देश्य से डिजिटल संरक्षण के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने के लिए अप्रैल, 2011 में सी-डैक, पुणे में डिजिटल संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केन्द्र परियोजना की शुरूआत की गई।

(ङ) और (च)

- विकसित किए गए ई-रिकॉर्डों के लिए मानक, सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां और दिशानिर्देश।
- डोमेन विशिष्ट संरक्षण प्रणालियां और उपकरणों का विकास किया जा रहा है।
- भारतीय परिप्रेक्ष्य में अनुकूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का अध्ययन चल रहा है।

ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

1.75 करोड़ रुपए की पहली किश्त उपरोक्त गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर ली गई है। 3.5 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त वित्त वर्ष 2012-13 में जारी की गई है।

विवरण

निम्नलिखित दो डिजिटल संरक्षण मानकों का विकास किया गया है।

- संरक्षणीय ई-रिकॉर्डों का उत्पादन (पीआरओपीईआर) : सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां और दिशानिर्देश।
- ई-रिकॉर्डों के सूचना प्रलेखन के संरक्षण के लिए ई-शासन मानक (ई-शासन एसपीआईडीईआर)

निम्नलिखित डोमेन विशिष्टि डिजिटल संरक्षण प्रणालियों का विकास किया जा रहा है:

- ई-रिकॉर्ड डिजिटालय : यह डिजिटल संरक्षण प्रणाली ई-सरकार के माध्यम से प्रस्तुत ई-रिकॉर्डों की आवश्यकताओं पर फोकस करती है। (दस्तावेजों का कंप्यूटर आधारित पंजीकरण (सीएआरडी आंध्र प्रदेश)।
- अभिलेख डिजिटालय : यह डिजिटल संरक्षण प्रणाली सरकारी अभिलेखागार के पास उपलब्ध पुनर्गठित डिजिटल रिकॉर्डों की आवश्यकताओं पर फ़ोकस करती है। (भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार)
- संस्कृति डिजिटालय : यह डिजिटल संरक्षण प्रणाली सांस्कृतिक डिजिटल डेटा की आवश्यकताओं पर फ़ोकस करती है। (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र (आईजीएनसीए)।
- प्री-सबमिशन इनफॉर्मेशन पैकेजिंग (प्री-एसआईपी टूल)
- सरकारी रिकॉर्डों के संबंध में लागू विभिन्न धारणीय और विन्यास व्यवस्था संबंधी नियमों के अन्वेषणीय डेटाबेस।

भारतीय संदर्भ में अनुकूलन के लिए निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय मानकों का अध्ययन चल रहा है।

- आईएसओ/डीआईएस 16363 : 2012 विश्वसनीय डिजिटल रिपोसिटोरीज़ की लेखापरीक्षा और प्रमाणीकरण।
- आईएसओ 14721 : 2003 मुक्त पुरालेखीय सूचना प्रणालियां (ओएआईएस) संदर्भ मॉडल।
- आईएसओ/टीआर 15489-1 और 2 सूचना और प्रलेखन-रिकॉर्ड प्रबंधन।

[हिन्दी]

स्कूलों में चिकित्सा सुविधा

3158. **श्री भूदेव चौधरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने राजधानी में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को डाक्टरों और नर्सों को तैनात करने के लिए निदेशित किया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के कितने स्कूलों में इन दिशा-निर्देशों को लागू किया गया है और इन स्कूलों के नाम और स्थान क्या हैं; और

(ग) क्या भविष्य में दिल्ली के सभी स्कूलों में डाक्टरों और नर्सों को तैनात किया जाना प्रस्तावित है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने प्रस्ताव बनाम राजकीय उच्च माध्यमिक बाल विद्यालय एवं अन्य के तहत रिट याचिका (सी) संख्या 7814/2011 के संबंध में दिए गए दिनांक 08.08.2012 के अपने आदेश में दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली के नियम-38 को कार्यान्वित करने के लिए एक निदेश दिया है, जिसमें स्कूल के लिए एक चिकित्सा अधिकारी का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्रशासन ने हमें सूचित किया है कि शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ समन्वय करते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए कार्य-रीति तैयार कर रहा है।

[अनुवाद]

दूतावासों में अपेक्षित संख्या से कम कर्मचारी

3159. **श्री चार्ल्स डिएस : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात तथा अन्य खाड़ी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में अपेक्षित संख्या से कम कर्मचारी पदस्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेश स्थित मिशनों द्वारा खाड़ी देशों में भारतीय लोगों की समस्याओं का समाधान करने में अत्यधिक विलंब की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तथा अन्य खाड़ी देशों सहित विदेश स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों में संबंधित संस्वीकृत संख्या के अनुसार ही कर्मचारियों की भर्ती की जाती है। विदेश मंत्रालय विदेश स्थित अपने मिशनों/केन्द्रों में कर्मचारियों की आवश्यकताओं का नियमित रूप से आकलन करता है और उनकी आवश्यकताओं तथा जनशक्ति की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर कार्मिकों की संख्या को समयोजित किया जाता है।

(ग) से (ङ) संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) तथा अन्य खाड़ी देशों, जहां विश्व में अधिकम संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं, में स्थित भारतीय मिशन/केन्द्र भारीय नागरिकों के कोंसुली मुद्दों/समस्याओं पर प्राथमिकता आधार पर ध्यान देते हैं और खाड़ी देशों में स्थित संबंधित मिशनों/केन्द्रों द्वारा ऐसे अवसरों को छोड़कर जहां मेजबान देश की सरकारों की ओर से कार्यवाहीमूलक एवं कानूनी विलंब हुए हों, भारतीयों की समस्याओं को दूर करने में अनावश्यक विलंब नहीं हुआ है। हमारे मिशन/केन्द्र 24/7 हेल्पलाइन के जरिए हमारे प्रवासियों के साथ निकट संपर्क में रहते हैं, भारतीय नागरिकों तथा उनके एशोसिएशनों के साथ बार-बार बातचीत करते हैं और प्रत्येक माह निश्चित दिनों पर नियमित ओपन हाउस आयोजित करते हैं जिसका उद्देश्य उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना और उनके हित एवं कल्याण को बढ़ावा देना है।

घोटालों से संबंधित गुम फाइलें

3160. श्री रुद्रमाधव राय : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने शासनकाल के दौरान उजागर हुए विभिन्न घोटालों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फाइलें खो/गुम कर दी हैं

(ख) यदि हां, तो प्रकाश में आए घोटालों का ब्यौरा क्या है और इन घोटालों से संबंधित फाइलों की स्थिति क्या है;

(ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच पर इसका संभावित प्रभाव क्या है;

(घ) महत्वपूर्ण सूचना को सुरक्षित रखने हे प्रस्तावित सुरक्षात्मक उपाय क्या हैं; और

(ङ) इन घोटालों से संबंधित फाइनों को खोने हेतु उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित दंडात्मक कार्यवाही क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) से (ग) ऐसा कोई केन्द्रीकृत आंकड़ा नहीं रखा जाता है। तथापि, सीबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 6 मामले (सभी मुख्य रूप से राज्य सरकारों से जुड़े) हैं जहां फाइल/कागजात/दस्तावेज खो गए/गुम हो गए हैं। इन मामलों के मामला संख्या, आरोप, लापता दस्तावेज और जांच पर प्रभाव दर्शाने वाले ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) वर्गीकृत कागजात संभालने के संबंध में, कार्यालय पद्धति पुस्तिका में दिए गए अनुदेशों के अनुसार, संबंधित अधिकारी को विशेष देखरेख और गृह मंत्रालय द्वारा जापरी ''विभागीय सुरक्षा अनुदेशों'' के प्रावधानों का अनुकरण करना होता है। इन अनुदेशों के अनुसार वर्गीकृत कागजात को या तो अधिकारियों द्वारा स्वयं अथवा 'गुप्त' या 'अति गुप्त' नाम वाले अनुभागों द्वारा संभाले जाने की उम्मीद की जाती है।

(ङ) उपर्युक्त अनुदेशों का उल्लंघन करने पर संगत नियमों के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

सरकारी विभाग की गुम हो गई/चुरा लीं गई फाइलों के संबंध में सीबीआई का ब्यौरा

1. आरसी 8(ए)/2011- मुंबई अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध इस आरोप पर दर्ज की गयी है कि सड़क को हटाने और आदर्श हाऊसिंग मुंबई की सीआरजेड अनापत्ति संबंधी

महाराष्ट्र राज्य के शहरी विभाग की फाइल से नोट शीट और पत्राचार की 4 फाइलें गुम हो गई थीं/चुरा ली गई थीं। गुम हो गए दस्तावेजों के कारण आदर्श हाऊसिंग के फाइल में दिए गए कतिपय अनुमोदन को दस्तावेजी रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका था। परंतु यह मामले की सुनवाई के लिए मुख्य बाधा नहीं थी।

2. रांची में बहुमंजिल इमारत के निर्माण की अनुमति देने के लिए झारखंड क्षेत्रीय विकास अधिनियम, 2001 और अन्य उप नियमों का उल्लंघन करने के संबंध में तत्कालीन सचिव आरआरडीए, रांची, श्री मेंडिलवार और 17 अन्य के विरुद्ध एसीबी रांची के मामला संख्या आरसी 3/2011 में यह पाया गया कि आरआरडीए की कुछ फाइलें गुम हो गई थीं। इससे मामले के अन्वेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे कतिपय लोक सेवकों की जिम्मेवारी तय करने में कठिनाई आ सकती है।

3. झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में झारखंड सरकार में विभिन्न सरकारी अधिकारियों के चयन के लिए अपनाए गए बेईमान और धांधली वाले तरीकों की जांच किए जाने के संबंध में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने इसके अन्वेषण का कार्य केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा था। इस बारे में सीबीआई द्वारा 12 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में से 2 मामलों अर्थात आरसी-10/2012-एसीबी रांची और पीई 5/2012 एसीबी रांची में यह बात सामने आई कि परीक्षा, उम्मीदवारों के आवेदन, उत्तर पुस्तिका, ओएमआर शीट इत्यादि के संबंध में कतिपय फाइलें गुम हो गईं हैं। इन दस्तावेजों के गुम होने से इन मामलों की अन्वेषणों की जांच-पड़ताल प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

4. देवघर जिला के देवघर और मोहनपुर सर्कल के अधिकार क्षेत्र में गैर हस्तानांतरणीय भूमि की सरकारी और गैर सरकारी बिक्री और खरीद में अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई को राज्य सतर्कता का मामला अंतरित करते हुए झारखंड राज्य सरकार के आदेश के आधार पर दो मामले अर्थात आरसी 15(ए)/और आरसी 16(ए)/2012-एसीबी धनबाद दर्ज किए गए हैं। इन मामलों की जांच-पड़ताल करने के पश्चात यह पाया गया कि जिला उप पंजीयक और जिला रिकार्ड रुम के कार्यालय से संबंधित गांव इत्यादि के बिक्री प्रमाण पत्र, रजिस्टर, सूची-I/II और और रजिस्टर-II चुरा लिए गए थे। इस बारे में स्थानीय पुलिस द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है जिसमें 2 व्यक्तियों को आरोप पत्र दिए गए थे। इन दस्तावेजों के गुम होने से आरोपों को सिद्ध करने के संबंध में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

[हिन्दी]

विदेशों में रोजगार हेतु परिषद

3161. **श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे : क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में भारतीयों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोई केन्द्रीय परिषद स्थापित की गई या प्रस्तावित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परिषद विदेशों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि) : (क) और (ख) जी हां। प्रवासी रोजगार संवर्धन परिषद (सीपीओई), जिसे अब उत्प्रवास के लिए भारतीय केंद्र (आईसीएम) के नाम से कहा जाता है, की स्थापना 2008 में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ की गई थी:-

(i) भारतीयों के विदेशी रोजगार के संवर्धन हेतु दीर्घकालीन रणनीतियों के लिए युक्ति और निष्पादन माध्यम हेतु एक "चिंतन सागर" के रूप में कार्य करना।

(ii) श्रमिक भेजने वाले और श्रमिक प्राप्त करने वाले विभिन्न देशों की रणनीतियों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों में प्रवृति को नियमित रूप से मानीटर करना, अध्ययन करना और विश्लेषण करना।

(iii) एक श्रम सप्लायर के रूप में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी

बनने के लिए एक राष्ट्रीय रणनीति का विकास करना व उसे बनाए रखना।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय श्रम बाजारों पर अध्ययनों का आयोजन करना और भारतीय युवाओं के लिए उभरने वाले विदेशी रोजगार अवसरों की पहचान करना।

(v) प्रवासी भारतीय कामगारों को निजी भर्ती इंडस्ट्री द्वारा प्रदान की गई रोजगार सेवाओं के "उपभोक्ताओं" के रूप में अवस्थित करना।

(vi) भारत को कुशल, प्रशिक्षित और योग्य कामगारों के एक सप्लायर के रूप में प्रोजेक्ट करना।

(vii) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और विशेष राज्यों/देश के लिए उत्प्रवास और लिंग हेतु अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा विकसित प्रशिक्षण सामग्री को अनुकूल बनाना।

(viii) प्रवासी भारतीय कामगारों के लिए आवश्यकता आधारित कल्याण योजनाओं का संचालन करना।

(ग) और (घ) परिषद की स्थापना, विदेशों में रोजगार के संवर्धन, प्रवासी भारतीय कामगारों की बेहतर सुरक्षा व कल्याण के लिए एक रणनीतिक "चिंतन सागर" के रूप में कार्य करके, एक संस्थानात्मक तंत्र के रूप में की गई थी।

[अनुवाद]

फास्ट ब्रीडर रिएक्टर

3162. **डॉ. संजय जायसवाल : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी नाभिकीय ईंधन भंडारों के पूर्ण उपयोग हेतु फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (एफबीआर) का विकास आवश्यक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एफबीआर से नाभिकीय सुरक्षा और बिजली उत्पादन के संबंध में कुछ चुनौतियां हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त चुनौतियों के समाधान हेतु क्या कदम परिकल्पित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में एफबीआर डिजायनों में इन पहलुओं को पूर्णत: समाविष्ट और प्रचालित कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा विभाग के त्रि-चरणीय नाभिकीय विद्युत कार्यक्रम के दूसरे चरण का द्योतक है और इसका उद्देश्य हमारे देश में यूरेनियम के मौजूदा संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों में प्रतिवर्ष 42,000 गीगावाट-ई बिजली का उत्पादन करने की क्षमता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर U-238 से प्लूटोनियम का उत्पादन करने की एक सक्षम पद्धति प्रदत्त करते हैं। प्लूटोनियम/U-238 को ईंधन के रूप में उपयोग में लाने वाले उपयुक्त रूप से अभिकल्पित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में, उपयोग किए गए प्लूटोनियम की तुलना में U-238 से अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में नए प्लूटोनियम को उत्पादित किया जा सकता है। प्लूटोनियम की अतिरिक्त मात्रा का उपयोग अतिरिक्त फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को स्थापित करके किया जा सकता है और इस प्रकार, यूरेनियम की पूर्ण ऊर्जा क्षमता का उपयोग फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों द्वारा किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, हमारी आवश्यकतानुसार नाभिकीय विद्युत क्षमता का विस्तार भी किया जा सकता है। अत:, हमारे देश को दीर्घावधि तक ऊर्जा संबंधी सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कार्यक्रम का होना आवश्यक है।

(ख) और (ग) फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के डिज़ायन में सुरक्षा के तीन स्तर हैं (नामत:) (क) अपक्रांतिकता के नकारात्मक फीडबैक गुणांक वाली एक अंतर्निहित सुरक्षित, स्थायी प्रणाली का डिज़ायन तैयार करना और उसका निर्माण करना (ख) शीतलक तापमान और प्रवाह मानीटर, ईंधन मानीटर के काम न करने आदि जैसी असामान्य घटनाओं के घटित होने की स्थिति में काम करने के लिए विविध और अतिरिक्त बचाव प्रणालियों का समावेशन और (ग) रिएक्टर पात्र तथा संरोधन पात्र का अभिकल्पन और निर्माण इस प्रकार से करना ताकि यदि पहले और दूसरे स्तर के सुरक्षोपाय विफल हो जो हैं, तो उस स्थिति में भी लोग किसी भी प्रकार के खतरे रसे सुरक्षित रहें।

सुरक्षा के साथ कोई समझौता किए बिना, संघटकों की संख्या

को कम करके, एक संहत संयंत्र विन्यास को अपनाकर और ईंधन के बर्न-अप को बढ़ाकर लागत को काफी हद तक कम करने का प्रयास किया गया है। किसी विशेष परियोजना स्थल पर, जहां आधारभूत सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं, और अधिक रिएक्टरों का निर्माण करके, लागत को और अधिक कम किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) जी, हां। भारतीय फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का डिज़ायन तैयार करके समय सुरक्षा और मितव्ययता पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है। रिएक्टर में सोडियम और उच्च तापमान वाले पर्यावरण के अंतर्गत विश्लेषणात्मक और अंकीय विश्लेषण, तथा व्यापक परीक्षणात्मक जांच के माध्यम से सुरक्षा को अच्छी तरह से प्रदर्शित किया गया है। इन्हें इन-हाउस विशेषज्ञता/सुविधाओं और सहयोगात्मक कार्यों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। संयंत्र का डिज़ायन तैयार करने से लेकर संघटकों को स्थापित करने के चरण तक, सभी चरणों में डिज़ायन और सुरक्षा संबंधी पहलुओं की व्यापक रूप से समीक्षा परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) के अंतर्गत देश के सुयोग्य विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। पच्चीस वर्षों से भी अधिक समय तक, कलपाक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के सुरक्षित प्रचालन से, फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों के सुरक्षा संबंधी पहलुओं के बारे में हमारा विश्वास भी बना है।

उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति

3163. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री रामकिशुन :
श्रीमती कैसर जहां :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में 'उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना लागू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार उक्त योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त किए गए उर्दू अध्यापकों की संख्या कितनी है; और

(घ) उर्दू अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) इस मंत्रालय की 'भाषा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत हिन्दी/उर्दू/आधुनिक भारतीय भाषा अध्यापकों की नियुक्ति के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत अध्यापकों की भर्ती राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। स्कीम मांग आधारित है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों की स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार जांच की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत अध्यापकों की भर्ती राज्यों द्वारा की जाती है।

(ग) वर्ष 2009-10 के दौरान पंजाब में उर्दू के 42 अध्यापक नियुक्त किए गए थे। वर्ष 2010-2011 के दौरान उड़ीसा में उर्दू के 25 अध्यापक नियुक्त किए गए थे। वर्ष 2010-11 में केरल में उर्दू के 208 अध्यापकों को मानदेय का भुगतान किया गया था। वर्ष 2011-2012 और वर्ष 2012-2013 के दौरान उर्दू अध्यापकों की कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

(घ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों से स्कीम के अनुसार प्रस्ताव भेजने का अनुरोध करता है।

नए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की स्थापना

3164. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षो के दौरान देश में स्थापित/खोले गए नए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार देश में नए कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और स्कूलों को खोलने हेतु कुल कितनी निधियां आबंटित की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, वर्ष 2009-10 और 2012-13 के बीच 50,235 प्राथमिक स्कूल और 25,881 उच्च प्राथमिक स्कूल संस्वीकृत किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान स्कूल भवन के निर्माण के लिए 5,412 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत

की गई थी। इसी प्रकार, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2009-10 और 2011-12 के बीच 9636 नए माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए 4562 करोड़ रुपए की राशि संस्वीकृत की गई थी।

अभिचिन्हित 374 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों, जिनमें सकल नामांकन अनुपात 12.4% के राष्ट्रीय औसत से कम है, प्रत्येक में एक मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की योजना वर्ष 2010 में शुरू की गई है। देश के अभिचिन्हित शैक्षिक रूप से पिछड़े 374 जिलों में प्रत्येक में नए मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 155 प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्राप्त हुए हैं जिनमें से विगत तीन वर्ष के दौरान 86 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है। पिछले तीन वर्ष के दौरान, केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अंतर्गत 16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (जिनमें तीन तत्कालीन राज्य विश्वविद्यालयों का रूपांतरण शामिल है) की स्थापना की है।

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान नए मॉडल डिग्री कॉलेज खोलने के लिए क्रमश: 28.035 करोड़ रुपए और 33.375 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। विगत तीन वर्ष के दौरान, नवस्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी अनुदानों (योजनागत और योजनेतर के तहत) की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

नए स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को जारी धन की स्थिति

क्र. सं.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम	योजनागत के तहत जारी अनुदान				योजनेतर के तहत जारी अनुदान			
		2009-10	2010-11	2011-12	कुल	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार	400.00	1500.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात	600.00	2500.00	3000.00	6100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा	400.00	4000.00	4400.00	8800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	300.00	1500.00	1000.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू	0.00	0.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड	1125.00	4000.00	4900.00	10025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक	2500.00	9075.00	10000.00	21575.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर	400.00	1000.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केरल	400.00	1250.00	2500.00	4150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ओडिशा	1475.00	3000.00	3500.00	7975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब	1500.00	2500.00	2500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान	400.00	8000.00	10700.00	19100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	केन्द्रीय विश्वविद्यालय, तमिलनाडु	3000.00	7000.00	9800.00	19800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	डा. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय	1000.00	1500.00	6946.96	9446.96	5501.99	6521.88	7366.84	19390.71
15.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	3500.00	3000.00	4560.00	11060.00	2365.55	3491.20	3105.70	8962.45
16.	एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय	3000.00	4500.00	10680.82	18180.82	4735.37	4022.66	5886.59	14644.62
	कुल	20000.00	54325.00	75637.78	149962.78	12602.91	14035.74	16359.13	42997.78

पासपोर्ट सेवा केन्द्र

3165. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :**
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम :
श्री एस. सेम्मलई :
श्री आधि शंकर :
श्री एस.आर. जेयदुरई :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में स्थान-वार प्रारंभ किए गए पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इनके द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या कितनी है;

(ख) शेष पीएसके को स्थान-वार कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर सुदूर क्षेत्रों में और अधिक पासपोर्ट कार्यालय और पीएसके खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा देश के सुदूर क्षेत्रों में रह रहे लोगों की चिन्ताओं के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : (क) और (ख) पासपोर्ट सेवा परियोजना के अंतर्गत नियोजित 37 पासपोर्ट कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र में सभी 77 पासपोर्ट सेवा केन्द्र (पीएसके) शुरू किए जा चुके हैं। उनकी सूची संलग्न है। 01.01.2010 से नई प्रणाली में जारी पासपोर्टों की संख्या निम्नलिखित हैं:-

2010	:	1,55,343 (प्रचालनरत पासपोर्ट केन्द्रों की संख्या-7)
2011	:	8,10,684 (प्रचालनरत पासपोर्ट केन्द्रों की संख्या-30)
1.1.2012 से 30.11.2012	:	37,40,208 (प्रचालनरत पासपोर्ट केन्द्रों की संख्या-77)

नई प्रणाली में जारी पासपोर्टों की कुल संख्या: 47,06,235

(ग) और (घ) इस समय किसी भी स्थान पर पासपोर्ट कार्यालय खोलने की कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकार का देश के दूर-दराज के क्षेत्रों सहित निम्नलिखित स्थानों पर पासपोर्ट सेवा लघु केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है—

(i) आंध्र प्रदेश: करीमनगर व भीमावरम, (ii) अरुणाचल प्रदेश: ईटानगर, (iii) बिहार: दरभंगा, (iv) जम्मू और कश्मीर: लेह, (v) कर्नाटक: गुलबर्गा, (vi) मेघालय: शिलांग, (vii) मिजोरम: आईजॉल, (viii) मणिपुर: इम्फाल, (ix) नागालैंड: कोहिमा, (x) सिक्किम: गंगटोक, (xi) त्रिपुरा अगरतल्ला, (xii) पुदुचेरी संघशासित प्रदेश, (xiii) पश्चिम बंगाल: सिलिगुडी, खड्गपुर व कोलकाता (शाखा सचिवालय)।

विवरण

पासपोर्ट कार्यालयों के अधीन पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) की सूची

पासपोर्ट कार्यालय	वर्तमान पासपोर्ट कार्यालयों में पासपोर्ट सेवा केन्द्र	नए स्थानों पर प्रस्तावित पासपोर्ट सेवा केन्द्र	पासपोर्ट सेवा केन्द्रों (पीएसके) की कुल संख्या
1	2	3	4
दिल्ली	दिल्ली 1, दिल्ली 2	गुडगांव	3
मुंबई	मुंबई 1, मुंबई 2, मुंबई 3	कोई नहीं	3
हैदराबाद	हैदराबाद 1, हैदराबाद 2, हैदराबाद 3	विजयवाड़ा, निजामाबाद, तिरुपति	6
चेन्नै	चेन्नै 1, चेन्नै 2, चेन्नै 3	कोई नहीं	3
बंगलौर	बंगलौर 1, बंगलौर 2	हुबली-धारवाड़, मंगलौर	4
अहमदाबाद	अहमदाबाद 1, अहमदाबाद 2	बड़ौदा, राजकोट	4
कोचीन	कोचीन	त्रिसूर, अलापुझा, एर्नाकुलम ग्रामीण, कोट्टायम	5

1	2	3	4
जालंधर	जालंधर 1, जालंधर 2	होशियारपुर	3
त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	कोल्लम, त्रिवेन्द्रम ग्रामीण	3
चंडीगढ़	चंडीगढ़	लुधियाना, अंबाला	3
त्रिची	त्रिची	तंजावुर	2
कोलकाता	कोलकाता	बहरामपुर	2
लखनऊ	लखनऊ	वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर	4
जयपुर	जयपुर	जोधपुर, सीकर	3
कोझीकोड	कोझीकोड 1, कोझीकोड 2	कन्नूर 1, कन्नूर 2	4
ठाणे	ठाणे	नासिक	2
मदुरै	मदुरै	तिरुनेलवेली सिटी	2
पुणे	पुणे	कोई नहीं	1
पटना	पटना	कोई नहीं	1
विशाखापट्टनम	विशाखापट्टनम	कोई नहीं	1
सूरत	सूरत	कोई नहीं	1
भोपाल	भोपाल	कोई नहीं	1
गाजियाबाद	गाजियाबाद	कोई नहीं	1
बरेली	बरेली	कोई नहीं	1
मल्लापुरम	मल्लापुरम	कोई नहीं	1
नागपुर	नागपुर	कोई नहीं	1
अमृतसर	अमृतसर	कोई नहीं	1
कोयंबतूर	कोयंबतूर	कोई नहीं	1
गुवाहाटी	गुवाहाटी	कोई नहीं	1

1	2	3	4
भुवनेश्वर*	भुवनेश्वर	कोई नहीं	1
रांची*	रांची	कोई नहीं	1
पणजी*	पणजी	कोई नहीं	1
जम्मू*	जम्मू	कोई नहीं	1
श्रीनगर*	श्रीनगर	कोई नहीं	1
शिमला*	शिमला	कोई नहीं	1
रायपुर*	रायपुर	कोई नहीं	1
देहरादून*	देहरादून	कोई नहीं	1
दिल्ली*	दिल्ली	कोई नहीं	1
कुल पीएसके			77

*पीएसके जो पहले से ही प्रचालनरत हैं।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा क्षेत्र में वरीयताएं

3166. **श्री हर्ष वर्धन :**

श्री महेश्वर हजारी :

श्रीमती सीमा उपाध्याय :

श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा क्षेत्र में निर्धारित वरीयताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त वरीयताओं हेतु आबंटित निधियों की राशि कितनी है;

(ग) बारहवीं पंचवर्षीय योजना में अब तक कितनी निधियां व्यय की गई हैं; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) बारहवीं पंचवर्षीय योजना मसौदा, ग्यारहवीं योजना के दौरान सृजित गति से कार्य करता रहेगा और विस्तार, समानता एवं उत्कृष्टता पर ध्यान देना जारी रखेगा। 12वीं योजना में विस्तार, समानता एवं उत्कृष्टता संबंधी मामलों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया है ताकि इसका विस्तार केवल लगातार बढ़ती हुई विद्यार्थियों की संख्या को समायोजित करने तक न रहे, अपितु न्यूनतम अकादमिक गुणवत्ता का स्तर सुनिश्चित करते समय विषयों, स्तरों एवं संस्थाओं के अधिक व्यापक विकल्प प्रदान करना और समाज के सभी वर्गों विशेषत: लाभवंचित वर्गों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना भी हो।

12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु उच्चतर शिक्षा विभाग का कुल योजनागत आबंटन 1,10,700 करोड़ रु. है, 12वीं योजना के पहले वर्ष अर्थात् वार्षिक योजना 2012-13 हेतु उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए 15,458 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है, जिसमें से अब तक 7974 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई है।

[अनुवाद]

कॉलेज प्राचार्यों की नियुक्ति की विद्यमान प्रणाली

3167. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति ने कॉलेज प्राचार्यों के पद के लिए नियुक्ति की विद्यमान प्रणाली में परिवर्तन करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या उद्देश्य है; और

(ग) सरकार की समीक्षा समिति की सिफारिशों पर क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय) विनियम, 2010 की पुनः जांच करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने एक और काल-अवधि के लिए पुनःनियुक्ति हेतु पात्रता सहित कालेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति की शर्तों के संबंध में दस वर्ष की सिफारिश की है। प्रिंसिपल के पद हेतु शिक्षण/अनुसंधान/प्रशासन के कुल अनुभव को पन्द्रह वर्ष से कम करके दस वर्ष करने की सिफारिश की है।

पुनः जांच समिति ने स्पष्ट किया है कि प्रिंसिपल के पद के लिए शिक्षण/अनुसंधान/उद्योग के अनुभव को पन्द्रह वर्ष से कम करके दस वर्ष कर दिया गया है ताकि इसे प्रिंसिपल के पद की आवश्यकता और प्रोफेसर के पद की आवश्यकता के समकक्ष नाया जा सके जो वर्तमान विनियमों के अनुसार दस वर्ष है। प्रिंसिपल का वेतन एवं वेतनमान वही है जो प्रोफेसर का है। समिति ने कहा है कि कालेजों में प्रिंसिपल के मूलभूत पद के लिए सक्रिय और होनहार लोगों, को नियुक्त करना आवश्यक है और तर्कसंगत रूप से उन युवाओं को, जो योग्य हैं, उन्हें उनकी आयु तथा अनुभव के कारण अनुचित रूप से अपवर्जित नहीं किया जाए।

(ग) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 के खण्ड (ङ) और (छ) के अन्तर्गत जारी किए गए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिनियम के अन्तर्गत धारा 26 के खण्ड (ङ) और (छ) के अन्तर्गत नए विनियम जारी करने और मौजूदा विनियमों को संशोधित करने या अधिकार प्राप्त है और इसमें सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

डीजीसीए की लेखापरीक्षा

3168. श्री दुष्यंत सिंह :
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर :
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव :
श्री आनंद प्रकाश परांजपे :
श्री लालजी टंडन :
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूएस फेडरल एवियेशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) ने नागर विमानन महानिदेशालय की जांच/लेखापरीक्षा आयोजित करना प्रस्तावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या बढ़ते हुए एयर ट्रैफिक के संबंध में डीजीसीए के स्रोतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा डीजीसीए को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा नागर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा में सुधार हेतु किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) 12-21 दिसंबर, 2012 तक इकाओ के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार भारत में इकाओ समन्वित वैलीडेशन मिशन (आईसीवीएम) आयोजित करेगा। इस समय एफएए द्वारा नागर विमानन महानिदेशालय का किसी प्रकार का लेखा परीक्षा करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) भारत सरकार ने नागर विमानन महानिदेशालय को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2009 में 129 गैर-तकनीकी पदों के अतिरिक्त 427 नए सृजित तकनीकी पदों के लिए अनुमोदन प्रदान किया है और 132 पदों को पुन: प्रवर्तित किया है। इसके अतिरिक्त कुशल सुरक्षा निगरानी प्रणाली की क्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक वित्तीय तथा प्रशासनिक लचीलेपन सहित नागर विमानन महानिदेशालय के स्थान पर नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(घ) नागर विमानन महानिदेशालय निरंतर सुरक्षा तथा विनियामक अपेक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण स्थापनाओं सहित एयरलाइनों, प्रचालकों, अनुमोदित संगठनों के नियमित निरीक्षण/निगरानी करने के अतिरिक्त वायुयान नियमावली तथा नागर विमानन अपेक्षाओं में निर्धारित अपेक्षा के अनुसार प्रचालकों तथा सेवा प्रदाताओं के प्रमाणन द्वारा विमानन क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

एमडीएमएस में अनियमितताएं

3169. **श्री हरिभाऊ जावले :**

श्री हरीश चौधरी :

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल :

श्रीमती कैसर जहां :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) में पाई गई/सूचित कथित अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) एमडीएमएस के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला और राज्य स्तरों पर निगरानी तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त तंत्र एमडीएमएस में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का पता लगाने में प्रभावी नहीं रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की जगह नकद अनुदान हेतु राज्यों सहित विभिन्न क्षेत्रों से सरकार को सुझाव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) सूचना संलग्न में दी गई है।

(ख) योजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए, स्कूल, ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर मॉनिटरिंग करने की व्यापक प्रणाली है। तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए; राष्ट्र स्तरीय समीक्षा सह मानीटरिंग समिति की बैठकों में और कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड की बैठकों के दौरान योजना की लगातार समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय समीक्षा मिशन तत्काल मूल्यांकन के लिए राज्यों का मौके पर दौरा करते हैं तथा स्वतंत्र मानिटरिंग संस्थान नियमित अंतराल पर योजना का मूल्यांकन करते हैं।

(ग) और (घ) इन एजेंसियों द्वारा पता लगाए गए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को यथास्थिति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के ध्यान में लाया जाता है। समाज द्वारा योजना की क्षेत्र स्तरीय मॉनिटरिंग करने के लिए स्कूल प्रबंधन समितियों को सक्रिय बनाया गया है। मध्याह्न भोजन योजना की वास्तविक समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पोंस सिस्टम के साथ वैब-इनेबल्ड प्रबंध सूचना प्रणाली के जरिए कार्यतंत्र को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

एम.डी.एम.एस में अनियमितताएं

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भ्रष्टाचार				अनियमितताएं			
		2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012
1.	झारखंड	0	0	0	1	1	0	0	2
2.	उत्तर प्रदेश	7	1	3	5	4	2	7	2
3.	दिल्ली	1	1	0	1	2	0	5	1
4.	बिहार	2	1	1	0	2	0	0	0
5.	मध्य प्रदेश	0	1	1	0	0	0	0	1
6.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	1
7.	कर्नाटक	1	0	1	2	0	0	2	0
8.	हरियाणा	0	1	0	0	1	0	0	0
9.	असम	2	0	0	1	0	0	0	1
10.	छत्तीसगढ़	1	0	2	0	0	0	0	1
11.	पंजाब	0	0	1	0	0	0	0	0
12.	जम्मू और कश्मीर	0	1	0	0	0	0	0	0
13.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	1	0	1
14.	उत्तराखंड	1	0	0	0	0	1	0	2
15.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	1	0
16.	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	1	1
17.	ओडिशा	0	0	0	2	0	0	0	0
	कुल	15	6	9	12	11	4	16	13

[हिन्दी]

स्कूल पाठ्यक्रम में कृषि

3170. श्री इज्यराज सिंह :
श्री हरीश चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पाठ्यक्रम में कृषि को एक वैकल्पिक विषय के रूप में सम्मिलित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत के कृषि देश होने के बावजूद इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कक्षा VI से XII में कृषि को अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित करने हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की समीक्षा करने की कोई इच्छा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यढांचा-2005 के अनुरूप राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की गई पाठ्ययचर्या और पाठ्यपुस्तकों में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक स्कूल पाठ्यचर्या के सभी चरणों में विभिन्न विषय क्षेत्रों में 'कृषि' की मूल संकल्पना और उच्चतर माध्यमिक स्तर का एक विशिष्ट मामला शामिल है।

जहां तक केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का संबंध है, माध्यमिक स्तर तक सभी छात्रों के लिए एकीकृत रूप में कृषि के पहलुओं का अध्ययन अनिवार्य है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और छात्र को एक भाषा और चार इलेक्टिव विषय लेना आवश्यक है। कृषि इलेक्टिव विषयों में से एक के रूप में पढ़ाई जाती है। बोर्ड वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में बागवानी के अध्ययन की पेशकश भी करता है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त के मद्देनजर ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

स्कूलों में शिक्षा का स्तर

3171. श्री गणेश सिंह :
श्री एन. चेलुवरया स्वामी :
श्री गोपीनाथ मुंडे :
श्री भूदेव चौधरी :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्कूलों और कालेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या देश में सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के शिक्षण स्तर में त्रुटियां हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) विद्यार्थियों की शिक्षा के स्तर में सुधार हेतु निर्धारित समय-सीमा और लक्ष्य क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए/प्रस्तावित कदम क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) से (ग) सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में छात्रों की शिक्षा की गुणता में गिरावट और अधिगम के स्तर में कमी के कारण ये हो सकते हैं- स्कूलों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी, प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात, प्रणाली में बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षकों का मौजूद होना, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ)-2005 के सिद्धांतों और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुरूप न होना, बच्चों पर विषयों का भार अधिक होना, कक्षाओं की प्रक्रियाएं बच्चों के अनुकूल और बच्चों पर केंद्रित न होना तथा स्मरण-आधारित मूल्यांकन प्रणालियों की पारंपरिक पद्धतियों का प्रचलन।

(घ) और (ङ) शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिए आरटीई अधिनियम 2009 में विभिन्न कार्यकलापों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

क्रियाकलाप	समय सीमा
नजदीकी स्कूलों की स्थापना	3 वर्ष (31 मार्च, 2013 तक)
स्कूल अवसंरचना का प्रावधान	3 वर्ष (31 मार्च, 2013 तक)
• सभी मौसमों के अनुकूल स्कूल भवन	
• एक-शिक्षणकक्ष-एक-अध्यापक	
• मुख्याध्यापक-सह-कार्यालय कक्ष	
• शौचालय, पेयजल	
• अवरोध मुक्त पहुंच	
• खेल मैदान, बाड़, चारदीवारी	
निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार अध्यापकों का प्रावधान	3 वर्ष (31 मार्च, 2013 तक)
अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण	5 वर्ष (31 मार्च, 2015 तक)
गुणवत्ता कार्यक्रम तथा अन्य प्रावधान	तत्काल प्रभाव से

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए), जो केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, वर्ष 2009-10 से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसका ध्येय कक्षा 10 तक सभी बच्चों को उत्तम गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है जो सुलभ और वहन करने योग्य हो। योजना में बस्ती के 5 किलोमीटर के दायरे में एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों की अवसंरचना को सुदृढ़ करके शिक्षा की गुणता में सुधार करने की परिकल्पना की गई है। स्कूलों में अवसंरचना उपलब्ध कराने के अलावा, आरएमएसए के अंतर्गत गुणता से संबंधित अन्य कार्यक्रम उपलब्ध कराए जा रहे हैं जैसे कि प्रत्येक वर्ष अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना, स्कूलों के प्रमुखों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम, अधिगम अभिवृद्धि के लिए मैथ्स किट, साइंस किट, ब्रिज कोर्स, विशेष शिक्षण, ई-लर्निंग आदि।

कालेजों/विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणता में सुधार लाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें ये शामिल हैं, प्राइवेट विश्वविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों सहित सभी विश्वविद्यालयों में स्तर और गुणता बनाए रखने के लिए विनियम जारी करना।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों को नि:शुल्क शिक्षा

3172. **श्री सुरेश कुमार शेटकर :**
डॉ. पी. वेणुगोपाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देश का नाम लाने वाले खिलाड़ियों को उच्चतम स्तर पर निशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश स्वीकृत किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (घ) जी हां, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2012 में ''खेल-कूद पदक विजेताओं/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल-कूद कार्यक्रमों में भाग लेने वालों हेतु नि:शुल्क शिक्षा'' नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य इन पदक विजेताओं/प्रख्यात खेल-कूद खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है, जो स्नातकोत्तर डिप्लोमा और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित पूर्ण-कालिक नियमित पाठ्यक्रम कराने वाले विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में अध्ययन कर रहे हैं और उच्चतर शिक्षा के साथ-साथ खेल-कूद में कार्य-निष्पादन के उच्चतर स्तरों को प्राप्त करने के लिए उन्हें अभिप्रेरित करना है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों की एक प्रति www.ugc.ac.in/oldpdf/xiiplanpdf/medal-winners-guidelines.pdf पर उपलब्ध है।

पंचायतों के लिए ब्रॉडबैंड

3173. **श्री सुवेन्दु अधिकारी :**
श्री नीरज शेखर :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री एंटो एंटोनी :
श्री संजय दिना पाटील :
श्री संजय निरुपम :
श्री यशवीर सिंह :
श्री ए.के.एस. विजयन :
श्री राजय्या सिरिसिल्ला :
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्रीमती मेनका गांधी :
श्री आर. ध्रुवनारायण :
श्रीमती अन्नू टन्डन :
श्री निलेश नारायण राणे :
श्री रायापति सांबासिवा राव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उच्च गति नेटवर्क प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) प्रारंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और अब तक इस हेतु राज्य-वार चयनित ग्राम पंचायतों सहित इस प्रयोजन हेतु निर्धारित निधियां कितनी हैं;

(ग) एनओएफएन के कार्यान्वियन का कार्य किस/किन कंपनी/कंपनियों को सौंपा गया है और इस उद्देश्य हेतु ग्राम पंचायतों के चयन हेतु अंगीकृत मापदंड क्या हैं;

(घ) क्या एनओएफएन को संपूर्ण देश में लागू किया जाना प्रस्तावित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो निर्धारित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 2,47,864 ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए दिनांक 25.10.2011 को एक राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) के सृजन हेतु एक योजना का अनुमोदन किया है। (सुविधा प्रदान की जाने वाली ग्राम पंचायतों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।) इस परियोजना को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा धन मुहैया करवाया जाएगा। और परियोजना की आरंभिक अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को 2 वर्षों में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

एनओएफएन परियोजना को एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) अर्थात् भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है जो भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पूर्णतया केन्द्र सरकार के स्वामित्व के अधीन एक निगमित कंपनी है तथा जिसमें सरकार, बीएसएनएल रेलटैल और पावरग्रिड की इक्विटी भागीदारी है। इस कंपनी को इस प्रयोजन के लिए दिनांक 25.02.2012 को निगमित किया गया है।

इस समय, आप्टिकल फाइबर, प्रमुख रूप से राज्य-राजधानियों, जिलों और ब्लॉकों तक पहुंच चुका है। राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत: बीएसएनएल, रेलटैल और पॉवर ग्रिड के मौजूदा फाइबरों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से देश में सभी 2,47,864 ग्राम पंचायतों को कनैक्ट करने तथा ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच कनेक्टिविटी अंतर को पाटने के लिए जहां कहीं आवश्यक हो वृद्धिशील (इन्क्रीमेंटल) फाइबर बिछाने की योजना है।

(ग) से (ङ) बीबीएनएल ने यह कार्य संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों नामत: बीएसएनएल, रेलटेल और पावरग्रिड को आबंटित किया है। अब तक देश में 2,45,748 ग्राम पंचायतों को कनेक्ट करने की योजना है।

एनओएफएन परियोजना की परिकल्पना केन्द्र-राज्य के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई है। राज्य सरकारों से योगदान के रूप से यह प्रत्याशित है कि वे किसी प्रकार का आर.ओ.डब्ल्यू. प्रभार न लगाएं। इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा बीबीएनएल द्वारा एक त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

त्रि-पक्षीय समझौता ज्ञापन पर 13 राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और 3 संघ शासित प्रदेशों नामत: दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और पांडिचेरी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इन राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कुल 1,40,727 ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय एनओएफएन नेटवर्क की सुविधा प्रदान की जाएगी।

अजमेर जिले (राजस्थान) में अरैन ब्लॉक, उत्तरी त्रिपुरा जिला (त्रिपुरा) में पाणिसागर ब्लॉक, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) जिले में प्रावदा ब्लॉक में सभी ग्राम पंचायतों को सुविधा प्रदान करने के लिए तीन पायलट परियोजनाएं पूरी कर ली गई हैं। दिनांक 15.10.2012 की स्थिति के अनुसार इन तीन पायलट परियोजना ब्लाकों में प्रत्येक 58 ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ की सुविधा प्रदान की गई है।

विवरण-I

राष्ट्रीय आप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) परियोजना के माध्यम से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाने वाली ग्राम पंचायतों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	67
2.	आंध्र प्रदेश	21862
3.	असम	3943
4.	बिहार	8460
5.	छत्तीसगढ़	9837
6.	गुजरात (दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव सहित)	14439
7.	हरियाणा	6234
8.	हिमाचल प्रदेश	3241
9.	जम्मू और कश्मीर	4146
10.	झारखंड	4559
11.	कर्नाटक	5657
12.	केरल	999
13.	लक्षद्वीप	10
14.	मध्य प्रदेश	23022
15.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	28078
16.	त्रिपुरा	1040
17.	मिजोरम	768
18.	मेघालय	1463
19.	अरुणाचल प्रदेश	1756
20.	मणिपुर	3011
21.	नागालैंड	1110
22.	ओडिशा	6233

1	2	3
23.	पंजाब	12809
24.	चंडीगढ़	17
25.	राजस्थान	9200
26.	तमिलनाडु	12617
27.	पुदुचेरी	98
28.	उत्तर प्रदेश	52125
29.	उत्तराखंड	7546
30.	पश्चिम बंगाल	3354
31.	सिक्किम	163
	जोड़	2,47,864

विवरण-II

3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कार्य का आबंटन

सीपीएसयू	आबंटित राज्यों के नाम	आवंटित जीपीएस की संख्या	आवंटित ब्लॉकों की की संख्या	आवंटित जिलों की की संख्या	क्षेत्र-वार वितरण (वर्ग किलोमीटर)
बीएसएनएल	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल	1,73,910 (70%)	3864 (59%)	421 (67%)	2217847 (67%)
रेलटैल	अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, दमन तथा दीव, गुजरात, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, तमिलनाडु, त्रिपुरा	36,047 (15%)	966 (15%)	120 (19%)	503838 (15%)
पावरग्रिड	आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा	35,791 (15%)	1769 (26%)	89 (14%)	566125 (17%)
कुल	2,45,748	2,45,748	6599	630	3287810

बच्चों का शिक्षण स्तर

3174. **श्री जयंत चौधरी :**

श्री धनंजय सिंह :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आरटीई अधिनियम के अंतर्गत

स्कूल शिक्षा में गुणवत्ता परिणामों के निर्धारण के लिए कोई नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान अधिनियम और आरटीई हेतु मॉडल नियमों के अंतर्गत परिणाम आधारित शिक्षण पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान स्कूल स्तर पर शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन आयोजित कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कई विशेषताओं का उपबंध है। अधिनियम की धारा 25 स्कूल स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात निर्धारित करती है, धारा 23(1) अध्यापकों के लिए न्यूनतम योग्यता तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त निर्धारित करती है। धारा 26 में आगे यह प्रावधान है कि किसी सरकारी तथा सरकार द्वारा सहायताप्राप्त स्कूल में अध्यापकों की रिक्ति कुल संस्वीकृत संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 24 अध्यापकों के कर्त्तव्य निर्धारित करती है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित पाठ्यचर्या का संचालन और उसे पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो, अनुपूरक शिक्षा प्रदान करना, अभिभावकों को बच्चों की उपस्थिति में नियमितता, सीखने की योग्यता तथा अधिगम में की गई प्रगति के बारे में सूचित करने हेतु उनके साथ नियमित बैठकें आयोजित करना आदि शामिल है। इस अधिनियम की अनुसूची किसी शैक्षिक वर्ष में कार्य दिवस/शिक्षण घंटों की न्यूनतम संख्या अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या और स्कूलों में पुस्तकालय, शिक्षण अधिगम उपकरण तथा खेल उपकरण का प्रावधान। इसके अतिरिक्त, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 29 पढ़ाई जाने वाली बाल-केन्द्रित पाठ्यचर्या और प्राथमिक स्कूल स्तर पर छात्र के एक व्यापक तथा सतत मूल्यांकन हेतु मापदंड निर्धारित करती है।

(ग) और (घ) धारा 29(ज) के अंतर्गत सतत व्यापक मूल्यांकन का सिद्धांत, परिणाम आधारित अधिगम पर ध्यान केन्द्रित करता है चूंकि बच्चे का मूल्यांकन सत्र के अंत में करने के बजाय सतत आधार पर किया जाता है और इस प्रकार उनकी अधिगम समस्याओं को यह सुनिश्चित करते हुए हल किया जाता है कि बच्चा कक्षा के अधिगम उद्देश्य के साथ चल सके।

(ङ) और (च) छात्र अधिगम परिणाम को मापने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) कक्षा III, V और VIII में बच्चों का आवधिक सर्वेक्षण करती है जो राष्ट्रीय रूझान तथा राज्य-वार तुलनात्मक आंकड़े प्रदान करता है। 2010-11 में कक्षा V की अधिगम उपलब्धि के तीसरे दौर के परिणाम यह दर्शाते हैं कि 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में भाषा में, 14 राज्यों में गणित में तथा 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पर्यावरण अध्ययन में अधिगम स्तर में सुधार हुआ है।

एअर इंडिया को दो अनुषंगी कंपनियों में विभाजित करना

3175. **श्री धर्मेन्द्र यादव :**
श्री गजानन ध. बाबर :
श्री अधलराव पाटील शिवाजी :
श्री आनंदराव अडसुल :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एअर इंडिया (एआई) की अभियांत्रिकी और ग्रांउड हैंडलिंग सेवाओं को दो पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों में विभाजित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या योजना तैयार की गई है;

(ग) क्या ये इकाइयां बाहर से कारोबार की तलाश करेंगी और एअर इंडिया की सेवाएं सस्ती दरों पर प्रदान करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह विभाजन

किस स्तर तक एअर इंडिया को अपने नुकसान की वसूली करने में मदद करेगा;

(ङ) क्या सरकार ने अंतिम निर्णय लेने से पूर्व कर्मचारी संघ को विश्वास में लिया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा अनुमोदित एअर इंडिया की टर्न अराउंड योजना के अनुसार, इसकी सहायक कंपनियों अर्थात एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड तथा एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड को इसके क्रमशः एसआरओ और ग्राउंड हैंडलिंग कारोबार से अलग करना आवश्यक है। उक्त कारोबार को अलग किए जाने से एक एयरलाइन के रूप में एअर इंडिया का ध्यान अपने मुख्य कार्य पर केन्द्रित करना तथा अलग से एमआरओ और ग्राउंड हैंडलिंग कारोबार विकसित करना है।

(ग) और (घ) जी, हां। आशा है कि एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एक पूर्ण ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी के रूप में उभरकर टर्मिनल हैंडलिंग रैंप हैंडलिंग तथा एअर इंडिया और अन्य सहायक एयरलाइनों के लिए अन्य ग्राउंड हैंडलिंग कार्यों का निष्पादन करेगी। एमआरओ कारोबार अलग किए जाने से एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड एअर इंडिया को उसकी चालू परिसंपत्तियों के मूल्य का मौद्रीकरण करने तथा मूल कंपनी को सहायक स्वरूप अवसंरचना के लिए निधियां जुटाने, उत्पादकता में सुधार करने, लागतों को कम करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने तथा बाहरी ग्राहकों से राजस्व बढ़ाने में मदद कर सकती है। एअर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड डिस्काउंट दर से एअर इंडिया की सेवा करते हुए, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर एशिया-प्रशांत क्षेत्र से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है। इसी प्रकार, एअर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड उद्यमशील तथा प्रतिस्पर्धी दर से एयरलाइन क्लाइंट को आकर्षित करने के लिए प्रयासरत है। इससे अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने में मदद मिलेगी और एअर इंडिया एयरलाइन प्रचालन के अपने मुख्य कारोबार पर ध्यान केन्द्रित कर सकेगी।

(ङ) जी, हां। टर्न अराउंड योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना पर यूनियनों/संघों/गिल्डों के साथ बैठकें की गई और इस संबंध में उन्हें प्रस्तुतीकरण भी दिया गया।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए संस्थानों हेतु आवेदन

3176. श्री रमेश बैस :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार 2009-10 में 3200 की तुलना में 2012-13 में 689, नए संस्थानों हेतु आवेदनों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो आवेदनों की संख्या में 80 प्रतिशत कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या तकनीकी शिक्षा क्षेत्र देश में अपने संतृप्ति के स्तर पर पहुंच चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उच्चतर शिक्षा में 30 प्रतिशत के सकल पंजीकरण अनुपात को प्राप्त करने के लिए अभी भी 1000 और संस्थानों की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) प्रति वर्ष स्थापित किए जा रहे नए संस्थानों की संख्या में कमी आ रही है।

(ख) नए तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या में कमी के कारण कुछ शाखाओं जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन, आई.टी., उत्पादन तथा जैव-तकनीक की मांग में कमी है।

(ग) और (घ) XIIवें दर्जे में छात्रों के मौजूदा आपूर्ति स्तर तथा उपलब्ध सीटों के अनुसार हम इंस्ट्रूमेंटेशन, आई.टी., उत्पादन आदि जैसी शाखाओं में संतृप्ति बिंदु तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, चूंकि यह धारणा है कि सिविल/इलेक्ट्रिकल/अभियांत्रिकी रोजगार की अधिक संभाव्यता वाले हैं, इसलिए इनके लिए सीटों की मांग आज भी अधिक है।

(ङ) और (च) उच्चतर शिक्षा में 2020 तक 30 प्रतिशत का सकल नामांकन अनुपात हासिल करने के लिए राज्य सरकारों को नई संस्थाओं की स्थापना तथा मौजूदा संस्थाओं के विस्तार में प्रोत्साहन देने के लिए XIIवीं योजना के दौरान मंत्रालय द्वारा एक नई केन्द्रीय प्रायोजित योजना की अभिकल्पना की गई है। हालांकि, XIIवीं योजना अभी तक अनुमोदित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

असंतोषप्रद सेवाओं के विरुद्ध शिकायतें

3177. **श्री संजय धोत्रे :**
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अपूर्ण और असंतोषप्रद सेवाओं हेतु टेलीकॉम ऑपरेटरों विशेषकर बीएसएनएल और एमटीएनल के विरुद्ध शिकायतों और ग्राहकों की अन्य समस्याओं में निरंतर वृद्धि को देख रहा है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके राज्य और ऑपरेटर-वार क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी शिकायतों/समस्याओं पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार/ट्राई को उपभोक्ताओं के लिए असंतोषप्रद सेवाओं हेतु टेलीकॉम ऑपरेटरों पर दंड के प्रत्यारोपण हेतु विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार/ट्राई द्वारा इस संबंध में क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष की 30 जून, 2012 तक की अवधि के दौरान भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) सहित दूरसंचार प्रचालकों के विरुद्ध प्राप्त अपूर्ण और असंतोषप्रद सेवाओं से जुड़ी शिकायतों सहित अन्य सेवा संबंधी शिकायतों को प्रचालक-वार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्तमान ट्राई में शिकायतों का संकलन प्रचालक-वार किया जाता है न कि सेवा क्षेत्र/राज्य के आधार पर।

(ग) ट्राई में प्राप्त उपभोक्ता की वैयक्तिक शिकायतों को निपटाने के लिए संबंधित सेवा प्रदाता को अग्रेषित किया जाता है।

(घ) और (ङ) उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए किए गए उपायों की समीक्षा और "दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निपटान विनियम, 2011" और दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2011" मसौदे पर अनुवर्ती कार्रवाई और परामर्श पत्र पर परामर्श प्रक्रिया के दौरान, कुछ उपभोक्ता संगठनों ने खराबी को ठीक न करने, समय-सीमा के भीतर शिकायतों के गैर-निपटान और शेष राशि में कटौती/मूल्य वर्द्धित सेवाओं (वीएएस)/अवांछनीय वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) इत्यादि के लिए दंड लगाने का सुझाव दिया है। परामर्श प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए, ट्राई ने दूरसंचार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए संशोधित ढांचा निर्धारित करते हुए 5 जनवरी, 2012 को "दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निपटान विनियम, 2012" अधिसूचित किया था ताकि शिकायत निपटान तंत्र को और प्रभावी बनाया जा सके।

(च) (i) ट्राई ने हाल ही में, नेटवर्क सेवा गुणवत्ता पैरामीटरों और ग्राहक सेवा गुणवत्ता पैरामीटरों के बेंचमार्क का अनुपालन नहीं करने पर बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायरलाइन) और सेल्युलर मोबाइल टेलिफोन सेवा (दूसरा संशोधन) सेवा की सेवा की गुणवत्ता के मानक संबंधी विनियम, 2012 "दिनांक 8 नवंबर, 2012 के माध्यम से निम्नानुसार वित्तीय दंड निर्धारित किया है:

(क) बुनियादी सेवा के लिए बेंचमार्क को पूरा नहीं करने पर प्रति पैरामीटर अधिकतम 50,000/-रुपए का वित्तीय दंड।

(ख) सेल्युलर मोबाइल टेलिफोन सेवा के लिए पैरामीटर संबंधी नेटवर्क के बेंचमार्कों को पूरा नहीं करने पर प्रति पैरामीटर अधिकतम 50,000/- रुपए और दूसरे या इसके बाद गैर-अनुपालन के लिए प्रति पैरामीटर 1,00,000/ रुपए का वित्तीय दंड।

(ग) सेल्युलर मोबाइल टेलिफोन सेवा के लिए ग्राहक सेवा गुणवत्ता पैरामीटरों हेतु बेंचमार्क पूरा नहीं करने पर प्रति पैरामीटर अधिकतम 50,000/- रुपए का वित्तीय दंड।

(घ) गलत रिपोर्ट करने पर प्रति पैरामीटर अधिकतम 10,00,000/ रुपए का आर्थिक दंड

(ङ) ट्राई को रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब पर प्रतिदिन अधिकतम 5000/ रुपए का आर्थिक दंड।

(ii) ट्राई ने उपभोक्ताओं को अपने सेवा प्रदाताओं के पास अपनी शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम कराने में सक्षम बनाने के लिए वेब आधारित "दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निगरानी प्रणाली (टीसीसीएमएस)" को क्रियान्वित किया है ताकि ग्राहक डॉकेट नंबर के आधार पर, अपनी शिकायतों की स्थिति को ऑनलाइन देख सकें।

विवरण

अपूर्ण और असंतोषप्रद सेवाओं सहित सेवा संबंधी शिकायतों का वर्ष-वार ब्यौरा

क्र.सं.	प्रचालक का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13*
1.	बीएसएनएल	546	411	466	164
2.	एमटीएनएल	214	139	165	46
3.	भारती	985	548	1165	539
4.	टाटा	370	175	438	342
5.	रिलायंस	610	346	647	322
6.	वोडाफोन	469	401	654	355
7.	आइडिया	212	149	326	169
8.	अन्य	145	232	272	203
	जोड़	3551	2401	4133	2140

* जून, 2012 तक

जेएनएनयूआरएम-I के कार्य-निष्पादन का आकलन

3178. डॉ. रत्ना डे :
श्री जोस के. मणि :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम)-I और मंत्रालय की अन्य योजनाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या रिपोर्ट में बताया गया था कि राज्य सरकारों ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को शहरी विकास से संबंधित चुनौतियों को पूरा करने के लिए शक्तियों प्रदान नहीं की हैं और परियोजनाओं पर निर्णय लेने की केन्द्र की वर्तमान भूमिका राज्यों को प्रत्यायोजित की जानी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जलापूर्ति योजनाओं हेतु प्रचालन और अनुरक्षण लागत की वसूली करने वाले यूएलबी की संख्या और ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) ने वर्ष 2009-10 की कीमतों पर अगले 20 वर्षों के लिए शहरी बुनियादी सुविधा और सेवाओं तथा प्रचालन और रख रखाव (ओ एंड एम) के लिए क्रमशः 39.2 लाख करोड़ और 19.9 लाख करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की जरूरत का आकलन किया है। सार और इस उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति (एचपीईसी) की संस्तुतियों के ब्यौरे-I संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) उक्त समिति का मत है कि भारत के नगर निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों जिन्हें आमतौर पर शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) कहा जाता है, को स्पष्ट कार्य, स्वतंत्र वित्तीय संसाधन और पूंजी निवेश तथा सेवा सुपुर्दगी संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता देते हुए स्थानीय स्वशासन के रूप में मजबूत करने की जरूरत है। उन्हें नागरिकों के प्रति उत्तरदायी भी बनाना होगा। उक्त समिति का यह भी कहना है कि भारत सरकार को इस कार्यक्रम के प्रमुख भाग के वित्त पोषण के लिए अग्रणी भूमिका निभानी होगी और साथ ही राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों की सहभागिता को प्रोत्साहित करना होगा। राज्य सरकारों को इस दिशा में योगदान संविधान में निर्दिष्ट अनुसार शहरी स्थानीय निकायों के साथ राजस्व के बंटवारे द्वारा करना होगा। जहां तक शहरी स्थानीय निकायों का संबंध है वे गरीबों समेत सभी के लिए निर्दिष्ट मानदंडों वाली सार्वजनिक सेवाओं की सुपुर्दगी के लिए वित्त पोषण और सुशासन संबंधी सुधार करेंगे। यह कार्य निर्धारित उत्तरदायित्व के भीतर किया जाना चाहिए। बढ़ते शहरी भारत की बढ़ती आकांक्षाओं से शहरी स्थानीय निकायों के कार्य बढ़ेंगे, और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सामुदायिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण कारक होगा।

(ङ) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के उप मिशन शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी) के तहत जलापूर्ति में 100% प्रचालन और रख रखाव लागत वसूली का लक्ष्य प्राप्त करने वाले 11 राज्यों के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के ब्यौरे-II संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण-I

भारतीय बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं के संबंध में डॉ ईशर जज अहलूवालिया की अध्यक्षता में गठित उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट-मार्च, 2011

सार और सिफारिशें

1. भारत का शहरीकरण हो रहा है। यह परिवर्तन जिसके तहत भारत की शहरी आबादी का आकड़ा वर्ष 2031 तक 600 मिलियन को छू लेगा, मात्र जनसांख्यिकी परिवर्तन नहीं हैं। इस परिवर्तन से शहर और कस्बे भारत की विकास की गति का केन्द्र बन गए हैं। आने वाले दशकों में, शहरी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के संस्थागत परिवर्तन तथा आर्थिक वृद्धि की उच्च दर को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत के शहरों और कस्बों में सभी के लिए उच्च स्तरीय जन सेवाएं सुनिश्चित करना ही अपने आप में एक लक्ष्य है, लेकिन इससे भारत के आर्थिक सामर्थ्य का भी पूरा दोहन हो सकेगा।

2. इस रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि सक्रिय रूप से शहरीकरण किए बिना भारत की आर्थिक वृद्धि की दर को बनाए नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा शहरीकरण प्रबंधन की व्यापक चुनौतियों को अगर शहरी गरीबों की जरूरतों से अलग कर दिया जाता है तो गरीबी का भी समाधान नहीं हो सकेगा। शहरों को राष्ट्रीय विकास का जरिया बनना होगा। भारत अपनी शहरी कार्यनीति के गलत होने का बोझ वहन नहीं कर सकता, और इसे ठीक लोगों के दिलोदिमाग जो गांव को शहर से अलग समझते हैं, को बदले बिना नहीं किया जा सकता।

3. उक्त रिपोर्ट में तर्क दिया गया है कि शहरीकरण प्रबंधन की चुनौतियों का समाधान उत्तरोत्तर निवेश, सुशासन और वित्त पोषण संबंधी संबंधी ढांचे सुदृढकरण और सरकार में सभी स्तरों पर व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के जरिए करना होगा।

4. इस दृष्टिकोण के केन्द्र में परस्पर आश्रित संघीय प्रणाली में शहरों और कस्बों की भूमिका है। उक्त समिति का मत है कि भारत के नगर निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों जिन्हें आमतौर पर शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) कहा जाता है, को स्पष्ट कार्य, स्वतंत्र वित्तीय संसाधन और पूंजी निवेश तथा सेवा सुपुर्दगी संबंधी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता देते हुए स्थानीय स्वशासन के रूप में मजबूत करने की जरूरत है। उन्हें नागरिकों के प्रति उत्तरदायी भी बनाना होगा। इस हस्तांतरण का उल्लेख 74वें संविधान संशोधन में यथा उल्लिखित स्थानीय शासन संरचना, जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम), और 13वें केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा शहरी क्षेत्र पर दिए गए जोर में किया जा चुका है।

5. इस रिपोर्ट में शहरी नीति और नियोजन के लिए व्यापक संरचना का उल्लेख है। इस संरचना के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित अनुसार हैं:-

- वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू उत्पाद में शहरी बुनियादी सुविधा में 0.7 प्रतिशत के निवेश को वर्ष 2031-32 तक बढ़ाकर 1.1 प्रतिशत करना।
- पुरानी और नई परिसंपत्तियों के रख रखाव पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि करना।
- स्लमों समेत शहरी क्षेत्रों में नवीकरण और पुनर्विकास करना।
- भू-उपयोग और परिवहन के समेकन द्वारा क्षेत्रीय और मेट्रोपालिटन नियोजन को बेहतर बनाना।
- संस्तुत मानदंडों को पूरा करने के लिए गरीबों समेत सभी की सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना।
- मानदंडों में सुधार करना।
- एक मेयर के तहत एकीकृत आदेश द्वारा शहरों और कस्बों में सुशासन में सुधार करना।
- शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय आधार को सुदृढ़ और सुरक्षित करना।
- शहरी स्थानीय निकायों को अपने बढ़े हुए उत्तरदायितव को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना।
- भारत सरकार द्वारा एक नया बेहतर जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) का शुभांरभ जिसमें क्षमता निर्माण पर जोर और कार्यक्रम - अप्रोच के दायरे में शहरी सुधारों को सहायता दी जाए।

क. सार

इस रिपोर्ट में प्रलेखन और विश्लेषण से निकले प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित अनुसार हैं:—

क.1 शहरीकरण और आर्थिक वृद्धि

6. भारत की केवल 30 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। यह चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको और ब्राजील की तुलना में काफी कम है। इसका एक कारण तुलनात्मक रूप से भारत में प्रति व्यक्ति आय का कम होना भी हो सकता है। कमेटी के अनुमान सुझाते हैं कि भारत की वर्तमान परिभाषित शहरी आबादी वर्ष 2031 तक 600 मिलियन हो जाएगी जोकि वर्ष 2001 की शहरी आबादी के दुगुने से अधिक होगी। एक मिलियन और उससे अधिक की आबादी वाले मेट्रोपोलिटन शहरों की संख्या जोकि वर्ष 2001 में 35 थी वर्ष 2011 तक बढ़कर 50 हो चुकी है और इनके वर्ष 2031 तक बढ़कर 87 हो जाने का अनुमान है। बहुत से मामलों में भारतीय शहरों के आकार में बढ़ोत्तरी, मूल शहर के आस-पास तुलनात्मक रूप से छोटी नगरपालिकाओं और बड़े गांवों के बड़े मेट्रोपोलिटन क्षेत्र

का हिस्सा बनने से हो रहे परिधीय विस्तार की प्रक्रिया की वजह से होगी।

7. तीन दशकों के तीव्र आर्थिक विकास ने सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास को बढ़ावा दिया होगा लेकिन भारत में अब तक विकास का उतना असर नहीं पड़ा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिकीकरण तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था द्वारा प्रेरित सेवाओं के लिए गहन पूंजी निवेश आवश्यक है। भारत के कुछ शहरों ने ज्ञान और नवप्रवर्तन केन्द्रों की भूमि निभाई है। जैसे-जैसे ज्यादा से ज्यादा शहर समूहीकरण-अर्थव्यवस्था, औद्योगीकरण समूह, गैर कृषि आर्थिक कार्यकलाप उपलब्ध कराएंगे वैसे वैसे शहरी क्षेत्र राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि का प्रमुख जरिया बनता जाएगा। जैसे जैसे भारत विश्व अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनता जाएगा वैसे वैसे उद्योगों में अधिक से अधिक लोग रोजगार पा सकेंगे। वर्तमान में, भारत अपने विकास को और अधिक व्यापक तथा श्रम आधारित बनाते हुए, विकास की गति को बनाए रखने संबंधी चुनौती का सामना कर रहा है।

(8) कृषि क्षेत्र की सफलता बहुत हद तक उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि पर निर्भर करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग रोजगार, उद्यम लगाने संबंधी अवसर, जानकारी और पैसे के आदान प्रदान के लिए शहरों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले अवसरों का लाभ उठाते हैं, शहरीकरण के साथ-साथ खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य मदों यानी सब्जी, दाल, दूध, अंडे आदि की मांग भी बढ़ती है। इससे बुनियादी सुविधा, लाजिस्टक, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और खुदरा व्यापार में निवेश किया जाता है। इस निवेश और अन्य आर्थिक इंटर लिंकेजज से शहर और ग्रामीण केन्द्रों के बीच संपर्क बनता है। हां, सरकारी नीति में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना बढ़ाने पर भी जोर दिया जाना चाहिए। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि भारत का भावी शहर समेकित होगा और इसके लाभ ग्रामीण इलाकों को भी मिलेंगे। वैसे भी इस बात के प्रमाण मौजूद हैं कि सुधार के बाद की अवधि में भारत के शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में हुई बढ़ोतरी का असर देश के ग्रामीण गरीबों पर भी पड़ा है।

क.2 सेवा सुपुर्दगी की स्थिति

9. स्पष्ट है कि भारत के शहरों और कस्बों द्वारा अपनी मौजूदा आबादी को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को स्तर बहुत नीचा है। इस बात पर विचार करते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तथा जीवन स्तर बढ़ रहे हैं, वर्तमान सेवा स्तर शहर और कस्बों की आर्थिक उत्पादकता को बनाए रखने के लिए अपेक्षित स्तर से बहुत नीचे हैं।

10. समिति का मानना है कि समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पेय जल, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, सड़कें और पथ प्रकाश जैसी जन सेवाएं सभी को उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही वे आर्थिक विकास में शहरों का योगदान सुनिश्चित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2008 में निर्धारित सेवा मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। तथापि समग्र और आर्थिक विकास के दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नीति का ध्यान वास्तविक अवस्थापना निर्माण से बदलकर सेवाएं मुहैया कराने पर देने की आवश्यकता होगी। सेवा सुलभता के लिए शासन में सुधार करने पर ध्यान देना चुनौतीपूर्ण है। इसके बिना, शहरी अवस्थापना में अतिरिक्त पूंजी निवेश से सेवा सुलभता में सुधार नहीं होंगे।

11. इस समिति ने निम्न आय वर्ग के आवास और सार्वजनिक परिवहन के संबंध में स्थिति का जायजा लिया है। किफायती आवासों की कमी से निर्धन और कुछ गैर-निर्धन लोग स्लमों में चले जाते हैं और अधिकांशतः इन बस्तियों में जल और सफाई संबंधी मूल सुविधाओं का भी अभाव होता है। औसतन भारत के अधिकांश शहरों की 25% जनसंख्या स्लमों में रहती है, ग्रेटर मुंबई में स्लम में रहने वाले लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 54% है। सभी स्लमवासी गरीब नहीं है और शहर आयोजना, अवस्थापना विकास और सभी के लिए सार्वजनिक सेवा सुलभता के संदर्भ में इन चुनौतियों की जटिलता की समीक्षा की जाती है।

12. भारत में शहरीकरण की चुनौती परिष्कृत न्यूनतम मानकों

पर सेवा सुपुर्दगी सुनिश्चित करना है वो भी तब आवश्यक होती है जब आयोजना सामने हो। यह विशेषतौर पर उस परिस्थिति में ज्यादा जरूरी है जब वर्तमान शहरी आबादी को भी अपर्याप्त रूप से आपूर्ति हो रहा हो और कुल शहरी आबादी तब तक बढ़कर कम से कम 250 मीलियन होने की संभावना हो।

क.3 शहरी अवस्थापना के लिए निवेश का अनुमान

13. इस समिति के विचारित विषय उल्लेख करते है कि इसे वर्ष 2008-20 की अवधि के लिए शहरी अवस्थापना के आठ मुख्य क्षेत्रों के लिए निवेश अपेक्षाओं का अनुमान करना चाहिए, और बेहतर सेवा सुपुर्दगी जो नए विशिष्ट मानदंडों को पूरा करती है, को सुनिश्चित करने के साथ शहरी क्षेत्र में भारी अवस्थापना कमी के वित्त पोषण के रास्ते सुझाती है।

14. समिति ने शहरी अवस्थापना के सभी क्षेत्रों को शामिल करके और अवधि को 2031 तक बढ़ाकर अपने अधिदेश को व्यापक तरीके से समझाया है। इसने आठ क्षेत्रों अर्थात जलापूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, वर्षा जल निकास, शहरी सड़कें, शहरी परिवहन, यातायात सहायता अवस्थापना, एवं स्ट्रीट लाइटिंग के लिए निवेश के विस्तृत अनुमान तैयार किया है। समिति ने इन क्षेत्रों के लिए अनुमान को उचित ढंग से बढ़ाकर समग्र रूप से शहरी अवस्थापना में निवेश का अनुमान भी तैयार किया है। तथापि, इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा एवं विद्युत वितरण की अपेक्षाओं को शामिल नहीं किया जाएगा जो कि समिति के विचारित विषय से बाहर है।

15. समिति ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना से पंद्रहवीं पंचवर्षीय योजना तक अर्थात 2012-13 की अवधि के लिए संभावनाओं का उल्लेख किया है। भूमि के मूल्य में तेजी के कारण अनुमान में भूमि अधिगृहण का मूल्य शामिल नहीं है।

16. 20 वर्ष की अवधि में शहरी विकास का निवेश 2009-10 के मूल्य पर 39.2 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। इसमें से शहरी सड़कों के लिए 17.3 लाख करोड़ रुपए (44 प्रतिशत) आंकलित है। भारत के शहरों में इस क्षेत्र के लिए बकाया 50 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक है। सेक्टर जोकि शहरी क्षेत्र प्रदान करते है जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन और वर्षा जल निकास में स्लमों सहित नवीकरण और पुनः विकास में निवेश के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

17. पाया गया कि नीति का लक्ष्य सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान होना चाहिए जोकि अवसंरचना परिसम्पत्ति से प्रवाह होता है तथा न केवल परिसम्पत्तियों को बनाना, समिति ने परिसम्पतित को बने रखने के लिए परिचालन और प्रबंधन (ओओएम) के महत्व का उल्लेख किया है। 20 वर्ष की अवधि में नई और पुरानी परिसम्पत्तियों की ओ और एम आवश्यकताओं के लिए 19.9 लाख करोड़ रुपए सम्भावित है।

क.4 शासन

18. समिति का विश्वास है कि शासन सबसे कमजोर और बहुत महत्वपूर्ण लिंक है जिसके लिए भारत में शहरी परिवहन को तत्काल दुरूस्त करने की आवश्यकता है। शहरी अवसंरचना के निवेश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक बड़ी राशि का वित्तपोषण संस्थानों के सुधार और उनकी क्षमता जो सेवा प्रदान करने और राजस्व प्राप्ति के लिए संस्थानों को चलाते हैं, के लिए महत्वपूर्ण है। समिति का विचार है कि भारतीय शहरों और कस्बों पर भारी व्यय नेटर शासन ढांचो, मजबूत राजनीति और प्रशासन को डिलिवर के लिए कर संग्रह और उपभोगता प्रभारों और क्षमता विकास के लिए साथ होना चाहिए। शहरों को उनके नागरिकों की आवश्यकताओं और विकास को गति देने के लिए अधिकार दिये जाने चाहिए, वित्तीय रूप से मजबूत और सुदृढ़ शासन दिया जाना चाहिए।

19. नगर निगम निकायों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों, राज्य सरकारों से संभावित फारमूला बेस अंतरण और 74वें संविधान संशोधन द्वारा उन्हें प्रदत बड़े उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए उनकी मदद करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों से अन्य अंतरण के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है सार्वजनिक निजी भागीदारी

(पीपीपी) के माध्यम में से वित्तपोषण के नये रूप को प्राप्त करने के लिए भी अपने स्वयं के संसाधनों के उत्तोलन से शहरों को रैशनल यूजर प्रभारों सहित राजस्व कर के सुधार में मदद मिलेंगी। केवल तभी वे शहरी अवसंरचना के ढांचे का सुदृढ़ कर सकेगें, अपने निवासियों को स्थाई आधार पर बेहतर गुणवत्ता सेवा उपलब्ध करा सकेंगे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में योगदान दे सकेगे।

क.5 वित्त पोषण

20. भारत में शहरी स्थानीय शासन संसाधन जुटाने की क्षमता और वित्तीय स्वायत्तता के संबंध में विश्व सबसे कमजोर शासनों में से है। यद्यपि राज्य सरकार और भारत सरकार से अंतरण में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है, शहरी स्थानीय निकायों के कर आधार सीमित और अपरिवर्तनीय हैं और बिना वृद्धि वाले हैं और वे, अपने द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उचित उपभोग प्रभारों की वसूली करने में भी असफल रहे हैं।

21. शहरी स्थानीय निकाय सीमाओं के भीतर और राज्य सरकार के स्पष्ट अनुमोदन से ही बाजार से उधार ले सकते हैं। तथापि, यह अधिकांशत: एक बाध्यकारी बाधा नहीं रही है क्योंकि बाह्य वित्त सुलभ कराने में वास्तविक चुनौती उनके अपने विना पोषण की अस्थिरता और कमजोर शासन की रही है।

22. समिति का मत है कि आर्थिक विकास और समग्र विकास के लिए शहरी अवस्थापना के महत्व को देखते हुए भारत सरकार और राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि मुहैया कराकर और वित्त पोषण हेतु अतिरिक्त प्रक्रियाओं के उपयोग को सुगम बनाकर, दोनों कदम उठाने पड़ेंगे जिसके लिए शहरी स्थानीय निकायों को अपने वित्त पोषण को मजबूत बनाने की आवश्यकता होगी। शहरी स्थानीय निकायों को आगे सभी स्तरों पर शासन में सुधार करने की आवश्यकता होगी।

23. भारत सरकार को इस कार्यक्रम के बड़े भाग का वित्त पोषण करने में अग्रणी भूमिका निभानी होगी और उसी समय राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका अदा करने में मदद और प्रोत्साहन करना होगा। राज्य सरकारों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ संवैधानिक अधिदेश अनुसार राजस्व-हिस्सेदारी व्यवस्था के द्वारा अंशदान करना होगा। उनकी ओर से शहरी स्थानीय निकाय गरीबी सहित सभी को विनिर्दिष्ट मानकों की सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शासन और वित्त पोषण में सुधार करेंगे। यह जबाबदेही के स्वरूप में किया जाना चाहिए। शहरी भारत में लोगों की बढ़ती संख्या में महत्वाकांक्षी के बढ़ने से शहरी स्थानीय निकायों में इनकी और मांग बढ़ेगी और जबावदेही सुनिश्चित करने में सामुदायिक भागीदारी एक महत्वपूर्ण घटक होगा।

विवरण-II

जलापूर्ति में 100% प्रचालन और रख रखाव लागत वसूली

क्र.सं.	राज्य	शहर
1	2	3
	कुल प्राप्त	**23**
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
2.		विशाखापट्टनम
3.	छत्तीसगढ़	रायपुर
4.	दिल्ली (एमसीडी)	दिल्ली
5.	गुजरात	सूरत
6.		वड़ोदरा
7.	कर्नाटक	बंगलुरु
8.	मध्य प्रदेश	इंदौर
9.	महाराष्ट्र	नागपुर
10.		नासिक

1	2	3
11.		पुणे
12.		ग्रेटर मुंबई
13.	मेघालय*	शिलांग
14.	सिक्किम*	गंगटोक
15.	तमिलनाडु	कोयंबटूर
16.		मदुरै
17.		चैन्नई
18.	उत्तर प्रदेश	आगरा
19.		इलाहाबाद
20.		कानपुर
21.		लखनऊ
22.		मथुरा
23.		वाराणसी

*उक्त 2 शहरी स्थानीय निकायों (पूर्वोत्तर राज्य) के मामले में जलापूर्ति में 50% प्रचालन और रख रखाव लागत वसूली को लक्ष्य प्राप्ति समझा गया है।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइनों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मार्ग

3179. **श्रीमती सीमा उपाध्याय :**
श्री आर. थामराईसेलवन :
श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री महेश्वर हजारी :
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को प्रचालित करने वाली घरेलू विमान कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त कंपनियों द्वारा कंपनी-वार कितना लाभ अर्जित किया गया/कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा को बढ़ावा दिए जाने के लिए सरकार ने घरेलू भारतीय विमानन कंपनियों को विश्व भर में कई नए स्थानों के लिए उड़ान भरने की मंजूरी दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) नई उड़ानों द्वारा जोड़े जाने वाले संभावित देश कौन-कौन से हैं;

(च) सरकार द्वारा बढ़ायी गई उड़ानों की एयरलाइन-वार संख्या कितनी है; और

(छ) इस कदम से एयर इंडिया इंटरनेशनल और अन्य घरेलू विमानन कंपनियों को किस हद तक फायदा पहुंचने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) वर्तमान में, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, जेट एयरवेज, स्पाईस जेट तथा इंडिगो ही निर्दिष्ट भारतीय वाहक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रचालन कर रहे हैं।

(ख) वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान इन एयरलाइनों का अर्जित लाभ/हुई हानि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया है।

(ग) से (छ) जी, हां। सरकार ने निर्दिष्ट भारतीय वाहकों को यातायात अधिकार आवंटित किए हैं। सरकार द्वारा शीतकाल 2012, ग्रीष्म काल 2013 तथा शीतकाल 2013 में प्रभावी अनुसूची के लिए एयरलाइन वार अतिरिक्त यातायात अधिकारों के आवंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। नए यातायात अधिकारों के आवंटन से उपलब्ध द्विपक्षीय यातायात अधिकारों का भारतीय वाहकों द्वारा अधिक उपयोग होगा, जिससे कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, यात्रियों के लिए और अधिक सीटें उपलब्ध होंगी, मार्केट में हिस्सेदारी, राजस्व बढ़ेंगे तथा भारतीय वाहकों के ब्रांड बनेंगे।

विवरण-I

अनुसूचित भारतीय वाहकों का संक्षिप्त वित्तीय ब्यौरा

वाहक/एयरलाइन	प्रचालन आय (मिलियन रुपए)	प्रचालन व्यय (मिलियन रुपए)	प्रचालन परिणाम (मिलियन रुपए)
1	2	3	4
	2008-09		
राष्ट्रीय वाहक			
एनएसीआईएल (एआई + आईसी संयुक्त)	134,793.8	188,964.5	-54,170.7
एयर इंडिया एक्सप्रेस	14,164.0	15,787.0	-1,623.0
कुल	148,957.8	204,751.5	-55,793.7
निजी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें			
जेट एयरवेज	126,914.4	125,818.7	1,095.7
स्पाइसजेट	16,894.5	21,200.0	-4305.8
इंडिगो	18,763.6	18,582.6	181.0
योग	162,572.5	165,601.6	-3,029.1
कुल योग	311,530.3	370,353.1	-58,822.8
	2009-10		
राष्ट्रीय वाहक			
एनएसीआईएल (एआई + आईसी संयुक्त)	134,022.7	165,806.7	-31,784.0
एयर इंडिया एक्सप्रेस	14,018.0	15,574.0	-1,556.0
कुल	148,040.7	181,380.7	-33,340.0
निजी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों			
जेट एयरवेज	103,672.6	101,666.5	2,006.1
स्पाइसजेट	21,810.8	21,204.8	606.0

1	2	3	4
इंडिगो	26,015.0	21,548.0	4,467.0
योग	151,498.4	144,419.3	7,079.1
कुल योग	299,539.1	325,800.0	-26,260.9
	2010-11		
राष्ट्रीय वाहक			
एनएसीआईएल (एआई + आईसी संयुक्त)	142,551.1	179,959.1	-37,408.0
एयर इंडिया एक्सप्रेस	13,778.1	16,974.2	-3196.1
कुल	156,329.2	196,933.3	-40,604.1
निजी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों			
जेट एयरवेज	127,146.3	120,346.2	6800.1
स्पाइसजेट *	29,606.0	28,324.4	1281.6
इंडिगो	38,254.1	32,229.2	6024.9
योग	195,006.4	180,899.8	14,106.6
कुल योग	351,335.6	377,833.1	-26,497.5

स्रोत:- इकाओ एटीआर भारतीय वाहकों द्वारा प्रस्तुत-ईफ

*स्रोत स्पाइसजेट वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

विवरण-II

एयर लाइन-वार अतिरिक्त यातायात अधिकारों के आबंटन का ब्यौरा

एयर-इंडिया

मार्ग (एवं वापसी)	देश	आवागमन का अधिकार	प्रभावी अनुसूची
1	2	3	4
दिल्ली-दुबई एवं वापसी	दुबई	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
कोझीकोड-शारजाह एवं वापसी	शारजाह	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
दिल्ली-नरिता एवं वापसी	जापान	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन

1	2	3	4
दिल्ली-रोम-मैड्रिड-बार्सिलोना एवं वापसी	इटली, स्पेन	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 ग्रीष्मकालीन
दिल्ली-मास्को एवं वापसी	रूस	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 ग्रीष्मकालीन
मुंबई-दिल्ली-शंघाई एवं वापसी	चीन	प्रति सप्ताह 3 सेवाएं	2013 ग्रीष्मकालीन
मुंबई-अल नजफ एवं वापसी	इराक	प्रति सप्ताह 5 सेवाएं	2013 ग्रीष्मकालीन
अहमदाबाद-दिल्ली-न्यूयार्क एवं वापसी	यूएसए	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
मुंबई-नैरोबी एवं वापसी	केन्या	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
दिल्ली-कुआलालंपुर एवं वापसी	मलेशिया	प्रति सप्ताह 777 सीटें	2013 शीतकालीन
चेन्नई-कुआलालंपुर एवं वापसी	मलेशिया	प्रति सप्ताह 777 सीटें	2013 शीतकालीन
एयर इंडिया एक्सप्रेस			
कोझीकोड-दुबई एवं वापसी	दुबई	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
कोचीन-दुबई एवं वापसी	दुबई	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
त्रिवेंद्रम-दुबई एवं वापसी	दुबई	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
त्रिची-दुबई एवं वापसी	दुबई	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
अमृतसर-दुबई एवं वापसी	दुबई	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
लखनऊ-दुबई एवं वापसी	दुबई	प्रति सप्ताह 1 सेवा	2012 शीतकालीन
जयपुर-दुबई एवं वापसी	दुबई	प्रति सप्ताह 1 सेवा	2012 शीतकालीन
कोझीकोड-मस्कट एवं वापसी	ओमान	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
त्रिवेंद्रम-मस्कट एवं वापसी	ओमान	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
कोचीन-मस्कट एवं वापसी	ओमान	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
अमृतसर-मस्कट-अबू धाबी-अमृतसर	ओमान/अबू धाबी	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
अमृतसर-अबू धाबी-मस्कट-अमृतसर	ओमान/अबू धाबी	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन

1	2	3	4
मंगलोर-मस्कट-अबू धाबी मंगलौर	ओमान/अबू धाबी	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
कोचीन-सालाह एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात	प्रति सप्ताह 1 सेवा	2012 शीतकालीन
त्रिवेंद्रम-सालाह एवं वापसी	संयुक्त अरब	प्रति सप्ताह 1 सेवा	2012 शीतकालीन
कोझीकोड-अबूधाबी एवं वापसी	अबू धाबी	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
कोचीन-अबूधाबी एवं वापसी	अबू धाबी	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
त्रिवेंद्रम-अबूधाबी एवं वापसी	अबू धाबी	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
चेन्नई त्रिची अबूधाबी एवं वापसी	अबू धाबी	प्रति सप्ताह 1 सेवा	2012 शीतकालीन
अमृतसर-मस्कट-अबूधाबी-अमृतसर	ओमान/अबू धाबी	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
अमृतसर-अबू धाबी-मस्कट-अमृतसर	ओमान/अबू धाबी	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
मंगलौर-मस्कट-अबूधाबी मंगलौर	ओमान/अबू धाबी	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
कोचीन-शारजाह एवं वापसी	शारजाह	4 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
कोझीकोड-शारजाह एवं वापसी	शारजाह	7 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
कोझीकोड-दोहा-बहरीन-कोझीकोड	बहरीन/कतर	4 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
कोझीकोड-बहरीन-दोहा-कोझीकोड	बहरीन/कतर	3 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
कोचीन-बहरीन-दोहा-कोचीन	बहरीन/कतर	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
कोचीन-दोहा-बहरीन-कोचीन	बहरीन/कतर	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
त्रिवेंद्रम-बहरीन-दोहा-त्रिवेंद्रम	बहरीन/कतर	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
त्रिवेंद्रम-दोहा-बहरीन-त्रिवेंद्रम	बहरीन/कतर	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2012 शीतकालीन
मंगलौर-दोहा-बहरीन-मंगलौर	बहरीन/कतर	प्रति सप्ताह 1 सेवा	2012 शीतकालीन
कोचीन-दम्माम एवं वापसी	सऊदी अरब	प्रति सप्ताह 3 सेवाएं	2012 शीतकालीन
त्रिवेंद्रम-दम्माम एवं वापसी	सऊदी अरब	प्रति सप्ताह 3 सेवाएं	2012 शीतकालीन
मंगलौर-दम्माम एवं वापसी	सऊदी अरब	प्रति सप्ताह 3 सेवाएं	2012 शीतकालीन

1	2	3	4
चेन्नई-कुआलालंपुर एवं वापसी	मलेशिया	प्रति सप्ताह 2सेवा	2012 शीतकालीन
चेन्नई-सिंगापुर एवं वापसी	सिंगापुर	प्रति सप्ताह 3 सेवाएं	2012 शीतकालीन
कोझीकोड-सिंगापुर एवं वापसी	सिंगापुर	प्रति सप्ताह 4 सेवाएं	2012 शीतकालीन
चेन्नई-बैंकाक एवं वापसी	थाईलैंड	प्रति सप्ताह 3 सेवाएं	2012 शीतकालीन
दिल्ली-ढाका एवं वापसी	बांग्लादेश	प्रति सप्ताह 4 सेवाएं	2012 शीतकालीन
कोलकाता-ढाका एवं वापसी	बांग्लादेश	प्रति सप्ताह 4 सेवाएं	2012 शीतकालीन
चेन्नई-कोलंबो	श्रीलंका	प्रति सप्ताह 4 सेवाएं	2012 शीतकालीन
मंगलौर-दुबई एवं वापसी	दुबई	प्रति सप्ताह 4 सेवाएं	2013 ग्रीष्मकालीन
त्रिची-दुबई एवं वापसी	दुबई	प्रति सप्ताह 1 सेवा	2013 ग्रीष्मकालीन
लखनऊ-दुबई एवं वापसी	दुबई	प्रति सप्ताह 1 सेवा	2013 ग्रीष्मकालीन
जयपुर-दुबई एवं वापसी	दुबई	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 ग्रीष्मकालीन
अमृतसर-अबूधाबी मस्कट-अमृतसर	अबू धाबी	प्रति सप्ताह 1 सेवा	2013 ग्रीष्मकालीन
मंगलौर-अबूधाबी-मस्कट-मंगलौर	अबू धाबी	प्रति सप्ताह 1 सेवा	2013 ग्रीष्मकालीन
कोचीन-अल ऐन एवं वापसी	अबू धाबी	प्रति सप्ताह 1 सेवा	2013 ग्रीष्मकालीन
मंगलौर-शारजाह एवं वापसी	शारजाह	प्रति सप्ताह 3 सेवाओं	2013 ग्रीष्मकालीन
कोझीकोड-दम्माम एवं वापसी	सऊदी अरब	प्रति सप्ताह 4 सेवाओं	2013 ग्रीष्मकालीन
चेन्नई-कुआलालंपुर एवं वापसी	मलेशिया	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 ग्रीष्मकालीन
कोलकाता-सिंगापुर एवं वापसी	सिंगापुर	प्रति सप्ताह 3 सेवाओं	2013 ग्रीष्मकालीन
दिल्ली-ढाका एवं वापसी	बांग्लादेश	प्रति सप्ताह 3 सेवाओं	2013 ग्रीष्मकालीन
कोलकाता-ढाका एवं वापसी	बांग्लादेश	प्रति सप्ताह 3 सेवाओं	2013 ग्रीष्मकालीन
त्रिची-कोलंबो एवं वापसी	श्रीलंका	प्रति सप्ताह 4 सेवाओं	2013 ग्रीष्मकालीन
पुणे-दुबई एवं वापसी	दुबई	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन

1	2	3	4
लखनऊ-दुबई एवं वापसी	दुबई	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
जयपुर-दुबई एवं वापसी	दुबई	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
जयपुर-दुबई एवं वापसी	दुबई	2 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
अमृतसर-मस्कट-अबू धाबी-अमृतसर	अबू धाबी	1 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
अमृतसर-अबू धाबी-मस्कट-अमृतसर	अबू धाबी	1 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
मंगलौर-मस्कट-अबू धाबी मंगलौर	अबू धाबी	1 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
मंगलौर-अबू धाबी-मस्कट-मंगलौर	अबू धाबी	1 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
मंगलौर-शारजाह एवं वापसी	शारजाह	4 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
त्रिवेंद्रम-दम्माम एवं वापसी	सऊदी अरब	1 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
मंगलौर-दम्माम एवं वापसी	सऊदी अरब	1 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
चेन्नई-सिंगापुर एवं वापसी	सिंगापुर	4 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
चेन्नई-बैंकाक एवं वापसी	थाईलैंड	4 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
त्रिची-कोलंबो एवं वापसी	श्रीलंका	3 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
दोहा-त्रिवेंद्रम-बहरीन-त्रिवेंद्रम	बहरीन/कतर	3 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
कोचीन-बहरीन-दोहा-कोचीन	बहरीन/कतर	4 सेवाएं प्रति सप्ताह	2013 शीतकालीन
जेट एयरवेज			
गुवाहाटी-ढाका एवं वापसी	बांग्लादेश	3 आवृत्तियों/सप्ताह	2012 शीतकालीन
मुंबई-बैंकाक एवं वापसी	थाईलैंड	2, 100 सीटें/सप्ताह	2012 शीतकालीन
दिल्ली-बैंकाक एवं वापसी	थाईलैंड	1400 सीटें/सप्ताह	2012 शीतकालीन
दिल्ली-दुबई एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात दुबई	7/1225 सीटें/सप्ताह	2012 शीतकालीन
मंगलौर-दुबई एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात दुबई	7/1225 सीटें/सप्ताह	2012 शीतकालीन

1	2	3	4
मंगलौर-शारजाह एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह	7/1225 सीटें/सप्ताह	2012 शीतकालीन
दिल्ली-फ्रैंकफर्ट एवं वापसी	जर्मनी	7 आवृत्तियां/सप्ताह	2013 ग्रीष्मकालीन
चेन्नई-सिंगापुर एवं वापसी	सिंगापुर	1,225 सीटें/सप्ताह	2013 ग्रीष्मकालीन
कोच्चि-अबू धाबी एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी	1,225 सीटें/सप्ताह	2013 ग्रीष्मकालीन
मुंबई-हो ची मिन्ह सिटी वापसी	वियतनाम	7/सीटें प्रति सप्ताह	2013 ग्रीष्मकालीन
मुंबई-जकार्ता एवं वापसी	इंडोनेशिया	7 आवृत्तियां/सप्ताह	2013 ग्रीष्मकालीन
कोच्चि-दम्माम एवं वापसी	सऊदी अरब	1,225 सीटें/सप्ताह	2013 ग्रीष्मकालीन
दिल्ली-पेरिस एवं वापसी	फ्रांस	7 आवृत्तियां/सप्ताह	2013 शीतकालीन
दिल्ली-डसेलडोर्फ एवं वापसी	जर्मनी	7 आवृत्तियां/सप्ताह	2013 शीतकालीन
मुंबई-ज्यूरिख एवं वापसी	स्विटजरलैंड	7 आवृत्तियां/सप्ताह	2013 शीतकालीन
दिल्ली-बार्सिलोना एवं वापसी	स्पेन	7 आवृत्तियां/सप्ताह	2013 शीतकालीन
दिल्ली-बीजिंग एवं वापसी	चीन	7 आवृत्तियां/सप्ताह	2013 शीतकालीन
मुंबई-सिडनी एवं वापसी	आस्ट्रेलिया	2436 सीटें/सप्ताह	2013 शीतकालीन
मुंबई-कोलंबो एवं वापसी	श्रीलंका	7 आवृत्तियां/सप्ताह	2013 शीतकालीन
दिल्ली-ताशकंद एवं वापसी	उज्बेकिस्तान	1,225 सीटें/सप्ताह	2013 शीतकालीन
चेन्नई-कुवैत एवं वापसी	कुवैत	1,778 सीटें/सप्ताह	2013 शीतकालीन
स्पाइसजेट			
कोलकाता-बैंकॉक एवं वापसी	थाईलैंड	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1484 सीटें)	2012 शीतकालीन
पुणे-बैंकाक एवं वापसी	थाईलैंड	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2012 शीतकालीन

1	2	3	4
दिल्ली-ढाका-यांगून	म्यांमार/बांग्लादेश	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1484)	2012 शीतकालीन
त्रिची-कोलंबो एवं वापसी	श्रीलंका	7 आवृत्तियां/सप्ताह (546 सीटें)	2012 शीतकालीन
लखनऊ-अल नजफ एवं वापसी	इराक	3 आवृत्तियां/सप्ताह (567 सीटें)	2012 शीतकालीन
वाराणसी-अल नजफ एवं वापसी	इराक	4 आवृत्तियां/सप्ताह (756)	2012 शीतकालीन
लखनऊ-रियाद एवं वापसी	सऊदी अरब	3 आवृत्तियां/सप्ताह (567 सीटें)	2012 शीतकालीन
अहमदाबाद-दुबई एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात दुबई	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1484 सीटें)	2012 शीतकालीन
कोचीन-दुबई एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात दुबई	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1484 सीटें)	2012 शीतकालीन
लखनऊ-शारजाह एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह	4 आवृत्तियां/सप्ताह (756 सीटें)	2012 शीतकालीन
वाराणसी-शारजाह एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह	4 आवृत्तियां/सप्ताह (756 सीटें)	2012 शीतकालीन
मदुरै-सिंगापुर एवं वापसी	सिंगापुर	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 ग्रीष्मकालीन
कोचीन-माले एवं वापसी	मालदीव	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1484)	2013 ग्रीष्मकालीन
माले-हो ची मिन्ह एवं वापसी	वियतनाम	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 ग्रीष्मकालीन
दिल्ली-अल्माटी एवं वापसी	कजाखस्तान	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1484 सीटें)	2013 ग्रीष्मकालीन
दिल्ली-कुवैत एवं वापसी	कुवैत	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 ग्रीष्मकालीन

1	2	3	4
मुंबई-कुवैत एवं वापसी	कुवैत	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 ग्रीष्मकालीन
कोलकाता हांगकांग एवं वापसी	हांग कांग	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 ग्रीष्मकालीन
पुणे-शारजाह एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 ग्रीष्मकालीन
कालीकट-दम्माम एवं वापसी	सऊदी अरब	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 शीतकालीन
मुंबई-दम्माम एवं वापसी	सऊदी अरब	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 शीतकालीन
कोचीन-दम्माम एवं वापसी	सऊदी अरब	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 शीतकालीन
दिल्ली-मकाओ एवं वापसी	मकाउ	2 आवृत्तियां/सप्ताह	2013 शीतकालीन
चेन्नई-कुआलालंपुर	मलेशिया	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 शीतकालीन
मुंबई-कुआलालंपुर	मलेशिया	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 शीतकालीन
जयपुर-कुवैत	कुवैत	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1323 सीटें)	2013 शीतकालीन
इंडिगो			
कोलकाता-बैंकाक-कोलकाता	थाईलैंड	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1260 सीटें)	2012 शीतकालीन
मुंबई-दुबई एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात दुबई	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1260 सीटें)	2012 शीतकालीन
त्रिवेंद्रम-दुबई एवं वापसी	संयुक्त अरब अमीरात दुबई	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1260 सीटें)	2012 शीतकालीन
बंगलौर-सिंगापुर एवं वापसी	सिंगापुर	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1260 सीटें)	2013 ग्रीष्मकालीन

1	2	3	4
कोझीकोड-दुबई-कोझीकोड	संयुक्त अरब अमीरात दुबई	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1260 सीटें)	2013 ग्रीष्मकालीन
चेन्नई-कुआलालंपुर एवं वापसी	मलेशिया	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1260 सीटें)	2013 शीतकालीन
दिल्ली-कुआलालंपुर एवं वापसी	मलेशिया	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1260 सीटें)	2013 शीतकालीन
दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली	नेपाल	7 आवृत्तियां/सप्ताह (1260 सीटें)	2013 शीतकालीन

विदेशों में भारतीय छात्र

3180. **श्री रमाशंकर राजभर :**
प्रो. रंजन प्रसाद यादव :
श्री अनुराग सिंह ठाकुर :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार आस्ट्रेलिया और अमेरिका सहित विदेशों में अध्ययन का रहे छात्रों की देश-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) भारतीय छात्रों द्वारा इन देशों को प्रत्येक महीने शुल्क के रूप में भुगतान की गयी विदेशी मुद्रा की राशि का अनुमानित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों में विशेषकर अमेरिका में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या में कमी आयी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के मामले में पिछड़ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में उच्च शिक्षा के लिए सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के अंतर्गत इस प्रकार के गुणवत्तापूर्ण संस्थानों की स्थापना करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) रोजगार के प्रावधानों तथा उपलब्ध सुविधाओं के औसत के रूप में भारतीय तथा विदेशी विश्वविद्यालयों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विदेशों में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या और उनके द्वारा हर महीने विदेश मुद्रा के रूप में भुगतान किए जाने वाले शुल्क के संबंध में कोई विशिष्ट सूचना नहीं रखी जाती। ट्यूशन फीस की वास्तविक राशि, देश, पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय पर निर्भर करती है। तथापि, सार्वजनिक रूप उपलब्ध सूचना के अनुसार युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरीका तथा आस्ट्रेलिया में सन् 2012 में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या क्रमश: 100270 और 36326 है।

(ग) जी, हां। युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अध्ययन कर रहे भारतीय छात्रों के नामांकन में 3.5% की थोड़ी सी गिरावट (सन् 2010-11 में 103895 से सन् 2011-12 में 100270) आई है।

(घ) जी, नहीं। यह दिखाने के लिए कोई प्रमाणिक तुलनात्मक अध्ययन उपलब्ध नहीं है कि गुणवत्ता और नियोजन क्षमता में भारतीय विश्वविद्यालय कम हैं। यद्यपि, यह सत्य है कि भारतीय विश्वविद्यालय विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में नहीं आते जैसे कि कुछेक अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग प्रणालियों द्वारा घोषित किये गये हैं, उसके कारण ये हैं कि ये प्रणालियां, विश्वविद्यालयों के रैंक निर्धारित करने के लिए अलग

पैरामीटर का प्रयोग करती हैं, इनमें से कुछेक भारतीय संदर्भ में संगत नहीं हैं और इसलिए भारतीय विश्वविद्यालयों के मुकाबले विश्व के विश्वविद्यालयों के लिए इस आधार पर बेंचमार्क नहीं बनाया जा सकता।

(ङ) सरकार ने एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) आरंभ की है जिसमें 374 शैक्षिक तौर पर पिछड़े जिलों की पहचान की गई है जिनमें सामान्य नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है, में प्रत्येक में एक माडल डिग्री कालेज की स्थापना की जाएगी। इस केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन, यदि वे ऐसा चाहें तो सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में भाग लेने वाले निजी भागीदारों, जो लाभ के लिए न हों, की पहचान कर सकते हैं। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के 20 भारतीय संस्थानों की सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में स्थापना करने का भी निर्णय लिया है।

(च) रोजगार और सुविधाओं के अनुसार भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों की औसत व्यवस्था का तुलनात्मक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

सी.बी.आई. में रिक्त पड़े वरिष्ठ पद

3181. **श्री गुरुदास दासगुप्त :**
श्री पी. लिंगम :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) में लगभग 50 प्रतिशत वरिष्ठ पद रिक्त पड़े हुए हैं जिससे भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण मामलों का निपटान प्रभावित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संस्वीकृत और रिक्त पदों की संख्या कितनी है और इन पदों को भरने में देरी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने हाल में ही सीबीआई की रिक्तियों के संबंध में केन्द्र सरकार को फटकार लगाई है और भ्रष्टाचार के मामलों के समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करने में सद्भावना और गंभीरता पर जोर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) माननीय उच्चतम न्यायालय, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम सौरीन रसिक लाल शाह एवं अन्य की 2003 की आपराधिक अपील सं.88-93 में, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में रिक्ति स्थिति की निगरानी कर रहा है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में रिक्तियों भरने के लिए उठाए जा रहे विभिन्न कदमों के विषय में माननीय उच्चतम न्यायालय को सूचित कर दिया गया है।

टॉउनशिप का विकास

3182. **श्रीमती सुप्रिया सुले :**
डॉ. संजीव गणेश नाईक :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में टॉउनशिप के योजनाबद्ध विकास के लिए एकसमान नीति बनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में शहरी क्षेत्रों के अव्यवस्थित विकास को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) जी नहीं। टाउनशिप का नियोजित विकास राज्य का विषय है और तदनुसार राज्य सरकारें राज्य कानून के तहत अपनी नीतियां तैयार करते हैं। इसलिए, शहरी विकास मंत्रालय ऐसी कोई नीति तैयार नहीं कर रहा है।

(ग) शहर और कस्बों में अव्यवस्थित विकास को रोकने के लिए भवन उप नियम एवं मास्टर प्लान विनियमन लागू करने की जिम्मेवारी विकास प्राधिकरणों/शहरी स्थानीय निकायों की है।

परमाणु संयंत्रों के लिए सुरक्षोपाय

3183. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री एम.बी. राजेश :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न परमाणु संयंत्रों में नाभिकीय सुरक्षोपायों का संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु संयंत्रों में सुरक्षोपाय सुनिश्चित किए जाने के लिए विदेशी सहायता मांगी जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कुडनकुलम विद्युत संयंत्र के शुरू होने से पहले सभी सुरक्षोपाय करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास इस परियोजना के लिए कोई आपदा प्रबंधन योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) देश के सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में, गहन सुरक्षा, अतिरिक्तता (एक से अधिक प्रणाली को उपयोग में लाकर) और विविधता (विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित प्रणाली को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रचालित करना कि सामान्य मोड में कोई खराबी न हो) के सुपरिभाषित सिद्धांतों को उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त, देश के सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में स्वीकार्य सीमा से अधिक विकिरणसक्रियता की मात्रा के उन्मुक्त होने से रोकने के लिए, बहुस्तरीय सुरक्षा प्रावधानों और अनेक भौतिक अवरोधकों की व्यवस्था की गई है, और इसके द्वारा कार्मिकों, जनसाधारण और पर्यावरण का संरक्षण होता है।

(ख) नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा, संयंत्र स्थल पर घटक प्रणालियों में सुरक्षा संबंधी विशिष्टताओं का प्रावधान करके, सुनिश्चित की जाती है, और उनसे संबद्ध व्यय, संयंत्र के पूंजीगत निवेश का एक भाग है। तथापि, पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान, 'प्रचालनरत बिजलीघरों' शीर्ष के अंतर्गत, इन संयंत्रों को सुरक्षित रूप से निरंतर प्रचालित करने और उनके सक्षम कार्य निष्पादन के लिए अपेक्षित अनुरक्षण और अपग्रेडेशन के लिए, अनिवार्यत: आबंटित धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
आबंटन	91	145	144	152

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह मामला भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।

(ङ) जी, हां। प्रत्येक स्थल पर, आपात स्थिति में तैयारी करने संबंधी विस्तृत योजनाएं हैं, जिनसे भिन्न-भिन्न किस्म की आपातस्थिति से निपटा जा सकता है, जिनमें वह आपात स्थितियां भी शामिल हैं जिनका स्थल से हटकर प्रभाव पड़ता है, और वे विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनकी भूमिका तथा दायित्वों को भी दर्शाती हैं। योजनाओं को विधिमान्य बनाने और उनमें सुधार लाने की दृष्टि से समय-समय पर आपातकालीन अभ्यास किए जाते हैं।

[हिन्दी]

पटना विमानपत्तन से बड़े विमानों का प्रचालन

3184. श्री जगदीश शर्मा :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने पटना विमानपत्तन से बड़े विमानों का प्रचालन रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अब दूर कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पटना विमानपत्तन से बड़े विमानों का प्रचालन कब तक शुरू हो जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) और (ख) रनवे एप्रोच पर अवरोध होने के कारण उड़ान प्रचालनों की दृष्टि से पटना एयरोड्रोम को संवेदनशील हवाईअड्डे के रूप में

पहचाना गया है। तथापि, लोड पेनाल्टी तथा प्रचालनात्मक प्रतिबंधों के साथ पटना हवाईअड्डे पर बड़े विमानों का प्रचालन, विमान प्रचालनों की संरक्षा से समझौता किए बिना, किया जा रहा है।

(ग) और (घ) जी, हां। राज्य सरकार के समन्वय से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पटना हवाईअड्डों के आस-पास स्थित अधिकांश अवरोध पहले ही हटा दिए गए हैं और शेष अवरोधों को हटाने/ऊंचाई कम करने के लिए कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

[अनुवाद]

एयर इंडिया के लिए वैश्विक प्रोपर्टी परामर्शदाता

3185. श्री एन.एस.वी. चित्तन :
श्री ए. गणेशमूर्ति :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने एक वैश्विक भू-संपदा परामर्शदाता नियुक्त किया है/नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का इसकी संपत्ति की बिक्री को पट्टे पर देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संपत्ति-वार ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ङ) क्या प्रमुख सम्पत्तियों के बेचे जाने से इन स्थानों से कार्मिकों के विस्थापित होने की संभावना है;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले इस संबंध में प्रभावित व्यक्तियों से परामर्श किया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा सरकार द्वारा एयर इंडिया तथा इसके कार्मिकों, दोनों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) से (घ) जी, हां। एअर इंडिया की अनुमोदित वित्तीय पुनर्संरचना योजना के अनुसार, उसे परिसंपत्ति के नकदीकरण के माध्यम से दस वर्ष की अवधि में 5,000 करोड़ रुपए एकत्र करने हैं। तदनुसार, एअर इंडिया ने भारत तथा विदेश में अपनी संपत्तियों की जांच करने के लिए तथा इनके नकदीकरण हेतु रोड-मैप पर सुझाव देने के लिए ग्लोबल रियल एस्टेट परामर्शदाता के रूप में मैसर्स डीटीजेड इंटरनेशनल प्रोपर्टी एडवाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है। परामर्शदाता द्वारा संपत्तियों की पहचान की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

आधार के माध्यम से नकदी अंतरण प्रणाली

3186. डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी :
श्री के. सुधाकरण :
श्री रुद्रमाधव राय :
श्री एल. राजगोपाल :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आधार प्रणाली के माध्यम से नकदी का सीधा अंतरण शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित सीधी नकदी अंतरण प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सीधी नकदी अंतरण प्रणाली द्वारा सामाजिक क्षेत्र योजना की सुपुर्दगी में भ्रष्टाचार, बर्बादी, धोखाधड़ी और चोरी पर रोक लगेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस योजना की सफलता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) नकदी का सीधा अंतरण के संबंध में उच्च अधिकार प्राप्त राष्ट्रीय समिति की निबंधन और शर्तें क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) जी, हां। सरकार ने सरकारी सब्सिडी और लाभों के लिए आधार प्रणाली के माध्यम से नकदी का सीधा अंतरण शुरू करने का निर्णय लिया है।

(ख) सीधी नकदी अंतरण प्रणाली में सरकारी स्कीमों के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थियों के आधार समर्थित बैंक खाते में नकदी लाभ का अंतरण शामिल होगा। चूंकि आधार संख्या एक विशिष्ट पहचान संख्या है, इस प्रकार के अंतरण से दोहरीकरण से बचा जा सकेगा तथा लाभार्थियों को सटीक रूप से लक्षित किया जा सकेगा। प्रारंभ में इस उद्देश्य के लिए 34 केन्द्रीय स्कीमों की पहचान की गयी है। 01.01.2003 से 43 जिलों में इस प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।

(ग) और (घ) चूंकि आधार किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान पर आधारित है जिसमें फिंगर प्रिंट एवं पुतली के चित्र हैं, प्रस्तावित अंतरण से दोहरीकरण से बचने में तथा लाभार्थी को सटीक रूप से लक्षित करने में सहायता मिलेगी। इससे सामाजिक क्षेत्रक स्कीमों की सुपुर्दगी में भ्रष्टाचार, बर्बादी, धोखाधड़ी और चोरी पर रोक लगेगी।

(ङ) नकदी के सीधे अंतरण के संबंध में राष्ट्रीय समिति व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभों के सीधे नकदी अंतरण हेतु व्यापक विजन तथा निर्देश देगी। समिति के कार्यों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सं.360/31/सी/34/2012-स्था.2
प्रधानमंत्री का कार्यालय

साउथ ब्लॉक
नई दिल्ली-110011

दिनांक 25 अक्टूबर, 2012

अधिसूचना

सरकार ने विभिन्न सरकारी स्कीमों एवं कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यक्तियों को सीधा नकदी अंतरण करने हेतु समन्वित कार्रवाई के रूप में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीधा नकदी अंतरण संबंधी राष्ट्रीय समिति नामक एक समन्वय समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

2. सीधा नकदी अंतरण संबंधी राष्ट्रीय समिति का गठन निम्नानुसार है:

1. प्रधानमंत्री
2. वित्त मंत्री
3. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
4. ग्रामीण विकास मंत्री
5. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
6. मानव संसाधन विकास मंत्री
7. जनजातीय मामले मंत्री
8. अल्पसंख्यक मामले मंत्री
9. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
10. श्रम और रोजगार मंत्री
11. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री
12. रसायन और उर्वरक मंत्री
13. उपाध्यक्ष, योजना आयोग
14. खाद्य और सार्वजनिक वितरण के प्रभारी राज्य मंत्री
15. महिला और बाल विकास के प्रभारी राज्य मंत्री
16. अध्यक्ष, यूआईडीएआई
17. मंत्रिमंडल सचिव
18. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव — संयोजक

3. प्रधानमंत्री, समिति की किसी भी बैठक में अन्यमंत्री/अधिकारी/विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकते हैं।

4. सीधे नकदी अंतरण संबंधी राष्ट्रीय समिति का निम्नलिखित कार्य होगा:

i. विभिन्न सरकारी स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभों के सीधा नकदी अंतरण हेतु व्यापक विजन तथा निर्देश देना, आधार परियोजना में की जा रही निवेश को लिवरेज प्रदान करना, वित्तीय समावेशन तथा सरकार के अन्य पहलों को कार्यान्वित करना जिसका उद्देश्य कार्यकुशलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि करना है।

ii. सीधे नकदी अंतरण हेतु व्यापक नीतिगत उद्देश्य एवं कार्यनीति निर्धारित करना।

iii. उन सरकारी कार्यक्रमों एवं स्कीमों की पहचान करना जिनके लिए व्यक्तियों को सीधा नकदी अंतरण किया जाना है तथा प्रत्येक मामले में सीधे नकदी अंतरण की सीमा एवं दायरे के संबंध में सुझाव देना।

iv. सीधे नकदी अंतरण सुलभ कराने में शामिल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के कार्यकलापों का समन्वय करना तथा पूरे देश में सीधे नकदी अंतरण स्कीम को तेजी से लागू करने हेतु समयानुसार, समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना।

v. सीधा नकदी अंतरण लागू करने हेतु समय सीमा निर्दिष्ट करना।

vi. सीधा नकदी अंतरण कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना तथा मिड-कोर्स सुधार हेतु दिशा-निर्देश देना।

vii. कोई अन्य संबंधित विषय।

5. नकदी अंतरण संबंधी राष्ट्रीय समिति को सीधा नकदी अंतरण संबंधी कार्यकारी समिति द्वारा सहायता दी जाएगी जिसका गठन निम्नानुसार होगा:

1. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
2. मंत्रिमंडल सचिव
3. वित्त सचिव (सचिव, व्यय विभाग)
4. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग
5. सचिव, डाक विभाग
6. सचिव, इलैक्ट्रोनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
7. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
8. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
9. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग
10. सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
11. सचिव, जनजातीय मामले मंत्रालय
12. सचिव, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय
13. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
14. सचिव, श्रम रोजगार मंत्रालय
15. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग
16. सचिव, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय
17. सचिव, उर्वरक विभाग
18. सचिव, खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग
19. महानिदेशक, यूआईडीएआई
20. सचिव, योजना आयोग – सदस्य-संयोजक

6. सीधे नकदी अंतरण संबंधी कार्यकरण समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:

i. नकदी अंतरण संबंधी राष्ट्रीय समिति के विचारार्थ उन सरकारी कार्यक्रमों एवं स्कीमों की पहचान तथा प्रस्ताव करना जिनके लिए व्यक्तियों को सीधा नकदी अंतरण किया जाना है तथा प्रत्येक मामले में सीधा नकदी अंतरण की सीमा एवं दायरे के संबंध में सुझाव देना।

ii. सहमत क्षेत्रों में तथा नकदी अंतरण संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा दी गयी समय-सीमा के अनुरूप सीधा नकदी अंतरण तीव्र गति से करने हेतु कार्यनीतियां एवं कार्य योजनाएं तैयार करना तथा अनुमोदित करना।

iii. सीधे नकदी अंतरण सुलभ कराने में शामिल विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों के कार्यकलापों का समन्वय करना तथा यह सुनिश्चित करना कि पूरे देश में सीधा नकदी अंतरण कार्यान्वित करने हेतु ढांचा एवं फ्रेमवर्क सुलभ हो।

iv. सीधा नकदी अंतरण कार्यान्वयन की समीक्षा तथा मोनीटर करना और जहां आवश्यक हो मिड-कोर्स सुधार हेतु निर्देश देना।

v. सीधा नकदी अंतरण राष्ट्रीय समिति अथवा सीधा नकदी अंतरण से संबंधित कोई अन्य विषय।

7. अध्यक्ष कार्यकारी समिति की किसी भी बैठक में किसी भी अधिकारी/विशेषज्ञ को जहां आवश्यक हो, आमंत्रित कर सकते हैं।

8. राष्ट्रीय समिति एवं कार्यकारी समिति को योजना आयोग द्वारा सेवाएं दी जाएगी जो किसी भी कार्य में सरकार के किसी भी मंत्रालय/विभाग/एजेंसी से यथा आवश्यक सहायता ले सकता है।

9. योजना आयोग राष्ट्रीय समिति एवं कार्यकारी समिति के कार्यों का समन्वय एवं संचालन करने में योजना आयोग के संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी को नामोदिष्ट करेगा।

10. सीधी नकदी अंतरण प्रणाली के आकार एवं कार्यान्वयन से संबंधित प्रचालनात्मक एवं कार्यान्वियन के ब्यौरे को अंतिम रूप प्रदान करने तथा सीधा नकदी अंतरण का व्यवस्थित एवं समयानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड समितियां गठित की जाएंगी। ये इस प्रकार से होंगी:

i. प्रौद्योगिकी, भुगतान ढांचा एवं आईटी मुद्दों पर ध्यानकेंद्रण करने हेतु प्रौद्योगिकी समिति।

ii. बैंकिग पर सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने तथा पूर्ण वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने पर ध्यानकेंद्रण करने हेतु वित्तीय समावेशन समिति।

iii. प्रत्येक विभाग के लिए नकदी अंतरण के ब्यौरे जैसे कि डेटावेस, सीधे नकदी अंतरण के नियम और नियंत्रण तथा लेखा-परीक्षा तंत्र तैयार करने हेतु मंत्रालय/विभाग स्तर पर लाभों के इलैक्ट्रोनिक अंतरण संबंधी कार्यान्वयन समितियां।

इन समितियों के लिए अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी।

(पुलक चटर्जी)
प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव
दूरभाष नं. 23013040

प्रतिलिपि: सीधा नकदी अंतरण संबंधी राष्ट्रीय समिति तथा सीधा नकदी अंतरण संबंधी कार्यकारी समिति के सभी सदस्य

(बीवीआर. सुब्रहमण्यम)
प्रधानमंत्री के संयुक्त सचिव दूरभाष
दूरभाष नं. 23013024

कॉरपोरेट हाउसों द्वारा रिश्वत

3187. **श्री एन. चेलुवरया स्वामी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कॉरपोरेट हाउसों द्वारा रिश्वत दिए जाने को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने कॉरपोरेट रिश्वतखोरी के दोषियों को सख्त सजा दिए जाने के लिए कोई कानून बनाया है या बनाने की प्रक्रिया में है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : औद्योगिक घरानों द्वारा रिश्वतखोरी सहित लोक सेवकों के रिश्वतखोरी वाले मामलों में भारतीय दंड संहिता/भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम, 1988 के संगत उपबन्धों के अधीन अन्वेषण/अभियोजन एजेन्सी द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ख) से (घ) भारतीय दंड संहिता में निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी के लिए दांडिक उपबन्ध की व्यवस्था नहीं है। हालांकि, भारत, "भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन" का हस्ताक्षारकर्त्ता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी को दंडनीय अपराध माना जाए, गृह मंत्रालय के पास निजी क्षेत्र में रिश्वतखोरी को दंडनीय अपराध बनाने के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। चूंकि दंड संबंधी कानून एवं दंड प्रक्रिया, संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आते हैं, उन्होंने सूचित किया है कि इस प्रस्ताव पर निर्णय लेना, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों

से प्राप्त टिप्पणियों के अध्यधीन होगा। इस स्थिति में, तिथि जिस तक निर्णय लेना संभावित है, के संबंध में किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

सेंसरशिप के खिलाफ साइबर हमला

3188. **श्री पन्ना लाल पुनिया : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सेंसरशिप के खिलाफ हैकरों द्वारा साइबर हमले के मामलों की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'एनोनिमस' नाम के एक हैकर संगठन ने कंप्यूटर इमरजेन्सी रिस्पांस टीम इंडिया (सीईआरटी-इन) नामक राष्ट्रीय एजेंसी के वेबसाइट को हैक कर लिया है और उसे धीमा कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) 17 मई से 15 जून, 2012 की अवधि के दौरान पता लगाई गई और भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को सूचना के अनुसार, "गुमनाम" दलों द्वारा कुल 25 वेबसाइटों को विकृत किया गया था। इसी दल ने सरकारी, कारपोरेट सेक्टर और अन्य संगठनों से संबंधित 17 वेबसाइटों पर सेवा की वितरित मनाही (डीडीओएस) हमला भी शुरू किया था।

(ग) हैकर दल "गुमनाम" ने मई से जून, 2012 की अवधि के दौरान भी भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) की वेबसाइट के विरूद्ध डीडीओएस हमले किए। हैकर दल सर्ट-इन की वेबसाइट को हैक या धीमा नहीं कर सके।

(घ) इस बारे में सरकार द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए हैं:

(i) भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) उपयुक्त प्रति उपायों सहित हमलों और अद्यतन साइबर खतरों के बारे में नियमित रूप से चेतावनियां और परामर्श जारी कर रहा है। सर्ट-इन द्वारा वेबसाइटों की सुरक्षा के लिए सिस्टम/नेटवर्क प्रशासकों के लिए भी नियमित आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

(ii) सर्ट-इन ने कुल 22 आईटी सुरक्षा आडिटरों का पैनल बनाया है जिन्हें किसी भी सरकार या निजी संगठन द्वारा अपनी आईटी अवसंरचना की सुरक्षा आडिट करने के लिए लगाया जा सकता है।

(iii) सभी नई सरकारी वेबसाइटों और अनुप्रयोगों को होस्ट करने से पहले साइबर सुरक्षा के संबंध में आडिट किया जाना है। वेबसाइटों और अनुप्रयोगों की आडिटिंग होस्ट करने के बाद भी नियमित आधार पर की जायेगी। विद्यमान सरकारी वेबसाइटों का आवधिक आडिट सुरक्षा परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से किया जाता है और नाजुकता पाए जाने पर बंद किया जाता है। सरकारी वेबसाइटों को डीडीओएस हमलों जैसे साइबर हमलों से बचाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकीय समाधान किए गए हैं।

[अनुवाद]

ए.ई.आर.ए.ए.टी.

3189. **श्री ई.जी. सुगावनम : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय (एइआरएएटी) का कार्यकाल समाप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अधिकरण का अधिदेश क्या है;

(ग) क्या सरकार का उक्त अधिकरण को पुनरुज्जीवित करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसे कब तक पुनरुज्जीवित कर दिया जाएगा?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी नहीं।

(ख) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरणें (एइआरएएटी) की स्थापना भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एइआरए) अधिनियम 2008 के अधीन की गई है जिसका उद्देश्य दो या दो से अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच या सेवा प्रदाता और उपभोक्ता समूह के बीच किसी विवाद पर न्याय निर्णय न करना और भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के किसी निदेश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना और उसका निस्तरण करना है।

(ग) से (ङ) दिनांक 24 अगस्त, 2012 से न्यायमूर्ति श्री वी.एम. सिरपुरकर को भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण (एइआरएएटी) का अध्यक्ष तथा श्री राहुल सरीन तथा सुश्री प्रवीण त्रिपाठी को सदस्य नियुक्त किया गया है।

एमडीएमएस का कार्यान्वयन

3190. **श्री जी.एम. सिद्देश्वर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसाधनों के अभाव के कारण मिड डे मील स्कीम (एमडीएमएस) के कार्यान्वयन में कोई बाधाएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय बाल श्रम कार्यक्रम जो वर्तमान समय में नौ राज्यों में प्रगति में है, के अन्तर्गत एमडीएमएस का 20 राज्यों तक विस्तार किया जाएगा जैसी कि योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले को किस प्रकार से हल करने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के कार्यान्वयन में कोई बाधाएं नहीं हैं; सरकार ने चालू वर्ष में इस योजना के लिए 11937 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना उन सभी 20 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं जहां राष्ट्रीय बाल श्रम कार्यक्रम कार्यात्मक है।

नवोन्मेषण विश्वविद्यालय की अवधारणा

3191. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्तर के मानकों वाले नवोन्मेषण विश्वविद्यालयों की अवधारणा को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार ने अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक तैयार किया है। विधेयक का उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालयों को स्थापित और उन्हें निगमित करने की व्यवस्था करना है। केन्द्र सरकार ने लोक निधिवद्ध प्रणाली में ऐसे विश्वविद्यालयों को स्थापित करने के लिए अस्थाई रूप से 14 स्थलों की पहचान की है।

(ग) 'अनुसंधान और नवाचार विश्वविद्यालय विधेयक' संसद में दिनांक 21.05.2012 को पेश कर दिया गया है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों के लिए ई-परियोजना

3192. **श्री बद्रीराम जाखड़ : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू करने के लिए सरकार द्वारा सभी विश्वविद्यालयों को ई-परियोजना से जोड़ा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विश्वविद्यालयों/कालेजों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस योजना को लागू कर दिया है;

(घ) शेष विश्वविद्यालयों और कालेजों में ई-परियोजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) राजस्थान विश्वविद्यालय को ई-परियोजना से जोड़ने हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ङ) महोदय, समूचे देश में एकसमान पाठ्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को जोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम के अंतर्गत देश में 2000 पालीटेक्निकों और राष्ट्रीय महत्व के 419 विश्वविद्यालयों/सम-विश्वविद्यालयों और संस्थाओं सहित 25000 से अधिक कालेजों को एक 75:25 के लागत शेयरिंग आधार पर [केन्द्र सरकार द्वारा 75 प्रतिशत और संबंधित विश्वविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 90:10)] जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इस मिशन में सभी इच्छुक विद्यार्थियों के लाभार्थ, अवर-स्नातक, स्नातकोत्तर और इंजीनियरिंग विषयों के लिए ई-विषय-वस्तु को तैयार करने की भी परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों का पुनः नामकरण करना

3193. **श्रीमती दर्शना जरदोश** : क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात सहित विभिन्न राज्य सरकारों से विमानपत्तनों के पुनः नामकरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक प्रस्ताव की क्या स्थिति है; और

(ग) इन्हें कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों से समय-समय पर हवाईअड्डों के पुनः नामकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते रहे हैं। तथापि, गुजरात सरकार से उनके हवाईअड्डों के पुनः नामकरण के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस समय गया हवाईअड्डे के पुनः नामकरण के लिए बिहार सरकार और चंडीगढ़ हवाईअड्डे पर स्थापित किए जाने वाले सिविल एअर टर्मिनल कॉम्प्लेक्स के पुनः नामकरण के लिए पंजाब/हरियाणा सरकार के प्रस्ताव इस मंत्रालय के पास हैं।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों पर, मंत्रिमंडल का अनुमोदन लेने के लिए, अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके इस मंत्रालय में विचार किया जाता है। चूंकि यह मामला अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों के परामर्श से जुड़ा है, इसलिए इस प्रक्रिया के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

'कैच देम यंग' कार्यक्रम

3194. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग का अनुसंधान एकक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में संभावना वाले छात्रों को आकर्षित करने के लिए 'कैच देम यंग' कार्यक्रम या इस प्रकार का कोई अन्य कार्यक्रम चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार का आधुनिक प्रौद्योगिकी के विकास में युवा वैज्ञानिकों और गैर-सरकारी व्यक्तियों को किस तरीके से शामिल करने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मेधावी छात्रों को आकर्षित करने के लिए अनेक योजनाएं चालू हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में शोध जीविका को प्रारंभ करने के लिए अनुसंधान तथा विकास यूनिटों में काम करने के लिए युवा प्रतिभाशाली छात्रों की भर्ती करने के लिए निम्नलिखित प्रवेश चैनल उपलब्ध हैं:

(i) इंजीनियरी तथा विज्ञान अभिमुखीकरण पाठ्यक्रम (ओसीईएस)

(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग स्नातक अध्येतावृत्ति योजना (डीजीएफएस)

(iii) डा. के.एस. कृष्णन अनुसंधान सह-योजना (के.एस.के. आर.ए.एस)

(iv) परमाणु ऊर्जा विभाग-उत्कृष्ट मूलभूत विज्ञान केन्द्र, मुंबई विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के साथ गठबंधन

(v) भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (नाइज़र)

(ग) लागू नहीं।

(घ) नए युवा विज्ञान और इंजीनियरिंग छात्रों को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के प्रशिक्षण विद्यालय में एक वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके पश्चात् उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के बाद, उन्हें होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान (एचबीएनआई), जोकि एक मानार्थ विश्वविद्यालय है, की एमटेक डिग्री प्राप्त करने के लिए अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु प्रस्तुतिकरण संबंधी कार्य को जारी रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। परमाणु ऊर्जा विभाग स्नातक अध्येतावृत्ति योजना (डीजीएफएस) के अंतर्गत, उन इंजीनियरी स्नातकों को जिन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान/अन्य चुनिंदा अग्रणी इंजीनियरी संस्थानों में अध्ययन करने के लिए एमटेक कार्यक्रम में दाखिला मिलता है, को अध्येतावृत्ति भी प्रदान की जाती है। परमाणु ऊर्जा विभाग स्नातक अध्येतावृत्ति योजना के छात्रों को परमाणु ऊर्जा विभाग में बाद में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

इसी प्रकार, डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त छात्रों का डा. के.एस. कृष्णन अनुसंधान सह-योजना के अंतर्गत अध्येता के रूप में चयन किया जाता है जिन्हें एक वर्ष की अध्येतावृत्ति पूरी करने के बाद परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के बारे में विचार किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में नियुक्त किए गए सभी वैज्ञानिक अधिकारियों को नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विभागीय कार्यक्रम से संबंधित विषयों पर कार्य करना पड़ता है और इस प्रकार वे प्रगत प्रौद्योगिकियों के विकास में योगदान देते हैं।

मुंबई स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग-मुंबई विश्वविद्यालय-उत्कृष्ट मूलभूत विज्ञान केन्द्र और भुवनेश्वर स्थित राष्ट्रीय विज्ञान, शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान (नाइज़र) द्वारा आयोजित किए जाने वाले पंचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत, शैक्षिणिक कार्यक्रम प्रदान किया जाता है जो छात्रों के विकास के लिए उपयोगी है और उन्हें परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुसंधान सुविधाओं और कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान करता है। इन छात्रों को नाभिकीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगत क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है और इस प्रकार, वे प्रगत प्रौद्योगिकियों के विकास में भी योगदान देते हैं।

एनसीईआरटी पुस्तकों की समीक्षा

3195. **डॉ. पी. वेणुगोपाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) और एनसीईआरटी की पुस्तकों की व्यापक रूप से समीक्षा किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सीबीएसई/एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की कुछ पुस्तकों में विवादास्पद पाठ हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा सीबीएसई/एनसीईआरटी पुस्तकों के विवादास्पद पाठों/हिस्सों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) पाठ्यपुस्तकों के पुनर्मुद्रित संस्करण हेतु पाठ्यचर्या संबंधी क्षेत्रों में क्षेत्र/अध्यापकों/विशेषज्ञों से प्राप्त पृष्ठपोषण/इन्पुट के आधर पर नियमित रूप से अपनी पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करती है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) कक्षा IX से XII के लिए एन सीईआरटी द्वारा तैयार की गई पुस्तकें निर्धारित करता है।

(ग) और (घ) संसद में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में विचाराधीन कार्टूनों को सम्मिलित करने का मामला उठाया गया था। दिनांक 11.05.2012 को मानव संसाधन विकास मंत्री ने सदन को न सिर्फ कार्टूनों का, बल्कि साथ ही पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु की समीक्षा के लिए भी समिति गठित करने का आश्वासन दिया। एनसीईआरटी ने शैक्षिक रूप से अनुपयुक्त

सामग्री की पहचान के मद्देनजर कक्षा IX - XII की एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने के लिए दिनांक 14.05.2012 को प्रोफेसर एस.के. थोराट की अध्यक्षता में समिति गठित की। समिति ने अपनी रिर्पाट दिनांक 27.06.2012 को प्रस्तुत की। रिपोर्ट को एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्पुस्तकों की निगरानी के लिए गठित राष्ट्रीय निगरानी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। इस विषय पाठ्यपुस्तक विकास समिति और राष्ट्रीय निगरानी समिति की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी ने कक्षा IX से XII की सामाजिक विज्ञान/राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में परिवर्तन किए।

(ङ) सरकार एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों के विवादास्पद अध्यायों/भागों के संबंध में किसी शिकायत के मामले में, उक्त मामला एनसीईआरटी को भेजती है। एनसीईआरटी शिकायत को पाठ्यपुस्तक विकास समिति के समक्ष उसकी टिप्पणी के लिए रखती है। राष्ट्रीय निगरानी समिति इस संबंध में अंतिम निर्णय लेती है कि क्या एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की सामग्री में कोई परिवर्तन किया जाना है तथा यदि हां, तो पाठ्यपुस्तक विकास समिति तथा एनसीईआरटी की टिप्पणियों के आधार पर क्या संशोधन किया जाना है। एनसीईआरटी अपनी पाठ्पुस्तकों की सामग्री को प्रतिवर्ष अद्यतन करती है तथा पाठ्यपुस्तकों की विषय-वस्तु की एक आवधिक समीक्षा भी करती है।

[हिन्दी]

आईएईए में संशोधन की पुष्टि

3196. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत उन कुछ देशों में से है जिसने परमाणु सामग्रियों के वास्तविक संरक्षण के संबंध में वर्ष 2005 के आईएईए समझौते में संशोधनों की पुष्टि की है;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश को इससे मिलने वाली/मिलने की संभावना वाली सुविधाओं और लाभों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां। भारत ने, कंवेंशन ऑन द फिजिकल प्रोटेक्शन ऑफ न्यूक्लियर मैटिरियल (सीपीपीएनएम) के संशोधन का 19 सितम्बर, 2007 को अनुसमर्थन किया था। वर्तमान में, 140 राज्य सीपीपीएनएम के पक्षकार हैं जिनमें से 60 राज्यों ने संशोधित पाठ का अनुसमर्थन कर दिया है। कन्वेंशन के दो तिहाई राज्य पक्षकारों द्वारा इसका अनुसमर्थन करने के बाद ही यह संशोधन लागू किया जाएगा।

(ख) सीपीपीएनएम के अंतर्गत भौतिक संरक्षण के लिए दायित्वों का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के दौरान केवल नाभिकीय सामग्री के लिए किया गया है। सीपीपीएनएम के संशोधन, राज्य पक्षकारों को नाभिकीय सुविधाओं और सामग्रियों को उनके शांतिपूर्ण स्वदेशी उपयोग, भंडारण तथा परिवहन के संबंध में संरक्षण करने के लिए बाध्य करते हैं। इस संशोधन में चोरी की गई अथवा तस्करी की गई नाभिकीय सामग्री का पता लगाने और उसे बरामद करने के लिए त्वरित उपाय करने, तोडफोड़ के कारण हुए किन्ही विकिरणात्मक परिणामों को कम करने, और उनसे संबद्ध अपराधों को रोकने तथा समाप्त करने के संबंध में राज्यों के बीच और अधिक सहयोग करने का भी प्रावधान किया गया है।

(ग) सीपीपीएनएम के संशोधन में नाभिकीय सामग्री और सुविधाओं के भौतिक संरक्षण में सुधार लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण प्रयास किया गया है। यह संशोधन नाभिकीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, और राज्य पक्षकारों में नाभिकीय आंतकवाद के प्रति असुरक्षा की भावना को कम करने पर इसका प्रमुख प्रभाव पड़ेगा। इसका लाभ, भारत को इस सम्मेलन का राज्य पक्षकार होने की वजह से मिलेगा।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जैव-अभिकल्प गठजोड़

3197. श्री पोन्नम प्रभाकर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को चिकित्सा उत्कृष्टता वाले संस्थानों के साथ जोड़े जाने के लिए एक ''राष्ट्रीय जैव-अभिकल्प गठजोड़'' बनाए जाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) जी हां। जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), नई दिल्ली, आईआईटी, मद्रास, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एआईआईएमएस), नई दिल्ली, जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केन्द्र (आरसीबी), फरीदाबाद, ट्रन्सलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (टीएचएसटीआई), फरीदाबाद, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायो-टेक्नॉलॉजी (आईसीजीईबी), दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईएससी), बंगलौर और क्रिश्चियन मेडिकल कालेज (सीएमसी), वेलौर जैसे विभिन्न भागीदारों के साथ देश में जैव-अभिकल्प कार्यक्रमों के लिए एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय जैव-अभिकल्प गठजोड़ की स्थापना की गई है।

(ख) बहु-विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से नवाचार प्रोत्साहन हेत इंजीनियरिंग और मेडिकल स्कूलों को एक साथ जोड़ने के लिए हिस्सेदारों के बीच संगम ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। भागीदार संस्थान विचारों, सुविधाओं और संसाधनों को साझा कर रहे हैं और अध्येताओं/इंटर्न्स और युवा प्रवर्तकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए योगदान कर रहे हैं वर्तमान में अनेक अनुसंधान कार्यक्रम किए जा रहे हैं जिनका ध्यान इम्प्लांट्स, डिवाइसेज और इन-विट्रो निदानों के क्षेत्रों में वहन करने योग्य प्रौद्यगिकी के विकास पर हैं।

निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के विद्यार्थियों का प्रवेश

3198. श्री नवीन जिन्दल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से पिछड़े (ई.डब्ल्यू.एस.) तबकों के विद्यार्थियों हेतु 25 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए कोई विस्तृत अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत कोटे के अंतर्गत प्रवेश दिए जाने वाले के पात्र आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के विद्यार्थियों की पहचान के लिए क्या मापदंड निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या वर्तमान में निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम के तहत, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के विद्यार्थी पांचवीं कक्षा तक की शिक्षा हेतु निजी स्कूल में तब तक दाखिला नहीं ले सकते, यदि उनके आवास स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र में, अधिनियम को यथापरिभाषित अनुसार, कोई निजी स्कूल स्थित न हो;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के विद्यार्थियों को उनके आवास से अतिकर निजी स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक प्रवेश देने के लिहाज से सरकार का निःशुल्क बाल शिक्षा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) और (ख) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के इस पहलू का कार्यान्वयन चूंकि केवल 2011-12 से ही आरंभ हुआ है, इसलिए सरकार द्वारा इस संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं कराया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत् सरकार द्वारा उपयुक्त ढंग से इस प्रावधान में शामिल किए गए समाज के कमजोर वर्गों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

(ग) और (घ) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (क) के तहत् बच्चों का दाखिला केवल प्रवेश स्तर कक्षा I अथवा पूर्व-प्राथमिक के लिए ही लागू है, उच्चतर स्तरों पर दाखिले के लिए नहीं।

(ङ) और (च) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

एकबारगी स्पेक्ट्रम प्रभार

3199. श्री अर्जुन राम मेघवाल :
श्री राकेश सिंह :
श्री पी. विश्वनाथन :
श्री सुरेश कुमार शेटकर :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य में वृद्धि की हैं और दूरसंचार प्रचालकों पर एक बारगी स्पेक्ट्रम प्रभार लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जीएसएम और सीडीएमए स्पेक्ट्रम के लिए कितना आरक्षित मूल्य नियत किया गया है तथा एकमुश्त स्पेक्ट्रम प्रभार के परिणामस्वरूप कितना राजस्व सृजित होने की संभावना है;

(ग) क्या आरक्षित मूल्यों में वृद्धि और दूरसंचार प्रचालकों पर एकबारगी स्पेक्ट्रम प्रभार/शुल्क लगाए जाने से काल दरों में वृद्धि होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और टेलीफोन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या भारतीय एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता संघ ने सरकार से एकबारगी स्पेक्ट्रम शुल्क को हटाने का आग्रह किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) सरकार ने सी.डी.एम.ए.के कीमत निर्धारण से संबंधित प्रभारों को छोड़कर मौजूदा दूरसंचार प्रचालकों पर निम्नानुसार एक-मुश्त स्पेक्ट्रम प्रभार लगाने का निर्णय किया है:-

(i) 4.4 मेगाहर्टज् (जी.एस.एम.) तक स्पेक्ट्रम रखने पर कोई एक मुश्त प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(ii) 4.4 मेगाहर्टज् (जी.एस.एम.) से अधिक क्षमता के सभी स्पेक्ट्रम रखने पर, मौजूदा प्रचालकों पर वर्ष 2012 की नीलामी में निर्धारित कीमत पर भविष्यलक्षी प्रभाव से एक-मुश्त प्रभार लगाया जाएगा। एक-मुश्त प्रभार सरकार के निर्माण की तारीख के बाद वाली प्रथम तिमाही के शुरू होने की तारीख से लागू होंगे।

(iii) 6.2 मेगाहटज् (जी.एस.एम.) से अधिक क्षमता का स्पेक्ट्रम धारण करने पर जुलाई, 2008 से लेकर एक-मुश्त प्रभार लगाया जाएगा। इसमें दो प्रकार की कीमतें होंगी। स्पेक्ट्रम की कीमत जुलाई, 2008 से लेकर नीलामी द्वारा निर्धारित कीमत के लागू होने की तारीख तक की अवधि के लिए पूर्व-निर्धारित दर पर वर्ष 2001 के प्रवेश शुल्क को 6.2 से दिभाजित होने वाली कीमत होगी जो कि भारतीय स्टेट बैंक के प्राइम लैंडिंग रेट (एस.बी.आई. पी.एल.आर.) का प्रयोग करते हुए विधिवत सूचकांकित होगी। 6.2 मेगाहर्टज् (जी.एस.एम.) क्षमता के अधिक स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी द्वारा निर्धारित कीमत, सरकार के निर्णय की तारीख के बाद वाली तिमाही शुरू होने की तारीख से लागू की जाएगी।

(iv) यदि लाइसेंसधारक इस प्रभार का भुगतान नहीं करना चाहते है तो लाइसेंसधारकों को 4.4 मेगाहर्टज् बैंड (जी.एस.एम.) से अधिक क्षमता के स्पेक्ट्रम अभ्यर्पित कर देने का विकल्प दिया जाएगा।

सरकार ने नवम्बर, 2012 के दौरान हुई नीलामी के लिए 1800 मेगाहर्टज् बैंड का आरक्षित मूल्य अखिल भारतीय आधार पर प्रति 5 मेगाहर्टज् 14000 करोड़ रुपए तथा 800 मेगाहर्टज् बैंड का आरक्षित मूल्य 1800 मेगाहर्टज् के आरक्षित मूल्य के 1.3 गुना तय किया है।

जी.एस.एम. स्पेक्ट्रम की नीलामी से निर्धारित कीमत/आरक्षित मूल्य के आधार पर प्राप्त होने वाली अनुमानित धनराशि 25,008 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) इस समय मोबाइल काल दरों को विनियामकता से अलग रखा गया है। काल दरों का निर्धारण, सेवा प्रदाताओं द्वारा इनपुट लागतों, बाजार परिस्थितियों और अन्य वाणिज्यिक पहलुओं सहित अनेक कारकों के आधार पर किया जाता है। उपर्युक्त तथ्यों में किसी प्रकार का परिवर्तन, मोबाइल सेवाओं के कीमत निर्धारण में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(ङ) और (च) जी हां। भारतीय एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता एसोसिएशन (ए.यू.एस.पी.आई.) ने अपने पत्र में अन्य बातों के साथ यह उल्लेख किया है कि मौजूदा कंपनियों ने संविदा पर लिए गए अपने धारित स्पेक्ट्रम के लिए लाइसेंस प्राप्त करते समय पहले ही प्रवेश शुल्क का भुगतान कर दिया है तथा मौजूदा लाइसेंस में संशोधन करके

एक-मुश्त शुल्क वसूल करने का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव कानून के अनुसार अनुमत्य नहीं है।

सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, सीडीएमए स्पेक्ट्रम के कीमत निर्धारण से संबंधित प्रभारों को छोड़कर एक मुश्त स्पेक्ट्रम प्रभार लगाने का निर्णय किया है और उपर्युक्त (क) और (ख) में भी यही उत्तर दिया गया है।

[अनुवाद]

प्रति व्यक्ति आय

3200. **श्री बी.वाई. राघवेन्द्र** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीतिय दशाओं के कारण, देश में नाममात्र प्रति व्यक्ति आय में बड़ा उछाल देखा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत निम्न मध्यम वर्गों का देश है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान मूल्यों पर देश की प्रति व्यक्ति आय क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) और (ख) चालू और स्थिर (2004-05) कीमतों में कारक लागत पर प्रति व्यक्ति आय निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) की दृष्टि से मापी गई प्रति व्यक्ति आय, नवीनतम दो उपलब्ध वर्षों के लिए, नीचे दी गई है।

वर्ष	प्रति व्यक्ति एनएनआई		प्रति व्यक्ति एनएनआई	
	चालू कीमतें	स्थिर कीमतें	चालू कीमतें	स्थिर कीमतें
2010-11 (क्यूई)	53,331	35,993	-	-
2011-12 (आरई)	60,603	37,851	13.6	5.2

क्यूई : त्वरित अनुमान; आरई : संशोधित अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)

2010-11 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति आय में, चालू कीमतों पर 13.6% और स्थिर कीमतों पर 5.2% वृद्धि हुई है। अतः 2010-11 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान स्फीतिकारी प्रभारी लगभग 8% है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक के वर्गीकरण (1 जुलाई, 2012 की स्थिति) के अनुसार भारत निम्न मध्यम वर्गों का देश है। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) द्वारा जारी किए गए वार्षिक राष्ट्रीय आय के संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए, चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति एनएनआई 60,603 रुपए है।

निजता पर एक पृथक विधेयक

3201. **श्रीमती श्रुति चौधरी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजता पर एक पृथक विधेयक अधिनियमित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार एक अधिनियम का प्रारूप तैयार कर रही है जिससे व्यक्ति विशेष को सुरक्षा प्राप्त होगी यदि उसकी निजता गैर-कानूनी रूप से भंग की जाती है। अधिनियम का प्रारूपण प्रारंभिक स्तर पर है और विधान के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

यू.आई.डी. परियोजना

3202. श्री रामसिंह राठवा : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए वित्तीय आवंटन की समीक्षा की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विशिष्ट पहचान संख्या की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है;

(घ) क्या नए बैंक खाता खोलने, पैन कार्ड और पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बना दिया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव शुक्ला) : (क) जी नहीं।

(ख) विशिष्ट पहचान संख्या 12 अंकों की एक औचक संख्या है जिसमें कोई इंटेलिजेंस शामिल नहीं है। इस संख्या के साथ कोई जनांकिकी अथवा बायोमीट्रिक सूचना शामिल नहीं की जाती है। यह सर्वत्र मान्य एकल संख्या है। व्यक्ति की पहचान के लिए कुछेक अनिवार्य, सशर्त तथा वैकल्पिक जनांकिकी ब्यौरे जोड़े जाते हैं, जैसे-नाम, जन्म-तारीख़, माता-पिता का नाम, आवासीय पता तथा कुछेक बायोमीट्रिक फीचर्स, जैसे-तस्वीर, सभी दस उंगलियों की छाप तथा आंखों की पुतलियों के चित्रों का उपयोग किया जाता है। विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में पत्र जारी किया जाता है, न कि कार्ड

(ग) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बहुपंजीयकों के माध्यम से 18 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मार्च, 2014 तक 600 मिलियिन निवासियों के पंजीकरण हेतु प्राधिकृत है।

(घ) जी नहीं। आधार संख्या के लिए पंजीकरण स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आस्ट्रेलिया में व्यावसायिक कॉलेजों को बंद करना

3203. श्री आर. ध्रुवनारायण : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने प्रशिक्षण मानकों का अनुपालन नहीं करने पर तीन व्यावसायिक कॉलेजों को बंद करने का निर्णय लिया है, जिससे 500 से ज्यादा भारतीय विद्यार्थी प्रभावित होंगे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार भारतीय विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर): (क) और (ख) जी, हां। अभी हाल ही में आस्ट्रेलिया ने प्रशिक्षण मानकों की अनुपालना न किए जाने पर निम्नलिखित तीन व्यावसायिक कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया है:

(i) अशमार्क ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, मेलबॉर्न, विक्टोरिया

(ii) जी प्लस जी ग्लोबल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेलबॉर्न

(iii) आईवी ग्रुप, न्यू साउथ वेल्स

इससे 500 से भी अधिक भारतीय छात्र प्रभावित होंगे। सरकार ने यह मामला आस्ट्रेलियाई सरकार के साथ उपयुक्त स्तर पर और आस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायोग के माध्यम से उठाया है। आस्ट्रेलियाई सरकार ने घोषणा की है कि इन तीन कॉलेजों को बंद किए जाने से प्रभावित होने वाले भारतीय विद्यार्थी आस्ट्रेलियाई सरकार की ट्यूशन संरक्षण स्कीम (टीपीएस) का लाभ उठा सकेंगे जिसमें प्रभावित भारतीय विद्यार्थियों को वैकल्पिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने या विद्यार्थियों को अव्ययित पूर्व-भुगतान ट्यूशन शुल्क वापस लेने की व्यवस्था है।

[हिन्दी]

भारत की विदेश नीति

3204. श्री महेश्वर हजारी :
श्री हर्ष वर्धन :
श्रीमती सीमा उपाध्याय :

श्रीमती सुशीला सरोज :
श्रीमती ऊषा वर्मा :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन और चीन में नेतृत्व परिवर्तन के परिणामस्वरूप किसी अन्य देश के संदर्भ में भारत की विदेश नीति में परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

भूस्थैतिक उपग्रह

3205. **श्रीमती अन्नू टन्डन :** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के जी.पी.एस. और रुस के ग्लोनस के सदृश सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत ने भूस्थैतिक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार संचार उपग्रहों के निर्माण और प्रक्षेपण में निजी उद्यमियों को शामिल करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार विभिन्न सिविलियन हितधारियों, विशेषकर कृषक समुदाय को रीयल-टाइम उपग्रह तस्वीरें व विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या सरकार सीधे उपग्रह लिंकों का उपयोग करके, विशेषकर दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्रामीण सूचना और संचार केन्द्रों की स्थापना करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): (क) जी, नहीं। भारत इस समय भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एन.एस.एस) नामक नौवहन उपग्रहों के अपने समूह का निर्माण कर रहा है।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारतीय उद्योग की भागीदारी का स्तर बढ़ाने की योजना बना रहा है। अभी भारतीय उद्योग के माध्यम से चरणबद्ध रूप में कुछ संचार उपग्रहों, विशेषतः पुनरावृत्ति की प्रकृति वाले उपग्रहों के निर्माण की संभाव्यता का मूल्यांकन कर रहा है। तथापि, आज की स्थिति के अनुसार संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण में निजी उद्यमियों को शामिल करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) इसरो ने अभिग्रहण के पश्चात् उपग्रह प्रतिबिंबों को लगभग वास्तविक काल में संसाधित करने हेतु राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, शादनगर में आई.एम.जी.ई.ओ.एस (भू-पर्यवेक्षण उपग्रहों के लिए समेकित बहु-मिशन भू-खंड) नामक एक अत्याधुनिक आंकड़ा संसाधन सुविधा स्थापित की है। संसाधित प्रतिबिंब अनुरोध के आधार पर सिविलियन हितधारियों एवं कृषक समुदाय सहित प्रयोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। आज की स्थिति में सीधे उपग्रह लिंकों का उपयोग करते हुए दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीण सूचना और संचार केंद्रों की स्थापना की कोई योजना नहीं है।

तथापि, इसरो ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु उपग्रह प्रौद्योगिकी की क्षमता निरूपित करने के लिए प्रायोगिक पर कुछ ग्रामीण संसाधन केंद्रों (वी.आर.सी) की स्थापना की है। ये वी.आर.सी ग्रामीण समुदाय को विविध सेवाएं प्रदान करते हैं जिसमें दूर-चिकित्सा, दूरस्थ-शिक्षा, कृषि, मत्स्यपालन, कुशलता विकास इत्यादि में परामर्शी सेवाएं शामिल हैं।

ऊर्ध्वगामी भवनों पर आपति

3206. **श्री मानिक टैगोर :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शहरी कला आयोग (डी.यू.ए.सी.) ने नई दिल्ली में ऊर्ध्वगामी विकास का विरोध किया है और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के आवास/उच्च न्यायालय के विस्तार हेतु गगनचुम्बी इमारतों के निमार्ण के प्रस्तावों को निरस्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों हेतु रिहायशी आवासों का विकास करने के लिए कोई विकल्प खोजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली शहरी कला आयोग (डीयूएसी) तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार नई दिल्ली स्थित किदवई नगर (पूर्वी), श्रीनिवासपुरी, मोहम्मदपुर तथा आर.के पुरम जैसी कालोनियों के लिए केलोनिवि द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जिसमें, गगनचुम्बी संरचनाएं शामिल थी इसे जिसमें, समग्र शहरी विशेषताओं तथा स्थान की महत्ता, ऊंचाई में परिवर्तन के बिना, टिपिकल ब्लॉकों का बार बार प्रयोग, वृहत पैमाने पर वृक्षों की कटाई, हाई फ्लोर एशिया रेशो तथा समुचित यातायात तथा पर्यावरणीय अध्ययन के बिना भवनों का अभिकल्पन तैयार करने की पुष्टि नहीं होने के आधार पर दिल्ली शहरी कला आयोग द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया। जहां तक दिल्ली उच्च न्यायालय की पुनर्विकास योजना का संबंध है यह बताया गया है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिल्ली उच्च न्यायालय की इमारत के वास्तुविक ग्रेडिंग के अनुरूप न होने मुख्य ब्लाक के ऊपर कोई परिवर्धन स्वीकार्य न होने और वास्तुकीय परिवर्तनों में परिसर की वास्तुकीय विशषेताओं को बनाए रखना अपेक्षित था। इसलिए उक्त प्रस्ताव उपयुक्त नहीं पाया गया। इसके अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय की इमारत के आसपास कुछ ऐतिहासिक इमारतें होने के कारण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से भी अनुमोदन लिया जाना अपेक्षित था।

(ग) और (घ) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार श्रीनिवासपुरी की पुनर्विकास योजना में दिल्ली शहरी कला आयोग प्रारंभ में कुछ विकल्प किए थे। सरकार के अनुदेशों पर केलोनिवि ने सरोजिनी नगर, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित कालोनियों का पुनर्विकास प्रारंभ किया है।

केन्द्रीय निगरानी तंत्र

3207. **श्री निलेश नारायण राणे :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं हेतु केन्द्रीयकृत निगरानी तंत्र बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इसके लिए अब तक कितना आवंटन किया गया है और कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) योजना की वर्तमान स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने टेलीफोन और इंटरनेट सेवाओं के वैद्य अंतरावरोधन एवं अनुश्रवण के लिए केन्द्रीकृत अनुश्रवण पद्धति (सीएमएस) स्थापित करने का निर्णय किया है। सीएमएस की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं–

(i) किसी सरकारी अभिकरण द्वारा किसी सुरक्षित नेटवर्क पर दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से (टीएसपी) कोई हस्तचलित हस्तक्षेप करवाए बिना लक्षित नम्बर की प्रत्यक्ष इलैक्ट्रानिक व्यवस्था (डायरेक्ट इलैक्ट्रानिक प्रोविजनिंग) करना ताकि गोपनीयता के स्तर की अभिवृद्धि और तीव्र व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

(ii) केन्द्रीय और क्षेत्रीय डाटा बेस जिससे केन्द्रीय और राज्य स्तर के कानून प्रवर्तन अभिकरणों को अंतरावरोधन और अनुश्रवण में सहायता मिलेगी।

(iii) असामाजिक/राष्ट्रविरोधी तत्त्वों के बीच संपर्क स्थापित करने में सहायक कॉल डाटा रिकार्डों का विश्लेषण।

(iv) केन्द्रीकृत अनुश्रवण पद्धति (सीएमएस) के सतत उन्नयन के लिए संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास।

(ग) कुल आबंटित निधि 400.00 करोड़ रुपए है। अब तक अनुसंधान एवं विकास पर हुआ व्यय 76.86 करोड़ रुपए है और परियोजना के निष्पादन (रॉल आउट) पर हुआ व्यय 4.25 करोड़ रुपए है।

(घ) इस पद्धति के विकास का कार्य अधिकांशतः पूरा कल लिया गया है। दिनांक 30.09.2011 तक दिल्ली में पायलट परियोजना

पूरी कर ली गई है जिसके तहत सी-डॉट ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) तथा टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (टीसीएल) के लिए प्रत्येक में एक-एक आई.एस.एफ. सर्वर संस्थापित किया है तथा इन दोनों दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के लिए अंतरावरोधन सेवाएं सफलतार्पूक एकीकृत एवं परीक्षित कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त, इस पद्धति को दिल्ली लाइसेंस सेवा क्षेत्र में संसत्यापित और एकीकृत कर लिया गया है जिससे छह दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को तथा हरियाणा लाइसेंस सेवा क्षेत्र में एक दूरसंचार सेवा प्रदाता का जोड़ा गया है। सीएमएस को अखिल भारत स्तर पर मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी प्रचालकों के साथ भी एकीकृत किया गया है। छह और लाइसेंस शुदा सेवा क्षेत्रों में पद्धति के संस्थापन के लिए उपस्करों के आदेश कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली में पार्किंग की समस्या

3208. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल : क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली में पार्किंग की समस्या से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का दिल्ली में बहु-स्तरीय पार्किंग का निर्माण करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि मास्टर प्लान दिल्ली-2021 (एमपीडी-2021) हेतु मास्टर प्लान में यथा अनुशंसित यात्रा मांग प्रबंधन सिद्धांतों पर आधारित एक व्यापक पार्किंग नीति पार्किंग समस्या का समाधान करने के लिए इस समय तैयार की जा रही है तथा मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार जिसकी नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की गयी थी, की अध्यक्षता में गठित विशेष कार्य बल द्वारा इसे अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह भी सूचित किया है कि स्थानीय निकायों द्वारा मास्टर प्लान दिल्ली-2021 में 21 बहुस्तरीय पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं। इन स्थलों के अलावा, भू-स्वामित्व एजेन्सियों द्वारा अन्य स्थलों को समय-समय पर अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

हज हेतु राज सहायता

3209. **श्री एस.एस. रामासुब्बू :**
श्रीमती कमला देवी पटले :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को हज हेतु राज सहायता को धीरे-धीरे समाप्त करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रया है;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को समुदाय के कल्याण के लिए इस धन का उपयोग करने का निदेश भी दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किस प्रकार की कार्रवाई पर विचार कियाा गया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 8.5.2012 के अपने अंतरिम आदेश द्वारा केन्द्र सरकार को हज सब्सिडी की राशि उत्तरोत्तर कम करने का निदेश दिया है ताकि उस तारीख से 10 वर्ष की अवधि के भीतर यह पूरी तरह समाप्त हो सके। माननीय न्यायालय ने यह भी कहा है कि सब्सिडी के धन का उपयोग समुदाय के उत्थान हेतु शिक्षा और सामाजिक विकास के अन्य क्षेत्रों में अधिक लाभकारी तरीके से किया जाए। सरकार सब्सिडी की बढ़ती लागत को लेकर सचेत है और इसे कम करने

के उपाय कर रही है। हज संबंधी हवाई किराए में हाजियों के अशंदान में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है।

द्विपक्षीय वायु सेवा समझौता

3210. **श्री कुलदीप बिश्नोई : क्या नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "एयरक्राफ्ट टाइप" खंड को हटाकर द्विपक्षीय वायु सेवा समझौतों (बीएएसए) के नियमों को शिथिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौतों पर वैश्विक विमानन अनुपालन की निगरानी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि भारतीय विमान कंपनियों के हितों की रक्षा की जा सके?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) भारत के लिए/से प्रचालित होने वाली विदेशी एयरलाइनों के सभी अनुसूचित प्रचालन पूर्णत: संबंधित एयरलाइन के देश के साथ किए गए द्विपक्षीय विमान सेवा करार के प्रावधानों के अनुसार होते हैं। इन एयरलाइनों की अनुसूचियों को तभी अनुमोदित किया जाता है जब वे उनकी पात्रता के भीतर आती हैं।

मोबाइल सर्विसेज डिलीवर गेटवे

3211. **श्री पी. विश्वनाथन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी.ई.आई.टी. की मोबाइल सर्विसेज डिलीवर गेटवे देश में प्रचालन में है;

(ख) यदि हां, एस.एम.एस. सेवाओं को भेजने की कुल संख्या कितनी है और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कितने विभाग इस सेवा का उपयोग कर रहे हैं;

(ग) क्या अनस्ट्रक्चर्ड सपलिमेंटरी सर्विस डेटा (यू.एस.एस.डी), इन्टर-एक्टिव वॉयस रिसपॉन्स (आई.वी.आर.) और जनरल पैकेट रेडियों सर्विस (जी.पी.आर.एस.) भी प्रचालन में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गेटवे से मोबाइल प्रयोक्ताओं हेतु कौन से चैनल उपलब्ध कराए जाने हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और देश में ये सेवाएं कब तक चालू होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) जी, हां। देश में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का मोबाइल सेवा प्रदायगी गेटवे प्रचानरत है।

(ख) "पुश एसएमएस" के लिए 137 केंद्रीय और राज्यकीय विभागों को एकीकृत किया गया है और 1.36 करोड़ से भी अधिक एसएमएस को पुश किया गया है।

"पुल एसएमएस" के लिए विभागों के एकीकरण हेतु 114 अनूठी सार्वजनिक सेवाओं को प्रचालनरत किया गया है।

(ग) असंगठित पूरक सेवा डाटा (यूएसएसडी) और अंतर सक्रिय ध्वनि प्रतिउत्तर (आईवीआर) का विकास किया जा रहा है।

(घ) मोबाइल सेवा प्रदायगी गेटवे सरकारी सेवाओं के लिए मोबाइल आधारित अनुप्रयोगों के विकास और स्थापना के लिए निम्नलिखित प्रदायगी चैनलों के लिए सहायक होगा:

- एसएमएस (शार्ट मैसेज सर्विस)
- आईवीआर (इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पोंस)
- यूएसएसडी (असंगठित पूरक सेवा डाटा)
- एलबीएस (लोकेशन-बेस्ड सर्विसेस); और
- मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर (एम-एप्पस्टोर)

चूंकि मोबाइल-आधारित प्रौद्योगिकियों का निरंतर प्रादुर्भाव हो रहा है, अत: आवश्यकता होने पर भविष्य में और अधिक चैनल जोड़े जाएं।

(ङ) देश में इन सेवाओं के दिसम्बर, 2013 तक प्रचालित होने की संभावना है।

अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र

3212. श्री के.पी. धनपालन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में अध्यापकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक शुरू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) का बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए शैक्षिक वर्ष 2013-14 के दौरान कोचीन, केरल में एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का विचार है।

[हिन्दी]

नवी मुंबई विमानपत्तन

3213. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो आज की तिथि तक उक्त प्रस्ताव की स्थिति क्या है और इस संबंध में यदि कोई विलंब है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त प्रस्ताव पर कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल): (क) से (ग) भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार के नवी मुंबई, महाराष्ट्र में एक नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के प्रस्ताव को 'सिद्धांत रूप में' मंजूरी प्रदान कर दी है।

गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाएं

3214. श्रीमती रमा देवी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में वायरलेस आधार पर उपलब्ध करायी जा रही टेलीफोन सुविधा की वर्तमान संख्या कितनी हैं;

(ख) संपूर्ण देश की तुलना में बिहार में मोबाइल का घनत्व प्रतिशत कितना है; और

(ग) बिहार में टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार बिहार सेवा क्षेत्र (जिसमें झारखंड भी शामिल है) में वायरलेस टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 61.41 मिलियन थी।

(ख) अक्तूबर, 2012 के अंत में, देश के 74.22% मोबाइल टेलीघनत्व की तुलना में बिहार सेवा क्षेत्र का मोबाइल टेलीघनत्व 46.51% था।

(ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) तिमाही ''कार्य निष्पादन अनुवीक्षण रिपोर्टों'' के माध्यम से सेवा मानकों की अधिसूचित गुणवत्ता के आधार पर टेलीफोन सेवाओं की गुणवत्ता का अनुवीक्षण करता है। ट्राई यह सुनिश्चित करने के लिए प्रचालकों के कार्य निष्पादन का अनुवीक्षण करता है कि सेवा प्रदाताओं द्वारा इन पैरामीटरों का अनुपालन किया जाए।

[अनुवाद]

जैसलमेर विमानपत्तन पर कार्य की प्रगति

3215. श्री हरीश चौधरी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैसलमेर विमानपत्तन पर अवसंरचनात्मक कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) जी, हां। राजस्थान में जैसलमेर हवाईअड्डे पर नए सिविल इन्कलेव का अवसंरचनात्मक विकास कार्य नवंबर, 2012 में पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सार्वजनिक, निजी, विदेशी विमान कंपनियां

3216. श्री जितेन्द्र सिंह मलिक :
श्री महेश जोशी :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री मंगनी लाल मंडल :
श्री पी.सी. मोहन :

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्रचालित सार्वजनिक/निजी/विदेशी विमान कंपनियों का ब्यौरा क्या है और देश के विमानन क्षेत्र में उनकी प्रतिशतता भागीदारी का विमान कंपनी-वार ब्यौरा क्या है)

(ख) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी स्वामित्व वाली/निजी विमान कंपनियों द्वारा अर्जित राजस्व और किए गए व्यय का विमान कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की विमान कंपनियों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) अक्तूबर, 2012 के लिए सार्वजनिक तथा निजी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का बाजार हिस्सेदारी निम्नलिखित है:-

एयर इंडिया (घरेलू)	—	20.8 प्रतिशत
जेट एयरवेज	—	18.1 प्रतिशत
जेटलाइट	—	6.6 प्रतिशत
इंडिगो	—	27.8 प्रतिशत
गो एयर	—	7.6 प्रतिशत
स्पाइस जेट	—	19.1 प्रतिशत
मंत्र	—	0.0 प्रतिशत

वर्ष 2011-12 के लिए भारत में प्रचालित विदेशी एयरलाइनों की बाजार हिस्सेदारी का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी/निजी एयरलाइनों द्वारा अर्जित राजस्व तथा किए गए व्यय का एयरलाइन वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइनों (एयर इंडिया) की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम निम्नलिखित हैं:- (i) पूर्ववर्ती एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के मार्गों को पूर्ण रूप से युक्तिसंगत बनाना तथा समानांतर प्रचालन वाले मार्ग नेटवर्क को हटाना। (ii) कुछ हानि वाले मार्गों का युक्तिकरण, (iii) यात्रियों को आकर्षित करने हेतु कुछ घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर नए विमान लगाना, (iv) पुराने विमान बेड़े को फेज आउट करना तथा अनुरक्षण लागत में परिणामी कमी, (v) लीज पर लिए गए विमानों को समय समाप्त होने पर या समय से पहले लौटाना, (vi) अप्रचालनात्मक क्षेत्र में रोजगार में रोक, (vii) बेकार व्यय में कटौती हेतु स्टाफ की पुनः तैनाती, (viii) उच्च प्रचालनात्मक लागत वाले बी747-400 सहित पुराने विमान बेड़े को फेज आउट करना, (ix) कार्यपालक निदेशकों का पुनर्स्थापन/भारत के अधिकारियों को विदेश से वापस भारत लाना, (x) विदेश में कुछ स्थानों पर आफलाइन कार्यालयों को बंद करना, (xi) फ्रैंकफर्ट हब को बंद करना तथा दिल्ली में हब की स्थापना जिसके परिणामस्वरूप मार्गों की पुनर्संरचना के कारण भारी बचत होनी, (xii) एकीकृत प्रचालन नियंत्रण केंद्रों की स्थापना, (xiii) ऋणदाताओं के साथ वित्तीय पुनर्भुगतान योजना पर हस्ताक्षर करना, जिसके परिणामस्वरूप ब्याज लागतों की बचत और ऋणें के पुनर्भुगतान में विलम्बन होगा, (xiv) सरकार द्वारा एयर इंडिया के लिए टर्नअराउंड योजना तथा वित्तीय पुनर्संरचना योजना का अनुमोदन, जिसमें सरकार द्वारा अतिरिक्त इक्विटी लगाने, लागत में कमी तथा प्रचालनात्मक कार्यनिष्पादन में सुधार पर विचार किया जाएगा, और (xv) सरकार द्वारा निगरानी समिति के माध्यम से कंपनी के कार्यनिष्पादन की गहन मानीटरिंग।

विवरण-I

2011-2012 वर्ष का एयरलाइनवार बाजार अंश

एयरलाइंस का नाम	कुल यात्रियों की संख्या	यात्रा कुल	बाजार अंश (%)
1	2	3	4
विदेशी एयरलाइन			
एयर अस्ताना	ए.ए.	33243	0.10
एयर अरेबिया	ए.बी.	1497595	4.31
अमेरिकन एयरलाइंस	ए.ई.	145272	0.42
एयर फ्रांस	ए.एफ.	476820	1.37
एयर एशिया बरहाड	एएच	289218	0.83
आल निप्पन	ए.एन.	15948	0.05
एयर चाइना	ए.आर.	76455	0.22
एशियाना एयरलाइंस	ए.एस.	76325	0.22
आस्ट्रियन एयरलाइंस	ए.टी.	154385	0.44
एरोसविट एयरलाइंस	ए.यू.	31490	0.09
ब्रिटिश एयरवेज	बी.ए.	938353	2.70
चाइना ईस्टन एयरलाइंस	सी.एच.	138008	0.40
चाइना एयरलाइंस	सी.आई.	128707	0.37
मकानिटनेन्टल एयरलाइंस	सी.एन.	355535	1.02
चाइना साऊदर्न एयरलाइंस	सी.एस.	91667	0.26
कैथे पैसिफिक	सी.एक्स.	742341	2.14
ड्रैगन एयर	डी.जी.	143511	0.41
इतिहाद एयरवेज	ई.एच.	678429	1.95

1	2	3	4
अमीरात	ई.के.	4531577	13.04
फ्लाई दुबई	एफ.डी.	22590	0.07
फेड ईएक्स	एफ.ई.	254767	0.73
एरियाना अफगान	एफ.जी.	37761	0.11
फिन एयर	एफ.आई.	63571	0.18
गल्फ एयर	जी.एफ.	524240	1.51
जीएमजी एयरलाइंस	जी.एम.	37804	0.11
ड्रुक एयर	जी.क्यू.	52173	0.15
ईएल एएल इसराइल एयरलाइंस	आई.एल.	50583	0.15
ईरान एयर	आई.आर.	41654	0.12
यमन एयरवेज	आई.वाई.	33883	0.10
जापान एयरलाइंस	जे.एल.	68732	0.20
कोरियान एयर	के.ए.	61447	0.18
केएलएम एयरलाइन	के.एल.	193979	0.56
केन्या एयरवेज	के.क्यू.	135845	0.39
कुवैत एयरवेज	के.यू.	409756	1.18
लुफ्थांसा	एल.एच	1186860	3.42
महन एयर	एम.ए.	44427	0.13
मलेशियन एयरलाइंस	एम.एच.	650832	1.87
सिल्क एयर	एन.आई.	435573	1.25
एयर मारीशियस	एम.के.	151884	0.44
मिहीन लंका	एम.एल.	98755	0.28

1	2	3	4
म्यांमार एयरलाइंस	एम.वाई.	17219	0.05
मिस्त्र एयरलाइंस	एन.एस.	25625	0.07
ओमान एयरलाइंस	ओ.एम.	956485	2.75
क्वानटास एयरवेज	क्यू.एफ.	65991	0.19
कतर एयरवेज	क्यू.टी.	1532752	4.41
आर. नेपाल ए. कार्न	आर.ए.	20542	0.06
आर जार्डन	आर.जे.	79622	0.23
राक एयरवेज	आर.के.	55288	0.16
साउथ अफ्रीकी एयरवेज	एस.ए.	61579	0.18
सिंगापुर एयरलाइंस	एस.क्यू.	1050658	3.02
स्विस एयर	एस.आर.	272681	0.78
एयरोफ्लोत	एस.यू.	178632	0.51
सऊदी अरब एयरलाइंस	एस.वी.	1184809	3.41
थाई एयरवेज	टी.जी.	1031255	2.97
टर्किश एयरलाइंस	टी.के.	302428	0.87
ट्रांसएरो एयरलाइंस	टी.एन.	81436	0.23
तुर्कमेनिस्तान एयरलाइंस	टी.यू.	94155	0.27
श्रीलंकन एयरवेज	यू.एल.	851929	2.45
यूपी सर्विस	यू.पी.	0	0.00
उज्बेकिस्तान एयरलाइंस	यू.जेड.	82868	0.24
वर्जिन अटलांटिक	वी.एस.	162390	0.47
	उप कुल	23210339	
	विदेश एयरलाइनों का बजार अंश		66.80

1	2	3	4
	राष्ट्रीय एयरलाइन		
एयर इंडिया लिमिटेड	ए.आई.	2374472	6.83
एयर इंडिया एक्सप्रेस	आई.एक्स.	1763680	5.08
	कुल योग	4138152	
	राष्ट्रीय एयरलाइनों का बाजार अंश		11.91
	घरेलू एयरलाइंस		
इंडिगो एयरलाइंस	आई.जी.	414668	1.19
जेट एयरवेज	जे.ई.	5453466	15.70
किंगफिशर एयरलाइंस	के.एफ.	1124108	3.24
स्पाइसजेट	एस.जी.	297970	0.86
जेट एयरलाइंस	जे.टी.	107284	0.31
	कुल योग	7397496	
	निजी एयरलाइनों का कुल योग		21.29
	कुल योग	34745987	

विवरण-II

2008-09 के दौरान अनुसूचित भारतीय वाहकों का वित्तीय ब्यौरा

(रुपए मिलियन)

वाहक/एयरलाइन	प्रचालन राजस्व	प्रचालन व्यय	प्रचालन परिणाम
1	2	3	4
राष्ट्रीय वाहक			
एनएसीआईएल (एआई + आईसी संयुक्त)	134,793.8	188,964.5	-54170.7
एयर इंडिया एक्सप्रेस	14,164.0	15,787.0	-1623.0

1	2	3	4
एलायंस एयर	2886.6	3699.9	-813.3
कुल	151,844.4	208,451.4	-56,607.0
निजी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें			
जेट एयरवेज	126,914.4	125,818.7	1095.7
जेट लाइट (पी) लिमिटेड	16,009.2	20,512.5	4503.3
पैरामाउंट एयरवेज	3,736.7	3,452.7	284.0
स्पाइसजेट	16,894.5	21,200.3	-4305.8
किंगफिशर	52,691.7	73,297.4	-20605.7
इंडिगो	18,763.6	18,582.6	181.0
कुल	235,010.1	262,864.2	-27,854.2
कुल योग	386,854.5	471,315.6	-84,461.15

स्रोतः आईसीएओ एटीआर फार्म-अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा प्रस्तुत ईएफ

2009-10 के दौरान अनुसूचित भारतीय वाहकों का वित्तीय ब्यौरा

राष्ट्रीय वाहक			
एनएसीआईएल (एआई + आईसी संयुक्त)	134,022.7	165,806.7	-31784.0
एयर इंडिया एक्सप्रेस	14,018.0	15,574.0	-1556.0
एलायंस एयर	3686.2	4079.4	-393.2
कुल	151,726.9	185,460.1	-33,733.2
निजी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें			
जेट एयरवेज	103,672.6	101,66.5	2006.1
जेट लाइट (पी) लिमिटेड	16,812.6	16,203.4	609.2

1	2	3	4
गो एयर	8,961.2	9,088.0	-126.8
स्पाइसजेट	21,810.8	21,204.8	606.0
किंगफिशर	50,679.2	61,845.8	-11,166.6
इंडिगो	26,015.0	21,485.0	44670.0
कुल	227,951.3	231,556.4	-3,605.1
कुल योग	379,678.2	471,016.5	-37,338.32

स्रोत: आईसीएओ एटीआर फार्म-अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा प्रस्तुत ईएफ

2010-11 के दौरान अनुसूचित भारतीय वाहकों का वित्तीय ब्यौरा

राष्ट्रीय वाहक			
एनएसीआईएल (एआई + आईसी संयुक्त)	142,551.1	179,959.1	-37408.0
एलायंस एयर	3582.6	3847.9	-265.3
कुल	146,133.7	183,807.0	-37,673.3
निजी अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें			
जेट एयरवेज	127,146.3	120,346.2	6800.1
जेट लाइट (पी) लिमिटेड	17,610.7	18,220.5	-609.7
गो एयर	13,280.5	11,799.1	1481.4
किंगफिशर	63,596.4	65,963.3	-2366.9
इंडिगो	38,254.1	32,229.2	6024.9
कुल	259,888.1	248,558.3	11,329.8
कुल योग	406,021.8	432,365.3	-26,343.49

स्रोत: आईसीएओ एटीआर फार्म-अनुसूचित भारतीय वाहकों द्वारा प्रस्तुत ईएफ

1	2	3	4
2011-12 के दौरान अनुसूचित भारतीय वाहकों का वित्तीय ब्यौरा			
जेट एयरवेज	147859.7	154407.4	(-)6547.726
इंडिगो	55524.0	56400.8	(-)876.8

नोटः- अन्य एयरलाइनों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2011-12 के आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने हैं।

[अनुवाद]

विमान किरायों में वृद्धि

3217. **श्री बदरुद्दीन अजमल :**
श्री नीरज शेखर :
श्री एस. पक्कीरप्पा :
श्री यशवीर सिंह :
श्री ई.जी. सुगावनम :
श्री सी. शिवासामी :
श्री ताराचंद भगोरा :
श्रीमती अन्नू टन्डन :
श्री समीर भुजबलः

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेषकर त्यौहार के मौसम के दौरान विमान किरायों में अत्यधिक वृद्धि से अवगत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है;

(ग) क्या इस संबंध में विमान कंपनियों द्वारा कोर्टेलाइजेशन/उपभोक्ता विरोधी व्यवहारों की रिपोर्ट है और यदि हां, तो सरकार का त्यौहारी मौसम, विशेषकर दिवाली के दौरान विमान किरायों में वृद्धि की जांच करने और इस संबंध में जिम्मेदारी तय करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विमान कंपनियों के आवधिक मनमानी मूल्य निर्धारण करने को नियंत्रित करने और एकसमान, उचित व स्थिर मूल्य स्तरों को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र बनाने तथा इस हेतु एक विनियामक निकाय की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : (क) और (ख) विमान किरायों का विनियमन सरकार द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि उनका निर्धारण बाजार ताकतों द्वारा किया जाता है। अनुसूचित घरेलू एयरलाइनें प्रत्येक उड़ान के लिए भिन्न-भिन्न किराया बकेट की पेशकश करती है और एयरलाइनों द्वारा पेश किए गए विमान किराए उड़ान दर उड़ान और सीजन दर सीजन भिन्न हो सकते हैं। विमान किरायों में परिवर्तन गतिशील है और सीटों की मांग अधिक होने तथा निम्न किराया बकेट समाप्त होने से उसमें वृद्धि हो जाती है। यही प्रक्रिया पूरे विश्व में अपनाई जाती है। विमान किरायों की यादृच्छिक निगरानी से यह पता चला कि अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा अपनी-अपनी वेबसाइटों पर उपलब्ध कराए गए फेयर बैंड में ये विमान किराए ज्यों के त्यों है। दरअसल, अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों ने मूल्य में और कमी करते हुए सितंबर, 2012 के अंत से टिकटों की अग्रिम खरीद के लिए निम्नतम किराया बकेट लागू किए हैं।

(ग) से (ङ) यद्यपि टैरिफ की फाइलिंग तथा अनुमोदन अपेक्षित नहीं है, फिर भी नागर विमानन माहानिदेशालय को उन मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति प्राप्त है जहां यह समाधान हो जाता है कि प्रचालक ने अत्यधिक या मनमाने तरीके से टैरिफ निर्धारित किया है या वह विधि विरुद्ध आचारण में संलिप्त था। तदनुसार, दिनांक 16 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 254 (ई) द्वारा वायुयान नियम के नियम 135 को संशोधित किया गया

है जिसमें एयरलाइनों को स्पष्ट तरीके से टैरिफ प्रदर्शित करने की सलाह दी गई थी कि वे यात्री द्वारा देय कुल राशि, जिसमें किराया, कर फीस या कोई अन्य प्रकार का प्रभार, यदि कोई हो, तो अलग से दर्शाए और कुल राशि का पूरा ब्यौरा दें।

टैरिफ प्रकाशन में पारदर्शिता बनाए रखने की दृष्टि से, डीजीसीए ने विमान परिवहन परिपत्र 2/2010 जारी किया जिसमें एयरलाइनों से कहा गया था कि वे अपनी वेबसाइटों पर विभिन्न किराया श्रेणियों में अपने नेटवर्क पर मार्ग-वार टैरिफ सीट को उस रीति में प्रदर्शित करें जिस रीति में बाजार में पेश की गई है।

घरेलू एयरलाइनों के विमान किरायों की आवधिक अंतराल पर नियमति रूप से निगरानी करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय में एक टैरिफ विश्लेषण एकक की स्थापना की गई है।

मोबाइल संचार उपकरण हेतु वैश्विक तंत्र

3218. श्री एस. अलागिरी :
श्री अंजनकुमार एम. यादव :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट की क्षमता में वृद्धि करने में विलंब हुआ है जिसके कारण भी कंपनी की बाजार में भागीदारी में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी में ग्बोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन की क्षमता में वृद्धि करने की वर्तमान क्षमता क्या है; और

(ग) उक्त समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाये गये/उठाए जा रहे हैं तथा इसके परिणामस्वरूप क्या सुधार हुआ है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में "ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन (जीएसएम) इक्विपमेंट" की क्षमता में वृद्धि करने में कुछ विलंब हुआ है। तथापि, बीएसएनएल के "जीएसएम मोबाइल" की बाजार में भागीदारी में कुछ अन्य कारणों से भी पिछले कुछ वर्षों में गिरावट का रूझान देखा गया है ये कारण निम्नानुसार है:-

– आकर्षक प्रशुल्क योजनाओं सहित नए सेवा प्रदाताओं की प्रविष्टि।

– समय के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रचालकों द्वारा सेवाओं की आकर्षक मार्केटिंग

(ग) दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, बीएसएनएल की उसके नेटवर्क में 7,55,91,678 सेल्युलर उपस्करयुक्त धारिता है। बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क में अप्रैल 2012 से अक्तूबर 2012 तक 14,62,906 सेल्युलर उपस्करयुक्त धारिता का इजाफा किया है। बीएसएनएल ने आगे विस्तार करने के लिए अपने जीएसएम नेटवर्क की धारिता में वृद्धि करने के लिए 14.37 मिलियन लाइनों के लिए निविदा को पहले ही अंतिम रूप दे दिया है और क्रय आदेश प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

उपग्रह प्रक्षेपण पैड

3219. श्री रवनीत सिंह : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अनेक देशों से उनके उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आई.एस.आर.ओ.) के पास केवल दो उपग्रह प्रक्षेपण पैड हैं, जो चक्रवात मौसम के दौरान प्रभावित हुए है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार नये प्रक्षेपण पैड की स्थापना करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने 17 देशों

के 29 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। इसरो ने एन्ट्रिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से आस्ट्रिया, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और युनाइटेड किंगडम के 12 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने हेतु करारों पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ग) इसरो के पास सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा में दो प्रक्षेपण पैड हैं और यह देश का मुख्य अंतरिक्ष बंदरगाह है। प्रक्षेपण पैड अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से निर्मित हैं और चक्रवातों को झेलने की दृष्टि से अभिकल्पित और निर्मित हैं। तथापि, पर्याप्त सावधानी बरतने की दृष्टि से वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान चक्रवातीय अवधि वाले दो माह में उपग्रहों के प्रक्षेपण निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(घ) नए प्रक्षेपण स्थल की आवश्यकता का मूल्यांकन करने हेतु प्रारंभिक अध्ययन किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन

3220. श्री राधा मोहन सिंह :
श्री भूदेव चौधरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस निर्णय की समीक्षा की है जिसमें केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का उल्लंघन और प्रवेश को गैर-कानूनी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन विद्यालयों और उनके प्रबंधनों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अकादमिक वर्ष 2013-14 से दाखिला दिशा-निर्देश पुनः तैयार करने का निर्णय लिया है।

अध्यक्ष महोदया : सभा मध्याह्न 12 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.47 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 पुनः समवेत हुई।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

इस समय डॉ. बलीराम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर सभा-पटल के निकट खड़े हो गए।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई

के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7785/15/12]

(2) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिरियालाजि, पुणे के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटिरियालाजि, पुणे के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7786/15/12]

(3) (एक) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन ओशन इन्फार्मेशन सर्विसेज, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7787/15/12]

(4) (एक) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, वास्को-डि-गामा के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, वास्को-डि-गामा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7788/15/12]

(5) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इम्युनोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7789/15/12]

(6) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7790/15/12]

...*(व्यवधान)*

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. वेणुगोपाल) : मैं श्री अजित सिंह की ओर से विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 53 के अंतर्गत विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (सचिव) भर्ती नियम, 2012 जो 1 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 605(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7791/15/12]

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

विदेश मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : मै निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) भारतीय हज समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय हज समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7792/15/12]

...(*व्यवधान*)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : मैं तेरहवीं, चौदहवीं तथा पंद्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

तेरहवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या 33 ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7793/15/12]

चौदहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या 25 छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7794/15/12]

3. विवरण संख्या 25 सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7795/15/12]

4. विवरण संख्या 21 नौवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7796/15/12]

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

5. विवरण संख्या 18 बारहवां सत्र, 2007

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7797/15/12]

6. विवरण संख्या 17 तेरहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7798/15/12]

7. विवरण संख्या 15 चौदहवां सत्र, 2008

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7799/15/12]

8. विवरण संख्या 14 पंद्रहवां सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7800/15/12]

पंद्रहवीं लोक सभा

9. विवरण संख्या 13 दूसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7801/15/12]

10. विवरण संख्या 11 तीसरा सत्र, 2009

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7802/15/12]

11. विवरण संख्या 11 चौथा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7803/15/12]

12. विवरण संख्या 8 पांचवां सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7804/15/12]

13. विवरण संख्या 7 छठा सत्र, 2010

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7805/15/12]

14. विवरण संख्या 5 सातवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7806/15/12]

15. विवरण संख्या 5 आठवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7807/15/12]

16. विवरण संख्या 4 नौवां सत्र, 2011

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7808/15/12]

17. विवरण संख्या 3 दसवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7809/15/12]

18. विवरण संख्या 1 ग्यारहवां सत्र, 2012

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7810/15/12]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(क) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादुगुडा का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7811/15/12]

(ख) (एक) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7812/15/12]

(ग) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7813/15/12]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 उपधारा (2) के अंतर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 2011 जो 18 अक्तूबर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 763(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7814/15/12]

(4) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7815/15/12]

(5) केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 7816/15/12]

...*(व्यवधान)*

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. शशी थरूर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:

(1) त्रिपुरा विश्वविद्यालय, अगरतला के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7817/15/12]

(2) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7818/15/12]

(3) बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7819/15/12]

(4) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रुपनगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रुपनगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7820/15/12]

(5) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7821/15/12]

(6) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्यूफैक्चरिंग, कांचीपुरम के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7822/15/12]

(7) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7823/15/12]

(9) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर

रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7824/15/12]

(11) (एक) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद् पंचकुला के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद् पंचकुला के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7825/15/12]

(13) (एक) हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7826/15/12]

(15) (एक) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) आंध्र प्रदेश महिला समता सोसायटी, सिकंदराबाद के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7827/15/12]

(16) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (राजस्थान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (राजस्थान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान), जयपुर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7828/15/12]

(18) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सिक्किम, गंगटोक के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7829/15/12]

(20) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा (हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद्), पंचकुला के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा (हरियाणा विद्यालय शिक्षा परियोजना परिषद्), पंचकुला के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7830/15/12]

(22) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7831/15/12]

(24) (एक) केरल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तिरुवनंतपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केरल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तिरुवनंतपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7832/15/12]

(26) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्राधिकरण पंजाब, चंडीगढ़ के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7833/15/12]

(28) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात (गुजरात माध्यमिक शिक्षा परिषद्), गांधीनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गुजरात (गुजरात माध्यमिक शिक्षा परिषद्), गांधीनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7834/15/12]

(30) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 7835/15/12]

(32) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7836/15/12]

(34) (एक) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् पटना के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार माध्यमिक शिक्षा परिषद् पटना के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालयं में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7837/15/12]

(36) (एक) पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन सोसायटी, कोलकाता के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7838/15/12]

(38) (एक) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आइजोल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आइजोल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7839/15/12]

(40) (एक) गोवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2009-2010 तथा 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गोवा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, अल्टो पोरवोरिम के वर्ष 2009-2010 तथा 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7840/15/12]

(42) (एक) कर्नाटक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बेंगलुरु के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कर्नाटक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, बेंगलुरु के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7841/15/12]

(44) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रुपनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़, रुपनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7842/15/12]

(46) (एक) झारखंड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् रांची के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् रांची के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7843/15/12]

(48) (एक) बिहार माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् पटना के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार माध्यमिक शिक्षा परियोजना परिषद् पटना के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7844/15/12]

(49) (एक) श्री लाल शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री लाल शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7845/15/12]

(51) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2008-2009 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2008-2009 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7846/15/12]

(53) (एक) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7847/15/12]

(55) (एक) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान समिति, भोपाल के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7848/15/12]

(57) (एक) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7849/15/12]

(58) (एक) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा सोसायटी मिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा सोसायटी मिशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7850/15/12]

(59) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7851/15/12]

(60) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2009-2010 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राजस्थान, जोधपुर के वर्ष 2009-2010 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) उपर्युक्त (60) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7852/15/12]

(62) (एक) गुजरात माध्यमिक शिक्षा परिषद् (आदर्श विद्यालय परियोजना), गांधीनगर के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात माध्यमिक शिक्षा परिषद् (आदर्श विद्यालय परियोजना), गांधीनगर के वर्ष 2010-2011 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(63) उपर्युक्त (62) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7853/15/12]

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : कोल घोटाला सामने लाइए इसके बाद हाउस चलाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 12.03 बजे

इस समय श्री द्वारा सिंह चौहान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

संचार और सूचना औद्योगिक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिन्द देवरा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (दसवां संशोधन) विनियम, 2012 जो 5 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 311-13/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

(दो) बुनियादी टेलीफोन सेवा (वायर लाइन) और सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा की सेवा गुणवत्ता के मानक (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 8 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 350-8/2012-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी 7854/15/12]

(2) अधिसूचना संख्या 18-07/2010-आईपी जो 5 अक्तूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुइ थी तथा जो सुरक्षा विचारणों के कारण उपापन में और सरकारी उपापन में घरेलू विनिर्मित दूरसंचार उत्पादों के लिए अधिमान हेतु नीति के बारे में और जिसके द्वारा नीति को अग्रसर करने में सरकारी उपापन के लिए दूरसंचार उत्पादों को अधिसूचित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 27 नवम्बर, 2012 की अधिसूचना संख्या 18-07/2010-आईपी में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी 7855/15/12]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

...*(व्यवधान)*

(दो) भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी 7856/15/12]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी) : मै निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं:—

(1) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी 7857/15/12]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2011-2012 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी 7858/15/12]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03½ बजे

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति

(एक) 15वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी) : अनुदानों की मांगों (2012-13)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2011-2012) के ग्यारहवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2012-13) का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

...*(व्यवधान)*

(दो) विवरण

[अनुवाद]

श्री अरुण कुमार वुंडावल्ली (राजामुन्दरी) : मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2012-2013) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों के अध्याय एक और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले समिति के विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) 'सीएनजी और एलएनजी सहित प्राकृतिक गेस की आपूर्ति, वितरण और विपणन' के बारे में समिति के 16वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2008-09) का 24वां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा)

(2) 'तेलशोधक इकाइयां-एक समालोचना' के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का छठां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(3) 'अनुदानों की मांगों (2010-11)' के बारे में समिति के दूसरे प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का सातवां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

(4) 'अनुदानों की मांगों (2011-12)' के बारे में समिति के 8वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2010-11) का 10वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.03¾ बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

18वां, 19वां, 21वां और 22वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हेमानंद बिसवाल (सुंदरगढ़): मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (15वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित "अनुसूचित जनजातियां और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006-उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का क्रियान्वयन" विषय के बारे में 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई -कार्यवाही संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम" विषय के बारे में 11वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई -कार्यवाही संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(7) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों, 2011-12 के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई -कार्यवाही संबंधी 22वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान और अनुसंधान परिषद

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:-

"कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 30क की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान और अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 की धारा 30क की उपधारा (2) के खंड (ञ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अध्यधीन भारतीय विज्ञान शिक्षा संस्थान और अनुसंधान परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

(दो) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण-प्राधिकरण

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती जयंती नटराजन) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूं:

"कि वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड(ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:-

"कि वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड(ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम

के अन्य उपबंधों के अध्यधीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब, हम ''शून्य-काल'' शुरू करेंगे— श्री राजनाथ सिंह।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह (गाज़ियाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं एन.एच.-24 और एन.एच.-58 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री राजथान सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सिंह : दिल्ली से होते हुए यह राजमार्ग पूरो उत्तर भारत को जोड़ने का काम करता है।...*(व्यवधान)* यह बहुत ही महत्वपूर्ण राजमार्ग है। दो से लेकर चार घंटे का जाम इस एन.एच.-24 और एन.एच.-58 पर प्रतिदिन लगता है।...*(व्यवधान)* पूरे उत्तर भारत के लोगों को इस जाम के कारण प्रतिदिन यंत्रणा झेलनी पड़ती है। इस साल में ही मैंने पूरक प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा था। उन्होंने आश्वस्त किया था कि एक सप्ताह के अंदर ही एन.एच.-24 और एन.एच.-58 के चौड़ीकरण का कम यानी आठ लेन की सड़क बनाने का काम प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन, कई महीनों का समय गुजर जाने के बाद भी आज तक काम प्रारंभ नहीं हुआ है।

सभापति महोदय, यह भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये दोनों राजमार्ग - एन.एच.-24 और एन.एच.-58 इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपात स्थिति में भारत-पाकिस्तान, और इंडो-चाइना बॉर्डर पर भी यदि दिल्ली से सैन्य रसद ले जाना हो तो एन.एच.-24 और एन.एच.-58 के माध्यम से ही वह ले जाना संभव हो पाएगा। इतना ही नहीं, दिल्ली के लिए खाद्य सामग्री, दूध, फल-फूल, और सब्जी आधे से अधिक जो आती है, वह इसी एन.एच.-24 और एन.एच. -58 से आती है।...*(व्यवधान)* प्रतिदिन लाखों लोगों का आवागमन दोनों राजमार्गों से होता है।...*(व्यवधान)* इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस एन.एच.-24 और एन.एच.-58 का जल्दी से जल्दी चौड़ीकरण कराया जाना चाहिए। आठ लेन की सड़क बनायी जानी चाहिए।...*(व्यवधान)* सरकार को इसकी स्टेटस रिपोर्ट देनी चाहिए और इसे टाइम-बाउंड मैनर पर दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री वीरेन्द्र कुमार और श्री पी.एल. पुनिया भी श्री राजनाथ सिंह द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होना चाहते हैं।

अब, श्री बसुदेव आचार्य।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी जगहों पर वापस चले जाएं। सदन को अपना कार्य करने दें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, आज, लगभग दस लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं...*(व्यवधान)*। डाक, आयकर, लेखापरीक्षा और लेखे, मुद्रण और लेखन सामग्री, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, सीजीएचएस, भू-जल बोर्ड, केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय लोक-निर्माण, जनगणना, रक्षा लेखे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन; अंडमान-निकोबार और पांडिचेरी प्रशासन और मेडिकल स्टोर डिपो के कर्मचारी संगठन हड़ताल पर हैं...*(व्यवधान)*

उनकी मांग यह है कि सातवें वेतन आयोग का गठन किया जाए...*(व्यवधान)*। यह 1 जनवरी, 2011 से लंबित है लेकिन भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की पुनरीक्षा

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री बसुदेव आचार्य]

पर विचार करने के लिए सातवें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है। वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं...*(व्यवधान)*। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद बहुत सी अनियमितताएं उनके वेतनमान में रह गई हैं। इससे संबंधित एक समिति का गठन हुआ था पर वह समिति उनके वेतनमान संबंधी अनियमितताओं की समस्याओं का निराकरण करने में विफल रही...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपनी जगहों पर वापस चले जाएं। अन्य माननीय सदस्य अपन-अपने मुद्दे उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों। मैं आपके नेता को बुलाऊंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समस्या का समाधान करने के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (जेसीएम) है लेकिन यह जेसीएम निष्क्रिय हो चुका है...*(व्यवधान)* उनकी कोई बैठकें आयोजित नहीं हो रही हैं। परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा...*(व्यवधन)*

सभापति महोदय : श्री पी.के. बिज स्वयं को श्री बसुदेव आचार्य द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध कर रहे हैं।

श्री एम.आई शानवास

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री शानवास के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री एम.आई. शानवास (वयनाड) : सभापति महोदय, मुझे एक बहुत ही मुख्य मुद्दे को उठाने का अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपका आभारी हूं जो छः राज्यों को प्रभावित करेगा - गोवा, जो कि आपका राज्य है, महोदय केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र; गुजरात और तमिलनाडु...*(व्यवधान)*

पश्चिमी घाटों के पारिस्थितिक अवस्थिति को देखने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा श्री माधव गाडगिल की अध्यक्षता में 14 सदस्यों का एक विशेषज्ञ पैनल बनाया गया था। पश्चिमी घाट पर्वतों का लगभग 1,29,000 वर्ग फीट लंबा विस्तार है। पारिस्थितिक पैनल एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट लाया है। दरअसल यह एक हास्यास्पद रिपोर्ट है न कि बढ़िया रिपोर्ट जो किसानों की ज़िंदगी तबाह कर देगी। यह कृषि भूमि विरोधी, विकास-विरोधी रिपोर्ट है और यह किसानों को हाशिये पर ले आएगी।...*(व्यवधान)* यह रिपोर्ट सभी राज्यों में 44 जिलों और 142 तालुकाओं पर बुरा प्रभाव डालने वाली है।... यदि यह रिपोर्ट मान ली गई, तो यह बड़े स्तर पर बसे हुए क्षेत्रों को संरक्षित वनों की श्रेणी में ला देगी और वहां के लोगों को अपना सब कुछ छोड़कर वहां से जाना पड़ेगा।...*(व्यवधान)*

महोदय, इस माधव गाडगिल रिपोर्ट में 57 प्रतिबंध हैं, यथा, अधिकार पत्र के लिए मना करना, आवासीय इमारतों के निर्माण पर प्रतिबंध, सड़क निर्माण पर प्रतिबंध, रसायनिक उर्वरक और जीवनाशक के प्रयोग पर प्रतिबंध, केवल एक फसल की खेती पर प्रतिबंध इत्यादि. ..*(व्यवधान)* इन सब चीज़ों पर नज़र रखने के लिए पहले से ही काफी कानून मौजूद हैं। अब, इस रिपोर्ट में पश्चिमी घाट पर्यावरणीय प्राधिकरण बनाने की सिफ़ारिश की गई है और यह किसानों के हित और विकास के विरुद्ध अतिमानवीय फोरम साबित होगा...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस रिपोर्ट पर अमल न करें।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं भी माननीय सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी से सहमत हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री एम.आई. शानवास : आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद, महोदय ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री पी.के. बिजू और श्री रामासुब्बू भी श्री एम.आई. शानवास द्वारा उठाए गए मामले से संबद्ध होना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय : सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.11 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.0¼ बजे

इस समय, श्री कादिर राणा और कुछ और अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.01 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अब नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति दी गई है, वे यदि इन मामलों को, सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, तो वे स्वयं अपनी पर्ची तत्काल सभा पटल पर रख दें। केवल वही मामले सभा पटल पर रखे माने जाएंगे जिनकी पर्ची निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभा पटल पर रख दी गई हो। शेष व्यपगत माने जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

(एक) कोयम्बटूर और मईलादुतुरई के बीच चलने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस को कुड्डुलोर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री एस. अलागिरी (कुड्डुलोर) : मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के कुड्डालोर में लगातार अनुरोधों के बावजूद अब तक उपयुक्त रेल सेवा शुरू नहीं हुई है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रति इस भेदभावपूर्ण रवैये से प्रचालनात्मक कंपनियों जैसे कि बिजली उत्पादन, पोत निर्माण, तेल शोधनशालाएं और प्रमुख रसायनिक फैक्टरियों की आगे की वृद्धि रूक गई है। अतिरिक्त कल पुर्जे और मुख्य मशीनरी कुड्डालोर में निर्मित की जाती है और इस शहर के कई हिस्सों में आपूर्ति की जा रही है। इन कंपनियों में काम कर रहे अधिकारियों को कुड्डालोर आने-जाने में असुविधा हो रही है। पूर्वी तटीय क्षेत्र में कुड्डालोर पोत दूसरा सबसे बड़ा पोत है। व्यापारियों और विक्रेताओं को भी इसी परेशानी का सामना करना पड़ता है जो आयात और निर्यात के काम में लगे हुए हैं। कोयम्बटूर और मईलादुतुरई के बीच चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को कुड्डालोर तक बढ़ाए जाने की तत्काल आवश्यकता है। यदि जनशताब्दी एक्सप्रेस का कुड्डालोर तक विस्तार हो जाता है तो रेलवे अतिरिक्त राजस्व अर्जित कर सकता है।

इस संबंध में, मैं रेल मंत्री जी से कोयम्बटूर-मईलादुतुरई जनशताब्दी एक्सप्रेस कुड्डालोर जंक्शन तक विस्तार करने हेतु उपयुक्त अनुदेश जारी करने का आग्रह करता हूं।

(दो) शिवकाशी के सरकारी अस्पताल का एक सुपर स्पेश्यलिटी अस्पताल के रूप में आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री मानिक टैगोर (विरुद्धनगर) : शिवकासी, तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले का एक कस्बा और नगरपालिका है। यह भारत के पटाखे उद्योग की राजधानी है जहां छोटी-बड़ी लगभग 9000 फैक्ट्रियां हैं और कुल पटाखा उत्पादन का 90 फीसदी उत्पादन यहीं होता है।

इस शहर में तकरीबन 400 निर्माता हैं। पटाखे की फैक्ट्रियों के अलावा घरेलू स्टूडियों और कलाकारों वाले कई प्रिंटिग प्रेस हैं जहां भिन्न-भिन्न किस्मों के रंगीन पोस्टर और कैलेंडर आर्ट बनाए जाते हैं। शिवकासी को पटाखों, दियासलाई, कैलेंडरों, पोस्टरों और प्रिंटिंग से जुड़ी अन्य कलाकृतियों के उत्पादन से काफी राजस्व प्राप्त होता है।

---

*सभा पटल पर रखे माने गए।

[श्री मानिक टैगोर]

शिवकासी से दीपावली के त्यौहार के लिए पूरे भारतवर्ष में पटाखों और फुलझड़ियों की आपूर्ति होती है। इस उद्योग का प्रति वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए (लगभग 200 मिलियन डॉलर) का कारोबार बड़ा है। इसके अलावा शिवकासी से खेल-कूद, फिल्म महोत्सव जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए भी पटाखों की आपूर्ति, भारत और अन्य देशों में होती है। इस शहर से भारत में 70 फीसदी दियासलाई की आपूर्ति होती है और इसके इर्द-गिर्द बड़ी संख्या में दियासलाई उद्योग हैं।

शिवकासी, तमिलनाडु का प्रिंटिंग हब है और यहां कम्प्यूटर के जरिए प्रिंटिंग डिजायन बनाने में डीटीपी ऑपरेटरों के लिए नौकरियों की अपार संभावनाएं हैं। इससे शिवकासी तमिलनाडु के बड़े कम्प्यूटर प्रयोक्ता शहरों में से एक हो गया है। शिवकासी में खूब सारी कम्प्यूटर होर्डवेयर सर्विसिंग कंपनियां भी हैं। ग्रैफिक डिजायनर प्रिंटिंग कंपनियों और फायर वर्क्स कार्टूनों के लिए डिजायन बनाने के अवसरों का उपयोग करते हैं और अपने-आप को अच्छी तरह रोजगारों में स्थापित किये हुए हैं।

तथापि, उपरोक्त विशिष्टताओं इस सब के बावजूद, शिवकासी में अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित और विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाला कोई आधुनिक अस्पताल नहीं है। पटाखे व दियासलाई उद्योगों में खतरनाक किस्म के होने वाले कार्यकलापों के मद्देनज़र सख्त सुरक्षोपाय के बावजूद वहां अक्सर बड़ी-बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसी आकस्मिक स्थितियों में दुर्घटना के शिकार लोगों को विरुद्धनगर सरकारी अस्पताल, मदुरई या कहीं और निजी अस्पतालों में ले जाना पड़ता है।

शिवकासी स्थित एकमात्र बड़े सरकारी अस्पताल में जले हुए लोगों का इलाज करने के लिए समुचित उपकरण नहीं है। जले हुए लोगों का इलाज करने के लिए यह मात्र छह बिस्तरों वाला अस्पताल है जिसमें वातानुकूलित कमरा केवल एक ही है। दूसरा सबसे बड़ा एकमात्र अस्पताल विरुद्धनगर में है; इसमें भी जले हुए लोगों के इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं जिससे अग्नि दुर्घटना के शिकार हुए लोगों के इलाज हेतु एक मात्र विकल्प मदुरई रह जाता है जो वहां से लगभग 60 कि.मी. दूर है। इसलिए, शिवाकासी के सरकारी अस्पताल को एनएचआरएम योजना के तहत सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के रूप में कार्य करने के लिए, विशेषकर अग्नि दुर्घटना के शिकार होने वाले लोगों के लिए इसे आधुनिक बनाए जाने की आवश्यकता है।

(तीन) ओडिशा में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री हेमानंद बिसवाल (सुन्दरगढ़) : आरजीजीवीवाई के फ्लैगशिप कार्यक्रम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के तहत ओडिशा में ट्रांसफॉर्मरों की चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। ट्रांसफॉर्मरों की चोरी की वजह से यह योजना ओडिशा में बुरी तरह से नाकाम रही है। बिजली और समुचित समन्वयन के अभाव में जनजातीय क्षेत्रों में अधिकांश गांवों में बिजली की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पाई है। सुन्दरगढ़, झारसुगुड़ा, सम्बलपुर, खुर्द जैसे जिलों में ट्रांसफॉर्मरों की चोरी के कारण यहां के गांव बिजली आपूर्ति से वंचित हैं। अन्य जिले भी ट्रांसफॉर्मरों की चोरी का सामना कर रहे हैं और सुन्दरगढ़ में 282 ट्रांसफार्मर, संस्थापित किये जाने के कुछ महीनों के अंदर चोरी हो गए। यह चोरी थाने में एफआईआर दर्ज कराये जाने के बावजूद हुई। जिनके कारणों से चोरी हो रही है उनका पता लगाने या उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी की वजह से लक्षित बीपीएल परिवारों को विद्युत आपूर्ति संबंधी इस योजना के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले में समुचित व आवश्यक उपाय करें।

(चार) उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में बी.एड पाठयक्रम से खेल-कूद विषय को हटाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : नियम 377 के माध्यम से सदन को सूचित करना चाहती हूं कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एनसीटीई जो अध्यापक प्रशिक्षण क्षेत्र में काम करती है, ने गत वर्ष बीएड परीक्षा के पाठ्यक्रम में स्पोर्टस को एक गाइड लाइन्स के तहत शामिल किया है जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी विश्वविद्यालय में स्पोर्टस का पाठयक्रम नहीं है। इस गाइड लाइन्स को शामिल करने से पहले तो इस संस्था को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय से यह पता लगाना चाहिए कि ये विषय इन विश्वविद्यिालय में पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं। इस संबंध में मैं मानव संसाधन विकास मंत्री जी से कई बार मिली और इस हेतु जानकारी दी हैं परंतु इस संबंध में आज तक कोई कार्यवाही

नहीं हुई है। इससे उत्तर प्रदेश के रायबरेली, सुल्तानपुर, छत्रपति साहू जी नगर एवं प्रतापगढ़ के छात्रों को बीएड में प्रवेश गत दो सालों से नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण इन क्षेत्रों के छात्रों में केन्द्र सरकार के प्रति आक्रोश है क्योंकि इस गाइड लाइन्स के तहत इन क्षेत्रों के छात्रों को बीएड में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।

सरकार से अनुरोध है कि बीएड के इस पाठयक्रम में कुछ वर्षों के लिए स्पोर्टस के पाठयक्रम को हटाया जाए और उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में स्पोर्टस के पाठयक्रम को रखा जाए और जब इस पाठयक्रम से छात्र पास होकर निकले तब एनसीटीई द्वारा बीएड के पाठयक्रम में स्पोर्टस का विषय रखा जाए।

(पांच) देश में दुग्ध उत्पादों के अपमिश्रण में संलिप्त व्यक्तियों पर नियंत्रण रखने तथा उन्हें सजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह (सतना) : मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान देश की राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में नकली मिलावटी एवं सिन्थैटिक दूध एवं पनीर, खोया जो धड़ल्ले से बनाया व बेचा जा रहा है, की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं।

आज पूरे देश में नकली, मिलावटी एवं सिन्थैटिक दूध एवं पनीर, खोया धड़ल्ले से बनाया और बेचा जा रहा है जो देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। इस नकली मिलावटी सिन्थैटिक दूध के सेवन से बीमारियां बढ़ने के साथ-साथ बच्चों, महिलाओं, पुरुषों एवं वृद्धों के जीवन को भी बड़ा खतरा है। सभी विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त हैं।

बात सिर्फ बीमारी से ग्रस्त होने की नहीं है, इस मिलावटी जहरीले सिन्थैटिक दूध के सेवन से लीवर, दिल, कैंसर एवं शुगर जैसी भयानक बीमारियां होने का खतरा बढ़ रहा है। ग्वाला गद्दी नामक एक संस्था द्वारा किए गए सर्वे से पता चला है कि कुछ ही वर्षों में भारत शुगर के मरीजों को केन्द्र बन जाएगा। अध्यक्ष महोदया, हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं और हमारा इस ओर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क की कल्पना की जा सकती है और एक स्वस्थ मस्तिष्क ही देश, समाज और अपने परिवार को विकासशील बना सकता है। शरीर स्वस्थ रहने पर अरबों रुपयों की दवाइयां जो आयात की जाती हैं, उसकी बचत होगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। देश में प्राकृतिक दूध उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए।

अत: इस संबंध में मेरा आग्रह है कि नकली मिलावटी सिन्थैटिक दूध एवं पनीर, खोया बनाने वाले गिरोहों को पकड़ने एवं इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी किए जाए तथा कठोर कानून बनाया जाए।

(छह) मोतिहारी और गया में क्रमश: गांधी और महात्मा बुद्ध के नाम पर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री राधा मोहन सिंह (पूर्वी चम्पारण) : महात्मा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी देश के इतिहास में एक चर्चित नाम है। मोतिहारी के चप्पे-चप्पे पर गांधी जी की उपस्थिति और देश की आजादी की लड़ाई के लिए संघर्ष की कहानी से पूरी दुनिया परिचित है। वर्षों से महात्मा गांधी के नाम पर मोतिहारी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग वहां की जनता और बिहार की सरकार करती है। अंतत: भारत की सरकार ने उत्तर बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी एवं दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गया में स्थापित करने का निर्णय लिया है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि मोतिहारी में स्थापित होने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी एवं गया में स्थापित होने वाले केन्द्रीय विश्वविद्यालय में गौतमबुद्ध का नाम जोड़ा जाए।

(सात) मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुर में और उत्तर प्रदेश के इटावा में चंबल, क्वारी, सिंध और यमुना नदियों के कारण हो रहे भू-क्षरण पर नियंत्रण रखने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल (भिंड) : मध्य प्रदेश, राजस्थान से आने वाली चम्बल, क्वारी, सिंध, यमुना आदि नदियों के कारण कृषि भूमि का कटाव हो रहा है जिससे भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर, धौलपुर, इटावा के किसानों की कृषि भूमि बीहड़ों में परिवर्तित हो रही है। इसे यदि समय पर नहीं रोका गया तो किसानों की कृषि भूमि नष्ट हो जाएगी, वे बेरोजगार हो जाएंगे। काफी गांव इसकी चपेट में है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि सरकार इसे रोकने के कदम उठाए।

(आठ) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : कौशाम्बी (उत्तर प्रदेश) संसदीय क्षेत्र का जिला प्रतापगढ़ एवं कौशांबी पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। कहीं-कहीं इलाकों में खारा पानी जिसमें फ्लोराइड एवं अर्सेनिक तत्व पाए गए हैं जिससे गंभीर बीमारियों का जन्म होता है। पूरे संसदीय क्षेत्र का केंद्र सरकार सर्वे कराके इंडिया मार्क हैंडपंप या (डीप बोरिंग) स्टोरेज टंकी बना कर प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की सप्लाई सुनिश्चित कराएं।

(नौ) देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेन्द्र सिंह नागर (गौतम बुद्ध नगर) : मवेशियों के विकास व उत्पादकता में सुधार विषय पर नवंबर, 2012 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डेयरी व पशुधन वैज्ञानिकों ने भारत की परंपरागत नस्लों के दुधारु पशुओं के सरंक्षण पर जोर दिया गया है। पशुओं के चारे की कमी को पूरा के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप-महानिदेशक का कहना है कि सरकार के स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन पशु चारे की मांग व आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हो सका है। उन्होंने गैर उत्पादक पशुओं को कम करने पर भी जोर दिया है।

हमारे देश में मवेशियों की संख्या विश्व के किसी भी देश के मुकाबले सर्वाधिक है। लेकिन, दूध के उत्पादकता के मामले में हमारा देश बहुत पीछे है। यहां 2200 लीटर प्रति वर्ष प्रति पशु के वैश्विक औसत के मुकाबले केवल 990 लीटर दूध ही पैदा होता है। पशु चारे की भारी कमी और अच्छी नस्ल के पशुओं का भी अभाव इसकी एक प्रमुख वजह है।

राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के निदेशक के अनुसार देश में सूखे चारे की 11 प्रतिशत, हरे चारे की 35 प्रतिशत और सकेंद्रित चारे की 45 प्रतिशत कमी है। यह स्थिति पिछले लगभग एक दशक से बनी हुई है। देश में अनुत्पादक पशुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिसको कम करने की आवश्यकता है। इंटरनेशनल स्टॉक रिसर्च इंस्टीटयूट द्वारा विश्व की खाद्य सुरक्षा के लिए डेयरी उत्पाद व पशु उत्पादों को अत्यंत जरूरी बताते हुए भारत की भूमि को सबसे अहम बताया गया है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश में मवेशियों के विकास व उत्पादकता में व्यापक स्तर पर सुधारात्मक उपाय किए जाने हेतु आवश्यक पहल करे।

(दस) देश में अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री विश्व मोहन कुमार (सुपौल) : मुझे माननीय मंत्री जी का ध्यान मंडल कमीशन के अनुशंसाओं की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि मंडल कमीशन के तत्कालीन सदस्य श्री एल. आर. नायक ने अन्य पिछड़े वर्गों में से अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण का अनुशंसा की थी, जिसे कि बिहार सहित कई प्रदेशों ने लागू भी कर दिया है, किंतु केंद्र सरकार ने इस अनुशंसा पर कोई विचार नहीं किया है जिस कारण करोड़ों लोग लाभ से वंचित है।

मा. मंत्री जी से आग्रह है कि श्री आर.एल.नायक. की अनुशंसा को शीघ्र लागू कर अत्यंत पिछड़े वर्ग को केंद्रीय सेवाओं एवं शिक्षण संस्थाओं में अलग से आरक्षण दिलाने पर पहल करें जिससे कि इस वर्ग के लोगों का सर्वांगीण विकास हो।

(ग्यारह) तमिलनाडु में जोलारपेट-तिरुपत्तूर-कांडिली-बारुगुर-ओरप्पम-सालुगिरी-कृष्णागिरी होसुर नई रेल लाइन को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरि) : कृष्णागिरि जिले के लोग रेल सम्पर्क की मुख्य धारा से अलग हैं। जोलारपेट और होसुर के मध्य रेल संपर्क दूर का सपना ही बना हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 2004 से मैं इस नई रेलवे लाइन की मांग करता रहा हूं और मैंने यह मामला बार-बार लोक सभा और अन्य मंचों पर भी उठाया है। इसके महत्व को देखते हुए इस नई रेल लाइन का पुनः सर्वेक्षण करवाने का निर्णय लिया गया और मुझे विश्वास था कि यह परियोजना 26 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तत्काल आरंभ की जाएगी ताकि जोलारपेट से तिरुपत्तूर-कांडिली-बारुगुर-ओरप्पम-सालुगिरी-कृष्णागिरि होसुर तक रेल सम्पर्क प्रदान किया जा सके।

जोलारपेट और होसुर के माध्यम प्रस्तावित रेल लाइन होसुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास में और सुधार

के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। यह लाइन तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों को जोड़ेगी। वर्तमान में निर्यात हेतु जितने भी उत्पाद होते हैं, उनमें से अधिकांश मुख्यत: केवल विमान द्वारा भेजे जाते हैं। इस मार्ग पर रेल मार्ग पर सम्पर्क की कमी जिले के औद्योगिक विकास में एक बड़ी बाधा रही है।

इसलिए, मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जोलारपेट-तिरुपत्तूर-कांडिली-बारुगुर-ओरप्पम-सालुगिरी-कृष्णागिरि-होसुर नई रेल लाइन को यथाशीघ्र संस्वीकृत करें।

(बारह) केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए तमिल भाषा को परीक्षा का माध्यम बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सी. राजेन्द्रन (चैन्नई दक्षिण) : केन्द्र सरकार देशभर के अभ्यर्थियों के लिए वर्ष दर वर्ष विभिन्न प्रकार की साझा प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं आयोजित करती रही है। अब तक, इन परीक्षाओं का आयोजन केवल अंग्रेजी और हिन्दी में छपे प्रश्न पत्रों से किया जा रहा है। विद्यार्थियों को इन दो भाषाओं में से चुनाव का विकल्प दिया जाता है।

इस प्रणाली का आमतौर पर तमिलनाडु के तथा विशेष रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिल पाता। गरीब ग्रामीण विद्यार्थी बुद्धिमान तथा ज्ञानवान होते हैं, परंतु वे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास भाषा चयन के हिसाब से समान अवसर नहीं होते। बड़ी संख्या में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े प्रतिभावान ग्रामीण विद्यार्थी केन्द्र द्वारा आयोजित ऐसी परीक्षाओं में भाग ले हैं परंतु उन्हें इनमें कठिनाई होती है क्योंकि पेपर तमिल भाषा में नहीं होते।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं, कि वह इसे नीतिगत रूप से संबंधित विभिन्न मंत्रालयों को हिन्दी और अंग्रेजी के अतिरिक्त तमिल भाषा में भी परीक्षाएं आयोजित करने का निदेश दे ताकि तमिलनाडु के विद्यार्थियों को परीक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के समान अवसर मिल सकें।

(तेरह) पड़ोसी राज्यों को दिए जा रहे कर अवकाश को देखते हुए राज्य में औद्योगिक विकास के लिए पंजाब राज्य को समान अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (फरीदकोट) : मैं सरकार का ध्यान पंजाब के आसपास के पहाड़ी राज्यों को चुनिंदा कर लाभ प्रदान करने से राज्य के औद्योगिक विकास पर विनाशकारी प्रभाव की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। उत्तरी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाल ही में हुई बैठक में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री और पंजाब के वित्त मंत्री ने पहाड़ी राज्यों को कर अवकाश दिए जाने का विरोध किया था। सच यही है कि ऐसे चुनिंदा लाभ देने से औद्योगिक विकास के लिए समान अवसर नहीं मिलते और इससे अकसर क्षेत्र विशेष में कर लाभ की योजना का दुरूपयोग किया जाता है जिससे हजारों करोड़ रुपए का कर अपवंचन किया जाता है। इसलिए मैं इस मामले में पंजाब को समान अवसर दिए जाने की मांग करती हूं।

(चौदह) महाराष्ट्र में "मराठा" समुदाय को आरक्षण की सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजू शेट्टी (हातकंगले) : महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और कोंकण के ग्रामीण क्षेत्र में खासकर छोटे, मध्यम और भूमिहीन किसान 'मराठा' जाति के हैं। उनका परिचय 'कुणबी' (खेत में काम करने वाला) के रूप में सब जगह है। महाराष्ट्र की संस्कृति और इतिहास में भी 'कुणबी-मराठा' का जिक्र बार-बार हो चुका है। मंडल आयोग ने 'कुणबी' जाति को ओ.बी.सी. आरक्षण की सूची में लिया है। लेकिन ज्यादा पढ़े-लिखे न होने के कारण ज्यादातर 'मराठा' समाज के देहाती लोगों ने अपने नाम के साथ 'कुणबी' यह शब्द न लगाने के कारण इन्हीं सब समाज को ओ.बी.सी. आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।

ज्यादातर मध्यम, छोटे और भूमिहीन किसान ये सब 'मराठा' जाति के ही हैं और महाराष्ट्र में जितनी भी आज तक आत्महत्याएं हुई है उनमें से ज्यादातर किसान 'मराठा' जाति के हैं। आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र का 'मराठा' समाज पहले ही आंदोलित हैं, इससे महाराष्ट्र की सुव्यवस्था पर उसका बुरा असर पड़ने की संभावना को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 'मराठा' समाज को आरक्षण देने की नितांत आवश्यकता है तथा सरकार को इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करने की जरूरत है।

अपराह्न 2.02 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2012-2013

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब मद संख्या 16 पर विचार करेगी।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

कि कार्य सूची के स्तंभ 2 में से 14, 16, 19, 20, 27, 29, से 33, 41, से 43, 45, 46, 48, 50, 52 से 54, 57 से 62, 65, 66, 68, 72, 73, 77, 82, 85, 88 से 93, 96, 97, 101, 102 और 104 से 106 के सामने दिखाई गयी मांगों के संबंध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तंभ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधिक अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

...(व्यवधान)

लोक सभा

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2012-2013 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)

मांग संख्या	मांगों के नाम	सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगो की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	
1.	कृषि और सहकारिता विभाग	1,00,000	—
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	1,00,000	—
6.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	2,50,00,000	—
7.	उर्वरक विभाग	1,00,000	—
9.	नागर विमानन मंत्रालय	—	2000,00,00,000
10.	कोयला मंत्रालय	1,00,000	65,00,00,000
11.	वाणिज्य विभाग	2,00,000	—
12.	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	3,00,000	—
13.	डाक विभाग	1,00,000	—
14.	दूरसंचार विभाग	1,00,000	—

1	2	3	
16.	उपभोक्ता मामले विभाग	10,01,00,000	—
19.	संस्कृति मंत्रालय	3,00.000	—
20.	रक्षा मंत्रालय	100.00	—
27.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	—	1,00,000
29.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	—	2,00,000
30.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	3,00,000	1,00,000
31.	विदेश मंत्रालय	1,00,000	365,00,00,000
32.	आर्थिक कार्य विभाग	118,35,00,000	4,00,000
33.	वित्तीय सेवाएं विभाग	2,00,000	1,00,000
41.	राजस्व विभाग	2,00,000	1,00,000
42.	प्रत्यक्ष कर	230,32,00,000	1,00,000
43.	अप्रत्यक्ष कर	53,90,00,000	1,00,000
45.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	2,00,000	—
46.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	3,75,00,000	—
48.	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	1,00,000	—
50.	भारी उद्योग विभाग	1,00,000	1,00,000
52.	गृह मंत्रालय	1,00,000	—
53.	कैबिनेट	20,00,00,000	30,13,,00,000
54.	पुलिस	4,00,000	2,00,000
57.	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	1,00,000	—
58.	स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	2,00,000	—
59.	उच्चतर शिक्षा विभाग	104,03,00,000	—
60.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	4,71,00,000	1,00,000

1	2	3	
61.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	2,00,000	1,00,000
62.	निर्वाचन आयोग	1,00,000	5,00,00,000
65.	सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	1,00,000	—
66.	खान मंत्रालय	1,00,000	79,46,00,000
68.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	110,26,00,000	—
72.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	30,00,00,000	—
73.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	28,500,00,00,000	—
77.	लोक सभा	38,40,00,000	—
82.	ग्रामीण विकास विभाग	2,00,000	—
85.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	1,00,000	—
88.	पोत परिवहन विभाग	1,00,000	—
89.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	1,00,000	—
90.	अन्तरिक्ष विभाग	—	1
91.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1,00,000	—
92.	इस्पात मंत्रालय	125,68,00,000	—
93.	वस्त्र मंत्रालय	3,00,000	3,00,00,000
96.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	76,72,00,000	—
97.	चंडीगढ़	3,00,000	6,00,000
101.	शहरी विकास विभाग	1,00,000	—
102.	लोक निर्माण	—	1,00,000
104.	जल संसाधन मंत्रालय	1,00,000	—
105.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	2,00,000	—
106.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	3,00,000	—
	कुल	2942922,00,000	2547,84,00,000

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अनंत कुमार।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सप्लीमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूं।...*(व्यवधान)*

आज पूरे देश की अर्थव्यवस्था संकट में है। पांच साल के लिए यू.पी.ए. पहले का जब अवतार हुआ, तब ऐसा सोचा जाता था...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सिर्फ अनन्त कुमार जी का भाषण ही रिकार्ड में जाएगा, बाकी किसी की बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...*(व्यवधान)**

श्री अनंत कुमार : प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एक अर्थशास्त्री कहलाते हैं और वैसे ही पहले भी पहले भी जिन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला और अब भी वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, वे भी एक अर्थशास्त्री हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अपराह्न तीन बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 2.03 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन* हुए]

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 3.01 बजे

इस समय डॉ. बलिराम और कुछ अन्य माननीय सदस्यगण आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : सभा कल 13 दिसंबर, 2012 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 3.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 13 दिसंबर, 2012/22 अग्रहायण, 1934(शक) पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री सतपाल महाराज	261
2.	श्री जगदानंद सिंह डा. रतन सिंह अजनाला	262
3.	श्री पन्ना लाल पुनिया श्री प्रदीप माझी	263
4.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	264
5.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर श्री आनंद प्रकाश परांजपे	265
6.	श्री हरीश चौधरी राजकुमारी रत्ना सिंह	266
7.	डॉ. विनय कुमार पाण्डेय श्री के.पी. धनपालन	267
8.	डॉ. एम. तम्बिदुरई डॉ. संजीव गणेश नाईक	268
9.	श्री एस. अलागिरी डॉ. संजय सिंह	269
10.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	270
11.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी	271
12.	श्रीमती रमा देवी	272
13.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	273
14.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	274
15.	चौधरी लाल सिंह	275
16.	श्री दारा सिंह चौहान श्री अर्जुन राम मेघवाल	276
17.	श्री महेश जोशी श्री बृजभूषण शरण सिंह	277
18.	श्री जयवंत गंगाराम आवले	278
19.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी श्री दिनेश चन्द्र यादव	279
20.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव श्री निखिल कुमार चौधरी	280

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए. साई प्रताप	3040
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	3027, 3062, 3173

1	2	3
3.	श्री बसुदेव आचार्य	3183
4.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	3073, 3091, 3175
5.	श्री आधि शंकर	3030, 3165
6.	श्री सुवेन्दु अधिकारी	3173
7.	श्री आनंदराव अडसुल	3073, 3091, 3115, 3175
8.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	2991, 3208, 3216
9.	श्री हंसराज गं. अहीर	3016
10.	श्री बदरुद्दीन अजमल	3217
11.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	3086
12.	श्री अनंत कुमार	3100
13.	श्री अनंत कुमार हेगड़े	3068
14.	श्री कीर्ति आजाद	3041, 3095
15.	श्री गजानन ध. बाबर	3073, 3091, 3175
16.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	3164
17.	श्री रमेश बैस	3176
18.	डॉ. बलीराम	3103
19.	श्री कुंवरजीभाई मोहनभाई बावलिया	3099
20.	श्री अवतार सिंह भडाना	3085
21.	श्री सुदर्शन भगत	3095, 3126
22	श्री ताराचन्द भगोरा	3020, 3091, 3217
23	श्री उदयनराजे भोंसले	3117
24.	श्री समीर भुजबल	3108, 3217

1	2	3
25.	श्री कुलदीप बिश्नोई	3042, 3210
26.	श्री हेमानंद बिसवाल	3093
27.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	3089
28.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	2994, 3123
29.	श्री सी. शिवासामी	2999, 3217
30.	श्री हरीश चौधरी	3169, 3170, 3215
31.	श्री जयंत चौधरी	3174
32.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	3008, 3083, 3140, 3171, 3196
33.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	3017, 3180
34.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	3185
35.	श्री भूदेव चौधरी	3158, 3171, 3220
36.	श्रीमती श्रुति चौधरी	3025, 3201
37.	श्री खगेन दास	3152
38.	श्री राम सुन्दर दास	3156
39.	श्री गुरुदास दासगुप्त	3181
40.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	3168
41.	श्रीमती अश्वमेध देवी	3094
42.	श्रीमती रमा देवी	3214
43.	श्री के.पी. धनपालन	3212
44.	श्री संजय धोत्रे	3107, 3177
45.	श्री आर. ध्रुवनारायण	2995, 3029, 3173, 3203
46.	श्री चार्ल्स डिएस	3159

1	2	3
47.	श्री निशिकांत दुबे	3098
48.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	3137, 3149
49.	श्रीमती प्रिया दत्त	3061
50.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	3089, 3102, 3107
51.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	3167, 3168
52.	श्रीमती मेनका गांधी	3123, 3124, 3173
53.	श्री वरुण गांधी	3098, 3147
54.	श्री ए. गणेशमूर्ति	3078, 3185
55.	डॉ. काकोली घोष दस्तिदार	3123
56.	श्री शेर सिंह घुबाया	2992
57.	श्री एल. राजगोपाल	3067, 3176, 3186
58.	श्री शिवराम गौडा	3155
59.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	3088
60.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	3096
61.	श्री महेश्वर हजारी	3032, 3081, 3166, 3179, 3204
62.	श्री के. जयप्रकाश हेगड़े	3071
63.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	3004
64.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	3011, 3078
65.	श्री बलीराम जाधव	3089, 3137
66.	डॉ. मन्दा जगन्नाथ	3070
67.	डॉ. संजय जायसवाल	3162
68.	श्री गोरख प्रसाद जायसवाल	3145, 3169

1	2	3
69.	श्री बद्रीराम जाखड़	2998, 3192
70.	श्रीमती दर्शना जरदोश	3000, 3193
71.	श्री हरिभाऊ जावले	3169
72.	श्री नवीन जिन्दल	3012, 3105, 3198
73	श्री महेश जोशी	3216
74.	श्री प्रहलाद जोशी	3076
75.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	3165
76	श्रीमती कैसर जहां	3086, 3163, 3169
77.	श्री सुरेश कलमाडी	3082
78.	श्री पी. करुणाकरन	3121
79.	श्री कपिल मुनि करवारिया	3142
80.	श्री राम सिंह कस्वां	3093
81.	श्री नलिन कुमार कटील	3001
82.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2996
83.	श्री चंद्रकांत खैरे	3011
84.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	3052, 3213
85.	श्री विश्व मोहन कुमार	3101
86.	श्री अजय कुमार	3077
87.	श्री पी. कुमार	3036, 3123
88.	श्री शैलेन्द्र कुमार	3092
89.	श्री एन. पीताम्बर कुरूप	3013
90.	श्री यशवंत लागुरी	3095

1	2	3
91.	श्री पी. लिंगम	3064, 3181
92.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	3003, 3165, 3194
93.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	3021, 3120
94.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	3065, 3153
95.	श्री नरहरि महतो	3022, 3023
96.	श्री भर्तृहरि महताब	3107, 3177
97.	श्री प्रदीप माझी	3122, 3131
98	श्री जितेन्द्र सिंह मलिक	3216
99	श्री मंगनी लाल मंडल	3143, 3216
100.	श्री जोस के. मणि	3110, 3178
101.	श्री दत्ता मेघे	3139
102.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	3199
103.	डॉ. थोकचोम मैन्या	3130
104.	श्री महाबल मिश्रा	3118
105.	श्री सोमेन मित्रा	3046
106.	श्री पी.सी. मोहन	3027, 3216
107.	श्री गोपीनाथ मुंडे	2994, 3078, 3123, 3171
108.	श्री विलास मुत्तेमवार	3121, 3136, 3184
109.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	3080
110.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	3182
111.	श्री नारनभाई कछाड़िया	3031, 3099
112.	श्री संजय निरुपम	3078, 3114, 3173

1	2	3
113.	कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद	3134
114.	श्री ओ.एस. मणियन	3043
115.	श्री असादुद्दीन ओवेसी	3093, 3106, 3179
116.	श्री पी.आर. नटराजन	3051
117.	श्री वैजयंत पांडा	3148
118.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	3167, 3168
119.	डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी	3186
120.	श्री देवजी एम. पटेल	3044
121.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	2997, 3191
122.	श्री बाल कुमार पटेल	3146
123.	श्री किसनभाई वी. पटेल	3122, 3131
124.	श्री हरिन पाठक	3087
125.	श्री संजय दिना पाटील	3173
126.	श्री ए.टी. नाना पाटील	3121, 3151
127.	श्री सी.आर. पाटिल	3002, 3079
128.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	3167, 3168
129.	डॉ. पद्मसिंह बाजीराव पाटील	3079, 3115
130.	श्रीमती कमला देवी पटले	3095, 3120, 3209
131.	श्री पोन्नम प्रभाकर	3001, 3009, 3197
132.	श्री नित्यानंद प्रधान	3116
133.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	3112
134.	श्री प्रेमदास	3101

1	2	3
135.	श्री पन्ना लाल पुनिया	3188
136.	श्री एम.के. राघवन	3105, 3157
137.	श्री बी.वाई. राघवेन्द्र	3001, 3024, 3200
138.	श्री अब्दुल रहमान	3015
139.	श्री रमाशंकर राजभर	3180
140.	श्री सी. राजेन्द्रन	3039
141.	श्री एम.बी. राजेश	3050, 3183
142.	श्री पूर्णमासी राम	3075
143.	श्री रामकिशुन	3065, 3163
144.	श्री जगदीश सिंह राणा	3120, 3140
145.	श्री निलेश नारायण राणे	3037, 3173, 3207
146.	श्री रायापति सांबासिवा राव	3048, 3089, 3173
147.	श्री जे.एम. आरुन रशीद	3085, 3138
148.	श्री रामसिंह राठवा	2993, 3202
149.	डॉ. रत्ना डे	3178
150.	श्री अशोक कुमार रावत	3097, 3120
151.	श्री विष्णु पद राय	3028
152.	श्री रुद्रमाधव राव	3121, 3160, 3186
153.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	3032, 3163, 3171, 3173
154.	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	3057, 3134
155.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	3014
156.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	3022, 3109

1	2	3
157.	प्रो. सौगत राय	3150
158.	श्री एस. अलागिरी	3218
159.	श्री एस. सेम्मलई	3006, 3165
160.	श्री एस. पक्कीरप्पा	3125, 3217
161.	श्री एस.आर. जेयदुरई	3088, 3165
162.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	3085, 32209
163.	डॉ. अनूप कुमार साहा	3086
164.	श्री चंदूलाल साहू	3047
165.	श्री ए. सम्पत	3132
166.	श्रीमती सुशीला सरोज	3052, 3081, 3204
167.	श्री तूफानी सरोज	3154
168.	श्री हमदुल्लाह सईद	3055, 3104
169.	श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया	3060
170	श्री एम.आई. शानवास	3128
171.	श्री जगदीश शर्मा	3121, 3136, 3184
172.	श्री नीरज शेखर	3084, 3173, 3217
173.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	3172, 3173, 3199
174.	श्री राजू शेट्टी	3019
175.	श्री एंटो एंटोनी	3078, 3105, 3173
176.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	3190
177.	डॉ. भोला सिंह	3063
178.	श्री दुष्यंत सिंह	3168

1	2	3
179.	श्री गणेश सिंह	3171
180.	श्री इज्यराज सिंह	3170
181.	श्री महाबली सिंह	3034, 3095, 3134
182.	श्री पशुपति नाथ सिंह	3144
183.	श्री राधा मोहन सिंह	3220
184.	श्री राकेश सिंह	3199
185.	श्री रतन सिंह	3045, 3078
186.	श्री रवनीत सिंह	2996, 3054, 3219
187.	श्री सुशील कुमार सिंह	3066
188.	श्री उदय सिंह	3069
189.	श्री यशवीर सिंह	3094, 3129, 3173, 3217
190.	श्री धनंजय सिंह	3090, 3174
191.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	3068, 3141
192.	राजकुमारी रत्ना सिंह	3086, 3109, 3145
193.	डॉ. संजय सिंह	3086
194.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	3010, 3079, 3173
195.	श्री मकनसिंह सोलंकी	3135
196.	श्री के. सुधाकरण	3074, 3186
197.	श्री ई.जी. सुगावनम	2995, 3099, 3189, 3217
198.	श्री के. सुगुमार	3026, 3123
199.	श्रीमती सुप्रिया सुले	3182
200.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	3098, 3171, 3187

1	2	3
201.	श्री मानिक टैगोर	3035, 3206
202.	श्रीमती अन्नू टन्डन	3033, 3085, 3173, 3205, 3217
203.	श्री लालजी टन्डन	3168
204.	श्री अशोक तंवर	3018
205.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	3058, 3180
206.	श्री आर. थामराईसेलवन	3038, 3111, 3179
207	श्री पी.टी. थॉमस	3005
208.	श्री मनोहर तिरकी	3022, 3109
209.	श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी	3053
210.	श्री लक्ष्मण टुडु	3095
211.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	3032, 3081, 3166, 3179, 3204
212.	श्री हर्ष वर्धन	3032, 3081, 3166, 3179, 3204
213.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	3045, 3113
214.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	3007, 3069, 3172, 3195
215.	श्री सज्जन वर्मा	3059, 3120
216.	श्रीमती ऊषा वर्मा	3032, 3081, 3166, 3179, 3204
217.	श्री वीरेन्द्र कुमार	3083, 3173
218.	श्री पी. विश्वनाथन	3049, 3199, 3211
219.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	3161
220.	श्री अंजनकुमार एम. यादव	3218
221.	श्री धर्मेन्द्र यादव	3073, 3091, 3175
222.	श्री दिनेश चन्द्र यादव	3141

1	2	3
223.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	3119, 3180
224.	श्री शरद यादव	3056
225.	श्री हुक्मदेव नारायण यादव	3133
226.	श्री मधुसूदन यादव	3072, 3093
227.	श्री मधु गौड यास्खी	3073, 3091, 3131
228.	योगी आदित्यनाथ	3127

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	279, 280
नागर विमानन	:	264, 265
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	267, 271, 273, 276, 277
पृथ्वी विज्ञान	:	270
विदेश	:	274
मानव संसाधन विकास	:	261, 263, 268, 278
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
संसदीय कार्य	:	
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	269
योजना	:	266
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	275
अंतरिक्ष	:	
शहरी विकास	:	262, 272

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधान मंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	3064, 3067, 3072, 3073, 3128, 3148, 3162, 3183, 3194, 3196
नागर विमानन	:	3010, 3011, 3015, 3017, 3019, 3020, 3027, 3036, 3056, 3060, 3061, 3080, 3091, 3093, 3107, 3111, 3115, 3121, 3123, 3131, 3168, 3175, 3179, 3184, 3185, 3189, 3193, 3209, 3210, 3213, 3215, 3216, 3217
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	:	2994, 3000, 3001, 3016, 3021, 3040, 3045, 3047, 3049, 3086, 3098, 3099, 3102, 3124, 3129, 3136, 3150, 3157, 3173, 3177, 3188, 3199, 3207, 3211, 3214, 3218
पृथ्वी विज्ञान	:	3054, 3085, 3100

विदेश	:	2995, 2999, 3007, 3057, 3081, 3084, 3090, 3108, 3116, 3159, 3165, 3204
मानव संसाधन विकास	:	3003, 3004, 3005, 3014, 3023, 3024, 3025, 3028, 3029, 3032, 3037, 3038, 3041, 3042, 3044, 3046, 3048, 3052, 3053, 3062, 3082, 3083, 3087, 3089, 3092, 3097, 3101, 3105, 3109, 3114, 3117, 3119, 3120, 3122, 3125, 3127, 3130, 3132, 3135, 3138, 3139, 3142, 3143, 3144, 3145, 3149, 3151, 3153, 3156, 3158, 3163, 3164, 3166, 3167, 3169, 3170, 3171, 3172, 3174, 3176, 3180, 3190, 3191, 3192, 3195, 3197, 3198, 3203, 3212, 3220
प्रवासी भारतीय कार्य	:	3018, 3039, 3055, 3075, 3078, 3103, 3161
संसदीय कार्य	:	3065
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2992, 2993, 3002, 3006, 3012, 3030, 3031, 3043, 3069, 3070, 3071, 3088, 3096, 3112, 3113, 3133, 3140, 3154, 3160, 3181, 3187, 3201
योजना	:	3008, 3013, 3068, 3074, 3076, 3077, 3095, 3106, 3110, 3134, 3137, 3141, 3155, 3186, 3200, 3202
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	2996, 3022, 3033, 3034, 3058, 3063, 3126, 3152
अंतरिक्ष	:	3026, 3050, 3051, 3079, 3146, 3205, 3219
शहरी विकास	:	2991, 2997, 2998, 3009, 3035, 3059, 3066, 3094, 3104, 3118, 3147, 3178, 3182, 3206, 3208ए

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/30/14/2012 (एन०)
360

© 2012 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।